सप्तम माला, खंड 49, अंक 10 शुक्रवार, 3 अगस्त, 1984/12 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(पन्द्रहवां सत्र)

7th Lok Sabha



(खंड 49 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

शुक्रवार, 3 अगस्त, 1984/12 श्रावण, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 2, पंक्ति 13, "मिनि" के स्थान पर "मिनो" पढ़िये।

पृष्ठ 2, पंक्ति 17, "तथा" के स्थान पर "तथा" पढ़िये।

पृष्ठ 37, पंक्ति 9, "सूचि" के स्थान पर "सूची" पढ़िये।

पृष्ठ 41, पंक्ति 4, "गुजराञ्च" के स्थान पर "गुमराह" पढ़िये।

पृष्ठ 43, पंक्ति 4, "स्वकृोत" के स्थान पर "स्वीकृत" पढ़िये।

पृष्ठ 51, पंक्ति 1, "रिलायशो" के स्थान पर "रिहायशो" पढ़िये।

पृष्ठ 61, पंक्ति 1, "को" के स्थान पर "की" पढ़िये।

पृष्ठ 61, विवरण में "अदड़" के स्थान पर "अदद" पढ़िये।

पृष्ठ 71, पंक्ति 16, "आधुरिकोकरण" के स्थान पर "आधुनिकोकरण" पढ़िये

पृष्ठ 77, पंक्ति 17, "को" के स्थान पर "की" पढ़िये।

पृष्ठ 81, नीचे से पंक्ति 3, "श्री वित्त महाटा" के स्थान पर "श्री चित्त महाटा" पढ़िये।

पृष्ठ 83, पंक्ति 21, अ0प्र0संख्या "868" के स्थान पर "1068" पढ़िये।

पृष्ठ 85, पंक्ति 19, "स्वदेशी" और "सीमा" के बीच शब्द "का" का लोप कीजिये।

पृष्ठ 88, पंक्ति 11, "बिना" के स्थान पर "सूना" पढ़िये।

पृष्ठ 106 पंक्ति 16 "हस्सिा" के स्थान पर "हस्सेा" पढ़िये।

पृष्ठ 127, पंक्ति 18, अ0प्र0संख्या "191" के स्थान पर "1918" पढ़िये।

पृष्ठ 145, पंक्ति 22, "अ0प्र0संख्या "193" के स्थान पर "1934" पढ़िये।

पृष्ठ 170, पंक्ति 2, "श्री एम0रामगोपाल" के स्थानपर "श्री एम0रामगोपाल रेड्डी" पढ़िये।

पृष्ठ 189, पंक्ति 4, अ0प्र0संख्या "197" के स्थान पर "1979" पढ़िये।

पृष्ठ 214, पंक्ति 3, "कामलों" के स्थान पर "मामलों" पढ़िये।

पृष्ठ 229, पंक्ति 24, अ0प्र0संख्या "1022" के स्थान पर "2022" पढ़िये।

पृष्ठ 249, पंक्ति 24, अ0प्र0संख्या "5037" के स्थान पर "2037" पढ़िये।

पृष्ठ 250, पंक्ति 13 तथा 15, "संस्थानों" के स्थान पर "संस्थानों" पढ़िये।

पृष्ठ 250, पंक्ति 15, "संस्थाओं" के स्थान पर "संस्थानों" पढ़िये।

पृष्ठ 251, पंक्ति 15, "बराम" के स्थान पर "बरामद" पढ़िये।

पृष्ठ 261, पंक्ति 2, "अपका" के स्थान पर "आपका" पढ़िये।

पृष्ठ 261, पंक्ति 8, "श्री अब्दुल रसीद काबुली" के स्थान पर "श्री अब्दुल रशीद काबुली" पढ़िये।

पृष्ठ 307, पंक्ति 15, "सम्क्ष" के स्थान पर "समक्ष" पढ़िये।

पृष्ठ 307, पंक्ति 16, "बुढ़ा" के स्थान पर "बढ़ा" पढ़िये।

पृष्ठ 354, नीचे से तीसरी पंक्ति, "उत्सादन" के स्थान पर "उत्पादन" पढ़िये

विषय सूची

अंक 10, शुक्रवार, 3 अगस्त, 1984/12 श्रावण, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या : 187, 189, 190, 193 से 195 और 199	2—23
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या : 188, 191, 192, 196 से 198 और 200 से 206	23—34
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1811, से 1846, 1848 से 1859 और 1861 से 2043	34—262
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	262—264
संसदीय समितियां—कार्य का सारांश	265
राज्य सभा से संदेश	265
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति	265
26वां प्रतिवेदन	
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	266—295
देश के विभिन्न भागों में विनाशकारी बाढ़, जिसके परिणामस्वरूप जनजीवन, फसलों और सम्पत्ति की भारी हानि हुई तथा इस संबंध में सरकार द्वारा किए गए राहत कार्य	

*किसी नाम पर अंकित † चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

श्री हरिकेश बहादुर 266

श्री योगेन्द्र मकवाना 266

राव वीरेन्द्र सिंह 271

श्री बी० डी० सिंह 278

श्री बृजमोहन महन्ती 284

श्री जगपाल सिंह 289

श्री वृद्धि चन्द्र जैन 292

सभा का कार्य 295—306

गांधी शांति प्रतिष्ठान तथा अन्य संगठनों के संबंध में कुदाल जांच आयोग द्वारा जांच पूरी किए जाने और प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बढ़ाए जाने के बारे में वक्तव्य

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा 306—308

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1982—वापस लिया गया 308—309

श्री हरिनाथ मिश्र 308

प्रो० अजित कुमार मेहता 309

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1984 309—311

पुरः स्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव

श्री हरिनाथ मिश्र 309

श्री जयपाल सिंह कश्यप 309

श्री दिगम्बर सिंह 310

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 311

78 वां प्रतिवेदन

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से संबंधित संकल्प 311—341

श्री राम लाल राही 312

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही 322

श्री चित्त बसु 326

श्री एडुआर्डो फैलीरो 329

श्री मनी राम बागड़ी 332

श्री राम प्यारे पनिका 335

श्री राम विलास पासवान 339

आधे घंटे की चर्चा 341—356

मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय 341

श्री राम लाल राही 341

श्री योगेन्द्र मकवाना 345

श्री जयपाल सिंह कश्यप 352

प्रो० अजित कुमार मेहता 353

श्री राजेश कुमार सिंह 354

लोक सभा

शुक्रवार, 3 अगस्त, 1984/12 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा म० पू० 11.05 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं ।। बजे से पहले आया था। सत्तारुढ़ दल के सदस्य विलम्ब से आए हैं । बहुमूल्य समय नष्ट हुआ है ।

उपाध्यक्ष महोदय : स्कूल के दिनों में हम प्रतिनिधिमण्डल के रूप में हेडमास्टर के पास जाकर कहते थे कि 'आज बहुत अच्छा दिन है ।' अतः आज का दिन भी अच्छा मान लीजिए । वैसा ही प्रवृत्ति होनी चाहिए ।

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष जी, कल रात मद्रास में मीनंपाक्कम हवाई अड्डे पर बम ब्लास्ट हुआ है । उसके कारण काफी चिन्ता लोगों में फैल गई है''' (**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, यह अनुचित है । इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए ।

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष जी, इस कारण वहां पर इन्मानी जिन्दगी की कीमत बदतर हो गई है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए । इस तरीके से गाड़ी नहीं चल सकती । मैं हर एक काम हिसाब से करूंगा । आप बैठ जाईए । इस तरह आप क्यों सुनाना चाहते हैं । मंत्री महोदय पूरी जांच कर रहे हैं । बाद में वह हमें बताएंगे । श्री चिरंजी लाल शर्मा ।

श्री मनी राम बागड़ी : अध्यक्ष जी, जिस तरह आप सबसे पहले शोक प्रस्ताव रखा करते हैं, उसी तरह आज भी कीजिए । इससे हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों की जिन्दगी कीड़े मकौडों की तरह हो गई है । यह कोई मामूली बात नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : उसकी हम सबको चिन्ता है, दर्द है । लेकिन इस तरह से काम नहीं चलेगा । नागर विमानन मंत्री उपस्थित हैं । वह जांच कर रहे हैं । वह पूरे तथ्य एकत्र कर रहे हैं । यदि कोई गलत-बयानी कर दें तो उससे कोई फायदा नहीं होगा ।

श्री मनी राम बागड़ी : यहां पर नागर विमानन और उड्डयन मंत्री जी कहें—

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह बिना मतलब हम सबका टाइम जाया हो रहा है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप तो इंक्वायरी के बारे में कह रहे हैं, लेकिन मंत्री जी भी करते हैं या नहीं । हाउस में उन्हें स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताऊंगा, आई० विल शो० यू०···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : इस तरह तो 12 बजे के लिए कोई एजेण्डा नहीं बचेगा ।

अध्यक्ष महोदय : सारा कुछ हो चुका है । जब मैंने कह दिया । श्री चिरंजी लाल शर्मा ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

विदेशी मुद्रा के हवाला सौदे करने वाले गिरोह का मिनी रिजर्व बैंक की तरह काम करना

*187. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हवाला सौदे करने वाला गिरोह मिनि रिजर्व बैंक की तरह काम कर रहा है और अवैध साधनों के माध्यम से भारतीय और विदेशी मुद्रा विश्व के विभिन्न भागों को भेजी जा रही है क्या सरकार को विदेशी मुद्रा की भारी हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) एक विवरण-पत्र सदन पटल रख दिया गया है ।

विवरण

(क) तथा (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 6 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा का लेनदेन करने के लिए साधारणतया केवल बैंकों को ही अधिकार देता है । पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अध्यधीन कतिपय प्रतिष्ठित फर्मों, होटलों तथा दूसरे संगठनों को विदेशी मुद्रा के नोटों, सिक्कों तथा यात्री चैकों के लेनदेन के लिए सीमित लाइसेंस मंजूर करता है । अतः "मिनि रिजर्व बैंक" शब्दों का कोई विशेष अर्थ नहीं है ।

फिर भी, किए गए अभिग्रहणों तथा प्राप्त आसूचना से पता चलता है कि "हवाला" या

"पूरक अदायगियों" के नाम से परिचित माध्यम से अर्थात् अन्यथा प्राधिकृत व्यापारियों से भिन्न माध्यम से गुप्त लेन-देन होता है, जिससे देश को विदेशी मुद्रा की हानि होती है।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में ऐसे व्यक्तियों से निपटने के लिए, जो ऐसी अनधिकृत पूरक अदायगियां करते हैं अथवा प्राप्त करते हैं, उपयुक्त उपबन्ध है। प्रवर्तन निदेशालय ने, जो इस सम्बन्ध में सतर्क रहता है, ऐसे अनधिकृत लेन-देन के बहुत से मामलों का पता लगाया है तथा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत तथा विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अन्तर्गत निवारक नजरबन्दी के लिए समुचित कार्रवाई की है/कर रही है। ऐसे अनधिकृत लेन देनों के खिलाफ अभियान एक सतत प्रक्रिया है तथा उसे रोकने के लिए समुचित उपाय करने के लिए मामले की सतत समीक्षा की जाती है।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या वित्त मंत्री कृपया हमें बताएंगे कि अनाधिकृत लेन-देन की ओर सरकार का ध्यान कब गया, पिछले एक वर्ष के दौरान अनाधिकृत लेन-देने के कितने मामलों का पता लगाया गया और उनमें कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है, तथा ऐसे मामलों में कौन सी एजेंसी तथा कौन व्यक्ति अन्तर्ग्रस्त थे एवं उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री प्रणव मुखर्जी -- वास्तव में, जैसा कि माननीय सदस्य को जानकारी है, विदेशी मुद्रा सम्बन्धी घोटालों पर प्रवर्त्तन निदेशालय कार्यवाही करता है। हम सूचना प्राप्त करते हैं तथा उसके पश्चात् सूचना और आसूचना रिपोर्ट तथा अन्य सूचनाओं की छान-बीन की जाती है और आवश्यकता पड़ने पर हम कार्यवाही करते हैं। यह बताना सम्भव नहीं हैं कि पिछले एक वर्ष के दौरान ऐसे कितने मामलों का पता लगाया गया और इसमें कितनी विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त थी। लेकिन नवीनतम सूचना के बारे में मैं आपको कुछ बता सकता हूं। जनवरी से जून 1984 तक हमने 1191 मामलों के सम्बन्ध में तलाशी की। उससे 1 वर्ष पूर्व अर्थात वर्ष 1983 में जनवरी से दिसम्बर तक हमने कुल 2307 मामलों में तलाशी की। 1982 में ऐसे मामलों की संख्या 1867 थी। 1981 में यह संख्या करीब 1700 थी। इतने मामलों की तलाशी की गई। अतः आप वार्षिक आंकड़ों का अन्दाजा लगा सकते हैं। 1981 में भारतीय मुद्रा में 77 लाख रुपए और विदेशी मुद्रा में 37 लाख रुपए बरामद हुए। वर्ष 1982 में भारतीय मुद्रा में 90 लाख रुपए तथा विदेशी मुद्रा के 45 लाख रुपए, 1983 में भारतीय मुद्रा के 86 लाख रुपए तथा विदेशी मुद्रा में 47 लाख रुपए प्राप्त हुए। वर्ष 1984 में जून तक भारतीय मुद्रा में 71 लाख रुपए और विदेशी मुद्रा में 23 लाख रुपए बरामद हुए।

श्री चिरंजी लाल शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को और कठोर बनाने के लिए इसमें कुछ संशोधन करने की वांछनीयता पर विचार करेगी ताकि इस कदाचार को रोका जा सके ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, आवश्यकता पड़ने पर हम ऐसा करते हैं और शीघ्र ही प्रस्ताव में आज ही, मैं विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम संशोधन प्रस्तुत करूंगा

जिसमें विदेशी मुद्रा की धोखाधड़ी तथा तस्करी गतिविधियों के सम्बन्ध में कार्यवाही करने की व्यवस्था है ?

श्री भेरावदन के० गधावी : महोदय, अपरिष्कृत हीरों के आयात तथा परिष्कृत हीरों के निर्यात के व्यापार में हीरों के बड़े-बड़े व्यापारियों ने अपने कार्यालय विदेशों में बनाए हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि आयात-निर्यात के मामले में कम मूल्य के बीजक तथा अधिक के बीजक बनाकर बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा का घोटाला किया जाता है और इस बारे में उनका क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय, मैं नहीं जानता कि क्या यह बड़ा है या छोटा लेकिन इस तरह के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आ रहे हैं तथा जब आवश्यक होता है हम कार्यवाही करते हैं। मैं आंकडे पहले ही दे चुका हूं।

जवानों के लिए खाद्य पदार्थों की किस्म में सुधार करना

*189. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला, मैसूर ने भारतीय अन्तरिक्ष यात्रियों तथा उनके साथियों के लिए जब उन्हें अन्तरिक्ष में भेजा गया था, खाद्य पदार्थ तैयार किए थे;

(ख) क्या इस प्रयोगशाला द्वारा तैयार किए गए खाद्य पदार्थों की अन्तरिक्ष यात्रियों ने बहुत प्रशंसा की थी और वे कई दिनों तक मनुष्यों के खाने के योग्य बने रहे थे;

(ग) क्या इस प्रयोगशाला द्वारा बहुत अधिक ऊंचाई पर कार्यरत भारतीय जवानों (रक्षा सैनिकों) के लिए तैयार किए गए खाद्य पदार्थ उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित खाद्य पदार्थों की तुलना में बहुत घटिया किस्म के होते हैं;

(घ) जवानों के लिए ऐसी घटिया किस्म के खाद्य पदार्थ तैयार करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का जवानों के लिए खाद्य पदार्थों की किस्म सुधारने का विचार है; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कार्यरत भारतीय जवानों के लिए तैयार खाद्य पदार्थों की किस्म अन्तरिक्ष यात्रियों के लिए तैयार खाद्य पदार्थों से भिन्न होती है। अतः अन्तरिक्ष यात्रियों के लिए तैयार खाद्य पदार्थों की तुलना में अधिक ऊंचाई पर

कार्यरत भारतीय जवानों के लिए घटिया किस्म के खाद्य पदार्थ तैयार करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जवानों के लिए भोजन की अच्छी किस्म उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा अनुसंधान कार्य बराबर किया जा रहा है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : महोदय, प्रश्न की भाषा ठीक नहीं है। उसके लिए मुझे खेद है। मंत्री मोहदय ने ठीक उत्तर दिया है कि जवानों को भेजा जा रहा भोजन घटिया किस्म का नहीं है लेकिन हमारे लोग अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हैं और कई महीनों तक वे बर्फ में रहते हैं। अत: उनको जो भोजन भेजा जा रहा है उसके खराब होने की सम्भावना है। अधिक ऊंचाई तथा काफी समय तक भंडारण किए जाने के कारण यह खराब हो जाता है। हम ऐसे स्थानों पर गए हैं और मंत्री महोदय ने भी इन स्थानों का दौरा किया है। मैं जानना चाहता हूं कि वह इस भोजन को खराब होने से बचाने के क्या उपाय करने जा रहे हैं। कितनी ही बार खराब हो गए अण्डों और मीट को फेंक दिया जाता है और जवान दूसरी सप्लाई का इन्तजार करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस दिशा में कोई अनुसंधान किया जा रहा है। जब हमने अपने अन्तरिक्ष यात्रियों के लिए अच्छा भोजन तैयार किया है तो फिर हम अपने जवानों को भी ऐसा भोजन क्यों नहीं देते? दूसरे, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वाणिज्यिक आधार पर इसका उत्पादन करना सम्भव है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कैन्टीन में भी ऐसे भोजन का प्रबन्ध करूं?

श्री के० पी० सिंहदेव : महोदय, अनुसंधान एक सतत प्रक्रिया है और भोजन की किस्म में सुधार तथा इसकी संरक्षण अवधि बढ़ाने के प्रयास करना भी इसका अंग है। सर्वप्रथम मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला सभी जवानों को भोजन की आपूर्ति नहीं करती और ना ही यह अधिक ऊंचाई के क्षेत्रों में सभी जवानों को दिया जाता है। ये विशेष भोजन होते हैं जो विशेष परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार, उदाहरण के लिए अन्तरिक्ष यात्रियों के मामले में अथवा अंटार्टिका अभियान दल के जैसे विशेष मामलों में, सुरक्षित और डिब्बाबन्द भोजन के रूप में दिए जाते हैं। सेना के जवानों को कच्चा भोजन या ऐसी कोई अन्य चीज नहीं दी जाती है। अत: माननीय सदस्य का यह प्रश्न कि क्या हमारा अनुसंधान कार्य जारी है, के उत्तर में, मैं कहना चाहता हूं कि अनुसंधान जारी है और हम भोजन की परिरक्षण अवधि बढ़ाने तथा किस्म में सुधार करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : हमें भारत-तिब्बत सीमा क्षेत्रों से कुछ शिकायतें मिली हैं कि भोजन अच्छा नहीं आ रहा है। अत: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या जवानों को दिए जा रहे भोजन की किस्म कम से कम छ: महीनों तक वैसी ही रहेगी क्योंकि हर बार भोजन

के पैकेट छोड़ना असम्भव है। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी अधिक ऊंचाई पर जवानों को कितने अंतराल के बाद भोजन के पैकेट भेजे जाते हैं।

श्री के० पी० सिंहदेव : हमें कोई शिकायत नहीं मिली है। यदि माननीय सदस्य के पास कोई विशेष शिकायतें हैं तो हम उनकी जांच करेंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला, मैसूर ने भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों के लिए भोजन तैयार किया है। जैसा कि उन्होंने कहा कि यह भोजन रूस के अंतिरिक्ष यात्रियों ने भी खाया है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह भोजन शाकाहारी था अथवा मांसाहारी और उन्हें भारतीय भोजन कैसा लगा।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमन चक्रवर्ती आप क्या पसन्द करेंगे—शाकाहारी या मांसाहारी ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, कल मैंने आपके शाकाहारी भोजन का आनन्द लिया है। लेकिन मैं दोनों ही तरह का भोजन पसन्द करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : तब तो आपका इस पर एकाधिकार है।

श्री के० पी० सिंहदेव : महोदय, अंतरिक्ष यत्रियों से सम्बद्ध विशेषज्ञतों द्वारा चयन की गई तीन किस्में 7 मदों की सूची में से थी जिसमें मांसाहारी भोजन भी शामिल था। चयन की गई तीन मदें हैं : आम के रस का प्रशीतित सूखा चूर्ण, अनानास के रस का प्रशीतित सूखा चूर्ण, तथा मैंगो फ्रूट बार। इसका कारण यह है कि अंतरिक्ष में भार शून्य होता है, अत: इस तरह का विशेष भोजन तैयार करना पड़ा ताकि अंतरिक्ष यत्रियों को इसे लेने में आसानी हो। यह अर्ध-तरल हो, वहां वे कुछ किस्म के भोजन नहीं निगल सकते हैं लेकिन इसे वे ट्यूब जैसी किसी वस्तु से ले सकते हैं। अत: इन तीन मदों का चयन किया गया और मांसाहारी मदों को स्वीकार नहीं किया गया।

चीनी का निर्यात

*190. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-84 के दौरान चीनी का किन-किन देशों को और किस दर पर निर्यात किया गया; और

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान किन-किन देशों को चीनी का निर्यात करने का विचार है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ख) 1984-85 में चीनी की निर्यात योजनाओं के बारे में कोई जानकारी देना हमारे वाणिज्यिक हितों में नहीं होगा।

विवरण

मात्रा : लाख मे० टन में
मूल्य : करोड़ रु० में

देश	वर्ष							
	1980-81		1981-82		1982-82		1983-84	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9
चीन	—	—	—	—	0.859	17.45	0.11	2.60
मिस्र	0.115	4.67	—	—	0.269	5.20	3.06	76.89
इण्डोनेशिया	0.305	16.98	1.540	49.22	2.06	40.68	0.88	—
मालदीव	—	—	—	—	0.01	0.27	0.34	0.90
नेपाल	0.015	1.09	—	—	—	—	—	—
सोमालिया	—	—	—	—	—	—	0.11	2.58
श्रीलंका	0.140	7.86	—	—	0.578	10.41	2.22	52.97
सूडान	—	—	—	—	0.132	2.49	0.46	13.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ब्रिटेन	0.140	3.86	—	—	—	—	—	—
सं० रा० अमरीका	—	—	—	—	0.196	5.26	0.20	9.36
यमन अरब गणराज्य	—	—	—	—	—	—	0.85	21.59
लेबनान	—	—	—	नरायण	(303 मे० टन)	0.10	—	—
ट्यूनीसिया	—	—	—	—	—	—	0.35	8.11
इक्वेडर	—	—	—	—	—	—	0.10	2.16
मोरक्को	—	—	—	—	—	—	0.64	17.17
	0.715	35.96	1.540	49.22	4.107	84.76	8.13	207.53

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, वह बड़ा गोल-मटोल है। इससे स्थिति स्पष्ट नहीं होती है।

अध्यक्ष महोदय : शूगर-कोटिड तो नहीं ?

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : 1983-84 में 8.13 लाख टन चीनी का एक्सपोर्ट किया गया और उससे 207.53 करोड़ रुपए प्राप्त किया। किसी देश को 2.50 रुपए प्रति-किलो और किसी देश को 2.30 रुपए प्रति-किलो के हिसाब से चीनी एक्सपोर्ट की गई है। यहां जब 6 रुपए और 30, 35 रुपए पर बाजार भाव है तो फिर आप इतने घाटे पर एक्सपोर्ट क्यों करते हैं, इसके पीछे कौन सा राज हो सकता है ?

मंत्री जी ने बताया कि कोई जानकारी देना वाणिज्यिक हित में नहीं है। अगर यह अमेरिका और रूस से व्यापार होता तो मैं समझ सकता था कि कोई भीतरी सीकरेट होगा लेकिन यह तो तेल-उत्पादक देशों के साथ व्यापार हो रहा है और अधिक से अधिक कहा जाए तो लंका कहा जा सकता है। लंका तो हमारे भारतीयों को वहां पीट रहा है। जिस प्रकार से इन देशों के साथ घाटे में व्यापार कर रहे हैं तो इतनी कैम दर पर एक्सपोर्ट करने का कौन सा वाणिज्य है, इसके पीछे क्या राज है ?

अध्यक्ष महोदय : बार-बार एक बात को क्यों दोहरा रहे हैं ?

श्री निहार रंजन लास्कर : मानीय सदस्य का प्रश्न बहुत विशिष्ट था और मैंने भी बहुत विशिष्ट उत्तर दिया है। जैसा कि मैंने उन्हें अब समझा है, उन्होंने अनुपूरक प्रश्न में मुझ से कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछा है। तथापि, मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि भारत भी अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का सदस्य है। उस व्यवस्था के अन्तर्गत, हमें कुछ देशों को विशिष्ट कोटा देना होता है और उस कोटे को पूरा करने के लिए हमें अपनी चीनी का निर्यात करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में हमें कभी-कभी कुछ हानि भी उठानी पड़ती है।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : यह तो कोई जवाब नहीं हुआ। कांट्रेक्ट के अनुसार करिए।

अध्यक्ष महोदय : कई बातें समझने की होती हैं।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : कांट्रेक्ट का मतलब यह नहीं होता कि हम बहुत घाटे में बिजनेस करें और इस पर घाटा थोपें।

हमने अखबारों में पढ़ा है कि 3 लाख 54 हजार टन हम बाहर से आयात कर रहे हैं जो यहां 4, साढ़े 4 रुपए प्रतिकिलो के हिसाब से आ रही हैं। हम इतना सस्ता यहां से बेचकर इतना मंहगा मंगाते हैं तो इसके पीछे क्या वाणिज्यिक नीति है ?

अध्यक्ष महोदय : यह भी वाणिज्य नीति है।

श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा : क्या सारे देश को खाली घाटे में डालना ही वाणिज्य नीति है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, हमें निर्यात कोटे को पूरा करना पड़ता है और स्वदेशी मंडी के हित को सुरक्षित करने के लिए हमें कभी-कभी चीनी का आयात भी करना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय : वह समझते हैं, जानते हैं, पर जगाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, हमें पता है कि इस साल शुगर का प्रोडक्शन घट गया है, लेकिन फिर भी हमारे इंटरनेशनल जो कमिटमेंट हैं, वह पूरे करने चाहिएं, इसलिए एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम एक तरफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ इम्पोर्ट कर रहे हैं।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि जो हमारा पिछला बचा हुआ स्टाक है और इस साल में जो चीनी पैदा हुई है, यह दोनों कितनी हैं ? इसके बावजूद जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वह किस कीमत पर कर रहे हैं और उसके हिसाब से जो मार्केट में कन्ज्यूमर को शुगर बेच रहे हैं, उसकी कीमत नीचे लाने के लिए क्या कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने लेवी शुगर कम करने का निर्णय ले लिया है यह हम जानते हैं। इसलिए आज शुगर की कीमत कम करने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं और इम्पोर्टेड शुगर के लिए क्या कीमत दे रहे हैं ?

श्री निहार रंजन लास्कर : खाद्य विभाग ने मार्च-अप्रैल, 1984 में मूल्यांकन किया था और उसके अनुसार उत्पादन लगभग 59 लाख टन होगा तथा चीनी का भंडार लगभग 14.25 लाख टन है। इस मूल्यांकन के आधार पर, जो निर्यात हम पहले कर चुके हैं उससे आगे निर्यात करना बन्द कर दिया है। विशेष सावधानी के तौर पर भी, घरेलू खपत के लिए लगभग 3.5 लाख टन चीनी का आयात करने की व्यवस्था की गई है। कभी-कभी हमें यह विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, हमें अपनी चीनी के निर्यात के करार को भी पूरा करना पड़ता है।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : एक्सपोर्ट हम किस प्राइस पर करते हैं और इम्पोर्ट किस प्राइस पर करते हैं यह नहीं बताया। दाम घटाने के लिए क्या कर रहे हैं, यह भी नहीं बताया।

श्री बीजू पटनायक : आप किस भाव पर आयात कर रहे हैं ?

श्री निहार रंजन लास्कर : हम इस समय भाव नहीं बता सकते।

श्री बीजू पटनायक : श्रीमन्, क्या आप इससे संतुष्ट हैं ? आयातित चीनी का देश में पहुंचने पर क्या मूल्य पड़ता है ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इस पर आधे घंटे की चर्चा स्वीकार कर लीजिए।

श्री निहार रंजन लास्कर : महोदय, हमने कुछ करार किए हैं और जैसा कि मैं कह चुका हूं कि इस समय भाव बताना हमारे वाणिज्यिक हित में नहीं है ।

श्री बीजू पटनायक : उन्होंने 3.5 लाख टन चीनी का आयात किया है उन्हें यह नहीं पता कि चीनी देश में किस भाव पड़ी ।

(व्यवधान)

श्री सुनील मैत्रा : चीनी का आयात किस देश से किया जा रहा है और इसका मूल्य क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं यह बाद में पता करूंगा । हो सकता है कि फिलहाल इसे गुप्त रखा जाना हो ।

प्रो० मधु दण्डवते : आयातित चीनी का मूल्य क्या है और निर्यातित चीनी का मूल्य क्या है ? कृपया उनसे पूछिए ।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं । यह कोई ऐसा भेद नहीं है जिससे अधिक देर तक गुप्त रखा जा सके । यह प्रकट हो जाएगा । फिलहाल, वे कुछ बचत करने की कोशिश कर रहे हैं । यह रहस्य लम्बे समय तक नहीं रखा जा सकता ।

प्रो० मधु दण्डवते : इसमें गुप्त रखने वाली कौन सी बात है ? प्रश्न यही है ।

अध्यक्ष महोदय : आप सुन तो लें मेरी बात ।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यदि उन्हें मूल्यों की जानकारी नहीं है तो उन्हें मंत्री नहीं बने रहना चाहिए । यदि वह जानते हुए भी तथ्यों को छिपा रहे हैं, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सूत्र है ।

श्री निहार रंजन लास्कर : हम संसार के विभिन्न भागों में विभिन्न स्थानों पर दलालों के माध्यम से करार कर रहे हैं और मूल्य बताने के लिए यह उपयुक्त समय नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में उन्हें इसकी जानकारी दे दें ।

हीरा उद्योग में संकट

*193. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हीरा उद्योग को संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य-मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) विशेष तौर पर उद्योग के आधुनिकीकरण तथा विविधीकरण करने और उत्पादकता में सुधार करने के लिए देश से साधित हीरों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए बराबर उपाय किए जा रहे हैं ।

श्री चिंतामणि जेना : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि संसाधित हीरों का निर्यात बढ़ाने के लिए निरन्तर कदम उठाए जा रहे हैं । महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि गत तीन वर्षों में हमारे देश से विदेशों को कितनी मात्रा में हीरों का निर्यात किया गया, कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई तथा उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने हमारे हीरों का आयात किया ? एक बात और, श्रीमन् । क्या मैं उन स्थानों के नाम जान सकता हूं जहां ऐसे उद्योग हैं ? और क्या यह सच है कि उन स्थानों में अन्तर्राष्ट्रीय डाकघरों की कमी के कारण हीरे आदि अन्य स्थानों को भेजने में यह उद्योग कठिनाई का सामना कर रहा है ? यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने संचार मंत्रालय को उन स्थानों पर ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय डाकघर खोलने के लिए राजी करने हेतु क्या कार्यवाही की है ?

श्री निहार रंजन लास्कर : भारत से हीरे-जवाहरात के कुल निर्यात में लगभग 90% हीरे होते हैं । हमारे 1324 करोड़ रुपयों के हीरे-जवाहरात के कुल निर्यात में से हीरों का निर्यात 1189 करोड़ रुपए से कुछ अधिक का है । इस प्रकार यह हमारे हीरे-जवाहरात के निर्यात का लगभग 90% है ।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि हमारे हीरों के निर्यात की मण्डियां कौन-कौन सी हैं । भारतीय हीरों के लिए मुख्य मण्डियां हैं, अमरीका, बैल्जियम, हांगकांग, जापान, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर तथा पश्चिम जर्मनी । ये मुख्य देश हैं जिन्हें हम हीरों का निर्यात कर रहे हैं ।

अगला प्रश्न गत तीन वर्षों के दौरान किए गए निर्यातों की मात्रा तथा प्राप्त किए गए मूल्य के बारे में है । 1981-82 में हीरों का कुल निर्यात 40.50 लाख कैरेट था तथा मूल्य 727.76 करोड़ रुपए था । 1982-83 में यह 46.56 लाख कैरेट था तथा मूल्य 912.83 करोड़ रुपए था । 1983-84 में निर्यात 55.88 लाख कैरेट तथा मूल्य 1189.18 करोड़ रुपए था ।

श्री चिंतामणि जैना : मंत्री महोदय के उत्तर से पता चलता है कि विदेशों में हमारे, हीरों की अच्छी मांग है। इसलिए, क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, ताकि वे अधिक हीरे तैयार कर सकें ? विभिन्न विदेशों की कितनी मांग है तथा हमारी घरेलू मांग कितनी है ? इन मांगों को पूरा करने के लिए हमारा उत्पादन कितना है ?

मुझे एक और अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसलिए, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि हमारे देश में निर्मित हीरों की बड़े पैमाने पर विदेशों को तस्करी होती है ? आपका मन्त्रालय वित्त मन्त्रालय के समन्वय से इस तस्करी को रोकने के लिए क्या कार्यवाही कर रहा है ?

(व्यवधान)

श्री निहार रंजन लास्कर : पहला प्रश्न था : अपनी हीरे की वस्तुओं के स्तर को सुधारने के लिए हम क्या कदम उठा रहे हैं तथा सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। पहले तो मैं यह कहूंगा कि औजारों तथा उपकरणों पर शुल्क घटा दिया गया है, इसके साथ-साथ कारीगरों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं दी जा रही हैं। यह कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। अन्य सुविधाओं में एक यह भी है कि कटे तथा पालिश किए हुए हीरों के निर्यात के लिए प्रोत्साहन भी दिए जा रहे हैं। कुछ मशीनों तथा उपकरणों पर शुल्क में कमी की गई है। इस प्रकार के उद्योगों के लिए आवश्यक कुछ मशीनों तथा उपकरणों पर हमारे वित्त मन्त्री द्वारा प्रस्तुत किए गए पिछले बजट में शुल्क घटाकर 40% कर दिया गया था। इसलिए ये विभिन्न कदम हैं जो उठाए गए हैं। इसके लिए कुछ संस्थाएं हैं। हम विदेशी विशेषज्ञों से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वे यहां आकर हमारे लोगों को प्रशिक्षण दें।

प्रो० एन० जी० रंगा : तस्करी के बारे में आप कहते हैं ?

श्री निहार रंजन लास्कर : तस्करी रोकने के लिए बहुत से कदम उठाए जा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री दलीप सिंह भूरिया : अध्यक्ष महोदय, हीरे का जहां तक सम्बन्ध है, वह मध्य प्रदेश में सबसे अधिक निकलता है लेकिन वहीं मौके पर उसका नीलाम न होकर उसको बम्बई और दिल्ली लाया जाता है और बीच में ही कहीं वह गायब हो जाता है। मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं क्या इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि नीलामी बोली लगाने वाले वहीं पर आयें और वहीं मौके पर हीरों की नीलामी हो ?

श्री निहार रंजन लास्कर : अधिकतर हीरों का हम आयात करते हैं और उसके बाद उन्हें परिष्कृत करके उनका निर्यात करते हैं।

चीन भारत के बीच वार्षिक व्यापार को बढ़ाने के लिए भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ का प्रस्ताव

*194. **श्री चित्त बसु** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ ने चीन और भारत के बीच वार्षिक व्यापार को वर्तमान 145 करोड़ रुपए के स्तर से बढ़ाकर आगामी तीन वर्षों में 1000 करोड़ रुपए तक लाने के लिए हाल ही में कोई प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रस्ताव की व्यवहार्यता की जांच की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) जी हां । चीन-भारत के व्यापार के संवर्धन के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ।

श्री चित्त बसु : जैसा कि आपको विदित है कि भारत और चीन के बीच इस समय जिस स्तर का व्यापार हो रहा है वह व्यवहारिक रूप से बहुत ही कम है । चीन के कुल व्यापार में भारत का हिस्सा 4 प्रतिशत है और भारत के व्यापार में चीन का 6 प्रतिशत है । अब भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल यह चाहता है कि हमारे इन देशों के बीच व्यापार लगभग 700 प्रतिशत बढ़ाया जाए । इस सन्दर्भ में, क्या उन्होंने फिक्की द्वारा दिए गए प्रस्तावों की व्यवहार्यता की जांच कर ली है ? यदि इसकी व्यवहार्यता सम्भव है तो विशिष्ट प्रयत्न करने की आवश्यकता है । क्या सरकार ने इन प्रस्तावों का अध्ययन कर लिया है और इस दिशा में विशेष प्रयत्न किए हैं जिससे कि दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ सके ।

श्री पी० ए० संगमा : मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि हमारे इन दोनों देशों के बीच बहुत ही कम व्यापार हो रहा है और दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ाने की बहुत गुंजाइश है । किन्तु चीन के बारे में एक विशेष समस्या रही है, जैसा कि सभा को पता है, कि अपनी समस्यायें सुलझने बाद ही दोनों देशों के बीच व्यापार 1978 में ही आरम्भ हुआ था । 1978 में केवल 2 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था । यह व्यापार 1981-82 में बढ़कर 130 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था । इस प्रकार व्यापार में वृद्धि होती रही है । किन्तु, दुर्भाग्य से इसमें पुनः अवनति हुई और उसकी मात्रा घटकर केवल 111 करोड़ रुपए रह गई । चीन ने दरों की दो प्रणालियां अपना रखी है । जिन देशों ने चीन के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर रखे हैं उनके लिए पृथक दरें हैं और जिन देशों ने कोई व्यापार समझौता नहीं किया है उनके लिए अलग दरें हैं । दुर्भाग्यवश, हमने चीन के साथ अभी तक कोई व्यापार समझौता नहीं किया है । अब तक बात-चीत के चार दौर हो चुके है और आशा है कि दोनों देशों के बीच बात-चीत का पांचवा दौर भी शीघ्र होगा । बात-चीत के पहले दौर हमारे संयुक्त सचिव स्तर तक हुए थे । अब, वाणिज्य सचिव के नृत्व में हमारा शिष्टमंडल चीन जाएगा और हमें विश्वास है कि भारत और चीन के बीच व्यापार समझौते पर एक बार हस्ताक्षर हो जाने के बाद, उस देशों को अपनी वस्तुओं के निर्यात करने की सम्भावना काफी बढ़ जाएगी ।

श्री चित्त बसु : क्या यह सच नहीं है कि वाणिज्य सचिव के नेतृत्व में सरकारी शिष्टमंडल हाल ही में चीन गया था और उसने अपने इन दोनों के बीच व्यापार बढ़ाने की सम्भावना के सम्बन्ध में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ? फिक्की के प्रतिनिधि की भी बात-चीत चीनी सरकार के उच्च प्राधिकारियों के साथ हुई थी। मेरा अनुमान है कि उन्होंने प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है। क्या सरकार ने दोनों प्रनिवेदनों का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया है और क्या मुझे यह भी बताया जा सकता है कि क्या भारत की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया है कि भारत के साथ अत्यधिक अनुगृहीत राष्ट्र जैसा व्यावहार किया जाए ? क्या यह भी सच है कि चीन में एक संयुक्त उद्योग स्थापित करने के बारे में कुछ विचार-विमर्श किया गया था; यदि हां, तो इस सम्बन्ध में चीन सरकार से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

श्री पी० ए० संगमा : पिछली बार शिष्ट-मंडल वाणिज्य सचिव के नेतृत्व में नहीं गया था अपितु अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में गया था। किन्तु यह शिष्ट-मंडल किसी विशेष प्रयोजन के लिए नहीं अपितु व्यापार के सम्बन्ध में सामान्य बात-चीत करने के लिए गया था। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि हमारे वाणिज्य सचिव के जाने बाद ही द्वीपक्षीय बाता-चीत होगी और मुझे आशा है कि यह बात-चीत शीघ्र ही होगी।

जहां तक अत्यधिक अनुगृहीत राष्ट्र जैसा व्यवहार करने का प्रश्न है, यह हमारी समस्या थी क्योंकि चीन की दोहरी दर नीति थी। हमने यह मामला चीन की सरकार के साथ उठाया है किन्तु वह हमें यह सुविधा देने को तैयार नहीं है। हमने उन्हें वह दर्जा प्रदान किया है किन्तु उसके बदले में वह हमें दर्जा नहीं दे रहे हैं। किन्तु चीन के साथ हमारे समझौते पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद इस समस्या का समाधान हो जाएगा।

जहां तक संयुक्त उद्यम स्थापित करने का प्रश्न है, चीन संयुक्त उद्यम स्थापित के लिए अत्यधिक उत्सुक रहा है। भारत ने अब तक तीन संयुक्त उद्यम स्थापित किए हैं। हमने हाल ही में एक और संयुक्त उद्यम स्थापित किया है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उन क्षेत्रों का और उन वस्तुओं के बारे में विशेष अध्ययन किया है जिससे व्यापार को बढ़ावा मिल सकता है क्योंकि दोनों देशों की अर्थ-व्यवस्था में बहुत अधिक अन्तर नहीं है और अनेक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्द्धा रही है। क्या वस्तुओं और क्षेत्रों के बारे में कोई अध्ययन किया गया है अथवा नहीं ? मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब मैं मान सरोवर गया था तब रास्ते में पड़ने वाले गांव के निवासियों ने सीमा क्षेत्र का व्यापार पुनः चालू करने की मांग की थी। 1962 से पहले यह व्यापार होता था। चूंकि उसके बाद वे लोग गरीब हो गए हैं क्योंकि सीमा क्षेत्र का व्यापार बंद हो गया है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां सीमा क्षेत्र का व्यापार उन्नति कर सकता है और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन क्षेत्रों और वस्तुओं के बारे में कोई अध्ययन किया गया है।

श्री पी० ए० संगमा : जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं भारत और चीन के बीच वार्ता के

चार-दौर हो चुके हैं किन्तु मुझे नहीं मालूम कि क्षेत्रों और वस्तुओं के बारे में पता लगाने का कोई अध्ययन किया गया है अथवा नहीं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे क्या हैं ?

श्री पी० ए० संगमा : मुझे खेद है कि चारो दौर में हुई वार्ता का ब्यौरा मेरे पास नहीं है। यह प्रश्न चौथे शिष्टमंडल से उठता है। उन्होंने उन वस्तुओं का अध्ययन कर उन वस्तुओं का पता लगाया है जो भारत से चीन को और चीन से भारत में निर्यात की जा सकती है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे कौन-कौन सी वस्तुयें हैं ?

श्री पी० ए० संगमा : इस्पात के तार, शीशे की चादरें, ऐस्बेस्टॉस की चादरें, तारों की रस्सियां, औद्योगिक नियन्त्रक उपस्कर, औद्योगिक उपस्कर; सीमेंट के लिए संयुक्त संयन्त्र, ये ऐसी वस्तुयें है जिन्हें अपनी ओर से निर्यात के योग्य समझा गया है। उनकी ओर से खाद्य तेल, वनस्पति तेल, फार्मास्युटिकल उत्पादन, कोकिंग कोयला, कच्चा रेशम, जिंक, कागज की लुगदी तथा अन्य वस्तुयें समझी गई हैं।

सीमा क्षेत्र में व्यापार के बारे में, मेरे विचार से इस स्तर पर हम लोगों ने बातचीत नहीं की है। किन्तु अगली बार जब हमारी वार्ता होगी तब इसके बारे में हम निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री स्वामी, वह आपका निर्यात करना चाहते हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैं यह पूछना चाहता था कि यदि हम श्री स्वामी को निर्यात करें तो हमें क्या मिलेगा ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या आप के पास माओं की कमी है ?

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, जैसा कि उन्होंने कहा है कि 1981-82 के दौरान भारत और चीन के बीच 130 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था, तो भारत से कौन-कौन सी वस्तुएँ निर्यात की गई थी और क्या चीन से भी कोई वस्तु आयात की गई थी। मैं उन वस्तुओं के नाम और उनका मूल्य जानना चाहता हूं। मैं एक और प्रश्न पूछना चाहता था किन्तु उसके बारे में श्री स्वामी पहले ही पूछ चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक ही पर्याप्त है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : क्या आपको आशा है कि भारत और चीन के बीच सचिवों के स्तर पर वार्ता का पांचवा दौर शीघ्र सम्पन्न होगा और क्या चीन के साथ कोई व्यापार समझौता हो सकेगा ?

श्री पी० ए० संगमा : अब तक भारत से तम्बाकू ही निर्यात की मुख्या वस्तु रही है। वह हमारा मुख्य उत्पादन है। कच्ची रुई, लौह अयस्क, कुछ खनिज पदार्थ और चीनी भी चीन को निर्यात की गई थी। चीन से आयात की गई वस्तुओं में रसायन और रसायन से तैयार की गई वस्तुएँ, सहायक यान्त्रिकी और वैज्ञानिक उपकरण आदि शामिल हैं।

जहां तक वार्ता का संबंध है, उनकी ओर से एक सुविधाजनक तारीख की प्रतीक्षा है।

छोटी राशि के ऋण लेने वालों द्वारा बैंक ऋणों की किस्तों का भुगतान

*195. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य लोगों की तुलना छोटी राशि के ऋण लेने वालों द्वारा विशेषरूप से देश के ग्रामीण इलाकों में बैंक ऋणों की हर किस्तों का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है ;

(ख) बड़े ऋण लेने वालों द्वारा यदि भुगतान में विलम्ब किया जा रहा है तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कुछ बड़े ऋण लेने वालों द्वारा किस्तों का भुगतान न किये जाने के कारण विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत समाज के कमजोर वर्गों को बैंकों के ऋणों से वंचित किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उनके मन्त्रालय ने बड़े ऋण लेने वालों से किस्तें वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की है और सरकार का सहकारी बैंकों की किन एजेंसियों को ऋणों की तरह वसूली का दायित्व सौंपने का प्रस्ताव है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) बैंकों में छोटी राशि के ऋण लेने वालों के संबंध में वसूली के अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते, लेकिन कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्र के छोटे ऋणकर्त्ताओं को दिये जाने वाले अग्रिम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के अन्तर्गत आते हैं। जून 1983 के अन्त में अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों का हिस्सा 37.6 प्रतिशत और उस तारीख को अतिदेय राशि में उनका हिस्सा 57.29 प्रतिशत था। बैंक विभेदी ब्याज दर योजना (डी० आर० आई०) योजना के अन्तर्गत केवल छोटे ऋणकर्त्ताओं को ही अग्रिम देते हैं और दिसम्बर 1983 को समाप्त

तिमाही के लिए विभेदी ब्याज दर योजना के अन्तर्गत मांग की तुलना में अतिदेय राशियों का प्रतिशत 72.49 था। ऋणकर्त्ता चाहे बड़े हों या छोटे हमेशा जानबूझकर चूक नहीं करते, कई बार ऐसा औद्योगिक रुग्णता, अप्रत्याशित कारणों से उत्पादन में कमी, व्यापारिक विवादों आदि की वजह से भी हो सकता है।

(ग) और (घ) सरकार ने छोटे ऋणकर्त्ताओं के लिए बैंक ऋणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किये हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, विभेदी ब्याज दर योजना, शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार योजना आदि जैसी कमजोर वर्गों के लाभ के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के अधीन खास-खास लक्ष्य निर्धारित किये गए हैं। इन योजनाओं के अन्तर्गत वित्त-पोषण की प्रगति की सरकार द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उस पर नजर रखी जाती है।

बैंकों के बकाया राशियों की वसूली में सुधार करने के वास्ते कारगर उपाय करने के वास्ते बार-बार कहा गया है। जिन मामलों में वसूली के सामान्य तरीकों से संतोषजनक परिणाम नहीं निकलते, बैंक उनके संबंध में कानूनी कार्रवाई का भी सहारा लेते हैं। कृषि क्षेत्र की विभिन्न ऋण संस्थाओं के वसूली संबंधी कार्य की राष्ट्रीय स्तर पर नियमित रूप से समीक्षा की जाती है।

श्री गिरिधर गोमांगो : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके पास छोटी राशि का ऋण लेने वाले व्यक्तियों से ऋण वसूली का अभिलेख है क्योंकि मुझे यह पता है कि उनके पास बड़ी राशि का ऋण लेने वालों का अभिलेख है। कानूनी कार्यवाही करने के बजाय बड़ी और छोटी राशि का ऋण लेने वाले व्यक्तियों से ऋण वसूल करने के लिए सरकार का क्या अन्य उपाय करने का विचार है जिससे कि लोग ऋण लौटाने के प्रति जागरूक रह सकें ? क्या यह सच है कि बड़ी राशि का ऋण लेने वाले व्यक्तियों द्वारा अदायगी न किए जाने के कारण छोटी राशि का ऋण लेने वाले को ऋण देने के काम में बाधा पड़ रही है ?

श्री जनार्दन पुजारी : सर्वप्रथम, मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग कमजोर वर्ग के लोगों की आवश्यकता पूरी कर रहे हैं। जहां तक कमजोर वर्ग के लोगों से संबंधित कार्यक्रम का संबंध है, उसमें कोई रुकावट नहीं है और हम लोग विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवश्यकताओं को पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं। जहां तक बड़े एककों द्वारा देय राशि का सम्बन्ध है हम निगरानी रख रहे हैं। पर्यवेक्षण किया जाता है और ऋण की वसूली सुनिश्चित करने के लिए उपचारी कार्यवाही भी की जा रही है। समय-समय पर हम उन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करते हैं जो बकाया राशि नहीं लौटा रहे हैं। जहां तक कमजोर वर्ग के लोगों का संबंध है, गांवों में जाकर और लोगों को शिक्षा देकर, मैं इस बात की स्वयं निगरानी करता हूं। इसीलिये जहां 10000 से 15000 व्यक्ति एकत्र होते हैं वहां सार्वजनिक कार्यक्रम किये जाते हैं। हम लोग उनको ऋण लौटाने और उसका लाभ उठाने के बारे में बताते हैं।

श्री गिरिधर गोमांगो : एक भ्रांति है कि यदि छोटी राशि का ऋण लेने वाले 5000 रुपये से कम राशि का ऋण दिया जाता है, तो प्रतिभूति लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या बिना किसी

प्रतिभूति के 5000/- रुपये से कम की राशि का ऋण देने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई मार्गनिर्देश जारी किये हैं? सरकार ने कितनी योजनायें आरम्भ की हैं? क्या वे छोटी राशि का ऋण लेने वालों को प्राथमिकता देंगे, जैसा कि वक्तव्य में कहा गया है? क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अनुदेश दे दिये हैं और क्या योजना को कार्यान्वित करने से पूर्व बैंकों ने उसे ठीक से समझ लिया है?

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य ने एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न उठाया है। यह आज की चर्चा का मुख्य मुद्दा है। उत्पादन के प्रयोजन के लिए दिये जाने वाले 5000/- रुपये के ऋण के लिये किसी प्रकार की प्रतिभूति अथवा जमानत देने को नहीं कहा जाना चाहिये। इस ऋण से उत्पादित सम्पत्ति ही एकमात्र जमानत होगी। वर्ष 1981 से अनुदेश जारी किये गए हैं तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी व्यापक अनुदेश जारी किये गए हैं, लेकिन उनको कार्यान्वित नहीं किया जा रहा है। जब मैं देश के विभिन्न भागों में जाकर बैंक के कर्मचारियों को बताता हूं कि इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए तो वे नाराज हो जाते हैं और यह कहते हैं कि आप उत्तेजनात्मक भाषण दे रहे हैं। वास्तव में ये उत्तेजनात्मक भाषण नहीं हैं मैं मार्गदर्शी सिद्धांतों को क्रियान्वित करने के लिए देश भर में बैंक कर्मचारियों के ध्यान में इनको ला रहा हूं। माननीय सदस्य मुझसे पूछते रहे हैं कि क्या हम लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। वित्त मंत्री महोदय यहां मौजूद हैं और वे बता सकते हैं कि इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को उपयुक्त ढंग से कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इसी कारण उनके सहयोगी के नाते मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहा हूं तथा बैंक कर्मचारियों से मार्गदर्शी सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के लिए कहता रहता हूं।

संसद में तथा संसद के बाहर यह आरोप लगाये गए हैं कि मैंने उत्तेजनात्मक भाषण दिये हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि वास्तविक रूप में इस प्रकार की कोई बात नहीं है। मैं उनसे केवल कार्यान्वित करने के लिए कहा रहा हूं। मैं किसी प्रकार का उत्तेजनात्मक भाषण नहीं दे रहा हूं। मैं इसी बात को स्पष्ट करना चाहता हूं।

श्री ओस्कर फर्नान्डीस: महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या बैंकों के माध्यम से निर्धन लोगों को किस सीमा तक लाभ उपलब्ध किए जाते हैं तथा छोटे उधारकर्त्ताओं को बैंक ऋणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या सरकार ने समीक्षा की है अथवा समीक्षा करने के लिए कोई विशेष समिति गठित की है?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : विशेष समिति जैसी कोई समिति गठित नहीं की गई है। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं लाभार्थियों का पता लगाने के लिए बहुत-सी योजनाएं मौजूद हैं। लाभार्थियों का पता लगाने का कार्य या तो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अथवा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अथवा डी० आर० आई० योजना के अन्तर्गत अथवा अन्य योजनाओं के अन्तर्गत, मुख्य रूप से राज्य प्रशासन द्वारा अपने स्थानीय प्रशासन एककों के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन जनता के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने के लिए मैंने कुछ समितियों को नियुक्त करने के लिए मुख्यमंत्रियों को लिखा था, जिसमें विधान सभा के

प्रतिनिधि तथा खण्ड स्तर पर अन्य सामाजिक कार्यकर्त्ता सम्मिलित हों ताकि वे भी निरीक्षण कर सकें। कुछ राज्य सरकारों ने ऐसा कर लिया है और कुछ ने ऐसा नहीं किया है, लेकिन राज्य सरकारों को ऐसा कोई निदेश नहीं दिया गया था। इस सम्बन्ध में मैंने मुख्य मंत्रियों से निवेदन किया था।

श्री ईरा अनबारासु : महोदय, इस मुद्दे पर आने से पूर्व मैं श्री जनार्दन पुजारी और वास्तव में श्री प्रणव कुमार जी के नेतृत्व में पूरे वित्त मंत्रालय को बधाई देना चाहता हूं। आखिरकार गरीबी को कम करना एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इस राष्ट्र-निर्माण कार्य में मैंने उनको एक वचनबद्ध सिपाही की भांति पूरे देश में घूमते हुए पाया है। वास्तव में उसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। लेकिन अभी भी मैं देखता हूं कि विभिन्न शाखा प्रबन्धकों द्वारा समय पर ऋणों को उपयुक्त ढंग से स्वीकृत नहीं किया जाता है। जब मैं शाखा प्रबन्धकों से मिला और उनके साथ विचार-विमर्श किया तो उन्होंने बताया कि यदि ऋणों, विशेषत: डी० आर० आई० योजना के अन्तर्गत ऋणों को वसूल नहीं किया जाता है, तो उनको दण्डित किया जाता है। वास्तव में मुझे यह बताया गया था कि उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है और यहां तक कि उनकी पदोन्नति भी रोकी जाती हैं। अत: यदि शाखा प्रबन्धकों के विरुद्ध इस प्रकार की कार्यवाही की जाती है तो तब निश्चय रूप से ही इस प्रकार की योजनाओं के कार्यान्वयन में काफी विलम्ब होगा। अत: मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि वे इस गरिमायुक्त सदन को यह आश्वासन दें कि यदि ऋणों विशेषत: निर्धन वर्गों को दिये गए ऋणों की वसूली में यदि कोई विलम्ब भी होता तो ऐसे प्रबन्धकों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं इस बात को तो मान सकता हूं कि वसूली अथवा वापसी में विलम्ब हो सकता है लेकिन मेरा विचार है कि सभा मेरी इस बात से निश्चय ही सहमत होगी कि यदि कोई वसूली बिल्कुल ही नहीं की जाती है तो इसको प्रोत्साहित नहीं किया जायेगा, क्योंकि आखिरकार यह जनता का धन है और यदि धनराशि को पुन: नहीं दिया जाता है तो बैंकों के लिए निश्चय रूप से ही यह संभव नहीं होगा कि वे जरूरतमंद व्यक्तियों की सहायता कर सकें। दुर्भाग्यवश, हम मुख्य प्रश्न से कुछ अलग हट गए हैं कि वसूली बहुत ही कम है और एक राज्य में कम वसूली होने के परिणामस्वरूप—मैं राज्य के नाम का उल्लेख नहीं करूंगा - हम···।"

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : आप इसका उल्लेख क्यों नहीं करते हैं ?

श्री प्रणब मुखर्जी : नहीं, मैं इसका उल्लेख नहीं करूंगा।

एक माननीय सदस्य : पश्चिम बंगाल ?

प्रो० मधु दण्डवते : क्या यह राज्य असम की सीमा पर है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : इसके परिणामस्वरूप हमें एक प्रमुख (कृषि कार्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए विश्व बैंक की सहायता नहीं मिल सकी ? क्योंकि उनका यह एक मानदण्ड था कि कम से कम 50 प्रतिशत वसूली होनी चाहिए। आप इसका महत्व समझेंगे कि मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि बैंक कर्मचारियों को अपनी विवेकपूर्ण बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए उन्हें इस ओर

सावधानी बर्तनी चाहिए कि कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके साथ ही यह साधारणतया एक तरफा बात नहीं हो सकती। ऋणों को शीघ्रता से देना है उपयुक्त व्यक्तियों का पता लगाना होता है और व्यावहारिक योजनाएं प्रारम्भ करनी होती हैं इसके साथ ही धनराशि को वसूल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि अन्ततः बैंक के संसाधन समाप्त न हो जाएं।

प्रो० रूपचन्द पाल : महोदय, ऋणों से सम्बन्धित मेरा एक प्रश्न है। जैसा कि बताया गया है, समन्वित ग्रामीण विकास, ग्रामीण युवकों को स्व-रोजगार के लिए प्रशिक्षण योजना आदि के अधीन योजनाओं की प्रगति पर सरकार द्वारा निरन्तर और उचित निगरानी रखी जाती है। क्या मैं यह जान सकता हूं कि अशिक्षित युवकों हेतु स्व-रोजगार योजना के अधीन कितनी राशि ऋण के रूप में दी गई हैं ? उसकी पृष्ठभूमि में, मैं कहूंगा कि ऐसी गम्भीर शिकायतें मिली हैं कि शिक्षित युकों के स्व-रोजगार के नाम पर, लोगों को ऋण बहुधा राजनीतिक विचारों पर स्वीकृत किए जा रहे हैं।...(**व्यवधान**)

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : मामला काबू से बाहर है।

प्रो० रूप चन्द पाल : ...बैंक अधिकारियों को तंग किया जाता है और बात यह कि एक बैंक अधिकारी तो दवाब के कारण काल कवलित हो गया है।

श्री प्रणब मुखर्जी : सर्वप्रथम, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि शिक्षित युवकों के स्वरोजगार हेतु अभी तक कुल मिलाकर 401 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है और उससे लाभ उठाने वालों की कुल संख्या 2.5 लाख है। मुझे इस बारे में शिकायतें तो अवश्य मिलती हैं, विशेषकर, मैंने देखा है कि उस राज्य से जिसका कि माननीय सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां पर मैं सुझाव दूंगा कि हमें इसमें राजनीति को नहीं घुसेड़ना चाहिए। स्व-रोजगार योजना में, जहां कहीं पर आर्थिक सहायता का तत्व है, लाभ उठाने वालों की कुल संख्या 2.5 लाख है और उनकी पहचान हो गई है। इस योजना को जिला औद्योगिक केन्द्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है और जैसा कि माननीय सदस्य भली-भांति जानते हैं यह राज्य सरकार के प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं। यदि वहां पर हमें वित्त की कोई समस्या होती है तो, हमें उसको हल करना पड़ेगा। हमने देखा है कि आने वाली योजनाओं में से बहुत सी तो बिल्कुल भी बैंकों के काम की नहीं होती हैं। इसके अलावा जिला औद्योगिक केन्द्रों के पास उस प्रकार की योजनाओं की जांच-पड़ताल करने की विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं होती है। इसीलिए, यह सुझाव दिया गया था कि जिला औद्योगिक केन्द्रों द्वारा जिन योजनाओं की सिफारिश की गई हैं उन्हें बैंकरों के एक ग्रुप, जिसमें लीड बैंक का प्रतिनिधि होना चाहिए। द्वारा अध्ययन किया जाना चाहिए। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि किसी प्रकार का कोई राजनीतिक आधार पर विचार नहीं किया जाता है। जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित घटना-विशेष का सम्बन्ध है, उस पर हमने दूसरे सदन में विस्तृत चर्चा की थी और मैंने स्थिति स्पष्ट कर दी थी। यह एक आपरोधिक कार्यवाही है और हमें इस बात का दुःख है कि एक कीमती जान चली गई है। परन्तु योजना से या बैंकों द्वारा कार्यक्रम को लागू करने से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

तम्बाकू उत्पादकों की समस्याओं को हल करने के लिए आन्ध्र प्रदेश सरकार के सुझाव

*199. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश के तम्बाकू उत्पादकों के सामने आ रही समस्याओं को हल करने के लिए कुछ दीर्घकालीन उपाय सुझाए थे; और

(ख) यदि हां, तो सुझाए गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) तथा (ख) आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ विशेषत: प्राथमिक उपजकर्त्ताओं से वी० एफ० सी० तम्बाकू की खरीद के लिए केन्द्रीय क्षेत्र में एक संगठन की स्थापना करने, राज्य व्यापार निगम के माध्यम से तम्बाकू के निर्यात का माध्यमीकरण करने, मौसम के प्रारम्भ से पूर्व निर्यात किए जाने वाले तम्बाकू की कुल मात्रा अधिसूचित करने और 1985 मौसम से आन्ध्र प्रदेश में वी० एफ० सी० तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियों की शुरूआत करने और इस प्रयोजनार्थ तम्बाकू बोर्ड के सुदृढ़ीकरण का सुझाव दिया था ।

वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एक व्यापक तम्बाकू नीति बनाने के लिए एक कार्यसमूह गठित किया गया । इसके द्वारा वर्जीनिया तम्बाकू की पूर्ति तथा मांग से सम्बन्धित समस्याओं के सभी पहलुओं पर विचार करना और मांग तथा पूर्ति के बीच एक बेहतर सन्तुलन लाने के लिए विशिष्ट उपायों की सिफारिश करना अपेक्षित था । कार्य-समूह ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । रिपोर्ट के अन्तर्गत तम्बाकू बाजार के असन्तुलन तथा उसकी कमजोरियों का विश्लेषण किया गया है और विभिन्न घटकों को शामिल करते हुए एक व्यापक उपचारात्मक दृष्टिकोण की सिफारिश की जिनमें शामिल हैं: प्रभावी परामर्शी व्यवस्था, परम्परागत तथा साथ ही गैर-परम्परागत दोनों प्रकार के सभी तम्बाकू उपजकर्त्ता क्षेत्रों को चरणों में शामिल करते हुए नीलामी प्रणाली की शुरूआत, एक स्थिरीकरण अभिकरण के जरिए बाजार हस्तक्षेप, अधिक प्रभावी उत्पादन विनियमन, बाजार संवर्धन, घरेलू मांग आधार का सुदृढ़ीकरण, तम्बाकू बोर्ड द्वारा किए जाने वाले प्रभावशाली विस्तार प्रयास और तम्बाकू बोर्ड का उपयुक्त सुदृढ़ीकरण ताकि वह विस्तारित कार्य कर सके ।

कार्य-समूह की विभिन्न सिफारिशों पर कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है ।

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : विवरण में यह देखकर मुझे प्रसन्नता हुई है कि वाणिज्य

मंत्रालय द्वारा एक कार्य दल की स्थापना की गई है और विभिन्न सिफारिशों पर कार्यवाही आरम्भ की जा चुकी है। परन्तु महोदय, इस विवरण में सिफारिशें तो दी ही नहीं गई हैं। मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या तम्बाकू बोर्ड के पास इसे खरीदने और भण्डारण हेतु और फिर इसका निर्यात करने के लिए अपने भण्डारगृह हैं ?

अध्यक्ष महोदय : अल्लूरी जी, प्रश्नकाल समाप्त हो गया है।

(व्यवधान)

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : वह तो ठीक है, परन्तु मुझे बुलाया गया है। जब आपने मुझे बुलाया है तो, एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है, अतः, मंत्री महोदय को उत्तर देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, समय समाप्त हो जाने के बाद वे उत्तर नहीं दे सकते हैं।

श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : महोदय, फिर तो आपको मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। जब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं तो उन्हें उत्तर देने की अनुमति मिलनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जब समय हो गया है तो वह उत्तर नहीं दे सकते हैं। यह मेरे अधिकार में नहीं हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाला उत्पाद शुल्क

*188. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण-पश्चात् खर्चों के मामले पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम-स्वरूप प्राप्य उत्पाद शुल्क की वसूली होने तक कोई प्रतिभूति ली गई है;

(ख) निर्णय के पश्चात् कितनी राशि वसूल कर ली गई है;

(ग) शेष राशि की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस प्रकार की बकाया राशि पर यदि ब्याज की कोई राशि वसूल की गई है, अथवा वसूल की जानी है, तो वह क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) निर्माणोत्तर खर्चों पर केशुल्क वसूली के जिन मामलों में न्यायालयों द्वारा स्थगन-आदेश जारी किए गए हैं, उनके सम्बन्ध में जहां-कहीं भी और जिस सीमा तक न्यायालयों ने आदेश दिए हैं, प्रतिभूतियां ले ली गई हैं। जहां

भी अनन्तिम निर्धारण किए गए हैं, वहां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क कानून के उपबन्धों के तहत बन्धपत्र ले लिए गए हैं।

(ख) उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात्, 30 जून, 1984 तक लगभग 116 करोड़ रुपए की रकम वसूल की गई है।

(ग) बकाया रकम को वसूल करने के लिए ये उपाय किए गए थे:—

विचाराधीन निर्धारणों को निपटाना, जिन न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों के समक्ष मामले उच्चतम न्यायालय के फैसले को देखते हुए निर्णय के लिए विचाराधीन थे, उनके निपटान हेतु कार्रवाई करना तथा बकाया रकमों की वसूली के लिए समझाने-बुझाने की कार्यवाही करना।

(घ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 के अन्तर्गत देय शुल्कों पर ब्याज वसूल करने की कोई कानूनन व्यवस्था नहीं है। तथापि, न्यायालयों के आदेशों के अनुसार अब तक 1.75 लाख रुपए ब्याज के रूप में वसूल किए गए हैं।

राज्यों में सूत (यार्न) के डिपो खोलना और जनता वस्त्र योजना में ऊन और हथकरघा वस्त्रों को शामिल करना

*191. **श्री जी० वाई० कृष्णन्:**

श्री अर्जुन सेठी: क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों में सूत के डिपो खोलने और जनता वस्त्र योजना में ऊन और हथकरघा वस्त्रों को शामिल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को भी विश्वास में लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कार्यक्रम और राज्यों को दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा): (क) भारत सरकार राज्य सरकारों के माध्यम से अधिक यार्न डिपो खुलवाने के लिए प्रयास कर रही है। जनता कपड़ा योजना को ऊनी वस्त्रों के सम्बन्ध में विस्तारित करने के मामले में राज्य सरकारों से भी परामर्श किया जा रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) राज्य सरकारों से राज्य वस्त्र निगम से सम्बन्धित मिलों और सहकारी कताई मिलों के हैंक यार्न उत्पादन को पूल करने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय वस्त्र निगम भी अपने स्वयं के यार्न डिपुओं, जहां वे विद्यमान हों, के माध्यम से मिलगेट कीमतों पर और राज्य हथकरघा

शीर्ष समितियों अथवा राज्य हथकरघा विकास निगमों को सीधे और साथ ही राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा स्थापित किये जाने वाले यार्न डिपुओं के माध्यम से यार्न सप्लाई करने के लिए सहमत हो गया है। कुछ राज्य सरकारों, उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि के पहले ही अनेक यार्न डिपो हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में राज्य सरकार ने बुनकरों को यार्न की सप्लाई के लिए 11 अतिरिक्त यार्न डिपो खोले हैं।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बुनकरों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से अगस्त, 1984 के अंत तक राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम द्वारा गोहाटी में अपना पहला यार्न डिपो खोल लिये जाने की आशा है।

जहां तक जनता कपड़ा योजना को ऊनी वस्त्रों के सम्बन्ध में विस्तारित करने का सम्बन्ध है, ऊनी वस्त्रों का उत्पादन करने वाली राज्य सरकारों से योजना तैयार करने के लिए आवश्यक लागत आंकड़े तथा अन्य ब्यौरे देने के लिए अनुरोध किया गया है। मामले का अनुसरण किया जा रहा है।

आशापुर (वाराणासी) स्थित गलीचा बुनाई प्रशिक्षण एवं सेवा केन्द्र का बंद किया जाना

*192. **श्री गुफरान आजम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आशापुर (वाराणासी) स्थित गलीचा बुनाई प्रशिक्षण एवं सेवा केन्द्र हाल ही में बन्द कर दिया गया है और उसे वाराणासी में क्षेत्रीय प्रशासन सैल में मिला दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या आशापुर केन्द्र ऐसे केन्द्रों में से सर्वोत्तम संचालित केन्द्र था; और

(घ) इस सेवा केन्द्र और इसके अधीन गलीचा बुनाई प्रशिक्षण केन्द्रों के कितने कर्मचारियों को पिछले छः महीनों में स्थानान्तरित किया गया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) 12-6-85 से स्थानान्तरित किए गए कर्मचारियों की संख्या निम्नोक्त प्रकार है :

ग्रुप बी	1
ग्रुप सी	29
ग्रुप डी	17

कपडा उद्योग का राष्ट्रीयकरण

*196. **श्री नवीन रावणी :**

श्री नरसिंह मकवाना : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य मजदूर संघों सहित सैन्टर आफ इन्डियन ट्रेड यूनियन्स ने सरकार से देश में कपड़ा उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग की है;

(ख) क्या देश में और विशेषकर गुजरात में बड़ी संख्या में कपड़ा मिलें बंद हो गई हैं ;

(ग) यदि हां, तो गुजरात में कितनी कपड़ा मिलें बंद हो गई हैं और उनका कितने कामगारों पर प्रभाव पड़ा है;

(घ) क्या गुजरात के संसद सदस्यों ने सरकार से निवेदन किया कि कामगारों के कल्याण और कपड़ा उद्योग को बचाने के लिए इन बीमार मिलों का शीघ्र अधिग्रहण कर लिया जाये; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) रुग्ण/बन्द वस्त्र एककों के प्रबन्धग्रहण अथवा सम्पूर्ण वस्त्र उद्योग के राष्ट्रीयकरण के लिए मांग कुछ श्रमिक संघों से प्राप्त हुई है।

(ख) तथा (ग) 30-6-1984 की स्थिति के अनुसार, गुजरात राज्य में स्थित 21 मिलों सहित देश में 62 सूती कपड़ा मिलें बन्द थीं। गुजरात में इन 21 बन्द मिलों की नामावली में कामगारों की संख्या लगभग 36,700 थीं।

(घ) जी हां।

(ङ) पुनरुद्धार के योग्य मिलों का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा गठित अधिकारियों के एक समूह ने गुजरात में कुछ वस्त्र मिलों के लिए पुनरुद्धार के अनेक व्यवस्थाएं की हैं। पुनरुद्धार की व्यवस्थाओं में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से राहत तथा बैंकों व वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता शामिल है।

भिवंडी में साम्प्रदायिक दंगों के कारण विद्युत चालित करघा उद्योग की हानि हुई

*197. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में भिवन्डी में हाल ही के हुए साम्प्रदायिक दंगों के परिणामस्वरूप वहां पर विद्युत चालित करघा उद्योग को कितनी हानि होने का अनुमान है ; और

(ख) प्रभावित व्यक्तियों का किस प्रकार पुनर्वास किया जा रहा है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, भिवंडी में लगभग 183 विद्युत करघा एकक प्रभावित हुए हैं।

(ख) महाराष्ट्र राज्य सरकार इस मामले में समुचित उपाय कर रही है।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा सामूहिक ऋण योजना का कार्यान्वयन

*198. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत बैंकों द्वारा सामूहिक ऋण योजना को कार्यान्वित किये जाने के लिए कोई मानदंड निश्चित किए गए हैं ;

(ख) क्या लोगों द्वारा व्यक्तिगत रूप से भेजे गए आवेदनों तथा पंचायतों और सामाजिक संगठनों जैसी बाहरी एजेंसियों द्वारा अग्रेषित आवेदनों के लिए भी समान मानदंड है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन कोई सामूहिक ऋण योजना नहीं है। क्योंकि ऋण मंजूर किए जाने से पहले प्रत्येक आवेदन की राज्य सरकार की एजेंसियों और बैंकों द्वारा जांच की जाती है। संभवत: प्रश्न का आशय उन ऋण शिविरों से है जिनमें लाभप्राप्त करने वाले कुछ व्यक्ति सार्वजनिक रूप से बैंकों से सहायता प्राप्त करते हैं। इन यक्तियों से काफी समय पहले आवेदन प्राप्त हो जाते हैं और इन आवेदनों की सावधानी से जांच करने के बाद मंजूरी दी जाती है। ऐसे समारोहों का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों में उन सुविधाओं के प्रति जागृति पैदा करना है जो वे बैंकों से प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें बैंको से ऋण प्राप्त करके उत्पादक धंधे शुरू करने के लिए प्रेरित करना है और इसके साथ-साथ जनता को यह भी दिखाना है कि इन वर्गों के लिए जो सुविधाएं रखी गयी हैं वे वास्तव में उन तक पहुंच रही हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अधीन, प्राप्त सभी आवेदनों पर प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जाती है और उनके संबंध में बैंक को सिफारिशें की जाती हैं। बैंकों से ऐसे प्रस्तावों को शीघ्रता से निपटाने को कहा गया है। व्यक्तिगत रूप से अथवा पंचायतों अथवा सामाजिक संगठनों जैसी एजेंसियों द्वारा भेजे जाने वाले आवेदनों के लिए अलग-अलग मानदण्ड नहीं है।

इण्डिया टोबैको कम्पनी के विरुद्ध उत्पाद-शुल्क का उल्लंघन करने के बारे में जांच

*200. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स इंडिया टोबैको कम्पनी नई दिल्ली और कलकत्ता के विरुद्ध गत तीन वर्षों से

उत्पाद शुल्क का उल्लंघन करने के कितने मामलों के बारे में सरकार द्वारा जांच की जा रही हैं;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) जांच और छापों के दौरान किस प्रकार की अनियमितताओं का पता चला है ; और

(घ) प्रत्येक मामले में किस प्रकार की कार्रवाई की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) मैसर्स इंडिया टोबैको कम्पनी का नई दिल्ली में कोई निर्माणकारी एकक नहीं है। केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान मैसर्स इण्डिया टोबैको कम्पनी, कलकत्ता द्वारा उत्पादन शुल्क के अधिलंघन के संबंध में कोई छापा नहीं मारा गया अथवा कोई तलाशी नहीं ली गई।

(ख) से (घ) उत्तर के भाग (क) को देखते हुए इनका प्रश्न नहीं उठता है।

तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत अपीलें सुनने के लिए बोर्ड का गठन

*201. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तस्कर और विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अपीलें सुनने के लिए कुछ समय पहले एक बोर्ड का गठन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत बोर्ड ने अब तक कितने मूल्य की संपत्ति जब्त की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत अपीलों की सुनवाई करने के लिए सरकार ने किसी बोर्ड का गठन नहीं किया है। फिर भी तस्कर तथा विदेशी मुद्रा छल साधक (संपत्ति समपहरण) अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ दायर अपीलों की सुनवाई के लिए "समपहृत संपत्ति अपीलीय न्यायाधिकरण" का गठन किया गया है।

(ख) "समपहृत संपत्ति अपीलीय न्यायाधिकरण" संपत्ति का समपहरण नहीं करता।

खाड़ी के देशों को जाने वाले एयर इण्डिया के विमान में सांप की खालें पकड़ा जाना

*202. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 जुलाई, 1984 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में प्रकाशित इस समचार की ओर आकर्षित किया गया है कि खाड़ी के देशों को जाने वाले एयर

इण्डिया के विमान को उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद त्रिवेन्द्रम वापस बुलाना पड़ा क्योंकि हवाई अड्डे के अधिकारियों को यह सन्देह हुआ था कि विमान में कुछ सन्दिग्ध सामान है;

(ख) क्या यह सच है कि सामान की तलाशी लेने पर 4 लाख रुपए मूल्य की सांप की खालें मिलीं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बीच उक्त मामले की जांच कर ली गई है; और

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) दिनांक 12 जुलाई, 1984 के "इण्डियन एक्सप्रैस" में "ए० आई० प्लेन काल्ड बैक, स्नेक स्किन सीज्ड" (एअर इण्डिया के हवाई जहाज को वापस बुलाया गया, सांप की खालें पकड़ी गई) शीर्षक से छपी खबर की तरफ सरकार का ध्यान दिलाया गया है ।

(ख) से (घ) इस खबर में उल्लिखित मामले के तथ्य इस प्रकार हैं :—

दिनांक 11 जुलाई, 1984 को आप्रवासन अधिकारियों ने एक यात्री को, जिसकी खाड़ी के देशों को जाने वाली उड़ान के लिए त्रिवेन्द्रम हवाई-अड्डे पर स्थित एअर इ-डया के काउण्टर पर जांच की गई थी, उसके पास फर्जी पार-पत्र होने के कारण हवाई-जहाज से उतारा था । जांच-पड़ताल से यह पता चला कि उक्त यात्री फर्जी नाम से तथा फर्जी पार-पत्र से यात्रा करने का प्रयास कर रहा था । हालांकि उसने अपने पास कोई सामान होने से इनकार किया; परन्तु उसके टिकट से यह पता चला कि उसके पास वायुयान अधिकारियों द्वारा पहले से ही जांच किए गए असबाब के दो नग थे और उसने फालतू असबाबप्रभार की अदायगी भी कर दी दी थी । तब हवाई जहाज, हवाई-अड्डे से उड़ान भर चुका था । चूंकि यात्री ने इस बात से इनकार कर दिया था कि उक्त असबाब उसका था, इसलिए एअर इण्डिया के अधिकारियों ने सुरक्षा की दृष्टि से हवाई जहाज को वापस बुलाकर उससे दो ऐसे सूटकेस उतार लिए, जिनका कोई वारिस नहीं था । इन दो सूटकेसों की जांच किए जाने से लगभग 1.8 लाख रुपए मूल्य की सांप की 1800 खालें बरामद हुईं । सांप की खालों का अभिग्रहण सीमाशुल्क अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कर लिया गया था । यात्री को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया ।

और आगे जांच-पड़ताल की जा रही है । इस समय इस मामले के और अधिक तथ्य बताना कारगर जांच-पड़ताल के हित में उचित नहीं होगा ।

अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की क्रय शक्ति

*203. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रुपए की क्रय शक्ति निरन्तर घट रही है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) अमरीकी डालर की तुलना में भारतीय रुपयों का निरन्तर मूल्य-ह्रास होता जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) रुपए की क्रय शक्ति अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार : 1960=100) के व्युत्क्रम द्वारा मापी जाती है। उस रूप में क्रय शक्ति में कमी हुई है जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि को प्रकट करती है।

पिछले कुछ वर्षों में लगभग सभी मुख्य अन्तर्राष्ट्रीय करेंसियों की तुलना में अमरीकी डालर में मजबूती आई है और रुपया इसका अपवाद नहीं है। अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय बाजार में डालर की मजबूती का मुख्य कारण यह है कि अमरीकी डालर के पक्ष में ब्याज की दर में बहुत अन्तर है जिस से संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर प्रचुर मात्रा में पूंजी का प्रवाह होता है। प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय करेंसियो की विनिमय दरों में परिवर्तनशीलता की प्रधानता होने के कारण अन्य विदेशी करेंसियों के अनुमात में रुपए की विनिमय दरों में घटबढ़ होना अपरिहार्य है'।

त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं

*204. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे से उडान भरने वाली अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन्हें और अधिक उड़ानें शुरू करने तथा अन्य स्थानों को भी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) त्रिवेन्द्रम से अन्य विदेशी स्टेशनों के लिए सेवाएं चालू करने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं जिनमें डोहा, मस्कट, बहरीन और लंदन सम्मिलित हैं।

एयर इण्डिया त्रिवेन्द्रम से डोहा (कातार), मस्कट (ओमान) तथा बहरीन के लिए सेवाएं प्रचालन करने के लिए तैयार है। एयर इण्डिया द्वारा अनुसूचियां कातार और ओमान के वैमानिक प्राधिकारियों को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की गई थीं परन्तु वह नहीं दी गई उन्होंने बताया है कि

स्वीकृति इस शर्त के अधीन होगी कि उनके नामित वाहकों को त्रिवेन्द्रम तक प्रचालन करने की अनुमति दी जाएगी। वर्तमान अन्तर सरकारी प्रबन्धों के अन्तर्गत उन्हें यह अधिकार प्राप्त नहीं है।

त्रिवेन्द्रम और लन्दन के बीच यातायात वाणिज्यिक रूप से विकासक्षम/व्यवहार्य स्थान से स्थान तक प्रचालन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसलिए आधार संरचना के विकास के लिए अपेक्षित भारी निवेश अनुत्पादक साबित होगा।

विवरण

त्रिवेन्द्रम के लिए/से प्रचालित अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या

एयरलाइन्स का नाम	उड़ान संख्या	मार्ग	आवृत्ति	विमान का प्रकार
1	2	3	4	5
एयर इण्डिया (पश्चिम के लिए)	ए०आई०-921	त्रिवेन्द्रम-दुबई-कुवैत	सप्ताह में एक बार	एयरबस
	ए०आई०-923	त्रिवेन्द्रम-देहरान	-वही-	-वही-
	ए०आई०-925	त्रिवेन्द्रम-आबूधाबी-दुबई	-वही-	-वही-
	ए०आई०-927	त्रिवेन्द्रम-शारजह-आबूधाबी	-वही-	-वही-
	ए०आई०-929	त्रिवेन्द्रम-आबूधाबी-रास-अल-खामा	-वही-	-वही-
	ए०आई०-931	त्रिवेन्द्रम-दुबई-आबूधाबी	-वही-	-वही-
	ए०आई०-935	त्रिवेन्द्रम-आबूधाबी-दुबई	-वही-	-वही-
(पूर्व के लिए)	ए०आई०-920	दुबई-आबूधाबी-त्रिवेन्द्रम	-वही-	-वही-
	एं०आई०-922	देहरान-त्रिवेन्द्रम	-वही-	-वही-
	ए०आई०-924	आबूधाबी-दुबई-त्रिवेन्द्रम	-वही-	-वही-
	ए०आई०-926	रास-अल-खामा-शारजाह-त्रिवेन्द्रम	-वही-	-वही-

1	2	3	4	5
	ए०आई०-928	आबूधाबी-शारजाह-त्रिवेन्द्रम	-वही-	-वही-
	ए०आई०-930	आबूधाबी-दुबई-त्रिवेन्द्रम	-वही-	-वही-
	ए०आई०-932	कुवैत-दुबई-त्रिवेन्द्रम	-वही-	-वही-
इण्डियन एयरलाइन्स	आई०सी०/563/564	त्रिवेन्द्रम-माले-त्रिवेन्द्रम	सप्ताह में दो बार	बी-737
	आई०सी०/507/508	त्रिवेन्द्रम-कोलम्बो-त्रिवेन्द्रम	-वही-	-वही-
एयर लंका	यू०एल० 161/162	कोलम्बो-त्रिवेन्द्रम-कोलम्बो	सप्ताह में तीन बार	-वही-

पटसन मालिकों द्वारा कच्चे पटसन के भंडार की अपर्याप्तता के कारण उत्पादन में कटौती का प्रस्ताव

*205. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री नारायण चौबे : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के पटसन मिल मालिकों द्वारा कच्चे पटसन के भंडार की अपर्याप्तता के कारण उत्पादन में कटौती की मंजूरी दिए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या सरकार ने मिलों की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में पिछले सत्र के बकाया सहित कच्चे पटसन का उपलब्धता का स्वतंत्र रूप से आंकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) क्या मिल मालिकों का प्रस्ताव स्वीकार करने के परिणामस्वरूप कामगारों की छटनी होने और कच्चे पटसन के मूल्यों में गिरावट आने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

(घ) यदि स्वीकार किया गया तो इस प्रस्ताव के परिणामस्वरूप कुछ कामगारों की कटौती

हो सकती है । जहां तक जूट की कीमतों का सम्बन्ध है, यह बताया जाता है कि कीमतें सरकार द्वारा 1984-85 मौसम के लिए घोषित न्यूनतम सांविधिक कीमत से कहीं अधिक हैं ।

विवरण

सरकार जूट आयुक्त के कार्यालय के माध्यम से और हाल में किए गए मूल्यांकन के अनुसार, समय-समय पर ऐसे मूल्यांकन करती रही है । 1983-84 मौसम (जुलाई-जून) के लिए कच्चे जूट की अनुमानित सप्लाई और मांग की स्थिति निम्नाकित प्रकार है :—

(आंकड़े प्रत्येक 180 कि० ग्रा० की लाख गांठों में)

सप्लाई	
प्रारम्भिक स्टाक	10.00
उत्पादन (व्यापार/उद्योग/जे० सी० आई० द्वारा अनुमानित)	66.00
आयात	1.50
	77.50
मांग	
मिलों द्वारा खपत	64.00
औद्योगिक ग्रामीण खपत	3.00
निर्यात	1,00
	68.00
मौसम के अन्त में आगे ले जाए गए स्टाक	9.50

उड़ीसा में ऋण वितरण में राष्ट्रीयकृत बैंकों की असफलता

*206. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कार्यरत राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक वर्ष 1983 के दौरान कृषि लघु उद्योगों तथा अन्य सेवाओं के लिए ऋण वितरण योजना कार्यक्रम का अनुसरण करने में असफल रहे हैं; और

(ख) उड़ीसा में वर्ष 1983 में उपरोक्त क्षेत्रों के लिए इन बैंकों द्वारा ऋण वितरण हेतु क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए थे और उनकी उपलब्धियां क्या थीं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सम्भवतः प्रश्न का आशय उड़ीसा राज्य में सम्बन्धित लीड बैंकों द्वारा उनके लीड जिलों के लिए प्रतिपादित वार्षिक कार्रवाई आयोजना के कार्यान्वयन से है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को छोड़कर, 1983 के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा, वार्षिक कार्रवाई आयोजना के अन्तर्गत लक्ष्यों और उपलब्धियों से सम्बन्धित उड़ीसा के सभी जिलों की सूचना नीचे दी गई है :—

लाख रुपए

क्षेत्र	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि की प्रतिशतता
कृषि	6712.18	4895.80	72.94
लघु उद्योग	2501.00	2155.98	86.20
सेवाएं	3124.43	2968.18	95.00
कुल	12337.61	10019.96	81.21

यह कार्य-निष्पादन संतोषजनक ही है।

पश्चिम बंगाल सरकार को धनराशि देने के बारे में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री द्वारा केन्द्र सरकार के विरुद्ध लगाए गए आरोप

1811. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1 जुलाई, 1984 के "टाइम्स आफ इंडिया" में "मित्राज वार्निंग आन पार्शियलिटी बाई सेंटर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा धनराशि देने के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल के प्रति केन्द्र सरकार के रवैये के विरुद्ध पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री द्वारा लगाए आरोपों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) पश्चिम बंगाल की सरकार और जनता की शिकायतों दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 1 जुलाई, 1984 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में प्रकाशित समाचार देखा है।

(ख) सभी राज्यों की तरह पश्चिम बंगाल की सरकार को भी देय सभी राशियां अनुसूची

के अनुसार दी जा रही हैं और पश्चिम बंगाल की सरकार के साथ निधियों के दिए जाने में कोई भेदभाव नहीं बरता जा रहा है।

(ग) हमको राज्य सरकार की किसी वास्तविक शिकायत का पता नहीं है। किन्तु भारत सरकार केन्द्र से राज्य को निधियों के अन्तरण संबंधी विद्यमान नीतियों के दायरों में रहते हुए पश्चिम बंगाल की सरकार और उसके लोगों को सभी प्रकार की सहायता देने के लिए सदैव तत्पर रहेगी।

पश्चिम बंगाल की पेयजल परियोजना

1812. **श्री सनत कुमार मण्डल :**

श्री आनन्द पाठक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल की पेयजल परियोजना को जिसके द्वारा कालिमपोंग निवासियों तथा सेना को पेयजल की सप्लाई की जानी थी, कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सेना ने भी केन्द्र तथा पश्चिम बंगाल सरकार से भी यह अनुरोध किया है कि सेना तथा स्थानीय निवासियों द्वारा सामना की जा रही समस्या को हल करने के लिए तीस्ता नदी के जल का उपयोग किया जाए;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ष 1982-83 में केन्द्र से धन-राशियों के लिए अनुरोध किया था लेकिन संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अभी एक निर्णय लिया जाना है; और

(घ) यदि हां, तो मामला इस समय किस स्थिति में है ओर इसे शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) से (घ) पश्चिम बंगाल सरकार की पेयजल परियोजना से कालिमपोंग के निवासियों और सेना को पेयजल की सप्लाई के मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय ने पर्यावरण विभाग से विचार-विमर्श करके विचार किया है। पर्यावरण विभाग ने पारिस्थितिकी आधार पर इस योजना के बारे में कुछ आपत्ति उठाई थी और तीस्ता नदी से पानी की संभावित सप्लाई का पता लगाने का सुझाव दिया था। वैकल्पिक तीस्ता योजना की संभाव्यता के बारे में विशेषज्ञों के एक अध्ययन दल द्वारा जांच की गई। इस अध्ययन दल की रिपार्ट पर पर्यावरण विभाग के साथ परामर्श करके विचार किया गया। इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को बनाए रखने की दृष्टि से पर्यावरण विभाग ने नियोरा-खोला जल सप्लाई योजना को कुछ शर्तों के अधीन कार्यान्वित करने का मशविरा दिया है। पर्यावरण विभाग की सिफारिशों के बारे में पश्चिम बंगाल सरकार को सूचित कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य मंत्री ने रक्षा मंत्री को भेजे गए दिनांक 4-7-1984 को अपने पत्र में पर्यावरण विभाग की सिफारिशों को अपनी सामान्य स्वीकृति दे दी थी। इस आधार पर पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध किया

गया है कि वह तकनीकी ब्यौरे, परियोजना की अध्ययन लागत और परियोजना का प्रस्ताव मंजूरी के लिए रक्षा मंत्रालय को तुरंत भेजें।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अधिग्रहीत कपड़ा मिलें

1813. **श्री नवीन रावणी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अधिग्रहीत कपड़ा मिलों की संख्या क्या है और उनमें से कितनी मिलें काम कर रही हैं;

(ख) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा चलाई जा रही अनेक कपड़ा मिलों को भारी घाटा हो रहा है; यदि हां, तो उन मिलों का ब्यौरा क्या है और ऐसा भारी घाटा होने के कारण क्या हैं; और

(ग) क्या ऐसी मिलों को बेच देने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो समस्या को सुलझाने के लिए कौन सा वैकल्पिक कार्यक्रम बनाया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) इस राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अन्तर्गत कुल 125 मिलें हैं जिसमें से 103 राष्ट्रीयकृत तथा 22 प्रबन्धाधीन हैं। 103 राष्ट्रीयकृत मिलों में से 101 कार्यरत हैं। 22 प्रबन्धाधीन मिलों में से 21 कार्य कर रही हैं।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन मिलों के निष्पादन की समीक्षा से पता चला कि 1981-82 तथा 1982-83 वर्षों में कुल घाटे का अधिकांश 22 मिलों (19 राष्ट्रीयकृत तथा 3 प्रबन्धाधीन) के कारण है। इन मिलों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इन मिलों में भारी घाटे के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

(1) पिछली व्यवस्था से ली गई पुरानी तथा अप्रचलित मशीनरी;

(2) रुई तथा अन्य विविष्टियों की कीमतों में वृद्धि;

(३) बिजली की कटौती से विभिन्न मिलों में अधिष्ठापित क्षमता का कम उपयोगीकरण;

(4) अधिक श्रमिक बल;

(5) महंगाई भत्ते में वृद्धि से वेतन में वृद्धि;

(6) सामान्य बजार मंदी।

(ग) इस समय इन मिलों के निपटारे का कोई प्रस्ताव नहीं है।

मिलों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :

(1) विभिन्न अवस्थाओं में प्रोसैस पर नियन्त्रण करके रद्दी तथा नुकसान पर पर्याप्त नियन्त्रण;

(2) उत्पादन ढांचे तथा संस्थागत विक्री का विविधीकरण;

(3) मिलों के निष्पादन में सुधार के लिए विविष्टियों की लागत, उपभोज्य स्टाकों, फालतू पुर्जों, रंजक तथा रसायन आदि की नियमित समीक्षा;

(4) सभी स्तरों पर बेहतर प्रबन्ध की व्यवस्था;

(5) श्रम का युक्तियुक्तकरण।

8 अत्यधिक कमजोर मिलों के कार्यकरण का गहन अध्ययन करने के लिए सरकार ने एक अध्ययन दल भी गठित किया है।

विवरण

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन भारी घाटे में चल रही मिलों की सूचि

(1) श्रेणी 'क'—राष्ट्रीयकृत

1. बंगाल नागपुर काटन मिल्स, राजनन्दगांव (मध्य प्रदेश)।
2. जुपिटर टेक्सटाइल मिल्स, बम्बई।
3. मिनरवा मिल्स, बंगलौर (कर्नाटक)।
4. बंगाल लक्ष्मी काटन मिल्स, सारनपुर (प० बंगाल)।
5. रामपुरिया काटन मिल्स, सारनपुर (प० बंगाल)।
6. न्यू विकटोरिया मिल्स, कानपुर (उ० प्र०)।

(2) श्रेणी 'ख'—राष्ट्रीयकृत

1. इंडिया यूनाइटेड मिल्स (न० 2), बम्बई।
2. इंडिया यूनाइटेड मिल्स (न० 3), बम्बई।
3. इंडिया यूनाइटेड मिल्स (न० 4), बम्बई।
4. एडवर्ड मिल्स, सियावर (राजस्थान)।
5. म्यूर मिल्स, कानपुर (उ० प्र०)।

(3) श्रेणी 'ग'—राष्ट्रीयकृत

1. इन्दौर मालवा यूनाइटेड मिल्स, इन्दौर (म० प्र०)।
2. कल्याणमल मिल्स, इन्दौर (म० प्र०)।
3. स्वदेशी काटन एण्ड फलोर मिल्स, इन्दौर (म० प्र०)।

4. हीरा मिल्स, उज्जैन (म० प्र०)।

5. मैसूर स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स, बंगलौर (कर्नाटक)।

6, सैंट्रल काटन मिल्स, बेलूर (प० बंगाल)।

7 लार्ड कृष्णा टेक्सटाइल मिल्स, सारनपुर (उ० प्र०)।

8. आजम जाही मिल्स, वारांगल (आध्र प्रदेश)।

प्रबन्धीय

9. लक्ष्मी रतन काटन मिल्स, कानपुर।

10. अर्थटन वेस्ट मिल्स, कानपुर।

11. स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर।

सरकारी उपक्रमों में नियमित पदों के समक्ष दिहाड़ी पर काम करने वाले कर्मचारी

1814. **श्री एन० ई० होरो** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में नियमित पदों के समक्ष दिहाड़ी पर काम करने वाले कर्मचारियों को किस आधार पर लगाया गया है;

(ख) क्या इस प्रकार के कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करने के लिए जो 240 दिनों की सेवा की आवश्यकता होती है उनका हिसाब क्या वित्तीय वर्ष के आधार पर या कैलैण्डर वर्ष के आधार पर लगाया जाता है अथवा कि लगातार दो वर्ष की सेवा पूरी करने के आधार पर लगाया जाता है;

(ग) जब विभिन्न सरकारी उपक्रमों में नियमित पद खाली होते हैं तो उन पदों पर तदर्थ कर्मचारियों को और ठेके के आधार पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को न लगाए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या स्पष्ट खाली स्थान के समय नियमित संवर्ग में कर्मचारियों की सीधी भर्ती न करके उनके स्थान पर दिहाड़ी, पर तदर्थ आधार तथा ठेके के आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों को लगाने के सम्बन्ध में कोई नियम/परिपत्र मौजूद हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का सरकारी उपक्रमों से आशय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से है। यदि ऐसा होता है तो, सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार दैनिक मजदूरी वाला कोई कर्मचारी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों

में सामान्यतः नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए, किन्तु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उद्यमों द्वारा केवल अनियत कार्य के लिए दैनिक मजदूरी वाले कर्मचारी नियुक्त किए जा सकते हैं। इस संदर्भ में अनियत श्रमिक से आशय ऐसे मजदूर से है जिसकी नियुक्ति समय विशेष के लिए, आन्तरायिक, अनियमित या अल्पावधिक होती है।

(ख) प्रत्येक वर्ष के दौरान दैनिक मजदूरी वाले कामगार के रूप में कम से कम 240 दिन की सेवा सहित लगातार 2 वर्षों की अवधि अनियत कामगार के रूप में सम्बद्ध व्यक्ति की नियुक्ति की तारीख से गिनी जाएगी।

(ग) जब सुसंगत नियमों के अनुसार किसी न किसी कारणवश ऐसी रिक्तियों को नियमित आधार पर भरा जाना सम्भव न हो तो अपरिहार्य परिस्थितियों के केवल अल्पावधिक तदर्थ नियुक्तियां की जा सकती हैं।

(घ) और (ङ) दैनिक मजदूरी वाले कामगार/संविदागत श्रमिक की नियुक्ति क्रमशः सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अभिस्वीकृत स्थाई आदेशों तथा संविदागत श्रम (विनियमन एवं परिसमापन) अधिनियम, 1970 के अनुसार की जाती है।

सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को हुआ लाभ/हानि

1815. **श्री शिबु सोरन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के नाम क्या-क्या हैं;

(ख) उन उद्योगों में 1983-84 तक कुल कितना पूंजी-निवेश किया जा चुका है; और

(ग) उक्त उद्योगों को कुल कितना घाटा अथवा मुनाफा हुआ है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) सम्भवतः माननीय सदस्य का आशय केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के नामों से है। 31 मार्च, 83 को केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के नामों की सूची, 28-2-1984 को लोक सभा पटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण 1982-83 के खण्ड-I में पृष्ठ सं० 414 से 417 पर उपलब्ध है।

(ख) 1983-84 के लेखा परीक्षित आंकड़ों को विभिन्न चरणों में अन्तिम रूप दिया जा रहा है। किन्तु, 31-3-1982 को लगी पूंजी 30039 करोड़ रुपए थी जिसका ब्यौरा लोक उद्यम सर्वेक्षण, 1982-83 के खण्ड-I में पृष्ठ सं० 187 पर दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में उनके 1983-84 के लेखों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। किन्तु, 1982-83 के दौरान केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अर्जित लाभ/उठाई गई हानि का विवरण 28-2-1984 को लोक सभा पटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण 1982-83 के खण्ड-1 में पृष्ठ सं० 57 से 62 तक विवरणी सं० 2.7-क और 2.7-ख में दिया गया है।

लघु क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋण की ब्याज दर में कमी करना

1816. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्थागत वित्त के काफी बड़े भाग को सरणीबद्ध करने सम्बन्धी ऋण नीति की हाल ही में सरकार द्वारा पुनरीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किए गए निर्णयों की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या उनके मंत्रालय, बैंकों और लघु एककों ने इस क्षेत्र में ऋण पर बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की अधिक दर में कमी करने के प्रश्न पर भी विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) बैंकों से यह कहा गया है कि वे मार्च, 1985 तक प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र को दिए जाने वाले ऋणों को बढ़ाकर कुल ऋणों के 40 प्रतिशत के बराबर तक ले आएं। लघु उद्योग और कृषि प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिमों में इनका हिस्सा लगभग 70 प्रतिशत बैठता है। बैंकों से लघु उद्योगों के मामले में ब्याज दर, जमानत और मार्जिन की अपेक्षाओं के सम्बन्ध में रियायत बरतने के लिए कहा गया है। लघु उद्योग के कमजोर भागों अर्थात् कारीगरों और ग्राम और कुटीर उद्योगों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मार्च, 1985 तक, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र में जिसमें कारीगर, ग्रामीण और कुटीर उद्योग आते हैं कमजोर वर्गों को दिए जाने वाले अग्रिमों का हिस्सा प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के 25 प्रतिशत या कुल बैंक ऋण के 10 प्रतिशत तक पहुंच जाना चाहिए।

ऋण की किस्म	ब्याज पर (प्रतिशत वार्षिक)
1. 25,000 रुपए तक संयुक्त ऋण	
(क) पिछड़े क्षेत्र	10.00
(ख) अन्य क्षेत्र	12.00
2. **अल्पावधिक अग्रिम सीमा**	
(क) 2 लाख रुपए तक और दो लाख रुपए सहित	14.00
(ख) 2 लाख रुपए से अधिक और 25 लाख रुपए से अनधिक	16.50
(ग) 25 लाख रुपए से अधिक	18.00

3. सावधि ऋण

(क) पिछड़े क्षेत्र	12.50
(ख) अन्य क्षेत्र	13.50

पाकिस्तान कंट्रोल टावर द्वारा गुमराह करने का कथित समाचार

1817. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 1 मार्च, 1984 के "इण्डियन एक्सप्रेस" में "ए० आई० पाइलट्स बीइंग मिसलीड बाई पाक कण्ट्रोल टावर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यदि कोई कार्यवाही की गई है तथा उसका परिणाम क्या है; और

(ग) यात्रियों, विमान कर्मचारियों के जीवन को जोखिम से बचाने तथा विमान की सुरक्षा के लिए आगे क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा इस मामले की जांच की गई है तथा ऐसा अनुमान लगाया गया है कि एयर इण्डिया के विमानचालक द्वारा ए०टी०एस० मार्ग का अनुसरण न कर सकने के लिए मुलतान वी० ओ० आर० की सीमिति परास तथा झोब एन० डी० बी० की अविश्वसनीयता जिम्मेवार थी। नागर विमानन के महानिदेशक (भारत) पाकिस्तान में नागर विमानन के महानिदेशक को इस मामले में लिखा है और उनसे यह अनुरोध किया है कि वे इस मामले को देखें जिससे कि झोब एन० डी० बी० और मुलतान में वी० ओ० आर० की उपयोज्यता और परास सुनिश्चित की जा सके।

पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पर्वतीय-प्रतिकर भत्ता

1818. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को वही पर्वतीय-प्रतिकर-भत्ता दिया जाता है, जो हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को देय है और दिया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में तैनात अपने कर्मचारियों को, उन क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को देय भत्ते के समान भत्ता देने का है, ताकि एक जैसी स्थिति में राज्य और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को समान सुविधाएं प्राप्त हों ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में कार्य-रत केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को पर्वतीय प्रतिकर भत्ता मानदण्ड के अनुसार तथा तृतीय वेतन आयोग द्वारा स्वीकृत दरों पर दिया जाता है। विभिन्न राज्य सरकारें अपने कर्मचारियों के लिए वेतन तथा भत्तों की अपनी ही पद्धति का अनुसरण करती हैं। केन्द्रीय सरकार देश भर में अपने कर्मचारियों के लिए एक समान नीति का अनुसरण करती है और यह इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा अनुसरण की गई पद्धति पर नहीं चलती।

मेन-बैटल-टैंक का निर्माण

1819. **श्री अमल दत्त** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी इंजन-युक्त मेन-बैटल-टैंक के प्रोटोटाइप की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मूल देश, निर्माता का नाम और क्षमता का ब्यौरा क्या है तथा अन्य किन टैंकों में इन इंजनों का प्रयोग किया जाता है;

(ग) क्या मेन-बैटल-टैंक के इंजनों या इन इंजनों के किसी भाग के निर्माण के लिए उस मूल निर्माता से अथवा किसी अन्य विदेशी फर्म से कोई सहयोग किया गया है अथवा किए जाने का विचार किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो देश में मेन-बैटल-टैंक के इंजनों के निर्माण के लिए क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) जी, हां।

(ख) इस इंजन का निर्माण पश्चिम जर्मनी की फर्म मैसर्स मोटोरेन-एंड टरबीनेन यूनियन (एम० टी० यू०) द्वारा किया जाता है। इंजन की क्षमता 1100 हार्स पावर है। इस इंजन के 750 हार्स पावर की क्षमता वाले मूल रूप का उपयोग पश्चिम जर्मनी के लियोहार्ड मार्क-1 टैंक और उसके अन्य रूपान्तरणों में किया जाता था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) वर्तमान योजनाओं के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा देशी इंजन का पूर्ण विकास किए जाने के बाद उसका देश में ही निर्माण किया जाएगा ।

निश्चित अवधि के लिए वित्त प्रदान करने वाले संस्थाओं द्वारा स्वीकृत स्वकृत और वितरित की गई सहायता

1820. **श्री अजित बाग :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1984 को निश्चित अवधि के लिए वित्त प्रदान करने वाले प्रत्येक संस्थान द्वारा राज्यवार कितनी सहायता स्वीकृत की गई थी और कितनी सहायता वितरित की गई थी;

(ख) कुल सहायता में प्रत्येक राज्य का भाग और प्रतिशतता क्या थी;

(ग) क्या सहायता के वितरण में क्षेत्रीय असन्तुलन है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें मार्च, 1984 के अन्त की सूचना के अनुसार अखिल भारतीय सावधि ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) और भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई० सी० आई० सी० आई०) द्वारा मंजूर की गई और संवितरित राज्यवार सहायता और मंजूर की गई तथा संवितरित कुल धनराशि का राज्यवार प्रतिशत हिस्सा दिया गया है ।

(ग) और (घ) देश में विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों को वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली सहायता का प्रवाह इस वजह से एक समान नहीं है क्योंकि वित्तीय संस्थाएं धन का आबंटन राज्यवार नहीं करती, बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम और तकनीकी रूप से व्यवहारिक समझे जाने वाली सभी परियोजनाओं को सहायता देती हैं ।

कुछ राज्यों में उद्यम सम्बन्धी गतिविधियों का निम्न स्तर आधारभूत सुविधाओं की कमी, कच्चे माल और बिजली की अनुपलब्धता, राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले संवर्धनकार्यों की अपर्याप्तता, बाजार से दूरी और खराब औद्योगिक सम्बन्धों के कारण है, जिससे ऐसे राज्यों और क्षेत्रों में संस्थागत सहायता के प्रवाह में रुकावट आती है ।

विवरण

(करोड़ रुपए)

क्र० सं०	राज्य	मंजूरी				संवितरित	
		आई० डी० बी० आई०	आई०एफ० सी० आई०	आई०सी०आई० सी० आई०	आई० डी० बी० आई०	आई० एफ० सी० आई०	आई० सी० आई० सी०
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	947.4	185.8	154.2	602.4	123.8	119.4
		(8.09)	(9.33)	(6.23)	(7.32)	(8.65)	(6.05)
2.	असम	103.2	22.3	14.1	72.1	13.5	7.3
		(0.38)	(1.10)	(0.54)	(0.87)	(0.90)	(0.35)
3.	बिहार	332.0	59.8	101.2	200.2	45.4	82.3
		(2.84)	(3.01)	(3.96)	(2.43)	(3.14)	(4.17)
4.	गुजरात	1749.2	223.7	367.0	1110.6	121.9	251.5
		(14.95)	(11.24)	(14.37)	(13.50)	(8.52)	(12.77)
5.	हरियाणा	360.8	64.0	67.8	247.3	40.9	48.8
		(3.08)	(3.21)	(2.66)	(3.01)	(2.86)	(2.49)

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	हिमाचल प्रदेश	108.8	20.8	13.7	77.5	14.8	9.1
		(0.92)	(1.05)	(0.55)	(0.9)	(1.04)	(0.46)
7.	जम्मू एण्ड कश्मीर	109.6	4.3	4.6	91.0	4.0	3.8
		(0.93)	(0.20)	(—)	(1.10)	(0.27)	(0.20)
8.	कर्नाटक	830.6	151.3	89.7	656.9	125.2	150.1
		(7.09)	(7.57)	(7.44)	(7.99)	(8.72)	(7.63)
9.	केरल	401.7	62.2	42.6	281.1	52.3	34.1
		(3.44)	(3.11)	(1.68)	(3.42)	(3.63)	(1.73)
10.	मध्य प्रदेश	416.2	68.7	89.0	294.5	44.7	58.5
		(3.55)	(3.46)	(3.48)	(3.70)	(3.14)	(2.95)
11.	महाराष्ट्र	1762.4	14.8	677.8	1302.7	248.2	552.7
		(15.06)	(0.75)	(26.55)	(15.83)	(17.31)	(28.09)
12.	मणिपुर	3.5	@	—	3.9	—	—
		(0.03)			(0.03)		

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	मेघालय	13.2	2.7	0.5	12.1	2.7	0.5
		(0.11)	(0.15)	(—)	(0.14)	(0.21)	(—)
14.	नागालैंड	8.3	0.7	0.2	5.4	0.5	—
		(0.07)	(0.03)	(—)	(0.06)	(—)	
15.	उड़ीसा	363.1	58.1	54.0	223.8	41.0	37.3
		(3.10)	(2.91)	(2.11)	(2.72)	(2.86)	(1.88)
16.	पंजाब	401.3	81.5	63.9	277.4	62.6	50.6
		(3.44)	(4.06)	(2.51)	(3.37)	(4.33)	(2.54)
17.	राजस्थान	598.7	117.7	111.0	415.4	78.6	80.5
		(5.12)	(5.92)	(4.35)	(5.05)	(—)	(—)
18.	सिक्किम	3.8	1.0	1.0	1.0	—	—
		(0.03)	(0.05)	(—)	(—)		
19.	तमिलनाडु	1284.8	183.7	242.9	950.4	133.4	194.6
		(10.98)	(0.95)	(9.50)	(11.55)	(9.28)	(9.87)

1	2	3	4	5	6	7	8
20.	त्रिपुरा	9.4	1.2	0.6	7.9	1.2	0.6
		(0.08)	(0.05)	(—)	(0.09)	(—)	(—)
21.	उत्तर प्रदेश	884.7	210.7	151.6	619.8	158.9	109.1
		(7.56)	(10.59)	(5.91)	(7.54)	(11.10)	(5.54)
22.	पश्चिम बंगाल	614.3	116.9	136.3	448.9	84.4	114.9
		(5.25)	(5.87)	(5.32)	(5.46)	(5.86)	(5.80)
23.	संघ राज्य क्षेत्र	390.5	41.6	69.4	320.2	34.1	60.1
		(3.33)	(2.11)	(2 70)	(3.89)	(2.37)	(3.05)
	जोड़	11697.9@@	1993.5	2553.1	8223.8	1432.1	1965.8

@नगण्य : आई० डी० बी० आई० के आंकड़ों में भूटान को दी गई सहायता शामिल है। मंजूर की गई रकम 0.4 करोड़ रुपए और संवितरित राशि 0.3 करोड़ रुपए है।

टिप्पणी : (i) आंकड़े अनन्तिम हैं (ii) कोष्ठों में दिए गए आंकड़े कुल मंजूर सहायता/संवितरण की प्रतिशतता के द्योतक हैं।

अनिवासी भारतीयों की ओर से भारतीय कंपनियों में शेयरों की खरीद के लिए अनुरोध

1821. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष उनके बजट में उनके द्वारा दिए गए आह्वान के बाद से भारतीय कंपनियों/उद्यमों में शेयरों की खरीद/पूंजी-निवेश करने के लिए अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गए अनुरोध का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन मामलों का ब्यौरा क्या है, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक ने मंजूरी नहीं दी ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें विभिन्न सुविधाओं के अन्तर्गत अनिवासी भारतीयों द्वारा शेयरों तथा ऋणपत्रों में किए गए निवेश का ब्यौरा दिया गया है ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि उसने अब तक अनिवासी भारतीयों से प्राप्त किसी भी आवेदन-पत्र को अस्वीकृत नहीं किया है जिसमें उन्होंने पोर्टफोलियो निवेश योजना के अन्तर्गत, ऐसी कंपनियों के मामले में जिनमें 5 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का उल्लंघन नहीं हुआ, भारतीय कंपनियों के शेयरों में निवेश करने की अनुमति मांगी हो ।

विवरण

भारतीय रिजर्व बैंक के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीयता/भारतीय मूल के अनिवासियों तथा उनके द्वारा कम से कम 60 प्रतिशत स्वामित्व तक धारित समुद्रधारीय निगमित निकायों को अप्रैल, 1982 से, अर्थात जब से निवेश सुविधाओं को उदार बना दिया गया है, विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निवेश के लिए दी गई अनुमतियों का विवरण ।

(राशि करोड़ रुपए)

अनुमोदित प्रस्ताव (31-5-1984 की स्थिति के अनुसार)

I. शेयरों/ऋण-पत्रों में प्रत्यावर्तन अधिकारों सहित प्रत्यक्ष निवेश	
(i) 40 प्रतिशत की योजना के अन्तर्गत	108.35
(ii) 74 प्रतिशत की योजना के अन्तर्गत	25.41
II. **अप्रत्यावर्तन आधार पर प्रत्यक्ष निवेश**	22.64

वास्तविक निवेश (31-3-1984 की स्थिति के अनुसार)

(i) प्रत्यावर्तन अधिकारों सहित पोर्टफोलियो निवेश	
(प्राधिकृत व्यवसायों से प्राप्त विवरण के अनुसार)	39.82
(ii) अप्रत्यावर्तन आधार पर पोर्टफालियो निवेश	
(प्राधिकृत व्यवसायों से प्राप्त विवरण के अनुसार	0.2497

बेरोजगार मैट्रिक पास युवकों को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण

1822. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिन बेरोजगार मैट्रिक पास युवकों ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण लेने के लिए आवेदन दिए हैं उन्हें ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अनुसार प्रत्येक युवक 25,000 रुपए ऋण लेने का पात्र है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंकों को कोई मार्ग-निर्देश दिए हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या बैंकों को यथाशीघ्र कोई मार्गनिर्देश देने का विचार है जिसमें ऋण की शीघ्र और आसानी से उपलब्धता सुनिश्चय हो सके; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के अधीन राज्यवार कितने ऋण दिए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सम्भवत: माननीय सदस्य का आशय "शिक्षित बेरोजगार" युवकों को रोजगार प्रदान करने की योजना से है । इस योजना के अधीन हिताधिकारियों का चयन जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा गठित ऋतिकबल (टास्क फोर्स) द्वारा किया जाता है और यदि किसी आवेदक को प्रथम दृष्ट्या सहायता का पात्र पाया जाता है तो बैंक को उसके नाम की सिफारिश कर दी जाती है । इस योजना के अधीन वर्ष 1983-84 में 2.5 लाख हिताधिकारियों का वित्त पोषण करने का लक्ष्य रखा गया था । भारत सरकार ने इस लक्ष्य को विभिन्न राज्यों के बीच बांट दिया है । 10 राज्यों में जिन हिताधिकारियों के लिए ऋण मंजूर किए गए हैं उनकी संख्या उनके लिए निर्धारित संख्या से अधिक हो गई है ।

(घ) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 31-3-1984 तक बैंकों द्वारा 2.42 लाख आवेदकों को 401.54 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई थी । राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है ।

विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	बैंकों द्वारा मंजूर किए गए आवेदन	राशि (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	14781	2936.00
2.	असम	8021	1540.44
3.	बिहार	14230	2278.64
4.	गुजरात	10457	1538.88
5.	हरियाणा	6189	998.99
6.	हिमाचल प्रदेश	2465	449.69
7.	जम्मू तथा कश्मीर	1416	287.95
8.	कर्नाटक	12307	1960.00
9.	केरल	13091	2110.00
10.	मध्य प्रदेश	18786	2857.80
11.	महाराष्ट्र	24579	4024.29
12.	मणिपुर	991	179.82
13.	मेघालय	353	75.09
14.	नागालैंड	189	39.25
15.	उड़ीसा	6823	1368.62
16.	पंजाब	9047	1689.60
17.	राजस्थान	15054	2365.30
18.	सिक्किम	15	3.65
19.	तमिलनाडु	21247	3316.00
20.	त्रिपुरा	696	97.33
21.	उत्तर प्रदेश	36857	5382.85

1	2	3	4
22.	पं० बंगाल	23680	4481.92
23.	अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह	66	15.22
24.	अरूणाचल प्रदेश	36	6.61
25.	चंडीगढ़	325	56.50
26.	दादर एंड नागर हवेली	54	10.71
27.	मिजोरम	196	42.61
28.	पांडीचेरी	414	40.00
	कुल	2,42,406	40154.05

स्रोत : श्रम मंत्रालय

आंकड़े अनन्तिम

रिसायशी आवासों के संबंध में दिए गए आयकर लाभ

1823. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने दिनांक 14 दिसम्बर, 1983 को एक परिपत्र संख्या 374 जारी किया है जिसमें रिहायशी आवासों के संबंध में कुछ लाभ दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह लाभ द्वारा 10(13ए) के अन्तर्गत मकान किराया भत्ता छूट प्राप्त करने वाले व्यक्तियों अथवा आयकर अधिनियम की धारा 80 जी० जी० के अन्तर्गत यह लाभ प्राप्त करने वालों को नहीं दिए गए हैं;

(ग) क्या आयकर अधिनियम की धारा 80 जी० जी० के प्रावधान के कारण अपने आवास रखने वाले कर्मचारियों को यह लाभ नहीं प्राप्त होता है;

(घ) क्या इस प्रकार की रोक धारा 10(13ए) के अन्तर्गत और उन कर्मचारियों जिन्हें नियोक्ताओं द्वारा रिहायशी आवास दिया गया है, के मामले में भी ; हैंऔर

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का उपरोक्त विसंगतियों को अर्थात् जहां नियोक्ता द्वारा आवास प्रदान किया गया है अथवा जहां आयकर अधिनियम की धारा 10(13ए) अथवा 80 जी० जी० के अन्तर्गत लाभ लिया जाता है, दूर करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(13ए) के अधीन मकान किराया भत्ता के बारे में दी गई कर से छूट और अधिनियम की धारा 80 जी० जी० के अधीन किराए के भुगतान पर होने वाले व्यय के संबंध में कटौती, किराए के भुगतान पर किए जाने वाले वास्तविक व्यय पर आधारित हैं जिसे इस प्रयोजनार्थ बनाए गए नियमों के अन्तर्गत विनियमित किया जाता है। दिनांक 14-12-1983 का परिपत्र संख्या 374, नियम 3 पर आधारित है, जिसमें किसी कर्मचारी को नियोजक द्वारा दिए गए किराया मुक्त रिहायशी मकान के मामले में परिलब्धि के मूल्यांकन की व्यवस्था की गई है।

अपने ही मकान में रहने वाला कर्मचारी अधिनियम की धारा 10(13ए) के अधीन मकान किराए भत्ते के संबंध में छूट पाने का हकदार नहीं होगा, क्योंकि वह किराए के भुगतान पर कोई व्यय नहीं करता है। आयकर आयुक्त बनाम न्यायाधीश एस० सी० मित्तल (1980) 121 आई० टी० आर० 503 के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का निर्णय प्रतिकूल है, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया है।

कीटनाशी दवाओं पर आयात शुल्क

1824. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रवेश की प्रत्येक भारतीय बन्दरगाह पर आयातित कीटनाशी दवाओं पर सीमा-शुल्क के निपटान के लिए कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत जारी किए गए पंजीकरण प्रमाण पत्र के अलावा कौन से अन्य प्रलेख आवश्यक हैं;

(ख) उन कीटनाशक दवाओं के नाम क्या हैं जो गत तीन वर्षों के दौरान आयात की गयी है तथा प्रत्येक कीटनाशी दवा की एस० आई० टी० सी० और सी० टी० एन० संख्या क्या है और उन कीटनाशी दवाओं के क्या नाम हैं जिन्हें भारत में आयात किए जाने की अनुमति नहीं है तथा इस प्रकार की प्रत्येक कीटनाशी दवा की एस० आई० टी० सी० और सी० टी० एन० संख्याएं क्या हैं ; और

(ग) भारत में विभिन्न कीटनाशी दवाओं के आयात पर किस दर से सीमाशुल्क लगाया गया और गत वर्ष भारत में कुल कितने मूल्य की (पोत पर्यन्त भाड़ा/लागत बीमा भाड़ा) और कितनी मात्रा में कीटनाशक दवाओं का आयात किया गया और गत वर्ष इस प्रकार के आयातों से कुल कितना सीमा-शुल्क प्राप्त हुआ ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) कीठनाशी द्रव्यों के आयात की सीमाशुल्क निकासी के लिए, आगम-पत्र बीजक, अवतरण-पत्र, पैकिंग सूची, सप्लाईकर्ता द्वारा दिए गए विश्लेषणात्मक प्रमाण-पत्र आदि जैसे आयात सम्बन्धी सामान्य दस्तावेजों के अलावा, कीटनाशी अधिनियम, 1968 के अधीन पंजीकरण प्रमाण-पत्र के साथ-साथ ये दस्तावेज भी आवश्यक हैं,

अर्थात् आयात लाइसेंस, अथवा औद्योगिक पंजीकरण प्रमाण-पत्र/प्रायोजी प्राधिकरण द्वारा दिया गया लाइसेंस (यदि माल का आयात निर्बाध सामान्य लाइसेंस के तहत किया गया हो)।

(ख) इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, और निकासी दस्तावेजों से, जिनकी संख्या लाखों में होती है, यह सूचना एकत्र करना व्यवहार्य नही हैं। तथापि, कुछेक आयात तकनीकी ग्रेड के अल्ड्रिन, बुटाक्लोर, डियूरॉन, डिको फोल, डालापॉन आदि से सम्बन्धित थे। इनमें से अधिकतर आई० आर० आई० टी० सी० सं० 591-1001 से 591-1018 के अन्तर्गत आते हैं।

(ग) इस समय कीटनाशी द्रव्यों पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क इस प्रकार है :—60 प्रतिशत मूल सीमा शुल्क जमा 4 प्रतिशत उपसंगी शुल्क तथा दिनांक 1-11-1982 की यथा संशोधित छूट प्रदायी अधिसूचना सं० 234/82-के० उ० शु० के अनुसार अतिरिक्त शुल्क की "शून्य" दर।

कीटनाशी द्रव्यों के आयात से पिछले वर्ष अप्रैल से नवम्बर, 1983 तक की अवधि के लिए अब तक यथासंकलित कुल 26,40,04,431 रुपए का सीमाशुल्क वसूल हुआ है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार में मंजूर किए गए ऋणों की धनराशि

1825. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार में मंजूर किए गए ऋणों की धनराशि उनके द्वारा जमा की गई धनराशि की अपेक्षा कम है ;

(ख) क्या बैंकों की यह नीति बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने में अड़चनें उत्पन्न कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क), (ख) और (ग) जून, 1983 के अन्त में बिहार राज्य में सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की जमा राशि और अग्रिम क्रमशः 2125 करोड़ रुपए और 853 करोड़ रुपए के थे। रिजर्व बैंक के निदेशों के संदर्भ में बैंकों को अपनी जमा राशियों का कुछ हिस्सा नकद प्रारक्षित निधियों और तरल परिसंपत्तियों के रूप में रखना होता है वे अपने और सभी साधनों को ऋणों के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऋण अ-उत्पादक कार्यों में केवल एक निवेश्य वस्तु के रूप में होता है, ऐसे कई कारण हैं जिनसे उद्यमकर्त्ता ऋण लेने के लिए प्रभावित होता है जैसे बिजली, परिवहन, संचार और अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, बाजार की निकटता, औद्योगिक वातावरण आदि। किसी भी क्षेत्र विशेष में ऋण का प्रसार स्तर अपने आप में आर्थिक गतिविधि के स्तर और विशेष रूप में व्यापक और उद्योग संगठित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि के स्तर पर निर्भर करता है। बैंक अलबत्ता, अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में लघु ऋणकर्त्ताओं को ऋण देने के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैंक ऋणों पर आधारित विकास आयोजनाओं के कार्यान्वयन तथा साथ ही साथ ऋण वितरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सहायता

देने की दृष्टि से जिला ऋण आयोजनाएं तैयार करने में सहयोगी भूमिका निभा रहा है। राज्य सरकारों से उनकी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कहा गया है ताकि अर्थक्षम धन्धों में बैंक ऋणों का आसानी से अधिक उपयोग किया जा सकें। ऐसे सभी उपायों से बिहार राज्य में ऋणों के प्रवाह में सुधार आने की सम्भावना है।

मूंगफली के बीजों का निर्यात

1826. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में विशेष रूप से योरोपीय देशों में मूंगफली के बीजों की भारी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान मूंगफली के बीजों का कितना और कितने मूल्य का निर्यात किया गया ;

(ग) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष 1984-85 के दौरान अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु इस उद्योग को बढ़ावा देने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) बीज के रूप में भारतीय मूंगफली की कोई मांग नहीं है। तथापि, विदेशों में भारतीय एच० पी० एस० मूंगफली गिरी के लिए मांग है।

(ख) 1982-83 और 1983-84 के वर्षों में एच० पी० एस० मूंगफली के निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहे :

वर्ष	मात्रा मे० टन में	मूल्य लाख रु० में
1982-83	28,343	2,709.09
1983-84 (अनन्तिम)	23,302	2,082.48

(ग) तथा (घ) विदेशी बाजारों में एच० पी० एस० मूंगफली को अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए उसकी क्वालिटी में सुधार लाने और उपभोक्ता पैकों में भुनी हुई तथा नमक लगी मूंगफलियों जैसे मूल्य वर्धित निर्यातों को प्रोत्साहित कर विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

कृषि उद्यमियों से ऋणों की वसूली के लिए हुई मुकदमेबाजी पर बैंकों द्वारा खर्च की गई धनराशि

1827. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कुल कितने कृषि उद्यमी हैं जिन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों से पिछले तीन वर्षों में,

वर्षवार, केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना एग्रो सर्विस/सेन्टर्स-कम-कस्टम सर्विस यूनिट के लिए वित्तपोषित किया है;

(ख) बैंक ऋण वसूली के लिए कितने कृषि उद्यमियों के विरुद्ध न्यायालय में मामले दायर किए गए;

(ग) कितने कृषि उद्यमियों के विरुद्ध न्यायालय से डिकरी प्राप्त की गई है परन्तु उसे कार्य रूप नहीं दिया गया, उनकी क्रियान्विति कब से लम्बित है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) कृषि उद्यमियों से ऋणों की वसूली करने के लिए वकीलों को दी गयी फीस, मुकदमेबाजी के काम पर लगे हुए कर्मचारियों का यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता और वेतन के भुगतान तथा अन्य सभी खर्चों को मिलाकर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) बैंकों में आंकड़े इकट्ठे करने की वर्तमान प्रणाली में उस ढंग से सूचना नहीं मिलती जिस ढंग से प्रश्न में पूछी गई है। ऐसा महसूस किया जाता है कि सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाओं से सूचना को एकत्र करने में जितना समय लगेगा और जितना श्रम करना पड़ेगा वह उससे प्राप्त होने वाले प्रतिफल की तुलना में कहीं अधिक होगा। एग्रो सर्विस सेण्टर की स्थापना के सम्बन्ध में प्रगति की उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :—

निम्नलिखित को समाप्त अवधि	केन्द्र के लिए अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या	अब तक स्थापित केन्द्रों की संख्या	बन्द किए गए केन्द्रों की सं०	चालू केन्द्रों की संख्या
मार्च 1977	4451	2704	उ०न०	उ०न०
मार्च 1978	4822	2893	उ०न०	उ०न०
मार्च 1979	5086	3035	उ०न०	उ०न०
मार्च 1980	5205	3164	270	2295
मार्च 1981	5534	3206	508	2698

(उ०न०—उपलब्ध नहीं)

"ड्राई फूट ट्रेड कवर फार एक्सचेंज रैकेट" शीर्षक से समाचार

1828. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 5 जुलाई, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "ड्राई फ्रूट ट्रेड कवर फार एक्सचेंज रैकेट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस घोटाले के बारे में आगे कोई जांच की गई है; विशेषत: जबकि मेवों के व्यापार में लगभग शतप्रतिशत लाभ की गुंजाइश रहती है;

(ग) क्या इनमें से कुछ व्यापारिक प्रतिष्ठानों के काबुल में उनके अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान होने के कारण वहां उनके निकट सम्बन्ध हैं और वहां से वे कुछ विदेशों के माध्यम से इस धोखाधड़ी व्यापार का बिना किसी रोक-टोक के संचालन कर रहे हैं;

(घ) इनमें किन व्यक्तियों अथवा अन्य साझीदारों ने अभी भी अफगानी राष्ट्रिकता रखी हुई है अथवा वे अफगानी राष्ट्रिक थे; और

(ङ) क्या वे धोखाधड़ी करने वाले इन व्यक्तियों के नाम बतायेंगे और इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिए की गई कार्यवाही के बारे में जानकारी देंगे ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) समाचार में उल्लिखित मामलों के समूहों में से, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अब तक 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया है। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से पांच व्यक्तियों और अन्य सम्बन्धित व्यक्ति को विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1974 के अन्तर्गत नजरबन्द किया जा चुका है। गिरफ्तार किए गए और नजरबन्द किए गए व्यक्तियों के नाम निम्नानुसार हैं :—

गिरफ्तार किए गए व्यक्ति :

1. श्री जवाहर लाल
2. श्री गोविन्द राम
3. श्री ठाकुर दास भाटिया
4. श्री नन्द लाल भाटिया
5. मनोहर लाल भाटिया
6. श्री सुरेन्द्र नाथ
7. श्री श्याम सुन्दर अरोड़ा
8. श्री घनश्याम कक्कड़
9. श्री सतीश कुमार गुप्ता
10. श्री सुभाष चन्द्र कपूर
11. श्री नरिन्दर कुमार

12. श्री रोशन लाल

13. श्री बासदेव

14. श्री अजयकुमार भाटिया

15. श्री मदन लाल सचदेवा

नजरबन्द किए गए व्यक्ति :

1. श्री जवाहर लाल

2. श्री गोबिन्द राम

3. श्री ठाकर दास भाटिया उर्फ श्री ठाकर दास दलाल

4. श्री यशपाल भाटिया

5. श्री नन्दलाल भाटिया

6. श्री मनोहर लाल भाटिया

इनमें से कोई भी व्यक्ति अफगान राष्ट्रिक नहीं है।

चूंकि अभी तक जांच-पड़ताल की जा रही है इसलिए कारगर जांच-पड़ताल के हित में इस स्तर पर और अधिक ब्यौरा प्रकट करना लोकोचित नहीं है।

बैंकों और वित्तीय संस्थाओं की धनबाद में बंद पड़ी रिफ्रैक्टरी और तापसह ईंटों की फैक्टरियों में बैंकों और वित्तीय संस्थानों में रुकी हुई ऋण की धनराशि

1829. **श्री ए० के० राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के धनबाद जिले में बंद पड़ी रिफ्रैक्टरी और तापसह ईंटों की फैक्टरियों में बैंक ऋण और अन्य वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋण की धनराशि रुकी पड़ी है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस ऋण की धनराशि कितनी है तथा फैक्टरियों के नाम क्या हैं;

(ख) बन्द पड़ी ऐसी फैक्टरियों से ऋण की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या वित्तीय संस्थानों ने इनके बन्द होने की जांच की है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकारी वित्तीय संस्थाएं (विश्वसनीयता और गोपनीयता के सम्बन्धित बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों और

सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा संस्थाओं को नियन्त्रित करने वाले कानूनों के उपबंधों के अनुरूप सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अलग-अलग ग्राहकों के बारे में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती और इसलिए प्रश्न में जिस प्रकार एकक-वार सूचना मांगी गई है, उस प्रकार नहीं बताई जा सकती । अलबत्ता, बिहार के धनबाद जिले की बंद पड़ी रिफ्रैक्टरियों और तापसाह ईंटों की फैक्टरियों के नाम बकाया रकमों, ऐसे ऋणों को वसूल करने के लिए उठाए गए कदमों और इनके बन्द होने के कारणों का पता लगाने के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा जांच के बारे में ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और यथाउपलब्ध तथा नियमों के अनुसार अनुज्ञेय ब्यौरा सभा-पटल पर रख दिया जाएगा ।

स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत बैंक ऋण की तुलना में बैंक को लाभ

1830. **श्री रेणुपद दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नए 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत स्व-रोजगार योजना के लिए सम्बन्धित बैंक द्वारा दिए गए ऋणों की बैंक के कुल लाभ में से प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (**श्री जनार्दन पुजारी**) : स्व-रोजगार योजना के अधीन बैंकों द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले ऋणों की कुल राशि का सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कुल लाभसे कोई सम्बन्ध नहीं है । योजना की राशि जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था गत वर्ष में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा दिए गए अग्रिमों का लगभग एक प्रतिशत रखी गई थी । उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 1984 तक बैंकों द्वारा 401.54 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे जो मार्च, 1983 के अंत के कुल अग्रिमों के एक प्रतिशत से अधिक बैठता है ।

स्वीकृति मिलने में विलम्ब के कारण पर्यटन विभाग की रुकी पड़ी परियोजनाएं

1831. **श्री सूरजभान** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्माण और आवास मंत्रालय से स्वीकृति मिलने में विलम्ब के कारण पर्यटन विभाग की रुकी पड़ी परियोजनाओं के नाम एवं अनुमानित लागत क्या है और ये परियोजनाएं कहां पर स्थापित की जानी हैं; और

(ख) प्रत्येक परियोजना की स्वीकृति प्राप्त करने का आवेदन पत्र किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (**श्री खुर्शीद आलम खां**) : (क) और (ख) पर्यटन विभाग की कोई परियोजनाएं निर्माण और आवास मंत्रालय से क्लियरेंस मिलने में देरी होने के कारण रुकी नहीं पड़ी है ।

पर्यटन संवर्द्धन के काम में निजी क्षेत्र को शामिल किया जाना

1832. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटन उद्योग के संवर्द्धन में निजी क्षेत्र को शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विधाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क), (ख) और (ग) देश में पर्यटन की आधार-संरचनात्मक सुविधाओं का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है जिसके लिए केन्द्रीय, राज्य और प्राइवेट सैक्टर के मिले-जुले प्रयासों की आवश्यकता होती है। पर्यटन उद्योग के संवर्द्धन में प्राइवेट सैक्टर को हमेशा शामिल किया जाता रहा है, और इसीलिए, उसके लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। असल में राज्यों को पूंजी-निवेश आकर्षित करने के लिए प्राइवेट सैक्टर को अभिप्रेरित करना होता है।

स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत बैंक ऋण

1833. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नये 20-सूत्री कार्यक्रम की स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत 1983 और 1984 के दौरान कितने व्यक्तियों को बिना कोई चीज गिरवी रखे या जमानत दिये बैंक ऋण दिए गए हैं तथा बैंकवार और राज्यवार ऐसे कितनी धनराशि के ऋण दिए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : उपलब्ध सूचना के अनुसार, मार्च, 1984 के अंत तक शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार प्रदान कराने की योजना के अंतर्गत 2.42 लाख व्यक्तियों को 401.54 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई थी। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार बैंकवार विवरण उपलब्ध नहीं है।

शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान कराने की योजना के अन्तर्गत बैंकों को ऋणों पर सांपार्श्विक प्रतिभूति या अन्य पक्ष की गारंटी नहीं मांगनी चाहिए।

विवरण

क्र० सं०	राज्य का नाम	बैंकों द्वारा मंजूर किए गए आवेदन	राशि (लाख रुपए)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	14781	2936.00

1	2	3	4
2.	असम	8021	1540.44
3.	बिहार	14230	2278.64
4.	गुजरात	10497	1538.88
5.	हरियाणा	6189	998.99
6.	हिमाचल प्रदेश	2465	449.69
7.	जम्मू तथा कश्मीर	1416	287.95
8.	कर्नाटक	12307	1960.00
9.	केरल	13091	2110.00
10.	मध्य प्रदेश	18786	2857.80
11.	महाराष्ट्र	24579	4024.28
12.	मणिपुर	991	179.82
13.	मेघालय	353	75.09
14.	नागालैंड	189	39.25
15.	उड़ीसा	6823	1368.62
16.	पंजाब	9047	1689.60
17.	राजस्थान	15054	2365.30
18.	सिक्किम	15	3.65
19.	तमिलनाडु	21247	3316.00
20.	त्रिपुरा	696	97.33
21.	उत्तर प्रदेश	36857	5382.85
22.	प० बंगाल	23680	4481.92
23.	अण्डमान एंड निकोबार द्वीप समूह	66	15.22
24.	अरुणाचल प्रदेश	36	6.9
25.	चंडीगढ़	325	56.50

1	2	3	4
26.	दादर एण्ड नागर हवेली	54	10.71
27.	मिजोरम	196	42.61
28.	पांडीचेरी	414	40.00
	कुल	2,42,405	40154.04

स्त्रोत : श्रम मंत्रालय

आंकड़े अनन्तिम

सिक्कों की ढलाई और करेंसी नोटों की छपाई संबंधी लक्ष्य

1834. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के लिए प्रत्येक मूल्य के सिक्कों की ढलाई और करेंसी नोटों की छपाई के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं; और

(ख) क्या उपरोक्त लक्ष्य के अनुसार कम मूल्य के सिक्कों और करेंसी नोटों की वर्तमान कमी दूर हो जाएगी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) संलग्न विवरण में बताए गए लक्ष्य टकसालों और मुद्रणालयों की वर्तमान क्षमता तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए अपनाए गए अल्पावधिक उपायों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किये गए थे । यद्यपि ये लक्ष्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिक्कों और करेंसी नोटों के संबंध में सूचित आवश्यकता को देखते हुए कम हैं, तथापि पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में अधिक हैं । कमी को पूरा करने के लिए सिक्कों तथा करेंसी नोटों की दीर्घावधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक नई टकसाल तथा एक नए बैंक नोट प्रेस की स्थापना करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है ।

विवरण

(क) सिक्के (दस लाख अदद)

मूल्य-वर्ग	संख्या
5 पैसे	95
10 पैसे	330
20 पैसे	405

25 पैसे		75
50 पैसे		220
1 रुपया/2 रुपए		325
	जोड़	1450

बम्बई, कलकत्ता और हैदराबाद की तीनों टकसालों में काम के घन्टे बढ़ा कर प्रति पारी नौ घण्टे कर दिए गए हैं और इसी के साथ सामूहिक प्रोत्साहन योजनाएं चालू की गई हैं। सिक्का टंकण की क्षमता बढ़ाने के लिए सिक्का निर्माण की अतिरिक्त प्रेसों का आयात किया जा रहा है। कलकत्ता टक्साल में दूसरी पारी शुरू किए जाने का निश्चय किया गया है।

(ख) करेंसी नोट

1984-85 के केवल प्रथम छः महीनों के लिए करेंसी नोटों के उत्पादन-लक्ष्यों को अन्तिम रूप दिया गया है। ये इस प्रकार हैं :—

		(दस लाख अदद)
1 रुपया		125
2 रुपए		675
5 रुपए		650
10 रुपए		580
20 रुपए		160
50 रुपए		100
100 रुपए		200
	जोड	2490

सरकार द्वारा करेंसी नोटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और उठाने का प्रस्ताव है। करेंसी नोट प्रेस, नासिक और बैंक नोट प्रेस, देवास में काम के घण्टे बढ़ा कर ग्यारह घण्टे प्रति पारी कर दिए गए हैं। दोनों प्रेसों में काम के ग्यारह घण्टे की प्रति पारी पर आधारित प्रोत्साहन योजनाएं चालू की गई हैं। 17 जुलाई, 1984 से बैंक नोट प्रेस, देवास के छपाई विभाग में आंशिक तौर पर दूसरी पारी शुरू की गई है। इसके अतिरिक्त करेंसी नोट प्रेस के आधुनिकीकरण और इसकी क्षमता बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

ग्राहकों को लाकर आवंटित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को जारी किए गए मार्ग-निर्देश

1835. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा ग्राहकों को लाकर आबंटित करते समय अपनाए जाने के लिए कुछ मार्ग-निर्देश किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या सेंट्रल बैंक आफ इन्डिया और विशेषकर गोल मार्किट, नई दिल्ली, स्थित शाखा के अधिकारियों ने लाकर प्राप्त करने के इच्छुक ग्राहकों पर दबाव डालकर भारी राशि जमा कराई है ;

(घ) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें 1983 और 1984 के दौरान लाकर दिए गए और ऐसे प्रत्येक ग्राहक से कितनी राशि जमा कराई गई ; और

(ङ) क्या जमा की रसीदें भी बैंक द्वारा अपने पास रख ली जाती हैं और यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत ऐसा किया गया है और जमा की रसीदें जमाकर्त्ता को वापस करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां ।

(ख) मार्गनिर्देशक सिद्धांतों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(i) लाकरों के आवंटन के प्रयोजन के वास्ते शाखाओं को एक प्रतीक्षा सूची रखनी चाहिए । लाकर आबंटन के वास्ते प्राप्त ऐसे सभी आवेदनों की पावती भेजी जानी चाहिए और प्रतीक्षा सूची संख्या दी जानी चाहिए ।

(ii) शाखाओं द्वारा कम से कम 80 प्रतिशत लाकर पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर आबंटित किए जाने चाहिए । बाकी लाकर शाखा प्रबंधकों के विवेकानुसार व्यावसायिक विचार से अच्छे ग्राहकों को आवंटित किए जा सकते हैं ।

(iii) बैंकों को लाकर आबंटन करते समय सावधि जमा जैसी पूर्व-शर्तों पर जोर नहीं देना चाहिए । परन्तु इस बात पर कोई आपत्ति नहीं यदि बैंक उस आवेदक से जिसे लाकर अलाट किया हो उतनी धनराशि जमा करवाने के लिए कहें (लेकिन आबंटन वास्ते शर्त के रूप में नहीं) जिसका वार्षिक ब्याज, लाकर के वार्षिक किराए से अधिक न हो । विकल्प के रूप में लाकर होल्डर से तीन वर्ष का किराया पेशगी लिया जा सकता है । जो लाकर होल्डर वार्षिक किराया देते हैं और आदायगी में चूक करते हैं । उन्हें लाकर संचालन की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि किराए की बकाया रकम चुका न दी जाए ।

(ग) और (घ) लाकर प्राप्त करने के लिए ग्राहकों द्वारा साबधि जमा रखा जाना अनिवार्य नहीं है अलबत्ता गोल मार्किट स्थित सैंट्रल बैंक शाखा ने ग्राहकों को यह सुझाव दिया है कि वे साबधि जमा के रूप में कुछ राशि रखें ताकि लाकर का किराया उसके ब्याज से पूरा किया जा सके और उन्हें लाकर का किराया जमा कराने के लिए हर बार न आना पड़े। कुछ ग्राहकों ने जिन्हें यह सुझाव सुविधाजनक प्रतीत हुआ उन्होंने ऐसा करना मान लिया। कुछ ग्राहकों ने सावधि जमा की अपनी रसीदें बैंक के पास रखी हैं। बैंक मांगने पर जमा रसीद जमाकर्त्ताओं को वापस दे देता है।

(ङ) राष्ट्रीयकृत बैंकों को नियंत्रित करने वाले कानूनों के उपबन्धों के अनुसार और बैंकों में प्रचलित रीति-रिवाजों के अनुसार किसी ग्राहक के कार्यों के सम्बन्ध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

दानापुर छावनी बोर्ड के सिविलियनों की उन्हें नगरपालिका में शामिल करने की मांग

1836. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दानापुर छावनी बोर्ड के सिविलियनों ने इच्छा व्यक्त की है कि उन्हें दानापुर छावनी बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से निकाल कर नगरपालिका में शामिल किया जाए ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) से (ग) इस संबंध में दानपुर छावनी के सिविलियनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन दानापुर छावनी बोर्ड ने दिनांक 2-7-82 के अपने संकल्प में यह प्रस्ताव किया कि वार्ड सं० 1 से वार्ड सं० 4 तक के सिविल क्षेत्रों और वार्ड संख्या 5 के लाल कोठी तक के क्षेत्र को अलग करने की सिफारिश की जाए। जब मध्य कमान द्वारा छावनी बोर्ड के इस संकल्प की जांच की जा रही थी तो छावनी बोर्ड ने 5-3-83 को एक अन्य संकल्प पारित किया। इस संकल्प के अनुसार मार्शल बाजार और लाल कोठी क्षेत्रों को छावनी में ही बनाए रखा जाना है। यह संकल्प पहले के संकल्प से भिन्न है इसलिए मध्य कमान ने 20-7-84 के पत्र द्वारा छावनी बोर्ड के अध्यक्ष से कहा है कि इस बारे में पूरे विवरण सहित संशोधित प्रस्ताव पेश करें।

भारत और सोवियत संघ के बीच व्यापार

1837. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ आगामी पांच वर्षों में अपना व्यापार दुगुना करने की तैयारी कर रहे हैं (स्टेट्समैन दिनांक 28 अप्रैल, 1984);

(ख) अनुकूल व्यापार सन्तुलन बनाए रखने के सम्बन्ध में भारत को हो रही कठिनाइयों के विशेष सन्दर्भ में सोवियत शिष्टमण्डल से हुई बातचीत से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं तथा उन कठिनाइयों को दूर करने हेतु क्या-क्या उपाय सुझाए गए हैं;

(ग) दोनों देशों के बीच व्यापार के सन्तुलन की स्थिति क्या है और उस सम्बन्ध में प्रतिवर्ष कितना ब्याज दिया जा रहा है; और

(घ) दोनों देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं यह कितने मूल्य का होगा और उसमें अदायगी सम्बन्धी शर्तें क्या होंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) दोनों देशों के बीच मार्च 1979 में हस्ताक्षरित दीर्घावधि आर्थिक कार्यक्रम में यह विनिश्चय किया गया था कि द्विपक्षीय व्यापार में 1990 तक प्रत्येक पांच वर्षों में डेढ़ से दोगुनी वृद्धि की जाएगी। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, सोवियत संघ के साथ, व्यापार कारोबार में वृद्धि करने तथा उत्पाद मिश्रण में विविधता लाने के दोहरे उद्देश्य से भारतीय व्यापार बढ़ाने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं। सोवियत मशीनों तथा उपस्कर, उर्वरकों, अलौह धातुओं, रासायनिक पदार्थों आदि के आयातों को अधिकाधिक करने तथा सोवियत संघ से आयात के लिए नई मदों का का पता लगाने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है।

सोवियत संघ के साथ व्यापार अपरिवर्तनीय भारतीय रुपयों में किया जा रहा है। इस समय सोवियत संघ के पास रुपया अधिशेष है जिसका उपयोग भारत से खरीदारियां करने के लिए किया जा रहा है। भारत तथा सोवियत संघ के बीच व्यापार शेष गत वर्षों के दौरान घटता-बढ़ता रहा है। ये घटबढ़ चाहे वे बेशी हो अथवा बकाया हो, दोनों देशों के बीच विद्यमान व्यापार करार के अन्तर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे गए केन्द्रीय खाते की प्रक्रिया के माध्यम से समय-समय पर समायोजित की जाती है।

हथकरघे से पोलिएस्टर कपड़ा तैयार करने का प्रस्ताव

1838. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हथकरघे से पोलिएस्टर कपड़ा तैयार करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) हथकरघों में पोलिएस्टर और पोलिएस्टर मिश्रित कपड़ों का उत्पादन पहले ही हो रहा है। उत्पादित मदों में धोतियां, साड़ियां, शर्टिंग, सूटिंग्स, ड्रेस सामग्री आदि शामिल हैं। इसका उत्पादन तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश आदि राज्यों में हो रहा है। इन कपड़ों को बेहतर परिसज्जा देने में हथकरघा क्षेत्र को सहायता देने के उद्देश्य से कर्नाटक,

आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्यों में केन्द्रीय सरकार की सहायता से अनेक संसाधन सदनों की स्थापना हुई है। ये सदन ह्वीट सेटिंग और कार्बनीकरण की सुविधाओं से युक्त हैं।

कोचीन स्थित नौसैनिक अड्डे के असैनिक कर्मचारियों को आवास प्रदान करने के लिए योजनाएं

1839. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन स्थित नौसैनिक अड्डे में कितने असैनिक कर्मचारी काम कर रहे हैं;

(ख) क्या उनमें से किसी को आवास सुविधाएं प्रदान की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार कोचीन स्थित नौसैनिक अड्डे के इन असैनिक कर्मचारियों के लिए आवास प्रदान करने की कोई योजना तैयार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) 2966 (दो हजार नौ सौ छियासठ) ;

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) सिविलियनों के लिए सरकारी आवास का निर्माण केवल उन्हीं स्टेशनों पर किया जाता है जिन्हें सरकार "कठिन स्टेशन" घोषित करती है। कोचीन को दिसम्बर, 1982 में ही "कठिन स्टेशन" घोषित किया गया था। सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सिविलियनों की कुल संख्या शक्ति में से 15 प्रतिशत सिविलियन कर्मचारियों के लिए आवास बनाने का प्रस्ताव है। वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान 95.82 लाख रुपए की अनुमानित लागत पर 60 मकानों के निर्माण के लिए आवश्यक मंजूरी कर दी गई है।

इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया द्वारा मानार्थ टिकटें जारी किया जाना

1840. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इन्डिया और इंडियन एयरलाइन्स मानार्थ टिकटें जारी करते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो 1983-84 और 1984-85 के वर्षों के दौरान किन-किन को इस प्रकार के मानार्थ टिकट जारी किए गए और इसके प्रयोजन क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां ।

(ख) इण्डियन एयरलाइन्स तथा एयर इण्डिया अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ के नियमों और विनियमों के अन्तर्गत अनुमत किन्हीं विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों को तथा कुछ मामलों में अपने कारोबार के हितों के संवर्धन के लिए मानार्थ टिकटें तथा निशुल्क पास जारी करते हैं। इसमें यात्रा विनियमों के अन्तर्गत अपने कर्मचारियों को तथा इन्टरलाइन प्रबंधों के अन्तर्गत अन्य एयरलाइनों के कर्मचारियों को निःशुल्क यात्रा सुविधा देना, ट्रैवल एजेंटों/भ्रमण आयोजकों तथा महत्वपूर्ण वाणिज्यिक कारोबार से सम्बन्धित व्यक्तियों को मानार्थ टिकट जारी करना तथा विशेष मामलों में, विदेश में उच्च स्तरीय चिकित्सा उपचार, आदि जैसे कुछ विशेष मामलों में सरकार के आदेश पर निःशुल्क यात्रा सुविधा शामिल है। वर्ष 1983-84 तथा वर्ष 1984-85 में इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।

परिधानों के निर्यात पर शुल्क वापसी

1841. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष के दौरान परिधानों की प्रत्येक श्रेणी पर शुल्क वापसी की दर कितनी थी और वर्ष 1980 से 1984 तक प्रत्येक वर्ष में यह दर कितनी थी;

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष में परिधानों के निर्यात पर शुल्क वापसी के रूप में वास्तव में कितनी धनराशि वितरित की गई और वर्ष 1980-81 से 1982-83 तक प्रत्येक वर्ष में कितनी धनराशि वितरित की गई थी; और

(ग) व्यक्तिगत तौर पर कितने निर्यातकों को पिछले वित्तीय वर्ष में शुल्क वापसी की गई और इस वर्ष के दौरान सबसे अधिक शुल्क वापसी पाने वाले प्रथम 50 निर्यातकों के नाम क्या हैं और उन्होंने कितने मूल्य का निर्यात किया तथा उनमें से प्रत्येक को शुल्क की कितनी धनराशि वापस की गई ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) प्रत्येक श्रेणी के परिधानों (पोशाकों) के निर्यात पर वर्ष 1980 से 1984 तक, वर्षवार, प्रतिअदायगी की लागू दरें अनुबन्ध-I में दी गई हैं। [**ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-8537/84**]

(ख) और (ग) प्रत्येक निर्यातकर्ता के सम्बन्ध में जिस-वार ऐसे आंकड़े सभी सीमा शुल्क गृहों द्वारा नहीं रखे जाते हैं। अतः इस सूचना को एकत्र करना व्यवहार्य नहीं होगा ।

सोवियत संघ को निर्यात किए जाने वाले कपड़े का कम लदान

1842. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी से मई, 1984 तक पिछले पांच महीनों के दौरान सोवियत संघ को

निर्यात किए जाने वाले कपड़े का लदान इतना कम हो गया है कि यह 61.20 मिलियन मीटर रह गया जबकि व्यापार समझौते में की गई 210 मिलियन मीटर की व्यवस्था के स्थान पर फर्मों ने 172 मिलियन मीटर कपड़ों के क्रयादेश बुक किए थे; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए सोवियत संघ का कपड़ा बाजार भारत के हाथ से निकल न जाए, क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद (टैक्सप्रोसिल) द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के आधार पर मई, 1984 तक 176 मिलियन मीटर के क्रयादेश बुक किए गए थे। जनवरी-मई, 1984 के दौरान सोवियत संघ को किए गए कपड़े के लदान 64.2 मिलियन मीटर के थे। तथापि जून 81.48 मिलियन मीटर के लदान किए गए ।

(ख) धीमे लदान के निम्नलिखित कारण हैं :

(1) मार्च-अप्रैल, 1984 के दौरान अखिल भारतीय गोदी हड़ताल ।

(2) सोवियत संघ को निर्यातित वस्त्रों की भारी मात्रा के उत्पादन के लिए अपेक्षित सूत की कमी ।

(3) जलयान तथा कन्टेनर्स की अनुपलब्धता ।

सरकार ने सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद को तेजी से लदान करने के लिए कहा है । सूती वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद ने समय पर लदानों की जरूरत के लिए सिप्पर्स पर पहले ही दबाव डाल दिया है और खदानों की निकट से मानिटरिंग कर रहा है ।

देश के उद्योग रहित जिलों और पिछड़े क्षेत्रों में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा प्रोत्साहन

1843. **श्री मनमोहन दुडु** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान देश के उद्योग रहित जिलों और पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक पूंजीनिवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा उड़ीसा के उद्योग रहित जिलों और पिछड़े क्षेत्रों में अब तक दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने भारतीय औद्योगिक वित्त निगम और भारतीय

औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम के साथ मिलकर, निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में, जिनमें उड़ीसा के ऐसे क्षेत्र भी शामिल हैं, औद्योगीकरण की गति को तेज करने के लिए ऐसे इलाकों में औद्योगिक एकक स्थापित करने के वास्ते रियायती सहायता और अन्य प्रोत्साहन देने की एक व्यापक योजना तैयार की है। इस योजना के अधीन नीति में 'उद्योग रहित जिलों' और अन्य पिछड़े क्षेत्रों में पूंजी को आकर्षित करने के लिए क्रमिकमानों के अनुसार प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है। "उद्योग रहित जिलों" और पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए रियायतें और प्रोत्साहन देने की योजना की मुख्य बातें ये हैं : ब्याज और हामीदारी कमीशन की दरों में रियायत, प्रवर्तक का कम अंशदान, लचीला ऋण इक्विटी अनुपात, वचनबद्धता प्रभार में कटौती या माफी, प्रवर्तनीयता खण्ड का न रखा जाना और विशिष्ट आधारभूत विकास की परियोजनाओं के लिए ब्याज मुक्त ऋण/ तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार, मार्च, 1983 तक वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम, जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय साधारण निगम, राज्य वित्त निगम और राज्य औद्योगिक विकास निगम ने उड़ीसा के निर्दिष्ट पिछड़े क्षेत्रों में 180.74 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की थी और 133.77 करोड़ रुपए संवितरित किए थे।

बैंक कर्मियों द्वारा धन का गबन

1844. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलेंडर वर्ष 1983 के दौरान बैंक कर्मियों द्वारा कितनी धनराशि का गबन किया गया ;

(ख) गबन में शामिल बैंक कर्मियों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) गबन के परिणामस्वरूप कितने बैंक कर्मियों को बर्खास्त किया गया अथवा निलम्बित किया गया; और

(घ) धनराशि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों ने वर्ष 1983 के दौरान धोखाधड़ी के 2360 मामलों की सूचना दी जिनमें 29.62 करोड़ रुपए की राशि अन्तर्ग्रस्त थी। धोखाधड़ी में गलतबयानी, विश्वास भंग, लेखा पुस्तकों की हेराफेरी, चैकों, ड्राफ्टों तथा विनिमय बिलों जैसे पत्रों की धोखाधड़ी से भुनाने, बैंकों को भारित प्रतिभूतियों का अनधिकृत रूप से संचालन, अपकरण, गबन-चोरी, रकमों की हेराफेरी, सम्पत्ति के परिवर्तन, ठगी, रकम की कमी, अनियमितताएं आदि आते हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के 256 कर्मचारियों पर इस प्रकार के मामलों में अन्तर्ग्रस्त होने का संदेह है।

(ग) गबन में अन्तर्ग्रस्त होने के परिणामस्वरूप बरखास्त या निलम्बित किए गए बैंक कर्मचारियों की संख्या के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है। अलबत्ता, अभी तक प्राप्त अनंतिम आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 1983 के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने धोखाधड़ी और अन्य भ्रष्ट तरीके इस्तेमाल करने के मामलों में 616 कर्मचारियों को दण्ड देने की सूचना दी है। दण्ड के इन मामलों में पहले के मामले भी हो सकते हैं।

(घ) बैंकों द्वारा धोखाधड़ी आदि के इस प्रकार के मामलों की रिपोर्ट पुलिस/केंद्रीय जांच ब्यूरो में दर्ज कराई जाती है। इनके अतिरिक्त इन मामलों में, ऋणकर्त्ताओं आदि से बैंकों की अन्य देय रकमों की वसूली की भाँति, देय रकमों की वसूली करने के लिए फौजदारी या दीवानी मुकदमे भी किए जाते हैं।

भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध लाभ प्राप्त करने के लिए रण-सेवा की अवधि

1845. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "भूतपूर्व सैनिक" शब्द की परिभाषा क्या है;

(ख) क्या भूतपूर्व सैनिकों को उपलब्ध लाभ/रियायतें प्राप्त करने के लिए सैनिक सेवोन्मुक्ति ले लेते हैं अथवा 15 वर्ष की न्यूनतम सेवा पूरी नहीं करते हैं ताकि वे पेंशन प्राप्त कर लें और नौकरी छोड़ दें;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे लोगों को, अर्थात् जो 15 वर्ष, की न्यूनतम सेवा पूरी नहीं करते हैं, भविष्य में भूतपूर्व सैनिक के लाभ नहीं दिए जाएंगे और केवल उन्हीं सैनिकों को प्राथमिकता दी जाएगी जिन्होंने रण-सेवा की हो; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) "भूतपूर्व सैनिक" पद से तात्पर्य है ऐसा व्यक्ति जिसने कभी किसी भी रैंक में (योधी या अयोधी के रूप में) सघ की सशस्त्र सेनाओं में, जिनमें भूतपूर्व भारतीय रियासतों की सशस्त्र सेनाएं शामिल हैं लेकिन असम राइफल्स, रक्षा सुरक्षा कोर, जनरल रिजर्व इन्जीनियरी फोर्स, लोक सहायक सेना और प्रादेशिक सेना के कुछ श्रेणियों के कार्मिक शामिल नहीं हैं, साक्षांकन के बाद कम-से-कम छः महीनों की लगातार सेवा की हो; और

(1) जो अपने ही अनुरोध पर नहीं बल्कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा मुक्त किया गया हो या दुर्व्यवहार या अयोग्यता के कारण निकाला या बरखास्त किया गया हो या इस तरह के सेवा मुक्त होने तक रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया हो, या

(2) ऊपर कहे अनुसार सेवामुक्त होने या रिजर्व में स्थानांतरित होने का हकदार बनने

के लिए अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी करने के लिए अधिक से अधिक छः महीने की सेवा करनी हो; या

(3) संघ की सशस्त्र सेना में पांच साल की सेवा पूरी होने के बाद अपने ही अनुरोध पर सेवा मुक्त किया गया हो।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

रेल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण

1846. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **वित्त मंत्री** रेल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से ऋण के बारे में 6 अप्रैल, 1984 के तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 6975 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे विद्युतीकरण और वर्कशाप आधुनिकीकरण की परियोजना के लिए सहायता के बारे में विश्व बैंक से हुई बातचीत के निष्कर्ष/परिणाम क्या हैं?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : 25 मई, 1984 को विश्व बैंक के साथ रेल विद्युतीकरण और कार्यशाला आधुनिकीकरण परियोजना के लिए 28.07 करोड़ डालर के एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस परियोजना में भारतीय रेलों की लगभग 3,000 कि० मी० लम्बी मुख्य लाइनों का विद्युतीकरण करने और 6 चुनी हुई कार्यशालाओं तथा इन्टीग्रल कोच फैक्ट्री, मद्रास का आधुरिकीकरण करने की परिकल्पना की गई है।

हथकरघे के लिए सभी आदानों सम्बन्धी उत्पाद शुल्क ढांचे को युक्तिसंगत बनाना

1848. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार हथकरघों के लिए सभी आदानों सम्बन्धी उत्पाद शुल्क ढांचों को युक्तिसंगत बनाने के बारे में हथकरघा उद्योग की लम्बे अर्से से चली आ रही मांग को स्वीकार करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० कृष्ण) : सूती सूत और सेलूलोसिक कते सूत, जिसमें सेलूलोसिक-भिन्न कोई फाइबर नहीं हो तथा स्ट्रेट रील हैंकों में हो, को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से पूर्णतया छूट दी गई है। यह माल हथकरघों के लिए मुख्य अन्तर्गामी माल है। 1984 के बजट में सूती सूत और सेलूलोसिक कते सूत, जो क्रास रील हैंकों में हो, पर उत्पादन शुल्क में उस स्थिति में पर्याप्त कमी की गई है, यदि इसे हथकरघों के विकास के लिए किसी पंजीकृत हथकरघा सहकारी सोसाइटी ने अथवा सरकार द्वारा स्थापित अथवा अनुमोदित किसी संगठन ने खरीदा हो। हथकरघों के लिए अन्तर्गामी माल पर उत्पादन शुल्क संरचना में परिवर्तन करने के बारे में सरकार के पास इस समय कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए उम्मीदवारों के चयन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व

1849. **श्री टी० नागरत्नम** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सैंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा लंदन में प्रशिक्षण के लिए भेजने हेतु उम्मीदवारों का चयन करने के लिए क्षेत्रवार, सामान्य, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने उम्मीदवारों को बुलाया गया तथा उक्त चयन के लिए क्या योग्यता, मानदण्ड और पद्धति अपनायी गई थी;

(ख) लंदन प्रशिक्षण बैच-1984 के लिए सामान्य, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रवार कितने उम्मीदवारों का चयन किया गया है अथवा उन्हें पहले ही प्रशिक्षण पर भेजा जा चुका है; और

(ग) उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए बैंक द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने "लंदन प्रशिक्षण" के लिए उपयुक्त अधिकारियों का चयन करने के लिए साक्षात्कार के वास्ते बुलाए गए साधारण, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों की क्षेत्रवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। बैंक ने सूचित किया है कि "लंदन प्रशिक्षण" के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए पात्रता मापदण्ड निम्नलिखित थे :—

(i) निर्धारित तारीख को उम्मीदवार 25-35 वर्ष का होना चाहिए।

(ii) निर्धारित तारीख को अधिकारी उम्मीदवारों को अधिकारी के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव; और

(iii) उम्मीदवार स्नातक होना चाहिए। व्यावसायिक अर्हताओं को अतिरिक्त अर्हता के रूप में माना जाना चाहिए।

सभी 70 उम्मीदवारों को, दो भागों में, चयन के लिए केन्द्रीय कार्यालय में वरिष्ठ कार्यपालकों की समिति के सम्मुख साक्षात्कार के लिए बुलाया गया।

(ख) सन् 1984 में "लंदन प्रशिक्षण" के लिए अन्तिम रूप में चुने गए उम्मीदवारों का

क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

क्षेत्र	सामान्य	चुने गए उम्मीदवारों की संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
कलकत्ता	1	—	—
बम्बई	2	—	—
दिल्ली	1	—	—
हैदराबाद	1	—	—
मद्रास	1	—	—

(ग) सैण्ट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को चयन के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सी० ए० आई० बी० परीक्षापास करने के लिए और उनकी कार्य निष्पादन के मूल्यांकन मामले में आपेक्षाओं की भी उचित आवश्यक ढील दी गई है।

विवरण

सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया द्वारा लंदन प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों का चयन करने के वास्ते बुलाए गए सामान्य, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों का क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्षेत्र	समान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
अहमदाबाद	8	—	1
भोपाल	1	—	—
बम्बई	14	—	—
कलकत्ता	5	—	—
चण्डीगढ़	10	3	—
दिल्ली	5	—	—
हैदराबाद	5	—	—
लखनऊ	6	—	—
मद्रास	8	—	—
पटना	1	—	—
पुणे	3	—	—
कुल	66	3	1

आगामी वर्षों में कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन

1850. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आगामी वर्षों के लिए कंट्रोल के कपड़ों के उत्पादन के सम्बन्ध में कोई निर्णय लिया है;

(ख) क्या नेशनल कौंसिल आफ एप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च ने कंट्रोल के कपड़े के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन भेजा है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन में दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस सम्बन्ध में अपनी नीति बदलेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) मार्च, 1981 के वस्त्र नीति विवरण के अनुसार कंट्रोल क्लाथ का वार्षिक उत्पादन 650 मिलियन वर्ग मीटर के स्तर पर निर्धारित किया गया है जिसे राष्ट्रीय वस्त्र निगम और हथकरघा क्षेत्र द्वारा आपस में बांटा जाना था।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार ने कंट्रोल क्लाथ स्कीम को बदलने का अभी कोई विनिश्चय नहीं किया है।

चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए चाय बोर्ड की एकपक्षीय संवर्धन नीति

1851. **श्री एस० ए० दोराई सैबस्तियन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय के निर्यात को बढ़ाने के लिए चाय बोर्ड द्वारा कौन-सी एकपक्षीय संवर्धन नीति तैयार की गई है; और

(ख) मूल्यों, उत्पादन और चाय उत्पादक देशों के परस्पर ब्यौरों के बारे में एक नए अन्तर्राष्ट्रीय करार के लिए क्या प्रयत्न किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) चाय के निर्यात बढ़ाने के लिए चाय बोर्ड एक राष्ट्रीय संवर्धन तथा विदेशों में व्यापक संवर्धन करता है। बोर्ड की एक राष्ट्रीय संवर्धनात्मक नीति में शामिल है : पैकेट वाली चाय तथा चाय की थैलियों के निर्यात बढ़ाने के लिए भारतीय निर्यातकों को संवर्धन सम्बन्धी सहायता, भारतीय चाय के संवर्धन के लिए संयुक्त सहयोग योजनाएं, विदेशों में सीमित प्रचार माध्यम, तथा चाय के आयातकों के भारत में दौरे आदि। इसके अलावा, चाय के निर्यात बढ़ाने के लिए नकद मुआवजा सहायता, शुल्क वापसी, भाडागार सहायता तथा ब्रांड संवर्धन योजनाएं भी चल रही हैं।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय चाय करार की संभाव्यता पर चर्चा करने के लिए अंकठाड के तत्वावधान में हाल ही में तीन प्रमुख चाय उत्पादकों की एक बैठक बुलाई गई। तथापि, इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकले हैं।

लिपटन इण्डिया लिमिटेड द्वारा शेयरों का आबंटन

1852. **श्री सूर्य नारायण सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में लिपटन इण्डिया लिमिटेड को कतिपय शेयरों का आबंटन करने और मैसर्स यूनीलीवर पी० एल० सी० से भारी धनराशि प्राप्त करने की अनुमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) तथा (ख) भारतीय रिजर्व बैंक कलकत्ता ने, 23 मई, 1984 को मैसर्स लिपटन इण्डिया लिमिटेड, कलकत्ता को 10 रुपए प्रति शेयर मूल्य के 48,00,000 सामान्य (इक्विटी) शेयर मैसर्स यूनीलीवर पी० एल० सी० यूनाइटेड किंगडम के नाम नकदी के एवज सममूल्य पर जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी गई है जिनके पास भारतीय कम्पनी के 40 प्रतिशत शेयर हैं। यह अनुपात मैसर्स लिपटन इण्डिया लिमिटेड को पूंजी निर्गम (नियन्त्रण) अधिनियम के अधीन 12 करोड़ रुपए की अनुवर्ती सामान्य शेयर पूंजी जारी करने के लिए 7 सितम्बर, 1983 को दिए गए अनुमोदन के अनुसरण में दी गई हैं, जिसके अन्तर्गत यूनीलीवर पी० एल० सी० यूनाइटेड किंगडम के नाम में जारी किए जाने वाले 4.80 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर भी सम्मिलित हैं।

सेंट्रल बैंक, मधुबनी और पंजाब नेशनल बैंक, बेनीपेट्टी द्वारा पंडौल स्थित एककों को ऋण देना

1853. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वित्त मंत्री** वित्तीय संस्थाओं द्वारा पंडौल में स्थापित किए गए उद्योगों को ऋण के बारे में 30 मार्च, 1984 के अतरांकित प्रश्न संख्या 5727 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंडौल के शेष 15 एककों को कार्य-चालन पूंजी के रूप में ऋण दे दिए गए हैं; और

(ख) सेंट्रल बैंक, मधुबनी और पंजाब नेशनल बैंक, बेनीपेट्टी द्वारा कुल कितनी धनराशि के ऋण दिए गए और क्या अधिकांश ऋण काल्पनिक नामों से दिए गए हैं और उनकी वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने के लिए हंगरी द्वारा तकनीकी और वित्तीय सहायता की पेशकश

1854. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी के एक व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने 20 सूत्री कार्यक्रम के विभिन्न सूत्रों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने और ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो किन विशेष सूत्रों के लिए सहायता की पेशकश की गई है और इस संबंध में करार करने के लिए अब तक क्या विशेष कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए ब्रिटेन द्वारा सहायता देने की पेशकश

1855. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन ने ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए सहायता देने की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्न्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) ब्रिटेन सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता आपसी सहमति द्वारा तय की गई परियोजनाओं के लिए उपलब्ध है, चाहे वे परियोजनाएं शहरी क्षेत्रों में हों या ग्रारीण क्षेत्रों में । ब्रिटेन सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग से किसी प्रकार की विशेष सहायता की पेशकश नहीं की है । यह सहायता ब्रिटेन से वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात तथा आपसी सहमति से तय की गई परियोजनाओं, जिसमें गरीबी दूर करने की परियोजनाएं भी शामिल हैं पर आने वाली स्थानीय लागत की वित्त व्यवस्था के लिए उपलब्ध है।

पौलिग्रेस्टर कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम के प्रस्ताव को रद्द किया जाना

1856. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम के पोलिएस्टर के उत्पादन में चार गुना वृद्धि के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ द्वारा सरकारी क्षेत्र की आलोचना

1857. **प्रो० मधु दण्डवते** :

श्री बापूसाहिब परुलेकर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के हाल ही में हुए 57वें वार्षिक सत्र द्वारा पारित संकल्प की ओर ध्यान दिया है;

(ख) क्या उन्होंने एक संकल्प में यह आलोचना की है कि सरकारी क्षेत्र में वस्तुओं और सेवाओं तथा उत्पादन के लिए सहायक कुछ आवश्यक संघटकों की पूर्ति करने में असक्षम है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल संघ के 57वें वार्षिक सत्र की कार्रवाई से, जो संघ द्वारा प्रकाशित की गई है, ऐसा कोई संकल्प पारित किया गया प्रतीत नहीं होता, जिसमें सरकारी क्षेत्र की यह आलोचना की गई हो कि वह वस्तुओं और सेवाओं तथा उत्पादन के लिए सहायक कुछ आवश्यक संघटकों की पूर्ति करने में असक्षम है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारत में वर्षा को वार्षिक औसत में कमी

1858. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौसम विज्ञान कार्यालय के अनुसार भारत में वर्षा की वार्षिक औसत में कमी आई है;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत के मैदानों में 80 वर्षों (1901 से 1980) की औसत वार्षिक वर्षा तथा 1901-10, 1911-20 आदि दशाब्दियों की औसत वर्षा के अध्ययन से दशाब्दी की औसत वर्षा में कुछ उतार-चढ़ाव दिखाई देता है परन्तु ये 80 वर्षों के औसत की सीमाओं के अन्दर है।

भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित किया जा रहा 50 मिलियन रुपए का टेलीस्कोप

1859. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिक 50 मिलियन रुपए मूल्य का एक विशाल प्रकाशिक (ओपटिकल) टेलीस्कोप का निर्माण कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत जैसे गरीब देश के लिए इस प्रकार के भारी खर्च वाला काम करना वास्तव में आवश्यक है;

(ग) पहले खगोल विज्ञान का कार्य किस तरह चलाया जा रहा था;

(घ) उस परियोजना के लिए कितने कर्मचारियों ने और कितने समय तक कार्य किया है;

(ङ) देश में निर्मित और आयात किए गए पुर्जों का अलग-अलग मूल्य कितना है;

(च) टेलीस्कोप के प्रस्तावित प्रयोग का क्या ब्यौरा है; और

(छ) यदि इस टेलीस्कोप का आयात किया जाता है तो इसका कितना मूल्य होगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) विज्ञान की उन्नति के लिए यह परियोजना आवश्यक है। दूरबीन लेने तथा इसका देश में ही निर्माण करने का निर्णय, वैज्ञानिकों के कई निकायों द्वारा ध्यानपूर्वक विचार किए जाने के बाद ही किया गया था।

(ग) सभी प्रकाशीय प्रेक्षण कार्य छोटे आकार वाले दूरबीनों के जरिए किए जा रहे हैं।

(घ) भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा दूरबीन निर्माण पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

वर्ष	नियुक्त किए गए व्यक्तियों की संख्या
1976-77	2
1977-78	2
1978-79	5
1979-80	8
1980-81	10
1981-82	10
1982-83	12
1983-84	15

(ङ) आयात किए गए पुर्जों की लागत लगभग 1.25 करोड़ रुपए है और देश में निर्मित पुर्जों और संयत्र की लागत लगभग 4.70 करोड़ रुपए है।

(च) यह दूरबीन खगोल विज्ञान में कुछ रहस्यमय समस्याओं के समाधान खोजने में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान की सहायता करने के अलावा अनुसंधान कार्य में अपेक्षित सूक्ष्म प्रेक्षण के लिए अन्य प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिकों के उपयोग लिए भी उपलब्ध होगा।

(छ) इसी प्रकार के आयातित दूरबीन की लागत निश्चित रूप में आँकना कठिन है।

बदाऊं तथा बरेली (उत्तर प्रदेश) में कताई उद्योग की स्थापना

1861. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश बदाऊं तथा बरेली में कताई उद्योग स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) बदाऊं तथा बरेली में कताई मिल स्थापित करने के लिए आशय पत्र जारी करने के लिए जब कोई आवेदन पत्र प्राप्त होगा तब उस पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा।

भारत अथमूवर्स लिमिटेड द्वारा अस्थाई मकानों का निर्माण

1862. **श्री जी० भूपति** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड अस्थाई मकानों का निर्माण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मकान की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस बारे में अन्य ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) से (ग) भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड मुख्यत: मिट्टी हटाने के उपस्कर और रेल के डिब्बों का निर्माण करता है। इसने तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अधिकारियों के लिए दूरवर्ती स्थानों और रेगिस्तानी वातावरण में रहने के मकानों की व्यवस्था के लिए आयोग की विशिष्ट मांग पर आसानी से ले जाए जा सकने वाले इस्पात के ढांचे आदि बनाना शुरू किया है। प्रत्येक ढांचे की लागत वांछित उपस्करों की किस्म पर निर्भर करेगी।

इलाहाबाद बैंक अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण परिषद द्वारा दिया गया मांगपत्र

1863. **श्री अनादिचरण दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद बैंक अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण परिषद (आल इण्डिया एस० सी०/एस० टी० बैंक एम्पलाईज फेडरेशन से सम्बद्ध) में बैंक प्रबंधकों को एक मांगपत्र दिया है जिसमें अन्य बातों के अलावा निम्न मांगें की गई हैं;

(एक) सभी श्रेणियों के पदों में पदोन्नति की पात्रता को निर्धारण करने के लिए निश्चित सेवा अवधि में छूट;

(दो) अंशकालिक रूप में कार्य करने वाले स्थाई सफाई कर्मचारियों और उनके ऊपर के पदों का संवर्ग बदलने के लिए निर्धारित सेवा अवधि में छूट;

(तीन) सरकारी निदेशों के अनुसार पदोन्नतियों और भर्ती में न्यूनतम अर्हता अंकों से नीचे 5 प्रतिशत अंकों की छूट;

(चार) सरकारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 27-7-71-एस्टेबलिशमेंट—(एससीटी) दिनांक 27-11-1972 के अनुसार तैयार किए जाने वाली रिक्तियों की अनुपातिक संख्या सहित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की एक पृथक वरीयता सूची; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) (एक) तथा (दो) बैंकों में सभी श्रेणियों के पदों के संवर्गों की पदोन्नतियों तथा उनमें परिवर्तन से सम्बन्धित नीति बैंक प्रबन्धकों और उनके कर्मचारियों के बीच हुए करारों के अनुसार निर्धारित की जाती है। ये करार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन दोनों पक्षों के लिए बंधनकारी होते हैं। इसलिए बैंक प्रबन्धकों द्वारा पात्रता मानदंड में एकतरफा परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

(तीन) बैंक ने सूचित किया है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों को अधीनस्थ स्टाफ की भर्ती तथा लिपिकीय वर्ग से अधिकारियों (कनिष्ठ प्रबन्धक ग्रेड वेतनमान-I) के वर्ग में पदोन्नतियों के वास्ते लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार दोनों में रियायत दी जाती है।

(चार) बैंक ने सूचना दी है कि चूंकि पदोन्नति के वास्ते बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों की संख्या, पदोन्नति के नियमों के अनुसार, जैसाकि कर्मचारियों के संघ के साथ किए गए करार में प्रतिष्ठापित किया गया होता है निश्चित होती है, इसलिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिए अलग से वरीयता सूचियां रखना सम्भव नहीं है। दिनांक 27 नवम्बर, 1972 के सरकारी अनुदेश, योग्यता के अध्यधीन केवल वरियता के आधार पर की गई पदोन्नतियों के मामलों में से सम्बन्धित हैं। चूंकि लिपिकों से अधिकारियों के संवर्ग में ये पदोन्नतियां चयन के आधार पर की जाती हैं जिस में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार शामिल होता है, इसलिए ये आदेश प्रासंगित नहीं हैं। तथापि, बैंकों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों और साधारण श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग योग्यता-सूचियां तैयार की जाती हैं।

महंगे भारतीय होटल

1864. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 जून, 1984 के "जनसत्ता" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय होटल अपेक्षाकृत महंगे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत में होटलों के टैरिफ की, एशिया के कुछ देशों के समतुल्य स्तरों वाले होटलों के टैरिफ से तुलना करने पर, यह पता चलता है कि भारत में होटलों के टैरिफ अभी भी यथोचित हैं।

भारत में अनिवासी भारतीयों द्वारा किए गये पूंजी निवेश के कारण आर्थिक संकट में कमी

1865. **श्री वित्त महाटा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अ-निवासी भारतीयों द्वारा देश में अब तक किए गए पूंजी निवेश से देश का आर्थिक संकट कम हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : (क) तथा (ख) अनिवासी भारतीयों को भारत में पूंजी निवेश के लिए रियायतें देने की योजना का मुख्य उद्देश्य, अनिवासी भारतीयों को भारत में निवेश की पर्याप्त सुविधाएं देने, देश के भुगतान शेष को समर्थन देने के प्रयोजन से, इसी पद्धति के द्वारा, भारत में पहले से ज्यादा विदेशी मुद्रा के प्रवाह को आकर्षित करने तथा औद्योगीकरण को बढ़ावा देने की व्यवस्था करना है। इन सुविधाओं के परिणामस्वरूप, विदेशी मुद्रा के अन्तर्प्रवाह में, विशेषकर प्रेषणाओं तथा अनिवासी बाह्य खातों और विदेशी मुद्रा के अनिवासी खातों में जमा की गई धनराशियों के रूप में विदेशी मुद्रा के आगमों में सारवान वृद्धि हुई है। औद्योगिक एककों में प्रत्यावर्तन तथा अप्रत्यावर्तन दोनों आधारों पर पूंजी लगाने के बहुत से प्रस्तावों को अनुमोदित भी कर दिया गया है।

बंद कपड़ा मिलें

1866. **श्री बापूसाहिब पुरुलेकर :**

श्री के० मालन्ना :

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंद कपड़ा मिलों की समस्याओं के अध्ययन के लिए एक दल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में इससे पहले भी अनेक कदम उठाए थे; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) देश में बन्द वस्त्र मिलों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए अधिकारियों का एक दल बनाया गया है। इस दल में वस्त्र आयुक्त तथा राज्य सरकार, वित्त संस्थान, बैंक, बैंकिंग एवं क्षेत्रीय वस्त्र अनुसंधान संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। यह दल जांच करेगा कि क्या ये बन्द पड़ी मिलें दुबारा चालू करने योग्य हैं, यदि हैं तो इन मिलों को दुबारा चालू करने के लिये क्या उपाय किये जाने चाहियें।

(ग) तथा (घ) गुजरात में बन्द/रूग्ण मिलों की समस्याओं की जांच करने के लिये बनाए गए अधिकारियों के दल की सिफारिशों के आधार पर गुजरात में कुछ मिलों के लिए पुनरुद्धार संबंधी अनेक व्यवस्थाएं की गई हैं। इन व्यवस्थाओं में राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों से मदद और बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्तीय सहायता का दिया जाना शामिल है।

भारत और ईरान के बीच व्यापार

1867. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भारत और ईरान के बीच व्यापार को पर्याप्त बढ़ावा देने के लिए उस देश के साथ कोई बातचीत हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिए गए तथा भारत से ईरान का व्यापार कितना बढ़ जाने की आशा है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि ईरान-इराक युद्ध का भारत और ईरान के बीच व्यापार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) दोनों पक्ष चालू वर्ष में ईरान को भारत के निर्यातों में न्यूनतम 225 मिलियन अमरीकी डालर की शर्त के अध्ययधीन तिगुनी वृद्धि का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के लिए सहमत हुए।

(ग) सरकार ने व्यापार संविदाओं को प्रोत्साहित किया है और ईरान को हमारे निर्यातों में संवर्धन के लिए कदम उठाए हैं। उनमें 1984 का ईरान अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने हेतु निर्णय, व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा मोटर गाड़ी संबंधी अनुषंगी सामान का बाजार सर्वेक्षण और क्वालिटी तथा विनिर्देशन अपेक्षाओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने हेतु समुचित अनुदेश, शामिल हैं। सरकार, निकट भविष्य में एफ० आई० ई० ओ० और ए० आई० ई० आई० द्वारा ईरान के दौरों संबंधी प्रस्तावों पर भी विचार कर रही है।

1868

एल्यूमीनियम पर उत्पाद शुल्क की अलग-अलग दरें

868. **श्री डूंगर सिंह** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ई० सी० ग्रेड के स्वदेशी एल्यूमीनियम (लेवी) पर उत्पाद शुल्क, दिनांक 9 मई, 1984 की अधिसूचना संख्या 107/84 के अन्तर्गत लगता है न कि 108/84 के अन्तर्गत;

(ख) क्या उपरोक्त धातु से निर्मित एल्यूमीनियम उत्पादों (बस बार और इलेक्ट्रीकल्स सेक्शन) पर अधिसूचना संख्या 108/84 के अन्तर्गत 28.6% का रिआयती शुल्क नहीं लगाया जाता और उन पर मूल्यानुसार 50% टैरिफ दर और 4000/- प्रति मीट्रिक टन वसूल किया जाता है;

(ग) क्या अधिसूचना संख्या 123/84 के अन्तर्गत ई० सी० ग्रेड के आयातित एल्यूमीनियम धातु से बनाए जाने वाले इसी प्रकार के उत्पादों पर अधिसूचना संख्या 108/84 के अन्तर्गत रिआयती दर लागू होती है;

(घ) यदि हां, तो इस प्रकार की भिन्नता के क्या कारण हैं जबकि तैयार उत्पाद एक जैसे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार वल्यूमीनियम उत्पादों के मूल्य को बनाये रखने के लिए उत्पाद के स्रोत को ध्यान में रखे बिना उस पर समान दर पर शुल्क लगाने का है; और

(च) इस असंगति को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ङ) दिनांक 9-5-1984 की अधिसूचना सं० 107/84-के० उ० शु० के द्वारा भारतीय मानक संस्थान के विनिर्देशनों आई० एस० 4026-1978 और आई० एस० 5484-1978 को पूरा करने वाली एल्यूमीनियम की ऐसी सिल्लियों, बिलेटों, तार-छड़ों और तार-शलाकाओं पर मूल उत्पादन शुल्क की प्रभावी दरों का निर्धारण किया गया है जिनका उत्पादन एल्यूमीनियम के किसी मुख्य उत्पादनकर्ता द्वारा गर्म एल्यूमीनियम धातु से किया जाता है तथा जिनके विषय में सरकार यह अपेक्षा करती है कि उन्हें एल्यूमीनियम (नियंत्रण) आदेश 1970 में निहित उपबन्धों की शर्तों के अनुसार बेचा अथवा सप्लाई किया जाए। दिनांक 9-5-1984 की अधिसूचना सं० 108/84-के० उ० शु० के द्वारा सभी प्रकार के ऐसे एल्यूमीनियम और उसके उत्पादों पर मूल उत्पादन शुल्क की प्रभावी दरें निर्धारित की गई हैं, किन्तु ऐसे माल के बारे में ये दरें निर्धारित नहीं की गई हैं जिस पर दिनांक 9-5-1984 की अधिसूचना सं० 107/84-के० उ० शु० लागू होती है। दिनांक 9-5-1984 की अधिसूचना सं० 123/84-सीमा शुल्क के द्वारा सभी प्रकार के एल्यूमीनियम और उसके उत्पादों पर अतिरिक्त सीमा शुल्क की प्रभावी दरें निर्धारित की गई हैं क्योंकि ये दरें स्वदेशी माल पर उद्ग्रहणीय उत्पादन शुल्क की दरों के बराबर हैं। आयातित धातु से निर्मित एल्यूमीनियम उत्पादों पर उद्ग्रहणीय उत्पादन शुल्क की दरें, स्वदेशी धातु से निर्मित उत्पादों पर लागू दरों के समान हैं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

तस्करी को रोकने के लिए सीमा शुल्क अधिकारियों के पास उपलब्ध तेज गति वाली नौकाएं

1869. **श्री त्रिलोक चन्द :**

श्री जगपाल सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तस्करी को रोकने के लिए विभिन्न बन्दरगाहों पर सीमा शुल्क अधिकारियों के पास तेज गति की कितनी नौकाएं (बन्दरगाह-वार) उपलब्ध हैं और उनमें से वस्तुतः कितनी नौकाएं कार्य कर रही हैं;

(ख) शेष नौकाओं के कार्य न करने के क्या कारण हैं और ये नौकाएं कितनी अवधि से बेकार पड़ी हैं;

(ग) तेज गति की कितनी नौकाओं का आयात किया गया और उनमें से कितनी नौकाएं वस्तुतः समुद्र में चलने योग्य हैं;

(घ) क्या सरकार तेज गति वाली नौकाओं की वर्तमान संख्या को आवश्यकता पूरा करने के लिए पर्याप्त समझती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो तस्करी की गतिविधियों को कारगर ढंग से रोकने के लिए तेज गति की नौकाओं के मौजूदा बेड़े में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) नार्वे, न्यूजीलैंड तथा दक्षिण कोरिया से आयातित तेज गति वाली 26 नौकाएं तस्करी-निवारण कार्यवाही के लिए सीमा शुल्क विभाग के पास उपलब्ध हैं। इस समय इन नौकाओं में से 17 नौकाएं कार्य कर रही हैं। शेष 9 नौकाएं आयातत पुर्जों के अभाव के कारण अलग-अलग अवधियों से कार्य नहीं कर रही हैं।

(घ) और (ङ) सीमा शुल्क विभाग के पास आयातित तेज गति वाली 26 नौकाओं के अलावा, सीमा शुल्क विभाग द्वारा जब्त किए गए 77 क्राफ्ट भी हैं और इन्हें विभागीय इस्तेमाल के लिए अपना लिया गया है। इन नौकाओं को पश्चिमी और पूर्वी समुद्री तटों पर तस्करी-निवारण कार्यवाही के लिए भी लगया गया है।

देश के व्यापक समुद्री तट को तस्करी-निवारण कार्यवाही के अन्तर्गत लाने के मामले को और तस्करी के लिए हमारे तटों की आशंका को देखते हुए, सीमा शुल्क के पास विद्यमान नौकाएं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं पाई गई हैं। सीमा शुल्क विभाग के इस्तेमाल के लिए उपयुक्त समझी जाने वाली स्वदेशी नौकाओं की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। दस स्वदेशी की सीमा शुल्क गश्ती नौकाएं मंगवाने के लिए पहले से ही आर्डर दिया जा चुका है। उपयुक्त स्वदेशी नौकाओं की संख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ सीमा शुल्क कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करने संबंधी एक चरणबद्ध कार्यक्रम को समाहर्तालयों के साथ परामर्श करके निवारक संकार्य निदेशालय द्वारा अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

उच्च घनत्व के पोलीथीन टेप्स पर उत्पाद-शुल्क

1870. **श्री भीकू राम जैन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको यह जानकारी है कि उत्पाद-शुल्क मद-18 के अन्तर्गत आने वाले उच्च घनत्व के पोलीथीन टेप्स, जिन्हें प्रमुखतः (एच० डी० पी० ई०) "वोवन फैबरिक्स एण्ड सेक्स" के लिए उपयोग में लाया जाता है, पूरी तरह से उत्पाद शुल्क से मुक्त हैं बशर्ते कि उनका उपयोग उत्पादन करने वाले कारखाने में ही किया जाता है, और इस प्रकार सभी प्रक्रियाएं एच० डी० पी० ई० टेप्स का निर्माण करने वाले कारखाने में सीमित हैं;

(ख) क्या एच० डी० पी० ई० वोवन फैबरिक्स एण्ड सैक्स का निर्माण करने के लिए

लघु/कुटीर एककों के संवर्धन को प्रोत्साहित करने तथा उत्पाद शुल्क प्रयोजनों के लिए एकरूप वर्गीकरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार एच० डी० पी० ई० टेप्स एण्ड सैक्स को वर्गीकरण मद-15(क) (2) के अन्तर्गत करने का है जिसके अन्तर्गत इन पर उत्पाद-शुल्क से बिना शर्त पूर्णतः छूट है, जैसा कि कस्टम एक्साइज गोल्ड एप्पीलेट ट्रिब्यूनल के दिनांक 30 दिसम्बर, 1982 के आदेश संख्या 18-डी/82 तथा दिनांक 11 जुलाई, के 1983 के आदेश संख्या 194/83-सी में कहा गया है और यदि हां, तो उस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) सीमा शुल्क, उत्पादन शुल्क और स्वर्ण नियंत्रण अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश संख्या 18-डी/82 दिनांक 30 दिसम्बर, 1 82 और संख्या 194/83-सी० दिनांक 11 जुलाई, 1983 को देखते हुए एच० डी० पी० ई० टेपों को 11 मई, 1982 से पूर्व टैरिफ मद 15ए(2) के अन्तर्गत और 11 मई, 1982 से टैरिफ मद 68 के अन्तर्गत पुनर्वर्गीकृत किया गया है। यह पुनर्वर्गीकरण टैरिफ मद15 ए(2) में किए गए परिवर्तनों के कारण किया गया है।

एच० डी० पी० ई० टेपों को दिनांक 11 मई, 1982 की अधिसूचना संख्या 182/82-के० उ० शु० के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्पादन शुल्क से छूट दी गई है, बशर्ते कि उनका उत्पादन शुल्क-प्रदत्त कृत्रिम रेसिन अथवा प्लास्टिक सामग्री अथवाप्लास्टिक-स्क्रेप से किया गया हो। टेपों के उत्पादन-कारखाने में ही उनके इस्तेमाल किए जाने के संबंध में कोई शर्त अधिसूचना संख्या 182/82-के० उ० शु० में निर्धारित नहीं की गई है।

भूतपूर्व सैनिकों के लाभ के लिए उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशें

1871. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं पर विचार करने वाली उच्च स्तरीय समिति ने उनके लाभ के लिए कोई सिफारिशें की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) और (ख) उच्च स्तरीय समिति की नियुक्ति 10 मार्च, 1984 को अधिसूचित कर दी गई थी जिसका कार्यकाल एक वर्ष रखा गया है। समिति ने राज्य सरकारों, सैनिक बोर्डों, भूतपूर्व सैनिक संगठनों और व्यक्तिगत भूतपूर्व सैनिकों को विस्तृत प्रश्नावली जारी की है। इसकी चार उपसमितियों ने विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों का दौरा किया है; भूतपूर्व सैनिकों और उनके संगठनों से मिली हैं और राज्य सरकारों, सैनिक बोर्डों आदि के साथ बातचीत की है। 23 जून, 1984 को हुई उच्च स्तरीय समिति की चौथी बैठक में उप-समितियों द्वारा किए गए राज्यों के दौरों और राज्य सरकारों के प्राधिकारियों, सैनिक बोर्डों, भूतपूर्व सैनिकों के साथ हुई बातचीत की समीक्षा की गई।

उच्च स्तरीय समिति ने यह महसूस किया कि यद्यपि भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन के बारे में 1983 में सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश पूरी तरह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार थे परन्तु जो भूतपूर्व सैनिक 1 जनवरी, 1973 से पहले सेवानिवृत हो गए थे उनको इन आदेशों का कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तदनुसार उच्च स्तरीय समिति ने प्रस्ताव किया कि सरकार तत्काल एक प्रणाली तैयार करे जिससे ऐसे भूतपूर्व सैनिकों को कुछ सहायता मिल सके तथा उनकी पेंशन में वृद्धि करके उन्हें कुछ आर्थिक लाभ मिल सके। समिति ने यह भी महसूस किया कि सर्विस पेंशन के मामले में चौथे वेतन आयोग के सामने जोर-दार पैरवी की जानी चाहिए।

उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष ने यह प्रस्ताव सरकार को भेज दिया है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हानि संबंधी चर्चा के लिए बैठक

1872. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1983 में वित्त मंत्री के साथ हुई बैठक में संगठित श्रमिक बल ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हानि सम्बन्धी चर्चा के लिए बैठक का प्रस्ताव किया था; और

(ख) यदि हां, तो संगठित श्रमिकों के साथ बैठक आयोजित न करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली पर्यटन विकास निगम में नियुक्तियों में अनियमितताएं

1873. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पर्यटन विकास निगम ने 1983 के अन्त तक 150 से भी अधिक व्यक्तियों की नियुक्तियों में इतनी अधिक अनियमितताएं की हैं कि न तो इन पदों को विज्ञापित किया गया और न इसके बारे में रोजगार कार्यालयों को सूचित किया गया और अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को गैर-अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरा गया; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अनियमितताओं को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी, नहीं। दिल्ली पर्यटन विकास निगम ने अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर, 1983 के दौरान

66 व्यक्तियों को नियुक्त किया। इन 66 व्यक्तियों में से, 50 व्यक्तियों का चयन रोजगार कार्यालय तथा समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर रिक्त स्थानों की अधिसूचना करने के उपरांत नियमित आधार पर किया जा चुका है। 16 व्यक्तियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा 90 दिन की अवधि के लिए तदर्थ तथा आपातिक आधार पर नियुक्त किया गया था। रिजर्व कोटे में उम्मीदवारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को यथोचित आरक्षण निम्नलिखित रूप से प्रदान किए गए थे :

अनुसूचित जाति-12

अनुसूचित जन जाति-1

अल्प संख्यक समुदाय-6

भूतपूर्व सैनिक-1

राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बिना अभ्यासों के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण कराया जाना

1874. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में शीत-ऋतु के दौरान अधिकांश सेना अभ्यास गांव-वासियों के निवास स्थानों या जोहड़ों के समीप किए जाते हैं, जो रक्षा नियमों के विरुद्ध है तथा जिसके कारण गांववासियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा उपरोक्त क्षेत्र का सर्वेक्षण काफी समय पहले तब किया गया था, जब वहां ग्रामीण लोग नहीं बसे थे; और

(ग) क्या उक्त समस्या को हल करने के उद्देश्य से उनके मंत्रालय का विचार नये सिरे से सर्वेक्षण कराने का है; यदि हां, तो कब तक ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) राजस्थान में (या अन्यत्र) सैनिक अभ्यास के दौरान सेना गांवों और खड़ी फसलों को बचाने का यथासंभव ध्यान रखती है।

(ख) और (ग) सेना हर वर्ष प्रशिक्षण के क्षेत्र का एक सामान्य क्रम के रूप में सर्वेक्षण करती है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम में आरक्षण नीति का कार्यान्वयन

1875. **श्री एम० अरुणाचलम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की आरक्षण सम्बन्धी नीति राष्ट्रीय कपड़ा निगम में लागू नहीं की गई है; और

(ख) तमिलनाडु में शेनकोट्टाह स्थित बालावरमा टैक्सटाइल में कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की संख्या कितनी है और उनका श्रेणीवार ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) राष्ट्रीय वस्त्र निगम में सरकार की आरक्षण नीति लागू है।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार बालावरमा टैक्सटाइल्स शेन कोट्टाह, तमिलनाडु, एन० टी० सी० (टी० एन० एंड पी०) के अधीन एक वस्त्र एकक से सम्बन्धित ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं :—

श्रेणी	कामगारों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कामगारों की संख्या
"क"	3	—
"ख"	9	1
"ग"	22	3
"घ"	577	51
"घ" एस०	4	4
कुल	615	59

वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में ग्रामीण बैंकों का कार्यकरण

1876. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी ग्रामीण बैंक लीड बैंक के नियन्त्रणाधीन कार्य कर रहे हैं जिसने जिलों में ग्रामीण बैंक प्रायोजित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न प्रकार के ग्राहकों, कुल धनराशि, ऋण देने का उद्देश्य, बैंक के स्थल, प्रबंधकों के व्यवहार आदि के मामले में वाणिज्यिक बैंकों और ग्रामीण बैंकों की कार्य प्रणाली में काफी अंतर है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ग्रामीण बैंकों के लिए, वाणिज्यिक बैंकों से कोई संपर्क रखे बिना, नीति संबंधी निर्णय करने, प्रबंध कार्य, आदि के लिए एक नया अखिल भारतीय तंत्र गठित करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) ग्रामीण बैंक सरकार/नाबार्ड

द्वारा तैयार की गई नीतियों क अनुसार सम्बद्ध निदेशक मंडलों के समूचे पर्यवेक्षण के अधीन और नाबार्ड के नियंत्रण व निरीक्षणधीन कार्य करते हैं ।

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का परिचालन ग्राहकगण, ऋण की राशि, अपने साधनों पर निर्भरता, बैंकिंग सेवाओं के क्षेत्र आदि के संदर्भ में बड़े राष्ट्रीयकृत बैंकों से भिन्न है ।

(ग) यद्यपि समग्र नीतियां सरकार/नाबार्ड द्वारा तैयार की जाती हैं लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और प्रायोजक बैंकों के बीच बराबर सम्पर्क बनाए रखना—कम से कम एक काफी लम्बी अवधि के लिए—क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए वांछनीय और लाभप्रद समझा गया है ।

अमेरिका को झींगा मछली के निर्यात में कमी

1877 **श्री आनन्द सिंह** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1979 से अमेरिका में भारत की झींगा मछली (श्रिम्प) की बिक्री घट गई है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1979 से प्रतिवर्ष अमेरिका को झींगा मछली का कितना निर्यात किया गया; और

(ग) भारत को, इस वस्तु का निर्यात घटने के प्रमुख कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) यू० एस० एफ० डी० ए० द्वारा भारतीय श्रिम्प को काली सूची में रखने की वजह से तथा साथ ही साथ श्रिम्प के उत्पादन में स्थिरता आने के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका को हुए श्रिम्प के निर्यातों में 1979 में गतिरोध आया है । 1979 तथा उसके बाद के निर्यात आँकड़े नीचे दिए गए हैं :

वर्ष	मात्रा (मे० टन)	मूल्य (लाख रु०)
1979	13,118	3,578
1980	6,615	1,748
1981	8,751	2,789
1982	11,257	3,997
1983	12,471	4,505

इमारती लकड़ी का उदारता से आयात

1878. **श्री जी० एम० बनातवाला :**

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वनों के संरक्षण संबंधी राष्ट्रीय नीति के अनुसरण में, अन्य देशों से इमारती लकड़ी के आयात को कम अथवा बिना आयात शुल्क माँगे बढ़ावा देने का है;

(क) क्या केरल सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई सुझाव दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) चालू नीति के अन्तर्गत, वास्तविक प्रयोक्ताओं (औद्योगिक) द्वारा खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत, निर्धारित शर्तों के अध्यधीन इमारती लकड़ी के आयात की अनुमति है। कागज तथा गत्ता बनाने के लिए लुग्दी तैयार करने हेतु अधिसूचना सं० 353 कस्ट. दिनांक 1-3-1984 के अधीन लकड़ी के चिप्स को सीमाशुल्क से छूट दी गई है। केरल सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें शुल्क की निम्न अथवा नगण्य दर पर लकड़ी का आयात करने के अनुरोध पर वित्त मन्त्रालय में विचार किया जा रहा है।

100 रुपए के जाली नोटों का प्रचलन

1879. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :**

श्री राम लाल राही :

श्रीमती किशोरी सिन्हा : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की संभावना है कि कुछ बाहरी देश 100 रुपए के जाली भारतीय नोट छाप रहे हैं और उन्हें भारत में प्रचालन के लिए भेज रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) दो व्यक्तियों अर्थात् पंजाब से फगवाड़ा के श्री नानक सिंह और दिल्ली के श्री कृष्ण कुमार के विरुद्ध, जिन्हें देश में 100 रुपए के जाली नोट प्रचालित करने के सम्बन्ध में गिरफ्तार किया गया था, जांच के दौरान यह प्रकट हुआ कि जाली करेंसी नोटों के मुद्रण में कतिपय थाई राष्टिकों का हाथ है। इस सम्बन्ध में श्री उमेश कुमार का नाम भी प्रकट हुआ है जो कृष्णा रेस्टोरेन्ट, 374-चक्रपात रोड़, पहुरत,

बैंकाक का निवासी है। इंटरपोल और बैंकाक पुलिस की सहायता से जांच की गई है। बैंकाक से अन्तिम परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

इंडियन एयरलाइन्स की बम्बई के लिए उड़ानों के प्रस्थान में विलम्ब

1880. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को 1 जून को दिल्ली से बम्बई के लिए उड़ान आई० सी० 181 और 29 मई को बंगलौर से बम्बई के लिए उड़ान आई० सी० 108 तथा कुछ अन्य उड़ानों के प्रस्थान में असाधारण विलम्ब होने की जानकारी है; और

(ख) इस प्रकार के कुप्रबंध के क्या कारण हैं और यात्रियों की परेशानी दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। इंडियन एयरलाइन्स की उड़ान संख्या आई० सी० 184 दिल्ली-बम्बई का प्रचालन कलकत्ता से आने वाले आई० सी० 402 के कर्मीदल द्वारा किया जाता है। एक एयरबस विमान के भूमि पर खड़े रखने के कारण दिनांक 1-6-1984 को कलकत्ता से आई० सी०-402 का प्रस्थान 5 घंटे तथा 25 मिनट देरी से हुआ, इसीलए, इसके फलस्वरूप दिल्ली से उड़ान आई०सी० 184 भी देर से प्रचालित हुई।

दिनांक 29-5-84 को इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ान संख्या आई० सी० 108 में देरी उसी विमान से प्रचालित बम्बई-मद्रास-हैदराबाद-दिल्ली-श्रीनगर-दिल्ली-हैदराबाद-बंगलौर क्षेत्रकों पर पहली उड़ानों में उत्तरोत्तर देरी के कारण हुई।

(ख) वाणिज्यिक और इन्जीनियरी जैसे जो कारण एयरलाइन्स के नियंत्रण में होते हैं उनके कारण उड़ानों में होने वाली देरी पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है तथा उन्हें कम से कम होने देने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। परन्तु अनिश्चित मौसम के कारण हुई देरियां और उनके फलस्वरूप हुई देरियां एयरलाइंस के नियन्त्रण से बाहर होती हैं। तथापि यदि उड़ान में देरी हो ही जाती है यो इसके लिए प्रयत्न किए जाते हैं कि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

यात्रियों की तलाशी के लिए हवाई अड्डों पर लगे हुए मैटल डिटैक्टर

1881. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आतंकवादियों की गतिविधियों को देखते हुए देश के सभी हवाई अड्डों के अधिकारियों को सतर्क रहने के अनुदेश जारी किए थे;

(ख) क्या यात्रियों की तलाशी के लिए सभी हवाई अड्डों पर मैटल डिटैक्टर लगाए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो हाल ही में भारतीय विमान के अपहर्णकर्ता श्रीनगर हवाई अड्डे पर विमान में शस्त्रों सहित कैसे प्रवेश पा सके, इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। इस प्रकार के अनुदेश जारी किए गए हैं तथा समय-समय पर उन पर फिर से जोर दिया गया है।

(ख) देश के उन सभी 74 विमान-क्षेत्री पर हस्ताधारित धातु खोजी यन्त्रों की व्यवस्था की गई जिनसे होकर इण्डियन एयरलाइन्स तथा वायुदूत प्रचालन करती हैं। इनमें से 56 विमान-क्षेत्रों पर डोर फ्रेम धातु खोजी यंत्र भी लगाए गए हैं।

(ग) रणबीर दंड संहिता तथा अपहरण विरोधी अधिनियम, 1952 के अधीन अपहरणकर्त्ताओं के विरुद्ध एक आपराधिक मामला जम्मू और कश्मीर राज्य के बड़गांव पुलिस स्टेशन पर दर्ज किया गया है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो इसकी जांच कर रहा है। इस जांच के पूरा होने के बाद ही अपेक्षित ब्यौरे मालूम होंगे।

बारां, जिला कोटा, राजस्थान में जीवन बीमा निगम की शाखा का खोला जाना

1882. **श्री चतुर्भुज** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने भीनमाल, राजस्थान में एक शाखा कार्यालय के लिए मंजूरी दी थी और क्या यह कार्यालय खोल दिया गया है तथा यदि हां, तो इस कस्बे की जनसंख्या और वहां पर जीवन बीमा निगम के कारोबार का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बारां, जिला कोटा, राजस्थान की जनसंख्या जीवन बीमा निगम द्वारा इस कस्बे से प्राप्त होने वाली प्रीमियम की राशि उपरोक्त कस्बे से कम है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या जीवन बीमा निगम का बारां में एक शाखा कार्यालय खोलने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक इस और इस तम्बन्ध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जीवन बीमा निगम का इस समय केवल जालोर में ही एक शाखा कार्यालय है जो राजस्थान में पूरे जालोर जिले के लिए है। 1984-85 के दौरान निगम इस जिले में एक और शाखा कार्यालय खोलेगा जो भीनमाल में होगा जिसकी आबादी 24,000 से अधिक है। नए शाखा कार्यालय को सौंपे गए क्षेत्र के अन्तर्गत जालोर

जिले की भीनमाल और संचोर तहसील शामिल हैं जिनसे बीमित राशि के नए कारबार से प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हो रही है ।

(ख) से (घ) जालोर जिले के विपरीत कोटा जिले का कारबार बहुत सी शाखाओं द्वारा चलाया जा रहा है जिनके नाम इस प्रकार हैं : कोटा-I, कोटा-II, वृत्तिका एजेंट्स ब्रांच तथा झालवाड़ स्थित शाखा जो कोटा जिले की कुछ तहसीलों के कार्य की भी देख-रेख करती है, कोटा-I शाखा कार्यालय के अन्तर्गत बरान कस्बा शामिल है जिसकी आबादी लगभग 42,000 है । (बरान कस्बे से प्राप्त कारबार के सम्बन्ध में अलग से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं)

1985-86 के लिए शाखा विस्तार कार्यक्रम तैयार करते समय जीवन बीमा निगम बरान में एक शाखा कार्यालय की स्थापना करने के मामले पर विचार करेगा ।

जाली करेंसी नोटों की छपाई

1883. **श्री राम लाल राही** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चल रहे जाली करेंसी नोटों की छपाई में बैंक अधिकारियों का भी हाथ है; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

1984-85 में अमरीका से विकास सहायता

1884. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका 1984-85 में भारत को 192 मिलियन डालर की विकास सहायता देने को सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो अमरीका द्वारा दी जाने वाली यह सहायता किन परियोजनाओं पर व्यय की जाएगी और इस सहायता की शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या भारत 1984-85 में अमरीका से सहायता प्राप्त करने वाले देशों में से एक है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) मौजूदा संकेतों के अनुसार राजकोषीय वर्ष 1985 (अक्टूबर 84 से सितम्बर 85 तक) के लिए अमेरिकी बजट प्रस्तावों में भारत को 192

मिलियन डालर की सहायता देने की परिकल्पना की गई है, जिसमें विकास सहायता, पी०एल०-480 शीर्ष-II सहायता और विश्व खाद्य कार्यक्रम सहायता शामिल है। आशा है इस राशि में 87 मिलियन डालर विकास सहायता के रूप में होंगे।

विकास सहायता में ऋण और अनुदान दोनों शामिल होते हैं। ऋणों की वापसी अदाएगी 10 वर्ष की रियायती अवधि सहित 40 वर्ष में अमरीकी डालरों में करनी होती है और इन पर पहले 10 वर्षों के लिए 2 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से और उसके बाद 3 प्रतिशत वार्षिक के हिसाब से ब्याज देना पड़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिकी राजकोषीय वर्ष 1985 के दौरान विकास सहायता से, सम्भावित रूप से, वित्तपोषित की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1. कृषि अनुसंधान।
2. राजस्थान मध्यम सिंचाई।
3. सिंचाई प्रबन्ध और प्रशिक्षण।
4. पहाड़ी क्षेत्रों में भूमि और जल विकास।
5. महाराष्ट्र लघु सिंचाई।
6. परिवार नियोजन संचार और विपणन।
7. एकीकृत बाल विकास सेवाएं।

वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों के लिए "एन० सी० सी०" के प्रतिशत में वृद्धि

1885. **श्री धर्मदास शास्त्री :**

श्री के० लकप्पा : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कनिष्ठ और वरिष्ठ दोनों डिवीजनों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों के लिए एन० सी० सी० केडेटस का प्रतिशत बढ़ाने का कोई प्रस्ताव तैयार किया है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने कैडेटों की संख्या में वृद्धि एन० सी० सी० के अधिकारियों और कैडेटों के लिए देय मासिक भत्ते की दरों में वृद्धि करने जैसे इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उक्त प्रस्ताव के कार्यान्वयन को किस तरीख से लागू किया गया ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) से (ग) 1982-83 तक वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने के लिए प्रत्येक वर्ष जूनियर डिवीजन कैडेटों के 14 प्रतिशत और

सीनियर डिवीजन के 25 प्रतिशत एन० सी० सी० कैडेटों को भेजा जाता था। दिसम्बर, 1982 में यह प्रतिशत निम्नलिखित प्रकार से बढ़ा देने का निर्णय लिया गया :—

वर्ष	जूनियर डिवीजन कैडेट	सीनियर डिवीजन कैडेट
1983-84	35 प्रतिशत	45 प्रतिशत
1984-85	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत

2. एन० सी० सी० प्रशिक्षण शिविरों के खर्च को राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों के बीच 50 : 50 के अनुपात पर बांटा जाता है। इसलिए दिसम्बर, 1982 में ही सभी राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया था कि वे 1983-84 और आगे के वर्षों के अपने बजट में इसके लिए अतिरिक्त धन की व्यवस्था करें। उनसे अब तक प्राप्त उत्तर के अनुसार ब्यौरा इस प्रकार है :—

(क) आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान की सरकारों और अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों और दादरा तथा नागर हवेली प्रशासनों ने प्रस्ताव मंजूर कर लिया है।

(ख) तमिलनाडु सरकार ने 1983-84 के दौरान वार्षिक प्रशिक्षण शिविरों में लगाए जाने वाले कैडेटों की संख्या 35% तक बढ़ाना मंजूर कर लिया है। इनमें और वृद्धि करने के बारे में उनका उत्तर अभी प्राप्त होना है।

(ग) लक्षद्वीप और मिनिकाय द्वीपसमूहों के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने कहा है कि एन० सी० सी० के लिए वे उदारता से धन देंगे यद्यपि उन्होंने दी जाने वाली रकम या बढ़ाई जाने वाली संख्या का उल्लेख नहीं किया है।

(घ) असम, केरल, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, त्रिपुरा की सरकारों और अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है।

(ङ) कई अनुस्मारक देने के बावजूद शेष राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

3. राष्ट्रीय कैडेटों कोर की सीनियर डिवीजन की समग्र संख्या शक्ति में भी 20,000 कैडेटों की वृद्धि के लिए रक्षा मंत्रालय ने अप्रैल, 1983 में स्वीकृति दे दी है। इसके बदले में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त कैडेट दिए गए हैं जो इस सम्बन्ध से होने वाले अतिरिक्त व्यय के एक भाग को वहन करेंगे। उनका उत्तर नीचे बताया गया है :—

(क) असम, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, तमिलनाडु, त्रिपुरा और संघ

राज्य क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और पांडिचेरी ने उन्हें दी गई कैडेटों की अतिरिक्त संख्या के लिए अपनी स्वीकृति दे दी है ।

(ख) हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, पंजाब, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह चण्डीगढ़, दिल्ली तथा लक्षद्वीप और मिनीकीय द्वीप समूहों ने उन्हें दी गई अतिरिक्त कैडेट संख्या के लिए अपनी स्वीकृति नहीं दी है।

(ग) अनुस्मारक देने के बावजूद शेष राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं । राष्ट्रीय कैडेट कोर के अंशकालिक अफसर राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले मासिक मानदेय के हकदार हैं। नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार मासिक मानदेय की दरों में वृद्धि करने का एक प्रस्ताव राज्य सरकारों को उनकी सहमति के लिए अगस्त, 1982 में भेजा गया था :—

रैंक	जुलाई, 1976 में राज्य सरकारों को बताई गई दरें और उनसे उत्तर देर से प्राप्त होने के कारण इन दरों को 1 जुलाई, 1 82 से लागू किया गया	अगस्त, 1982 में राज्य सरकारों को बताई गई संशोधित प्रस्तावित दरें
(क) **सीनियर डिवीजन अफसर**		
(1) मेजर	100 रु० प्रतिमाह	350 रु० प्रतिमाह
(2) कैप्टन	90 रु० प्रतिमाह	300 रु० प्रतिमाह
(3) लेफ्टिनेंट	80 रु० प्रतिमाह	275 रु० प्रतिमाह
(4) सेकिण्ड लेफ्टिनेंट	75 रु० प्रतिमाह	250 रु० प्रतिमाह
(ख) **जूनियर डिवीजन अफसर**		
(1) प्रधान अफसर	75 रु० प्रतिमाह	250 रु० प्रतिमाह
(2) प्रथम अफसर	65 रु० प्रतिमाह	230 रु० प्रतिमाह
(3) द्वितीय अफसर	55 रु० प्रतिमाह	215 रु० प्रतिमाह
(4) तृतीय अफसर	50 रु० प्रतिमाह	200 रु० प्रतिमाह

5. उपर्युक्त प्रस्ताव को स्वीकार करने के सम्बन्ध में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का उत्तर इस प्रकार है : —

(क) जम्मू और कश्मीर, गुजरात, नागालैंड, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, दादरा नागर हवेली, गोवा, दमन और दीव, मिजोरम और पांडिचेरी संशोधित दरों पर मानदेय भत्ते के भुगतान के लिए सहमत हो गए हैं ।

(ख) आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम सरकारों ने मानदेय की दरों में वृद्धि करने पर सहमति व्यक्त कर दी है लेकिन इन्होंने रक्षा मंत्रालय द्वारा बताई गई दरों से कम दरें मंजूर की हैं ।

(ग) केरल, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु की सरकारों ने मानदेय की दरों में वृद्धि को मंजूर नहीं किया है ।

(घ) अनेक बार अनुस्मारक भेजे जाने के बावजूद शेष राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अन्तिम उत्तर अभी प्राप्त नहीं हुए हैं ।

6. वर्तमान नीति के अनुसार मानदेय आदि की दरें संशोधित करने के बारे में औपचारिक आदेश तभी जारी किए जा सकते हैं जब कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस प्रकार के संशोधन के लिए अपनी स्वीकृति दे दी हो ।

7. नवम्बर, 1981 में राज्य सरकारों को यह सुझाव भेजा गया था कि एन० सी० सी० के अंशकालिक अफसरों के रूप में योग्यता प्राप्त अफसर विधिवत् रूप से नियुक्त होने तक जो व्यक्ति उनका काम देखते हैं उन्हें सीनियर डिवीजन के मामले में 50 रु० प्रतिमाह और जूनियर डिवीजन के मामले में 40 रु० प्रतिमाह की दर से केयरटेकर भत्ता दिया जाए । अधिकांश राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने अब इस प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है और उपर्युक्त दरों पर केयरटेकर भत्ता देने के बारे में 30 जुलाई, 1984 को आदेश जारी कर दिए गए हैं ।

8. एन० सी० सी० अफसरों/कैडेटों को देय मासिक भत्ते के बारे में इस समय कोई भी अन्य मामला राज्य सरकारों को नहीं भेजा गया है ।

विमानपत्तन पर तैनात सीमा शुल्क सहायक समाहर्ता तथा उप-समाहर्ता

1886. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय दिल्ली में कार्यरत सीमा शुल्क सहायक समाहर्ताओं तथा उपसमाहर्ताओं की कुल संख्या क्या है तथा समाहर्तालय में उनकी भी संख्या क्या है, जो विमान पत्तन, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रभागों आदि, में तैनात हैं; और

(ख) इनमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के समुदायों के कर्मचारियों की पृथक-पृथक संख्या क्या है तथा उनकी प्रतिशतता क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण पत्र में दी गई है ।

(ख) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय के मुख्यालय में केवल एक ही ऐसा सहायक समाहर्ता कार्य कर रहा है जो अनुसूचित जनजाति समुदाय का है । किसी स्थान/विशेष स्टेशन पर तैनाती के मामले में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों से सम्बन्धित अधिकारियों के लिए कोई कारण नहीं है ।

विवरण

सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, दिल्ली में कार्य कर रहे सहायक समाहर्ताओं तथा उप-समाहर्ताओं की कुल संख्या और उनकी तैनातियां

प्रभार	सहायक समाहर्ता	उप-समाहर्ता
सीमा शुल्क गृह, दिल्ली		
1. एयरपोर्ट (जिसमें एक्सपोर्टस भी शामिल हैं ।)	7	1
2. सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन	3	1
3. विदेशी डाकघर	1	—
4. मुख्यालय	5	1
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्तालय, दिल्ली		
1. मुख्यालय	5	3
2. दिल्ली संघ क्षेत्र के डिवीजन में तैनात	4	—
3. हरियाणा में तैनात	5	1
कुल जोड़	30	7

पूर्वी क्षेत्र में व्यापार उद्योग और निर्यातकों/आयातकों के सामने समस्याएं

1887. **श्री सन्तोष मोहन देव :**

श्री चिन्तामणि जैना : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के पूर्वी क्षेत्र में व्यापार और उद्योग तथा निर्यातकों और आयातकों के सामने आने वाली समस्याओं की जानकारी है;

(ख) क्या औद्योगिक आधार और निर्यात में विशेष वृद्धि दिखाई नहीं दी है;

(ग) क्या पूर्वी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय निर्यात सलाहकार समिति ने इस वर्ष जुलाई के मध्य में हुई अपनी बैठक में कोई उचित हल नहीं सुझाए थे तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त बैठक में भाग लेने वाले राज्यों के प्रतिधियों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सरकार ने आयातों तथा निर्यातों सम्बन्धी मामलों में विभिन्न मंचों पर व्यापार तथा उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ परस्पर कार्यवाही की है। इस सम्बन्ध में प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था क्षेत्रीय निर्यात आयात सलाहकार समितियों का होना है। पूर्वी क्षेत्र की सलाहकार समिति की बैठक 14 जुलाई, 1984 को कलकत्ता में हुई। इस बैठक की कार्य-सूची में आयात तथा निर्यात नीति एवं क्रियाविधि के उपबंधों से सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर बहुत से सुझाव शामिल किए गए थे। बैठक के कार्यवृत्त की प्रतीक्षा की जा रही है। सरकार की यह इच्छा है कि देश के सभी क्षेत्रों से, जिसमें पूर्वी क्षेत्र भी शामिल हैं, औद्योगिक उत्पादन तथा निर्यात बढ़ाए जाएं।

(घ) पश्चिम बंगाल राज्य का प्रतिनिधित्व उद्योग निदेशक द्वारा किया गया।

तम्बाकू उत्पादक क्षेत्र में नीलामी प्रणाली के ब्यौरे की जांच करने के लिए नियुक्त कार्य दल

1888. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि सभी तम्बाकू उत्पादक क्षेत्रों में नीलामी प्रणाली से सम्बद्ध ब्यौरे की जांच करने और तम्बाकू बोर्ड को मजबूत बनाने हेतु उपाय सुझाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई कार्यदल नियुक्त किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी सिफारिशों के बारे में क्या ब्यौरा है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) तम्बाकू उपजकर्ताओं की समस्याओं का गहराई के साथ अध्ययन करने के लिए तथा एक व्यापक नीति की सिफारिश करने के लिए स्थापित किए गए कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। उसने अन्य बातों के साथ-साथ तम्बाकू उगाने वाले सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए नीलामी प्रणाली आरम्भ करने तथा सम्पूर्ण आंध्र प्रदेश के लिए नीलामी प्रणाली की व्यवस्था करने सम्बन्धी कार्यक्रम को हाथ में लेने की सिफारिश की है ताकि उसे उस राज्य में 1985 मौसम में आरम्भ किया जा सके। कार्यदल ने इस प्रयोजनार्थ तम्बाकू बोर्ड को सुदृढ़ बनाने की सिफारिश की है कि

एक ऐसा अभिकरण होना चाहिए जो हस्तक्षेप करके बिना बिके देशी माल को न्यूनतम समर्थन कीमत अर नीलामियों में बेच सके।

इस समय, कर्नाटक में 1984 मौसम (सितम्बर, 1984) के दौरान नीलामियां शुरू करने का विनिश्चय किया गया है। जो अनुभव हुआ है उसे देखते हुए, आंध्र प्रदेश में नीलामी प्रणाली आरम्भ करने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

तम्बाकू बोर्ड इन नीलामिलों में स्थायी अभिकरण के रूप में कार्य करेगा और बिना बिका तम्बाकू खरीदेगा। इसके लिए तम्बाकू बोर्ड को समुचित रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम में संशोधन

1889. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों में पुनर्गठन अथवा पुनर्निर्माण के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) दिनांक 1 जुलाई, 1982 से जब क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर नियन्त्रण रखने का काम भारतीय रिजर्व बैंक से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को अन्तरित किया गया है, तब से प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) में कुछ संशोधन आवश्यक हो गए। अधिनियम में कुछ और संशोधन किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई जैसे कि इन संस्थाओं के परिचालनों और नियन्त्रण में सुधार करने के उद्देश्य स्थापित, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का पुनर्गठन किया जाना। जब किन्हीं ठोस प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा तब उन्हें कानून के प्रारूप के रूप में संसद के सदनों के सम्मुख रखा जाएगा।

उड़ीसा में विभिन्न रियायती वित्त योजनाओं के अन्तर्गत निर्धन लोगों को लाभ

1890. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात के बारे में कोई समीक्षा की है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा के विभिन्न जिलों में विभेदक ब्याज दर लघु कृषक विकास एजेंसी तथा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसी विभिन्न रियायती वित्त योजनाओं के अंतर्गत निर्धन लोगों, विशेषत: सीमान्त तथा छोटे कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण कारीगरों को कितना लाभ प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) अक्टूबर, 1980 से पहले ही लघु किसान विकास एजेंसी (एस० एफ० डी० ए०) योजना समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) में मिला दी गई है। पिछले तीन वर्षों में (सब से हाल के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार) उड़ीसा में आई० आर० डी० पी० और डी० आर० आई० के अन्तर्गत दी गई सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

आई० आर० डी० पी० अवधि के दौरान

(करोड़ रुपए)

	परिवारों की संख्या जिनको सहायता दी जानी है	सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या	आबंटित आर्थिक सहायता	उपयोग की गई आर्थिक सहायता	वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा संवितरित ऋण
1981-82	188400	138367	18.84	14.96	20.75
1982-83	—तथैव—	252453	25.12	22.93	35.33
1983-84	—तथैव—	217073	25.12	22.49	29.48

(आंकड़े अनन्तिम)

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा डी० आर० आई० अन्तर्गत दिए गए अग्रिम

(करोड़ रुपए)

निम्नलिखित के अंत में	खातों की संख्या	बकाया राशि
दिसम्बर, 1980	118968	5.52
दिसम्बर, 1981	139838	7.42
दिसम्बर, 1982	174760	10.21

आई० आर० डी० पी० और डी० आर० आई० के अधीन दी गई सहायता के जिलावार कार्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

पीतल की कतरनों (स्क्रैप) पर आयात शुल्क

1891. **श्री दौलतसिंहजी जदेजा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय पीतल की कतरनों (स्क्रैप) पर अत्यन्त भारी आयात शुल्क है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के वे लघु औद्योगिक एकक, जो कई उत्पादों का निर्माण करते हैं, अत्यन्त महंगी शुद्ध धातु का प्रयोग करने के स्थान पर सस्ती पीतल की कतरनों (स्क्रैप) का प्रयोग कर रहे हैं;

(घ) क्या शुद्ध धातु की तुलना में पीतल की कतरनों पर आयात शुल्क बहुत अधिक है; और

(ङ) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार लघु उद्योगों को बर्बाद होने से बचाने के लिए पीतल की कतरनों पर आयात शुल्क कम करने पर विचार करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) पीतल की स्क्रैप का आयात किए जाने की दशा में मूल सीमा शुल्क की सांविधिक दर मूल्यानुसार 100% है। तथापि, मूल सीमाशुल्क की प्रभावी दर मूल्यानुसार केवल 85% है। इसके अतिरिक्त, 40 प्रतिशत की दर से उपसंगी शुल्क और 3,300 रु० प्रति मी० टन की दर से अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) पीतल की स्क्रैप पर प्रभावी शुल्क मूल्यानुसार केवल 10 प्रतिशत है जो कि शुद्ध तांबा धातु पर लगाए जाने वाले शुल्क से अधिक है। तथापि, पीतल की स्क्रैप तांबे की स्क्रैप से सस्ती है, और शुद्ध तांबा धातु की तुलना में पीतल की स्क्रैप पर शुल्क का वास्तविक भार कम होगा।

(ङ) व्यापारी-वर्ग से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें, पीतल की स्क्रैप सहित अलोह धातु पर आयात शुल्क में कमी करने के लिए अनुरोध किया गया है। प्रशासी मंत्रालय के परामर्श से उस अभ्यावेदन पर विचार किया जा रहा है।

गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स द्वारा ब्याज के भुगतान के लिए मोहलत दिए जाने का अनुरोध

1892. **श्री नीरेन घोष** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स ने ब्याज के भुगतान के लिए पांच वर्ष की मोहलत दिए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) क्या इस फर्म को मुगल लाइन्स के लिए लाभप्रद आधार पर तीन पोतों के निर्माण में भारी घाटा हुआ है;

(ग) क्या कम्पनी के तत्कालीन अध्यक्ष ने तत्कालीन प्रबंध निदेशक के निर्णय को रद्द कर दिया था और यह अलाभप्रद आदेश जी० आर० एस० ई० पर थोप दिया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्कालीन अध्यक्ष के विरुद्ध क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) जी हां। प्रस्ताव के एक भाग को स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) ये प्रश्न नहीं उठते क्योंकि उस समय यही अधिकारी कंपनी का अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक था।

एक रुपए के सिक्के को बदला जाना

1893. **श्री एन० डेनिस** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि एक रुपए का सिक्का अपने भार के कारण लोकप्रिय सिद्ध नहीं हुआ है जितना अपेक्षित था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसे वदलने का है;

(ग) क्या दो रुपए के नोट से जो कि जाहिर तौर पर बड़ी संख्या में जारी किए गए हैं; समस्या हल नहीं हुई है क्योंकि उन्हें छोटे करेंसी में भुनाने में कठिनाई आती है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) 1975 में जारी किया गया एक रुपए का सिक्का जिसका भार 8 ग्राम और व्यास 28 मिलीमीटर है वह अपने आकार और भार के कारण लोकप्रियता प्राप्त नहीं कर सका। इसलिए अप्रैल, 1983 से एक रुपए का नया सिक्का जारी किया गया है जिसका भार 6 ग्राम है और वह गोलाकार है तथा उसका व्यास 26 मिलीमीटर है। एक रुपए का पुराना सिक्का, जिसका भार 8 ग्राम है वैध मुद्रा जारी रहेगा।

(ग) और (घ) दो रुपए के नोट वास्तव में कम मूल्य वर्ग के नोटों की कमी को पूरा करने के लिए अभिप्रेत हैं। तथापि उन्हें छोटे करेंसी नोटों से बदलने के सीमित प्रयोजन के लिए जनता को, एक रुपए के नोटों और एक रुपए के सिक्कों की सामान्य कमी को दृष्टिगत रखते हुए कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। अब एक रुपए के नोटों की कुल पूर्ति में वृद्धि करने के लिए उपाय किए जा चुके हैं।

"स्पर्ट इन बियरर बांड डिमांड" शीर्षक से समाचार

1894. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 10 जुलाई, 1984 के इकानोमिक टाइम्स में 'स्पर्ट इन बियरर

बांड डिमांड' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) विशेष धारक बांडों की मांग अचानक इतनी अधिक बढ़ जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इसका प्रयोग काले धन को सफेद बनाने के लिए किया जा रहा है और इसकी रोकथाम के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) विशेष धारक बांड, 1991 के लिए कितनी राशि देय है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) सरकार द्वारा 2-2-1981 से 30-4-1981 तक और 1-12-1981 से 9-1-1982 तक की अवधि के दौरान 964.48 करोड़ रुपए के धारक बांड बेचे गए थे। यद्यपि धारक बांडों को हस्तान्तरित करने की अनुमति दी गई है, तथापि इन बांडों के माध्यम के काले धन के सफेद धन में अतिरिक्त परिवर्तन की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं है, क्योंकि जारी किए गए बांडों का कुल मूल्य (964.48 करोड़ रुपए) अपरिवर्तित रहता है। विशेष धारक बांड 1991 से संबंधित सौदों और मांग में बताई गई वृद्धि की कोई अधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं है।

ग्रुप बी श्रेणी के छावनी कार्यकारी अधिकारियों के लिए नियमित पदोन्नति

1895. **श्री हरिश रावत** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित कानूनी प्रक्रिया के बाद सैनिक भूमि और छावनी (छावनी कार्यकारी अधिकारी ग्रुप बी) निगम, 1983 द्वारा सैनिक भूमि और छावनी सेवा नियम, 1951 का निरसन किया गया था और उसमें यह व्यवस्था की गई है कि डी० एल० एण्ड सी० सेवा और छावनी बोर्डों के पास कर्मचारियों में से सामान्य प्रतियोगी परीक्षा लेने के बाद छावनी कार्यकारी अधिकारी (ग्रुप (बी) के शतप्रतिशत खाली पदों को नियमित आधार पर भरा जाएगा;

(ख) क्या सरकार ने तदर्थ आधार पर पदोन्नत किए गए छावनी कार्यकारी ग्रुप "बी" अधिकारियों को नियमित पदोन्नति के लिए आयोग्य घोषित कर दिया था और उक्त भर्ती नियमावली 1983 के अन्तर्गत उनको सामान्य प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए कहा था;

(ग) क्या सरकार द्वारा 4 और 5 अगस्त, 1983 को एक सामान्य प्रतियोगी परीक्षा ली गई थी; और

(घ) क्या ऐसे अधिकारी जिन्होंने 1983 की भर्ती नियमावली के अन्तर्गत छावनी कार्यकारी अधिकरी (ग्रुप बी) की पदोन्नति परीक्षा पास की वे अभी अपनी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं और यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की तत्काल नियमित पदोन्नति करने में सरकार के समक्ष क्या बाधाएं हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) जी हां।

(ख) 1983 में नए नियम अधिसूचित होने के साथ पदोन्नति प्राप्त करने के लिए उन सभी अफसरों को सामान्य प्रतियोगी परीक्षा पास करनी थी जिनकी नियमित रूप में पदोन्नद नहीं हुई थी।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां, संबंधित विभागीय पदोन्नतिं समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही हैं।

कर अपवंचन के लिए करदाताओं द्वारा अपनाए गए तरीके

1896. **श्री रशीद मसूद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने करदाताओं द्वारा कर अपवंचन के लिए अपनाए जाने वाले मुख्य तरीकों का पता लगाने की वर्तमान कार्यप्रणाली का कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कर अपवंचन के परिणामस्वरूप राज कोष को औसतन कितना वार्षिक नुकसान होता है; और

(ग) सरकार ने कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) वांचू समिति, चोकसी समिति और हाल ही के आर्थिक प्रशासन सुधार आयोग सहित विभिन्न आयोगों/समितियों ने कर अपवंचन के प्रश्न की और काले धन के व्यापक प्रश्न की जांच की है। सरकार ने काले धन को अध्ययन करने का कार्य राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान को भी सौंपा हुआ है।

(ख) कर अपवंचन के तरीके उतने ही व्यापक हैं जितने कि कर अपवंचकों की चतुरता। किसी खास तरीके से की जाने वाली कर की चोरी का अनुमान लगाकर राशि बताना संभव नहीं है।

(ग) इस संबंध में सतत समीक्षा के बाद समय-समय पर सभी संभव उपाय लिए जाते हैं जिनमें प्रशासनिक, विधायी और नियम संबंधी उपाय शामिल हैं।

भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अहमदाबाद की कताई और बुनाई मिलों को धनराशि दिया जाना

1897. **श्री भीखा भाई** : क्या **वित्त मंत्री** भारतीय स्टेट बैंक द्वारा अहमदाबाद की कताई और बुनाई मिलों को धनराशि दिए जाने के बारे में 6 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6944 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक, बंबई द्वारा अहमदाबाद स्थित स्थानीय कार्यालय से मांगे गए सभी आवश्यक स्पष्टीकरण भेज दिए गए हैं, यदि हां, तो अहमदाबाद की कताई और बुनाई मिलों को धनराशि देने में बिलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या कताई और बुनाई मिलों को धनराशि देने में विलम्ब होने के कारण हजारों कर्मचारी बेकार हुए जा रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे प्रत्येक मामले में धनराशि देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय स्टेट बैंक बम्बई ने सूचित किया है कि उसने अहमदाबाद स्थानीय प्रधान कार्यालय से जो आवश्यक स्पष्टीकरण मांगा था वह प्राप्त हो चुका है। बैंक ने ऋण आवेदनों पर तेजी से कार्रवाई की है और अहमदाबाद में अर्थक्षम कताई और बुनाई मिलों को फिर से खड़ा करने के लिए आवश्यक सहायता मंजूर की है।

(ख) भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया हैं कि ऋण आवेदनों पर कार्रवाई करने और अर्थक्षम एककों को सहायता मंजूर करने में बैंक ने कोई देरी नहीं की थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

देशव्यापी छापों के दौरान पकड़ा गया निषिद्ध माल

1898. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में निषिद्ध माल पकड़ने के लिए पिछले दो महीनों के दौरान अभियान चलाया था;

(ख) यदि हां, तो इस अभियान के दौरान कुल कितना निषिद्ध माल पकड़ा गया;

(ग) पकड़े गये निषिद्ध माल का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस प्रकार के अभियान जारी रखने का फैसला किया है; और

(ङ) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क), (घ) और (ङ) तस्करी जैसी सामाजिक-आर्थिक बुराई के मुकाबले के लिए सरकार के दृढ़ निश्चय के मुताबिक तस्करों आदि के विरुद्ध 1982 से तीव्र किया गया अभियान अभी भी जारी है। तस्करी-निवारण अभियान को तेज करने के अंग-रूप में, वित्त मंत्रालय के राजस्व गुप्तचर्या निदेशालय ने तस्करों के विरुद्ध दिनांक 1-7-1984 को कार्यवाही करने की एक विशेष योजना तैयार की तथा उसे कार्यान्वित भी किया। इस कार्यवाही में गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु राज्यों में तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में 115 तस्कर पकड़े गए जिन्हें विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 के तहत नजरबन्द किया गया। इन तस्करों में विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम

1974 के तहत नजरबन्द किए गए विदेशी मुद्रा की जालसाजी करने वाले 9 व्यक्ति शामिल नहीं हैं।

तस्करी निवारण के प्रयत्नों को तीव्र बनाए जाने के संदर्भ में, दिनांक 13 जुलाई, 1984 को एक अध्यादेश जारी करके विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के कतिपय उपबन्धों में संशोधन किया गया है। इस संशोधन का मुख्य प्रभाव कतिपय मामलों में ऐसे तस्करों की अधिक समय तक नजरबन्दी की व्यवस्था करना है जो तस्करी के अतिसुगम्य क्षेत्रों में कार्यरत हैं। इन क्षेत्रों को हाल ही में पश्चिमी समुद्रतट, दक्षिण पूर्वी समुद्रतट, भारत-पाक सीमा तथा दिल्ली हवाई अड्डा के रूप में पहचाना गया है। इन मामलों में नजरबन्दी की अधिकतम अवधि एक वर्ष की सामान्य अवधि की बजाय दो वर्ष की होगी।

जनवरी से जुलाई, 1984 (14 जुलाई, 1984 तक) की अवधि के दौरान विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत 531 नजरबन्दी आदेश जारी किए गए हैं।

देश में तस्करी के तौर-तरीकों की सतत समीक्षा की जाती रहती है तथा इस समीक्षा और विश्लेषण के आधार पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के संबंधित अधिकारियों के साथ घनिष्ठ तालमेल स्थापित करके तस्करी निवारण के समुचित उपाय किए जाते हैं।

(ख) और (ग) मई और जून 1984 के दौरान देश-भर में पकड़े गए निषिद्ध माल का कुल मूल्य 16 करोड़ रुपये से अधिक है।

पकड़े गए निषिद्ध माल के आकड़े राज्य-वार नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पकड़े गए माल के सम्बन्ध में विभिन्न समाहर्तालयों में तत्काल उपबन्ध आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(मूल्य : लाख रुपयों में)

समाहर्तालय का नाम	वर्ष 1984 के दौरान पकड़े गए माल के आंकड़े (अन्तिम)	
	मई	जून
1	2	3
बम्बई, सीमा शुल्क और निवारक	202	202
कोचीन, सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	49	17
अहमदाबाद	49	223
बंगलौर	17	3

1	2	3
गोआ	42	—
पुणे	56	3
कलकत्ता सीमा शुल्क	43	27
मद्रास सीमा शुल्क	58	92
विशाखापट्टनम सीमा शुल्क	1	2
गुंटूर	4	10
हैदराबाद	2	3
मद्रास केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	71	3
मदुरै	15	15
त्रिची	24	70
पटना (निवारक)	20	10
चण्डीगढ़	79	7
जयपुर	3	25
पश्चिम बंगाल, कलकत्ता	28	21
शिलांग	9	12
दिल्ली	32	42
इंदौर	2	2
मेरठ	1	—
कानपुर	—	5
योग :	807	794

विमान अपहरणकर्ताओं मे स्वदेश प्रत्यावर्तन के लिए करार

1899 **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विमानों के अपहरण संबंधी विगत अनुभव को देखते हुए सरकार का सभी पड़ौसी देशों

के साथ द्विपक्षीय करार करने का विचार है ताकि यात्रियों और उनके सामान तथा विमान की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी और अपहरणकर्ताओं का स्वदेश प्रत्यावर्तन सुनिश्चित किया जा सके ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : सरकार ऐसे द्विपक्षीय करारों को करने के लिए इस समय किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। तथापि तीन अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय करार मौजूद हैं, अर्थात् --विमानों की उड़ान में किए जाने वाले अपराधों और कुछ अन्य कार्यों के संबंध में टोकियो अभिसमय, विमान पर अवैध कब्जा कर लेने को रोकने के लिए हेग अभिसमय और नागर विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध किए जाने वाले अवेध कार्यों को रोकने के लिए मांट्रियल अभिसमय। इन अभिसमयों में यात्रियों तथा संपत्ति और विमान की सुरक्षा और सुरक्षित वापसी से संबंधित मानक निर्धारित किए गए हैं। उसमें विमान अपहरणकर्ताओं के प्रत्यर्पण या अभियोजन के प्रश्न पर भी व्यवस्था है।

अन्य देशों में, भारत, बंगला देश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान इन अभिसमयों को मानने वाले पक्ष हैं।

प्रशीतन और वातानुकूल उपकरणों के फालतू पुर्जों के निर्माता के परिसरों पर कर अपवंचन से संबंधित छापे

1900. **श्री जगपाल सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा मई, 1984 के पहले सप्ताह में प्रशीतन और वातानुकूलन उपकरणों के फालतू पुर्जों के निर्माण के परिसरों पर छापे मारे गए थे तथा लगभग 1.29 करोड़ रुपए की कर की चोरी का पता चला था;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहर्तालय के प्रवक्ता के अनुसार 1.32 करोड़ रुपए मूल्य के कर-योग्य माल को शुल्क की वसूली किए बिना छोड़ दिया गया था; और

(ग) इस फर्म का ब्यौरा क्या है तथा इस फर्म से सम्बन्धित समूचे माल के संबंध में कर की वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एस० कृष्ण) : (क) से (ग) इस प्रश्न का संबंध जनवरी, 1984 में मै० फ्रीजकिंग इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०, नई दिल्ली के परिसर पर मारे गए छापे से प्रतीत होता है। ऐसा आरोप है कि प्रशीतन और वातानुकूलन के फालतू पुर्जों का निर्माण करने वाले निर्माता ने उत्पादन शुल्क लगने योग्य माल का न्यून मूल्यांकन किया है। पिछले 5 वर्षों के दौरान, उन्होंने 1.32 करोड़ रुपए के मूल्य के माल की निकासी की थी, जिसमें आरोप है कि लगभग 1.29 करोड़ रुपए के शुल्क की चोरी की गई है। आवश्यक कार्यवाही करने हेतु केन्द्रीय उत्पादन शुल्क कानून के उपबन्धों के तहत कम्पनी को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक लन्दन द्वारा श्री बस्ती राम के नाम दिए गए ड्राफ्ट का भुगतान

1901. **श्री जी० एस० निहालसिंहवाला** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक, लन्दन द्वारा, दिनांक 1 फरवरी, 1983 को अबोहर पंजाब के श्री बस्ती राम के नाम दिए गए 2045.71 पौण्ड का एक ड्राफ्ट, भारतीय स्टेट बैंक, संसद मार्ग, नई दिल्ली को प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या तत्संबंधी भुगतान सही दावेदार को कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या किसी दूसरे व्यक्ति ने धोखाधड़ी से उक्त को निकाल लिया है;

(ङ) यदि हां, तो अधिकारियों ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है;

(च) क्या इस धोखाधड़ी में कुछ बैंक कर्मचारियों का हाथ है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ज) क्या बैंक ने दोषी व्यक्तियों से उक्त धन राशि वसूल कर ली है; और

(झ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार श्री बलबीर सिंह नामक एक व्यक्ति ने, नेशनल वेस्टमिनिस्टर बैंक लंदन द्वारा जारी 2045.71 पौंड के तारीख .-2-1973 के ड्राफ्ट संख्या एफ० 176304 संग्रहण और नई दिल्ली की मुख्य शाखा में अपने बचत बैंक खाते में क्रेडिट करवाए जाने के लिए जमा कराया था जिसे आदाता श्री बस्तीराम द्वारा उसके पक्ष में पृष्ठांकित किया गया था। इस ड्राफ्ट की रकम श्री बलबीरसिंह के खाते में जमा कर दी गई थी, जिसे उसने 30-3-83 को निकाल लिया था। चूंकि, इस ड्राफ्ट का पृष्ठांकन विधिवत श्री बलबीरसिंह के नाम किया गया था और पृष्ठांकन द्वारा परक्राम्य लिखतों का ऐसा अन्तरण परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत अनुज्ञेय है अतः श्री बलबीरसिंह को पृष्ठांकित किए गए ड्राफ्ट का भुगतान अधिकारवान दावेदार को किया गया भुगतान है।

(घ) से (झ) अबोहर (पंजाब) के श्री बस्तीराम जिन्होंने उक्त ड्राफ्ट का आदाता होने का दावा किया था, 28-9-83 को बैंक में आए और उन्होंने कहा कि उन्हें अल्जीरिया स्थित अपने बेटे से प्रश्नगत ड्राफ्ट कभी प्राप्त नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, बैंक ने इस मामले में पूछताछ की। बैंक श्री बलबीर सिंह का कहीं पता नहीं लगा सका। मामले के धोखाधड़ी के स्वरूप को देखते हुए बैंक

ने यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया था, जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) दर्ज कर ली है। केन्द्रीय जांच ब्यूरो अभी मामले की जांच कर रहा है।

बैंक आफ बड़ौदा, बड़ौदा (गुजरात) में बैंक ग्राहक का अन्दर बन्द रह जाना

1902. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 अप्रैल 1984 को बैंक ऑफ बड़ौदा (गुजरात) में एक बैंक ग्राहक अपनी पत्नी और एक बच्चे सहित 17 घण्टे तक पूर्ण अन्धकार में अन्दर बन्द रहा;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले की जांच की गई है और दोषी अधिकारी को उचित सजा दी गई;

(ग) भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) ग्राहक को दिए गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) ऐसी किसी घटना की पुनरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से बैंक आफ बड़ौदा द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) वाल्ट के बन्द कर दिए जाने की गुजराती/हिन्दी तथा अंग्रेजी में घोषणा करने के वास्ते बैटरी/शक्ति चालित लाउड स्पीकर लगाना।

(2) आपातकालीन घन्टी (इमरजैंसी बैल) के ऊपर मंद रोशनी का बैटरी बल्ब लगाना जिसका कनेक्शन अन्य बल्बों से अलग हो।

(3) आपातकालीन घंटी के नीचे तीन भाषाओं अर्थात् गुजराती, हिन्दी तथा अंग्रेजी में रेडियम में आपातकालीन घंटियों के प्रयोग का संदेश लिखना जिससे बिजली गुल हो जाने के दौरान संदेश पढ़ने में सहायता मिलेगी।

(4) वाल्ट का समय बदल कर वैसा करना जैसाकि बैंक/क्षेत्र के दूसरे बैंकों की अन्य शाखाओं में प्रचलित है।

(5) वाल्ट में आपातकालीन ट्यूब-लाइट की व्यवस्था करना जो कि बिजली गुल हो जाने की सूरत में उपयोगी रहेगा। वाल्ट में दो आपातकालीन घंटियों की पहले से व्यवस्था है। जिन पर अंग्रेजी तथा गुजराती दोनों भाषाओं में "आपात के समय पर इस बटन को दबाएं" लिखा है।

(घ) ग्राहक द्वारा न तो किसी मुआवजे की मांग की गयी है और न ही उसे कोई मुआवजा अदा किया गया है।

इन्डियन एयरलाइन्स की एयरबस के अपहरण की जांच करने वाली एजेंसियां

1903. **श्री विलास मुत्तेमवार :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में अपहृत विमान के अपहरणकर्ता पिस्तौल कैसे ले जा सके, इस बारे में जांच आरम्भ करने वाली एजेंसियों के नाम क्या हैं और उनमें से किन-किन एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भविष्य में विमानों का अपहरण रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा करेगी और विमान पर सवार होने के समय मैटल डिटेक्टर के माध्यम से दोबारा जांच करने के प्रबन्ध करेगी; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इस विमान अपहरण के सम्बन्ध में एक फौजदारी मुकदमा दर्ज किया गया है जिसका जांच कार्य जम्मू और कश्मीर सरकार के अनुरोध पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अपने हाथ में ले लिया है । नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा इस घटना की नागर विमानन विभाग के अधिकारी द्वारा प्रशासनिक जांच के भी आदेश दिए गए हैं । ये चल रहे हैं ।

(ख) से (घ) इन हवाई अड्डों पर सुरक्षा सम्बन्धी उपाय और अधिक प्रभावी किए गए हैं तथा अपहरण के खतरे को कम करने के लिए अतिरिक्त उपाय किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. प्रचालन क्षेत्र में प्रवेश के लिए फोटो पासों को जारी करने की समीक्षा की गई है तथा इन पासों की संख्या अनिवार्य ड्यूटी करने वालों तक सीमित कर दी गई है;
2. ऐसे पास रखने वाले व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर सुरक्षा जांच करवानी आवश्यक है;
3. यह निर्णय किया गया है कि सफाई करने वाले, खान-पान का प्रबन्ध करने वाले और अन्य सेवा वाले कर्मचारियों की विमान में प्रवेश से पहले जांच की जाएगी;
4. विमान में कार्गो की अंतराल अवधि की आवश्यकता को कड़ाई से कार्यान्वित किया जा रहा है;
5. कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर विमान में चढ़ने से ठीक पहले यात्रियों की सीढ़ियों पर चढ़ते समय जांच शुरू की गई हैं ।

सरकार द्वारा पंचतारा होटलों पर किया गया व्यय और भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कमाया गया मुनाफा

1904. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा छठी योजना के दौरान अब तक (वर्षवार) पंचतारा होटलों पर कितनी राशि व्यय की गई है;

(ख) उपर्युक्त वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा कितना मुनाफा कमाया गया;

(ग) क्या इन वर्षों के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के होटल डिवीजन में मुनाफा बराबर कम होता रहा है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सातवीं योजना के दौरान सरकार का पंचतारा होटलों में निवेश कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सरकार द्वारा भारत पर्यटन विकास निगम भारतीय होटल निगम के जरिए लगाई गई पूंजी के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अर्जित लाभ इस प्रकार है :—

(लाख रु० में)

वर्ष	परिचालन लाभ/ हानि (मूल्यह्रास, ब्याज़ और ऊपरी खर्च से पूर्व)	लाभ	
		कर से पूर्व	कर के बाद
1980-81	696.60	198.61	46.50
1981-82	888.05	314.25	133.02
1982-83	1065.75	181.64	201.56
1983-84 (अनन्तिम)	1249.90	52.48	52.48

(ग) और (घ) भारत पर्यटन विकास निगम के होटल प्रभाग द्वारा अर्जित लाभ इस प्रकार है :—

(लाख रु० में)

वर्ष	लाभ	
	परिचालन	निवल
1980-81	587.79	161.57
1981-82	722.48	232.18
1982-83	804.24	114.40
1983-84(अनन्तिम)	782.84	(—) 181.78

जबकि वर्ष 1980-81 से 1982-83 के दौरान भारत पर्यटन विकास निगम के परिचालन लाभों में वृद्धि हुई है, 1983-84 के दौरान परिचालन लाभ (अनन्तिम) में कमी आई है जिसके परिणामस्वरूप निवल हानि हुई है जो नई दिल्ली में तीन नए होटल खोलने से मूल्यह्रास के भारी बोझ, ब्याज आदि की वजह से हुई।

(ङ) सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है/को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। मार्केट सर्वेक्षण संतोषजनक व्यवहार्यता रिपोर्ट, धनराशि की उपलब्धता, आदि पर निर्भर रहते हुए सातवीं योजना अवधि के दौरान 5-स्टार होटलों का निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा।

विवरण

3-8-84 को पूछे जाने वाले लोक सभा लिखित प्रश्न सं० 1904 के भाग (क) के उत्तर में छठी योजनावधि के दौरान 5-स्टार होटलों पर वर्षवार योजनागत व्यय।

(लाख रु० में)

क्रम सं०	होटलों का नाम	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84 (अनन्तिम)
1	2	3	4	4	5
	भारत पर्यटन विकास निगम				
1.	होटल अशोक बंगलौर	10.61	20.60	1.22	0.23
2.	ललित महल पैलेस होटल मैसूर	15.54	—	—	—

1 2	3	4	5	6
3. कोवलम अशोक बीच रिसोर्ट	8.25	8.55	0.28	—
4. होटल एयरपोर्ट अशोक कलकत्ता	13.84	5.17	15.08	0.05
5. अशोक होटल नई दिल्ली	34.85	70.11	18.59	13.97
6. अकबर होटल नई दिल्ली	48.27	13.98	11.73	14.01
7. कुतुब होटल नई दिल्ली	0.65	0.83	—	—
8. होटल सम्राट नई दिल्ली	276.11	612.68	791.20	172.29
भारतीय होटल निगम	400.00	800.00	400.00	533.00

राष्ट्रीयकृत बैंकों के चेयरमैन/प्रबंध निदेशकों का सेवाकाल बढ़ाया जाना

1805. **श्री अनवार अहमद** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत बैंकों के किन-किन चेयरमैनों/प्रबंध-निदेशकों ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है अथवा इस वर्ष प्राप्त करने वाले हैं और अभी भी पदों पर बने हुए हैं;

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों के कुछ चेयरमैनों/प्रबंध-निदेशकों का सेवाकाल बढ़ाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो उन चेयरमैनों/प्रबंध-निदेशकों के नाम क्या हैं, और वे किन-किन बैंकों से संबद्ध है;

(घ) ऐसे व्यक्तियों का जिन्होंने 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है अथवा पूरी करने वाले हैं सेवाकाल कितना बढ़ाया जाएगा; और

(ङ) इस प्रकार सेवाकाल बढ़ाने की मांग किस आधार पर की जाती है और ऐसे व्यक्तियों के सेवाकाल को जिन्होंने 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है अथवा प्राप्त करने वाले हैं, बढ़ाने की मंजूरी पर विचार किए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) फिलहाल 20 राष्ट्रीयकृत बैंकों के

अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों में से किसी की भी आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंकों के उन अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं जो चालू वर्ष में 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेंगे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

क्रम सं०	बैंक का नाम	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का नाम	जन्म तिथि
1.	इण्डियन ओवरसीज बैंक	श्री पी० बी० श्रीनिवासन	11-10-1924
2.	आंध्र बैंक	श्री के० गोपालकृष्ण मूर्ति	24-9-1924
3.	पंजाब एंड सिंध बैंक	श्री महेन्द्र सिंह	10-10-1924

खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा खानों से लौह अयस्क की खरीद में गिरावट

1906. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि० उड़ीसा में विभिन्न लौह अयस्क खानों से लौह अयस्क की खरीद करता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 में विभिन्न लौह अयस्क खानों में खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने कुल कितने टन लौह अयस्क की खरीद की;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न लौह अयस्क खानों से लौह अयस्क की खरीद में गिरावट आई है;

(घ) यदि हां, तो खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क की खरीद में गिरावट के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को लौह अयस्क की खरीद में कमी के कारण उड़ीसा में खनन व्यापार में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है; और

(च) यदि हां, तो क्या सरकार का उड़ीसा में विभिन्न लौह अयस्क की खानों से खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क की खरीद बढ़ाने के लिए कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां।

(ख) खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने उड़ीसा की खानों से 1983-84 में 9.51 लाख टन लौह अयस्क की अधिप्राप्ति की।

(ग) जी हां।

(घ) लौह अयस्क की अधिप्राप्ति में गिरावट के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :

(i) विश्वव्यापी तौर पर इस्पात उद्योग के सामने आ रही मन्दी की स्थिति जिसके परिणामस्वरूप लौह अयस्क की अपेक्षतया कम मांग रही;

(ii) 1980-81 से 1983-84 के वर्षों में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से इस्पात संयंत्रों द्वारा लौह अयस्क के उठान में लगभग 71% की तीव्र गिरावट;

(iii) बड़े आकार के पोतों को खपाने के लिए पत्तन पर अपर्याप्त गहराई के कारण, जिससे भारी भाड़ा प्रभार आता है, पारादीप पत्तन से लौह अयस्क के कम निर्यात, और लौह अयस्क उतराई-चढ़ाई तथा लदान की सीमित सुविधाएं;

(iv) वार्षिक संविदाबद्ध मात्रा के आधार पर कुछ खान स्वामियों द्वारा कम सप्लाइयां; और

(v) रूमानिया द्वारा निम्न ग्रेड लौह अयस्क के उठान में तीव्र गिरावट जिसकी सप्लाई उड़ीसा खनन निगम लि० द्वारा अपनी कटक जिले में स्थित दैतरी-टोमका खानों से की जाती है।

(ङ) जी हां।

(च) उड़ीसा के लौह अयस्क की अधिप्राप्ति में गिरावट के रुख को बदलने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। खनिज तथा धातु व्यापार निगम 1984-85 के दौरान पारादीप पत्तन से अपेक्षाकृत बड़ी मात्राएं उठाने के लिए क्रेताओं (जापान, दक्षिण कोरिया, रूमानिया और जर्मन लोकतंत्रीय गणराज्य आदि) को राजी कर पाया है। इस्पात विभाग से स्वदेशी इस्पात संयंत्रों द्वारा उपयोग किये जाने के लिए इस क्षेत्र से लौह अयस्क की अधिप्राप्ति बढ़ाने की संभाव्यता पर विचार करने के लिए अनुरोध किया गया है। विशेषत: अपेक्षाकृत बड़े जहाजों के संबंध में पारादीप पत्तन पर अवस्थापना संबंधी सुविधाओं में सुधार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पारादीप में लौह अयस्क की उतराई-चढ़ाई सुविधाओं में हाल ही में यथेष्ट लागत पर पर्याप्त सुधार किया गया है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने कीमतों में कटौती देकर पारादीप से अयस्क के उठान में अन्तर्ग्रस्त भाड़े के उच्चतर प्रभार के लिए क्रेताओं की क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमति दी है।

छोटे एककों द्वारा निर्मित "स्टेनलैस शीट्स" पर उत्पाद-शुल्क

1907. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेनलैस स्टील की स्क्रेप से शीट्स बनाने वाली लघु क्षेत्र की लगभग 800 फैक्ट्रियाँ उत्पाद शुल्क लगने के डर से बन्द पड़ी हैं;

(ख) क्या अपीलीय न्यायाधिकरण के 25 जून, 1984 के निर्णय के अनुसार "शीट" और "स्ट्रिप" के बीच विद्यमान अन्तर को भी स्पष्ट कर दिया गया है और "शीट्स" पर उत्पादन शुल्क माफ कर दिया गया है तथा दोनों मदों पर बिक्री कर की दरें भी अलग-अलग हैं; फिर भी इन छोटी यूनिटों को परेशान किया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस सम्बन्ध में कोई नीति बनाने का है ताकि इन यूनिटों के बन्द होने को रोका जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है कि उत्पादन शुल्क के जाल के दायरे में आने के डर से, स्टेनलैस स्टील स्क्रैप से चादरों का उत्पादन करने वाले लघु कारखाने बन्द पड़े हैं। सम्भवतया, माननीय सदस्य का अभिप्राय स्टेनलैस स्टील के कतिपय ऐसे उत्पादों के निर्माण में लगे लघु कारखानों से हैं, जिन्हें वे फ्लैटों अथवा स्क्रेप से निर्मित "पट्टियां" बताते हैं। यह रिपोर्ट मिली है कि ऐसी "पट्टियों" का निर्माण करने वाले इन कारखानों में से कुछ कारखाने बन्द पड़े हैं, सम्भवतया, क्षेत्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा ऐसी "पट्टियों" पर उनसे उत्पादन-शुल्क की मांग करने के लिए की गई कार्यवाही के पश्चात् उन्हें बन्द कर दिया गया है। ये "पट्टियां" केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की मद सं० 25 के अधीन दिए गए स्पष्टीकरण (xiv) में निहित "स्ट्रिप" की परिभाषा पर खरी उतरती हैं।

(ख) "चद्दरों" और "स्ट्रिप" पर उद्ग्रहणीय उत्पादन शुल्क में कोई अन्तर नहीं है। स्पष्टतया, माननीय सदस्य सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण के दिनांक 25 जून, 1984 के आदेश सं० 490/84-बी का उल्लेख कर रहे हैं, जिसका सम्बन्ध केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की एक अगस्त, 1983 से पूर्व लागू पुरानी टैरिफ मद 26-कक के संदर्भ में "पट्टियों" के वर्गीकरण से है। एक अगस्त, 1983 से एक नई टैरिफ मद 25 लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत लोहा तथा इस्पात और उनके उत्पाद आते हैं।

दिल्ली में, जहां "पट्टियों" के बहुत-से निर्माता हैं, जांच से पता चला है कि चद्दरों और पट्टियों पर उद्ग्रहणीय बिक्री-कर की दरें एक-समान हैं।

(ग) और (घ) सरकार ने अप्रैल, 1984 में, स्टेनलैस स्टील की "पट्टियों" की शुल्क-देयता

के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट की थी। उस समय यह बताया गया था कि स्टेनलैस स्टील की जो "पट्टियां" केन्द्रीय उत्पादन शुल्क टैरिफ की टैरिफ मद सं० 25 के अधीन दिए गए स्पष्टीकरण (xiv) में निहित "स्ट्रिप" की परिभाषा पर खरी उतरती है, वे उक्त टैरिफ की मद 25(12)(i) के अधीन स्ट्रिप के रूप में वर्गीकरण-योग्य हैं और उन पर तदनुसार शुल्क प्रभार्य है। पहले से परिचालित किए जा चुके मार्गदर्शी सिद्धांतों को मद्देनजर रखते हुए संबंधित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क समाहर्ता द्वारा प्रत्येक मामले की जांच करके उस पर निर्णय किया जाएगा।

दिल्ली-त्रिवेन्द्रम अथवा दिल्ली-कोचीन के बीच सीधी विमान सेवा

1908. **श्री ए० के० बालन** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-त्रिवेन्द्रम अथवा दिल्ली-कोचीन के बीच एक सीधी विमान सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) इस मंत्रालय के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण

1909. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार द्वारा पश्चिम जर्मनी से टाइप 1500 की दो पनडुब्बियां खरीदने के अतिरिक्त दो पनडुब्बियों का स्वदेशी निर्माण करने, जिन्हें 1983 से पूर्व काम में नहीं लाया जा सकेगा, के निर्माण को कुछ लोगों ने पर्याप्त दूरदर्शिता-पूर्ण नहीं कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भारत की तुलना में पाकिस्तान के पास कितनी पनडुब्बियां हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) और (ख) भारतीय नौसेना पश्चिम जर्मनी से कुछ एच० डी० डब्ल्यू० टाइप 1500 पनडुब्बियां प्राप्त कर रही है और कुछ का देश में निर्माण कर रहा है। जो भारतीय नौसेना के स्टाफ आवश्यकताएं होंगी ये पनडुब्बियां भारतीय नौसेना को अपनी भावी रक्षा जरूरतों के अनुसार हैं।

(ग) भारत का पनडुब्बी बेड़ा पाकिस्तानी पनडुब्बी बेड़े से बड़ा है। आंकड़े देना लोकहित में नहीं होगा।

मुख्य युद्ध टैंक के इंजन के विकास कार्य में शामिल संगठन

1910. **श्री अमल दत्त** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुख्य युद्ध टैंक की विभिन्न प्रणालियों का विकास कौन से विभिन्न संगठन कर रहे हैं;

(ख) मुख्य युद्ध टैंक के लिए इंजनों का विकास कार्य कौन-सी विभिन्न श्रेणियों के कार्मिकों द्वारा किया जा रहा है और उनकी संख्या तथा श्रेणियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मुख्य युद्ध टैंक के इंजन के विकास में लगे किसी संगठन का अध्यक्ष सेवानिवृत्ति के बाद या त्यागपत्र देकर गैर-सरकारी क्षेत्र में चला गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) रक्षा मंत्रालय में और सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों में कई संगठन मुख्य युद्ध टैंक के विकास में सहायता कर रहे हैं।

(ख) मुख्य युद्ध टैंक के लिए इंजिन के विकास में कितने कार्मिकों और उसकी कितनी श्रेणियों को लगाया जाए यह काम की गति और उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। इसलिए इंजिन के विकास में लगे हुए वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और कामगारों की संख्या देना कठिन है।

(ग) इंजिन के विकास का काम वैज्ञानिकों के एक दल द्वारा संचालित किया जा रहा है जिसका अध्यक्ष एक वैज्ञानिक सी० वी० आर० डी० ई०, आवडी में अभी सेवा में है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जीवन बीमा निगम की ब्याज आमदनी का पालिसी-होल्डरों को लाभ

1911. **श्री अजित बाग** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मृत्यु दर सम्बन्धी स्थिति तथा जीवन बीमा निगम के ब्याज अर्जन में निरन्तर सुधार हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इनके लाभों को पालिसीधारियों को न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) लाभ वाले तथा बिना लाभ वाले पालिसीधारियों के बीच भेदभाव बरतने के क्या कारण हैं, जबकि लाभ वाली पालिसी के धारकों को बोनस के रूप में अधिक आमदनी तथा बेहतर मृत्यु दर का कुछ लाभ मिलता है तथा दूसरी ओर बिना लाभ की पालिसी के धारकों को इससे वंचित रखा जाता है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) मृत्यु दर में कमी तथा ब्याज से होने वाली आमदनी के मामले में जीवन बीमा निगम के अनुभव में सुधार होने के लाभ को, जहां तक वह समय-समय पर किए जाने वाले बीमांकिक मूल्यांकनों के जरिए अधिशेष के रूप में प्रकट होता है, भारतीय जीवन बीमा निगम अधिनियम की धारा 28 उपबन्धों के अनुसार लाभ-सहित पालिसीधारियों को दे दिया जाता है। कई वर्षों से लाभ-सहित पालिसीधारियों को आबंटित प्रतिवर्तनीय बोनस में लगातार वृद्धि होती रही है और 31 मार्च, 1979 को किए गए मूल्यांकन के आधार पर इस तारीख से जीवन बीमा निगम ने उन लाभ-सहित पालिसियों पर अन्तिम (अतिरिक्त) बोनस देना भी शुरू कर दिया है जो कम से कम 15 वर्ष तक चालू रहने के बाद परिपक्वता अथवा मृत्यु के कारण देय हो गई हो।

(ग) और (घ) लाभ-रहित पालिसियों को अधिशेष में हिस्सा क्यों नहीं मिलता, उसके निम्नलिखित कारण हैं :—

(i) जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, बीमाकर्त्ता के लाभ में लाभ-सहित पालिसियों के हिस्से को तकनीकी दृष्टि से 'अधिशेष' कहा जाता है। लाभ-रहित पालिसियों के मामले में स्थिति विपरीत है।

(ii) लाभ-सहित पालिसियों के मामले में प्रीमियम दरों का हिसाब लगाते समय उत्पन्न अधिशेष में से बोनस की अदायगी के लिए एक विशिष्ट प्रभार शामिल किया जाता है। लाभ-रहित पालिसियों के मामले में प्रीमियम दरों का हिसाब लगाने में ऐसा कोई प्रभार शामिल नहीं किया जाता है।

(iii) लाभ-सहित पालिसियों के मामले में प्रीमियम दरों में बोनस के लिए शामिल किया गया विशिष्ट प्रभार अनुभव के अनुसार किसी प्रकार की घटबढ़ के लिए सहारा प्रदान करता है और इस अनुभव की रोशनी में लाभ-सहित पालिसियों को जोखिम वाली पालिसियों के रूप में लिया जाता है। इस कारण से भी पूरे विश्व में जीवन बीमाकर्त्ताओं में आम प्रथा है कि अधिशेष की राशि को लाभ-सहित पालिसियों में बांट किया जाता है।

लाभ-सहित पालिसियों के मामले में बोनस वितरण तंत्र के जरिए साम्य न्याय (इक्विटी) सुनिश्चित किया जा सकता है और इसी कारण लाभ-सहित पालिसियों के मामले में प्रीमियम दरों में बार-बार संशोधन नहीं किया जाता है। चूंकि लाभ-रहित पालिसियों को लाभ में हिस्सा नहीं मिलता है, इसलिए प्रीमियम दरों के निर्धारण के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारणों से सम्बन्धित अनुभव को ध्यान में रखते हुए इन पालिसियों की दरों में बार-बार संशोधन किया जाता है। जीवन बीमा निगम अपने अनुभव के आधार पर लाभ-रहित पालिसियों की प्रीमियम दरों में बार-बार परिवर्तन करता रहा है।

माहे (पांडिचेरी) में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता

1912. **श्री अजित बाग** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी सरकार ने निर्भरता प्रमाणपत्र जारी कर दिए हैं और इसे केन्द्र सरकार के पास भेज दिया है जिसमें माहे (पांडिचेरी) में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने की सिफारिश की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने माहे में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देने के आदेश जारी कर दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में आदेश कब तक जारी कर दिए जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मामला सरकार के विचाराधीन है।

स्व-नियोजन योजना सम्बन्धी बैंक ऋण

1913. **श्री अजित बाग** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत स्व-नियोजन योजना सम्बन्धी कितना बैंक ऋण वापिस प्राप्त होने की आशा नहीं है; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्व-रोजगार उपलब्ध कराने की योजना के अन्तर्गत प्राप्त ऋणों के आवेदनों की बैंकों के सिफारिश करने से पहले जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा विधिवत जांच की जाती है। जिला उद्योग केन्द्रों से सिफारिशें प्राप्त होने के बाद, बैंक, परियोजनाओं की अर्थक्षमता के सम्बन्ध में अपनी तसल्ली करने के वास्ते मामलों की आगे छानबीन करते हैं। बैंकों से ऐसी परियोजनाओं के वित्त पोषण की अपेक्षा नहीं की जाती, जिनके मामले में ऋणों की वापसी अदायगी की क्षमता पर कोई शक दिखाई देता हो।

विदेशों में एयर इण्डिया के कार्यालय

1914. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने देशों में एयर इण्डिया के नियमित कार्यालय, बुकिंग कार्यालय, प्रतिनिधि कार्यालय आदि हैं और उनकी पूरी सूची क्या है; और

(ख) इन कार्यालयों ने 30 जून, 1984 को समाप्त होने वाले पिछले एक वर्ष के दौरान कितना व्यापार प्राप्त किया और तत्सम्बन्धी देश-वार आंकड़े क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे होटल

1915. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा सारे भारत में चलाए जा रहे होटलों की संख्या एवं नाम क्या हैं;

(ख) 31 मार्च, 1984 को समाप्त हुए पिछले एक वर्ष के दौरान तथा उसके पश्चात् 30 जून, 1984 तक उनके आवास अधिभोग का क्या अनुपात था; और

(ग) अधिक अतिथियों को आकर्षित करने के लिए यदि कोई उपाय किए गए हैं, तो क्या ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ग) निगम ने अधिक अतिथियों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं, यथा :—

(i) विपणन और विक्रय संवर्धन के लिए जोरदार प्रयास;

(ii) भारत पर्यटन विकास निगम की अपनी ट्रैवल एजेंसी; यथा अशोक ट्रैवल्स एण्ड टूअर्स की स्थापना;

(iii) उत्पाद में सुधार और लागत नियन्त्रण;

(iv) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में केन्द्रीय समूह आरक्षण सेवाएं;

(v) भारत की यात्रा पर आए समूहों द्वारा होटलों के उपयोग के लिए प्रमुख विदेशी यात्रा प्रचालकों के साथ कन्ट्रैक्ट;

(vi) चार्टर ट्रैफिक के समूहों का आरक्षण करने के लिए भारतीय यात्रा प्रचालकों के साथ सहयोग;

(vii) भारत पर्यटन विकास निगम के कार्यपालयों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय यात्रा व्यवसाय घटनाओं में सहभागिता; और

(viii) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा आकर्षक दरों पर नए पैकेज आरम्भ करना।

विवरण

3-8-84 को पूछे जाने वाले लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 1915 के उत्तर में वर्ष, 1983-84 की पहली तिमाही (जून, 1984 तक) के लिए आकुपैंसी प्रतिशत

क्रम संख्या	होटलों के नाम	आकुपैंसी % 1983-84	आकुपैंसी % जून, 1984 तक
1	2	3	4
	भारत पर्यटन विकास निगम		
1.	अशोक होटल, नई दिल्ली	43	36
2.	जनपथ होटल, नई दिल्ली	86	74
3.	लोधी होटल, नई दिल्ली	66	52
4.	रणजीत होटल, नई दिल्ली	55	39
5.	होटल अशोक, बंगलौर	50	26
6.	अकबर होटल, नई दिल्ली	44	28
7.	होटल हसन अशोक, हसन	37	31
8.	होटल जम्मू अशोक, जम्मू	30	24
9.	होटल औरंगाबाद अशोक, औरंगाबाद	37	29
10.	होटल खजुराहो अशोक, खजुराहो	23	13
11.	कोवलम अशोक बीच रिसार्ट, कोवलम	40	36
12.	लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	72	48
13.	टैम्पल बे अशोक बीच रिपोर्ट, मामल्लापुरम	34	21
14.	होटल वाराणसी अशोक, वाराणसी	38	27

1	2	3	4
15.	कुतब होटल, नई दिल्ली	54	46
16.	ललित महल पैलेस होटल, मैसूर	40	42
17.	होटल एअरपोर्ट अशोक, कलकत्ता	50	51
18.	होटल पाटलीपुत्र अशोक, पटना	39	30
19	होटल जयपुर अशोक, जयपुर	43	30
20.	होटल कलिंग अशोक, भुवनेश्वर	72	46
21.	होटल मदुरै अशोक, मदुरै	30	25
22.	होटल सम्राट, नई दिल्ली	32	19
23.	कनिष्क होटल, नई दिल्ली	56	41
24.	अशोक यात्री निवासी, नई दिल्ली	88	50
	भारतीय होटल निगम		
1.	सन्टौर होटल, बम्बई	102	100
2.	सन्टौर होटल, दिल्ली	44	43
3.	सन्टौर होटल, श्रीनगर (1983 में चालू हुआ)	05 (दिसम्बर से मार्च 84 तक)	32

हिमाचल प्रदेशों के बिलासपुर जिले में सी० एस० डी० कैंटीन खोलना

1916. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व सैनिकों और छुट्टी पर आए हुए सैनिक कर्मियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले के लिए सी० एस० डी० कैंटीन की स्वीकृति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कैंटीन किस स्थान पर खोली जाएगी और उनके कब तक खुल जाने की संभावना है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) जी हां ।

(ख) यह कैंटीन बिलासपुर जिले में घामारविन नामक स्थान पर खोली जाएगी । यह करीब एक महीने के भीतर खोल दी जाएगी ।

ब्याज की विभेदी दर संबंधी योजना के बारे में अध्ययन करने के लिए स्थापित कृतिक बल का प्रतिवेदन

1917. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान द्वारा अप्रैल, 1983 में किए गए अध्ययन की सिफारिश पर ब्याज की विभेदी दर संबंधी योजना के कार्य-निष्पादन के बारे में अध्ययन करने के लिए कोई कृतिक बल नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त कृतिक बल ने अपना प्रतिवेदन इस बीच पेश कर दिया है तथा उसने उक्त योजना की व्यापकता और प्रयोजनीयता की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं और सरकार को उक्त प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हुआ; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार को उक्त प्रतिवेदन कब तक पेश कर दिया जायेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) विभेदक ब्याज दर योजना पर राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद इस योजना की समीक्षा करने और इसमें आवश्यक परिवर्तन करने के लिए विशिष्ट सिफारिशें करने के वास्ते वित्त मंत्रालय में एक कृतिक बल (टास्क फोर्स) का गठन किया गया था। आशा है कि कृतिक बल की रिपोर्ट शीघ्र ही सरकार के सम्मुख प्रस्तुत कर दी जाएगी।

शिमला में नागरिक हवाई अड्डे का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करना

1918. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** :

श्री अमर सिंह राठवा : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शिमला में नागरिक हवाई अड्डे का निर्माण-कार्य शीघ्र पूरा करना सुनिश्चित करेगी;

(ख) यदि हां, तो उक्त हवाई अड्डे का निर्माण कार्य वस्तुतः किस तारीख तक पूरा हो जाएगा और उक्त परियोजना पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और विशेषकर इसलिए क्योंकि राज्यों की राजधानियों में शिमला ही एक मात्र ऐसी राजधानी है जिसे देश की राजधानी से विमान सेवा द्वारा नहीं जोड़ा गया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) शिमला के निकट जब्बर-हट्टी पर एक विमान क्षेत्र के निर्माण का कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य

सरकार द्वारा आरम्भ किया गया था तथा जमीन को समतल करने का लगभग 30 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया था। इसके बाद यह कार्य स्थगित कर दिया गया था।

राज्य सरकार के अनुरोध पर, यह निर्णय किया गया है कि धन की उपलब्धता तथा योजना आयोग और वित्त मंत्रालय से अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त होने पर, नागर विमानन विभाग इस विमान क्षेत्र के और आगे विकास कार्य को आरंभ करेगा।

(ख) और (ग) शेष भूमि कार्य तथा अन्तस्थ भवन और अन्य आधार संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए अनुमान तैयार किए जा रहे हैं। इस परियोजना की समय अनुसूची तथा लागत का निर्धारण अनुमानों तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद किया जाएगा।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के ढांचे और कार्यकरण की तुलनात्मक पुनरीक्षा

1919. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ढांचे और कार्यकरण की तुलनात्मक पुनरीक्षा की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ढांचे और कार्यचालन संबंधी पहलुओं में कोई सुधार/परिवर्तन करने की कोई योजना तैयार की है ताकि इन्हें लोगों के लिए अधिक उपयोगी बनाया जा सके;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का निकट भविष्य में कोई पुनरीक्षा करने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (घ) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ढांचे और उनकी कार्यप्रणाली की बराबर समीक्षा की जाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करें, समय-समय पर नीति संबंधी मार्गनिर्देश जारी किए जाते हैं। इन बैंकों के ढांचे और संगठन के संबंध में प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम में कुछ संशोधन की आवश्यकता महसूस की गई है। इस संबंध में जब प्रस्तावों को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा तब उन्हें विधायी प्रस्तावों के रूप में संसद के सम्मुख लाया जाएगा।

वाहन अनुसंधान विकास संस्थापना, अहमदनगर द्वारा किए गए ईंधन रक्षता परीक्षण की रिपोर्ट

1920. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या रक्षा मंत्री भारत के असाधारण राजपत्र भाग दो खंड 3, उपखंड (एक) में प्रकाशित वित्त मंत्रालय, सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 6/84 दिनांक 10

जनवरी, 1984 सा० का० नि० (14) ङ और 15(ङ) के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाहन अनुसंधान विकास संस्थापना (अहमदनगर) द्वारा मारुति/सुजुकि के 100 सी० सी० से नीचे के ईंधन क्षमता के वाहनों के संबंध में किए गए ईंधन रक्षता परीक्षण की रिपोर्ट की प्रति सभा-पटल पर रखी जाएगी; और

(ख) क्या कारों, वाहनो और पिकअप के संबंध में किस प्रकार परीक्षणों के परीणामों की पुष्टि महानगरों में वाहन चलाने की स्थितियों में भी हो जाएगी ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) जापान की मैसर्स सुजुकी के सहयोग से मैसर्स मारुति उद्योग द्वारा बनाई जा रही मारुति कार की पूरी क्षमता का, वाहन अनुसंधान और विकास स्थापना (बी० आर० डी० ई०) अहमदनगर ने परीक्षण नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशों में संयुक्त उद्यमों की मंजूरी हेतु मार्गनिर्देश

1921. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में संयुक्त उद्यमों की मंजूरी हेतु मार्गनिर्देश क्या हैं;

(ख) क्या काम प्रारम्भ होने के पश्चात् इन उद्यमों की कार्यनिष्पित्ति बताने के लिए कोई मार्ग निर्देश हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) जिन संयुक्त उद्यमों के लिए मंजूरी दी गई है उन सबके नाम, मंजूरी की तारीख, पूंजी निवेश का रूप-उद्यम की क्षमता क्या है; और

(ङ) कौन-कौन से उद्यम (एक) कार्य प्रारम्भ करनें में असफल रहे (दो) प्रारम्भ करने में विलम्ब हुआ और संबद्ध उद्यमों को प्रारम्भ करने में असफल रहने अथवा विलम्ब होने के विशिष्ट कारण क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) विदेशों में संयुक्त उद्यमों के अनुमोदन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत संलग्न विवरण-एक में दिए गए हैं।

(घ) तथा (ङ) जानकारी लोक सभा में 4 मई, 1984 को पूछे गए अतारांकित प्रश्न सं० 9993 के उत्तर में पहले ही दी जा चुकी है। अनुमोदनों के क्रियान्वित न किए जाने के कारण संलग्न विवरण-दो में दिए गए हैं।

निवेश का स्वरूप प्रमुखत: इक्विटी निवेश है।

विवरण—एक

विदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना—मार्गदर्शी सिद्धांत

1. भारत सरकार का वाणिज्य मंत्रालय, विदेशों में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए भारतीय उद्यमियों की सभी प्रस्थापनाओं को अनुमोदित करने, मानिटर करने तथा उनका मूल्यांकन करने के लिए केन्द्र बिन्दु होगा।

2. विदेशों में संयुक्त उद्यमों के बारे में एक अन्त:मंत्रालय समिति होगी। इस समिति में, वाणिज्य, विदेश, वित्त (आर्थिक कार्य विभाग), उद्योग, कृषि, इस्पात तथा खान मंत्रालय, तकनीकी विकास के महानिदेशालय और कम्पनी कार्य विभाग के प्रतिनिधि शामिल होंगे। समिति की अध्यक्षता वाणिज्य मंत्रालय के सचिव/अपर सचिव करेंगे।

3. यह अन्त:मंत्रालय समिति विदेशों में संयुक्त उद्यमों से संबंधित सभी प्रस्थापनाओं पर विचार करेगी और उन पर निर्णय करेगी, चाहे वे औद्योगिक हों या अन्य प्रकार के हों जैसे कि परामर्श, व्यापार, थोक बिक्री तथा फुटकर विपणन, खनिज पदार्थों का पता लगाना और होटल, रेस्टोरेन्ट आदि जैसे सेवा उद्यम।

4. वाणिज्य मंत्रालय, इस समिति को कार्यालय संबंधी सहायता उपलब्ध कराएगा और इस समिति के समक्ष विदेशों में संयुक्त उद्यमों के संबंध में सभी प्रस्थापनाएं रखने की व्यवस्था करेगा और सभी संबंधित पार्टियों को समिति के निर्णयों की सूचना देगा।

5. विदेशों में संयुक्त उद्यमों के संबंध में सभी प्रस्थापनाओं के बारे में इस समिति के विनिश्चय सभी तरह से अन्तिम होंगे। नियंत्रित मदों सहित कच्चे माल के निर्यात के लिए समिति की क्लियरेन्स अन्तिम समझी जाएगी और इन निदेशों का और आगे हवाले अथवा छानबीन के बिना सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा पालन किया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ, संबंधित अभिकरणों या विभागों को विदेशों में संयुक्त उद्यमों संबंधी अन्त:मंत्रालय समिति की बैठक में आमंत्रित किया जाएगा। इस बैठक में इन निर्यातों से संबंधित प्रस्थापनाओं पर विचार किया जाएगा। कम्पनी अधिनियम की धारा 372 के अनुसार कम्पनी कार्य विभाग की अनौपचारिक क्लियरेन्स उस विभाग के प्रतिनिधि द्वारा समिति की बैठक में ही दी जा सकती है और कम्पनी कार्य विभाग बाद में मंत्री का अनुमोदन प्राप्त करके कानूनी आदेश जारी करेगा।

6. संयुक्त उद्यमों संबंधी अन्त:मंत्रालय समिति निम्नोक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर विदेशों में संयुक्त उद्यमों के लिए प्रस्थापनाओं पर विचार करेगी :—

(क) अंशपूंजी में भारतीय पार्टियां उस देश के नियमों तथा विनियमों के अनुसार भाग लेंगी, जिसमें परियोजना स्थापित की जानी है। स्थानीय पार्टियों, स्थानीय विकास

बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों के सहयोग को यथा संभव अधिकाधिक सीमा तक बढ़ावा दिया जाना चाहिए ।

(ख) भारतीय अंशभागिता सामान्यतः संयुक्त उद्यमों के लिए अपेक्षित स्वदेशी संयंत्र तथा मशीनों/उपस्कर के निर्यात के रूप में होनी चाहिए । तथापि, प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर समिति द्वारा निम्नोक्त एक अथवा अधिक स्वरूपों में अंशभागिता करने पर भी विचार किया जा सकता है :—

(1) जानकारी का निर्यात;

(2) सेवा शुल्क, रायल्टी तथा अन्य भुगतानों का पूंजीकरण;

(३) विदेशों में विदेशी मुद्रा ऋणों का दिया जाना ।

(ग) सामान्यतः इक्विटी अंशदान को पूरा करने के लिए नकद राशियां भेजने की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन पक्के और पात्र मामलों पर गुणावगुण के आधार पर और सहयोग के क्षेत्रों पर विचार करके, ध्यान दिया जाएगा । उदाहरणार्थ, परामर्शी तथा अन्य सेवा उद्यमों के मामले में नकद राशियां भेजने पर विचार किया जाएगा । ऐसे मामलों पर विचार करते समय, यह देखा जाना चाहिए कि इसमें बहुत समय तक काफी मात्रा में पूंजीगत माल तथा सेवाओं के निर्यात की व्यवस्था हो ।

(घ) संयुक्त उद्यम कम्पनी स्थापित करने, तकनीकी तथा प्रबन्धकीय कार्मिकों आदि की यात्राओं से संबंधित प्रारम्भिक खर्चों को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा रिलीज करने की प्रार्थनाओं पर विचार करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को आवश्यक शक्तियां सौंपी गयी हैं । संयुक्त उद्यम कम्पनी की स्थापना के बाद तकनीकी तथा प्रबन्धकीय कार्मिकों द्वारा अनुवर्ती दौरों के लिए विदेशी मुद्रा रिलीज करने के बारे में भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी शक्तियों के अन्तर्गत विनिश्चय किया जाएगा । ऐसी विदेशी मुद्रा रिलीजों के प्रयोजनार्थ वाणिज्य मंत्रालय या आर्थिक कार्य विभाग को लिखना आवश्यक नहीं होगा ।

(ङ) संयुक्त उद्यम परियोजना में उपयुक्त विषयों/अतिरिक्त इक्विटी में अंशदान करने के लिए की गई प्रार्थनाओ पर परियोजना के विगम कार्य-निष्पादन तथा अन्य वित्तीय ब्यौरों को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा । ऐसे अंशदान सामान्यतः मशीनों/उपस्कर के निर्यातों के माध्यम से किए जाएंगे लेकिन असाधारण मामलों से प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर संघटकों तथा कच्चे माल के निर्मातों की भी अनुमति दी जाएगी ।

(च) निर्यात की जाने वाली मशीनें आदि भारत में बनी हुई होनी चाहिए । भारतीय पूंजी

निवेश के बदले पुरानी अथवा मरम्मत की गई मशीनों के निर्यात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(छ) पूंजी के बदले निर्यातों पर सामान्य आयात प्रतिपूर्ति दी जाएगी जैसी कि पंजीकृत निर्यातकों हेतु समय-समय पर प्रवृत्त आयात नीति के अन्तर्गत निर्यातकों को उपलब्ध है।

(ज) नकद सहायता, अगर अन्यथा देय हो तो उसकी अनुमति भारतीय इक्विटी के बदले मशीनें तथा उपस्कर के निर्यातों के संबंध में भी होगी, किन्तु शर्त यह होगी कि उसकी सीमा एफ० ओ० बी० मूल्य के 10 प्रतिशत तक हो।

(झ) औद्योगिक तथा विनिर्माता संयुक्त उद्यमों के लिए योजनाएं तकनीकी रूप से तथा वित्तीय रूप से सक्षम होनी चाहिएं और उनके साथ नकद-प्रवाह विदरणों तथा लाभ के अनुमानों सहित ब्यौरेवार परियोजना होनी चाहिए। वाणिज्य/व्यापारिक/सेवा उद्यमों की योजनाओं के साथ इसी प्रकार संभाव्यता अध्ययन तथा अनुमान होने चाहिए।

(ञ) भारतीय अंशभागिता सामान्यतः भारत स्थित कारपोरेट के जरिए होनी चाहिए। उसके पास विनिर्माण संबंधी अनुभव और तकनीकी सक्षमता का होना आवश्यक है।

(ट) परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में निविदा तथा बोली देने के लिए विदेशों में स्थानीय प्रायोजित व्यक्तियों/संगठनों के साथ सहयोग करने की प्रार्थनाओं पर प्रस्तुत की गई निविदाओं, वित्तीय तथा अन्य गारन्टियों की आवश्यकताओं तथा अन्तःप्रवाह के प्राक्कलित पैटर्न के ब्यौरों के आधार पर विचार किया जाएगा।

(ठ) विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने की इच्छा रखने वाले भारतीय आवेदक को एफ० ई० आर० ए० 1973 की धारा 27 के अन्तर्गत अनुमोदन के लिए वाणिज्य मंत्रालय को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन इस प्रयोजन के लिए विहित फार्म में किया जाएगा।

(ड) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 372(4) के उपबंधों के अनुसार प्रस्थापना की क्लीयरेन्स के लिए क्रियाविधि निम्नोक्त प्रकार होगी :—

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 372(4) के अधीन क्लीयरेन्स के लिए आवेदन-पत्र अपेक्षित फीस के साथ कम्पनी कार्य विभाग को ही प्रस्तुत किया जाता रहेगा जैसा कि विहित है; तथा

(2) धारा 372(4) के अधीन क्लीयरेन्स के लिए कम्पनी कार्य विभाग को प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र की एक प्रति भी संयुक्त उद्यमों संबंधी आवेदन-पत्र के साथ अनुबंध के रूप में भेजी जाएगी।

7. व्यापारिक उद्यम :

अनुमोदित व्यापारिक संयुक्त उद्यमों के लिए जरूरी होगा कि वे वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) को उन निर्यातों का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करें जो संयुक्त उद्यमों को भारत से किए गए हों।

विवरण—दो

व्यवसाय आरम्भ करने में असफलता अथवा व्यवसाय आरम्भ करने में देरी के कारण

(i) इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि लिया जाने वाला उपयुक्त नहीं है, उद्यमी स्वयं परियोजना से हट जाते हैं। इसी प्रकार, विदेशों में सम्भावित सहयोगकर्त्ता सबसे अधिक लाभकारी सम्भव शर्तें प्राप्त करने के लिए एक से अधिक विकल्प रख रहे हैं और एक से अधिक पार्टी के साथ बातचीत कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से, सचेतन तथा समकल्पित उद्यमिता निर्णय के कारण दिए गए अनुमोदन निष्फल सिद्ध होते हैं।

(ii) भारतीय प्रोत्साहनों द्वारा वित्त जुटाने, माल बेचने, प्रबन्ध व्यवस्थाएं आदि की समस्याओं का निम्न अनुमान लगाना।

(iii) निवेश पूर्व सर्वेक्षण, परियोजना रिपोर्टों तथा पुख्ता सहयोग प्रबन्धों का अभाव।

(iv) स्थानीय सहयोगियों द्वारा समर्थन वापस लेना।

(v) मेजबान देश में राजनैतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन।

(vi) मेजबान देशों द्वारा संरक्षण का प्रतिवाद।

(vii) मेजबान देश की निवेश नीतियों में परिवर्तन।

(viii) विदेशों में औद्योगिक संयुक्त उद्यमों के लिए प्रस्थापनाएं अनुमोदित करने के अतिरिक्त अन्तःमंत्रालय समिति, ऐसी प्रस्थापनाओं का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए और विदेशों में संयुक्त उद्यमों के वास्तविक कार्यचालन का आवधिक मूल्यांकन करने के लिए प्रक्रियाएं तथा कार्यप्रणाली भी तैयार करेगी।

विदेशों में संयुक्त उपक्रमों के उद्देश्य

1922. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में संयुक्त उपक्रमों के लिए प्रस्तावित दो-स्तरों पर अनुमोदन प्रणाली का उद्देश्य और ब्यौरा क्या है (दिनांक 27 जून, 1984 का इकोनामिक टाइम्स) और मंजूरी पश्चात् कार्यनिष्पादन की निगरानी करने वाली प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन संयुक्त उपक्रमों के नाम उनके पते, व्यवसाय का क्षेत्र, लगाई गई भारतीय पूंजी,

मंजूरी की तारीख, व्यापार शुरू करने की तारीख और प्रत्येक उपक्रम में साझीदार भारत स्थित व्यापारिक घराने के नाम और पते क्या हैं; और

(ग) अब तक (एक) प्रत्येक उपक्रम के द्वारा कुल कितना लाभांश टैक्निकल शुल्क, प्रबन्ध शुल्क और रायल्टी के रूप में कितनी राशि प्रत्यावर्तित की गई है, और (दो) अब कुल कितना भारतीय माल निर्यात किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर): (क) दो स्तरीय अनुमोदन प्रणाली संयुक्त उपक्रम के मामलों पर विचार करने तथा उनके अनुमोदन को सरल तथा कारगर बनाने के लिए अनुमोदित की गई है। प्रथम स्तर में परियोजना के डेस्क मूल्यांकन द्वारा भारतीय प्रवर्तक को एक सूचना पत्र जारी किया जाएगा। दूसरे स्तर में सभी अधीनस्थ करार सम्पन्न होने और अन्तिम तसवीर सामने आने के बाद विदेशों में संयुक्त उपक्रमों सम्बन्धी अन्तःमंत्रालय समिति द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अधीन अन्तिम अनुमोदन दिया जाएगा।

भारतीय प्रवर्तकों से अनुमोदन पश्चात की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा और मानिटरिंग के सम्बन्ध में सम्बन्धित अभिकरणों को सम्बद्ध किया जाएगा।

(ख) तथा (ग) जानकारी 4 मई, 1984 को पूछे गए अतारांकित लोक सभी प्रश्न सं० 9993 के उत्तर में दी जा चुकी है। कुछ जानकारी को, जो सरकार को भारतीय प्रवर्तकों द्वारा इस शर्त पर प्रदान की गई है कि इसे सार्वजनिक तौर पर प्रकट नहीं किया जाएगा, छोड़ दिया गया। चालू संयुक्त उपक्रमों द्वारा लाभांशों, तकनीकी शुल्कों, प्रबन्ध शुल्कों तथा रायल्टियों का कुल प्रत्यावर्तन और साथ ही कुल गैर-साम्यता भारतीय निर्यात वाणिज्य मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट (1983-84) में दिए गए हैं जो पहले ही सभा-पटल पर रखी जा चुकी है।

1980 से 1984 के लिए अमरीका तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रत्येक देश के लिए सिले-सिलाए वस्त्र निर्यात कोटा नीति

1923. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **वाणिज्य मंत्री** 1980 से 1984 के लिए अमरीका तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रत्येक देश के लिए सिले-सिलाए वस्त्र निर्यात कोटा नीति के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980 से 1982 तक के प्रत्येक कोटा वर्ष में प्रत्येक कोटा अवधि के लिए प्रत्येक देश/श्रेणी के सम्बन्ध में ए० सी० एफ० एस० ठेका आरक्षण और एफ० सी० एफ० एस० तैयार वस्तुएं (छोटे आर्डर) के अन्तरित कोटा आबंटन के लिए कुल उपलब्ध/आबंटित मात्रा और कम किया गया मूल्य कितना है;

(ख) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक कोटा अवधि के लिए प्रत्येक देश श्रेणी

के सम्बन्ध में एफ० सी० एफ० एस० छोटे आदेश के अन्तर्गत कुल उपलब्ध/आबंटित मात्रा और कोटा आबंटन के लिए कम किए गए मूल्य कितना है; और

(ग) प्रत्येक देश/श्रेणी के सम्बन्ध में प्रत्येक कोटा अवधि के लिए कोटा आबंटन समाप्त होने की तारीख क्या है और उपरोक्त वर्षों और 30 जून, 1984 के अन्त तक प्रति वर्ष वार्षिक कोटा और वास्तव में उपयोग किया गया कोटा कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।

बिहार के नालन्दा जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राप्त जमा राशि और उनके द्वारा दिए गए ऋण

1924. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान बिहार के नालन्दा जिले में कार्यरत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्राप्त जमा राशि और उनके द्वारा दिए गए ऋणों का, वर्षवार, ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस जिले में दिए गए ऋणों की राशि बैंकों को प्राप्त जमा राशि की तुलना में कम है जिसके कारण उक्त जिले के विकास पर प्रतिकूल प्रभाग पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) बिहार के नालन्दा जिले में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की पिछले पांच वर्षों की जमा राशियों और अग्रिमों का ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है, रिजर्व बैंक के निदेशों के संदर्भ में बैंकों को अपनी जमा राशियों का कुछ हिस्सा नगद प्रारक्षित निधियों और तरल परिसम्पत्तियों के रूप में रखना होता है और वे अपने सभी साधनों को ऋणों के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते।

ऋण उत्पादक कार्यों में केवल एक निवेश्य वस्तु के रूप में होता है, ऐसेकई कारण हैं जिनमें उद्यमकर्त्ता ऋण लेने के लिए प्रभावित होता है जैसे बिजली, परिवहन, संचार और अन्य आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता। बाजार की निकटता औद्योगिक वातावरण आदि किसी भी क्षेत्र विशेष में ऋण का प्रसार स्तर अपने आप में आर्थिक गतिविधि के स्तर और विशेष रूप में व्यापार और उद्योग के संगठित क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि के स्तर पर निर्भर करता है। बैंक अलबत्ता, अपेक्षाकृत कम विकसित क्षेत्रों में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में लघु ऋणकर्त्ताओं को ऋण देने के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाने का प्रभा प्रयास कर रहे हैं। इस उद्देश्य के लिए बैंक ऋण पर आधारित सभी आधारभूत विकास योजनाओं में भाग ले रहे हैं। राज्य सरकारों से उनकी आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के लिए कहा गया है। ताकि अर्थक्षम धन्धों में बैंक ऋणों का आसानी से अधिक उपयोग किया जा सके।

एयर इण्डिया के निदेशक मण्डल का गठन

1925. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इण्डिया के निदेशक मण्डल का हाल ही में गठन किया गया है और यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) क्या अभी भी कुछ रिक्तियां हैं जो भरी नहीं गई हैं; यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है और यह किन हितों का प्रतिनिधित्व करेंगी तथा इन्हें कब तक भरे जाने की सम्भावना है;

(ग) एयर इण्डिया के प्रबन्ध निदेशक और उप-प्रबन्धक निदेशक की तुलना में नवनियुक्त अंशकालिक चैयरमैन की कार्यकारी शक्तियां क्या हैं और तकनीकी उप-प्रबन्ध निदेशकों के प्रबन्ध निदेशक के रूप में उन्नयन के परिणामस्वरूप चैयरमैन के कार्य क्या हैं;

(घ) अंशकालिक चैयरमैन का पारिश्रमिक और भत्ते क्या हैं तथा उनका मुख्यालय कहां है; और

(ङ) इस राष्ट्रीय विमान सेवा के लिए पूर्ण कालिक चैयरमैन की नियुक्ति न करने और चैयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक के पद पर अलग-अलग करने के क्या करण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां। एयर इण्डिया के पुनर्गठित निदेशक मंडल का गठन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) विमान निगम अधिनियम, 1953 (1953 का 27) की धारा 4 की उप-धारा (I क) के अनुसार, एयर इण्डिया के निदेशक मण्डल में एक अध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी तथा उसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अन्य निदेशक होंगे जिनकी संख्या 8 से कम नहीं होगी और 14 से अधिक नहीं होगी। इसलिए सरकार चाहे तो अभी और तीन निदेशक नियुक्त कर सकती है।

(ग) अंश-कालिक अध्यक्ष को निदेशक मण्डल की बैठकों की अध्यक्षता करनी होती है, और प्रबन्ध निदेशक इस निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है जो निदेशक मण्डल द्वारा उसे सौंपी गई वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग करता है।

(घ) एयर इण्डिया के अंश-कालिक अध्यक्ष के पारिश्रमिक और अनुलाभ को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। एयर इण्डिया के वर्तमान अंश-कालिक अध्यक्ष का मुख्यालय नई दिल्ली में है।

(ङ) एयर इण्डिया में एक अंश-कालिक अध्यक्ष और एक पूर्ण-कालिक प्रबन्ध निदेशक रखने का निर्णय प्रशासनिक विचारों के आधार पर किया गया है।

विवरण

एयर इण्डिया का निदेशक मण्डल

एयर इण्डिया के वर्तमान निदेशक मण्डल का गठन इस प्रकार है :—

1.	अंश-कालिक अध्यक्ष, एयर इण्डिया	अध्यक्ष
2.	वायु सेना के अध्यक्ष	पदेन निदेशक
3.	सचिव, नागर विमानन	पदेन निदेशक
4.	श्री नटवर सिंह, सचिव विदेश मंत्रालय	पदेन निदेशक
5.	अपर सचिव (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय	पदेन निदेशक
6.	महा निदेशक (पर्यटन)	पदेन निदेशक
7.	प्रबन्ध निदेशक, एयर इण्डिया	पदेन निदेशक
8.	अध्यक्ष भारत अन्तराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण	पदेन निदेशक
9.	अंश-कालिक अध्यक्ष, इण्डियन एयरलाइन्स	पदेन निदेशक
10.	प्रबन्ध निदेशक, इण्डियन एयरलाइन्स	पदेन निदेशक
11.	श्री जे० आर० डी० टाटा	गैर-सरकारी निदेशक
12.	श्री जेन० जी० रंगूनवाला	गैर-सरकारी निदेशक

फाल्टा मुक्त व्यापार क्षेत्र में निर्यात हेतु बनाई जा सकने वाली वस्तुओं का पता लगाने के लिए पश्चिम बंगाल का भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से सहायता मांगने का प्रस्ताव

1926. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने फाल्टा मुक्त व्यापार क्षेत्र में निर्यात के लिए बनाई जा सकने वाली वस्तुओं और उचित बाजार का पता लगाने हेतु भारतीय विदेश व्यापार संस्थान से सहायता मांगने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो वे वस्तुएं कौन सी हैं जिनका फाल्टा मुक्त व्यापार क्षेत्र में विभिन्न उद्योग निगमों और उद्यमियों द्वारा निर्माण किया जाएगा; और

(ग) फाल्टा मुक्त व्यापार क्षेत्र के निर्यात बाजार के संवर्धन के लिए भारतीय विदेश

व्यापार संस्थान द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को अन्य क्या विशेषज्ञता उपलब्ध कराई गई है अथवा उपलब्ध कराने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (घ) जी हां। तथापि, पता लगाने के कार्य को केवल फाल्टा मुक्त व्यापार क्षेत्र में विनिर्मित उत्पादों तक ही सीमित रखने का प्रस्ताव नहीं है बल्कि उसमें प० बंगाल से निर्यात किए जा सकने वाले सभी उत्पाद शामिल होंगे, जिन मदों का विनिर्माण विभिन्न औद्योगिक निगमों द्वारा तथा फाल्टा मुक्त व्यापार क्षेत्र के उद्यमियों द्वारा किया जा सकता है, उनके बारे में निर्णय अध्ययन पूरा हो जाने के बाद ही किया जाएगा।

(ग) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र के लिए उद्यमियों को अन्तर्राष्ट्रीय विपणन की तकनीकों तथा निर्यातों की प्रक्रिया में अन्तर्ग्रस्त निर्यात प्रक्रियाओं तथा प्रलेखन की जानकारी कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने का प्रस्ताव किया है।

पश्चिम बंगाल में "फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन" की स्थापना में हुई प्रगति

1927. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में "फाल्टा एक्सपोर्ट" प्रोसेसिंग जोन की स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है और यह कब तक पूरी तरह चालू हो जाएगा तथा वहां स्थित एकक अपने उत्पादों का निर्यात आरम्भ कर देंगे;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार के साथ परामर्श करके सरकार "फाल्टा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंगज जोन" के निकटवर्ती क्षेत्र में अनेक उद्योगों की स्थापना के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ताकि ये एकक जोन में स्थित एककों को आवश्यकता आदान उपलब्ध कर सकें; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यह मामला इस समय किस स्तर पर है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग जोन को यथाशीघ्र स्थापित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। फाल्टा ई० पी० जोन के लिए उठाए गए कुछ कदम निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(1) इस जोन के विकास आयुक्त की नियुक्ति की जा चुकी है। इनके कार्यालय ने कलकत्ता में कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

(2) वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री की अध्यक्षता में फाल्टा ई० पी० जेड० प्राधिकरण और अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में फाल्टा ई० पी० जेड० बोर्ड का गठन कर दिया गया है।

(3) प्रारम्भिक विकास कार्यों के लिए निधियां उपलब्ध करा दी गई हैं।

(4) इस जोन की स्थापना के लिए कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट द्वारा और राज्य सरकार ने भी प्राइवेट पार्टियों से कुछ भूमि लेकर भूमि उपलब्ध करा दी गई है।

(5) इस जोन के अन्तर्गत भूमि के एक भाग पर भूमि को ठीक करने का काम पूरा हो चुका है और निर्माण कार्य हेतु तैयार है। ट्यूबवैल लगाने, चार-दीवारी बनाने के कार्य के साथ-साथ भूमि के शेष भाग पर भूमि को ठीक करने के कार्य के शीघ्र आरम्भ होने की आशा है।

(6) पश्चिम बंगाल सरकार ने जोन के बाहर प्रवेश-मार्गों, बिजली और सामाजिक अवस्थापनाओं जैसी अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं के सृजन के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है। जोन में एकक स्थापित करने के लिए स्वीकृति केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा इस जोन को अधिसूचित किए जाने के तुरन्त बाद दी जाएगी तथा एकक उसके बाद कार्य करना आरम्भ कर देंगे। जोन में सुधार होगा और धीरे-धीरे पूर्णतः प्रचालन योग्य बन सकेगा।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

रुई का उत्पादन, मांग और आयात

1928. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान देश में कितनी मात्रा में कपास का उत्पादन हुआ;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश में कितनी मात्रा में कपास की वार्षिक मांग रही;

(ग) क्या उक्त रुई की मांग को पूरा करने के लिए रुई का आयात किया जा रहा है। यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कितनी मात्रा में रुई का आयात किया गया था और वह किस किस्म की रुई थी; और

(घ) देश में कपास की खेती बोने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान क्रमशः 84.77 लाख गांठें तथा 77.00 लाख गांठें रुई उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया था।

(ख) 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान देश में रुई की खपत का अनुमान क्रमशः 79.65 लाख गांठ तथा 83.65 लाख गांठ लगाया गया था।

(ग) उक्त अवधि के दौरान कोई रुई आयात नहीं की गई ।

(घ) रुई का उत्पादन बढ़ाने के लिए, देश के मुख्य रुई उपजकर्ता राज्यों में एक केन्द्रीय प्रायोजित गहन रुई विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है ।

अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों द्वारा 20 प्रमुख औद्योगिक घरानों को दिया गया ऋण

1929. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, यथा आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी० आई०, आई० सी० आई० सी० आई०, एल० आई० सी०, जी० आई० सी० आई० द्वारा 20 प्रमुख औद्योगिक घरानों को पिछले तीन वर्षों तथा 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में कुल कितना ऋण मंजूर किया गया और प्रवर्तकों द्वारा लगाई गई धनराशि की तुलना में मंजूर किए गए ऋण की सापेक्ष प्रतिशतता क्या है;

(ख) ऋण देने वाले इन संस्थानों के मण्डल में किन औद्योगिक घरानों के अपने निदेशक हैं और इन संस्थानों में उनके निदेशक के दौरान उन्हें कितना ऋण मंजूर किया गया; और

(ग) नवीनतम उपलब्ध जानकारी, अर्थात् 1 जुलाई, 1984 तक इन औद्योगिक घरानों की ओर मिनी कितनी धनराशि के ऋण बकाया हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) आई०डी०बी०आई, आई०एफ०सी० आई०, आई०सी०आई०सी०आई०; एल०आई०सी०जी०आई०सी० तथा यू०टी०आई० नामक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा वर्ष 1980-81, 1981-82 तथा 1982-83 के दौरान 20 प्रमुख औद्योगिक घरानों को मंजूर किए गए ऋणों की राशि तथा प्रवर्तकों के अंशदान के मुकाबले कुल स्वीकृत ऋणों की प्रतिशतता के सम्बन्ध में तत्काल उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और यथाउपलब्ध एवं नियमों के अधीन अनुज्ञेय सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

(लाख रुपए)

क्रम सं०	बड़े औ० घरानों के नाम	मंजूर किया गया ऋण		
		1980-81	1981-82	1982-83
1	2	3	4	5
1.	टाटा	4842.3 (22.1)	2137.4 (41.7)	1598.8 (22.2)

1 2	3	4	5
2. बिड़ला	1353.7	2719.6	1921.7
	(19.8)	(100.2)	(81.8)
3. मफतलाल	4643.6	1341.8	2124.4
	(166.2)	(90.2)	(156.8)
4. जे०के० सिंघानिया	2119.7	1316.2	3542.6
	(86.1)	(16.5)	(299.6)
5. थापर	2089.0	257.0	388.6
	(86.7)	(21.2)	(28.8)
6. ए०सी०सी०	5167.0	900.0	2957.0
	(169.4)	(31.0)	(95.7)
7. आई०सी०आई०	18.7	75.0	287.0
	(79.2)	(150.0)	(125.9)
8. साराभाई	75.0	386.0	365.0
	(93.7)	(28.4)	(85.4)
9. बांगुर	641.5	40.8	381.0
	(125.1)	(13.7)	(144.3)
10. किर्लोस्कर	514.6	618.1	124.9
	(60.4)	(97.8)	(146.0)
11. रिलायन्स	250.6	220.0	200.0
	(7.1)	(5.4)	(50.0)
12. श्रीराम	208.3	301.7	1368.1
	(90.0)	(76.3)	(149.6)
13. अशोक लेलेंड	1521.4	187.3	—
	(323.7)	(166.6)	—
14. हिन्दुस्तान लीवर	25.0	—	—
	(80.6)	—	—
15. मोदी	193.3	14.9	36.65
	(31.7)	(163.7)	(4.0)

1 2	3	4	5
16. सिंधिया	—	—	—
	—	—	—
17. टी०वी०एस० आयंगर	402.1	279.9	729.9
	(146.4)	(87.4)	(96.0)
18. महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा	276.3	1351.0	517.0
	(30.2)	(42.4)	(26 8)
19. लार्सन एण्ड टूब्रो	3725.0	312.0	165.1
	(175.6)	(104.7)	(105.3)
20. बजाज	391.2	519.4	275.2
	(36.4)	(170.0)	(172.0)

टिप्पणी :—कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रवर्तकों के अंशदान की तुलना में स्वीकृत ऋणों के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

लघुकृत पेंशन राशि की बहाली

1930. **श्री दिगम्बर सिंह :**

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट : क्या वित्त मंत्री लघुकृत पेंशन राशि की बहाली के लिए दर्ज की गई रिट याचिका पर आपत्ति के बारे में 16 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3353 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उक्त मामला किस अवस्था में है;

(ख) क्या आल इण्डिया पेंशनर्श एसोसिएशन तथा अन्य संगठनों ने भी आजकल के महंगे जीवन यापन और इन पेंशनधारियों की दयनीय आर्थिक स्थिति के सन्दर्भ में लघुकृत पेंशन राशि की बहाली की प्रार्थना करने वाला एक नया ज्ञापन भेजा है;

(ग) क्या अन्तिम विश्लेषण में राजकोष को कोई नुकसान नहीं होता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपने भूतपूर्व निष्ठावान कर्मचारियों की मांग पर विचार करने तथा उन्हें दस साल के बाद अथवा कम से कम जब वे 70 वर्ष से अधिक आयु के हो जाते हैं, उनकी लघुकृत पेंशन राशि बहाल करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) रिट याचिका अभी तक उच्चतम न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिए नहीं आई है।

(ख) पेंशनभोगियों के विभिन्न संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें पेंशन के संराशिकृत भाग को बहाल किए जाने का अनुरोध किया गया है।

(ग) यदि यह मांग स्वीकार कर ली जाती है तो इसमें भारी अतिरिक्त व्यय अन्तर्ग्रस्त होगा।

(घ) मांग पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया है परन्तु इसे स्वीकार नहीं किया जा सका।

बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जिला धनबाद, बिहार में ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्र के लिए दिया गया ऋण

1931. **श्री ए० के राय** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार के जिला धनबाद में ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्र के लिए कुल कितना ऋण दिया गया तथा प्रत्येक वर्ष के सम्बन्ध में ग्रामीण तथा औद्योगिक क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक क्षेत्र के लिए ब्याज की दर क्या है, क्या ग्रामीण क्षेत्र के लिए कोई वरीयता दी जाती है, इसके तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस प्रकार की कोई योजना है अथवा ऐसी कोई विधि है जिसके अन्तर्गत कोई व्यक्तिगत किसान कृषि के विकास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से सीधे ऋण प्राप्त कर सकता है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित मूल सांख्यिकीय विवरणियों में बिहार के धनबाद जिले के सम्बन्ध में बैंक ऋण के क्षेत्रवार वर्गीकरण के गत तीन वर्ष के उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अग्रिमों पर ब्याज की ली जाने वाली वर्तमान दरें अनुबन्ध-II में दी गई हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8538/84]

(ग) विभिन्न प्रयोजनों के वास्ते राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए जो प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाती है वह ग्रामीण क्षेत्रों में उनके द्वारा दिए जाने वाले सामान्य उधारों का अंग होती है। ये अग्रिम या तो फसल ऋण की जरूरतों को पूरा करने के लिए अल्पावधि ऋणों के रूप में होते हैं या भूमि विकास, लघु सिंचाई मशीनीकरण आदि जैसे प्रयोजनों के वास्ते मध्यावधि और दीर्घावधिक ऋणों के रूप में होते हैं।

विवरण

(राशि लाख रुपए)

क्षेत्र	जून 1979	जून 1980	जून 1981
कुल ऋण	5926	8331	6040
जिसमें से :			
(क) कृषि	30	27	93
(ख) उद्योग	4811	7180	4768
जिसमें से लघु उद्योग	740	701	738
(ग) परिवहन चालक	377	320	365
(घ) सेवाएं	60	99	96
(ङ) खुदरा व्यापार	218	218	214

ऋणभार को उतारने के लिए रियायती दर पर सहायता

1932. **श्री के० प्रधानी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत द्वारा ऋणभार उतारने के लिए रियायती दरों पर सहायता जारी रखने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में उपलब्ध की जाने वाली रियायती दर सहायता का स्वरूप क्या है; और

(ग) भारत ने इस समय वाणिज्यिक बाजारों से कितना ऋण ले रखा है ?

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) विश्व बैंक ने भारत को रियायती दरों पर सहायता दिए जाने की आवश्यकता को स्वीकार कर लिया है ।

(ख) विश्व बैंक समूह ने बैंक के वित्तीय वर्ष 1984-85 (जुलाई-जून) के दौरान 2.5 अरब डालर की सहायता देने का वचन दिया है । इस सहायता का कुछ भाग विश्व बैंक से ऋणों तथा बाकी भाग अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से ऋणों के रूप में प्राप्त होगा ।

(ग) 1983-84 के दौरान 1084.84 करोड़ रुपए के वाणिज्यिक उधार लेने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि से 10 लाख और इससे अधिक धनराशि का ऋण लेने वाली सभी फर्मों की अनिवार्य लेखा परीक्षा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का प्रस्ताव

1933. **श्री के० प्रधानी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से 10 लाख या इससे अधिक धनराशि का ऋण देने वाली सभी संस्थाओं की अनिवार्य लेखा परीक्षा कराने का प्रस्ताव भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना की रूपरेखा क्या है तथा लेखा परीक्षा का स्वरूप क्या है;

(ग) क्या ऋण लेने वाली कम्पनियों के सभी लेन-देन की लेखा परीक्षा की जाएगी और लेखा परीक्षकों का चयन और नियुक्ति कौन करेगा; और

(घ) इस योजना को अन्तिम रूप देने तथा इसे लागू करने में कितना समय लगेगा ?

वित्त मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों से दस लाख रुपए और उससे अधिक की ऋणसीमा प्राप्त करने वाले गैर-नियमित ऋणकर्त्ताओं के लेखाओं की परीक्षा करने का प्रस्ताव उसके विचाराधीन है ।

(ख) और (ग) प्रस्ताव यह है कि इन ऋणकर्त्ताओं की लेखा पुस्तकें परीक्षा चार्टर्ड लेखाकारों द्वारा करवाई जाएं और उनसे तुलन पत्र-लाभ और हानि का विवरण लेखा परीक्षा की रिपोर्ट आदि मांगी जाए । इस प्रस्ताव पर अभी विचार किया जा रहा है । विस्तृत ब्यौरों को भी अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक मामले की जांच कर रहा है और अन्तिम फैसले में कुछ समय लगेगा ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए शाखा विस्तार नीति तैयार करना

193 **श्री के० प्रधानी : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए एक सक्षम तथा कार्य प्रधान शाखा विस्तार नीति तैयार करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने के लिए उसकी प्रमुख बातें क्या हैं;

(ग) क्या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शाखा नियंत्रक तंत्र द्वारा अभी स्थिरता प्राप्त करनी है तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारी संख्या की शाखाओं जो कुछ मामलों में 100 से भी अधिक हो चुकी है, नियंत्रित करने की स्थिति में नहीं हैं; और

(घ) उड़ीसा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या क्या है और उस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में कुछ और अधिक शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) चालू शाखा विस्तार नीति के सन्दर्भ में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अपने कार्य क्षेत्र के बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए प्राथमिकता दी गयी है । और प्रत्येक खण्ड में इससे बड़े वाणिज्यिक बैंकों को शाखायें खोलने के लिए आवश्यकता के आधार पर लाइसेंस देने की नीति से लोगों की बैंकिंग संबंधी आवश्यकताएं काफी हद तक पूरी हो जाएंगी ।

(ग) यद्यपि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संगठनात्मक ढांचे का अभी विकास होना है, लेकिन कुछ विशेष मामलों में उचित और आवश्यक उपाय, जिनमें स्थापित बैंकों में बंटवारा भी शामिल है, किए जाएंगे-ताकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रधान कार्यालयों द्वारा शाखाओं पर उचित नियंत्रण और पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जा सके ।

(घ) उड़ीसा में नौ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं । भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1983 के अन्त तक अन्य बैंकों की 829 शाखाओं के अतिरिक्त इन बैंकों की 546 शाखाएं कार्यरत थी । दिसम्बर, 1983 के अन्त में सभी बैंकों के पास कुल मिलाकर उड़ीसा में शाखाएं खोलने के लिए 277 लाइसेंस लम्बित पड़े थे ।

बागान कर्मचारियों की शिक्षा के लिए चाय बोर्ड द्वारा छात्रवृत्तियां दिया जाना

1935. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चाय बोर्ड बागान कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां देता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त छात्रवृत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1980 से चाय बोर्ड द्वारा दी गई छात्रवृत्ति से चिकित्सा और इन्जीनियरिंग उपाधि पाठ्यक्रमों आदि सहित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, अवर स्नातक, स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए, वर्ष-वार और श्रेणी-वार कुल कितने छात्र लाभान्वित हुए;

(घ) विदेशों में अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले छात्रों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) बागान कर्मचारियों के बच्चों को वित्तीय सहायता अथवा छात्रवृत्तियां देने के लिए अपनाए जा रहे मानदण्डों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या बागान कर्मचारियों के बच्चों के लिए चाय बोर्ड का विचार व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों आदि की स्थापना करके उन्हें चलाने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) चाय बोर्ड चाय बागान-कामगारों के बच्चों को छात्र-वृत्तियां नहीं देता है। तथापि बोर्ड अनुदान तथा शैक्षणिक वजीफे तो देता है। वजीफा निर्धारित सीमा के अध्यधीन ट्यूशन फीस, होस्टल प्रभार की अदायगी के रूप में दिया जाता है। ये अनुदान एक मुश्त के रूप में दिए जाते हैं।

(ग) 1980-81 से 1983-84 के दौरान चाय बोर्ड की वजीफे/अनुदान योजनाओं से लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या के सम्बन्ध में ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(घ) कोई नहीं।

(ङ) चाय बागान-कामगारों के बच्चों को अनुदान/वजीफे देने के लिए चाय बोर्ड द्वारा अपनाए गए मानदण्डों के ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण-2 संलग्न हैं।

(च) इस समय हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है

विवरण—1

चाय बोर्ड द्वारा दिए गए वजीफे/अनुदान प्राप्त करने वाले चाय बागान कामगारों के बच्चों की संख्या का वर्षवार श्रेणीवार ब्यौरा

वर्ष	प्राथमिक	माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक	तकनीकी डिप्लोमा/ सर्टिफिकेट तथा व्यावसायिक	सामान्य कालेज	तकनीकी व्यावसायिक डिग्री	योग
1980-81	3*	442	31	110	30	616
1981-82	2*	393	26	71	4	496
1982-83	5*	403	40	113	5	566
1983-84	—	428	29	86	11	554

* यह केवल विकलांगों और मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को उपलब्ध है।

विवरण—2

चाय बागन-कामगारों के बच्चों को वजीफे/अनुदान देने के लिए चाय बोर्ड द्वारा अपनाए गए मानदण्डों के ब्यौरे

शिक्षा	वर्ष	माता-पिताओं की मासिक आय	गुणावगुण का मानदण्ड	अनुदान/वजीफों की मात्रा	
				ट्यूशनफीस	होस्टल प्रभार
1	2	3	4	5	6
माध्यमिक/	1980-81	250 रु० तक	पिछली वार्षिक	मुफ्त	सम्पूर्ण
उच्चतर	(31-12-81 तक)	251 रु० से	परीक्षा में अपेक्षित कम से	राज्यों के नियमों	
माध्यमिक		750 रु० तक	कम 40% अंक लेने पर	के अनुसार	
			प्रवेश के अध्यधीन	—वही—	आधा
	1981-82	660 रु० तक	प्रवेश के अध्यधीन	—वही—	सम्पूर्ण
		601 से 1000 रु० तक			
आम कालेज	1980-81	750 रु० तक	पिछली सार्वजनिक परीक्षा अपेक्षित कम से कम 50% अंक प्राप्त करने पर	सम्पूर्ण	सम्पूर्ण

1	2	3	4	5	6
	1981-82	1000 रु० तक	—वही—	—वही—	—वही—
तकनीकी डिप्लोमा व्यवसायिक	1980-81	250 रु० तक	प्रवेश पाने के अध्यधीन	सम्पूर्ण	सम्पूर्ण
		251 रु० से 750 रु० तक	—वही—	—वही—	आधा
	1981-82	600 रु० तक	—वही —	—वही—	सम्पूर्ण
		601 रु० से 1000 रु० तक	—वही—	वही—	आधा
तकनीकी व्यवसायिक	1980-81	750 रु० तक	पिछली सार्वजनिक परीक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने पर	सम्पूर्ण	सम्पूर्ण
	1981-82	1000 रु० तक	—वही—	—वही—	—वही—

नोट :—चाय बागाना के उन कामगारों के मानसिक रूप से कमजोर और विकलांग बच्चों के सम्बन्ध में, जिनकी मासिक आय 1980-81 में 750 रु० और 1981-82 में 1000 रु० से अधिक नहीं थी, प्राथमिक शिक्षा से ही ट्यूशन फीस और होस्टल प्रभारों की सम्पूर्ण अदायगी देय होगी ।

राष्ट्रीय बचत-पत्रों की बिक्री से धनराशि प्राप्ति का लक्ष्य

1936. **श्री जयन्ती पटनायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान राष्ट्रीय बचत-पत्रों की बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था;

(ख) उक्त वर्ष में राष्ट्रीय बचत-पत्रों की बिक्री से वास्तव में कितनी धनराशि प्राप्त हुई; और

(ग) उक्त वर्ष में विभिन्न राष्ट्रीय बचत पत्र योजनाओं के अन्तर्गत हुई उपलब्धि का क्या ब्यौरा है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान विभिन्न राष्ट्रीय बचत पत्र योजनाओं के अन्तर्गत निवल संग्रह का संशोधित अनुमान 1335 करोड़ रुपए का था ।

(ख) 1983-84 के दौरान इन बचत पत्रों से प्राप्त निवल संग्रह (अनन्तिम) 1597 करोड़ रुपए का था ।

(ग) उक्त वर्ष में विभिन्न राष्ट्रीय बचत पत्र योजनाओं के अन्तर्गत हुए निवल संग्रह (अनन्तिम) का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	(करोड़ रुपए)
(i) राष्ट्रीय बचत-पत्र द्वितीय निर्गम	108
(ii) राष्ट्रीय बचत-पत्र छठा निर्गम	1440
(iii) राष्ट्रीय बचत-पत्र सातवां निर्गम	201
(iv) अन्य बन्द कर दिए गए बचत-पत्र (केवल आहरण)	(—) 152

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा भारतीय परियोजनाओं के लिए तकनीकी तथा वित्तीय सहायता

1937. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भारतीय परियोजनाओं की संख्या कितनी है जिनमें संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का सहयोग है;

(ख) उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इन परियोजनाओं के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को कितनी वित्तीय और तकनीकी सहायता दी जा रही है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त चालू परियोजनाओं की संख्या 31 जुलाई, 1984 तक 173 थी ।

(ख) तथा (ग) एक विवरण, जिसमें आवश्यक जानकारी प्रस्तुत की गई है, संलग्न है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 8539/84]

काहिरा में भारतीय चाय केन्द्र को बन्द करना

1938. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काहिरा में भारतीय चाय केन्द्रों को बन्द करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) चाय बोर्ड के विदेश स्थित चाय केन्द्रों को बन्द करने और इसकी बजाय अधिक प्रभावी संवर्धनात्मक कार्यकलापों पर ध्यान दिए जाने का निर्णय किया गया है ।

दिल्ली-इन्दौर-भोपाल-बम्बई के लिए शाम की उड़ान का प्रस्ताव

1939. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली-इन्दौर-भोपाल-बम्बई के लिए एक सांयकालीन उड़ान शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन योजना का क्या ब्यौरा है; और

(ग) मध्य प्रदेश के लिए वर्ष 1984-85 के लिए असैनिक विमानन कार्यक्रमों के विस्तार और सुधार का क्या ब्यौरा है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(ग) प्रचालनों में सुधार एक अनवरत प्रक्रिया है तथापि वर्तमान वर्ष में किसी बड़े विस्तार कार्य की योजना नहीं बनाई गई है ।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा राज्य वित्त निगमों को दी गयी "मूल पूंजी"

1940. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक स्व-रोजगार योजना के अन्तर्गत छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य वित्त निगम को मूल पूंजी देता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने इस बारे में राज्य वित्त निगमों को कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत भेजे हैं और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(घ) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के ध्यान में यह बात आयी है कि अधिकांश राज्य वित्त निगम मंजूरशुदा धनराशि का प्रयोग नहीं कर सके यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या उपाय करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई० डी० बी० आई०) निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत लघु उद्योग क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है :—

(1) विशेष पूंजी योजना जिसके अन्तर्गत आई० डी० बी० आई० राज्यों सरकारों के साथ बराबरी के आधार पर राज्य वित्तीय निगमों की विशेष पूंजी में अंशदान करता है और यह रकम राज्य वित्तीय निगमों द्वारा लघु, अति लघु और विकेन्द्रित क्षेत्रों में परियोजनाएं स्थापित करने के लिए बीज पूंजी सहायता प्रदान करने के लिए काम में लाई जाती है ।

(2) राज्य वित्तीय निगमों द्वारा लघु उद्योगों को दिए गए ऋण की पुनर्वित्त व्यवस्था ।

(3) संयुक्त ऋण योजना जिसके अन्तर्गत ग्रामीण और कुटीर उद्योग और कारीगरों को राज्य वित्तीय नियमों द्वारा दिए गए 25,000 रुपए तक के ऋणों की आई० डी० बी० आई० द्वारा पुनर्वित्त व्यवस्था प्रदान की जाती है ।

(ख) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान आई० डी० बी० आई० द्वारा विशेष पूंजी योजना, पुनर्वित्त व्यवस्था और संयुक्त ऋणों के अन्तर्गत दी गयी सहायता का ब्यौरा

नीचे दिया गया है :—

	1981-82	1982-83	1983-84
			(लाख रुपए)
1. विशेष पूंजी योजना के अन्तर्गत लघु उद्योग अति लघु और विकेन्द्रित क्षेत्रों को संवितरित राशि	154	171	130
2. लघु क्षेत्रों को मंजूरी की गयी पुनर्वित्त सहायता	33870	44370	इस समय उपलब्ध नहीं है ।
3. संयुक्त ऋण योजना के अन्तर्गत मंजूरियां	882	660	494

(ग), (घ) और (ङ) दिसम्बर, 1983 में राज्य वित्तीय निगमों के मुख्य कार्यलयों की बैठक के दौरान आई० डी० बी० आई० ने विशेष पूंजी योजना के अन्तर्गत इन निगमों को दी जाने वाली सहायता को बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया । वित्तीय वर्ष 1984-85 के लिए, आई० डी० बी० आई० ने संयुक्त ऋण योजना के अन्तर्गत कारीगरों और ग्राम उद्योगों को सहायता प्रदान करने के लिए खास छोटी सीमाएं उपलब्ध कराना शुरू कर दिया है । आई० डी० बी० आई० ने विशेष पूंजी योजना और संयुक्त ऋण योजना को उदार बनाने के उद्देश्य से इन योजनाओं की समीक्षा करनी शुरू कर दी है ।

अनधिकृत विद्युत-चालित करघे

1941. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रहे अनधिकृत विद्युत-चालित करघों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनधिकृत विद्युत-चालित करघों के कार्य का संगठित मिल क्षेत्रों के साथ-साथ विकेन्द्रीयकृत हथकरघा क्षेत्र पर प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) अनधिकृत विद्युत-चालित करघों की वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या इसे रोकने के लिए राज्यों को कुछ अनुदेश अथवा निदेश दिए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) सरकार को देश में अनधिकृत विद्युतकरघों की सम्भावना की जानकारी है। चूंकि ये ये विद्युतकरघे अनधिकृत हैं अतः उनके स्थान के बारे में कोई ब्यौरे नहीं दिए जा सकते।

(ग) इस सम्भावना को, कि एक विस्तारशील विद्युतकरघा क्षेत्र से संगठित मिल क्षेत्र तथा साथ ही विकेन्द्रीकृत हथकरघा क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, नकारा नहीं जा सकता।

(घ) से (च) अनधिकृत विद्युतकरघों का पता लगाने और उनकी मौजूदगी के लिए उत्तरदाई व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारों को आवश्यक शक्तियां प्राप्त हैं। वस्त्र (विद्युतकरघों द्वारा उत्पादन) नियन्त्रण आदेश 1956 तथा सूती वस्त्र नियन्त्रण आदेश 1948 के अन्तर्गत वस्त्र आयुक्त को प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्होंने बिना वैध परमिट वाले विद्युतकरघों का निरीक्षण करने यथा उनको कब्जे में लेने के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं।

कुछ किस्मों के कपड़ों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध

1942. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ नई किस्मों के कपड़ों के उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

दानापुर छावनी बोर्ड के अन्तर्गत सड़कों की दशा में सुधार

1943. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दानापुर छावनी बोर्ड के अन्तर्गत कुछ सिविलियन कालोनियों में सफाई और सड़कों की दशा अत्यधिक खराब है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं;

(ग) क्या बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा स्थानीय संसद सदस्य को बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद कई स्थानों पर कूड़े के ढेर पड़े हैं और सड़कों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस दशा को सुधारने हेतु सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) और (ख) दानापुर छावनी के सदर बाजार क्षेत्र में सफाई की स्थिति को सुधारने की आवश्यकता है। यह बहुत घनी आबादी वाला क्षेत्र है और यहां की जल निकासी पद्धति बहुत पुरानी है जिसके रिसने और बन्द होने की सम्भावना बनी रहती है। अनधिकृत नालियों को उनमें डालने से इस पद्धति में और रुकावट उत्पन्न हो जाती है।

मानसून के दौरान सिविल क्षेत्र में सड़क के कुछ हिस्सों को क्षति पहुंची है।

(ग) और (घ) सड़क में फैंके गए कूड़े को सफाई कर्मचारी नियमित रूप से हटा रहे हैं। छावनी के सिविल क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाने और सड़कों के रख-रखाव और सुधार के लिए आवश्यक मरम्मत कार्य शुरू करने की दृष्टि से छावनी कार्यवाहक अधिकारी को आवश्यक निदेश दे दिए गए हैं।

जापानी और अमरीकी कम्पनियों द्वारा तीसरे देशों में संयुक्त टेन्डरों और उप-ठेकों में रुचि लेना

1944. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी और अमरीकी कम्पनियों ने तीसरे देशों में संयुक्त टेण्डरों और उप-ठेकों के लिए रुचि दर्शाई है;

(ख) यदि हां, तो अमरीकी और जापानी कम्पनियों के उन अधिकारियों का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने इस सम्बन्ध में भारत की यात्रा की है; और

(ग) ऐसे कौन-कौन से देश हैं, जहां अमेरिका और जापान के सहयोग से उद्योग स्थापित किए जाएंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० ए० संगमा : (क) जी हां।

(ख) तीसरे देशों की परियोजनाओं में भारत तथा जापानी अथवा अमरीकी पार्टियों के बीच संयुक्त निविदा तथा उप-संविदा करने की सम्भाव्यताओं के विषय पर ई० ई० पी० सी० आफ इण्डिया द्वारा टोकियो (जापान) और ह्यूस्टन (संयुक्त राज्य अमरीका) में आयोजित सम्मेलनों के फलस्वरूप, संयुक्त राज्य अमरीका और जापानी फर्मों के प्रतिनिधियों का भारत को और भारत के प्रतिनिधियों द्वारा उन देशों को दौरों का प्रवाह सतत बना रहा।

(ग) भारतीय तथा जापानी अथवा अमरीकी पार्टियों ने इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, सऊदी अरब, जार्डन, मलयेशिया, नेपाल, सोमालिया, नाइजीरिया और सं० रा० अमरीका में संयुक्त रूप से ठेके लिए हैं।

कोचीन नेवल बेस सिविलियन वर्कशाप यूनियन से चिकित्सा सुविधाओं हेतु ज्ञापन

1945. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कोचीन नेवल बेस सिविलियन वर्कर्स यूनियन द्वारा, उनको पहले से प्राप्त वर्तमान चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने के लिए दिया गया कोई ज्ञापन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यावही की गई है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) जी हां।

(ख) अभ्यावेदन में निम्नलिखित बातें कही गई हैं : —

(1) सिविलियन कर्मचारियों के लिए चिकित्सा जांच कक्ष के वास्ते एक स्थाई इमारत की व्यवस्था करना;

(2) एम्बूलैंस सुविधाओं की व्यवस्था करना जिसे स्थाई चिकित्सा जांच कक्ष से सम्बद्ध किया जाए;

(3) कोचीन में नेवल बेस के सिविलियन कर्मचारियों के लिए आवासीय मकानों की व्यवस्था करना;

(4) नौसेना अस्पतालों में सिविलियन कर्मचारियों को उदारता के आधार पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना; और

(5) सिविलियन कर्मचारियों की चिकित्सा के लिए प्राइवेट अस्पतालों को मान्यता देना।

इस गैर-मान्यता प्राप्त संघ द्वारा उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर दक्षिण नौ सेना कमान से एक रिपोर्ट मांगी गई है और उसके प्राप्त होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

कोचीन स्थित नौसैनिक अड्डे के असैनिक कर्मचारियों को ओणम त्यौपार से पहले बोनस की अदायगी

1946. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को ओणम त्यौहार से पहले बोनस मिलता था;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार कोचीन स्थित नौसैनिक अड्डे के असैनिक कर्मचारियों को ओणम त्यौहार से पहले बोनस देने के उपाय करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) से (ग) जी, नहीं ।

पश्चिम बंगाल में पटसन और चाय उद्योगों का पुनरोत्थान

1947. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार यह महसूस करती है कि पश्चिम बंगाल के पटसन और चाय जैसे परम्परागत बड़े उद्योगों के पुनरोत्थान की तत्काल आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं; और

(ग) उक्त योजनाएं कब तक पूरी हो जाएंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) जहां तक पटसन उद्योग का सम्बन्ध है यह बताया जाता है कि संयन्त्र तथा मशीनों के आधुनिकीकरण/नवीकरण की अत्यन्त आवश्यकता है । हालांकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्यौगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम जैसी वित्तीय संस्थाएं पटसन मिलों को उनके आधुनिकीकरण तथा पुर्नस्थापन कार्यक्रम के लिए अपनी आसान ऋण योजना के अन्तर्गत ब्याज की रियायती दरों पर वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं परन्तु उद्योग की रुचि प्रोत्साहनजनक नहीं है । संयंत्रों और उपस्करों के आधुनिकीकरण तथा पुर्नस्थापन के लिए अब तक केवल 9 पटसन मिलों द्वारा 12.38 करोड़ रु० की सुलभ ऋण योजनाओं का लाभ उठाने की सूचना मिली है । रुग्ण पटसन मिलों के संयंत्रों तथा उपस्कारों के आधुनिकीकरण तथा नवीकरण के लिए सावधि ऋणों सहित वित्तीय सहायता मंजूर करने पर विचार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वावधान में पटसन उद्योग के लिए एक स्थाई समिति स्थापित की गई है ।

चाय उद्योग, कुल मिलाकर अच्छा चल रहा है । सरकार ने चाय उत्पादन बढ़ाने के लिए दार्जिलिंग ब्याज उपदान योजना और राजकोषीय रियायतों की पहले ही स्वीकृति दे दी है । चाय के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में चाय उद्योग के विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम शामिल हैं जिनके परिणामस्वरूप उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होगी :—

1. विस्तार रोपण
2. पुनर्रोपण
3. कायाकल्प/नवीकरण और भराई
4. जल निकासी
5. सिंचाई
6. अच्छी खाद तथा देख-रेख

श्रीलंका में ट्रिंकोमाली बन्दरगाह की सुरक्षा

1948. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रीलंका में ट्रिंकोमाली बन्दरगाह जिसे अब अमरीकी कम्पनियों के एक संघ को पट्टे पर दे दिया गया है, से होकर आने वाले नौसैनिक पोतों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ख) हमारे समुद्री क्षेत्रों में जहां श्रीलंका के नौसैनिक पोतों को राष्ट्रीय सुरक्षा बेड़े के नाम पर तैनात कर दिया गया है, हमारे अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) भारतीय नौसेना के पोत; श्रीलंका की जल सीमा के बाहर अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग से होकर गुजरते हैं और उन्हें ट्रिंकोमाली स्थित श्रीलंका के नौसैनिक पोतों से कोई खतरा नहीं है ।

(ख) भारतीय नौसेना और तटरक्षक पोत इस क्षेत्र में हमारे सामुद्रिक हितों की रक्षा के लिए अपनी ओर की सामुद्रिक सीका की लगातार गश्त लगा रहे हैं ।

कपड़ा मिलों द्वारा उत्पादित हैंक यार्न का दुरुपयोग

1949. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा मिलों द्वारा उत्पादित 50 प्रतिशत हैंक यार्न का, जो हथकरघा क्षेत्र को आबंटित था दिया जाना अनिवार्य था, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान मिल क्षेत्र को दिया जा रहा था;

(ख) यदि हां, तो कपड़ा मिलों द्वारा कितना और कितने मूल्य का सूत इस प्रकार मिल क्षेत्र को दिया गया;

(ग) उन मिलों के नाम क्या हैं जिन्होंने हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित अनिवार्य कोटा उन्हें नहीं दिया;

(घ) क्या निर्धारित सूत कोटा कपड़ा क्षेत्र को दिए जाने से रोकने में कपड़ा आयुक्त की कोई गल्ती है; और

(ङ) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है, यदि हां, तो कितने अधिकारी इसमें शामिल पाए गए; और ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ङ) सरकार को, हथकरघा क्षेत्र के लिए निर्धारित हैंक यार्न मिल क्षेत्र को दिए जाने के सम्बन्ध

में कोई जानकारी नहीं है । उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उन मिलों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं जिन्होंने हथकरघा क्षेत्र के लिए अनिवार्य कोटा आरक्षण का पालन नहीं किया है।

विवरण

उन मिलों के नाम जिन्होंने हथकरघा क्षेत्र के लिए अनिवार्य कोटा आरक्षण का पालन नहीं किया

1. मैसर्स हेमलता टैक्सटाइल
2. मैसर्स प्रियादर्शनी स्पिनिंग मिल्स
3. मैसर्स प्रियादर्शनी स्पिनिंग मिल्स
4. मैसर्स श्री कल्याण श्रीनिवासा टैक्सटाइल
5. मैसर्स एल्सन काटन मिल्स
6. मैसर्स श्री सारावती स्पिनिंग मिल्स
7. मैसर्स ईस्ट इण्डिया साइनटैक्स लि०
8. मैसर्स के० सी० टैक्सटाइल लि०
9. मैसर्स पासूपती स्पिनिंग मिल्स
10. मैसर्स श्री वालीप्पा टैक्सटाइल लि०
11. मैसर्स दोबलपुर स्पिनिंग मिल्स
12. मैसर्स बिन्नी लि०
13. मैसर्स गोपालकृष्ण टैक्सटाइल मिल्स
14. मैसर्स श्री मीनाक्षी सुन्दरम टैक्सटाइल लि०
15. मैसर्स श्रीदेवी टैक्सटाइल प्रा० लि०
16. मैसर्स अशोक टैक्सटाइल लि०
17. मैसर्स राजगोपाल टैक्सटाइल मिल्स
18. मैसर्स कठाई काटन मिल्स
19. मैसर्स त्रिवेन्द्रम स्पिनिंग मिल्स
20. मैसर्स तिरुपत्ती मिल्स (प्रा०) लि०
21. मैसर्स जी० टी० ए० टैक्सटाइल लि०

22. मैसर्स कट्टयाम टैक्सटाइल लि०

23. मैसर्स केरल स्पिनर्स लि०

24. मैसर्स प्रभुराम मिल्स लि०

25. मैसर्स सीताराम स्पिनिंग एण्ड वीविंग कं०

26. मैसर्स हीरो फाइबर्स लि०

27. मैसर्स दि जनरल इण्डस्ट्रीज सोसायटी लि०

28. मैसर्स कानपुर टैक्सटाइल मिल्स

29. मैसर्स अमौसी टैक्सटाइल मिल्स लि०

30. मैसर्स यू० पी० स्टेट स्पीनिंग मिल्स मिल्स कं० (नं०—1), रायबरेली

31. मैसर्स यू० पी० स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन लि०, मेरठ

32. मैसर्स यू० पी० स्टेट स्पीनिंग मिल्स (नं०—1), अकबरपुर

33. मैसर्स यू० पी० स्टेट स्पीनिंग मिल्स, मौनाथ भंजन

34. मैसर्स संत कबीर सहकारी कताई मिल्स, बस्ती

35. मैसर्स हाथी सिंह मैन्यूफैक्चरिंग मिल्स

36. मैसर्स अहमदाबाद काटन मैन्यूफैक्चरिंग क० लि०

37. मैसर्स कैलिको मिल्स

38. मैसर्स मंजूश्री टैक्सटाइल्स

39. मैसर्स श्री बंशीधर स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स

40. मैसर्स श्री अरवुदा मिल्स लि०

41. मैसर्स न्यू स्वदेशी मिल्स आफ अहमदाबाद लि०

42. मैसर्स श्री महुआ स्पीनिंग मिल्स.

43. मैसर्स राजप्रकाश स्पीनिंग मिल्स लि०

44. मैसर्स बोम्बे डाइंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग लि०

45. मैसर्स सुकेतु टैक्सटाइल्स

46. मैसर्स अंकुर टैक्सटाइल्स

47. मैसर्स एल० डी० टैक्सटाइल्स इण्डस्ट्रीज

48. मैसर्स कान्ती काटन मिल्स (प्रा०) लि०

49. मैसर्स पोद्दार स्पीनिंग मिल्स

50. मैसर्स राजस्थान स्पीनिंग एण्ड वीविंग मिल्स

51. मैसर्स सुदर्शन टैक्सटाइल मिल्स

52. मैसर्स महाराजा श्री उमैद मिल्स

53. मैसर्स मेवाड़ टैक्सटाइल मिल्स

54. मैसर्स जयपुर सिनटैक्स लि०

55. मैसर्स राजस्थान सिन्टैक्स लि०

56. मैसर्स जयपुर पोलिस्थिन लि०

57. मैसर्स ओरिन्ट सिन्टैक्स मिल्स

58. मैसर्स तिरुपती फाइबर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०

59. मैसर्स सिद्ध सिन्टैक्स लि०

60. मैसर्स सागर स्पिनिंग मिल्स लि०

61. मैसर्स सुपर सिन्कोटैक्स (आई०) लि०

62. मैसर्स डुमरौन टैक्सटाइल लि०

63. मैसर्स उड़ीसा टैक्सटाइल मिल्स

64. मैसर्स निमार टैक्सटाइल्स

65. मैसर्स बिनोद मिल्स

66. मैसर्स हुकमचन्द मिल्स

67. मैसर्स राजकुमार मिल्स

68. मैसर्स बिलासपुर स्पिनिंग मिल्स

69. मैसर्स मंदसौर टैक्सटाइल्स

70. मैसर्स श्री साजन मिल्स

71. मैसर्स बम्बई डाइंग मैन्यूफैक्चरिंग कं०

72. मैसर्स सैंचुरी मिल्स

73. मैसर्स मातुल्य मिल्स लि०

74. मैसर्स पिनले मिल्स

75. मैसर्स गोल्ड मोहर मिल्स लि०

76. मैसर्स कमला मिल्स लि०

77. मैसर्स खटाऊ माकंजी मैन्यूफैक्चरिंग एण्ड वीविंग मिल्स लि०

78. मैसर्स पीरामल स्पिनिंग एण्ड विविंग मिल्स

79. मैसर्स स्टैण्डर्ड मिल्स

80. मैसर्स मफतलाल फाइन स्पिनिंग एण्ड मैन्यूफैक्चरिंग नं० 3

81. मैसर्स रूबी मिल्स

82. मैसर्स रघुवंशी मिल्स

83. मैसर्स प्रकाश काटन मिल्स

84. मैसर्स मफतलाल फाइन स्पिनिंग एण्ड मैन्यु० नं० 2

85. मैसर्स स्वान मिल्स लि०

86. मैसर्स विक्टोरिया मिल्स

87. मैसर्स राजा बहादुर मोतीलाल पूना

88. मैनर्स अशार टैक्सटाइल्स लि०

89. मैसर्स मरुदमलाई श्री मुरुगन टैक्सटाइल्स लि०

90. मैसर्स कनप्पीरन मिल्स लि०

91. मैसर्स दि कोयम्बटूर पायनीयर मिल्स लि० यूनिट-बी०

92. मैसर्स तिरुपुर काटन स्पिनिंग एण्ड वी०

93. मैसर्स प्रशान्त टैक्सटाइल्स प्रा० लि०

94. मैसर्स वी० आर० टैक्सटाइल प्रा० लि०

95. मैसर्स दि भवानी मिल्स लि०

96. मैसर्स श्री कथरी टैक्सटाइल्स प्रा० लि०

97. मैसर्स धनलक्ष्मी मिल्स लि०

98. मैसर्स राधाकृष्ण मिल्स लि०

99. मैसर्स वसन्त मिल्स लि०

100. मैसर्स थिरुमलाई मिल्स

101. मैसर्स दि जवाहर मिल्स लि०

102. मैसर्स दि करूर मिल्स

103. मैसर्स वर्धा लक्ष्मी मिल्स

104. मैसर्स श्री नरसिम्हा मिल्स

105. मैसर्स श्री शक्ति टैक्सटाइल्स

106. मैसर्स श्री हरि मिल्स लि०

107. मैसर्स सरोजा मिल्स लि०

108. मैसर्स राजलक्ष्मी मिल्स लि०

109. मैसर्स क्वालिटी स्पि० मिल्स

110. मैसर्स राजनारायण टैक्सटाइल्स

111. मैसर्स जनार्दन मिल्स लि०

112. मैसर्स गंनामबिका मिल्स लि०

113. मैसर्स कोयम्बटूर पायनियर मिल्स

114. मैसर्स बालाजी काटन मिल्स

115. मैसर्स श्री थाम्बी मार्डन स्पि० मिल्स लि०

116. मैसर्स श्री स्नेहवाली टैक्सटाइल प्रा० लि०

117. मैसर्स हम्सावेनी स्पिनर्स

118. मैसर्स सी० पी० जी० टैक्सटाइल्स

119. यूनिटी मिल्स प्रा० लि०

120. मैसर्स के० एन० एम० टैक्सटाइल्स

121. मैसर्स अन्नापूर्णा टैक्सटाइल्स

122. मैसर्स उमयाल्ल स्पिनर्स

123. मैसर्स मैत्तूर टैक्सटाइल्स प्रा० लि०

124. मैसर्स कृष्णा मिल्स प्रा० लि०

125. मैसर्स थाल्गवेलू स्पि० मिल्स लि०

126. मैसर्स थिरूसेल्वा स्पिनर्स

127. मैसर्स आर० जे० इण्डस्ट्रीज

128. मैसर्स मोहम्मद इस्माइल मिल्स

129. मैसर्स जल्लाराम स्पि० मिल्स

130. मैसर्स जी० वी० जी० इंडस्ट्रीज प्रा० लि०

131. मैसर्स कोयम्बटूर पापुलर स्पि० मिल्स

132. मैसर्स श्री पदमावती काटन मिल्स

133. मैसर्स आनन्दकुमार मिल्स लि०

134. मैसर्स सरी रामलिंगा चुदम्बीकै मिल्स लि०

135. मैसर्स ओरियन्ट टैक्सटाइल्स

136. मैसर्स श्री मीनाक्षी स्पिनर्स प्रा० लि०

137. मैसर्स ईस्टर्न स्पि० मिल्स

138. मैसर्स पोद्दार प्रोजैक्ट्स

139. मैसर्स मयूरजी काटन

140. मैसर्स बसन्ती काटन

141. मैसर्स दुनम्बर मिल्स

142. मैसर्स केसोराम इंडस्ट्रीज एन्ड काटन मिल्स।

कस्तूरीमृग के मांस का निर्यात

1950. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश ने 1972 से लेकर अब तक जापान को कस्तूरीमृग का 1488 किलोग्राम मांस निर्यात किया है;

(ख) यदि हां, तो इतनी मात्रा में मांस का निर्यात करने के लिए गत तीन वर्षों के दौरान कितने कस्तूरीमृगों को मारा गया; और

(ग) जापान को वर्ष 1980 से लेकर अब तक वस्तुतः कितनी मात्रा में मांस निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) कस्तूरीमृग का माँस सरकार के सांख्यिकीय आंकड़ों में अलग से वर्गीकृत नहीं किया जाता है। अप्रैल, 1977 से नवम्बर, 1983 के बीच भारत से जापान को मांस का कोई निर्यात नहीं किया गया। उसके बाद के आंकड़े अभी संकलित नहीं किए गए हैं।

गुजरात के बुनकरों के लिए विद्युतचालित करघे

1951. **श्री नरसिंह मकवाना** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में गुजरात को आबंटित किए गए 700 विद्युतचालित करघों में से गुजरात के बुनकरों को वास्तव में कितने विद्युत चालित करघे दिए गए;

(ख) बाकी के विद्युतचालित करघे उन्हें कब तक मंजूर किए जाएंगे और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये बिद्युतचालित करघे केवल सहकारी समितियों को दिए जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो बुनकरों को व्यक्तिगत आधार पर विद्युतचालित करघे देने में क्या कठिनाई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गुजरात सरकार ने मई, 1984 तक 22 सहकारी समितियों के सदस्यों को 192 विद्युतचालित करघे आबंटित किए हैं।

(ख) गुजरात सरकार ने मई, 1984 में बताया था कि वे मार्च, 1985 के अन्त तक सम्पूर्ण कोटे का उपयोग कर सकेंगे।

(ग) तथा (घ) मार्च, 1981 में घोषित वस्त्र नीति के अनुसार, छठी योजना अवधि के दौरान विद्युत चालित करघों के नए विस्तार की अनुमति केवल हथकरघा सहकारी समितियों के सम्बन्ध में ही दी जाएगी।

आयकर विभाग में वरीयता निर्धारण

1852. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को स्थाई करने के सम्बन्ध में वरीयता के निर्धारण के बारे में कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग के 6 जनवरी 1981 के आदेशों को देशभर के आयकर विभागों में कार्यान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका कार्यान्वयन क्षेत्रवार (चार्ज-वाइज) किस तारीख से किया गया है;

(ग) यदि आयकर विभाग खास तौर पर आयकर विभाग के दिल्ली क्षेत्र (चार्ज) में इसे कार्यान्वित नहीं किया गया है तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या जनवरी, 1981 के सरकार के आदेशों को लागू न करके उनका उल्लंघन करने के लिए आयकर विभागों के सम्बद्ध अधिकारियों पर जिम्मेदारी निश्चित करने का विचार किया गया है ?

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और संदन पटल पर रख दी जाएगी।

इंडियन एयरलाइन्स को एयरबस के अपहरणकर्ता

1953. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री एन० ई० होरो : क्या पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जुलाई, 1984 के ट्रिब्यून में छपे उस समाचार की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इण्डियन एयरलान्स की एयरबस के आठ अपहरणकर्ताओं में से तीन, जो कि जम्मू के हैं, उच्च अधिकारियों के पुत्र हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी, हां। इस मामले में जांच चल रही है।

मांग में कमी का सूती वस्त्र उद्योग पर प्रभाव

1954. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मांग में लगातार कमी के कारण सूती वस्त्र उद्योग प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह उद्योग किस सीमा तक प्रभावित हुआ है; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) कुल मिलाकर सूती वस्त्र उद्योग के लिए मांग में निरन्तर गिरावट नहीं रही है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

जापान के साथ हुई व्यापार वार्ता

1955. **श्री चिरंजी लाल शर्मा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत और जापान के बीच व्यापार को बढ़ाने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच 6 जुलाई, 1984 को टोक्यो में हुई व्यापार वार्ता के क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) भारत-जापान व्यापार सहयोग समितियों की 6 तथा 7 जुलाई, 1984 को टोकियो में हुई स्थायी समितियों की बैठक में दोनों देशों के बीच व्यापार तथा आर्थिक सहयोग बढ़ाने सम्बन्धी सम्भावित क्षेत्रों का पता लगाया गया है और इस दिशा में दिए जाने वाले उपायों के सम्बन्ध में सुझाव दिए गए हैं ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में धोखा-धड़ियों, चोरियों और डकैतियों के मामले

1956. **श्री रवीन्द वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राष्ट्रीयकृत बैंकों में हुई धोखा-धड़ियों/दुर्विनियोगों/चोरियों/डकैतियों आदि की विस्तृत सूची क्या है जिससे धन का नुकसान हुआ है;

(ख) उपर्युक्त मामलों में प्रत्येक के स्थान पर अब तक कितनी धनराशि वसूल की जा सकी है; और

(ग) कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई और/अथवा उन्हें सजा दी गई तथा उन्हें किस प्रकार की सजा दी गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 1981, 1982 और 1983 के दौरान बैंकों में हुई धोखाधड़ी की घटनाओं और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	मामलों की संख्या	अन्तर्ग्रस्त राशि (करोड़ रुपए)
1981	1891	20.34
1982	2065	19.44
1983	2560	29.62

(आंकड़े अनन्तिम)

टिप्पणी : (i) बैंक धोखाधड़ियों में सामान्यत: गलतबयानी के मामले, विश्वास भंग, लेखा

पुस्तकों की हेराफेरी चैकों, ड्राफ्टों तथा विनिमय बिलों जैसे पत्रों को धोखाधड़ी से भुनाना, बैंकों को भारित प्रतिभूतियों का अनधिकृत रूप से संचालन, अपकरण, गबन, चोरी रकमों की हेराफ़ेरी, संपत्ति का परिवर्तन, ठगी, रकम की कमी, अनियमितताएं आदि शामिल हैं।

(ii) उपर्युक्त विवरण में बैंकों द्वारा सूचित धोखाधड़ी के सभी मामले सम्मलित हैं, चाहे उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि कितनी भी हो। यह जरूरी नहीं कि इन धोखाधड़ियों में अन्तर्ग्रस्त राशि बैंकों को हानि की द्योतक हो।

वर्ष 1981, 1982 और 1983 में हुई बैंक डकैती/लूटमार की घटनाओं की संख्या के संबंध में उपलब्ध सबसे हाल की सूचना और इनमें अन्तर्ग्रस्त राशि और वसूल की गई राशि इस प्रकार है :

वर्ष	डकैती/लूटपाट की घटनाओं की कुल सं०	अन्तर्ग्रस्त राशि (लाख रुपए)	वसूल राशि (लाख रुपए)
1981	40	83.56 (लगभग) + 58.5 लाख रुपए मूल्य का सोना (लगभग)	15.03 (लगभग) + 2.5किलो (लगभग) सोना और सोने के कुछ जेवर
1982	77	140.48 (लगभग) + 16.36 लाख रुपए मूल्य का सोना (लगभग)	40.04 (लगभग) + 3.6 किलोग्राम (लगभग) सोना/ सोने के जेवर
1983	100	126.79 (लगभग) + 43.4 लाख रुपए (लगभग) मूल्य का सोना + 1492.5 ग्राम सोना/सोने के जेवर	38.40(लगभग) + 6 लाख रुपए मूल्य का सोना (लगभग)

(आंकड़े अनन्तिम हैं)

सरकारी क्षेत्र के 28 बैंकों द्वारा सूचित किए गए अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1981 1982 और 1983 (3 -9-83 तक) में 1459 कर्मचारियों को धोखाधड़ी के मामलों में उनकी अन्तर्ग्रस्तता के कारण छोटी/बड़ी सजाएं दी गई।

संस्थागत अंशधारित को सहायता से कम्पनियों के प्रबंध मंडल में परिवर्तन

1957. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान किन-किन कम्पनियों के प्रबंध मंडल में संस्थाग अंशधारिता की सहायता से परिवर्तन किया गया है;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनमें संस्थागत अंशधारिता की सहायता से प्रबंध मंडल में परिवर्तन होने को रोका गया; और

(ग) उपरोक्त (ख) और (ग) के क्या कारण हैं तथा तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, वित्तीय संस्थानों ने 5 प्रतिष्ठानों के प्रबंध में परिवर्तन लाने के लिए अपने मताधिकार के बल पर अपने वित्तीय करारों के प्रसंविदाओं का प्रयोग किया है क्योंकि इनमें वित्तीय अनुशासन/कुप्रबंध विकट किस्म का था और/अथवा प्रतिष्ठानों की गतिविधियां इस प्रकार चलाई जा रही थीं जिनसे शेयर होल्डरों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। इन संस्थाओं ने पिछले तीन वर्षों के दौरान पारिवारिक वैमनस्य/गुटबंदी के कारण वर्तमान अच्छे प्रबंध को कमजोर करने से बचाने के लिए एक मामले में मताधिकार का भी प्रयोग किया था।

सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं (विश्वसनीयता तथा गोपनीयता से संबंधित बाध्यता) अधिनियम, 1983 के उपबंधों तथा सरकारी वित्तीय संस्थाओं को नियंत्रित करने वाली अन्य सम्बद्ध संविधियों के अनुसार सरकारी वित्तीय संस्थाओं के अलग-अलग ग्राहकों के संबंध में सूचना प्रकट नहीं की जा सकती और इसीलिए प्रश्न में पूछे गए नाम अन्य ब्यौरे नही दिये जा सकते।

उत्पाद-शुल्क विभाग का विकेन्द्रीकरण

1958. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग के विकेन्द्रीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह किस सीमा तक आम जनता के लिए लाभप्रद होगा और इसे कब तक विकेन्द्रीकृत कर दिया जाएगा ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

हथकरघा उत्पादों पर बिक्री-कर और चुंगी समाप्ति करने के निर्देश

1959. **श्री एम० रामगोपाल**

श्री जी० वाई० कृष्णन :

श्री राम विलास पासवान :

श्री अमर सिंह राठवा :

डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने हथकरघा उत्पादों पर बिक्री-कर और चुंगी समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों को हाल में कोई निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से राज्यों ने केन्द्रीय सरकार के निदेशों को स्वीकार कर लिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ अन्य मदों पर बिक्री-कर समाप्त करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) केन्द्रीय सरकार ने हथकरघा उत्पादों पर बिक्री-कर तथा चुंगी समाप्त करने के लिए राज्य सरकारों से विचार करने का अनुरोध किया है ।

(ख) कर्नाटक, उत्तर प्रदेश तथा त्रिपुरा राज्यों तथा गोआ, दमन तथा दीव, दादरा तथा नगर हवेली और लक्षद्वीप समूह के केन्द्र शासित क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उन्होंने हथकरघा माल पर से बिक्री-कर तथा चुंगी पहले ही समाप्त कर दी है । अन्य राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार कर रही हैं ।

(ग) तथा (घ) प्रस्ताव बिक्री-कर को अतिरिक्त उत्पादन शुल्क में बदलने का था । इसका अध्ययन पांच मदों अर्थात वनस्पति, भेषजों तथा औषधियों, सीमेंट, कागज तथा गत्ता और पैट्रोलियम उत्पाद सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया । नवम्बर, 1983 में हुए सम्मेलन में बड़ी संख्या में मुख्य मन्त्रियों ने बिक्री-कर के एवज में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लागू करने के लिए त्रिपाठी समिति द्वारा प्रस्तावित योजना को सिद्धान्त रूप में अपनी स्वीकृति दी है । तथापि कुछ मुख्य मंत्रियों ने बताया कि वे त्रिपाठी समिति द्वारा अनुमोदित इस योजना को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं । इस बैठक में मुख्य मंत्रियों ने प्रस्ताव किया कि इन मामलों पर राज्य सरकारों में परस्पर सामंजस्य लाने के बारे में प्रयास जारी रखने चाहिएं ।

बन्द पड़ी कपड़ा मिलें

1960. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री राम विलास पासवान :

श्री हरीश कुमार गंगवार :

श्री सत्यनारायण जटिया : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न राज्यों में अनेक कपड़ा मिलें बन्द पड़ी हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में बन्द पड़ी कपड़ा मिलों का नाम तथा संख्या कितनी है;

(ग) उन मिलों के बन्द होने से कितने मजदूर/श्रमिक प्रभावित हुए हैं, और

(घ) क्या सरकार का विचार प्रभावित श्रमिकों को नौकरी देने के लिए ऐसी सभी कपड़ा मिलों को अपने नियंत्रण में लेने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 30-6-1984 की स्थिति के अनुसार देश में बासठ सूती कपड़ा मिलें बन्द पड़ी थी ।

(ख) इन कपड़ा मिलों के नाम दर्शाने वाला विवरण संलग्न है ।

(ग) इन मिलों की नामावली में लगभग 109700 कामगार थे ।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

विवरण

30-6-1984 की स्थिति के अनुसार बन्द पड़ी सूती कपड़ा मिलों के नाम

1. आंध्र प्रदेश

1. दिवान बहादुर रामगोपाल मिल्स लि० एल्चीगुड, सिकन्दराबाद

2. बिहार

2. बिहार काटन मिल्स लि० फुलवारीशरीफ, पटना

3. गुजरात

3. दि फाईन निटिंग कं० लि०, अहमदाबाद

4. गुजरात स्पिनिंग मिल्स, अहमदाबाद

5. कैलाश मिल्स प्रा० लि०, अम्बरगांव

6. मानकचौक एंड अहमदाबाद मैन्यु० कं० लि०, अहमदाबाद
7. बालाकिया मिल्स कं० लि०, अहमदाबाद
8. मार्सदन स्पिनिंग एंड वीविंग कं० लि०, अहमदाबाद
9. मोनोग्राम मिल्स कं० लि०, अहमदाबाद
10. सिल्वर काटन मिल्स लि०, अहमदाबाद
11. आर्योघ्या स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कं० लि०, अहमदाबाद
12. अहमदाबाद काटन मैन्यू० कं० लि०, (बागीचा मिल्स) अहमदाबाद
13. प्रसाद मिल्स लि०, अहमदाबाद
14. तारुन कमर्शियल मिल्स लि०, अहमदाबाद
15. सारंगपुर काटन मिल्स लि०, नं० 2, अहमदाबाद
16. अबहे मिल्स लि०, अहमदाबाद
17. दि कमर्शियल अहमदाबाद मिल्स कं० लि०, अहमदाबाद
18. न्यू स्वदेशी मिल्स आफ अहमदाबाद लि०, अहमदाबाद
19. मन्जूश्री टैक्सटाइल, अहमदाबाद
20. महाराना मिल्स प्रा० लि०, पोरबन्दर
21. श्री यमुना मिल्स कं० लि०, बड़ौदा
22. नवज्योत मिल्स लि०, कादी
23. श्री वर्जेश टैक्सटाइल मिल्स प्रा० लि०, पैटलाड

4. हरियाणा स्पिनिंग मिल्स

24. हिसार टैक्सटाइल मिल्स, हिसार
25. एल्सन काटन मिल्स, बल्लभगढ़
26. उषा स्पि० एंड वीविंग मिल्स, फरीदाबाद

5. कर्नाटक

27. श्री कृष्णा राजेन्द्र मिल्स लि० मैसूर

6. मध्यप्रदेश मिल्स

28. होप टैक्सटाइल यूनिट नं० 1 (नंदलाल भण्डारी मिल्स)

29. होप टैक्सटाइल यूनिट नं० 2 (राय बहादुर कन्हैयाल भण्डारी मिल्स), इन्दौर

7. महाराष्ट्र

30. मुकेश टैक्सटाइल मिल्स (प्रा०) लि०, बम्बई
31. ब्राडबूरी मिल्स लि०, बम्बई
32. कोहिनूर मिल्स लि०, नं० 3, बम्बई
33. श्रीनिवास काटन मिल्स लि०, बम्बई
34. औरंगाबाद जिला सहकारी सूट गिरनी लि०, औरंगाबाद
35. किरण स्पिनिंग मिल्स, थाना।

8. उड़ीसा : एस० पी०

36. उड़ीसा स्पिनिंग मिल्स कं० लि०, राजगंगापुर, उड़ीसा
37. भास्कर टैक्सटाइल मिल्स लि०, झारसुगुड्डा
38. कलिंग वीवर्स को-ओप्रेटिव स्पि०, मिल्स लि०, देनकानी

9. राजस्थान

39. जयपुर स्पिनिंग एंड वीविंग, मिल्स लि०, जयपुर
40. कृष्णा मिल्स लि०, व्यावर, राजस्थान

10. तमिलनाडु

41. बिन्नी लि० बंकिंगगम एण्ड कार्नाटिक मिल्स कं० लि०, मद्रास
42. श्रीकोथेन्द्रम स्पिनिंग मिल्स, मदुरई
43. श्री पदमा मिल्स, कोयम्बटूर
44. तमिलनाडू स्पिनिंग मिल्स० लि०, तिरापुर
45. श्री जनार्दन मिल० प्रा० लि० कोयम्बटूर
46. जलाराम स्पिनिंग मिल्स, कोयम्बटूर
47. श्री काटरी टैक्सटाइल मिल प्रा० लि०, कोयम्बटूर
48. गोविन्दाराज स्पिनिंग मिल्स, तिरापुर
49. कारूर मिल्स लि०, कारूर (टी० एन०)

50. श्री हरि मिल्स प्रा० लि०

51. श्री रंगाविलास जी० एन० एन० जी० स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स लि०, कोयम्बटूर

52. आनन्दकुमार मिल्स लि०, (सी० बी० ई०)

53. राधा स्पि० मिल्स निरुपर (टी० एन०)

54. सैन्थूराम स्पि० मिल्स पैलाडू

11. उत्तर प्रदेश

55. जे० के० मैन्यू० लि०, कानपुर

56. मोदी स्पि० एण्ड वीविंग मिल्स कं० लि०, मोदीनगर, मोदी यार्न मिल्स नं० I (बी यूनिट)

12. वैस्ट बंगाल

57. स्वेन मिल्स लि०, (यूनिट बसन्ती काटन मिल्स) पानीहट्टी, पानीहट्टी, कलकत्ता 24 परगानास

58. बंगोदिया काटन मिल्स लि०, पनहली

59. इण्डिया लिनोलियम लि० (विक्टोरिया डिवीजन) सऊदरी, हावड़ा

60. पोदार प्रोजेक्ट लि० तारतल्ला रोड, कलकत्ता

13. दिल्ली

61. स्वतंत्रा भारत मिल्स, नई दिल्ली

14. पाण्डिचेरी

62. एंग्लो फ्रैंच टैक्सटाइल लि०, पांडिचेरी

भारत ई० ई० सी० संयुक्त आयोग की बैठक में हुई चर्चा

1961. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :**

श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ई० ई० सी० संयुक्त आयोग की हाल ही में हुई बैठक में भारत का ई० ई० सी० के साथ व्यापार बढ़ाने के किन्हीं प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो चर्चा के क्या परिणाम निकले ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) भारत ई० ई० सी० संयुक्त आयोग की हाल ही में हुई बैठक में संतुलित ढंग में व्यापार प्रवाह को सुकर बनाने की जरूरत पर बल दिया गया तथा इस बात पर सहमति हुई कि भारत के विशिष्ट हित के कतिपय उत्पादों को सुलभ कराने के बारे में व्यापार सम्बन्धी कार्य दल द्वारा गम्भीरता से विचार किया जा सकता है ।

सोवियत संघ और अन्य देशों को चेतक हेलीकाप्टरों का निर्यात

1962. **श्री गुफरान आजम** :

श्री बालकृष्ण वासनिक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सोवियत संघ को भारत में बने फ्रेंच डिजाइन वाले 8 चेतक हेलीकाप्टर निर्यात किए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण तथ्य क्या हैं तथा खरीदारों ने उसके कार्य-निष्पादन के परिणाम के बारे में क्या रिपोर्ट दी है और बिक्री की सम्भावनाओं के अनुसार अन्य देशों को और अधिक हेलीकाप्टरों का निर्यात करने हेतु क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंहदेव) . (क) जी, हां ।

(ख) इनके कार्य के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है । अन्य देशों में इनके निर्यात के प्रयास किए जा रहे हैं ।

सरकारी केलेन्डर

1963. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** सरकारी कलैन्डर के बारे में 24 अप्रैल, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8705 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार महाभारत युद्ध के अन्त युधिष्ठर में राज्यभिषेक, परीक्षित के जन्म और द्वापर युग के अन्त वर्ष 3102 बी० सी० में द्वापर युग की समाप्ति के साथ राजतंत्र के स्थान पर गणतन्त्र के अभ्युदय के समकालीन वर्ष के बारे में भारतीय विद्वानों के लगभग समान विचारों को देखते हुए निर्णय के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : महाभारत युद्ध की तारीख के बारे में विद्वान एकमत नहीं हैं। विशेषज्ञ समिति नियुक्त किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

विस्कोप स्टैपल फाइबर पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने की मांग

1964. **श्री चिंतामणि जैना :**

श्री मोहन लाल पटेल :

श्री सुशील भट्टाचार्य : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्कोस स्टैपल फाइबर पर उत्पाद शुल्क कम करने की बहुत मांग की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में बुनाई उद्योग को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) ऐसे अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें विस्कोस स्टैपल फाइबर पर उत्पादन शुल्क को घटाने के लिए अनुरोध किया गया है। इस समय यह दर 5 रु० प्रति किलोग्राम है।

(ग) उत्पादन शुल्क को कम करने के बारे में प्राप्त प्रार्थना-पत्र की सरकार ने जांच की है, लेकिन इस प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया है। तथापि, 35 सूत्रांक से अधिक के सेलुलोसिक स्पन यार्न पर जिसमें सेलुलोसिक-भिन्न कोई फाइबर अन्तर्विष्ट नहीं हो, उत्पादन शुल्क 6 जून, 1984 से घटाया गया था। इसके अतिरिक्त विस्कोस स्टैपल फाइबर को अपेक्षाकृत कम मूल्यों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, 2 जुलाई, 1984 से ऐसे फाइबर पर आयात शुल्क को मूल्यानुसार 45 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत किया गया।

उड़ीसा के ग्रामीण इलाकों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

1965. **श्री गिरधर गोमांगो :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राष्ट्रीकृत बैंकों से उड़ीसा राज्य के बिना बैंक वाले और ग्रामीण इलाकों में शाखाएं खोलने के आदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो शाखाएं खोलने के लिए क्या मानदण्ड अपनाने गए हैं;

(ग) क्या उस राज्य के पूरे आदिवासी और पहाड़ी इलाकों को इस योजना का लाभ पहुंचेगा;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने नए स्थानों का चयन करने और कोरापुट जिलों के लिए लाइसेंस के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को आवेदन करने के लिए क्या कार्यवाही की है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कोरापुट जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों ने वर्ष 1983-84 और 1984-85 में कितनी शाखाएं खोली हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) से (ङ) तक अप्रैल, 1982 से मार्च, 1985 तक की अवधि की वर्तमान शाखा लाइसेंस नीति का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में विशेषकर गांवों के दूरदराज के क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ाना है। इस नीति में बैंक कार्यालयों के स्थानिक वितरण पर जोर दिया गया है ताकि गांवों में बैंकों का व्यापक प्रसार हो सके। और बैंकिंग संविधाओं के प्रसार में अन्तर क्षेत्रीय विषमताओं को कम किया जा सके। 1981 की जनगणना के आधार पर 31 मार्च, 1985 तक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक 17 हजार की आबादी के पीछे एक बैंक कार्यालय का लक्ष्य रखा गया है।

बैंकों को शाखाएं खोलने के वास्ते केन्द्रों का आबंटन करते समय पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है।

इस नीति के अन्तर्गत, यह परिकल्पना की गई थी कि उक्त लक्ष्य को, प्राप्त करने के लिए उड़ीसा में 350 अतिरिक्त बैंक शाखाएं खोलनी होंगी। उड़ीसा सरकार/जिला परामर्श दात्री समिति और बैंकों से प्राप्त अलग-अलग आवेदनों के आधार पर वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 404 केन्द्र आबंटित किए गए हैं।

कोरापुट जिले के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना नीचे दी गई है :—

1. नीति के अधीन अतिरिक्त बैंक कार्यालयों की जरूरत	27
2. आबंटित केन्द्रों की संख्या	
(i) वाणिज्यिक बैंक	4
(ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	25
जोड़ :	29

3. अप्रैल, 1983 से मार्च 1984 तक खोले गए कार्यालयों की संख्या (सबसे हाल के उपलब्ध आंकड़े)

(i) सरकारी क्षेत्र के बैंक	4
(ii) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	12
जोड़ :	16

उड़ीसा के कोरापुट के जिले में रायगढ़ तथा अन्य स्थानों में कताई मिलों की स्थापना किया जाना

1966. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान सहकारी संस्थाओं और उड़ीसा सरकार ने, जिले-वार, कुल कितने हस्तचालित और विद्युतचालित औद्योगिक एकक-स्थापित किए हैं;

(ख) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कोरापुट जिले के रायगढ़ और अन्य स्थानो में वहां पर कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर कताई मिलों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव था परन्तु अभी तक कहीं भी ऐसी मिलों की स्थापना नहीं की गई यद्यपि छठी पंचवर्षीय योजना अवधि समाप्त होने वाली है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान उड़ीसा सरकार द्वारा कोरापुट जिले में कताई मिलों की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) विद्यमान नीति के अनुसार, मिल क्षेत्र में कोई नई अतिरिक्त करघा क्षमता की अनुमति नहीं है। उड़ीसा में हथकरघा बुनकर के क्षेत्र में 4 सहकारी कताई मिलों को छठी योजना के दौरान स्थापित होने के लिए वित्तीय सहायता दी गई। एक विवरण संलग्न है।

(ख) तथा (ग) रायगढ़ अथवा कोरापुर जिले के अन्य स्थानों पर कताई एकक स्थापित करने के लिए 5वीं योजनावधि के दौरान कोई आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस जारी नहीं किए गए।

(घ) तथा (ङ) 1983-84 की अवधि के दौरान, उड़ीसा के कोरापुट जिले में कताई एकक स्थापित करने के लिए दो आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। एक आवेदन पत्र को समाप्त माना गया क्योंकि पार्टी अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रही। दूसरा आवेदन पत्र रद्द कर दिया गया क्योंकि स्थापित किया जाने वाला एकक "उद्योग रहित जिले" में नहीं था।

विवरण

उड़ीसा की उन सहकारी कताई एककों की सूची, जिन्होंने छठी योजनावधि के दौरान स्थापना हेतु सहायता प्राप्त की

1. श्री जगन्नाथ वीवर्स को आ० स्पिनिंग मिल्स, भुवनेश्वर (उड़ीसा)

2. श्री सरला वीवर्स को आ० स्पिनिंग मिल्स, भुवनेश्वर (उड़ीसा)

3. दि गंगापुर वीवर्स को आ० स्पिनिंग मिल्स, किरी, ज़िला सुन्दरगढ़ (उड़ीसा)

4. दि उत्कल वीवर्स को आ० स्पिनिंग मिल्स, भुवनेश्वर उड़ीसा (यह मिल पांचवी योजनावधि के दौरान मंजूर की गई तथा सहायता छठी योजनावधि में दी गई।

दिल्ली में आयकर छापे

1967. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत एक वर्ष के दौरान आयकर प्राधिकारियों ने विभिन्न फर्मों/कम्पनियों/व्यक्तियों पर आयकर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो छापा मारे गए परिसरों तथा जब्त किए गए दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या आयकर आयुक्त द्वारा अब तक उनमें से किसी मामले का निपटारा किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान आयकर विभाग ने दिल्ली में 437 तलाशियां लीं और प्रथमदृष्ट्या लगभग 4.13 करोड़ रु० के मूल्य की लेखाबाह्य परिसम्पत्तियां पकड़ीं।

मामलों की भारी तादाद को ध्यान में रखते हुए, प्रत्येक तलाशी के ब्यौरे देना व्यवहार्य नहीं है। प्रत्यक्ष कर अधिनियमों के अधीन समुचित कार्यवाही की जा रही है।

(घ) और (ङ) मामलों के निपटान की शक्तियां आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन गठित समझौता आयोग में निहित है। आयकर आयुक्तों के पास उचित मामलों में अर्थदण्ड कम करने/माफ करने की शक्ति है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को ऋण देने की योजना.

1968. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को ऋण देने की योजना में कोई

विशेष प्रगति नहीं हुई है क्योंकि इसके लिए जमानत सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं जिसे पूरा करने में शिक्षित युवक असमर्थ हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को विचार शिक्षित युवकों की तरफ से स्वेच्छिक एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली जमानत स्वीकार करने के हेतु बैंकों को निदेश जारी करने का है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 सितम्बर, 1983 को भारत के अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह परामर्श दिया है कि इस योजना के अन्तर्गत उन्हें मार्जिन मनी के रूप में मालिक के अंशदान के लिए नहीं कहना चाहिए या सांपार्श्विक प्रतिभूति या अन्य पक्ष की गारंटी नहीं मांगनी चाहिए।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के लिए विमानों और हेलीकाप्टरों मांगा जाना

1969. **श्री अमल दत्त** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के लिए तिथि-वार कुल कितनी अवधि के लिए विमान और हैलीकाप्टर मांगे गए थे और मीलों में कुल यात्रा, लागत, संगणना का आधार, मांगी गई कुल राशि, मांग किससे की गई; वसूल की गई कुल धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

देश और विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों से व्यापार मेला प्राधिकरण को हुआ लाभ/घाटा

1970. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने अपने कर्मचारियों पर और प्राधिकरण के रख-रखाव पर गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार अलग-अलग कुल कितनी राशि खर्च की है; और

(ख) उक्त प्राधिकरण द्वारा गत दो वर्षों के दौरान आयोजित की गई प्रदर्शनियों से हुए लाभ/हानि का ब्यौरा क्या है तथा इसमें से कितनी प्रदर्शनियां देश में ही और कितनी विदेशों में आयोजित की गईं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) विगत वर्षों में, जिस अवधि के लिए अन्तिम लेखे उपलब्ध हैं, भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण के

स्टाफ तथा रख-रखाव पर हुआ व्यय निम्नोक्त प्रकार है :—

(लाख रु० में)

वर्ष	स्टाफ	रख-रखाव
1980-81	86.13	125.91
1981-82	92.97	259.08
1982-83	119.98	269.55

(ख) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण एक लाभ न कमाने वाला संगठन है। तथापि, पिछले दो वर्षों के लिए, जिनके लिए अन्तिम लेखे उपलब्ध हैं, व्यय की तुलना में आय का अधिशेष 1981-82 और 1982-83 के लिए क्रमशः 14.13 लाख रु० तथा 109.91 लाख रु० है। भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण ने 1981-82 के दौरान भारत में 5 और विदेशों में 14 प्रदर्शनियां आयोजित कीं। 1982-83 के दौरान उसने भारत में 7 और विदेशों में 38 प्रदर्शनियां आयोजित कीं।

पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से सहायता/उपहार खेपों के सम्बन्ध में किया गया आयात

1971. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि, संयुक्त राष्ट्र शिक्षा, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, खाद्य और कृषि संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से सहायता/उपहार खेपों के सम्बन्ध में, गत पांच वर्षों के दौरान किए गए आयातों का वर्षवार ब्यौरा क्या है, और प्रत्येक मामले में कितनी मात्रा प्राप्त हुई तथा सहायता/उपहार के प्रत्येक मामले में प्राप्त वस्तुओं के नाम और अनुमानित लागत क्या है, और इसके लिए भारत द्वारा विदेश में तथा देश के अन्दर परिवहन पर कुल कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ख) प्राप्त वस्तुओं को किस प्रकार और किन में वितरित किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय शिष्टमण्डल द्वारा चीन का दौरा

1972. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उनके मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के नेतृत्व में एक भारतीय शिष्टमण्डल ने चीन का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस देश को निर्यात की सम्भावनाओं के विशेष-सन्दर्भ में उक्त दौरे से क्या निष्कर्ष प्राप्त हुए ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) जी हां। वाणिज्य मंत्रालय के एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल ने 20 से 30-6-84 तक चीन का दौरा किया। भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय बातचीत में चाय उत्पादन व निर्यात के विभिन्न पहलुओं पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। प्रतिनिधिमण्डल ने चीन के चाय बागानों और चाय फैक्टरियों का भी दौरा किया। हांलाकि किसी औपचारिक करार पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, परन्तु चाय उत्पादक देशों के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से नीति का समन्वय करने और चाय के लिए स्थिर तथा लाभकारी कीमतें सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ उत्पादकों का सहयोग प्राप्त करने की दिशा में कार्य करने के लिए सहमति व्यक्त की गई। चूंकि प्रतिनिधिमण्डल का उद्देश्य दोनों देशों के बीच बड़े चाय उत्पादक होने के नाते विचारों का आदान-प्रदान करना था अतः दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार से सम्बन्धित मामलों पर विचार-विमर्श नहीं हुआ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अप्राप्य ऋण के रूप में बट्टे खाते में डाली गई धनराशि

1973. **श्री सुभाष चन्द्र यादव** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में वर्ष-वार राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी क्षेत्र के दूसरे बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा अप्राप्य ऋण के रूप में कितनी धनराशि बट्टे खाते में डाली गयी है;

(ख) उन व्यक्तियों/कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन पर एक लाख रुपयों से अधिक का अप्राप्य ऋण बट्टे खाते में डाला गया है; और

(ग) धनराशि के बट्टे खाते में डालने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट तुलन पत्र तथा लाभ-हानि खाते के फर्मों के अनुसार बैंकों को अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के विवरण तथा राशि प्रकट न करने की सांविधिक सुरक्षा प्राप्त है जिसके लिए लेखा-परीक्षकों की संतुष्टि करने के लिए प्रावधान किया गया है। इसलिए उपेक्षित सूचना नहीं दी जा सकती।

जहां तक सरकारी वित्तीय संस्थाओं का सम्बन्ध है, तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट द्वारा वर्ष 1982 तथा 1983 के दौरान अशोध्य यथा संदिग्ध ऋणों के रूप में कोई राशि बट्टे-खाते नहीं डाली गई। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई० एफ० सी० आई०) द्वारा 1981-82

(जुलाई-जून) के दौरान 55.27 लाख रुपए की राशि के ऋणों को बट्टे-खाते डाला गया। 1982-83 (जुलाई से जून तक) की अवधि के दौरान आई० एफ० सी० आई० द्वारा ऋणों की कोई राशि बट्टे-खाते नहीं डाली गई। भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम द्वारा वर्ष 1982 (जनवरी से दिसम्बर) के दौरान 29.58 लाख रुपए की ऋण-राशि बट्टे-खाते डाली गई। इन संस्थाओं द्वारा बट्टे खाते डाली गई रकम की राज्यवार तथा संघ शासित क्षेत्र-वार सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को नियन्त्रित करने वाली संविधियों के अनुसरण में तथा बैंकरों में प्रचलित रीति-रिवाजों और प्रथाओं के अनुसार अलग-अलग ग्राहकों के कार्यकलापों से सम्बन्धित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती।

इलाहाबाद बैंक अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण परिषद द्वारा प्रस्तुत किया गया मांग पत्र

1974. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद बैंक अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण परिषद (अखिल भारतीय अनुसूचित जाति/जनजाति बैंक कर्मचारी संघ से सम्बद्ध) ने अन्य मांगों के साथ-साथ निम्नलिखित मांगों का एक मांगपत्र शाखा प्रबन्धकों को प्रस्तुत किया है :—

(एक) सभी श्रेणियों के पदों पर भर्ती तथा पदोन्नतियों में "बकाया" रिक्त पदों को भरना;

(दो) "बकाया" रिक्त पदों को भरने के लिए केवल मात्र अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की विशेष परीक्षा आयोजित करना;

(तीन) आरक्षित रिक्त पदों को आगे ले जाना तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बीच पदों को बदला जाना तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के उपलब्ध न होने की स्थिति में सरकार के निदेशों के अनुसार कुल रिक्त पदों के तीन गुणा के स्थान पर आरक्षित रिक्त पदों के विचाराधीन क्षेत्र को 5 गुणा बढ़ाना; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार द्वारा समय-समय पर सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों से आरक्षणों के सभी बकाया रिक्त स्थानों को भरने के लिए सतत प्रयास करने के वास्ते कहा जाता रहा है। बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों से भी जहां आवश्यक हो, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए अलग से विशेष भर्ती परीक्षाएं आयोजित करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त, आरक्षित रिक्तियों की भर्ती में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के चयन के अवसर बढ़ाने के

उद्देश्य से उन्हें ऊपरी आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यताओं और आवेदन शुल्क में ढील जैसी विभिन्न रियायतें प्रदान की जाती हैं। इन उम्मीदवारों का मूल्यांकन रियायती मानदण्डों के आधार पर किया जाता है।

इलाहाबाद बैंक द्वारा बताए अनुसार परिषद की मांगों के सम्बन्ध में स्थिति इस प्रकार है :

(एक) और (दो) बैंक द्वारा बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों को अन्य बातों के साथ-साथ अधिकारी तथा लिपिकीय संवर्ग के रिक्त पदों की बकाया स्थिति को दर्शाने वाले इन्डैंट भी भेजे जाते हैं। बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्डों द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के जितने उम्मीदवार दिए जाते हैं उनमें से मौजूदा रिक्त स्थान और बकाया रिक्तियां भरी जाती हैं। लिपिकीय संवर्ग से कनिष्ठ प्रबन्धक ग्रेड वेतनमान-I के पदों पर पदोन्नतियों के सम्बन्ध में इस वर्ग की बकाया रिक्तियों को भरने के लिए बैंक का अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के वास्ते शीघ्र ही अलग से विशेष परीक्षा लेने का प्रस्ताव है।

अधीनस्थ संवर्ग के पदों के सम्बन्ध में बैंक द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के वास्ते आरक्षित रिक्तियों की बकाया को भरने की दृष्टि से रियायतें दी जा रही हैं।

(तीन) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए बकाया रह गई रिक्तियों को आगे ले जाने के वास्ते सरकारी अनुदेश विद्यमान हैं। बैंकों से इन अनुदेशों का पालन करने को कहा गया है।

इलाहाबाद बैंक ने सूचित किया है कि इन अनुदेशों का पालन किया जा रहा है।

जहां तक विचाराधीन क्षेत्र की कुल रिक्तियों को 3 गुना से 5 गुना तक बढ़ा देने का सम्बन्ध है, बैंकों में पदोन्नतियां लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से चयन के आधार पर की जाती हैं और साधारणत: उन सभी उम्मीदवारों को किसी विचाराधीन क्षेत्र पर जोर दिए बगैर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है, जिन्होंने परिपूरक संवर्ग में कतिपय न्यूनतम अर्हक सेवा पूरी कर ली हो। बैंकों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के वास्ते विचाराधीन क्षेत्र को बढ़ाना प्रासंगिक नहीं है।

पाकिस्तान द्वारा रक्षा बजट में की गई वृद्धि

1975. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :**

श्री बापू साहिब परुलेकर : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने अपने रक्षा बजट में इस वर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव): (क) और (ख) सरकार ने समाचार पत्रों में छपी इस आशय की खबरें देखी हैं कि पाकिस्तान ने इस वर्ष अपने रक्षा बजट में काफी वृद्धि की है। इस सम्बन्ध में कोई पक्की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) हमारी सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रक्षा तैयारी की हमारी योजनाएं बनाई जाती हैं।

सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए मजूरी नीति

1976. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की वर्तमान मजूरी नीति में संशोधन करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसका आधार क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) ऐसा कोई ठोस प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

राज्यों द्वारा ओवर-ड्राफ्ट

1977. **श्री अमर रायप्रधान** :

श्री दलीप सिंह भूरिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य की ओवर-ड्राफ्ट की मौजूदा स्थिति क्या है तथा इसके राज्यवार क्या आंकड़े हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य के सुचारु विकास के प्रस्तावित योजनाओं के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ग) यदि कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सदन के पटल पर रखे गए विवरण-I में प्रत्येक राज्य के ओवर-ड्राफ्ट की नवीनतम स्थिति को दर्शाया गया है।

(ख) सदन के पटल पर रखे गए विवरण-II में 1984-85 के लिए राज्य-वार, राज्य की योजनागत स्कीमों के लिए आबंटित केन्द्रीय सहायता को दर्शाया गया है।

(ग) योजना के पहले चार वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के लिए 728.06 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी जबकि पांच वर्ष की अवधि 1980-85 के लिए उसे 680.26 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता मूलत: निर्धारित की गई थी। स्वीकृत मानदण्ड के अनुसार वर्ष 1984-85 के लिए केन्द्रीय सहायता के लिए राज्य की हकदारी 33.76 करोड़ रुपए की है जिसका विमोचन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि राज्य के आयोजना परिव्यय को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण--I

राज्यों के ओवर-ड्राफ्ट के सम्बन्ध में 3-8-1984 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतरांकित प्रश्न सं० 1977 के भाग (क) के उत्तर में सभा-पटल पर रखा गया विवरण-पत्र।

25-7-1984 को राज्यों के ओवरड्राफ्ट

क्रम संख्या	राज्य	ओवरड्राफ्ट की राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	56.79
2.	असम	30.87
3.	बिहार	39.46
4.	गुजरात	31.94
5.	हरियाणा	29.63
6.	कर्नाटक	32.19
7.	केरल	17.03
8.	मध्यप्रदेश	29.72
9.	उड़ीसा	15.46
10.	पंजाब	83.81
11.	राजस्थान	22.56
12.	पश्चिम बंगाल	7.89

विवरण --II

राज्यों के ओवरड्राफ्ट के सम्बन्ध में 3-8-1984 को लोक सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न सं० 1977 के भाग (ख) के उत्तर में सभा-पटल पर रखा गया विवरण-पत्र ।

राज्य आयोजना 1984-85 के लिए राज्यों को आबंटित केन्द्रीय सहायता

(रुपए करोड़ों में)

क्रम संख्या	राज्य	आबंटित की गई केन्द्रीय सहायता
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	241.15
2.	असम	371.21
3.	बिहार	361.63
4.	गुजरात	153.98
5.	हरियाणा	74.00
6.	हिमाचल प्रदेश	116.55
7.	जम्मू और कश्मीर	260.92
8.	कर्नाटक	147.95
9.	केरल	111.27
10.	मध्य प्रदेश	274.14
11.	महाराष्ट्र	267.57
12.	मणिपुर	76.88
13.	मेघालय	60.08
14.	नागालैंड	83.90
15.	उड़ीसा	172.29
16.	पंजाब	83.81
17.	राजस्थान	170.00
18.	सिक्किम	31.06

1	2	3
19.	तमिलनाडु	190.69
20.	त्रिपुरा	65.81
21.	उत्तर प्रदेश	566.02
22.	पश्चिम बंगाल	33.76*
	जोड़ :	3914.67

*पश्चिम बंगाल सरकार को अभी कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा रही है क्योंकि 1984-85 के लिए राज्य के योजनागत परिव्यय को योजना आयोग द्वारा अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को वर्ष 1983-84 के लिए बोनस दिया जाना

1978. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्द्राय सरकारी कर्मचारियों को वर्ष 1983-84 के लिए बोनस दिया गया था;

(ख) क्या वर्ष 1983-84 का बोनस केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को भुगतान के लिए देय हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इन कर्मचारियों को कब तक भुगतान करने का है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) सरकार के वाणिज्यिक और उत्पादन मूलक क्षेत्रों जैसे रेलवे, डाक-तार, रक्षा उत्पादन एककों आदि में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को सम्बन्धित संगठनों में पहले चालू की गई बोनस योजनाओं के आधार पर वर्ष 1982-83 तक का उत्पादकता से जुड़ा बोनस स्वीकृत किया गया है । इन योजनाओं के अन्तर्गत न आने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उत्पादकता का निर्धारण करने के लिए फार्मूला तैयार किए जाने तक 1982-83 के लिए तदर्थ बोनस के रूप में 15 दिनों की परिलब्धियां दी गई थीं ।

(ख) और (ग) 1983-84 के लिए बोनस की अदायगी, सरकार के वाणिज्यिक और उत्पादन मूलक क्षेत्रों के लिए उत्पादकता से जुड़ी बोनस योजना के पुनरीक्षण से, जहां कहीं उसे किया जाना हो, जुड़ी हुई है और 1982-83 के लिए तदर्थ बोनस की अदायगी के अन्तर्गत आने वाले शेष कर्मचारियों के मामले में, यह उत्पादकता-निर्धारण-फार्मूले तैयार किए जाने के

साथ जुड़ी हुई है। जैसे ही उन्हें अन्तिम रूप दे दिया जाता है, 1983-84 के लिए सम्बन्धित योजनाओं के अन्तर्गत बोनस के रूप में स्वीकार्य अदायगियां सम्भव हो जाएंगी।

कोचीन में चाय बोर्ड का जोनल-कार्यालय खोलने का प्रस्ताव

1979. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में चाय बोर्ड का जोनल कार्यालय खोलन का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में सूखे के कारण क्षतिग्रस्त हुए बागान क्षेत्र का पुनःस्थापन

1980. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में बागान क्षेत्र को जिसे पिछले वर्ष सूखे के कारण व्यापक क्षति हुई थी, बचाने और उसके पुनःस्थापन के लिए किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक कुल कितनी राशि आबंटित और व्यय की गई है; और

(ग) किस सीमा तक पुनःस्थापन किया जा सका है; तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) भारत सरकार ने सूखे की गम्भीर स्थिति का, जिससे इलायची तथा काफी की फसलों का नुकसान हुआ है, सामना करने के लिए निम्नोक्त योजनाएं शुरू की हैं :

काफी : "फसल दृष्टिबन्धक ऋण योजना" को ऋण का अंश बढ़ाकर तथा भुगतान की शर्तों में ढील देकर संशोधित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत केरल में 5600 उपजकर्ताओं को ऋण के रूप में 245 लाख रु० वितरित किए गए हैं जो कि कुल आवेदनकर्ताओं को 93% बैठता है।

इलायची : 1983-84 तथा 1984-85 के दौरान निम्नोक्त योजनाएं आरम्भ की गई थी :

(i) इलायची प्रतिपूर्ति ऋण सह उपदान योजना।

(ii) इलायची बीजाकुंरों की इमदादी सप्लाई।

(iii) सीमान्त किसानों के लिए सिंचाई पम्प सैटों की इमदादी सप्लाई।

पहली योजना के अन्तर्गत 1983-84 तथा 1984-85 के लिए क्रमश: 10 लाख रु० तथा 91 लाख रु० निर्धारित किए गए थे। 1983-84 के दौरान 7.04 लाख रु० खर्च किए गए और जिसमें से 60 प्रतिशत अनुमानत: केरल में खर्च किया गया। इस प्रकार दूसरी योजना के अन्तर्गत 1983-84 के दौरान केरल में 4.24 लाख रु० के इलायची बीजाकुंर सप्लाई किए जिसमें 3.40 लाख रु० की इमदाद शामिल है। तीसरी योजना के अन्तर्गत केरल में इमदाद के रूप में 15,500 रु० वितरित किए गए।

कलकत्ता/दिल्ली एयरबस की उड़ान में एक व्यक्ति का चोरी-छिपे सवार होने का पता चलना

1981. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 जुलाई, 1984 को कलकत्ता/दिल्ली एयरबस की सांयकालीन उड़ान में एक व्यक्ति के चोरी-छिपे सवार होने का पता चला था;

(ख) क्या उड़ान को लगभग चार घंटे देरी से चलाना पड़ा था जिसके कारण यात्रियों को अत्यधिक असुविधा हुई;

(ग) क्या यह पता लगाने के लिए कोई जांच की गई है कि सम्बन्धित व्यक्ति नियमित टिकट और विमानन पर सवार होने के कार्ड (बोर्डिंग कार्ड) के बिना विमान में कैसे सवार हुआ; और

(घ) क्या इस प्रकार की गम्भीर चूक के लिए जिम्मेवार व्यक्तियों का पता लगाकर सजा दी गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जब 5 जुलाई, 1984 को यात्री कलकत्ता से दिल्ली को प्रचालन करने वाली इण्डियन एयरलाइन्स एयरबस उड़ान संख्या आई० सी० 402 में सवार हो रहे थे, तब एक ऐसे व्यक्ति का पता चला जिसके पास टिकट नहीं था। उसे इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों द्वारा पकड़ लिया गया था तथा पुलिस के हवाले कर दिया गया।

(ख) जी, हां। तोड़-फोड़ विरोधी जांच के कार्य को करने के कारण उड़ान में लगभग चार घंटे की देरी हो गई।

(ग) और (घ) सम्बन्धित व्यक्ति के विरुद्ध एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया जिसकी जांच चल रही है। एक प्रशासनिक जांच किए जाने के भी आदेश दिए गए हैं जो चल रही है।

राज्यों में सैनिकों की तैनाती

1982. **श्री चित्त महाटा** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकारों की मांग पर राज्यों में सैनिक तैनात किए जाते हैं; और

(ख) यदि हां, तो 1980 से अब तक किन-किन राज्यों में और कितनी बार सैनिक तैनात किए गए हैं और उसके क्या परिणाम निकले ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) यदि परिस्थितियों के अनुसार जरूरी हो तो कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सिविल अधिकारियों की सहायता से सक्षम सिविल अधिकारी सेना की मदद मांग सकते हैं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । सिविल अधिकारियों की सहायता में गई सेना की मदद से कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित किया गया और सामान्य स्थिति कायम गयी। विद्रोहियों और आतंकवादियों के खिलाफ की गई कार्यवाहियों में सम्बन्धित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में शान्ति बनाए रखने के लिए विद्रोहियों और आतंकवादियों की गतिविधियों को रोक दिया गया।

विवरण

राज्यों में सैनिकों की तैनात

क्रम सं०	राज्य संघ/शासित प्रदेश का नाम	कितनी बार तैनात की
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	2
2.	असम	1
3.	बिहार	5
4.	चण्डीगढ़	1
5.	दिल्ली	1
6.	गोवा	1
7.	गुजरात	5
8.	जम्मू और काश्मीर	9
9.	केरल	1

1	2	3
10.	मध्य प्रदेश	3
11.	महाराष्ट्र	2
12.	मणिपुर	2
13.	मेघालय	6
14.	मिजोरम	4
15.	नागालैण्ड	4
16.	पंजाब	1
17.	तमिलनाडु	1
18.	त्रिपुरा	2
19.	उत्तर प्रदेश	21

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के मद्रास क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पुनर्वित्तपोषण के लिए स्वीकृत परियोजनाएं

1983. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन :**

श्री के० राममूर्ति : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के मद्रास क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा जून, 1984 में पुनर्वित्तपोषण के लिए परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसी प्रत्येक परियोजना का नाम क्या है और प्रत्येक में प्रस्तावित निवेश और सहायता का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के मद्रास स्थित दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पुनर्वित्त सहायता के लिए अनुमोदित 33 परियोजनाओं के राज्य-वार ब्यौरे के सम्बन्ध में सूचना इस प्रकार है : —

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	परियोजनाओं की संख्या
1. कर्नाटक	12
2. आंध्र प्रदेश	8
3. तमिलनाडु	8
4. केरल	3
5. पांडिचेरी	2

(ख) आई० डी० बी० आई० द्वारा उक्त 33 परियोजनाओं के वास्ते स्वीकृत पुनर्वित्त सहायता की कुल राशि 22.81 करोड़ रुपए बैठती है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 की धारा 29 के उपबन्धों के अनुसार आई० डी० बी० आई० के अलग-अलग ग्राहकों से सम्बन्धित सूचना प्रकट नहीं की जा सकती और इसलिए प्रश्न में पूछे गए ब्यौर नहीं दिए जा सकते।

राजधानी में बैंक डकैतियां

1984. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत 4-5 महीनों के दौरान राजधानी में बैंक डकैतियों की संख्या में वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी बैंक-वार ब्यौरा क्या है और राजधानी के प्रत्येक बैंक से कितनी राशि लूट ली गयी तथा यदि इन घटनाओं में कोई लोग हताहत हुए हों, तो उनकी संख्या कितनी है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) विभिन्न बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुसार 1 जनवरी, 1984 से 31 मार्च, 1984 तक की अवधि में हुई बैंक लूटपाट/डकैतियों की 2 घटनाओं की तुलना में अप्रैल, 1984 से जून, 1984 तक ऐसी घटनाओं की सूचना मिली है।

(ख) बैंकों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 1 जनवरी, 1984 से 30 जून, 1984 तक संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में हुई बैंक लूटपाट/डकैतियों की घटनाओं की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम सं०	बैंक का नाम	शाखा का नाम	घटना की तारीख	अन्तर्गत राशि	घायल हुए व्यक्तियों की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
1.	वैष्य बैंक लि०	कनाट प्लेस, नई दिल्ली	2-1-1984	आवक समाशोधन चैक	1	—
2.	सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	कनाट प्लेस, नई दिल्ली	6-2-1984	1.18 लाख के (लगभग) 1.25 लाख रुपए के (लगभग) + अमेरिकी डालर 625 पौंड स्टार्लिंग 98 ड्यूश मार्क 220 आस्ट्रेलियाई डालर 50 लीरा 7,50,00	—	—
3.	स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर	न्यू रोहतक रोड शाखा, नई दिल्ली	4-6-84	3.90 लाख रुपए (लगभग) +4 पार्सल्स	4	1
4.	सिंडीकेट बैंक	नरेला शाखा, नई दिल्ली	7-6-84	10.00 लाख रुपए (लगभग)	—	—
5.	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	सुन्दर नगर शाखा, नई दिल्ली	19-6-84	1.51 लाख रुपए (लगभग)	1	—

पश्चिम बंगाल में कृषि, लघु उद्योगों तथा अन्य सेवाओं को ऋण का वितरण

1985. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत व्यवसायिक बैंक द्वारा 1980, 1981, 1982 तथा 1983 में पश्चिम बंगाल में (i) कृषि; (ii) लघु उद्योगों; (iii) अन्य सेवाओं के क्षेत्र के लिए ऋणों के वितरण हेतु क्या लक्ष्य थे; और

(ख) लक्ष्यों की तुलना में उपलब्धि क्या थी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सम्भवतः सम्मानित सदस्या का आशय पश्चिम बंगाल में सम्बन्धित लीड बैंकों द्वारा अपने लीड जिलों के लिए वर्ष 1980, 1981, 1982 और 1983 के लिए बनाई गई वार्षिक कार्रवाई आयोजनाओं के कार्यान्वयन से है। इन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्यों और उपलब्धियों के उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इन आंकड़ों में वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लक्ष्य और उपलब्धियां शामिल हैं।

विवरण

वार्षिक कार्रवाई आयोजनाओं के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में ऋण संवितरण
लक्ष्य और उपलब्धियां

(करोड़ रुपए)

वर्ष	कृषि और सम्बन्धित गतिविधियां		लघु उद्योग		सेवाएं		कुल	
	लक्ष्य	उपलब्ध	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1980	136	80	31	20	20	30	187	130
1981	135	62	29	19	21	15	185	96
1982	128	86	33	22	26	28	187	136
1983*	93	46	24	14	20	19	137	79

*1983 के लिए उपलब्धि के आंकड़े केवल सितम्बर, 1983 तक के हैं। ये आंकड़े 16 में से 10 जिलों के हैं। मिदनापुर के दो सहकारी बैंकों के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

भारतीय कपास निगम के पास अनबिका कपास का भंडार

1986. **श्री त्रिलोक चन्द :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कपास निगम के पास कपास का भारी भंडार अनबिका पड़ा है, जिससे कपास सप्लाई में संकट उत्पन्न हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा भारतीय कपास निगम के पास कपास का अनबिका भारी भंडार जमा हो जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा क्या क़दम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

सीमा पर सैनिकों को कम करने के लिए भारत-बंगला देश में समझौता

1987. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बंगलादेश और हमारी सरकार के बीच सीमा पर सैनिकों को कम करने के बारे में सहमति हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वहां सेना कम कर दी है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) बंगला देश के साथ लगी हमारी सीमाओं पर भारतीय सेना तैनात नहीं की गई है । सीमा पर सैनिकों को कम करने के बारे में भी बंगला देश सरकार के साथ कोई करार नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इण्डियन एयरलाइन्स के लिए एक "कार्गो पैकेट" का फरीदाबाद सड़क पर पाया जाना

1988. **श्री विजयकुमार यादव :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 जुलाई, 1984 के "न्यू ऐज" साप्ताहिक में "आई० ए० कार्गो पैकेट फाउण्ड ऑन फरीदाबाद रोड़" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह जानने के लिए कोई जांच कराई गई है कि ऐसा किस प्रकार हुआ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है तथा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है तो क्या ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा की गई जांच से यह मालूम हुआ कि आई० सी० 404 द्वारा बंगलौर से लाया गया एक छोटा-सा पैकेट 8 जून, 1984 को दिल्ली में प्राप्त हुआ। इस पैकेट को दिल्ली विमान-क्षेत्र से शहर के माल कार्यालय को भेजा जाना था, यह फरीदाबाद भेजी जाने वाली पार्सलों के साथ गलती से रख दिया गया था। जब यह सामान फरीदाबाद ले जाया जा रहा था, तब यह पैकेट गाड़ी से गिर गया तथा बाद में यह एक सज्जन को सड़क के किनारे मिला जिसने इसे इसके प्राप्तकर्ता को पहुंचा दिया। यह गलती उस समय हुई जब विमानक्षेत्र पर माल को अनेक स्थानों पर वितरित करने के लिए इसकी छंटाई की जा रही थी। दिल्ली विमानक्षेत्र पर माल की छंटाई तथा जांच सम्बन्धी कार्यविधि को सुदृढ़ कर दिया गया है तथा इस गलती के लिए सम्बन्धित कर्मचारियों की भर्त्सना की गई है ।

इटली से संगमरमर की सिलों का आयात

1989. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली से बड़ी संख्या में संगमरमर की सिलों के आयात के कारण राजस्थान का संगमरमर उद्योग संकट में है; और

(ख) क्या सरकार ने उक्त उद्योग को इस संकट से उबारने के लिए इटली से संगमरमर की सिलों के आयात करने पर कुछ प्रतिबन्ध लगाया है और यदि हां, तो यह प्रतिबन्ध कब से लगाया गया है और किस रूप में लगाया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) 1983-84 की नीति के अनुसार, संगमरमर का आयात खुले सामान्य लाइसेन्स के अधीन, शर्तों का अनुपालन करते हुए सभी लोगों द्वारा किया जा सकता है। 1984-85 के लिए आयात नीति बनाते समय, इस सम्बन्ध में स्थिति का पुनरीक्षण किया गया था और संगमरमर के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का निर्णय किया गया। तदनुसार, इस मद को परिशिष्ट 3, पार्ट 'ए' में, अर्थात् वर्ष 1984-85 खण्ड I के लिए आयात नीति की सीमित अनुमति मदों की सूची में शामिल कर लिया गया है।

व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा नए मुक्त व्यापार क्षेत्रों में स्थापित किए जाने वाले संयुक्त उद्यम

1990. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में बन रहे नए मुक्त व्यापार क्षेत्रों में व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी निर्यात संवर्धन नीति के भाग के रूप में स्थापित किए जाने वाले 20 संयुक्त उद्यमों का ब्यौरा क्या हैं। (29 जून, 1984 का फाइनेन्शियल एक्सप्रैस);

(ख) व्यापार विकास प्राधिकरण द्वारा देश के निर्यात प्रयागों में सम्मिलित की गई 100 नई कम्पनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) व्यापार विकास प्राधिकरण के निर्यात सम्वर्धन प्रयासों के फलस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) व्यापार विकास प्राधिकरण एक सम्वर्धन सम्बन्धी अभिकरण है और इसलिए यह स्वयं संयुक्त उद्यमों की स्थापना नहीं करता है। चालू वर्ष में, इसका इरादा भारतीय और विदेशी उद्यमियों को सम्पर्क में लाने के लिए प्रयास करने तथा मुक्त व्यापार क्षेत्रों में 20 संयुक्त उद्यमों की स्थापना का प्रयत्न करने का है।

(ख) टी०डी०ए० ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि 1984-85 के दौरान लघु क्षेत्र के 100 नए एककों को निर्यात प्रयास में शामिल किया जाए। चूंकि वर्ष के दौरान अभिज्ञान प्रक्रिया धीरे-धीरे चलेगी, इसलिए कम्पनियों के कोई ब्योरे देना सम्भव नहीं है।

(ग) चूंकि टी० डी० ए० प्राथमिक तौर पर एक निर्यात सम्वर्धन सम्बन्धी अभिकरण है इसलिए गत तीन वर्षों के दौरान निर्यातों को बढ़ाने में इसके योगदान की मात्रा बताना सम्भव नहीं है।

आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध निधियों का निगमित क्षेत्र द्वारा उपयोग न करना

1991. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय वाणिज्य तथा उद्योगमण्डल संघ के पिछले वार्षिक सत्र में वित्त मन्त्री महोदय ने यह बताया था कि आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध कराई गयी भारी धनराशि को निगमित क्षेत्र द्वारा उपयोग में नहीं लाया गया है तथा अधिक लागत की अर्थव्यवस्था का मुख्य कारण पुरानी प्रौद्योगिकी ही है;

(ख) यदि हां, तो आधुनिकीकरण के लिए उपलब्ध कराई गयी कुल धनराशि के बारे में

सरकार का क्या मूल्यांकन है तथा वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान इसमें से कितनी धनराशि को दूसरे कार्य में लगाया गया अथवा उपयोग में नहीं लाया गया; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं कि आधुनिकीकरण के लिए रखी गयी राशियों का उस प्रयोजन के लिए पूरा उपयोग हो ताकि उत्पादन लागत को नियन्त्रण में रखा जा सके तथा उद्योगों को रुग्ण होने से बचाया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल संघ (फिक्की) के 57वें वार्षिक अधिवेशन के अवसर पर वित्त मन्त्री महोदय ने यह मत व्यक्त किया था कि औद्योगिक एककों का आधुनिकीकरण करने के लिए उदार योजनाओं के अधीन सुलभ करायी गई धनराशियों और प्रोत्साहनों का उपयोग नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अधिकांश परम्परागत उद्योग और इंजीनियरी माल के उद्योगों जैसे अपेक्षाकृत कुछ नए उद्योगों में पुरानी टेक्नालाजी के कारण निरन्तर बाधा पड़ रही है।

(ख) और (ग) चूंकि आधुनिकीकरण प्रयोजनों के वास्ते ऋण सहायता का प्रवाह इस सम्बन्ध में प्राप्त अर्थक्षम प्रस्तावों की संख्या पर निर्भर करता है, इसलिए सावधि ऋणदात्री वित्तीय संस्थाओं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आई०डी०बी०आई०), भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आई०एफ०सी०आई०), तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम (आई०सी०आई० सी०आई०) द्वारा ऐसी सहायता के लिए अलग से रकम निर्धारित नहीं की गई है। रकमों का वास्तविक संवितरण तथा उपयोग प्रतिष्ठानों द्वारा मंजूरी की स्वीकृत शर्तों पर निर्भर करता है। मार्च, 1983 के अन्त तक सभी उद्योगों के वास्ते आधुनिकीकरण ऋण योजना के अधीन 204.16 करोड़ रुपए की मंजूरी की तुलना में आई०डी०बी०आई० के सम्बन्ध में संचयी सहायता तथा अप्रैल, 1980 के बाद से आई०एफ०सी०आई० और आई०सी०आई०सी०आई० के सम्बन्ध में कुल सहायता के रूप में केवल 125.69 करोड़ रुपए की रकम संवितरित की जा सकी थी। इसके अलावा, चुनिंदा उद्योगों में आधुनिकीकरण की सुलभ ऋण योजना के अधीन आई०डी०बी०आई०, आई०एफ० सी०आई० तथा आई०सी०आई० सी०आई० द्वारा मार्च, 1983 के अन्त तक केवल 533.89 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई थी जबकि उक्त तारीख तक संचयी मंजूरी 720.91 करोड़ रुपए की थीं।

नौसेना में भर्ती होने वाले इन्जीनियर स्नातकों की संख्या में कमी

1992. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौसेना में भर्ती होने वाले इन्जीनियर स्नातकों की संख्या उत्साहजनक नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) और (ख) जी हां। नौसेना में इंजीनियर स्नातकों की भर्ती में कमी आई है। इसका मुख्य कारण है प्राइवेट फर्मों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, रेलवे और यहां तक कि विदेशी नियोजकों के पास रोजगार के अच्छे तथा अधिक लाभकारी अवसरें मिलना तथा नौसेना के लिए स्वास्थ्य का उच्च और सख्त मानदण्ड रखा जाना। इसके साथ ही रक्षा सेनाओं में बराबर कठिन जीवन व्यतीत करना होता है।

(ग) इंजीनियर स्नातकों की भर्ती में वृद्धि करने के लिए सरकार ने हाल ही में दो नई योजनाएं बनाई हैं अर्थात नौसेना समर्थित (स्पोनसोरसिप योजना (H) 10+2 कैडेट प्रवेश योजना। पहली योजना के अन्तर्गत भारतीय औद्योगिक संस्थानों और इंजीनियरिंग कालेजों में चुने गए उम्मीदवारों को प्रतिमाह 400 रुपए का वजीफा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त ट्यूशन की लागत भी सरकार वहन करती है। 10+2 कैडेट प्रवेश योजना के अन्तर्गत 5 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 30 कैडिटों की दर से 4 वर्षों के इंजीनियरिंग कोर्स के लिए ऐसे विद्यार्थियों को नामित करने का प्रस्ताव है जिन्होंने अपने अध्ययन की 10+2 श्रेणी पूरी कर ली है। इसके अतिरिक्त सशस्त्र सेनाओं की सेवा शर्तों को अधिक आकर्षक बनाने की दृष्टि से चतुर्थ वेतन आयोग द्वारा भी उनकी समीक्षा किए जाने की सम्भावना है।

भारतीय नौसेना में भरती होने में युवाओं को आकर्षित करने की दृष्टि से प्रेस, रेडियो और टेलीविजन द्वारा एक विस्तृत प्रचार-प्रसार कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

मिनी पेपर मिल क्षेत्र में वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषण

1993. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय संस्थानों द्वारा मिनी पेपर मिल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वित्त पोषण किया गया है;

(ख) क्या इनमें से अधिकांश एकक आर्थिक रूप से सक्षम बनने में असफल रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) वित्तीय संस्थानों ने 1975 के बाद से अब तक 44 लघु कागज एककों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इन एककों का कुल पूंजी परिव्यय लगभग 240 करोड़ रुपए का है और वित्तीय संस्थानों ने इन्हें 200 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कई लघु कागज मिलों की स्थापना के लिए राज्य-स्तरीय संस्थाओं/बैंकों को 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि की/पुनर्वित्त सहायता मंजूर की गयी है।

(ख) और (ग) वित्तीय संस्थाओं द्वारा सहायता प्राप्त कुछ कागज एकक कोयले की कमी और ऊंची लागत, बिजली की अपर्याप्त तथा अनिश्चित सप्लाई, प्रशिक्षित कार्मिकों की अपर्याप्तता,

बाजार की खराब स्थिति आदि जैसे कारकों के परिणामस्वरूप वांछित अर्थक्षमता-स्तर को प्राप्त करने में असफल रहे हैं। संस्थाओं द्वारा अलग-अलग एककों द्वारा पेश आ रही समस्याओं का अध्ययन किया गया था और सहायता प्रदान करने के लिए समुचित प्रस्ताव किया गया जिसमें उपयुक्त सहायता तथा रियायतें और एककों के परिचालनों को अर्थक्षम बनाने के वास्ते आवश्यक संशोधनों का सुझाव दिया गया है। इन कदमों के परिणामस्वरूप कुछ एकक पहले ही आरम्भिक कठिनाइयों पर काबू पाने में सफल हो गए हैं। सरकार ने इन संस्थाओं से सहायता-प्राप्त लघु कागज एककों की समस्याओं का अध्ययन करने को कहा था। आई०डी०बी०आई० ने सूचित किया है कि अध्ययन चल रहा है और इसके नवम्बर/दिसम्बर, 1984 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार

1994. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के व्यापार को नए प्रतिबन्धों का सामना करना पड़ सकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) अमरीकी बाजार में हमारे निर्यातों के सम्बन्ध में कुछ प्रतिबन्ध हैं और मामला सरकार के साथ उठाया गया है यह देखने का हमारा सतत प्रयास रहता है कि मौजूदा प्रतिबन्ध दूर हो जाएं और उस बाजार को हमारे निर्यात उत्पादों पर कोई, नये प्रतिबन्ध न लगाए जाएं।

भारत पर्यटन विकास निगम के मुनाफा कमाने के दावों की जांच

1995. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 13-23 जून, 1984 की "दि वीक" पत्रिका में "विल आई० टी० डी० सी० फेस एन इनक्वायरी" शीर्षक से प्रकाशित हुए एक लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने भारत पर्यटन विकास निगम के मुनाफा कमाने के दावों की कोई जांच की है;

(ग) क्या भारत पर्यटन विकास निगम के महा-प्रबन्धक (पी० आर० ओ०) ने निगम के मुनाफा कमाने सम्बन्धी तथ्य से इन्कार नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो पर्यटन मंत्री ने लोक सभा को 2-12-1983 और 25-2-1984 को

यह सूचना किस जानकारी के आधार पर दी कि भारत पर्यटन विकास निगम को 1983 में भी घाटा हुआ है; और

(ङ) संसद का गलत जानकारी दिए जाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाई करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ख) 1982-83 तथा 1983-84 के वर्षों के दौरान निगम लाभ दिखाती रही है। जबकि 1981-82 से 1982-83 तक के वर्षों में लाभ में वृद्धि हो रही थी, 1993-84 के दौरान लाभ में कमी नई दिल्ली में तीन नए होटलों के चालू होने से मूल्य-ह्रास के भारी बोझ, ब्याज, आदि के कारण हुई है। 2-12-1983 तथा 28-12-1984 के संसद प्रश्नों में दी गई सूचना क्रमशः 30-9-83 और 31-12-83 को समाप्त हुई अवधि के अनन्तिम वित्तीय परिणामों जैसे कि उस समय थे, पर आधारित थी। 1-10-83 से 31-3-84 तक के दौरान पर्यटक-मौसम जब शिखर पे पर था, निगम को वर्षा के अंत तक समग्र परिचालनों पर लाभ हुआ था।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिना जमानत के ऋणों की मंजूरी

1996. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :**

श्री भीम सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिना किसी जमानत के 5 00 रुपए तक के ऋण मंजूर करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना के अधीन ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में पृथक-पृथक अब तक कुल कितनी धनराशि के ऋण मंजूर किए गए हैं; और

(घ) इस योजना के अन्तर्गत अब तक ऋणों की कितनी धनराशि वसूल की गई है ?

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सम्भवतः प्रश्न का आशय विभेदी ब्याज दर योजना से है जिसके अधीन समाज के कमजोर वर्गों को 5000 रुपए तक के सावधि ऋण दिए जाते हैं। इस योजना में मार्जिन राशि, मूर्त जमानत या अन्य पक्षीय गारंटी नहीं मांगी जानी चाहिए। लेकिन ऋणकर्ता को बैंक के ऋण से खरीदी गई परिसम्पत्तियों को गिरवी रखना होता है।

वह व्यक्ति जिसकी सभी स्रोतों से वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 रुपए शहरी/अर्ध-शहरी क्षेत्रों में 3000 रुपए से अधिक न हो इस योजना के अन्तर्गत 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से ऋण लेने के लिए पात्र है।

(ग) और (घ) वर्तमान आंकड़ा सूचना प्रणाली से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग सूचना प्राप्त नहीं होती। दिसम्बर, 1983 के अन्त विभेदी में ब्याज दर योजना के अन्तर्गत ऋण खातों की संख्या और बकाया राशि क्रमश: 35.72 लाख और 348.01 करोड़ रुपए थी। 30 जून, 1983 की स्थिति के मुताबिक इस योजना के अधीन मांग की तुलना में अतिदेय राशि का प्रतिशत 63.6 था।

इंटरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स पब्लिकेशन संख्या 400 में दिए गए नियम

1997. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंटरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स पब्लिकेशन संख्या 400 में दिए गए नियमों को 1 अक्तूबर, 1984 से भारत में लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत ने इंटरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स को मान्यता दी है भारतीय निर्यातक उपरोक्त पुस्तक के नियमों का पालन करने के लिए कानूनी तौर पर बाध्य होंगे; और

(ग) यदि हां, तो जब कभी भी निर्यातकों और आयातकों के बीच कोई विवाद खड़ा होगा तो उसके क्या परिणाम होंगे ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

निजी क्षेत्र द्वारा नई दिल्ली में नवम् एशियाड खेलों के लिए पांच-तारा होटलों का निर्माण

1998. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी क्षेत्र द्वारा दिल्ली में नवम् एशियाई खेलों के लिए कितने पांच-तारा होटलों का निर्माण किया गया और उन पार्टियों के नाम क्या हैं;

(ख) इस प्रकार के निर्माण के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा प्रत्येक को कितनी राशि के ऋण दिए गए और सहायता अथवा अनुदान अथवा राजसहायता के रूप में प्रत्येक को कितनी धनराशि दी गई; और

(ग) उनमें से कितने नवम् एशियाड खेलों तक तैयार हो गए थे और कितने तैयार नहीं हो पाए थे तथा उनके नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) सूचना विवरण-I में दी गई है।

(ख) सूचना विवरण-II में दी गई है।

(ग) होटलों से एक सुनिश्चित संख्या में कमरे सुलभ कराने की अपेक्षा की गई थी, जो सुलभ कराए गए थे।

विवरण—I

नीचे दिए गए विवरणों के अनुसर प्राइवेट सैक्टर में एशियाड 82 की मांगों को पूरा करने के लिए सात नए 5-स्टार होटलों और एक होटल के विस्तार (5-स्टार होटल की ही), के लिए अनुमोदन दिया गया था :—

होटल का नाम	पार्टियों के नाम
1. हयात रीजेंसी	एशियन होटल्स लिमिटेड
2. सूर्या इंटरनेशनल	कॉसमॉपॉलिटन होटल्स
3. मैरीडियन	सी० जे० इंटरनेशनल होटल्स लि०
4. सिद्धार्थ कान्टिनेंटल	सिद्धार्थ इंटरकान्टिनेंटल होटल्स (आई) लिमिटेड
5. ताज पैलेस	इण्डियन होटल कम्पनी
6. भारत होटल	भारत होटल्स लिमिटेड
7. पार्क	नार्दर्न इंटरप्राईजेज कारपोरेशन (प्राइवेट) लिमिटेड
8. मौर्या टावर (विस्तार)	आई०टी०सी० वैलकम ग्रुप

विवरण—2

राष्ट्रीय बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की राशि का विवरण नीचे दिए गए है

(राशि लाख रुपयों में)

बैंकों के नाम	एशियन होटल		सिद्धार्थ		मेरिडियन		सूर्या		भारत	पार्क		ताज पैलेस		मौर्या टावर	
	आई० एन० डी० आर० एस०	ई० डी०	आई० आर० एस०	ई० डी०	आई० आर० एस०	ई० डी०	आई० आर० एस०	ई० डी०	आई० आर० एस०	ई० डी०	आई० आर० एस०	ई० डी०	आई० आर० एस०	ई० डी०	आई० आर० एस०	ई० डी०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	14	15	16
स्टेट बैंक आफ इण्डिया	54.00	200.00	—	—	50.00	162.00	24.00	119.00	—	—	—	—	—	—	—	—
इन्डियन बैंक	15.00	180.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
सिंडीकेट बैंक	28.30	135.00	—	—	25.00	72.00	—	—	—	113.00	—	—	—	—	—	—
ओरिंटियल बैंक आफ कामर्स	20.00	135.00	50.00	—	—	—	24.00	89.00	—	—	—	—	—	—	—	—
बैंक आफ बड़ौदा	20.00	90.00	—	—	50.00	144.00	—	—	—	320.00	—	—	—	—	—	—
यूनियन बैंक	18.85	90.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
पंजाब नेशनल बैंक	36.04	90.00	—	—	50.00	162.00	24.00	89.00	—	—	—	—	—	—	—	—
न्यू बैंक आफ इण्डिया	18.81	90.00	—	—	25.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
आंध्रा बैंक	19.00	90.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
इंडियन ओवरसीज बैंक	—	—	—	350.00	25.00	72.00	—	—	—	70.00	—	—	—	—	—	—
बैंक आफ इंडिया	—	—	—	—	50.00	144.00	24.00	89.00	—	—	—	—	—	—	—	—
सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया	—	—	—	—	45.00	144.00	24.00	8900	—	65.00	—	—	—	—	—	—
कैनरा बैंक	—	—	—	—	50.00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
इलाहाबाद बैंक	—	—	—	—	2[illegible].00	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	230.00	1100.00	50.00	350.00	395.00	900.00	120.00	475.00	—	568.00	—	—	—	—	—	—

आयकर अधिनियम की धारा 269 क ख के अन्तर्गत सम्पति का अर्जन

1999. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर अधिनियम की धारा 2 9 क ख में संशोधन किए जाने के पश्चात् कितने मामले पंजीकृत और सूचित किए गए हैं और आयकर विभाग द्वारा कितनी सम्पत्तियों का अर्जन किया गया है; और

(ख) निर्माता द्वारा आयकर विभाग को सूचित किए जाने के पश्चात् सम्पत्ति की स्वीकृति देने में अनुमानतः कितना समय लगता है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) अपेक्षित सूचना आयकर आयुक्तों से संकलित की जा रही है जिसे मिलते ही पेश कर दिया जाएगा ।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 क ख के अन्तर्गत आने वाले लेन-देनों का सक्षम अधिकारी (इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित सहायक आयकर आयुक्त) के पास पंजीकरण कराना होता है । इस प्रयोजनार्थ, अन्तरक/अन्तरिती को धारा 269 क ख के अन्तर्गत होने वाले लेन-देन की तारीख से 30 दिन की अवधि के अन्दर सक्षम प्राधिकारी के पास फार्म 37ङङ में विवरण-पत्र दाखिल कराना होता है। सक्षम प्राधिकारी को फार्म 37ङङ में विवरण-पत्र की प्राप्ति अथवा संशोधित विवरण-पत्र की प्राप्ति के 60 दिन के अन्दर पंजीकरण के आदेश पारित करने होते है। सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान हो जाने पर कि धारा 269 ग में यथा वर्णित अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू करने की पूर्वापेक्षित शर्तें पूरी हो गई हैं तो वह, 'जिस मास में फार्म 37ङङ में विवरण-पत्र का पंजीकरण हुआ है, उस मास के अन्त से 9 मास की अवधि के अन्दर ही अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू कर सकता है । अधिकांश मामलों में प्रश्नगत लेन-देन इस अवधि के अन्दर पूरे कर लिए जाते हैं। लेकिन, एक बार अधिग्रहण कार्यवाही शुरू करने पर उसे पूरी करने के लिए कोई सांविधिक समय-सीमा नहीं है । ऐसे मामलों में, कार्यवाहियों का पूरा करना प्रत्येक मामले की वस्तुस्थिति पर निर्भर करता है ।

इण्डियन एयरलाइन्स की घरेलू उड़ानों का समय पर न चलना

2000. **श्री आर० आर० भोले** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको इण्डियन एयरलाइंस की घरेलू उड़ानों के अधिकतर समय पर न चलने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं; और

(ग) जब एक यात्री हवाई जहाज में अपना सामान चढ़ाने के आधा घंटा अथवा उससे भी अधिक समय बाद जहाज पर आता है तो भी उडान में विलम्ब क्यों होता है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) यद्यपि देरियां होती हैं, परन्तु इण्डियन एयरलाइन्स का समय पर कार्य निष्पादन सामान्य रूप से सन्तोषजनक रहा है। उड़ानों में देरियां मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से होती हैं जिन्हें सामान्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है :—

1. मौसम दशाएं
2. इंजीनियरी
3. प्रचालन
4. वाणिज्यिक
5. स्थल सहायता
6. खान-पान
7. परिणामस्वरूप।

(ग) उड़ान को प्रस्थान के लिए तभी अनुमति दी जा सकती है जब उस विशेष उड़ान के लिए जांच किए सभी यात्री विमान में सवार हो गए हों। बहुत कम अवसरों पर, यात्रियों को विमान में सवार होने के लिए की गई बार-बार घोषणाओं के बाद भी, कुछ यात्री जांच सम्बन्धी औपचारिकताएं पूरी कर लिए जाने के बाद भी विमान में सवार नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में, इण्डियन एयरलाइन्स सुरक्षा कारणों के कारण ऐसे विमान को प्रस्थान के लिए तब तक अनुमति नहीं दे सकती जब तक सभी पंजीकृत सामान को विमान से उतार नहीं दिया जाता तथा यात्रियों द्वारा इसकी पहचान नहीं कर ली जाती, इसके कारण उड़ान में देरी होती है।

जापान को भारतीय पटसन की वस्तुओं का निर्यात

2001. **श्री नारायण चौबे** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान द्वारा हाल ही में लगाए गए पोत-पर्यन्त मूल्य पर 8 से 16 प्रतिशत तक के आयात शुल्क को देखते हुए जापान को वर्ष 1984 में निर्यात की जाने वाली भारतीय पटसन से बनी वस्तुओं के निर्यात की सम्भावनाएं धूमिल हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इससे हमारे पटसन-निर्यात आय पर किस हद तक प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान जापान को कितने प्रतिशत पटसन और जूट से बनी वस्तुओं का निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जापान सरकार भारत से जापान को निर्यात होने वाले पटसन माल के सी० आई० एफ० मूल्य पर

न कि एफ० ओ० बी० मूल्य पर जी० एस० पी० के अन्तर्गत 8% तथा जी० एस० पी० कोटे के 16% अधिमानी टैरिफ लगाता है।

(ख) जापानी जी० एस० पी० योजना में अन्य बातों के साथ-साथ विकासशील देशों से पटसन माल के आयातों के लिए टैरिफ अधिमानों की व्यवस्था है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मार्च, 1984 तक पटसन माल के सम्बन्ध में जी० एस० पी० की दरें सभी विकासशील देशों के लिए एक ही थी इनमें विकासशील देशों के बीच अल्पतम विकसिय देश भी शामिल हैं। 1984 के लिए 1-4-1984 से प्रभावी जी० एस० पी० योजना के अन्तर्गत विकासशील देशों के बीच अल्पतम विकसित देश, जिनमें बंगलादेश भी शामिल है, विशेष व्यवहार प्रदान किया जाता है। विकासशील देशों के लिए तथा विकासशील देशों के बीच अल्पतम विकसित देशों के लिए 1-4-1984 से प्रभावी अधिमानी टैरिफ निम्नोक्त प्रकार है :

सी०सी०सी०एन०	विवरण	शुल्क की जी० एस० पी० दरें		1984 के लिए
		विकासशील देश	विकासशील देशों में अल्पतम विकसित देश	विश्वव्यापी कोटा (येन 1000)
57.06	जूट यार्न	4%	4%	685,703
57.10	जूट से बुने वस्त्र	8%		3,519,342
59.04	टुआइन, जहाजी रस्से, रस्से तथा केबल	0	0	139,829
62.03	माल पैक करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले टाट के बोरे	0	0	108,840

जापान की जी० एस० पी० योजना के अन्तर्गत शामिल सभी उपरोक्त पटसन माल यथा निर्दिष्ट विश्वव्यापी कोटे के अध्यधीन है। 1-4-84 से प्रभावी अद्यतन योजना के अन्तर्गत विकासशील देशों के बीच अल्पतम विकसित देशों के टुआईन, जहाजी रस्से, रस्से तथा केबल (सी० सी० सी० एन० 59.04) तथा माल पैक करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले टाट के बोरों (सी० सी० सी० एन० 62.03) के सम्बन्ध में कोटा सम्बन्धी प्रतिबन्धों से अलग रखा गया है।

विकासशील देशों के बीच अल्पतम विकसित देशों के लिए जिसमें बंगला देश भी शामिल

हैं, विशेष रियायतों का जापान को होने वाले पटसन माल के भारतीय निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना है।

(ग) पिछले तीन वर्षों के सम्बन्ध में जूट माल के हमारे कुल व्यय में जापान का प्रतिशत भाग निम्नोकत प्रकार है :

1981-82	5.11%
1982-83	6.43%
1983-84	5.44%

फटे पुराने नोटों के प्रचलन के कारण लोगों को होने वाली कठिनाई

2002. **श्री नारायण चौबे :**

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया मूल्य के फटे पुराने नोटों के भारी संख्या में प्रचलन होने के कारण लोगों को हो रही कठिनाइयों के बारे में सरकार को जानकारी है; और

(ख) फटे पुराने नोटों को निकट भविष्य में चलन से हटाने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने पहले ही सभी करेंसी-चैस्टों को ये हिदायतें जारी की हैं कि वे उन नोटों को जो उन्हें प्राप्त होते हैं, पुनः जारी किए जा सकने योग्य और पुनः न जारी किए जा सकने योग्य नोटों में छांट कर अलग-अलग कर लें और जनता को केवल ऐसे नोट पुनः जारी करें, जो बहुत अधिक फटे-पुराने और कटे-फटे न हो। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सभी साखाओं में फटे-पुराने नोटों को बदलने की सुविधाएं विद्यमान हैं।

इण्डियन एयरलाइन्स की एयरबस के अपहरणकर्ताओं की पहचान

2003. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा कि करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि 5 जुलाई, 1984 को इण्डियन एयरलाइन्स के एक विमान का अपहरण करके उसे लाहौर ले जाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तान के अधिकारियों ने यात्रियों को बचाने और अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने में भी काफी सहायता की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या इन सभी अपहरणकर्ताओं के जम्मू-कश्मीर मुक्ति मोर्चे और सिख उग्रवादियों से सम्बन्ध थे;

(घ) यदि हां, तो क्या अपहरकर्ताओं के नाम, पते आदि भारत सरकार को सूचित कर दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या अपहरणकर्ताओं की वापसी के मामले को पाकिस्तान सरकार के साथ उठाया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) (क) विमान का अपहरण 5 जुलाई, 1984 को हुआ ।

(ख) पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने अपहरणकर्त्ताओं से लगातार बातचीत की थी जिसके बाद अपहरणकर्त्ताओं ने यात्रियों, कर्मीदल तथा विमान को बिना किसी शर्त रिहा कर दिया था तथा अपने आपको पाकिस्तानी प्राधिकारियों के सामने आत्मसमर्पित कर दिया ।

(ग) जांच चल रही है ।

(घ) नौ अपहरणकर्ताओं के नाम पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने भेजे हैं । उनकी पहचान के निर्धारण के लिए जांच चल रही है ।

(ङ) और (च) नौ अपहरणकर्ताओं को भारत को लौटाने के लिए पाकिस्तान सरकार से औपचारिक अनुरोध किया गया है जिसका उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

इण्डियन एयरलाइन्स की अपहरण करके पाकिस्तान ले जाई गई एयरबस में चैरी के डिब्बों में हथियारों का रखा जाना

2004. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री ए० टी० पाटिल : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 जुलाई, 1984 की दोपहर को जब नौ व्यक्तियों ने इण्डियन एयरलाइन्स की दिल्ली आ रही एयरबस का 225 यात्रियों सहित अपहरण कर लिया था, चैरी के डिब्बों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या ये हथियार चैरी के डिब्बों में रखे हुए थे;

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक, क्या इस प्रकार के डिब्बों को सिविल अधिकारियों द्वारा सामान्यतः नहीं खोला जाता है;

(घ) यदि हां, तो सिविल अधिकारियों द्वारा कौन से अन्य सामान की जांए नहीं की जाती है; और

(ङ) क्या इस घटना को देखते हुए सरकार ने किसी भी वस्तु की जांच किए बिना न छोड़ने का फैसला किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार विमान अपहरणकर्ता 2 या 3 कृपाणों के अलावा जिन्हें सिक्ख यात्रियों को इण्डियन एयरलाइन्स की अन्तर्देशीय उड़ानों में ले जाने की अनुमति है, केवल एक ही पिस्तौल से लैस थे। इस बात की जांच की जा रही है कि किन परिस्थितियों में यह हथियार विमान में पहुंचा।

(ग) ऐसे बक्से यदि इन्हें हाथ में सामान के रूप में ले जाया जाता है तो उनकी विमान-क्षेत्र सुरक्षा कर्मचारियों द्वारा एक्स-रे सामान स्कैनर द्वारा अथवा स्वयं जांच की जाती है।

(घ) यात्रियों द्वारा पंजीकृत करके साथ में ले जाए जाने वाले सामान की सामान्य रूप कोई जांच नहीं की जाती है क्योंकि मार्ग में यात्रियों की सामान तक पहुंच होती है।

(ङ) जी, नहीं।

अनिवासी भारतीयों के रुपए तथा विदेशी मुद्रा खातों में निवेश की गति का धीमी हो जाना

2005. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनिवासी भारतीयों के रुपए तथा विदेशी मुद्रा खातों में से निवेश जो 1983-84 में 850 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था की गति इस वर्ष धीमी हो जाने की सम्भावना है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय को आशंका है कि समुद्र पार के देशों में ब्याज की ऊंची दरों के कारण भारत में निवेश करने के अनिवासियों का उत्साह ठंडा हो सकता है; और

(ग) क्या 1983 के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में अपने परिवारों को सामान्यतः भेजी जाने वाली धनराशि में भी कमी आई है और उसके 1984 में भी कम होने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) अनिवासी (बाह्य) रुपया खातों तथा विदेशी मुद्रा अनिवासी खातों में जमा निवल राशि मार्च, 1984 के अन्त में 2847 करोड़ रुपए थी जब कि यह मार्च, 1983 के अन्त में 1886.04 करोड़ रुपए थी। इससे 1983-84 के दौरान 960.96 करोड़ रुपए की निवल वृद्धि का पता चलता है। जून, 1984 के अन्त में, यह राशि 2994 करोड़ रुपए की थी और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष के तीन महीनों के दौरान जमा राशि में 147 करोड़

रुपए की निवल वृद्धि हुई। यह देखा गया है कि इन खातों में निवेश की गति बढ़ती रही है।

(ख) विदेशों में ब्याज की दरें हाल के कुछ महीनों में प्रत्यक्ष रूप से बढ़ी हैं तथा इसका इन जमा खातों में जमा की जाने वाली रकमों की गति पर प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन, अन्य सामाजिक आर्थिक कारण भी हैं जो इन खातों में जमा की जाने वाली धनराशियों की गति को निर्धारित करते हैं।

(ग) वर्ष, 1983 के दौरान अनिवासी भारतीयों द्वारा भारत में रहने वाले परिवारों को भेजी गई सामान्य प्रेषणाओं के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अतः यह कहना सम्भव नहीं कि इनमें उस वर्ष में गिरावट आई है। ऐसी प्रेषणाएं भुगतान आंकड़ों के चालू खातों में "निजी अन्तरण" का एक भाग है और इससे सम्बन्धित उपलब्ध ताजा आंकड़े अप्रैल-सितम्बर, 1982 की अवधि के हैं। उक्त अवधि में इन प्रेषणाओं की रकम 1,11(करोड़ रुपए थी जो कि वर्ष, 1981 की इसी अवधि की प्रेषणाओं से 925 करोड़ रुपए अधिक है। परिवारों को सामान्य प्रेषणाएं उन अनिवासी भारतीयों की संख्या पर निर्भर करती है जो भारत में अपने परिवारों को धन भेजना अनिवार्य समझते हैं, तथा इस सम्बन्ध में उनकी अपेक्षाएं क्या हैं। जबकि ऐसा विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि परिवारों के रख-रखाव के सम्बन्ध में निजी अन्तरणों में कमी होगी, इस सम्बन्ध में 1984 के दौरान प्रेषणाओं के रुख का सही-सही अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

कोचीन स्थित नौसैनिक अड्डे के सेवानिवृत्त होने वाले असैनिक कर्मचारियों के पेन्शन के मामलों के निपटान में विलम्ब

2006. **श्री० ए० नीलालोहितादस्न नाडार** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन स्थित नौसैनिक अड्डे के सेवा-निवृत्त होने वाले असैनिक कर्मचारियों के पेंशन के मामलों के निपटान में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ख) ऐसे कितने मामले अभी तक लम्बित हैं और प्रत्येक मामले में विलम्ब होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार कुछ ऐसे तरीके निकालेगी जिनके माध्यम से किसी कर्मचारी के सेवानिवृत होते ही पेंशन के मामले निपटाए जा सकें; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) कोचीन के नौसैनिक अड्डे में कार्यरत 5000 से भी अधिक सिविलियन कर्मचारियों की बड़ी संख्या को देखते हुए वहां पेंशन के मामलों के निपटान में कोई अनुचित विलम्ब नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) अन्तिम निपटान के लिए लम्बित पड़े 73 मामलों के ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे हैं।

फिर भी, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कोई कठिनाई न हो, ऐसे सभी मामलों में आंतरिक नियमों के अधीन सामान्यत: पेंशन की अस्थाई अदायगी कर दी जाती है।

निर्यात और जहाज पर लदान पूर्व निरीक्षण व्यवस्था में सुधार करने के लिए स्थायी समिति

2007. **श्री धर्म दास शास्त्री :**

श्री के० लकप्पा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने निर्यात और लदान-पूर्व निरीक्षण व्यवस्था में सुधार करने के लिए भारतीय मानक संस्थान के महानिदेशक की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की जांच के लिए परीक्षण प्रयोग-शालाएं कहां पर स्थापित की जाएंगी; और

(ग) निर्यातकों को अपने निर्यात को बढ़ाने में किस सीमा तक बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) निर्यातों तथा लदान पूर्व निरीक्षण को सरल तथा कारगर बनाने के लिए भारतीय मानक संस्था के महा-निदेशक की अध्यक्षता में कोई स्थाई समिति स्थापित नहीं की गई। तथापि, एक परीक्षण गृह जिसकी स्थापना बम्बई में की जाएगी, के लिए परियोजना तथा व्यवहार्यता रिपोर्ट को अद्यतन करने के लिए उनकी अध्यक्षता में एक समिति की स्थापना की गई थी।

(ग) प्रायोगिक परीक्षण गृह में निर्यातकों को आधुनिक तथा द्रुत परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

इण्डियन एयरलाइन्स के विमान के अपहरणों की घटनाएं

2008. **श्री सत्य नारायण जटिया :**

श्री ए० डेनिस :

श्री आनन्द सिंह : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1984 तक भारतीय विमानों के अपहरण की कितनी घटनाएं हुईं और ये

घटनाएं किन-किन तारीखों को हुईं तथा अपहरणकर्ताओं के नाम क्या थे और वे किन स्थानों के निवासी थे और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाई की गई और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ख) विमानों के अपहरण की घटनाओं को रोकने और यात्रियों को होने वाली अनावश्यक परेशानी के लिए मुआवजा देने के लिए क्या ऐतियाती और सुरक्षोपाय किए गए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 5 जुलाई, 1984 तक इण्डियन एयरलाइन्स और एयर इण्डिया के विमानों के अपहरण की आठ घटनाएं हुई हैं। अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) अपहरण की घटनाओं की जांच करने के लिए सुरक्षा उपायों को और अधिक प्रभावी किया गया है। इन उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(1) प्रचालन क्षेत्र में दाखिल होने के लिए फोटो पास जारी करने की समीक्षा की गई है तथा इन पासों की संख्या अनिवार्य ड्यूटी करने वालों तक सीमित कर दी गई है;

(2) महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर ऐसे पास रखने वाले व्यक्तियों के लिए भी जांच करवाना आवश्यक है;

(3) कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर विमान में सवार होने से ठीक पहले सीढ़ियों पर चढ़ने के समय जांच भी शुरू की गयी है;

(4) विभान में माल की अन्तराल अवधि की आवश्यकता को कड़ाई से कार्यान्वित किया जा रहा है। अपहृत यात्रियों को कोई मुआवजा देय नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	विमानन अपहरण की तारीख	एयरलाइन	विमानन अपहरणकर्ताओं के नाम	विमान अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	30-1-71	इण्डियन एयरलाइन्स (एफ-27)	जम्मू और कश्मीर के मोहम्मद हाशिम तथा मोहम्मद अशरफ कुरेशी।	पाकिस्तान द्वारा अपहरणकर्ताओं को भारत को नहीं सौंपा गया है।
2.	10-9-76	इण्डियन एयरलाइन्स (बी-737)	अब्दुल हमीद देवानी, अहसान रदर, अब्दुल रशीद मलिक, रफीक मौलवी, गुलाम रसूल हजाम तथा गुलाम नवी यातू- ये सभी जम्मू और कश्मीर के थे।	पाकिस्तान द्वारा अपहरणकर्ताओं को भारत को नहीं सौंपा गया है।
3.	20-12-78	इण्डियन एयरलाइन्स (बी-737)	उत्तर प्रदेश के देवेन्द्र पांडे और भोलानाथ पांडे।	अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध अदालती मामला राज्य सरकार द्वारा वापस ले लिया गया था।
4.	29-9-81	—वही—	गजेन्दर सिंह, चण्डीगढ़, सतनाम सिंह, हिमाचल प्रदेश, तजिन्दर पाल सिंह और जसबीर सिंह, पंजाब तथा कर्ण सिंह जम्मू और कश्मीर।	पाकिस्तान द्वारा अपहरणकर्ताओं को भारत को नहीं सौंपा गया है।

1	2	3	4	5
5.	26-11-81	एयर इण्डिया (बी-707)	भाड़े के अपहरणकर्ता लगभग 40-45 थे जिनके नाम मालूम नहीं हैं।	उनकी न्यायिक जांच दक्षिण अफ्रीका सरकार द्वारा किए जाने का पता चला है।
6.	4-2-82	इण्डियन एयरलाइन्स (बी-737)	पंजाब का महिन्दर सिंह उर्फ गुरबक्स सिंह।	उस पर मुकदमा चल रहा है। वह फिलहाल हिरासत में है।
7.	20-8-82	—वही—	पंजाब का मंजीत सिंह उर्फ मुसीबत सिंह।	अपहरणकर्ताओं को हवाई अड्डे पर सुरक्षा पुलिस द्वारा मार दिया गया था।
8.	5-7-84	इण्डियन एयरलाइन्स (एयरबस)	9 अपहरणकर्ता थे अन्य बातों के साथ-साथ उनकी पहचान निर्धारित करने के लिए जांच चल रही है।	अपहरणकर्ताओं ने पाकिस्तानी प्राधिकारियों के सामने आत्म-समर्पण कर दिया। उन्हें भारत को नहीं सौंपा गया है।

शीत लहर के कारण अफीम की फसल को हुआ नुकसान

2009. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित देश के विभिन्न राज्यों में गत फसल वर्ष के दौरान शीत लहर के लिए अफीम की फसल को कितना नुकसान हुआ, अफीम का कितना उत्पादन हुआ और गत पांच वर्षों के दौरान अफीम के उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं; और

(ख) उपरोक्त भाग (क) उल्लिखित समितियों के सन्दर्भ में शीत-लहर के कारण नुकसान उठाने वाले अफीम उत्पादकों को लाइसेंस जारी करते समय किस प्रकार की रियायतें दी गई हैं और इस सम्बन्ध में नीति तैयार करते समय क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) फरवरी, 1984 में प्रचण्ड शीत लहर की वजह से मध्य प्रदेश राज्य तथा राजस्थान राज्य में पोस्त की फसल को काफी नुकसान पहुंचा था जिसके परिणामतः अफीम के उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ा। यह भी रिपोर्ट मिली है कि उत्तर प्रदेश में ओला-वृष्टि के कारण फसल को मामूली नुकसान हुआ था। इसलिए 90, अंश गाढ़ता पर अफीम का उत्पादन लगभग 430 मीट्रिक टन होने की आशा है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान अफीम के उत्पादन के तुलनात्मक आंकड़े इस प्रकार हैं :—

क्रम सं०	फसल वर्ष	90 अंश गाढ़ता पर उत्पादित अफीम की मात्रा (मीट्रिक टनों में)
1.	1978-79	1413
2.	1979-80	969
3.	1980-81	1162
4.	1981-82	935
5.	1982-83	997

(ख) अफीम के बारे में स्वदेशी मांग और निर्यात की आवश्यकता, मौजूदा स्टाक स्थिति, प्राकृतिक आपदाओं, नाशीकीटों, आदि के कारण पूर्ववर्ती फसल वर्ष में फसल को हुआ नुकसान, यदि कोई हुआ हो, की मात्रा तथा अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखकर प्रत्येक वर्ष लाइसेंसिंग सिद्धांत, जिनके द्वारा अफीम के काश्तकारों को लाइसेंस जारी करने हेतु नीति निर्धारित की जाती है, बनाए जाते हैं। इन लाइसेंसिंग सिद्धांतों में उन गांवों के काश्तकारों को लाइसेंस जारी करने के मामले में, अन्य बातों के साथ-साथ राहत देने की भी व्यवस्था होती है, जिनकी फसल को ऐसा नुकसान हुआ हो। सामान्यतया इस राहत का अभिप्राय लाइसेंसों के नवीकरण हेतु निर्धारित अर्हक उपज की मात्रा के सम्बन्ध में रियायत देना होता है।

आगामी फसल वर्ष 1984-85 के लिए लाइसेंसिंग सिद्धांत तैयार करते वक्त, नुकसान की मात्रा, काश्तकारों द्वारा दी गई वास्तविक उपज तथा अन्य संगत कारकों को ध्यान में रखकर रियायतों/छूटों के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिया जाएगा।

भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा बड़े व्यापारिक घरानों को अधिक ऋण दिया जाना

2010. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि इसके क्या कारण हैं कि देश में रुग्ण उद्योगों का पुनरुद्धार करने के स्थान पर भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम द्वारा बडे व्यापारिक घरानों को अधिक ऋण दिए गए हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम (आई० आर० सी० आई०) के संगम ज्ञापन में निर्धारित उद्देश्य के अनुसार, निगम से देश का औद्योगिक विकास करने और विशेष रूप से औद्योगिक एककों को पुनरुद्धार करने के काम को प्रोत्साहन देने और योजनाएं चलाने की अपेक्षा की जाती है। इन उद्देश्यों के अनुरूप आई० आर० सी० आई० अर्थक्षम रुग्ण औद्योगिक एककों को, जिनमें एम० आर० टी० पी० घरानों से सम्बन्धित एकक भी शामिल है, रोजगार और अर्थव्यवस्था के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए, वित्तीय सहायता देता है।

पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण

2011. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली बार पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण कब किया गया था;

(ख) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त उद्योग का आगामी आधुनिकीकरण कब किया जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) पटसन उद्योग का आधुनिकीकरण सर्वप्रथम पचास के दशक में शुरू हुआ जिसके अन्तर्गत पुराने रोव कताई फ्रेमों तथा प्रप्रेटरी मशीनरी के स्थान पर स्लाइवर कताई प्रौद्योगिकी की व्यवस्था की गई। बाद में, जब कालीन अस्तर कपड़ा बनने लगा तो हाई स्पीड वाईंडिंग, प्री-बीमिंग तथा अप्रोन ड्रफ्ट स्पिनिंग फ्रेमों की शुरूआत की गई। अन्य प्रमुख प्रोसेसिंग क्षेत्रों जैसे धुनाई, बुनाई, फिनीशिंग तथा सिलाई में पहली प्रणाली से व्यावहारिक तौर पर कोई परिवर्तन नहीं है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पटसन माल की बढ़ती हुई घरेलू मांग को ठीक से पूरा करने के अलावा न केवल दीर्घावधि अर्थक्षमता को ही बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में सफलता-पूर्वक प्रतिस्पर्धा को भी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उद्योग के आधुनिकीकरण की अत्यधिक आवश्यकता है।

तथापि, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम की सुलभ ऋण योजनाओं के प्रति पटसन उद्योग की रुचि उत्साहजनक नहीं है। संयन्त्रों और उपस्करों के आधुनिकीकरण तथा पुर्नस्थापन के लिए अब तक केवल 9 पटसन मिलों द्वारा 12.38 करोड़ रुपए की सुलभ ऋण योजनाओं का लाभ उठाए जाने की सूचना मिली हैं। रुग्ण पटसन मिलों को संयन्त्रों तथा उपस्करों के आधुनिकीकरण तथा नवीकरण के लिए सावधि ऋणों सहित वित्तीय सहायता मंजूर करने पर विचार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के तत्वाधान में पटसन उद्योग के लिए एक स्थायी समिति स्थापित की गई है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा दी गई प्रति व्यक्ति सहायता

2012. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च 1983 तक वित्तीय संस्थानों द्वारा राज्य-वार प्रति व्यक्ति कितनी सहायता प्रदान की गयी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : वित्तीय संस्थाओं अर्थात् आई० डी० बी० आई०, आई० एफ० सी० आई०, आई० सी० आई० सी० आई०, आई० आर० सी० आई०, एल० आई० सी०, जी० आई० सी०, यू० टी० आई०, राज्य वित्त निगमों और राज्य औद्योगिक विकास निगमों द्वारा मार्च, 1983 के अन्त तक मंजूर की गई तथा संवितरित प्रति व्यक्ति कुल सहायता के सम्बन्ध में राज्य-वार सूचना अनुबन्ध में दी गई है।

बैंकों और जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों की मांगें

2013. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंक कर्मचारियों की मांगों के सम्बन्ध में बैंकों के कर्मचारी संघों के साथ कोई समझौता हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का बैंक अधिकारियों के साथ हुए समझौते को आधार मान कर जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के कर्मचारी संघों के साथ बातचीत पुनः आरम्भ करने का विचार है; और

(ग) जीवन बीमा निगम के साथ यह बातचीत कब तक पूरी हो जाने की आशा है ताकि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों का काफी लंबे समय से लंबित विवाद हल किया जा सके ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) भारतीय बैंक संघ (आई०बी०ए०) ने जो बैंकों के प्रबन्धकों की प्रतिनिधि संस्था है, सूचित किया है कि उसने अभी तक बैंकों के कर्मकारों की यूनियनों के साथ समझौते को अन्तिम रूप नहीं दिया है।

(ख) और (ग) जीवन बीमा निगम के प्रबंधक पहले ही उन प्रस्तावों को तैयार करने में लगे हुए हैं जिनके आधार पर कर्मकारों की यूनियनों के साथ पुनः बातचीत शुरू की जा सके।

अंतिम समझौते पर पहुंचने का समय कर्मकारों की मांगों पर बातचीत और प्रबन्धकों की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर निर्भर करता है ।

"एन० टी० सी० आन दि ब्रिंक आफ कोलेप्स इन इस्टर्न रीजन"
शीर्षक से छपा समाचार

2014. **श्री नीरेन घोष** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 मई, 1984 में के स्टेट्समैन एन०टी०सी० आन ब्रिन्क आफ कोलेप्स इन दि इस्टर्न रीजन शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या कच्चे माल की सप्लाई न होने के कारण क्षमता उपयोग 80 प्रतिशत से कम होकर 48 प्रतिशत रह गया है;

(घ) क्या इसमें वित्तीय कुप्रबन्ध और अन्य अनियमितताएं हुई हैं;

(ङ) इसका 36 करोड़ रुपए के आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा; और

(च) क्या सम्पूर्ण स्थिति पर इसका कोई प्रभाव पड़ा था ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन मिलों (प० बंगाल, असम, बिहार तथा उड़ीसा) के निष्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न कदम उठाये गए/उठाये जा रहे हैं; जिनमें ये शामिल हैं :—

(1) विभिन्न उपलब्ध चैनलों से रुई की समय पर वसूली की व्यवस्था की जा रही है ।

(2) नकद हुए घाटों की सीमा तक कार्यशील पूंजी की प्रतिपूर्ति ।

(3) अतिरिक्त सीमांत राशि की व्यवस्था की गई है ।

(4) ऋण सीमाओं के उर्ध्वमुखी संशोधन के लिए बैंकों से सम्पर्क किया जा रहा है ।

(5) उपलब्ध संसाधनों के बेहतर प्रबन्ध के लिए अनुषंगी स्तर पर मैनेजमेंट को सुदृढ़ बनाया जा रहा है ।

(6) स्टाकों को समाप्त करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) 1979-80 के दौरान एन०टी०सी० (डब्ल्यू०बी०ए०बी०ओ०) के अन्तर्गत एककों की

क्षमता-उपयोगिता कताई में 68.5 प्रतिशत तथा बुनाई में 48.2% थी। 1983-84 के लिए तत्सम्बन्धी आंकड़े क्रमशः 49.7 तथा 43.9 प्रतिशत थे। अपेक्षाकृत कम क्षमता उपयोग के जो कारण रहे उनमें से अन्तर्निवेशों की अपर्याप्त सप्लाई भी एक कारण है।

(घ) विगत हाल ही में बिना औपचारिक सुपुर्दगी अनुदेशों के गैर-नियन्त्रित कपड़े के प्रेषण वाले कुछ मामले ध्यान में आये। प्रारम्भिक जांच से पता चला कि विभिन्न स्तरों पर कुछ प्रक्रियात्मक भूलें तथा अनियमितताएं रही हैं। एन०टी०सी० (डब्ल्यू०वी०ए०बी०ओ०) द्वारा 1981-82 से 1983-84 तक के वित्तीय वर्षों के लिए एक विशेष लेखा परीक्षा के आदेश दे दिये गए हैं। लेखा परीक्षा के अन्तर्गत वाणिज्यिक प्रचालन के क्षेत्र और आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए निधियों का उपयोग शामिल होगा।

(ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार एन०टी०सी० (डब्ल्यू०बी०ए०वी०ओ०) के अन्तर्गत मिलों के लिए इन मिलों के प्रबंधग्रहण के समय से लेकर नवीकरण/आधुनिकीकरण आदि के लिए लगभग 36 करोड़ रु० के कुल संस्वीकृत परिव्यय में से 31 करोड़ रु० की राशि खर्च की गई। कुल संस्वीकृत परिव्यय में से वित्तीय संस्थाओं का अंश लगभग 7.56 करोड़ रु० है।

(च) 1975-76 से 1982-83 तक हुआ सुधार निम्नलिखित रूप में है :—

	1975-76	1982-83
(1) उपयोग (%)		
कताई	63.1	66.1
बुनाई	48.2	50.9
(2) उत्पादकता		
40 एस रूपान्तरण (ग्रा०)	47.7	54.9
करघा उत्पादिता सूचकांक	192	220
औसत काउन्ट	25.2एस	30.5एस
(3) उत्पादन मूल्य (करोड़ रु० में)	18.00	32.00

श्रीसेलम परियोजना दक्षिण शाखा नहर तथा श्री रामसागर परियोजना चरण-II के निर्माण कार्यों के लिए विश्व बैंक से वित्तीय सहायता

2015. **श्री जी० भूपति :** क्या **वित्त मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक श्री सेलम परियोजना दक्षिण शाखा नहर तथा श्री रामसागर परियोजना द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों के लिए 300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने को सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो श्री सेलम परियोजना दक्षिण शाखा नहर तथा श्री रामसागर परियोजना चरण-II, के निर्माण कार्यों पर अनुमानित कितनी धनराशि व्यय होगी ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, नहीं । विश्व बैंक के एक मूल्यांकन-पूर्व शिष्टमण्डल ने हाल ही में परियोजना क्षेत्र का दौरा किया है । परन्तु, परियोजना के विस्तार तथा सहायता की मात्रा इत्यादि पर निर्णय बैंक के साथ औपचारिक बातचीत तथा करारों पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाने के समय लिया जाएगा । श्री सेलम परियोजना की दाईं ओर की नहर (राइट बैंक केनाल) की लागत का अनुमान 220.22 करोड़ रु० है तथा श्री रामसागर परियोजना द्वितीय चरण की लागत का अनुमान 415.35 करोड़ रुपए है (1981-82 की कीमतों के आधार पर) ।

हरिद्वार ऋषिकेश और मथुरा बृन्दावन में पर्यटकों के लिए आवास का अभाव

2016. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में भारतीय पर्यटन विकास निगम के विभिन्न होटलों में 1983 और 1984 के दौरान (जून 1984 तक) वास का मास-वार औसत अधिभोग क्या था; उनकी पूंजीगत लागत कितनी है (भवन और फर्नीशिंग आदि सहित) और इस अवधि में उन्हें कितना लाभ या हानि हुई;

(ख) क्या उन्हें यह जानकारी है कि हरिद्वार, ऋषिकेश और मथुरा/वृन्दावन (सभी उत्तरप्रदेश में) जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ-स्थानों पर बड़ी संख्या में पर्यटक, विशेषकर विदेशी पर्यटक जाते हैं परन्तु इन स्थानों पर आवास का अत्यधिक अभाव है; और

(ग) यदि हां, तो भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा नई दिल्ली में 5-सितारा होटलों के निर्माण पर सरकारी धन खर्च करने के बजाय उक्त तीर्थ स्थानों, पर जहां प्रतिवर्ष लाखों यात्री जाते हैं, उपयोगी होटल बनाने की ओर ध्यान न देने के क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) 1983

और 1983 (जून तक) के दौरान दिल्ली स्थित आई०टी०डी०सी० के होटलों का मास-वार अधिभोग, 31-3-83 तक नियोजित पूंजी और वित्तीय वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान इन होटलों को हुए लाभ-हानि विवरण एक, दो और तीन में दर्शाये गए हैं।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। छठी योजना में लिए गए प्रस्तावों के आधार पर सातवीं योजना में निम्नलिखित स्कीमों को क्रियान्वयन के लिए शुरू किए जाने की सम्भावना है :—

(i) ब्रज भूमि कॉम्पलैक्स का विकास;

(ii) बृंदावन में "धर्मशाला" का निर्माण 12.96 लाख रु० की अनुमानित लागत पर।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के अधीन राज्य सरकार के सहयोग से हरिद्वार और ऋषिकेश में उपयुक्त आवास सुलभ कराने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रयास किए जाएंगे और कुल आवास-अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्राइवेट सैक्टर को भी अभिप्रेरित किया जाएगा।

विवरण—एक

	अशोक	अकबर	कुतुब	जनपथ	लोधी	रणजीत	सम्राट	कनिष्क	अशोक यात्री निवास
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1983									
जनवरी	37	71	72	99	88	82	75	64	56
फरवरी	30	80	76	94	84	83	55	50	50
मार्च	64	70	84	92	81	80	19	57	66
अप्रैल	34	54	61	92	98	67	15	45	87
मई	23	44	51	83	54	48	22	31	96
जून	21	39	46	69	54	41	15	31	93
जुलाई	23	37	51	78	55	50	22	38	107
अगस्त	31	43	52	86	59	57	37	43	103
सितम्बर	47	54	55	88	72	49	33	47	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अक्टूबर	47	46	48	91	64	51	59	65	84
नवम्बर	66	70	60	90	78	73	69	83	97
दिसम्बर	53	42	62	94	79	64	27	80	84
1984									
जनवरी	53	31	53	90	71	50	27	68	73
फरवरी	67	41	53	93	73	59	41	78	88
मार्च	52	28	62	86	64	55	34	64	67
अप्रैल	38	25	49	80	55	42	27	54	58
मई	39	31	45	76	51	43	16	40	51
जून	31	30	43	65	49	30	13	29	42

विवरण—दो

(लाखों रुपयों में)

31-3-83 की स्थिति के अनुसार नियोजित पूंजी

क्रम सं०	होटल का नाम	
1.	अशोक होटल	622.77
2.	अकबर होटल	137.87
3.	कुतब होटल	*83.55
4.	जनपथ होटल	31.43
5.	लोधी होटल	14.89
6.	रणजीत होटल	(—)24.58
7.	सम्राट होटल	1342.12
8.	कनिष्क होटल	958.94
9.	अशोक यात्री निवास	457.23

विवरण—तीन

(लाख रु० में)

क्रम सं०	होटल का नाम	1982-83	1983-84 (अनन्तिम)
1.	अशोक, नई दिल्ली	124.90	15.50
2.	अकबर, नई दिल्ली	109.28	(—) 26.35
3.	कुतब, नई दिल्ली	10.75	(—) 4.00
4.	जनपथ, नई दिल्ली	41.09	45.00
5.	लोधी, नई दिल्ली	27.87	16.25
6.	रणजीत, नई दिल्ली	7.42	(—) 17.00
7.	सम्राट, नई दिल्ली	(—) 70.89	(—) 194.40
8.	कनिष्क, नई दिल्ली	(—) 24.11	38.00
9.	अशोक यात्री निवास, नई दिल्ली	(—) 26.71	(—) 14.70

विदेशी ऋण

2017. **श्री प्रो० रूप चन्द पाल :**

श्री हरिकेश बहादुर : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1984 को भारत पर कुल कितनी धनराशि का विदेशी ऋण था; और

(ख) इस ऋण को अदा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 31 मार्च, 1984 को सरकारी खाते के विदेशी ऋण की कुल राशि लगभग 201,65 करोड़ रुपए थी।

(ख) ऋण की वापसी अदायगी ऋण करारों के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों के अनुसार नियत तारीखों को की जाती है।

औद्योगिक महंगाई भत्ता फार्मूला की दर में संशोधन

018. **श्री भीखा भाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक महंगाई भत्ता फार्मूला की दर में संशोधन करने के बारे में केन्द्रीय मजदूर संघों के नेताओं तथा सरकार के बीच हुई बातचीत की नवीनतम स्थिति क्या है;

(ख) इस मसले पर कब तक समझौता होने की सम्भावना है; और

(ग) इस विषय पर सरकार द्वारा की गई पेशकश तथा मजदूर संघों के प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) औद्योगिक महंगाई भत्ता सूत्र की दर संशोधित करने के विषय में केन्द्रीय मजदूर संघ के नेताओं तथा सरकार के बीच बातचीत की जा रही है, और इस स्थिति में उसका ब्यौरा देना जन-हित में नहीं होगा ।

सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतनमानों के बारे में भटनागर समिति की रिपोर्ट

2019. **श्री भीखा भाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रमों ने भटनागर समिति की रिपोर्ट में विभिन्न प्रकार की विसंगतियों का उल्लेख करते हुए उसका विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार के ध्यान में लाई गई मुख्य विसंगतियां क्या हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार भटनागर समिति द्वारा सुझाए गए वेतनमानों की मियाद बढ़ाने का है ताकि किसी भी कर्मचारी को वेतनमान की अधिकतम सीमा पर रुके न रहना पड़े और कम से कम आगामी चार वर्षों तक उसे वेतन वृद्धि मिल सके ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) और (ख) जैसा कि प्रश्न में निर्दिष्ट है, भटनागर समिति द्वारा की गई सिफारिशों का सरकारी क्षेत्र के लगभग सभी उद्यमों जिन्होंने विरोध नहीं किया है। हालांकि, इसके आधार पर कुछ उद्यमों ने उच्चतम न्यायालय में मामला दायर किया है । इस रिपोर्ट में कोई विसंगतियां नहीं हैं ।

(ग) जी, नहीं ।

मकान किराया भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, समयोपरि भत्ता तथा अन्य भत्तों के भुगतान के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मार्गदर्शी सिद्धान्त

2020. **श्री भीखा भाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि मकान किराया

भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता, यात्रा भत्ता की अदायगी, परिवहन सहायता, धुलाई भत्ता, समयोपरि भत्ता, चाय/काफी/मध्याह्न भोजन भत्ता, वर्दियां, शिक्षा सुविधाएं चिकित्सा सुविधाएं आदि के सम्बन्ध में अधिकतम सीमा सहित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को क्या-क्या स्थाई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं तथा तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : सरकारी उद्यम सरकार की पूर्व अनुमति से वर्तमान आदेशों के अधीन अपने कर्मचारियों/कार्यपालकों को एक मुश्त वेतन/मजूरी ढांचे के अंग के रूप में मकान किराया भत्ता तथा नगर प्रतिपूरक भत्ता निम्नलिखित दरों पर अदा कर सकते हैं :—

मकान किराया भत्ता

दिल्ली, बम्बई कलकत्ता, मद्रास और अन्य	—	मूल वेतन का 30%
"क" श्रेणी के नगरों से	—	मूल वेतन का 25%
ख-1 तथा ख-2 श्रेणी के नगरों में	—	मूल वेतन का 15%
ग तथा अन्य अवर्गीकृत क्षेत्रों में	—	मूल वेतन का $7\%\frac{1}{2}$

नगर प्रतिपूरक भत्ता

"क" श्रेणी के नगरों में मूल वेतन का 6 प्रतिशत बशर्ते कि कुल मिलाकर अधिकतम राशि 75 रु० तक हो। ख-1 श्रेणी के नगरों में मूल वेतन का 4.5 प्रतिशत बशर्ते कि कुल मिलाकर अधिकतम राशि 50 रु० तक हो। ख-2 श्रेखी के नगरों में मूल वेतन का 3.5 प्रतिशत, बशर्ते कि अधिकतम मासिक राशि 10 रु० तक हो जिनमें मामूली सा समायोजन किया जा सके।

अन्य अनुषंगी लाभ जैसे—धुलाई भत्ता, चाय/काफी/मध्याह्न भोजन भत्ता/वर्दी, शिक्षा सुविधाएं और चिकित्सा सुविधाएं सम्बद्ध सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले अपेक्षित कार्य तथा उद्योग के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते हैं। सांविधिक उपबंधों जैसे—कर्मचारी राज्य बीमा योजना, जहां कहीं लागू हो, सरकारी उद्यमों द्वारा भी अपनाई गई है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा महंगाई भत्ते की किश्तों की अदायगी

2021. **श्री भीखा भाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों

को दी गई महंगाई भत्ते की तीन किश्तों की घोषणा के आधार पर केन्द्रीय सरकार की पद्धति के अन्तर्गत महंगाई भत्ते की किश्तों की अदायगी कर दी है;

(ख) महंगाई भत्ते की ये किश्तें किन श्रेणियों के कर्मचारियों को दी गई हैं; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों को यह सुविधा न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) (ख), और (ग) सरकार की यह नीति है कि इस समय केन्द्रीय सरकार का महंगाई भत्ता पैटर्न अपनाने वाले सभी सरकारी उद्यमों को औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न अपना लेना चाहिए। सरकार ने इन सरकारी उद्यमों के कार्यपालकों के संवर्गों के लिए परिशोधित आदर्श वेतनमान तथा उन पर स्वीकार्य महंगाई भत्ता अधिसूचित कर दिया है। इन सरकारी उद्यमों से यह अनुरोध भी किया गया है कि वे औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न तथा उससे सम्बन्धित वेतनमान अपनाने के लिए अपने कामगारों तथा लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के साथ समझौता कर लें। सरकार ने समयबद्ध कार्यक्रम के अधीन औद्योगिक महंगाई भत्ता पैटर्न अपनाने वाले ऐसे उद्यमों जहां प्रबन्धकों और कर्मचारियों के बीच अन्तरिम करार किए गए हैं, को छोड़ कर केन्द्रीय सरकार का महंगाई भत्ता पैटर्न अपनाने वाले सरकारी उद्यमों को सरकार के अधीन श्रेणी 3 तथा 4 के समान वेतनमान वाले अपने कर्मचारियों को हाल ही में दी गई तीन किश्तें अदा करने क लिए प्राधिकृत कर दिया है। पर्यवेक्षकों तथा कार्यपालकों के किए 1-1-1984 और 1-7-1984 से जो परिशोधित वेतनमान तथा स्वीकार्य औद्योगिक महंगाई भत्ता अब देय हो चुका है, उसकी घोषणा कर दी गई है। अतः सरकारी उद्यमों के पर्यवेक्षकों तथा कार्यपालकों को केन्द्रीय सरकार की महंगाई भत्ता दरों पर अतिरिक्त महंगाई भत्ता आदि की अदायगी करना ठीक नहीं होगा। इन आदेशों का उल्लंघन करके किए गए किसी प्रकार के भुगतान का समुचित रूप से समायोजन करना पड़ेगा। विभिन्न सरकारी उद्यमों द्वारा उनके भिन्न-भिन्न वर्गों के कर्मचारियों को अदा की गई महंगाई भत्ते की किश्तों की पूरी जानकारी हमारे पास नहीं है।

मंत्रालयों में सरकारी उपयोग के लिए स्टाफ कारों की मन्जूरी

1022. **श्री चित्त महाटा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और स्वायत्त निकायों में सरकारी उपयोग के लिए स्टाफ कारें मंजूर कर रखी हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्टाफ कारों का उपयोग सरकारी प्रयोजनों के अतिरिक्त भिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इन स्टाफ कारों में वातानुकूल और अन्य विलासिता के उपकरण लगाने की अनुमति दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कुछ स्वायत्त निकायों की स्टाफ कारों में वातानुकूल यंत्र और अन्य विकासप्रिय उपकरण लगे हुए हैं; और

(ङ) उसके क्या कारण हैं और उन स्वायत्त निकायों के नाम क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ङ) 31-3-1982 को केन्द्रीय सरकार के पास वाहनों की संख्या 19419 थी । 27-3-1984 को मंत्रालयों/विभागों को अनुदेश जारी किए गए थे कि जहां कहीं भी स्टाफ कारों में वातानुकूल यंत्र लगाए गए हैं वे उन्हें लौटा दें । स्टाफ कारों के दुरुपयोन का कोई भी मामला इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है । यदि दुरुपयोग के बारे में कोई भी शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर उपयुक्त कार्यवाही करने की जिम्मेदार सम्बन्धित प्रशासनिक प्राधिकरण की होगी । स्वायत्त निकायों के सम्बन्ध में इसी प्रकार की सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है । तथापि, वे इस मामले में सामान्यत: सरकारी नीति का ही अनुसरण करते हैं ।

राष्ट्रीय जमा योजनाएं

2023. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :**

श्री के० मालन्ना :

श्री छोटू भाई गामित : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितनी राष्ट्रीय जमा योजनाएं क्रियान्वियनाधीन हैं;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष में कुछ नई जमा योजनाएं शुरू की गई हैं या शुरू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) केवल एक ही राष्ट्रीय जमा योजना है जो 30 जुलाई, 1984 से लागू हो गई है । इस योजना की शर्तें और इससे सम्बन्धित अन्य ब्यौरा 15 जून, 1984 की अधिसूचना में दिया गया है जो 24 जुलाई, 1984 को सभा-पटल पर रखी गई थी । इस समय कोई अन्य जमा योजना शुरू करने का प्रस्ताव नहीं है ।

गाजियाबाद में 3-तारा होटल "आशियाना"

2024. **श्री अनवार अहमद** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व केन्द्रीय पर्यटन विभाग ने गाजियाबाद में "आशियाना" नाम के

एक 3-तारा होटल की निर्माण योजना का अनुमोदन किया था;

(ख) क्या इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा उपलब्ध की जाती है;

(ग) यदि हां, तो निगम द्वारा अब तक कुल कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारणों का ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) यह ज्ञात हुआ है कि राज्य वित्त निगम और सम्बन्धित प्राइवेट पार्टी के बीच ऋण-प्रस्ताव पर पत्र-व्यवहार चल रहा है।

गोल्डन टोबैको कम्पनी के बारे में जांच

2025. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोल्डन टोबैको कम्पनी द्वारा उत्पाद-शुल्क की कथित चोरी के बारे में जांच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या निष्कर्ष हैं; और

(ग) सरकार को देय राशि को वसूल करने तथा जांच के दौरान पता लगाई गई कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०एम० कृष्ण) : (क) और (ख) जांच-पड़ताल में पर्याप्त प्रगति हुई है। यह अभी जारी है। मूल्यांकन सम्बन्धी मामलों पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रभावों पर ध्यान देना भी अपेक्षित है। 28.93 करोड़ रुपए और 35.1 करोड़ रुपए की अनुमानित न्यून लेवी के बारे में दो "कारण बताओ नोटिस" क्रमशः बम्बई और बड़ौदा में जारी किए गए थे।

(ग) कम्पनी ने बम्बई उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की और न्यायालय ने इस मामले के न्याय-निर्णय की अनुमति दे दी है। परन्तु ये आदेश कम्पनी को नहीं भेजे जाने हैं। मूल्यांकन सम्बन्धी विवादों को समाप्त करने के उद्देश्य से सिगरेटों की टैरिफ-संरचना को अब मूल्यानुसार से उत्पादन शुल्क की विशिष्ट दर में परिवर्तित कर दिया गया है।

डालर की तुलना में रुपए के मूल्यह्रास के कारण विदेशी ऋण में हुई वृद्धि

2026. **श्री रवीन्द्र वर्मा** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से डालर की तुलना में रुपए के मूल्यह्रास के कारण हमारे विदेशी

ऋण (मूल ऋण और ब्याज) देयता में कितनी (प्रतिशत में) वृद्धि हुई है; और

(ख) हमारी अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का दावा करने के बावजूद रुपए के मूल्यह्रास का क्या कारण है ?

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भारत के विदेशी ऋण का मूल्यांकन विभिन्न करेंसियों में किया जाता है और अमरीकी डालरों में मूल्यांकित ऋण कुल ऋण का केवल एक अंश है। ऋण परिशोधन देयता (मूल ऋण और ब्याज) उन करेंसियों में नियत की जाती है जिनके अनुसार ऋण मूल्यांकित होता है। विदेशी करेंसियों में मूल्यांकित ऋण परिशोधन सम्बन्धी अदायगियों की रुपयों में समतुल्य राशि, इस प्रकार की अदायगियां करते समय उस करेंसी की तुलना में रुपए की वास्तव में विद्यमान मुद्रा विनिमय दर पर निर्भर करेगी। चूंकि मुद्रा विनिमय की दर में सम्भाक्ति घटबढ़ का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है, इसलिए ऋण परिशोधन की रुपयों में की जाने वाली अदायगियों में, जो कई वर्षों में फैली होती हैं, कितनी वृद्धि या कमी होगी इसका अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

(ख) रुपया करेंसियों की डलिया (बास्केट) से सम्बद्ध है और अमरीकी डालर से सम्बद्ध नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में अमरीकी डालर के मूल्य में लगभग सभी प्रमुख करेंसियों के अनुपात में वृद्धि हुई है और रुपया भी इसका अपवाद नहीं है। जबकि जनवरी 1980 से रुपए के मूल्य में अमरीकी डालर की तुलना में कमी हुई है तथापि दूसरी ओर, इस अवधि में कई अन्य अन्तर्राष्ट्रीय करेंसियों की तुलना में इसके मूल्य में वृद्धि हुई है। इसलिए रुपया-डालर की दर में घटबढ़ का अर्थव्यवस्था की सामर्थ्य पर कुप्रभाव नहीं पड़ता।

विमानों के अपहरण की रोकथाम के लिए हवाई अड्डों पर नए सुरक्षा उपाय

2427. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विमान के अपहरण की हाल की घटना के बाद हवाई अड्डों पर किए गए सुरक्षा उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अब तक हुई विमान अपहरण घटनाओं में सुरक्षा सम्बन्धी तथा अन्य की गई ऐसी चूकों का ब्यौरा क्या है जिनकी पुनरावृत्ति हुई हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) पिछले कुछ महीनों में विमान अपहरण विरोधी कई उपाय किए गए थे। इन्हें और अधिक प्रभावी बनाया गया है तथा अतिरिक्त उपाय भी किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

1. प्रचालन क्षेत्र में प्रवेश के लिए फोटो पासों को जारी करने की समीक्षा की गई है तथा इन पासों की संख्या अनिवार्य ड्यूटी करने वालों तक सीमित कर दी गई है;

2. महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर ऐसे पास रखने वाले व्यक्तियों के लिए भी सुरक्षा जांच की करवानी आवश्यक है;

3. कुछ महत्वपूर्ण हवाई अड्डों पर विमान में चढ़ने से ठीक पहले यात्रियों की सीढ़ियों पर चढ़ने के समय जांच शुरू की गई हैं;

4. यह निर्णय किया गया है कि सफाई करने वाले, खानपान का प्रबन्ध करने वाले और अन्य सेवा वाले कर्मचारियों की विमान में प्रवेश से पहले जांच की जाएगी;

5. विमान में कार्गो की अन्तराल अवधि की आवश्यकता को कड़ाई से कार्यान्वित किया जा जा रहा है।

(ख) इस घटना की जांच चल रही है। इस जांच के पूरे हो जाने के बाद ही इस बात का पता चलेगा कि यदि कोई सुरक्षा संबंधी और अन्य व्यतिक्रम या लापरवाहियां हुई तो वे वास्तव में किस प्रकार की थीं।

चाय के दामों में वृद्धि

2028. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चाय के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है कि विदेशों में की गयी चाय की खरीद का स्वदेशी बाजार की चाय के दामों में किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े; और

(ग) देश के प्रमुख शहरों में इस समय चाय की वर्तमान दरें क्या हैं और पिछले तीन, छ, नौ और बारह महीनों पूर्व उसकी दरें क्या थीं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) निष्क्रियता की एक लम्बी अवधि के बाद 1983 में स्वदेश में तथा विदेशों में कीमतों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। कम उत्पादन के मौसम के दौरान घरेलू कीमतों में अनुचित वृद्धि को रोकने के लिए विभिन्न उपाय किये गए। चालू वर्ष में एक रिकार्ड फसल होने की आशा है और अगस्त में अधिकांश फसल उपलब्ध हो जाने से चाय की कीमतों में स्थिरता आने की आशा है।

जुलाई, 1983 से प्रमुख नीलामी केन्द्रों अर्थात कलकत्ता तथा कोचीन में सी०टी०सी० चाय

की औसत कीमतें निम्नोक्त प्रकार हैं :—

(औसत कीमतें रु०/कि० ग्रा०)

अवधि		कलकत्ता नीलामियां	कोचीन नीलामियां
जुलाई-सितम्बर,	1983	22.93	23.66
अक्तूबर-दिसम्बर	1983	27.59	26.58
जनवरी-मार्च,	1984	25.34	24.75
अप्रैल-जून,	1984	29.41	25.48

भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका पर्यटन पर सेमीनार द्वारा की गई सिफारिशें

2029. **श्री के०टी० कोसलराम** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, 1984 में भारत-अमेरिका वाणिज्य-मंडल द्वारा आयोजित भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका पर्यटन पर सेमीनार द्वारा सरकार को की गई मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) मई, 1984 में भारत-अमेरिका वाणिज्य-मंडल द्वारा भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका पर्यटन पर जिस वर्कशाप का आयोजन किया गया था उसकी सिफारिशें सरकार को अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बंगलादेश को औषधियों की तस्करी

2030. **श्री रेणुपद दास** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि जिन औषधियों पर बंगलादेश में प्रतिबन्ध लगा है, भारत के साथ लगे सीमावर्ती क्षेत्र से वे औषधियां चोरी छिपे बंगलादेश में पहुंच रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर सक्रिय औषधि एजेंसियों का पता लगाने और उन्हें रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) सरकार को मिली रिपोर्टों से यह संकेत नहीं मिलता है कि भारत से बंगलादेश को नारकोटिक औषध-द्रव्यों का नियमित रूप से

तस्कर-निर्यात हो रहा है । भैषजिक निर्मितियों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जाएगी ।

(क) और (ग) भारत-बंगलादेश क्षेत्र में स्थित सीमाशुल्क विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी सीमा के पार औषध-द्रव्यों के गैर-कानूनी व्यापार के मामले में चौकस रहते हैं । तस्करी निवारण के समुचित उपाय करने के लिए मामले की लगातार समीक्षा भी की जाती है ।

पिछले कार्य-निष्पादन के लिए सिले सिलाए वस्त्रों का निर्यात कोटे का आबंटन

2031. **श्री बाबू राव परांजपे :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 के बाद प्रत्येक वर्ष में, चालू वर्ष सहित, अमेरिका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के प्रत्येक सदस्य देश को निर्यात के लिए पृथक-पृथक सिले सिलाए वस्त्रों का प्रत्येक श्रेणी में पिछले कार्य निष्पादन के लिए कितना निर्यात कोटा आबंटित किया गया है;

(ख) इस वर्ष पिछले कार्य-निष्पादन के लिए सबसे अधिक कोटा पाने वाले 50 कोटा धारकों के नामों सहित प्रत्येक देशों में फर्मों की संख्या तथा पिछले कार्य-निष्पादन के लिए आबंटित श्रेणियों की संख्या कितनी है और प्रत्येक देश में प्रत्येक फर्म की और उक्त श्रेणी में कितना कोटा आबंटित किया गया; और

(ग) उन फर्मों की संख्या कितनी है जिन्होंने 30 जून, 1984 तक अपने पिछले कार्य-निष्पादन कोटे का अंश अन्य फर्मों को हस्तांतरित किया है और प्रत्येक देश/श्रेणीवार कितना कोटा हस्तांतरित किया गया और इस वर्ष प्रत्येक देश/श्रेणी में कितने पीस हस्तांतरित किए है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार वर्ष 1984 के लिए 1235 परिधान निर्यातकों को पिछले कार्य-निष्पादन केलिए हकदारी आबंटित की गई । चूंकि पिछले कार्य निष्पादन के लिए हकदारी देश, श्रेणी-वार आबंटित की जाती है, प्रत्येक देश/श्रेणी के लिए निर्यातकों की सूची समान नहीं होगी । निर्यातकों का वर्गीकरण पिछले कार्य-निष्पादन के लिए हकदारी के आधार पर नहीं किया जाता है ।

(ग) पिछले कार्य-निष्पादन के लिए हकदारी के अनन्तरण की अनुमति समय-समय पर घोषित निर्यात हकदारी वितरण नीति में निहित कतिपय शर्तों के अध्यधीन है । ऐसे सौदों, जो कि अनेक क्षेत्रों में किए जाते हैं, के फर्म-वार ब्यौरे संकलित नहीं किए जाते हैं ।

विवरण

1980, 1981, 1982, 1983, 1984 के दौरान पिछले कार्य-निष्पादन हकदारी प्रणाली के अन्तर्गत आबंटित की गई श्रेणी-वार मात्राओं को दर्शाने वाला विवरण

अमरीकी तथा ई० ई० सी० के सदस्य राज्यों के लिए

मात्रा अदद में

देश/श्रेणी	पिछले कार्य निष्पादन के लिए आवंटन				
	1980	1981	1982	1983	1984
1	2	3	4	5	6
संयुक्त राज्य अमेरिका					
335	—	—	—	696368	780000
336	924400	988800	1190490	1415370	1429524
338/39/40	4681600	4822000	5587582	5581153	6586520
341	10246000	10553600	1222 137	13995570	13575703
342	—	—	—	1452620	1565197
347/48	561 00	589600	91527	1200000	1212000
641	331200	331200	331200	—	—

1	2	3	4	5	6
पश्चिमी जर्मनी :					
4	804400	826400	908100	1203000	1172500
6	—	—	—	381245	530824
7	3653200	3569200	3038850	4701500	4727000
8	3525200	3562800	4049100	3543896	3461629
15-बी	44400	48000	56700	125226	161456
17	—	—	—	92446	200757
26	570000	626400	702900	890000	928000
27	494400	510000	563850	801000	821500
29	37200	40800	48150	395299	320393
30-बी	88400	122400	153000	—	—
फ्रान्स :					
4	534800	548400	600300	789500	806500
6	—	—	—	158687	212457
7	1065600	1082800	1176750	1466000	1514000

1	2	3	4	5	6
8	365200	368800	398250	473589	379530
15-बी	92000	92400	99000	112762	91968
17	—	131600	156742	52974	6343
21	—	—	169200	47765	31772
24	—	—	132750	210322	140822
26	676000	682000	735300	892500	900000
27	358800	366800	401850	559500	573500
29	37600	38400	42300	203156	217577
30-ए	—	—	104850	123500	57679
30-बी	71400	78200	95625	—	—
इटली :					
4	279600	303600	357300	489500	482000
6	—	—	143100	192718	150995
7	522400	564400	653850	825000	811000
8	1304800	1337600	1543950	1377845	735200
15-बी	28800	31600	36900	28562	34566

1	2	3	4	5	6
17	—	53200	63202	67572	63815
26	264000	279600	317250	410000	387494
27	210400	222800	250200	356711	328443
29	23600	25600	28800	128164	151969
30-बी	44290	61200	—	—	—
68	—	—	—	—	—
बेनीलक्स:					
4	287600	305200	346050	454500	443000
6	74400	78800	93792	154147	174000
7	1419600	1428800	1537200	1837000	1507240
8	1104000	1117600	1272150	1282130	1159444
15-बी	45200	45600	49050	66893	6 023
17	—	78800	93600	56973	36506
21	—	251600	300136	79022	86242
26	385600	388400	418950	509000	339210
27	243600	246400	265950	350248	303042

1	2	3	4	5	6
29	16000	17200	20250	41142	35757
30-बी	40800	44200	53550	—	—
डेनमार्क :					
4	9400	102000	115200	149500	145500
6	—	—	—	53451	65000
7	201200	105600	224100	276000	266500
8	215600	217600	234900	293(00	297000
15-बी	21200	21200	22950	20216	22638
17	—	—	—	8537	11294
26	69200	72000	8 100	100500	104500
27	63600	64400	70200	49775	84763
29	6000	6000	6750	9997	10148
30-बी	10200	13600	—	—	—
ब्रिटेन :					
4	912000	944800	1046250	1335500	129500

1	2	4	4	5	6
6	66800	78607	84383	205043	186705
7	4522800	4536400	5140350	4507810	4564460
8	3471600	3510800	3994650	2957316	3935685
15-ख	56800	60800	68400	183799	148107
17	130000	146068	164326	73383	23172
26	733200	744800	808650	991500	1007000
27	512800	519600	564300	771000	746500
29	50000	51200	55800	318868	324735
30-ख	571200	578000	657900	—	—
आयरलैंड :					
4	15200	16800	20250	7096	19661
6	—	—	—	1500	2005
7	40400	42000	46800	58500	60000
8	70400	72400	84150	37718	49934
15-ख	800	1200	1350	3214	3190
17	—	—	—	5507	5567

1	2	3	4	5	6
26	6000	6800	6300	9412	6391
27	7600	8400	9450	11212	7585
29	1600	1600	1800	4178	4378
30-ख	6800	6800	7650	—	—
ग्रोस :					
4	—	—	12150	6460	8362
6	—	—	—	2616	4694
7	—	—	25200	31113	36228
8	—	—	11700	4523	4824
15-ख	—	—	1350	1560	1407
17	—	—	—	3325	4505
26	—	—	13950	12075	6239
27	—	—	9450	4166	4744
29	—	—	1350	2062	2121
30-ख	—	—	—	—	—

स्रोत : अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद्

प्रत्येक श्रेणी के परिधानों के लिए अमरीका के लिए गत कार्य-निष्पादन कोटा स्थानांतरित करने वाली फर्में

2032. **श्री बाबू राव परांजपे : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन फर्मों के नाम क्या हैं जिन्होंने प्रत्येक परिधान श्रेणी में अमरीका के लिए गत कार्य-निष्पादन के कोटे 1000 से भी अधिक पीस स्थानांतरित कर दिए हैं तथा प्रत्येक फर्म ने प्रत्येक श्रेणी के कितने पीस स्थानांतरित किए, और क्या यह स्थानांतरण व्यापारी द्वारा किया गया या निर्माता द्वारा और प्रत्येक मामले में किस को स्थानान्तरण किया गया

(ख) अमरीका को 1 जनवरी, 1984 से लेकर उस तारीख को जिस तारीख तक कोटा समाप्त हुआ और/अथवा उपलब्ध वर्तमान बकाया, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक ए० ई० पी० सी० कार्य दिवस को प्रत्येक श्रेणी के एफ० सी० एफ० एस० लघु आर्डरों के अन्तर्गत वस्त्र निर्यात कोटे के कितने परिधानों का आबंटन किया गया; और

(ग) उन केन्द्रीय/राज्य सरकार के नियमों के नाम क्या हैं जिन्हें अमरीका को निर्यात करने के लिए कोटा आबंटित किया गया है तथा उन्हें आबंटित पीसों श्रेणी की संख्या कितनी है और इस प्रकार के आबंटन की मानदण्ड नीति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) गत निष्पादन हकदारी (पी० पी० ई०) अन्तरण की अनुमति समय-समय पर घोषित निर्यात हकदारी वितरण नीति में निहित कतिपय शर्तों के अध्यधीन दी जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले ऐसे सौदों के फर्मवार ब्यौरों का संकलन नहीं किया जाता है।

(ख) एक विवरण अनुबन्ध-I पर संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8540/84]

(ग) एक विवरण अनुबन्ध-II पर संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-8540/84]

इस श्रेणी में कोटा-आबंटन करते समय वस्त्र आयुक्त द्वारा निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए जा रहे हैं :—

(1) कोटों का आबंटन पहले "आओ, पहले पाओ" के आधार पर किया जाता है।

(2) उन निगमों/ऐपेक्स सोसाइटी को वरीयता दी जाती है जो विनिर्माता और निर्यातक हों और कार्य की मात्रा के आधार पर काम को करवा रहे हैं।

(3) यदि आवेदन-पत्र उपलब्ध कोटे से अधिक के लिए हों तो आबंटन उच्चतम कीमत वसूली के आधार पर किया जाता है।

सिले-सिलाए वस्त्रों की प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में अमेरिका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के जी० पी० एस० उपयोग के आंकड़े

2033. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **वाणिज्य मन्त्री** निर्यात कोटे का कम उपयोग किए जाने के बारे में 2 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1122 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिले-सिलाए वस्त्रों की प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में अमेरिका तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के जी० पी० एस० उपयोग के आंकड़े क्या हैं तथा 1980, 1981 और 1982 के वर्षों (यूरोपीय आर्थिक सम-समुदाय के प्रत्येक देश के आंकड़ों सहित) में जी० एस० पी० कोटा/सीमाबद्ध वास्तविक निर्यात और मात्रा/माल की संख्या और उसके मूल्य दोनों रूपों में जी० एस० पी० के अन्तर्गत निर्यात के आंकड़े क्या हैं;

(ख) जब सिले-सिलाए वस्त्रों की प्रत्येक श्रेणी के सम्बन्ध में, सिले-सिलाए वस्त्रों का निर्यात 1980, 1981 और 1982 के जी० एस० पी० रियायत के योग्य थे प्रत्येक देश (अमेरिकन तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों से इतर देश) के वैसे ही आंकड़े क्या हैं; और

(ग) उपरोक्त भाग (क) और (ख) के सम्बन्ध में प्रत्येक देश के सम्बन्ध में वर्ष 1983 के वैसे ही आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) अधिमान प्रदान करने वाले देश सामान्यत: अधिमान प्राप्त करने वाले पृथक देशों द्वारा जी० एस० पी० के अन्तर्गत टैरीफ अधिमान के उपयोग सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित नहीं करते हैं। परिधानों के सम्बन्ध में उपलब्ध जानकारी लोक सभा में 2 जुलाई, 1984 को उत्तर दिए गए अतारांकित प्रश्न सं० 896 के उत्तर में पहले ही दी जा चुकी है। परिधान के लिए ई० ई० सी० में जी० एस० पी० कोटे के सदस्य राज्यवार उपयोग से सम्बन्धित और जानकारी उपलब्ध होने की आशा है तथा सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सिले-सिलाए वस्त्रों के पंजीकृत निर्यातकों को जारी किए गए विभिन्न श्रेणियों के लाइसेंसों का मूल्य

2034. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के सिले-सिलाए वस्त्रों के निर्यात के लिए जारी किए गए आयात सम्पूर्ति लाइसेंसों, अग्रिम लाइसेंसों का मूल्य क्या है और उनका वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में प्रति वर्ष मूल्य कितना-कितना था;

(ख) ऐसे पंजीकृत परिधान निर्यातकों की संख्या कितनी है जिन्हें वर्ष 1983-84 में लाइसेंस जारी किए गए थे और इस वर्ष इस प्रकार के लाइसेंस प्राप्त करने वाले प्रथम 50 व्यक्तियों के नाम क्या हैं और प्रत्येक द्वारा कितने मूल्य के लाइसेंस प्राप्त किए गए;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े हैं जिनसे यह पता चल सके कि इस प्रकार के लाइसेंसों का पंजीकृत निर्यातकों द्वारा इन वर्षों में वास्तविक प्रयोक्ता के रूप में कितने प्रतिशत उपभोग किया गया है और कितने प्रतिशत लाइसेंस अन्य वास्तविक/नामित व्यक्तियों को स्थानांतरित किए गए हैं, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के स्रोत क्या हैं जिसकी इस जानकारी के लिए जांच की जानी होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) सभी आयात लाइसेंसों तथा निर्यात लाइसेंसो के विवरण वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसिस, "एक्सपोर्ट लाइसेंस एण्ड इण्डस्ट्रियल लाइसेंसिस" में प्रकाशित किए जाते हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) तथा (घ) ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि आर० ई० पी० लाइसेंसों को मुक्त रूप से हस्तान्तरित किया जा सकता है। तथापि अग्रिम/अनुदाय लाइसेंस अहस्तान्तरणीय होते हैं और वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के अध्यधीन होते हैं। जारी किए जाने वाले आयात लाइसेंसों के वास्तविक प्रयोग के सम्बन्ध में आंकड़े लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा नहीं रखे जाते।

कोटा और गैर-कोटा देशों को परिधान निर्यात के लिए नकद सहायता का वितरण

2035. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा और गैर-कोटा देशों को विभिन्न प्रकार के परिधानों के निर्यात के लिए नकद प्रतिपूर्ति सहायता की वर्तमान दरें क्या हैं और 1980 से 1983 तक की अवधि में वर्षवार दरें क्या थी;

(ख) 1983 में परिधान निर्यात के लिए नकद सहायता के रूप में कितनी धनराशि वितरित की गई और 1980 से 1982 के दौरान प्रत्येक वर्ष में कुल कितनी सहायता का वितरण किया गया;

(ग) परिधान निर्यात के लिए पिछले वित्तीय वर्ष (1983) के दौरान कितने पंजीकृत वैयक्तिक निर्यातकों को नकद सहायता दी गई; और

(घ) उस वर्ष में नकद सहायता प्राप्त करने वाले 50 शीर्ष निर्यातकों के नाम क्या हैं और प्रत्येक द्वारा किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य कितना था और प्रत्येक को सहायता के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) वर्ष 1980 से वर्ष 1984 तक विभिन्न प्रकार के सूती परिधानों के लिए सहायता मुआवजे की दरों को दर्शाने वाले विवरण 1 और 2 संलग्न हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ग) तथा (घ) अपेक्षित सूचना संकलित नहीं की गई है ।

विवरण –1

क्र०सं०	मदें	नकद मुआवजा सहायत (सी० सी० एस०) की दरें	
		1-1-80-से 31-3-80	1-4-80-से 31-12-80
1.	शर्टें ब्लाउज, ड्रेसें, स्कर्ट और ट्राउजर्ज इनमें कोटा देशों को निर्यातित बच्चों के परिधानों की ये किस्में भी शामिल हैं ।	शून्य	शून्य
2.	शर्टें, ब्लाउज, ड्रेसें, स्कर्ट और ट्राउजर्स, जिनमें गैर-कोटा देशों को निर्यातित बच्चों के परिधानों की ये किस्में शामिल नहीं हैं ।	7·5%	5%
3.	कोटा और गैर-कोटा देशों दोनों को निर्यातित इण्डस्ट्रियल क्लोदिंग ।	10%	7·5%
4.	गैर-कोटा देशों को निर्यातित सभी श्रेणियों के बच्चों के परिधान और कोटा देशों को निर्यातित उपरोक्त (1) में बताई गई पांच किस्मों को छोड़कर बच्चों के परिधान ।	10%	7·5%
5.	सभी अन्य परिधान (अर्थात् बच्चों के परिधान, इण्डस्ट्रियल क्लोदिंग और उपरोक्त (1) में बताई गई पांच किस्में) ।	7.5%	5%

विवरण—2

1981, 1982 तथा 1983 की अवधि के लिए सी० सी० एस० दरें दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	मद	1981	1982	1983
1.	शर्टस, ब्लाउज, ड्रेसेज, स्कर्टस तथा ट्राउजर जिनमें कोटा देशों को निर्यात किए जाने वाले बच्चों के परिधानों की ये किस्में शामिल हैं जहां ये मदें हथकरघों तथा/अथवा मिल निर्मित दोनों के लिए विशिष्ट मात्रा सम्बन्धी अवरोधों के अधीन है।	शून्य	शून्य	शून्य
2.	शर्टस, ब्लाउज, ड्रेसेज, स्कर्ट्स तथा ट्राउजर्स (बच्चों के परिधानों की ये किस्में छोड़कर) जिनका निर्यात ऐसे गैर कोटा देशों को तथा कोटा देशों को किया जाता है जहां ये हथकरघा तथा साथ ही मिल निर्मित दोनों के लिए विशिष्ट मात्रा सम्बन्धी अवरोधों के अधीन नहीं है।	5%	5%	5%
3.	(क) उपरोक्त (1) के अन्तर्गत शामिल मदों के अलावा कोटा देशों को और (ख) उपरोक्त (1) के अन्तर्गत मदों के मामले के सिवाय गैर कोटा देशों को औद्योगिक क्लोदिंग।	7.5%	7·5%	7%
4.	गैर कोटा देशों को निर्यात किए जाने वाले सभी श्रेणियों के बच्चों के परिधान और कोटा देशों को निर्यात किए जाने वाले 31-3-81 उपरोक्त (1) में उल्लिखित पांच किस्मों तक के बच्चों के परिधान।	7·5%	5%	5%
5.	अन्य सभी परिधान (अर्थात् बच्चों के परिधानों, औद्योगिक क्लोदिंग तथा उपरोक्त (1) में उल्लिखित पांच किस्मों को छोड़कर)।	5%	5%	5%

1984 की अवधि के लिए सी० एस० एम०, दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	मदें	दरें
1.	शर्टस, ब्लाउजेस, ड्रेसेज तथा ट्राउजर(काटन मिल निर्मित/बिजली करघाहथ/करघा तथा हौजरी) जिनका ऐसे निर्यात कोटा देशों को किया जाता है जहां ये मदें विशिष्ट मात्रा सम्बन्धी अवरोध के अधीन है।	शून्य
2.	शर्टस, ब्लाउजेस, ड्रेसेज, स्कर्टस तथा ट्राउज़र्स) काटन मिल निर्मित/बिजली करघा/ हथकरघा हौजरी) जिनका निर्यात ऐसे गैर कोटा देशों तथा कोटा देशों को होता है जहां ये विशिष्ट मात्रा सम्बन्धी अरोध के अधीन नहीं है।	6% (छः प्रतिशत)
3.	उपरोक्त (1) में उल्लिखित किस्मों के सिवाय औद्योगिक परिधान जिसका निर्यात कोटा देशों अथवा गैर कोटा देशों को होता है।	10% (दस प्रतिशत) बशर्ते कि इस मद के निर्यात 1984 के दौरान 50 करोड़ रु० या अधिक के स्तर को प्राप्त कर लेंगे। यदि इस मद के निर्यात लक्ष्य से कम रहते हैं तो 8 प्रतिशत की दर पर सी० एस० एस० स्वीकार्य होगा।
4.	गैर कोटा देशों को निर्यात किए जाने वाले सभी श्रेणियों के बच्चों के परिधान और कोटा देशों को निर्यात किए जाने की दशा में उपरोक्त (1) पर उल्लिखित के अलावा बच्चों के अन्य परिधान।	6% (छः प्रतिशत)
5.	अन्य परिधान अर्थात् बच्चों के परिधानों, औद्योगिक क्लोदिंग उपरोक्त (1) पर उल्लिखित पांच किस्तों के अलावा।	6% (छः प्रतिशत)

बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाए जाने के बारे में त्रिपाठी समिति की सिफारिश

2036. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :**

श्रीमती विद्या चेन्नुपति :

श्री आनन्द सिंह : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वस्तुओं पर बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाए जाने के बारे में त्रिपाठी समिति की सिफारिशों पर कोई निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या उपर्युक्त सिफारिश स्वीकार कर ली गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्सबन्धी कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) से (ग) वनस्पति, औषध-द्रव्यों और दवाइयों, सीमेंट, कागज और गत्ता तथा पैट्रोलियम उत्पादों पर बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने के सम्बन्ध में त्रिपाठी समिति की रिपोर्ट पर 15 फरवरी, 1981 को आयोजित मुख्य-मंत्रियों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में 2 नवम्बर, 1983 को आयोजित मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था। बहुत से मुख्य मन्त्रियों ने बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने के सम्बन्ध में त्रिपाठी समिति द्वारा सुझाई गई योजना पर सिद्धान्तरूप में अपनी स्वीकृति व्यक्त की थी। किन्तु कुछ मुख्य मन्त्रियों ने यह बताया कि वे त्रिपाठी समिति द्वारा सिफारिश की गई योजना को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। फरवरी, 1981 में उनके द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय वित्त मन्त्री का धन्यवाद करते हुए मुख्य मन्त्रियों ने यह संकल्प किया कि इन मसलों पर राज्य सरकारों के बीच मतैक्य प्राप्त करने के प्रयास जारी रहने चाहिए। मुख्य मन्त्रियों से परामर्श करने के लिए लिए 28-5-84 को दोबारा प्रयास किए गए थे लेकिन ये सफल नहीं रहे थे। तथापि इन प्रायसों को अभी छोड़ा नहीं गया है।

भारतीय वायु सेना में चेतक हेलीकाप्टर

5037. **श्री मूल चन्द डागा :**

श्री अमर सिंह राठवा :

श्री जयपाल सिंह :

श्री राजेश कुमार सिंह :

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 14 जून, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "चेतक सर्विसिंग पुअर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या फ्रांसिसी दल द्वारा अत्यधिक कंपन आदि के बारे में प्रस्तुत रिपोर्ट को अब तक कार्यान्वित नहीं किया गया है;

(ग) यह हां, तो उसके क्या कारण हैं और क्या इसी प्रकार की एक रिपोर्ट 1981 में भी प्राप्त हुई थी; और

(घ) क्या उपर्युक्त रिपोर्टों को कार्यान्वित करने में हुए विलम्ब का हमारी वायु सेना की कार्यक्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ता है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) चेतक हेलीकाप्टरों के रख-रखाव और उसकी सामरिक पद्धतियों में सुधार के लिए फ्रांसीसी ग्रुप द्वारा दी गई सिफारिशों को क्रमिक रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। इससे पहले 1981 में फ्रांसीसी विशेषज्ञों ने इसी सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की थीं, जिन्हें पूरी तरह कार्यान्वित कर दिया गया था।

(ख) उपर्युक्त (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

वित्तीय संस्थानों द्वारा छोटे कागज मिलों का वित्त पोषण

2038. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार वित्तीय संस्थाओं द्वारा उन छोटे कागज मिलों में, जो अधिकांश एकक आर्थिक रूप से सक्षम होने में असफल रहे हैं; बड़े पैमाने पर वित्त पोषण करने के बारे में एक उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश देने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) क्या सरकारी वित्तीय संस्थानों ने 200 छोटे कागज मिलों में लगभग 300 करोड़ रुपए के दुर्लभ संसाधन लगाए हैं;

(ग) क्या लगभग 35 से०मी० तक छोटे कागज मिल कार्य चालन पूंजी की कमी और बाजार के अभाव में पहले से ही बंद पड़े हैं;

(घ) क्या भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने कुछ समय पहले छोटे कागज मिलों के कार्यकरण का अध्ययन किया था और यह सिद्ध हुआ था कि वे अलाभकारी स्थिति में हैं; और

(ङ) इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है और उच्चस्तरीय समिति अपनी रिपोर्ट कब तक सरकार को देगी ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी, हां।

(ख) वित्तीय संस्थाओं ने 1975 के बाद से अब तक 44 लघु कागज एककों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। इन एककों का कुल पूंजी परिव्यय लगभग 240 करोड़ रुपए का है और

वित्तीय संस्थाओं ने इन्हें 200 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की है। इसके अतिरिक्त, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा कई लघु कागज मिलों की स्थापना के लिए राज्य स्तरीय संस्थाओं/बैंकों को 100 करोड़ रुपए से अधिक राशि की पुनर्वित्त सहायता मंजूर की गई है।

(ग) आई० डी० बी० आई० ने सूचित किया है कि अलाभकर कार्यकरण की वजह से कुछ लघु कागज एकक बन्द हो गए हैं। इन एककों के बन्द हो जाने के मुख्य कारण हैं : बिजली की अपर्याप्त तथा अनिश्चित सप्लाई, कोयले की कमी और उसकी ऊंची लागत, प्रशिक्षित कार्मिकों का अभाव तथा बाजार की खराब स्थिति।

(घ) जून, 1982 में, इन संस्थाओं ने सहायताप्राप्त लघु कागज परियोजनाओं की अर्थक्षमता का अध्ययन किया था। इन अध्ययन से परियोजनाओं के काम के गिरते स्तर के कारणों का पता लगाया गया और उनकी दीर्घकालीन अर्थक्षमता के वास्ते आवश्यक उपचारात्मक उपायों तथा उठाए जाने वाले कदमों का सुझाव दिया गया।

(ङ) सरकार ने इन संस्थाओं से इनके सहायताप्राप्त लघु कागज एककों की समस्याओं का अध्ययन करने को कहा था। आई० डी०बी० आई० ने सूचित किया है कि अध्ययन चल रहा है और इसके नवम्बर/दिसम्बर, 1984 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

स्वर्ण मन्दिर से बराम हथियार, गोलाबारूद, हीरे और विदेशी मुद्रा

2039. **श्री निहाल सिंह** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में उग्रवादियों के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही में कितने सैनिक मारे गए और कितने सैनिक घायल हुए;

(ग) उग्रवादियों से कितने मूल्य के हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए और क्या ये हथियार और गोला बारूद सेना को दिए जाएंगे या अर्द्ध-सैनिक संगठनों को दिए जाएंगे; और

(ग) क्या स्वर्ण मन्दिर से बरामद हीरे-जवाहरात, हिरोइन और भारतीय और विदेशी मुद्रा को सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया है ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : (क) पंजाब में आतंकवादियों के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों में 27-7-84 तक सेना के 93 कार्मिक मारे गए और 289 घायल हुए हैं।

(ख) उग्रवादियों से बरामद किए गए हथियार और गोलाबारूद विभिन्न किस्म, मेकों, विभिन्न देशों के और अलग-अलग समय के बने हैं। उनका खाता मूल्य उनके बाजार मूल्य से भिन्न होगा जो स्थान-स्थान पर कम या ज्यादा हो सकता है। इनका वर्तमान मूल्य का ठीक से आंकना सम्भव नहीं होगा। इन हथियारों और गोलाबारूद को विवादास्पद सम्पत्ति मानना होगा और उनके अन्तिम निपटान पर तदनुसार निर्णय लिया जाएगा।

(ग) स्वर्ण मन्दिर परिसर से बरामद किए गए सोना, चांदी, जवाहरात, कीमती पत्थर जैसी मूल्यवान सामग्री और भारतीय तथा विदेशी मुद्रा को सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया है। सेना के अधिकारियों को स्वर्ण मन्दिर परिसर से कोई हीरोइन प्राप्त नहीं हुई है ।

एयर इण्डिया द्वारा लोडरों औरक्लीनरों के चयन हेतु मार्ग-निर्देश

2040. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया ने पालम हवाई अड्डा, नई दिल्ली और बम्बई हवाई अड्डे पर अपने इंजीनियरिंग तथा ग्राउण्ड सपोर्ट विभाग में "लोडरों" और क्लीनरों की नियुक्ति हेतु कोई मार्ग-निर्देश निर्धारित किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) और (ख) जी, हां । लोडरों तथा क्लीनरों का चयन स्थायी आधार पर स्थानीय रोजगार कार्यालय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति संगठनों, भूतपूर्व सैनिकों के संगठनों द्वारा जिन्हें खाली स्थानों के बारे में सूचित किया जाता है, भेजे गए उम्मीदवारों में से तथा निगम द्वारा समय-समय पर नियुक्त दिहाड़ी के मजदूरों में से किया जाता है ।

लोडरों, क्लीनरों, चपरासियों आदि का स्थायी आधार पर चयन एक चयन समिति द्वारा उम्मीदवारों का साक्षात्कार ले करके किया जाता है । दिहाड़ी के मजदूरों को लोडरों, क्लीनरों, आदि के रूप में स्थायी आधार पर नियुक्त करते समय, उन्होंने दिहाड़ी के मजदूर के रूप में जितने दिन तक कार्य किया है उन दिनों की संख्या का ध्यान रखा जाता है तथा जिनका रिकार्ड सन्तोषजनक होता है उन्हें निगम में नियमित रूप से नियुक्त करने पर विचार किया जाता है। इस प्रकार चुने गए तथा लोडरों, क्लीनरों, आदि पदों के लिए नामिका में रखे गए उम्मीदवारों को खाली स्थानों की उपलब्धता और चैकित्सिक रूप में उपयुक्त होने पर नियुक्त किया जाता है।

खनिज धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क वसूली में कमी करना

2041. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज और धातु व्यापार निगम ने उड़ीसा में विभिन्न लौह अयस्क खानों से लौह अयस्क की वसूली में कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो खनिज और धातु व्यापार निगम ने उड़ीसा खानों से लौह अयस्क की वसूली में कमी करने के क्या कारण दिए हैं;

(ग) खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क की कम वसूली के कारण क्या कठिनाइयां पैदा हुई हैं;

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने खनिज और धातु व्यापार निगम के साथ विचार-विमर्श शुरू किया है और विभिन्न लौह अयस्क खानों में लौह अयस्क वसूली में वृद्धि करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) उसके बाद खनिज और धातु व्यापार निगम द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी, हां ।

(ख) लौह अयस्क की अधिप्राप्ति में गिरावट के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(1) विश्वव्यापी तौर पर इस्पात उद्योग के सामने आ रही मन्दी की स्थिति जिसके परिणामस्वरूप लौह अयस्क की अपेक्षतया कम मांग रही ।

(2) 1981-81 से 1983-84 के वर्षों में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के माध्यम से इस्पात संयन्त्रों द्वारा लौह अयस्क के उठान में लगभग 71 प्रतिशत की तीव्र गिरावट ।

(3) बढ़े आकार के पोतों को खपाने के लिए पत्तन पर अपर्याप्त गहराई के कारण, जिससे भारी भाड़ा प्रभार आता है, पारादीप पत्तन से लौह अयस्क के कम निर्यात, और लौह अयस्क उतराई-चढ़ाई तथा लदान की सीमित सुविधाएं ।

(4) वार्षिक संविदाबद्ध मात्रा के आधार पर कुछ खान-स्वामियों द्वारा कम सप्लाइयां; और

(5) रूमानिया द्वारा निम्न ग्रेड लौह अयस्क के उठान में तीव्र गिरावट जिसकी सप्लाई उड़ीसा खनन निगम लि० द्वारा अपनी कटक जिले में स्थित देतरी-टोमका खानों से की जाती है ।

(ग) से (ङ) लौह अयस्क के लिए विदेशी मांग में गिरावट के बावजूद खनिज तथा धातु व्यापार निगम सामाजिक आर्थिक आधारों पर पूर्वी क्षेत्र में लौह अयस्क की अधिप्राप्ति निरन्तर करता रहा है । उच्चतम स्तर पर खनिज तथा धातु व्यापार निगम और अन्य सम्बन्धित विभागों के साथ विचार-विमर्श हुए हैं और खनिज धातु व्यापार निगम को पारादीप पत्तन के जरिए लौह अयस्क के निर्यातों में वृद्धि के नवीकृत तथा सुनिश्चित प्रयास करने के लिए कहा गया है ।

(च) उड़ीसा में लौह अयस्क की अधिप्राप्ति में गिरावट के रुख को बदलने के लिए अनेक अन्य उपाय किए गए हैं । खनिज तथा धातु व्यापार निगम 1984-85 के दौरान पारादीप पत्तन से अपेक्षाकृत बड़ी मात्राएं उठाने के लिए क्रेताओं (जापान, दक्षिण कोरिया, रूमानिया और जर्मन लोकतन्त्रीय गणराज्य आदि) को राजी कर पाया है । इस्पात विभाग से स्वदेशी इस्पात संयन्त्रों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए इस क्षेत्र से लौह अयस्क की अधिप्राप्ति बढ़ाने की सम्भाव्यता पर विचार

करने के लिए अनुरोध किया गया है। विशेषत: अपेक्षाकृत बड़े जहाजों के सम्बन्ध में पारादीप पत्तन पर अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं में सुधार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पारादीप में लौह अयस्क की उतराई-चढ़ाई सुविधाओं में हाल ही में यथेष्ट लागत पर पर्याप्त सुधार किया गया है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने कीमतों में कटौती देकर पारादीप से अयस्क के उठान में अन्तर्ग्रस्त भाड़े के उच्चतर प्रभार के लिए क्रेताओं की क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमति दी है।

महंगाई भत्ता सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट

2042. **श्री के० राममूर्ति : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में महंगाई भत्ते के सम्बन्ध में 1982 में नियुक्त की गई समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार उद्यमों के महंगाई भत्ता सूत्र की जांच के लिए मई, 1983 में (1982 में नहीं) गठित त्रिपक्षीय समिति अभी निरन्तर विचार कर रही है।

(ख) उपर्युक्त "क" को देखते हुए प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

विदेशों में लौह अयस्क की मांग में कमी

2043. **श्री आर० एन० राकेश : क्या वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में लौह अयस्क की मांग में कमी होने से लौह अयस्क का काफी बड़ा भण्डार इकट्ठा हो गया है;

(ख) विदेशों में भारतीय लौह अयस्क की मांग में कमी के कारण वर्ष 1983-84 के दौरान कुल कितनी विदेशी मुद्रा का नुकसान उठाना पड़ा है; और

(ग) लौह अयस्क के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मन्त्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) इस्पात उद्योग में विश्व मंदी के कारण लोह अयस्क की मांग में सामान्य गिरावट आई है। फिर भी, वित्तीय वर्ष 1983-84 की समाप्ति पर पत्तन/लदान केन्द्रों पर एम० एम० टी० सी० द्वारा निर्यात के लिए स्टाक गत दो वर्षों के अन्त में स्टाकों की तुलना में कम थे।

(ख) 1983-84 के दौरान भारत से लोह अयस्क के निर्यात (380 करोड़ रु०) 1982-83

के दौरान हुए निर्यातों (397 करोड़ रु०) से मामूली कम हुए। तथापि, ऐसा गत वर्ष की कीमतों की तुलना में 1983-84 के दौरान लौह अयस्क की निर्यात कीमतों के कारण हुआ।

(ग) लौह-अयस्क के निर्यात बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) कुल मिलाकर स्रोतों और रुकावटों के अन्तर्गत पत्तनों को गहरा करके, लौह अयस्क हैंडलिंग सुविधाओं में सुधार और यंत्रीकृत हैंडलिंग सुविधाएं स्थापित करके भारत में अवस्थापना सुविधाओं के विकास के द्वारा दीर्घावधि आधार पर निर्यात निष्पादन में सुधार करने के लिए गम्भीर प्रयास किए गए हैं।

(2) मद्रास वाह्य पतन को गहरा करने के लिए हाल ही में एक निर्णय लिया गया है ताकि 1,20,000 डी० डब्ल्यू टी० तक के पोतों पर वहां लदान किया जा सके। इससे मद्रास पत्तन से लौह अयस्क के निर्यात और अधिक प्रतियोगी हो जाएंगे।

(3) वैगन टिप्पलर की स्थापना करके पारादीप पत्तन पर लौह अयस्क के लदान कार्यों को पूरी तरह से यंत्रीकृत कर दिया गया है।

(4) भारत से लौह अयस्क का उठान बढ़ाने के लिए क्रेताओं को बराबर राजी किया जा रहा है। 1984-85 के दौरान गोआ के निर्यातकों द्वारा जापान को लोहे की सप्लाइयों के अतिरिक्त, इस वर्ष के दौरान जापान एम० एम० टी० सी० से 8 मिलियन मे० टन लेने के लिए सहमति हुआ है जबकि गत वर्ष के दौरान 6 मिलियन मे० टन के लिए सहमत हुआ था। दक्षिण कोरिया भी 1984-85 के दौरान ईस्ट कोस्ट के पत्तनों से एम० एम० टी० सी० से 2.5 मिलियन मे० टन के लिए सहमत हुआ है जबकि गत वर्ष के दौरान 2.1 मिलियन मै० टन के लिए सहमत हुआ था।

(5) लौह अयस्क के निर्यातों का नए बाजारों में विविधिकरण करने के लिए एम० एम० टी० सी० बराबर प्रयास कर रहा है।

———

12.00

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व): महोदय, मद्रास हवाई अड्डे पर बहुत ही गम्भीर विस्फोट हुआ है। आठ व्यक्ति मर गए हैं और सारा हवाई अड्डा ध्वस्त हो गया है। या तो आप मेरा स्थगन प्रस्ताव मंजूर करें अथवा सरकार को वक्तव्य देने के लिए कहें।

अध्यक्ष महोदय: वे पूछ-ताछ कर रहे हैं कि और जब पूर्ण तथ्यों का पता चल जाएगा तो वे सोमवार को वक्तव्य देंगे।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर): अध्यक्ष महोदय, यह विस्फोट एक बहुत ही गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : आप यह मामला क्यों उठा रहे हैं ?

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, एक मिनट । श्री लंका में स्थित सिंहली खुफिया एजेंसी का इसमें हाथ है। सरकार को पूरी तरह से छान-बीन करनी चाहिए और इस सभा में एक वक्तव्य दिया जाना जरूरी है ।

अध्यक्ष महोदय : वे बतायेंगे तभी तो होगा ।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : तथ्यों का पता लगाने के लिए श्री तिवारी की सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिए ।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष जी, बाढ़ पर आप चर्चा करवा रहे हैं लेकिन राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में सूखे की वजह से बहुत बुरी हालत हो रही है ।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह भी देख लेंगे ।

श्री राजेश कुमार सिंह : बाढ़ पर चर्चा हो रही है इसलिए मेरा अनुरोध है कि डिसकशन करा देते तो अच्छा था ।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दीजिए । मैंने कब मना किया है । कालिंग अटेंशन दे दीजिए, उसको भी देख लेंगे । बी० ए० सी० में जिस चीज को प्रायोरिटी दी जाती है, उसी को करा देते हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजेश कुमार सिंह : फ्लड और सूखे को एक साथ कर लेते तो अच्छा था ।

अध्यक्ष महोदय : दोबारा ले लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष जी, कल दिल्ली में चार बड़े अस्पतालों में हड़ताल हुई, उस पर विचार होना चाहिए ।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव के लिए कुछ नहीं है । वहां भी इलैक्टेड बाडी बैठी हुई है । यह कोई बात नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : दिल्ली में तथा अन्य दूसरी जगहों पर मलेरिया बहुत तेजी से फैला हुआ है ।···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कालिंग अटेंशन देंगे तो देख लेंगे । बी० एस० सी० में रख लेंगे । प्रायोरिटी में आयेगा तो देख लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मद्रास एयरपोर्ट पर···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह बात तो हो गई है । आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं । आप इस मामले को फिर क्यों उठा रहे हैं । हमें पहले तथ्य जान लेने चाहिएं ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : जो हम बोल रहे हैं, वह रिकार्ड में जा रहा है या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : सोचूंगा । आप किस नियम के अधीन बोल रहे हैं ?

श्री राम विलास पासवान : मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने जो सातवीं पंचवर्षीय योजना···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपने मुझे एडजार्नमेंट मोशन दिया है ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आप बोलने नहीं देते हैं, इसीलिए हल्ला होता है । आप सुनते भी नहीं हैं ।···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात जो हो रही है वह···

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आपने जाने नहीं दिया ।···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो बात ठीक नहीं है, वह नहीं जाने दूंगा ।

श्री राम विलास पासवान : सातवीं पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में एडजार्नमेंट मोशन दिया है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : वी० ए० सी० में सोमवार को रख लेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आपने तो सर मौका ही नहीं दिया···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया कि कल बहस हुई और सारा कुछ उसमें तय हुआ है । यदि आप बिलावजह बात करना चाहें तो मैं उसको अलाऊ नहीं करूंगा । **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : आप एक लाईन में भी मुझे समाप्त नहीं करने देना चाहते।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पहले ही बता दिया कि चाहे आप एक बार कहें या सौ बार कहें, मैंने आपको एक दफा कह दिया कि इस विषय पर तो वहां डिवीजन होने को तैयार हो रहा था। उसके लिए···(**व्यवधान**) दूसरी एक बात यह है कि सबमिशन में आपने इसे किया और मैंने उसे अलाऊ भी किया हुआ है।

श्री राम विलास पासवान : सबमिशन में तो मैं मांग कर रहा हूं कि शैड्यूल्ड कास्ट के लोगों को मिलने वाली रिजर्वेशन को खत्म करने की बात चल रही है···

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी सारी बात को मान लिया है।

श्री जगपाल सिंह : ···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप कानून को पढ़कर आया कीजिए पहले···

श्री राम विलास पासवान : आप जो कुछ चेयर से कहते हैं क्या उसे भी एक्सपंज किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले कानून को पढ़िये और फिर मेरे पास आईये।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : महोदय, मैं यह मामला पांचवीं बार उठा रहा हूं और पिछली बार आपने बिड़ला मिल को बन्द न करने के अनुदेश वाणिज्य मन्त्री को दिए थे।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला इस तरह से नहीं उठाया जा सकता।

श्री जगदीश टाईटलर : नहीं महोदय, आपने वाणिज्य मंत्री को अनुदेश दिए थे और आज तक उन्होंने कुछ नहीं किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आ सकते हैं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप इसको लिख कर दे सकते हैं। यहां पर इस मामले को उठाने के लिए यह कोई तरीका नहीं है।

श्री जगदीश टाईटलर : महोदय, ये आपके अनुदेश हैं।

(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : सर इस विषय पर डिस्कशन करवाई जाए···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : सोमवार को मैंने मीटिंग बुलाई है और आप क्या करवाना चाहते हैं। मैंने आपको वायदा किया हुआ है। बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में हम तय करेंगे। उसकी जो राय होगी, उसे हाउस के सामने रखा जाएगा।

(व्यवधान)

हम लोग जो कुछ इस सदन में डिस्कस करते हैं, वह पहले वहां डिसाइड होता है। बिलावजह यदि आप कोई बात करते हैं तो उससे कुछ नहीं हो सकता। यहां पर जो भी डिस्कशन रूल 193 या रूल 184 के तहत होती है···

इसे प्राथमिकता देनी है और इसे हमें सभा में लाना चाहिए। जो भी इम्पौर्टैंट चीज होती है उसको हम पहले बिजिनैस एडवाइजरी कमेटी में डिस्कस करते हैं। उसमें मैं आपका साथ देता हूं। मैं समझ नहीं पाता कि आप क्यों बार-बार वही बात कहते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि आप बिना किसी कारण, अनावश्यक रूप से यह मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, जबकि मैंने आपको यह समझा दिया है और आप भी समझ लें कि हम समिति में चर्चा और निर्णय करेंगे ? फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं ? कुछ समझदारी तथा सहयोग होना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके साथ हूं। यह सरल सी बात है कि मैं नियमों के अनुसार चलता हूं। मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं है। मैं कार्य मंत्रणा समिति की इच्छाओं के अनुसार चलता हूं और उसके बाद इस सभा की इच्छाओं से। जो कुछ भी सभा कहती है, कार्य मंत्रणा समिति कहती है, मेरा काम सभा में उन बातों पर चर्चा करवाना है और मैं इस सभा में यह कहता हूं और मैंने हमेशा बार-बार दोहराया है कि जो कुछ भी हम निर्णय लेंगे वह सभा में आएगा। मैं किसी चर्चा पर रोक नहीं लगाना चाहता परन्तु यह नियमों के भीतर होनी चाहिए। केवल यही मेरी पहली शर्त है। कितनी सरल सी बात है।

श्री जगदीश टाईटलर : प्रश्न केवल चर्चा का नहीं है इसे लागू भी किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : महोदय, मुझे एक तार प्राप्त हुआ···

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ नहीं है । मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा । इसे लिखित रूप में दें । इस मामले को उठाने का यह कोई तरीका नहीं है ।

(व्यवधान)**

श्री के० एस० नारायण : महोदय, ···

अध्यक्ष महोदय : आप सत्तारूढ़ दल के हैं । थोड़ी देर प्रतीक्षा करें । आपको इस सभा की कार्यवाही चलानी है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती है । मैंने श्री हाल्दर को अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, क्या आप सत्तारूढ़ दल के सदस्यों पर नियन्त्रण नहीं कर सकते ?

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, वे आपसे सीख रहे हैं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम विपक्षी हैं, हमारा ऐसा करने का अधिकार है ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : मैंने आपसे चैम्बर में मिलकर कई बार यह कह चुका हूं कि आजकल शिक्षण संस्थाओं में एडमीशन की स्थति बहुत खराब है ···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कई दफा मैंने कहा है कि ट्यूजडे को आ रहा है। आप क्यों बात को बार-बार कहना चाहते हैं, जब एक बार हो गया···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह मंगलवार को आ रहा है । क्या आप चाहते हैं कि कुछ किया जाए ?

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपने कहा था कि इसी सप्ताह बहस होगी, लेकिन यह सप्ताह तो आज खत्म हो गया । वहां स्थिति बहुत खराब है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा न कि आ रहा है । यह आ रहा है। मैं भी इन मामलों पर चर्चा करवाने में उतना ही उत्सुक हूं जितना कि आप । ये चर्चा के लिए आ रहे हैं। आप बिनावजह ऐसा क्यों करें ?

(व्यवधान)

श्री अब्दुल रसीद काबुली (श्रीनगर) : स्पीकर साहब, वैसे तो लोक सभा के इलेक्शन जनवरी में होने चाहियें, जैसा कि···

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आप पहले करवाना चाहते हैं ?

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मैं अपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेई और श्री राजीव गांधी ने कहा हैं कि नवम्बर में होंगे···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई कहने की बात नहीं हैं। यह बात असंगत है, पूरी तरह से असंगत। आप ऐसी असंगत बातें क्यों करते हैं ? इसका कोई अर्थ नहीं है। आप कानून पढ़िए और बाहर जा कर कीजिए, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप बाहर जाकर कीजिए कि अक्तूबर में करें।

श्री अब्दुल रसीद काबुली : यहां पार्लियामेंट में उनको कहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्या बात है, शर्म क्यों नहीं आती है आपको।

(व्यवधान)

श्री प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, ···

अध्यक्ष महोदय : वह तो सब-जुडिस हैं।···

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, मैं बिल के बारे में नहीं कह रही हूं, बल्कि डाक्टर्स की स्ट्राइक के बारे में कह रही हूं, जो कि सब-जुडिस नहीं है···

अध्यक्ष महोदय : कुछ मिसअन्डरस्टैन्डिग हो गई थी। मैं समझ रहा था कि आप अपने बिल के मुताल्लिक कह रही हैं। राजदा साहब ने आपको शायद बताया नहीं है। मैंने कल राजदा साहब को बता दिया था। ठीक है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह विचाराधीन नहीं है। यह पूर्वधारणा है।

अध्यक्ष महोदय : इनका एक बिल था जो आ रहा था।

डा० वसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : मैं 200 टन गाय की चर्बी के आयात के बारे में कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दे दो पता करवा लूंगा।

श्री ईरा अनबारासु (चिंगलपट्ट) मैं अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में चिंतित हूं। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा पर अधिक ध्यान देना चाहिए। मेरी समस्या न केवल श्रीलंका में अपितु तमिलनाडु में मसूद इसराईली गतिविधियों के बारे में है। ···(**व्यवधान**)**

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती। आप मुझे लिख कर दें। यह कोई तरीका नहीं है। आपसे इस सभा से एक उत्तरदायी सदस्य होने की आशा की जाती है। आप ऐसे मामले क्यों उठा रहे हैं, जो असंगत हैं? आप इस तरह से मामला नहीं उठा सकते।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, किसानों की समस्या को तो बराबर आप डिस्कस कराते हो, मगर मजदूरों की समस्या के सम्बन्ध में कुछ नहीं किया। हमारे यहां टैक्सटाइल मिल्स 4 महीने से बन्द पड़ी हैं जिससे लोगों में बड़ी बैचेनी है। आप कामर्स मिनिस्टर को कह कर उसकी खुलवायें।

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट सबजेक्ट है। आप से एक अनुभवी सदस्य होने की आशा की जाती है। अनुमति नहीं दी जाती।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : अध्यक्ष जी, उच्चतम न्यायालय के बावजूद भी हरिजन और आदिवासी तथा पिछड़ी जाति के काश्तकारों को मेरे क्षेत्र के दुद्धी और राबर्ट्सगंज में, जो काश्तकार सालों से जमीन पर काबिज हैं उत्तर प्रदेश की सरकार और वन विभाग वाले उनको बेदखल कर रहे हैं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट सबजेक्ट है। आप मुझे लिखकर दीजिए, मैं पता करवा लूंगा।

श्री राम प्यारे पनिका : मैंने काल अटेंशन दिया है।

श्री के० एस० नारायण (हैदराबाद) : आन्ध्र प्रदेश में इस वक्त कोई सरकार नहीं है क्योंकि चीफ मिनिस्टर यू० एस० ए० गए हुए हैं और हमारे यहां 12 दिन से करफ्यू लगा हुआ है जिससे लोगों को बेहद सफरिंग है···

अध्यक्ष महोदय : यह तो स्टेट सबजेक्ट है, मैं इसको अलाऊ नहीं करता।

12.13 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

तट रक्षक अधिनियम, 1978 के अधीन अधिसूचनाएं

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंहदेव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) तट रक्षक अधिनियम, 1978 की धारा 123 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, तटरक्षक अधिकारी (सामान्य ड्यूटी) भर्ती (संशोधन) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी

तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 7 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 133 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-8514/84]

(2) नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अन्तर्गत नौसेना छुट्टी (संशोधन) विनियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 19 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 114 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-8515/84]

चाय अधिनियम, 1953 के अधीन अधिसूचनाएं

वाणिज्य मंत्रालय में और पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 30 के अन्तर्गत, जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) चाय (विपणन) नियंत्रण आदेश, 1984, जो 19 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 313(अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(दो) चाय (वितरण तथा निर्यात) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1984, जो 12 मई, 1984, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 379 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।

(2) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 16ङ की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 446 (अ), जो 15 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पोटोंग टी एस्टेट के प्रबन्धग्रहण की अवधि को 19 दिसम्बर, 1984 तक और उस दिन सहित छः महीनों की और अवधि के लिए बढ़ाने के बारे में है ।

(दो) का० आ० 447(अ), जो 15 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो चारगोला टी एस्टेट के प्रबन्धग्रहण की अवधि को 31 दिसम्बर, 1984 तक और उस दिन सहित छः महीनों की और अवधि के लिए बढ़ाने के बारे में है ।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं । देखिए संख्या एल० टी० 8516/84]

(3) (एक) तैयार चमड़े तथा चमड़े के माल से सम्बन्धित निर्यात संवर्द्धन परिषद्, कानपुर,

के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तैयार चमड़े तथा चमड़े के माल से सम्बन्धित निर्यात संवर्द्धन परिषद, कानपुर, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-8517/84]

सिक्का-निर्माण अधिनियम, 1906 के अधीन नियम

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं, सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, सिक्का निर्माण (75 प्रतिशत ताम्बा और 25 प्रतिशत निकल वाले दो रुपए के सिक्कों का मानक भार तथा शुद्धता-अन्तर) नियम 1984, जो 16 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1904 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल० टी०-8518/84]

निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अधीन अधिसूचनाएं

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) तेल—निस्सृत चावल की भूसी का निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1984, जो 12 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1567 में प्रकाशित हुए थे।

(2) का० आ० 1568, जो 12 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 1 अक्तूबर, 1983 की अधिसूचना संख्या का० आ० 3689 की शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(3) जीरा निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) संशोधन नियम, 1984, जो 12 मई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 1572 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं। देखिए संख्या एल० टी०-8519/84]

12.14 म०प०

संसदीय समितियां—कार्य का सारांश

महासचिव : 1 मैं, जून, 1983 से 31 मई, 1984 तक की अवधि के सम्बन्ध में "संसदीय समितियां—कार्य का सारांश" की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०-8520/84]

12.14½ म०प०

राज्य सभा से संदेश

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा, 1 अगस्त, 1984 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 23 जुलाई, 1984 को पारित किए गए औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक, 1984 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।"

12.15 म० प०

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

26वां प्रतिवेदन

श्री आर० एस० स्पैरो (जालन्धर) : मैं, अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का 26वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : साम्प्रदायिक दंगों पर एक सामान्य चर्चा सभा के समक्ष आ रही है ।

12.15½ म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

देश के विभिन्न भागों में विनाशकारी बाढ़, जिसके परिणामस्वरूप जनजीवन, फसलों और सम्पत्ति को भारी हानि हुई है, से उत्पन्न स्थिति तथा इस मामले में सरकार द्वारा किए गए राहत कार्य

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर कृषि मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"देश के विभिन्न भागों में विनाशकारी बाढ़ों के आने, जिसके परिणामस्वरूप जनजीवन, फसलों और सम्पत्ति की भारी हानि हुई है, से उत्पन्न स्थिति तथा इस मामले मे सरकार द्वारा किए गए राहत कार्य।"

12.16 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : महोदय, इस वर्ष केरल में दक्षिणी-पश्चिमी मानसून 1 जून की निर्धारित तारीख से कुछ पहले आ गया। मानसून शुरू-शुरू में अरब सागर के प्रायः समूचे तटवर्ती क्षेत्रों तथा साथ ही साथ देश के हिमालय और हिमालय के उप-क्षेत्रों में बहुत ही सक्रिय रहा और कभी-कभी काफी तेज रहा, जिसके कारण केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा असम में बाढ़ आ गई। कुछ समय से हिमालय और हिमालय के उप-क्षेत्रों में लगातार तेज वर्षा हो रही है।

उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार, बाढ़ के कारण 13 राज्यों, अर्थात् असम, बिहार, केरल, मेघालय, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, कर्नाटक तथा गुजरात के विभिन्न स्तर तक प्रभावित होने की सूचना मिली है। राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, बाढ़ से अभी तक 97 जिलों की 170.55 लाख जनसंख्या तथा 33.18 लाख हैक्टार विस्तृत क्षेत्र प्रभावित हुआ बताया गया है। कुल 11.04 लाख हैक्टार सस्यगत क्षेत्र प्रभावित होने की सूचना मिली है। 407824 मकान क्षतिग्रस्त होने तथा 324 व्यक्तियों और 2515 मवेशियों के मरने की सूचना मिली है।

राज्यों द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को मदद तथा सहायता देने के लिए राहत सम्बन्धी पर्याप्त कदम उठाए गए। बचाव तथा राहत सम्बन्धी कार्यों के लिए असम, बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में सेना की भी मदद ली गई।

सभी राज्यों के पास राहत सम्बन्धी कार्यों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए सीमांत धनराशि होती है और राज्य भारत सरकार से केन्द्रीय सहायता लेने के लिए ज्ञापन के माध्यम से तभी अनुरोध करते हैं, जबकि इस व्यय की उनके पास उपलब्ध सीमांत धनराशि से अधिक होने की सम्भावना होती है। अभी तक केवल त्रिपुरा, केरल तथा मणिपुर ने केन्द्रीय सहायता मांगते हुए अपने ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। एक केन्द्रीय दल त्रिपुरा राज्य का पहले ही दौरा कर चुका है। इसकी रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। एक केन्द्रीय दल स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए 1 अगस्त को केरल भी गया है। मणिपुर के अनुरोध पर 27 जुलाई, 1984 को हुई अन्तःमंत्रालय दल की बैठक में विचार किया जाना था, परन्तु इस पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि मणिपुर सरकार का प्रतिनिधि बैठक के लिए सूचना देने के बावजूद भी नहीं आया। केन्द्रीय दल द्वारा दौरा किए जाने तक तात्कालिक व्यय को पूरा करने के लिए "तदर्थ" आधार पर साधनोपाय अग्रिम के रूप में केरल सरकार को 5 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई है। इसी तरह, केन्द्रीय सहायता की अधिकतम सीमा मंजूर किए जाने तक त्रिपुरा सरकार को तदर्थ आधार पर 3 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। प्रभावित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रीय राहत कोष से उत्तर प्रदेश को 7 लाख रुपए, बिहार को 10 लाख रुपए तथा असम, केरल और त्रिपुरा राज्य प्रत्येक को 5-5 लाख रुपए की भी मंजूरी दी है। अभी तक किसी भी अन्य राज्य से किसी भी प्रकार की केन्द्रीय सहायता के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

मैं माननीय सदस्यों को यह भी बता देना चाहता हूं कि दैवी आपदाओं से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा जो आकस्मिक योजनाएं तैयार की गई थीं, उनकी 11 जुलाई, 1984 को कृषि मंत्रालय में संवीक्षा की गई थी। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के राहत आयुक्तों तथा सम्बन्धित केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। राज्यों ने हमें सूचित किया है कि उन्होंने दैवी आपदाओं से पैदा होने वाली किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार कर ली हैं।

मैं सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि प्रभावित राज्यों से केन्द्रीय सहायता के लिए कोई भी अनुरोध प्राप्त होने पर उस पर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

श्री हरिकेश बहादुर : उपाध्यक्ष महोदय, प्रति-वर्ष हम लोग इसी प्रकार सदन में बाढ़ से से उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रश्न उठाते रहे हैं और सरकार की तरफ से एक रुटीन रेप्लाई दे दिया जाता है। प्रश्न यह है कि जब प्रति-वर्ष बाढ़ की विभीषिका से करोड़ों लोग तबाह होते हैं और उनके सामने आवास, आहार और चिकित्सा आदि की समस्यायें खड़ी हो जाती हैं, तो सरकार बाढ़ की स्थाई रोक-थाम के लिए कौन सी योजना बनाने पर विचार कर रही है। केवल इस प्रश्न को यहां उठा देने से और सरकार का जवाब पा लेने से न हम और न बाढ़ से प्रभावित जनता संतुष्ट हो सकती है। बहुत से क्षेत्रों में सरकार प्रभावशाली ढंग से काम कर सकती है, लेकिन कौन सी रुकावटों के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती है, मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस पर प्रकाश डालें।

इस समय आसाम, बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल में बाढ़ का भीषण प्रकोप है। दूसरे राज्यों में भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। लेकिन मंत्री महोदय ने बताया है कि केवल त्रिपुरा, केरल और मणिपुर ने केन्द्रीय सहायता के लिए ज्ञापन प्रस्तुत किए हैं। मुझे आशा है कि बाकी राज्य सरकारें भी अपने ज्ञापन जल्दी भेज देंगी। लेकिन केन्द्रीय सरकार को पहले से ही उनको सहायता देने की व्यवस्था करनी चाहिए। राज्य सरकारों के पास कुछ कांटिजेंसी फण्ड होता है, लेकिन उसका उपयोग समय पर नहीं होता।

आज स्थिति बहुत खराब है। मेरे क्षेत्र गोरखपुर में घाघरा, राप्ती, रोहिन, आभी, कुआनो, बड़ी गंडक नदियां और उनकी सहायक नदियां बहती हैं। उनमें बाढ़ आने से पूर्वी उत्तर प्रदेश में, और मुख्य रूप से जहां गंगा, घाघरा और उनकी ट्रिब्युटरीज बहती हैं, भीषण तबाही होती है। गोरखपुर, गाजीपुर, बलिया, बनारस, देवरिया, बहराइच और बस्ती आदि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले भीषण बाढ़ से तबाह हो रहे हैं। वहां गांवों में पानी घुस गया है और लाखों मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहां पर लोग सड़कों, तटबंधों और पेड़ों के नीचे आश्रम ले रहे हैं। अभी तक उनको ठीक ढंग से रखने की व्यवस्था नहीं हो रही है।

मैं समझता हूं कि इसी तरह बाढ़ आती रहेगी, उस पर यहां चर्चा होती रहेगी, सवाल उठाए जाएंगे, सरकार की तरफ से जवाब आएगा, राहत के नाम पर थोड़ी बहुत चीजें बांट दी जाएंगी और फिर आठ महीने तक लोग चुप रहेंगे। अगले वर्ष बाढ़ आने पर फिर यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पता नहीं, क्यों सरकार इस समस्या का स्थाई समाधान नहीं ढूंढ़ रही है। बाढ़ आयोग की रिपोर्ट सरकार के पास है। उसके सुझावों पर क्या कार्यवाही की गई है, यह जानकारी हमारे पास नहीं है। अगर देश के जल-संसाधनों, वाटर रीसोर्सिज, का सही ढंग से मैनेजमेंट किया जाए, तो बाढ़ की विभीषिका रुकेगी और साथ ही पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के साधन किसानों को उपलब्ध हो जाएंगे। जिससे कि कृषि का उत्पादन आज जो कुछ भी है उससे कई गुना अधिक बढ़ सकता है जो कुछ आज हम खाद्यान्न सामग्री बाहर से मंगाते हैं, कम से कम उसका आना बन्द हो सकता है। हम इस लायक हो सकते हैं कि अपने पड़ोसी देशों को खाने-पीने की और बहुत सी चीजें दे सकते हैं। साथ ही अगर जल संसाधनों का सही ढंग से नियन्त्रण किया जाय तो इससे विद्युत उत्पादन भी पर्याप्त मात्रा में हो सकता है जिससे देश का औद्योगीकरण हो सकता है और करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है। बाढ़ नियन्त्रण, सिंचाई तथा विद्युत की परियोजनाओं के माध्यम से हम अपने देश के कई करोड़ लोगों को रोजगार दे सकते हैं हैं और पूरी बेरोजगारी समाप्त हो सकती है। इसलिए जल संसाधनों पर नियन्त्रण करना सरकार का बहुत बड़ा कर्त्तव्य है। इस काम को करके हम एक साथ अपनी कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। पहले कुछ इस प्रकार की योजनाएं आई भी थीं, जैसे गारलैंड कैनाल स्कीम आई थी जिसकी चर्चा कई बार हुई कि अगर नदियों को तमाम नहरों से जोड़ दिया जाय तो सिंचाई के साधन मिलेंगे, साथ-साथ उन पर बड़े-बड़े बांध बनाकर बिजली पैदा की जा सकेगी। बाढ़ रुकेगी, बिजली पैदा होगी और सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी हमारे किसानों और खेतों को मिलेगा जिससे हमारे देश की भूख की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, और बाढ़ की समस्या, इन तमाम समस्याओं का निराकरण हो जाएगा।

प्रति वर्ष बाढ़ से हजारों की संख्या में लोग मरते हैं, लाखों की सख्या में बेघरबार होते हैं और तमाम घर गिरते हैं। ये सारी चीजें हर साल होती हैं। जब तक इनके स्थाई समाधान के लिए कोई उपाय नहीं किया जाएगा तब तक हमारी स्थिति ठीक नहीं हो सकेगी।

हमारे गोरखपुर जिले में घाघरा और राप्ती नदियों से बहुत बाढ़ आती है। गंडक नदी जो कि गोरखपुर के पूर्वी छोर से होकर देवरिया होते हुए बिहार में चली जाती है वह भी एक बड़ी खतरनाक नदी है। उससे भी लाखों एकड़ भूमि बरबाद हो जाती है और तमाम खेती को नुकसान पहुंचता है। राप्ती नदी के किनारे कुछ तटबन्ध बनाए जाने की योजना चल रही थी···

उपाध्यक्ष महोदय : आपके अपने निर्वाचन-क्षेत्र के बारे में क्या है ? आप अपने निर्वाचन-क्षेत्र गोरखपुर को मत भूलें।

श्री हरिकेश बहादुर : अब मैं उस विशेष हिस्से पर आ रहा हूं। मैं पूरे देश की बात करने की स्थिति में नहीं हूं। लेकिन मुझे कुछ जानकारी प्राप्त हुई है और मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के समक्ष उस जानकारी को रखना चाहता हूं ताकि माननीय मंत्री महोदय इसे नोट कर लें। यह एक ऐसा मामला नहीं है जिसे सरकार इतने हल्के-फुल्के ढंग से ले। लेकिन सरकार इसे बहुत हल्के-फुल्के ढंग से ले रही है।

मैं कह रहा था कि राप्ती नदी के किनारे जो कि हमारे क्षेत्र से होकर बहती है···

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की सर्वसम्मति है कि आप अब अपना प्रश्न पूछें।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं माननीय मंत्री से उत्तर चाहता हूं। राप्ती नदी के किनारे इस समय तटबन्ध बनाए जाने की योजना चल रही है···

उपाध्यक्ष महोदय : आप असंगतरूप से न बोलें। आपके भाषण में असंगति नहीं होनी चाहिए।

श्री हरिकेश बहादुर : जी नहीं। दिक्कत यह है कि हालांकि आपने मुझे ठीक से समझा है लेकिन दूसरों ने नहीं समझा है। मैं क्या कर सकता हूं ? यही कारण है कि मुझे दोहराना पड़ा है।

मैं यह कह रहा था कि राप्ती नदी के किनारे जो तटबन्ध बनाने की योजना चल रही है यह बहुत वर्षों से चल रही है और अधूरी है। बहराइच से लेकर गोरखपुर तक जहां पर कि राप्ती नदी आगे बढ़ कर घाघरा में मिलती है वहां पर तमाम हिस्सों में बांध बन गए हैं। लेकिन होता यह है कि तटबन्ध हर साल बनाए जाते हैं और टूट जाते हैं। बाढ़ के पहले कभी भी तट-बन्ध का सही ढंग से निरीक्षण नहीं किया जाता है। सरकार उसके लिए पैसे देती है चाहे कम देती हो, अधिक देती हो लेकिन उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। उसमें थोड़ा बहुत काम कर के बाकी पैसे में बहुत घोटाला होता है। हर साल यही होता है। बांध टूटते रहते हैं और हर

साल बनाए जाते हैं। उस में कितने पैसे का घोटाला होता होगा इसका आसानी से आप अनुमान लगा सकते हैं। अगर बाढ़ के पहले उसकी ठीक ढंग से मरम्मत कर दी जाय तो शायद यह स्थिति न हो। लेकिन ऐसा लगता है कि इस विभाग में काम करने वाले लोग और खास कर के अभियन्तागण चाहते हैं कि इस प्रकार की स्थिति बनी रहे। तमाम जगह बाढ़ में जो तटबंध टूटते हैं उससे सैकड़ों गांव तबाह हो जाते हैं और कई गांव तो पानी में बह जाते हैं। तमाम लोगों की जानें भी जाती हैं लेकिन इन बातों की परवाह अभियन्ताओं को नहीं है। कम से कम हमारे क्षेत्र में और उसके इर्द-गिर्द के जिलों में तो हर साल यही हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे क्षेत्र में कोठा-बढ़या-रिगौली बांध बनाने की नितान्त आवश्यकता है और इसकी ओर कई बार इस सदन में भी माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान आकृष्ट किया गया है कि उस बांध को पूरा करा दिया जाए लेकिन अभी तक वह पूरा नहीं हुआ है। यद्यपि उस क्षेत्र से कुछ कांग्रेस (आई) के विधायक भी हैं फिर भी पता नहीं क्यों उस बांध को पूरा नहीं किया जाता है। मैंने कई बार उत्तर प्रदेश के मंत्रियों से भी कहा और प्रधान मंत्री जी को भी मैंने इस सम्बन्ध में एक पत्र लिखा है जिसमें मैंने इस विषय में काफी विस्तार से चर्चा की है परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि आज तक मुझे उस पत्र का एकनालेजमेन्ट भी प्राप्त नहीं हुआ। मैंने अपने क्षेत्र के लोगों से भी कहा कि तमाम गांवों के लोग एक दरख्वास्त बनवाकर प्रधान मंत्री जी के पास भेजें। इन तमाम बातों के बावजूद उस काम को नहीं कराया जा रहा है। इसकी वजह से हर साल कई लाख लोगों को बाढ़ के समय भीषण संकट का सामना करना पड़ता है। वास्तविकता तो यह है कि इस काम पर कोई अधिक खर्चा भी नहीं लगना है। केवल 40-45 लाख में ही नौ साढ़े नौ किलोमीटर बांध बनकर तैयार हो जाएगा। सरकार एन० आर० ई० पी० के नाम पर करोड़ों रुपए एक साल में दे देगी लेकिन अगर एन० आर० ई० पी० की रकम का एक बटा सौवां हिस्सा भी इस बांध को पूरा करने पर खर्च कर दिया जाए तो हर साल जो लाखों लोग तबाह और बर्बाद हो जाते हैं उसकी नौबत न आए। इसके लिए सरकार पैसा क्यों नहीं देती है यह बात समझ में नहीं आती है।

उपाध्यक्ष जी, प्रति वर्ष बांध टूटते हैं और जो बांध बनाने का काम चल रहा है उसको जानबूझ कर पूरा नहीं किया जाता है। मेरा आग्रह है कि यह जो कोठा-बढ़या-रिगौली बांध है इसको दबाव डालकर पूरा कराया जाना चाहिए। हो सकता है कि राजनीतिक कारणों से न कर रहे हों लेकिन यह अनुचित है। मेरे क्षेत्र में बांध होने की वजह से मुझे नुकसान हो सकता है लेकिन मेरे ही क्षेत्र में दो विधान सभाई क्षेत्रों में कांग्रेस (आई) के विधायक भी हैं इसलिए मेरा नुकसान होने के साथ-साथ उनका नुकसान भी हो सकता है। मालूम होता है राजनीतिक कारणों से, कि मुझे नुकसान पहुंचे, इसीलिए यह बांध नहीं बनाया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को चाहिए कि नैपाल सरकार के साथ समझौता करके करनाली, भालू बांध और पंचेश्वर बांध की योजना को पूरा करे। इन बांधों के बन जाने से प्रति वर्ष घाघरा और राप्ती से जो तबाही हो रही है वह बन्द हो जाएगी। आप नैपाल सरकार से बातचीत करके इस स्थिति को सुधार सकते हैं। नैपाल से आपके घनिष्ट सम्बन्ध हो सकते हैं; वहां आने जाने के

लिए पास-पोर्ट की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन दुःख इस बात का है कि अपने पड़ौसियों के साथ भी आपके सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। हालांकि वहां की सरकार चाहती है कि इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाए लेकिन भारत सरकार पता नहीं किस वजह से कुछ नहीं कर रही है।

कृषि मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : इस मामले में कई बार बताया है लेकिन आप इसी बात को बार-बार दोहरा रहे हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : मैं बार-बार कह रहा हूं क्योंकि बार-बार हर साल यही हाल होता है। अगर किसी भी वजह से यह काम नहीं हो पा रहा है तो नैपाल सरकार को आपको कांफिडेंस में लेना होगा और अगर कांफिडेंस में नहीं लेते हैं तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार पूरी तरह से उजड़ जायेंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप नैपाल से समझौता करके इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही करें। जैसे भी हो काम होना चाहिए। अगर साधारण रूप से ही आप इस मसले को लेंगे तो वहां के लोग हर साल तबाह होते रहेंगे।

अब मैं आपसे केरल के बारे में कहना चाहता हूं। मैं अभी वहां पर गया था और मुझे वहां की व्यापक रिपोर्ट मिली है। उसके आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर सी-इरोजन, बाढ़, लैंडस्लाइड आदि से काफी नुकसान हुआ है। इसके बारे में आपको वहां की सरकार ने भी बताया होगा। 45 हजार मकान तो पूरे तरीके से नष्ट हो गए हैं और 65 हजार अर्द्ध रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। केरल की सरकार को केन्द्रीय सहायता चाहिए, इसके लिए उन्होंने ज्ञापन भी दिया है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है। उसमें विस्तार से कहा गया है, 6.75 करोड़ मकानों के लिए, पार्शियल क्षतिग्रस्त के लिए 4.87 करोड़, मैडिकल रिलीफ के लिए 8 करोड़ और तमाम फसलें नुकसान हो गई है। नारियल, केले, रबड़, पेपर, जीजर आदि के कम्पैसेशन के लिए उन्होंने काफी पैसे की मांग की है। मछली उद्योग और डेयरी उद्योग का भी भारी नुकसान हुआ है। नहरें टूट रही हैं, सड़कें टूट गई हैं, बन्दरगाह को नुकसान हुआ है, इन सबके लिए उन्होंने पैसे की मांग की है। एक निवेदन यह भी है कि वहां राहत कार्य बड़ी तेजी से चलाएं, ताकि वहां कुछ राहत मिल सके। उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। केन्द्रीय टीम किन-किन राज्यों में भेजी जाने वाली हैं, इस बारे में भी आप बताएं। मेरी सरकार से मांग है कि केन्द्रीय टीम तत्काल बाढ़ से प्रभावित राज्यों में भेजें, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और असम के क्षेत्र जो बाढ़ से ज्यादा प्रभावित हैं, वहां केन्द्रीय टीम जल्दी भेजी जानी चाहिए। तत्काल सहायता के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तत्काल सहायता की तो आवश्यकता है ही।

हर साल मकान गिरते हैं और हर साल पैसा देने के लिए मांग की जाती है। उनको 100 रु०, 50 रु० दे दिया जाता है। जनता पार्टी के समय उनको दो सौ, चार सौ, पांच सौ रुपया दिया जाता था, लेकिन जब से यह सरकार आई है, उनकी धनराशि कम हो गई है। पूरे तरीके से सहायता कम कर दी गई है।

मैं चाहता हूं कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनको पर्याप्त आर्थिक सहायता दी

जाए और अगर नहीं दी जा सकती है तो जल्दी से जल्दी बाढ़ को रोकने का प्रबन्ध करें। लेकिन जब तक आप बाढ़ को रोकने का प्रबन्ध नहीं करते हैं, तब तक आपको आर्थिक सहायता उनको देनी चाहिए। ताकि वे अपने मकानों को ठीक से बना सके। यदि कुछ गांवों की पटाई करवा दी जाए तो बाढ़ से जो नुकसान होता है, वह नहीं होगा। रुरल इन्जीनियरिंग सर्विस डिपार्टमेंट को यदि कोई काम दिया जाता है, तो वह आधा-चौथाई करके काम को पूरा कर देते हैं और पैसा पूरा ले लेते हैं। अपने क्षेत्रों का दौरा करके मैंने पाया कि बिल्कुल भी उचित ढंग से वहां काम नहीं हो रहा है। कुछ गांव ऐसे हैं, जो नदियों के किनारे हैं और नदियों में कट कर गिर रहे हैं। उनको बसाने के लिए शीघ्र प्रबन्ध करना चाहिए। इसके लिए राज्य सरकारों को तत्काल निर्देश दिए जाने चाहिऐ। खास तौर से उत्तर प्रदेश की सरकार को और हमारे जिले के अन्दर राप्ती नदी के किनारे के गांव कट कर गिर रहे हैं। उनको बसाने के लिए प्रबन्ध करना चाहिए।

बाढ़ के प्रकोप के बाद बीमारियों का प्रकोप शुरू हो जाता है। मलेरिया, एन्सीफ्लाइट्स, हैजा आदि बीमारियां शुरू हो जाती हैं। गोरखपुर में ब्रंजमनगंज ब्लाक, जो महाराजगंज संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, वहां पर हैजा से काफी लोग मर गए हैं। उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में मलेरियों से काफी लोग मर गए हैं। जब तक उनको दवाओं की सुविधा मिलेगी, तब तक शायद ही कोई उन लोगों में से जिंदा बचे। मैं चाहता हूं कि सरकार चिकित्सा व्यवस्था के लिए उचित इन्तजाम करने के कार्य करे।

साथ ही साथ जल-जमाव के कारण हो रही तबाही के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। यह समस्या भी एक बाढ़ की तरह से है। गंडक योजना से बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों के लिए सिंचाई के सुविधा होती है। वहां नहरों के किनारे इतना जल जमा हो जाता है जिससे भयंकर स्थिति पैदा हो जाती है। सरकार ने अनेक सुविधाएं दी हैं, सिंचाई की सुविधा दी है, खेती की स्थिति ठीक बनाने की कोशिश की है, लेकिन इनके बावजूद जल-निकासी का वहां पर सही प्रबन्ध नहीं है। सारी खेती बाढ़ के पानी में डूब जाती है, बरसात भर वहां बाढ़ ही बाढ़ रहती है, इसलिए कोई फसल नहीं होती है।

गण्डक परियोजना की नहरों के किनारे और साथ-साथ दूसरी जगहों पर जहां जल-जमाव की स्थिति है उससे निपटने के लिए कोई प्रभावशाली कार्यवाही करें। अपने विशेषज्ञों को कहें कि वहां जाकर देखें कि जल-जमाव को समाप्त करने की दिशा में क्या कदम उठाये जा सकते हैं।

भूमि संरक्षण, जंगल लगाना बहुत आवश्यक है। नदियों के कैचमेन्ट एरियाज में यह काम होना चाहिए। आप पेड़ लगाने की बात तो बहुत करते हैं लेकिन क्या काम हुआ है? लगता है एमर्जेन्सी के बाद आप लोगों को जो झटका लगा, उससे आपने सही काम भी करना बन्द कर दिया। उस समय परिवार नियोजन की अलग बात थी, लेकिन पेड़ लगाने की बात तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, आपको कैचमेन्ट एरियाज में पेड़ लगाने चाहिए जिससे भूमि संरक्षण का काम हो।

नदियों का सिल्ट हटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं? नदियों का सिल्ट तो दूर रहा, आप

तो नहरों का सिल्ट भी नहीं हटा पा रहे हैं। राप्ती नदी के बारे में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने जो कहा है मैं उसकी दो लाइनें यहां पर कोट करना चाहता हूं—

"राप्ती नदी बहुत अधिक रेत ले जाती है जो जमा हो जाती है और इससे पड़ौसी क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति में वृद्धि हो जाती है।"

यह बात नेशनल कमीशन आन फ्लड्स की रिपोर्ट में कही गई है। उसमें एक नदी विशेष के लिए अलग से चर्चा की गई है जिसमें कहा गया है कि यह नदी सबसे ज्यादा सिल्ट लेकर आती है। हर साल यहां पर बात होती है कि सिल्ट हटाने की योजना चलायेंगे लेकिन सरकार कुछ नहीं करती है। हमारे यहां नहरों के अन्दर इतनी सिल्ट जमा हो गई है कि नहरें बाढ़ की स्थिति पैदा कर रही हैं। सिल्ट जमा हो जाने के कारण इन नहरों की गहराई कम हो गई है, आपका इन नहरों में पानी छोड़ने का एक शेड्यूल बना हुआ है कि इतना पानी छोड़ना है, चूंकि उनकी गहराई कम हो गई है, इसलिए उतना पानी छोड़ने से अधिक पानी खेतों में चला जाता है, जिससे फसल को नुकसान होता है। इस स्थिति को ठीक करने के लिए तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

हमारे यहां शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन की बात चल रही है। अगर हम सिलेबस में 15 दिन इस तरह का काम कराने की व्यवस्था करें तो यह बहुत अच्छी बात होगी। मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं—दुनियां के अनेक देशों में ऐसा होता है। चीन का उदाहरण आपके सामने है··· महोदय, माननीय मंत्री हंस रहे हैं और वह इसके प्रति गंभीर नहीं दिखाई देते हैं (व्यवधान) मेरा मुद्दा यह है कि अधिकांश बातें सिंचाई से सम्बन्धित हैं। अतः सिंचाई मन्त्री को यहां पर होना चाहिए। (व्यवधान) मैं कह रहा था कि जब पड़ोसी देश चीन यह कार्य कर रहा है तो हम यहां पर ऐसा क्यों नहीं कर सकते ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री हरीकेश बहादुर : जी हां। मैं अंतिम मुद्दे पर हूं।

सीपेज की समस्या के लिए अभी श्री रामलाल राही मुझे बता गए हैं—उन्होंने 48 घंटे पानी में बैठ कर धरना दिया था। इनका सारा शरीर जोंक चाट गई थी, शरीर सफेद हो गया था। यह सीपेज की प्राबलम बहुत ज्यादा है और जैसा मैंने कहा था सात लाख हैक्टेअर से ज्यादा जमीन सारे देश में पानी में डूबी हुई है। 26 हजार हैक्टेअर जमीन तो उत्तर प्रदेश में डूबी हुई हैं, जिसमें सीतापुर जिले में सबसे ज्यादा है। सीपेज की वजह से नहरों के किनारे पानी जमा हो जाता है, इसके लिए कुछ कीजिए। खाली आश्वासन देने से कुछ नहीं होगा। जब कोई धरना देगा, अनशन करेगा या पानी में बैठेगा, तब तो कहेंगे कि हम करेंगे और ज्यों ही वह पानी से निकला, आप बदल जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए। मैंने जो प्रश्न पूछे हैं, माननीय मन्त्री जी उनका उत्तर दें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननोय उपाध्यक्ष जी, ज्यादातर जो माननीय सदस्य ने कहा है,

वह बाढ़ कन्ट्रोल के लिए कहा है जोकि हमारी मिनिस्ट्री का काम नहीं है और यह एक स्टेट सब्जेक्ट है। यदि ये मुझसे पहले पूछ लेते, तो मैं इनको बताता कि कालिंग एटेंशन मोशन कैसे फ्रेम किया जाए, जिससे इर्रीगेशन मिनिस्ट्री जवाब देती।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश बहादुर, यदि आप उनसे पहले पूछ लेते तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के फ्रेम करने के बारे में वह आपकी सहायता कर देते।

श्री योगेन्द्र मकवाना : महोदय, मैं उनका मार्ग-दर्शन करता यदि उन्होंने मुझसे सम्पर्क किया होता। मैं उनकी सहायता करता कि कालिंग एटेंशन कैसे फ्रेम किया जाता है।

जहां तक हमारी मिनिस्ट्री का काम है, राहत देने की और रिलीफ देने की जो बात कही गई है, उसके बारे में हमारी मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट की मदद करती है लेकिन जो बाढ़ कन्ट्रोल का काम है, वह इर्रीगेशन मिनिस्ट्री का काम है और 99 परसेन्ट से ज्यादा इन्होंने अपनी स्पीच में उसके बारे में कहा है। अभी मिश्र जी आ गए हैं, जोकि इर्रीगेशन मिनिस्टर हैं, ये बाद में उनसे पूछ लेंगे। (व्यवधान)

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : इसको मजाक मत बनवाइए। अगर ये ही जवाब देंगे, तो फिर आप बैठ जाइए।

राव बीरेन्द्र सिंह : मज़ाक कहां है। यही तो कहा है कि ये बाद में उनसे पूछ लें।

श्री मनी राम बागड़ी : आपकी मिनिस्ट्री का सवाल है और उनसे पूछें।

श्री योगेन्द्र मकवाना : इन्होंने ज्यादातर अपनी स्पीच में बाढ़ कन्ट्रोल के बारे में कहा है।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हर बात नियमों के अनुसार की जाती है तो इसमें कोई कठिनाई नहीं है। नियमों के अनुसार ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में केवल एक प्रश्न पूछा जाना चाहिए और उस प्रश्न का उत्तर सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। लेकिन यहां पर समस्त विषय जैसे सिंचाई, कृषि, खाद्य सप्लाई आदि की प्रत्येक बात पर चर्चा की गई है। इन सभी विषयों पर मन्त्री महोदय किस प्रकार उत्तर दे सकते हैं? वास्तव में आप सन्तुष्ट होंगे कि आपने इन सभी मुद्दों को उठाया है। लेकिन आप माननीय मन्त्री महोदय से किस प्रकार आशा कर सकते हैं कि वह इन प्रश्नों का उत्तर दें जो उनके मन्त्रालय से सम्बन्धित नहीं हैं। यदि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर भाषण देते हैं तो मैं माननीय मन्त्री महोदय से भी भाषण की आशा करता हूं।

श्री हरीकेश बहादुर : महोदय, यहां पर स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि देश के विभिन्न भागों में विनाशकारी बाढ़ों के आने, जिसके परिणामस्वरूप जनजीवन, फसलों और सम्पत्ति को भारी हानि हुई है, से उत्पन्न स्थिति तथा इस मामले में सरकार द्वारा किए गए राहत कार्यों की ओर कृषि मन्त्री का ध्यान दिलाना है। यदि ऐसा है तो मुझे इन सभी मामलों का उल्लेख करना पड़ेगा जो मुख्य विषय से सम्बन्धित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : तब आपको नियम 193 अथवा इसी प्रकार के अन्य किसी नियम के अधीन चर्चा करने के लिए कहना चाहिए ।

श्री हरीकेश बहादुर : कार्य मन्त्रणा समिति में यह निर्णय किया गया था कि इस पर केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अधीन चर्चा की जानी चाहिए । अतः माननीय मन्त्री महोदय को सिंचाई तथा अन्य बातों के बारे में कुछ कहना चाहिए ।

श्री योगेन्द्र मकवाना : उपाध्यक्ष जी, मैं यही बात कह रहा था कि माननीय सदस्य ने जो बात जाननी चाही हैं, वे हमारी मिनिस्ट्री की नहीं हैं लेकिन जहां तक रिलीफ मेजर्स की बात है, राहत देने की बात है और कितनी राहत देना चाहते हैं, उसके बारे में जो प्वाइंट उठाया है, उसका मैं जरूर जवाब दूंगा ।

पहले तो उत्तर प्रदेश प्रान्त की बात कही गई । उत्तर प्रदेश के पास 10 करोड़ 80 लाख रुपए मार्जिन मनी है और गवर्नमेंट आफ इन्डिया का जो सातवां फाइनेन्स कमीशन है, उसके मुताबिक जो प्रोसीजर बना है, उसमें जब तक उसके पास जो मार्जिन मनी है, उसका पूरा उपयोग न हो जाए, तब तक स्टेट गवर्नमेंट हमारे पास नहीं आती है ।

आज तक उत्तर प्रदेश सरकार का कोई मेमोरेण्डम हमारे पास नहीं आया है न उनकी कोई मांग ही रिलीफ के लिए हमारे पास है । ऐसे कार्यों के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स के पास इतना पैसा होता है कि उससे वे खुद काम सम्भाल सकते हैं । जो उत्तरप्रदेश में नुकसान हुआ है, जो डेमेज हुआ है, या लोग मर गए हैं, मकान गिर गए हैं, उनके लिए जो भी रिलीफ मेजर्स प्रोवाईड करने हैं, जो भी पैसा देना है उसके लिए राज्य सरकार से हमारे पास कोई मेमोरेण्डम नहीं आया है । इसलिए वहां कोई टीम भेजने का सवाल नहीं उठता है । टीम भेजने का सवाल तो तब उठता है जबकि वहां से कोई मांग आए । जहां तक उत्तरप्रदेश का सवाल है वहां से कोई मांग नहीं आई है ।

जहां तक राष्ट्रीय बाढ़ आयोग का सवाल है, उसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को मिली है । इंटरनल मिनिस्ट्री लेवल पर उसको डिस्कस कर रहे हैं और राज्य सरकारों को इसके बारे में क्या करना चाहिए, उसके लिए भी हम सुझाव देना चाहते हैं ।

सोयल कंजर्वेशन और पेड़ लगाने के बारे में एक बात कह रहा हूं । इसके लिए भारत सरकार की बहुत-सी स्कीमें हैं । सोशल फोरेस्ट्री के माध्यम से पैसा दिया जाता है, टेक्नीकल मदद भी दी जाती है । लेकिन हो यह रहा है कि हर जगह पेड़ काटे जाते हैं और खास करके जहां से माननीय सदस्य आते हैं वहां ज्यादा काटे जाते हैं । इसको कभी रोकने का प्रयास किया ही नहीं गया । इसको करने की जरूरत है और पेड़ों को कटने से रोकने की जरूरत है । इसके अलावा ज्यादा पेड़ लगाने की जरूरत है ।

जहाँ तक केरल की बात है, केरल के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि केरल को 5 लाख रुपया प्राइम मिनिस्टर के फण्ड से दिया गया है और 5 करोड़ रुपया वेज एण्ड मीन्स एडवान्स के

लिए स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। हमारी टीम भी केरल गई है। वह आकर रिपोर्ट देगी। उसके बाद एक हाई पावर्ड कमेटी में उसको डिस्कस किया जाएगा। कितना पैसा देना है, उसको बाद में तय किया जाएगा। यह ठीक है कि केरल का काफी नुकसान हुआ है। जो समुद्र की दीवार थी, वह भी टूट गई है और काफी अन्दर समुद्र आ गया। उसके लिए पैसे की जरूरत है। जैसाकि मैंने कहा हैं कि फ्लड कंट्रोल के लिए इर्रीगेशन मिनिस्ट्री की योजनाएं बनती हैं। वहां बहुत सिल्टिंग हुआ है, उसको भी निकाला जाना है। यह भी इर्रीगेशन मिनिस्ट्री का काम है।

माननीय सदस्य ने जो कहा उसमें 99 परसेन्ट सब्जेक्ट्स इर्रीगेशन मिनिस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले हैं, एक बात हमारी मिनिस्ट्री की है। कितना पैसा देना है, कब टीम जाएगी, इसका जवाब तो मैंने दे दिया है।

श्री हरीकेश बहादुर : महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। सिंचाई विभाग तथा बाढ़ की स्थिति के बारे में मैंने जो प्रश्न उठाये हैं, उनका किसी न किसी द्वारा तो उत्तर दिया जाना है। जब सरकार से उपयुक्त उत्तर नहीं मिलता तो इन सभी मुद्दों को उठाने से क्या फायदा है ?···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं एक मन्त्री को निदेश नहीं दे सकता कि वह ऐसा उत्तर दें जो आप चाहते हैं···(**व्यवधान**)। किन नियमों के अधीन मैं उन्हें निदेश दे सकता हूं ?

श्री जगपाल सिंह : आप जब तक इर्रीगेशन मिनिस्टर को नहीं कहेंगे तब तक इस पर हमारे प्रश्नों का जवाब कैसे आयेगा।

(**व्यवधान**)

श्री हरीकेश बहादुर : यदि आप सिंचाई मन्त्री को मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निदेश नहीं दे रहे हैं तो मैं सदन से बहिर्गमन करूंगा···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें निदेश नहीं दे सकता हूं। यह सम्बन्धित मन्त्री पर छोड़ दिया गया है। मैं किसी मन्त्री को निदेश नहीं दे सकता हूं···(**व्यवधान**)

मैं केवल नियमानुसार सभा का कार्य-संचालन कर सकता हूं। मैं किसी मन्त्री को निदेश नहीं दे सकता हूं। सदस्य स्पष्टीकरण मांग सकते हैं और मंत्री महोदय उत्तर दे सकते हैं। लेकिन यदि मंत्री कहते हैं कि वह पहले ही जवाब दें चुके हैं तो मैं उन्हें और आगे निदेश नहीं दे सकता हूं।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप चाहते हैं कि मैं इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को जारी रखूं अथवा नहीं ? श्री हरीकेश आपने कुछ प्रश्न उठाये हैं और मन्त्री महोदय जवाब देते जा रहे हैं। क्या आप उनको सुन नहीं सकते ?

राव बीरेन्द्र सिंह : उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं के बारे में कुछ विशिष्ट प्रश्न उठाये हैं और उन्होंने विशिष्ट क्षेत्रों में बाढ़ से सुरक्षा सम्बन्धी कुछ उपायों के बारे में सुझाव दिए हैं। अब

मेरा मन्त्रालय इस स्थिति में नहीं है कि वह बतायें कि राज्य सरकार की योजना क्या है, उनकी भावी योजना क्या है, राज्य सरकार बाढ़ सुरक्षा सम्बन्धी उपायों पर कितनी धनराशि खर्च कर चुकी हैं तथा वे भविष्य में कितनी धनराशि खर्च करेंगे। माननीय सदस्य के विचार से दिक्कतें हैं और उन्होंने राहत के बारे में एक प्रश्न पूछा है जो हमने कुछ विनियमों के अधीन प्रदान करनी है और इस बारे में हमने क्या प्रक्रिया अपनाई है। अब हमारी श्रेष्ठ योग्यता···

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नाडार, कृपया शांत रहें। आप पूरी बात को बिगाड़ रहे हैं। वह श्री हरीकेश के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं और नियमानुसार आप बीच में नहीं बोल सकते। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कोई व्यवधान शामिल नहीं किए जायेंगे।

राव बीरेन्द्र सिंह : यदि आप कृपया प्रस्ताव को पढ़ें—

"देश के विभिन्न भागों में विनाशकारी बाढ़ों के आने जिसके परिणामस्वरूप जनजीवन, फसलों और सम्पत्ति की भारी हानि हुई है, से उत्पन्न स्थिति तथा इस मामले में सरकार द्वारा किए गए राहत कार्यों की ओर कृषि मन्त्री का ध्यान दिलाना।"

(व्यवधान)**

श्री हरीकेश बहादुर : मैं जानना चाहता हूं कि करनाली, बालूबंद और पंचेश्वर के बारे में क्या उपाय किये जा रहे हैं···(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वह उत्तर दे रहे हैं। कृपया सुनिये।

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, यदि आप उनकी बात मान लेते हैं तो इसका आशय है कि इस बड़े देश के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में राज्यों के सिंचाई मन्त्रालय और केन्द्रीय सिंचाई मंत्रालय द्वारा किए जा रहे सभी उपायों के बारे में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार रहना होगा। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में यह सम्भव नहीं है। परम्परा यह है कि अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर एक विशेष मंत्री का ध्यान दिलाया जाता है।

श्री हरीकेश बहादुर : महोदय यह बिल्कुल ठीक है।

राव बीरेन्द्र सिंह : कृषि मंत्रालय इस विषय से सम्बन्धित है। अगर वह बाढ़ नियंत्रण उपायों के बारे में धैर्यपूर्वक चर्चा करना चाहते हैं और यह पूछना चाहते हैं कि सरकार क्या करना चाहती है, छठी पंच-वर्षीय योजना में क्या किया गया है, सातवीं पंच-वर्षीय योजना में धन आबटंन के लिए हमारी क्या राय है, और राज्यों की क्या योजनाएं हैं आदि-आदि तो इसके लिए उन्हें विशेष रूप में बाढ़ नियंत्रण उपायों पर चर्चा करने के लिए आग्रह करना चाहिए और अपने प्रश्न सिंचाई मंत्री को सम्बोधित करने चाहिए। यह एक लम्बी चर्चा का विषय है और विभिन्न

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सदस्यों को पर्याप्त समय देना होगा। यहां पर दुर्भाग्वश सिर्फ पांच सदस्य ही हैं, परन्तु राज्य-सभा में प्रत्येक ध्यनाकर्षण प्रस्ताव पर 15 सदस्य तो बोलते ही हैं। अगर प्रत्येक सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र, देश के प्रत्येक गांव, प्रत्येक नदी, हर नाले के बारे में प्रश्न करेगा तो इन सभी प्रश्नों का जवाब देना मंत्री के लिए नामुमकिन है। इसलिए हमें कुछ परिपाटी एवं नियमों के साथ चलना चाहिए। हम यहां पर गलत प्रथा शुरू नहीं करना चाहते।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सिंचाई मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। वह स्पष्ट करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : वह पहले ही बता चुके हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : उन्होंने जितने भी मुद्दे उठाए हैं मैं उनका जवाब दे सकता हूं। मैं यह नहीं करना चाहता क्योंकि यह एक गलत परिपाटी होगी।

1.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री बी० डी० सिंह बोलेंगे।

श्री हरिकेश बहादुर : हम जो भी प्रश्न यहां उठाते हैं उनका जवाब दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय मैं इसे स्पष्ट करता हूं। नियम 197 में कहा गया है :

"(1) कोई सदस्य अध्यक्ष की पूर्व की अनुज्ञा से, अविलम्बनीय लोक महत्त्व के किसी विषय पर मंत्री का ध्यान दिला सकेगा और मंत्री संक्षिप्त वक्तव्य दे सकेगा या बाद के किसी समय या तिथि को वक्तव्य देने के लिए समय मांग सकेगा।"

श्री हरिकेश बहादुर : परिपाटी के अनुसार, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हम दो घंटे चर्चा करते है। मंत्री जी से मुझे उपयुक्त जवाब नहीं मिला है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री बी० डी० सिंह के अलावा किसी भी व्यक्ति को स्वीकृती नहीं दे रहा हूं।

श्री हरिकेश बहादुर : इसके विरोध में मैं बाहर जा रहा हूं।

(इसके पश्चात श्री हरिकेश बहादुर सदन से बाहर चले गए।)

उपाध्यक्ष महोदय : अगर सभी व्यक्ति नियमों के अनुसार कार्य करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। श्री बी० डी० सिंह।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, समझता हूं कि परम्परा रही है कि जो भी सुझाव किसी और मंत्रालय के सम्बन्ध में आते रहे हैं तो सम्बन्धित माननीय मंत्रियों और मंत्रालयों के पास भेज दिए जाते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : यह बात हम मानते हैं। जो बात माननीय सदस्य कह रहे हैं, वहां तक

हमें मंजूर है । जितने सुझाव आते हैं, हम नोट करते हैं । दूसरे मंत्रालय को भी भेजते हैं, और जहां तक हो सकता है, हम उसका जवाब माननीय सददस्य को अपनी तरफ से देते हैं या दूसरी मिनिस्ट्रीज देती हैं । लेकिन यह कोई तरीका नहीं है कि एक साथ दस मंत्रालयों के दस विषय डिसक्स किए जाए । हम सभी सुझावों को हमेशा ध्यानपूर्वक नोट करते हैं, हम उनकी तह में जाते हैं । हम राज्य सरकारों को लिखते हैं, और हम सदस्यों को भी जवाब भेजते हैं ।

श्री बी० डी० सिंह : हमारे देश में बाढ़ से बहुत भयवाह क्षति हो रही है । किसी वर्ष बहुत ज्यादा और किसी वर्ष बहुत कम । प्राय: यह देखने में आता है कि प्रत्येक वर्ष क्षति हो रही है । प्रकृति का कुछ ऐसा प्रकोप है कि बाढ़ के साथ-साथ सूखा भी पड़ जाता है । इस समय आज हमबाढ़ की चर्चा कर रहे हैं और उधर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भयानक बाढ़ आई हुई है । इलाहाबाद, प्रतापगढ़, सल्तानपुर, मिर्जापुर, बांदा और आस-पास के जिलों में सूखा पड़ा हुआ है । मैं, अभी वहां से होकर आया हूं । वहां धान की फसल को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है । इस प्राकृतिक प्रकोप से किसान बहुत प्रभावित हो रहा है । जहां, वर्षा का पानी हमारे लिए वरदान हो सकता है, जिसका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वहां वह हमारे लिए लाभकारी न होकर अभिशाप बन चुका है । अनुमान है कि वर्षा से करीब 1440 मिलियन एकड़ पानी प्राप्त होता है जबकि हम केवल 220 मिलियन एकड़ ही उपयोग कर पाते हैं । शेष पानी समुद्र में चला जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता है । इस प्रकार नदियों में पानी आ जाने से किसानों को काफी क्षति पहुंच रही हैं । बाढ़ को रोकने के लिए बहुत बातें कही जाती हैं । 1954 में नेशनल फ्लड कंट्रोल प्रोग्राम चालू किया गया था । 1976 में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना हुई । लेकिन इन तमाम कर्यक्रमों के, मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार की ओर से बाढ़ की रोकथाम के लिए सुनियोजित या वैल-प्लान्ड वे में शुरू से ही प्रयास नहीं हुए, जिसके कारण स्थिति भयानक होती चली गई । बाढ़ के कारण होने वाले नुकसान का जब हम जायजा लेते हैं तो वर्ष 1983 में हमारे यहां सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है । जब कि उससे पहले सरकार ने कई योजनाएं बाढ़ रोकने के लिए चलाईं । मेरे पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 2459.97 करोड़ रुपए का 1983 की बाढ़ में नुकसान हुआ जो कि 1951 से लेकर अब तक आने वाली बाढ़ों में सबसे ज्यादा है । हर साल बाढ़ की रोकथाम पर जो सरकार की ओर से व्यय हुआ, उसके आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि सरकार की ओर से जितना प्रयास होना चाहिए था, वह नहीं किया गया । छठी पंचवर्षीय योजना को छोड़ कर, पांचवीं पंचवर्षीय योजना तक कुल मिलाकर 976 करोड़ रुपए बाढ़ को रोकने के लिए सरकार ने व्यय किए । लेकिन जब नुकसान हर साल ज्यादा बढ़ने लगा तो सरकार को कुछ होश आया और अब छठी पंचवर्षीय योजना में 1045 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, इन 1045 करोड़ रुपयों में से 870 करोड़ रुपया प्रान्तीय सरकारों का है, जो उसको खर्च करेंगी । अभी जैसे आंकड़े उपलब्ध हुए हैं, उनके अनुसार उन 870 करोड़ रुपयों में से प्रान्तीय सरकारें मात्र 617 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई हैं । यह राशि कुल राशि का 71 प्रतिशत बनती है । इसका मतलब हुआ कि अभी 30 प्रतिशत के लगभग व्यय नहीं हुआ है । कुछ राज्य सरकारें ऐसी भी हैं, जैसे तमिलनाडु में जहां 28 करोड़ रुपया बाढ़ नियंत्रण के लिए

खर्च किया जाना था, लेकिन अब तक 6.75 करोड़ रुपया ही खर्च हुआ, जो 24 प्रतिशत बनता है। पश्चिमी बंगाल में 200 करोड़ रुपया खर्च होना चाहिए था, लेकिन अब तक केवल 90.84 करोड़ रुपया ही व्यय हुआ है जो कि लगभग 45 प्रतिशत कुल राशि का बनता है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में जहां 1327 करोड़ रुपया बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यय होना था, वहां भी केवल 57.7 प्रतिशत धनराशि व्यय की गई है।

इन सब बातों को देखने से लगता है कि बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यवहारिक दृष्टि से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। वैसे हमारे राव साहब कागजों पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं और कहते हैं कि हमने यह व्यवस्था कर दी। लेकिन जब तक केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकारों का आपस में समन्वय नहीं होगा, तब तक बाढ़ की आपदा से मुक्ति हमें नहीं मिल सकती।

जैसा मैंने पहले कहा, 1983 के साल में हमारे यहां बाढ़ के कारण सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, और उसके बाद भी 461.35 करोड़ रुपए सालाना के हिसाब से बाढ़ के कारण क्षति होती जा रही है। हमें यह भी देखना चाहिए कि यह बाढ़ क्यों आती है, उसका कारण है कि हमारी नदियों में सिल्टिंग हो रही है, जलाशयों, बांधों और वनों का कटान हो रहा है। मैं यहां उसके कारणों में जाना नहीं चाहता क्योंकि वह विषय सिंचाई मंत्रालय का हो जाएगा, जिसका उत्तर हमारे कृषि मंत्री जी न देना चाहें। लेकिन मैं कृषि से सम्बन्धित ही दो-तीन प्रश्न आपसे जानना चाहता हूं। बाढ़ का सबसे प्रमुख कारण हमारे जंगलों का कटना है। मैं समझता हूं कि जंगलात महकमे का काम भी हमारे माननीय मंत्री जी देखते हैं, वे बतायें कि जंगलों के कटान को रोकने के लिए तथा ज्यादा से ज्यादा मात्रा में नए पेड़ लगाने की दिशा में क्या ठोस कार्यवाही की जा रही है तथा प्रान्तीय सरकारें इस काम में क्या सहयोग दे रही हैं। आप इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। इसके अतिरिक्त मेरी सलाह है कि फ्लड ब्रेन एरियाज के लिए इन्शयोरैंस योजना लागू की जाए। जहां पर फसलों को नुकसान होता है, पशुओं को नुकसान होता है, मकान गिरते हैं, लोग मरते हैं। इसलिए फ्लड प्रोन एरियाज में, हमारे यहां करीब 40 मिलियन हैक्टर फ्लड प्रोन एरिया है और सरकार द्वारा कहा जाता है कि उसमें से 11.10 मिलियन हेक्टर सुरक्षित हो गया है। मैं इसको मानता हूं। हर साल बाढ़ से क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, और छठी पंचवर्षीय योजना में 2.5 मिलियन हेक्टर और सुरक्षित करेंगे। मुझे इस पर विश्वास नहीं है, इसलिए क्योंकि प्रान्तीय सरकारों ने, जो धनराशि सुरक्षित की गई थी इस प्रयोजन के लिए, उसको व्यय नहीं किया। तो कैसे काम चलेगा? इसलिए आंकड़ों पर मुझे विश्वास नहीं है।

इसलिए जो इतने बड़े पैमाने पर मकानों की क्षति होती है, पशुओं की क्षति होती है, जैसे 1983 में 3,275 पशु मरे, हर साल हजारों मरते हैं, फसलों को नुकसान होता है, इसलिए बीमा योजना इन क्षेत्रों में होनी चाहिए जिससे लोगों को नुकसान से बचाया जा सके। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनमें कुछ ऐसी ऐग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज किसानों को बतानी चाहिए जिससे उन फसलों को किसान ले सकें। इस ओर खोज होनी चाहिए और उन फसलों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बोया जाना चाहिए ताकि किसान उसका लाभ उठा सकें।

राव बीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, जो सवाल माननीय सदस्य ने उठाए उनका मुख्तसर

जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जंगल लगाने का काम होना चाहिए ताकि बाढ़ रुके। इसके लिए भारत सरकार का खास तौर पर ध्यान है। हमारी नई फौरेस्ट पोलिसी बन रही है। पीछे पार्लियामेंट ने कानून बनाया है कि जंगल कटे नहीं, जंगल की जमीन दूसरे काम में न आए। उस पर सख्ती से हम अमल कर रहे हैं।

बीमा की जो बात आपने कही, पशुओं का बीमा सारे देश के अन्दर भारत सरकार नहीं कर सकती। लेकिन अगर किसान लोग चाहें तो अपने पशुओं का बीमा कराने का इंतजाम है वह जनरल इंश्योरेंश कम्पनी से करा सकते हैं, और लोग कराते भी हैं। लेकिन करीब 200 करोड़ पशु हमारे यहां हैं, इनका बीमा सरकार कैसे कराएगी? और सारे पशु इस लायक भी नहीं हैं कि बीमा कराया जाय। लेकिन जहां नुक्सान होता है वहां राहत देने के लिए हमारे पास कायदे-कानून हैं। जो राहत का काम होता है वह सातवें फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के मुताबिक जो फारमूला है उसके अनुसार हम पैसा देते हैं, जैसा कि मेरे साथी बता चुके हैं। स्टेट्स की सहायता होती है, मकान गिर जायें, जानें चली जाएं, फसल नष्ट हो जाय इनके लिए क्या-क्या सुविधाएं किसानों को मिलती हैं यह कई बार सदन में बताया जा चुका है और उन पर चर्चा हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो बारबार नुकसान होता है बाढ़ से, वहीं सूखे से भी होता है, जैसा पंडित जी कह रहे थे कि यहां हम बाढ़ की बात कर रहे हैं, उधर उत्तर प्रदेश में सूखा भी साथ-साथ हो रहा है। राजस्थान में भी सूखा है। कहीं वर्षा कम हुई है, कहीं हुई है तो थोड़े इलाके में हुई है जिसकी वजह से कहीं नुकसान हो गया। लेकिन बाकी इलाकों में खुश्की पड़ गई। बहुत से इलाके ऐसे हैं कि अगर बाढ़ न आए तो खेती न हो। तो बाढ़ से फायदा भी होता है। इसलिए यह कहना कि बाढ़ से नुकसान ही होता है, यह बात सही नहीं है। बाढ़ से एक फसल अच्छी हो जाती है। ज्यादातर इस सारी समस्या का ताल्लुक इरिगेशन मिनिस्ट्री से है। इरिगेशन मिनिस्टर यहां मौजूद हैं, जो कुछ आपने कहा, उन्होंने सुना है, नोट किया है, उनकी मिनिस्ट्री उस पर अमल करेगी।

बाढ़ के इंतजाम के लिए राष्ट्रीय आयोग बना, उसकी शिफारिशें आईं, उस पर भी हाउस में कई बार चर्चा हो चुकी है। उसको बारबार दोहराना ठीक नहीं लगता। जब छठी पंचवर्षीय योजना बनी, आपको मालूम है कि उससे पहले सारे प्लान्स में 976 करोड़ रुपए के करीब कुल खर्चा पिछले 30 वर्ष में हुआ था, लेकिन जब यह सरकार श्रीमती इंदिरा गांधी की, 1980 में बनी और छठी योजना बनी तो 1045 करोड़ रुपया, अगर मैं गलत नहीं समझ रहा हूं और मुझे याद है, इस वक्त वह मेरा महकमा नहीं है, पहले का ध्यान है जब मैं इरिगेशन मिनिस्ट्री का काम देखता था तो टोटल 5 प्लानों में जितना खर्चा हुआ था, उससे ज्यादा इसमें अब खर्च किया गया है। 1045 करोड़ रुपया छठी पंचवर्षीय योजना में और 1,000 करोड़ से कम पहले 30 बरसों में 5 प्लानों में रखा गया था। इससे आप देख लीजिए कि कितनी जबर्दस्त तवज्जह इस तरफ सरकार दे रही है।

अगला 7वां प्लान बना है, उसमें भी बाढ़ को रोकने के लिए, खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए सरकार का खास ध्यान है। यह बात सरकार मानती है कि हिन्दुस्तान से गरीबी को दूर करना है, लोगों को रोजगार मुहय्या करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज यह होगी कि एग्रीकल्चर

प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, एक-एक खेत में पैदावार बढ़ाई जाए, बाढ़ को रोका जाए, सिंचाई का बन्दोबस्त किया जाए, सूखे से लोगों को बचाया जाए, अच्छे बीज पैदा किया जाएं और दूसरे इम्पुट्स लोगों को दिए जाएं। उसमें इरिगेशन का मुख्य स्थान है।

जब कहीं बाढ़ आती है, व सूखा पड़ता है तो हमने जो कायदे काननू बना रखे हैं, उनके मुताबिक स्टेट गवर्नमैंट्स से पूछते हैं, स्टेट गवर्नमैंट्स भी हमसे सम्पर्क करती हैं। आनरेबल मैम्बर्स जो यहां सवाल उठाते हैं, अगर स्टेट गवर्नमैंट्स ने कुछ न कुछ किया हो तो हम खुद पूछते हैं, कि क्या तकलीफ है? एक-एक कांस्टीटुएन्सी के लिए अगर कोई बात यहां कही जाती है तो उसका पता करते हैं। जहां कहीं देखते हैं कि स्टेट गवर्नमैंट ढील कर रही हैं, हम पूछताछ करते है, मैमोरेंडम मंगाते हैं। कितनी ही बार यह बात आई कि अनरेबल मैम्बर ने यहां सवाल उठाया तो हमने स्टेट गवर्नमैंट को जगाया और वहां से खबर मंगाई, अपनी टीम भेजी। बाज दफा मैमोरैंडम आए बगैर हम अपनी टीम भेज देते हैं ताकि पता कर लें कि क्या हो रहा हैं? मैं खुद जाकर भी देख लेता हूं, मेरे साथी भी जाते हैं, सारे मिनिस्टर्स जाते हैं। इमीडिएटली मैमोरैंडम आने के पहले-पहले भी अगर कुछ एडवांस देना पड़े, तो वह हम स्टेट गवर्नमैंट्स को दे देते हैं। हालांकि पहले यह प्रैक्टिस नहीं थी। पहले जब तक मैमोरैंडम नहीं आता था, हम टीम नहीं भेजते थे। टीम की रिपोर्ट आने से पहले पैसा नहीं देते थे।

अब आप देख रहे हैं कि 3 रोज पहले यह बात सामने आती है, आप खुद डिमांड करते हैं कि मैमोरैंडम आने में देर लगेगी, सैंट्रल टीम के जाने में देर लगेगी, उसकी रिपोर्ट प्रासेस करने में देर लगेगी, आप फौरन पैसा दे दीजिए।

अभी मेरे साथी ने बताया कि 5 करोड़ रुपया हमने केरल को फौरन मंजूर करके दिला दिया ताकि काम जारी रहे। टीम अब गई है, उसकी रिपोर्ट आने में महीना 20 दिन लग सकते हैं, लेकिन वहां काम न रुके, इसलिए फौरन रुपया दे दिया।

इसी तरह त्रिपुरा को 3 करोड़ रुपया दे दिया। अभी तब उसका मैमोरैंडम देखा नहीं, फाइनल नहीं हुआ, बात नहीं हुई, लेकिन यह मदद फौरन दी। हालांकि छोटी-सी स्टेट है, वह राहत का काम तेजी के साथ करे, इसलिए भारत सरकार ने एकदम मदद दी है।

कहीं-कहीं पर, यहां बैस्ट बंगाल वाले बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए 3, 3 बार सैंट्रल टीम इनके यहां भेज चुके हैं। हम कोई इस बात में फर्क नहीं करते कि कौन-सी पार्टी की गवर्नमैंट वहां है।

आपके यहां 3, 3 और 4, 4 बार बाढ़ क्यों आती है, थोड़ा पाप कम कीजिए। अभी तक सरकार सातवें फिनांस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक काम कर रही है। अब आठवें फिनांस कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है। नैचरुल कैलेमिटीज के वक्त राहत के काम को किस तरह से और अच्छा किया जा सकता है और किस तरह स्टेट्स को ज्यादा रिलीफ दिया जा सकता है, इस बारे में आनरेबल मैम्बर्स और स्टेट्स की तरफ से जितने भी सजेशन्ज आए, उन सबको हमने आठवें फिनांस कमीशन के

सामने रखा । एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास उसकी रिपोर्ट आ गई है और सरकार उस पर गौर कर रही है ।

राहत के मामले में भारत सरकार बहुत सचेत है । अभी माननीय सदस्यों को शायद खबर भी नहीं मिलती है, उससे पहले हमें खबर मिल जाती है कि कहां क्या हो रहा है । अगर हम प्रैस रिपोर्ट्स देखते हैं, तो मिनिस्ट्री फौरन अपना काम शुरू कर देती है । बारिश से पहले और फसल बोने से पहले हम मीटिंग्ज करते हैं । हम सैटेलाइट की पिक्चर्ज का इन्टरप्रेटेशन भी करते हैं ।

(व्यवधान)**

ज्योतिषियों से भी पूछ लेते हैं कि आगे क्या हालत है ।

माननीय सदस्य, श्री बागड़ी, का जो अनुभव है, हम उससे भी फायदा उठाने की कोशिश करते हैं । जहां तक मुसीबत के समय राहत पहुंचाने का सम्बन्ध है, भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी को समझती है ।

(व्यवधान)**

हम मानिटरिंग की कोशिश करते हैं । अगर कायदे-कानून की बात पूछें, तो जब एक बार पैसा फिनांस मिनिस्ट्री से रिलीज हो जाता है, तो वह मानिटरिंग करती है कि कितना खर्च हुआ और उसके बाद इनस्टालमेंट्स में पैसा रिलीज होता है । एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री अपने दायरा-ए-अख्तियार से बाहर जाकर भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है । हम अपने अफसरों को भेजते हैं, पूछताछ करते हैं । हम उनसे कहते हैं कि एम पीज को शामिल कर डिस्ट्रिक वाइज रिलीफ कमेटीज बनाई जाएं । हम इस बात के लिए भी पैसा देते हैं कि अगर किसी नदी या नाले में रुकावट आ गई है, तो उसकी ड्रेजिंग या डीसिल्टिंग कराई जाए या बांध टूट जाए, तो उसको ठीक कराया जाए । इस तरह हम स्टेट्स के फिनांसिज को आगमेंट करते हैं ।

लेकिन काम तो स्टेट गवर्नमेंट के महकमे ही करते हैं । जहां तक पैसा बर्बाद होने के आरोप का ताल्लुक है, अगर पैसा बर्बाद होता है, तो हैल्थ का महकमा एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के पास तो नहीं है । वह पैसा स्टेट का हैल्थ डिपार्टमेंट दवाएं छिड़कने और कीड़े मारने वगैरह के लिए खर्च करता है । चारे का बन्दोबस्त करना भी स्टेट गवर्नमेंट का काम है । पीने के पानी का बन्दोबस्त करने के लिए हम सौ फीसदी ग्रान्ट देते हैं । अगर बांध टूट गया है, तो उसको मजबूत बनाना है । ये सब काम स्टेट के महकमों ने करने हैं । उसकी मानिटरिंग करना एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का काम नहीं है । वह स्टेट गवर्नमेंट का काम है ।

श्री बी० डी० सिंह : सरकार यह एसेस करती है कि कितना नुकसान हुआ है और उसके लिए पैसा देती है । कभी-कभी उसको देख लेना चाहिए कि काम किस तरह हो रहा है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : ऐसे भी हालात पैदा हुए कि हमने चाहा कि हमारी टीम जाकर यूटिलाइजेशन को देखे । लेकिन कुछ स्टेट्स ने — मैं नाम नहीं लूंगा — प्लानिंग कमीशन और फिनांस

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

मिनिस्ट्री की टीम को रिसीव करने से इन्कार कर दिया। दो-दो तीन-तीन साल तक हम जाकर उनके एकाउन्ट्स को नहीं देख पाते हैं और यहां बात करते हैं कि हम सब चीज अपने हाथ में ले लें। जब कोई चीज करते हैं तो आपकी तरफ से ही यह एतराज सबसे पहले उठाया जाता है कि स्टेट के मामले में क्यों बेजा दखल दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो सारी चीजें आप सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं चाह सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को राज्यों में अपने विधायकों से पूछना चाहिये क्या केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि का पूरी तरह उपयोग कर लिया गया है। उसकी देख-रेख होनी चाहिए। जनता के व्यक्ति के नाते आपको उसकी निगरानी रखनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं और आप संतुष्ट हो जाते हैं कि इस पैसे को उचित ढंग से खर्च किया गया है तो आप और ज्यादा आवंटन के लिए कह सकते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं आशा करता हूं कि वे लोग आप से यह सुझाव लेंगे।

(व्यवधान)**

यह सलाह एवं आदेश दोनों ही हैं। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्यगण संतुष्ट हैं कि हम अपने साधनों द्वारा सभी भरसक प्रयास करते हैं। हम राज्य सरकारों से जिलेवार तथा खण्ड स्तर पर हुए नुकसानों का निर्धारण कर हमें बताने के लिए भी कहते हैं ताकि उस धन का बराबर आवंटन हो जोकि हम राज्य सरकारों को देते हैं और उसका पूरा उपयोग हो। परन्तु हमारे प्रयासों की सराहना करने की बजाय अगर आप हमेशा ही हमारे ऊपर दोष लगाते जायेंगे और राज्य सरकारों को बचाने की कोशिश करते हैं आप उनसे यह नहीं पूछते वे क्या कर रहे हैं, उन्हें क्या हो गया है। यह न्याय नहीं हैं और यह उचित नहीं है।

श्री बृजमोहन महन्ती (पुरी) : देश के कुछ भागों में बरसात के मौसम में अत्यधिक बाढ़ आना एक बहुत ही गम्भीर समस्या है। उड़ीसा भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर यह एक पुरानी समस्या है। पिछली एक शताब्दी या इससे अधिक से उड़ीसा के लोग इससे जूझ रहे हैं। जब गांधीजी वहां पर थे तो उड़ीसा में वह राहत कार्यों में भाग लिया करते थे क्योंकि वहां की स्थिति इतनी अधिक विकट है।

उड़ीसा में वार्षिक औसत वर्षा 47 इंच है। जबकि 30 जुलाई 1984 तक वहां 41 इंच वर्षा हो चुकी है। कालाहांडी जिले में 16 जून को कुल वर्षा 12 इंच थी। बालसोर के बलियपाले क्षेत्र में 4 जून तक 11 से 12इंच तक वर्षा हो चुकी थी। कालाहांडी जिले में हाथी एवं तेल नदियों ने जूनागढ़ प्रखण्ड तथा किसिंह प्रखण्ड का विनाश कर दिया है। विनाश इतना अधिक था कि 15,000 एकड़ भूमि की फसल नष्ट हो गई है, लगभग 50 से 100 ढोर बह गये हैं और लगभग 8000 एकड़ भूमि पर रेत बिछ गई है। सुवर्ण रेखा, बैतरणी तथा बुड्डाबालांग में बाढ़ की वजह

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

से सम्पूर्ण बालासोर प्रभावित हुआ है, 6 लाख लोगों को कठिनाई हो रही है। मैं नहीं जानता अगर उड़ीसा सरकार ने कोई ज्ञापन अथवा प्रतिवेदन केन्द्र को दिया है। मेरा अनुरोध है कि खाद्य मंत्रालय को यह कार्य उड़ीसा राज्य सरकार के साथ मिलकर करना चाहिए और नुकसान का अनुमान लगाने के लिये एक अध्ययन दल को भेजना चाहिए और राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देनी चाहिए।

महोदय, यह यहां पर बार-बार दुहराया गया है कि नुकसान का अंदाजा लगाने और केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का निर्धारण करने के लिए एक स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए। आजकल होता यह है कि ज्ञापन पहले दिया जाता है, उसके बाद उसकी जांच की जाती है, अध्ययन दल वहां पर जाता है और इस प्रकार प्रक्रिया पूरी होने में समय लगता है। अगर कोई स्थायी व्यवस्था होगी तो मेरे विचार से हमारी समस्याओं का यह अच्छा इलाज होगा और सहायता राशि को भी शीघ्र ही दी जा सकती है।

एक और बात मैं यह सुझाना चाहूंगा कि राहत के विषय में एक राष्ट्रीय दिशानिर्देश होना चाहिए। मैं नहीं कहता कि राज्यों को यहां बनाए गए दिशानिर्देश से बंधा रहना चाहिए, परन्तु मैं समझता हूं कि एक सूत्र होना चाहिए जिसके तहत राज्यों को कार्य-संचालन करना चाहिए। वर्तमान में जो राहत प्रदान की जाती है उदाहरणार्थ एक मकान को नुकसान पहुंचने पर वह बहुत ही अपर्याप्त होती है। मैं नहीं जानता अन्य राज्यों में क्या स्थिति है। परन्तु उड़ीसा में मूल्य स्तर की तुलना में यह पूर्णतयः अपर्याप्त है। इसलिए एक दिशानिर्देश होना चाहिए और एक प्रकार का स्थायी ढांचा इस उद्देश्य के लिए बनना चाहिए। इस सम्बन्ध में भारत सरकार को दूसरे राज्यों से परामर्श करना चाहिए और दिशानिर्देश बनाने चाहिए।

तीसरी बात जो मैं कहूंगा वह यह है कि जो राशि अथवा सहायता भारत सरकार की ओर से राज्य सरकारों को अग्रिम रूप में दी जाती हैं उसके खर्च पर कुछ नियन्त्रण होना चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक है और यह एक अनुदान है और भारत सरकार को देखना चाहिए कि पैसे को किस प्रकार से खर्च किया गया है, क्या इसे उचित ढंग से खर्च किया गया है और क्या इसे समानरूप से आबंटित किया गया है अथवा नहीं। अतः मैं जानना चाहूंगा क्या कृषि मन्त्री जी इस प्रश्न पर विचार करेंगे।

सच तो यह है कि राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार कतिपय क्षेत्रों पर एक-दूसरे के विपरीत कार्य कर रही हैं। यह न सिर्फ मेरी विचारधारा है परन्तु यह स्थिति का सही आंकलन भी है। आप जानते हैं कि बाढ़ नियंत्रण कार्य कुछ राज्यों द्वारा नहीं किए जा रहे हैं परन्तु उनकी मांगें अधिक हैं। स्वाभाविकतः उचित मांगे सामने नहीं आ रही हैं। मैं आपको बताऊंगा यह किस प्रकार हो रहा है। हिन्दू अखबार के सम्पादकीय से पता चलता है कि इस विषय में किस प्रकार का कार्य हो रहा है। यह सम्पादकीय 3 जून, 1984 का है। इसमें लिखा है:

"एक तरफ तो बाढ़ नियंत्रण के लिए आवंटन की राशि इतनी कम है कि देश में

सभी बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में उचित व्यवस्था करने के लिए 20 वर्ष लग जायेंगे। दूसरी ओर, केन्द्र सरकार का इस क्षेत्र में अन्तर्ग्रस्त होने की बात का, विरोध करने की राज्य सरकारों की प्रवृत्ति बन गई है। वे समझते हैं कि वे खोज, अध्ययन एवं परियोजना तैयार करने का काम करवा सकते हैं और केन्द्र को सिर्फ वित्तीय सहायता प्रदान करने के कार्य तक ही सीमित रहना चाहिए। इस बीच सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण की उचित देखभाल न होने से और योजना दर योजना से इन योजनाओं को आगे टालते रहने से तथा राज्यों द्वारा प्रत्येक पंचवर्षीय अवधि में उचित ढंग से निष्पादित कर सकने की क्षमता से अधिक परियोजनाओं का निष्पादन करने की कमजोरी से, बाढ़ की समस्या ऐसी ही बनी हुई है।"

इसलिए, मेरा कहना यह है कि शायद यह स्थिति का बहुत सही मूल्यांकन है और मैं जानना चाहूंगा कि क्या कृषि मंत्री इस समस्या को हल करने के लिए कृषि और सिंचाई मंत्रियों का सम्मेलन बुलाने की पहल करेंगे। यह जानने के लिए भी कि मौजूदा बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं तथा सिंचाई परियोजनाओं की देखरेख कैसे हो रही है, यह बहुत आवश्यक है।

एक दूसरा पहलू भी है। 1978 में यह अनुमान लगाया गया था कि शायद 2 करोड़ 50 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़-प्रवण क्षेत्र है। मैं नहीं जानता कि वर्तमान आंकड़े क्या हैं और मुझे यह भी नहीं पता कि कौन-सा मन्त्रालय इसे तैयार करता है। शायद कृषि मन्त्रालय इसे तैयार करता है। यदि ऐसा है, तो आंकड़े क्या हैं? वर्ष 1984 में कितनी भूमि सूखा-प्रवण है? यह देखने की बात है। मेरा कहना यह है कि ये ऐसे मामले हैं जिन्हें वह केन्द्रीय कृषि मंत्री की अध्यक्षता में राज्यों के कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में तथा केन्द्रीय सिंचाई मंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों के सिंचाई मन्त्रियों के सम्मेलन में सुलझा सकते हैं।

मैं कुछ और मामलों का भी उल्लेख करूंगा। मैं यहां 'नेशनल हेराल्ड' से निम्नलिखित उद्धरण दे रहा हूं :

"स्पष्टतया, राज्य केन्द्र सरकार से अधिकाधिक धन-राशि प्राप्त करने के लिए बाढ़ को एक बहाने के रूप में प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्षतः, वे सातवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित अपना 25 प्रतिशत भाग जुटा पाने में असमर्थ होते हैं और इसलिए वे अपनी मांगों को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करते हैं।"

यह भी ऐसा मामला है जिसे राष्ट्रीय सम्मेलन में सुलझाने की आवश्यकता है और इस समस्या को हल करने के लिए राष्ट्रीय सहयोग और राष्ट्रीय दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह एक गंभीर मामला है। वस्तुतः यद्यपि जहां तक जल का सम्बन्ध है, उसकी जिम्मेदारी सिंचाई मंत्रालय की है, तथापि उत्पादन बढ़ाने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व कृषि मंत्रालय का है।

एक अन्य पहलू कुछ सिंचाई परियोजनाओं के बारे में है। समस्या यह है कि अतिरिक्त पानी को सूखा-प्रवण क्षेत्रों तक कैसे पहुंचाया जाए। जल को सूखा-प्रवण क्षेत्रों की ओर ले जाने के

लिए गारलैंड केनाल तथा राष्ट्रीय जल ग्रिड जैसी कुछ परियोजनाएं हैं। अतएव, यह समस्या भी राष्ट्रीय सम्मेलन में सुलझाई जानी है। वास्तव में, ऐसे समाचार मिल रहे हैं कि कुछ राज्यों के असहयोग के कारण इन परियोजनाओं के कार्य में तेजी नहीं आ रही है। लेकिन यह एक बड़ी समस्या है और इसका पूर्ण हल होना चाहिए और इसे छिटपुट रूप से या आंशिक रूप से हल नहीं किया जा सकता। पश्चिम बंगाल में यह कहा गया था कि बाढ़ की विभीषिका का कारण राज्य सरकार की लापरवाही थी। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं यहां 2 जुलाई 1984 के 'फाइनैंशल एक्सप्रेस' की प्रेस रिपोर्ट का उद्धरण दूंगा :

"अतएव कम से कम एक कारण से बाढ़ की विभीषिका का दोष राज्य प्रशासन पर जा सकता है—विपदा से काफी पहले पर्याप्त प्रबन्ध किए जा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। वास्तविक स्थिति यह है कि दामोदर घाटी निगम (डी० वी० सी०) भी अतिरिक्त जल राज्य के अधिकारियों को यह चेतावनी देने के बाद छोड़ता है कि वह आगामी 24 या 36 घंटे में पानी छोड़ेगा। यह अभी रहस्या बना हुआ है कि वर्षा और दामोदर घाटी निगम द्वारा जल छोड़े जाने को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ऐसी बाढ़ों का सामना करने के लिए क्यों तैयारी नहीं करती।"

मेरा निवेदन यह है कि कृषि मंत्रालय को इस रहस्य पर कुछ प्रकाश डालना चाहिए। राज्य सरकार की क्या कठिनाइयां हैं ?

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें उत्तर देना है। उत्तर देना मंत्री का काम है।

श्री बृजमोहन महंती : मेरा कहना यह है कि कृषि मंत्रालय को इस पर प्रकाश डालना चाहिए और इसे सिंचाई मंत्रालय को एक नोट भेजना चाहिए और इसका पता लगाना चाहिए कि दामोदर घाटी निगम से अतिरिक्त जल किन परिस्थितियों में छोड़ा गया और इसकी पूर्व सूचना कब दी गई तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने क्या कदम उठाए और क्या ये कदम स्थिति का सामना करने के लिए पर्याप्त थे।

(व्यवधान)**

श्री बृज मोहन महंती : यह मैं नहीं कह रहा हूं। यह इस अखबार में है जिसे मैं पढ़ रहा हूं।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, वह ऐसा कह रहे हैं। मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे। यदि

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह संगत है तो वह इसका उत्तर देंगे, यह संगत नहीं है, तो वह इसका उत्तर नहीं देंगे। आप क्यों चिंता करते हैं ?

(व्यवधान)

श्री बृज मोहन महंती : माननीय मंत्री महोदय कृपया उत्तर दें।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उल्लेख किया है। अब इसका उत्तर देना मंत्री का काम है।

श्री बृज मोहन महंती : मेरा निवेदन यह है कि इसका सिंचाई मंत्रालय के माध्यम से पता लगाया जाए ताकि इस प्रकार की लापरवाही दोबारा न हो। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवधान कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किये जाएं।

(व्यवधान)**

श्री योगेन्द्र मकवाना : माननीय सदस्य ने कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं। हमने उन्हें नोट कर लिया है, विशेषकर सारे विषय की समग्रता पर विचार-विमर्श करने तथा नीति अपनाने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का सुझाव। उन्होंने जो एक अन्य सुझाव दिया है वह क्षति तथा अन्य बातों के अनुमान के लिए स्थायी व्यवस्था के बारे में है।

माननीय सदस्य ने कहा है कि उड़ीसा में जो क्षति हुई है, वह कहीं अधिक है। इस वर्ष लगभग तेरह राज्यों में यह क्षति हुई है। बाढ़ से लगभग तेरह राज्यों में जान और माल का नुकसान हुआ है। गत वर्ष उड़ीसा को भारत सरकार से राहत के रूप में सर्वाधिक राशि मिली थी। यह उनके बजट से भी कुछ अधिक है। राज्य सरकार को या सदस्य को राज्य को दी गई राहत के बारे में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए।

माननीय सदस्य ने केन्द्रीय दल की बात कही है। केन्द्रीय दल को भारत सरकार द्वारा दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं और तदनुसार वे न केवल एक राज्य में बल्कि सभी राज्यों में समान रूप से उन दिशानिर्देशों का अनुसरण कर रहे हैं। राज्यों को जो राहत दी जाती है, उसके लिए मानदंड भी नियत किए गए हैं।

जहां तक माननीय सदस्य के उन सुझावों का सम्बन्ध हैं जो सिंचाई मंत्रालय से सम्बन्धित हैं, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि मैं उन्हें सिंचाई मंत्रालय को भेज दूंगा और वे उन पर विचार करेंगे।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : डिप्टी स्पीकर साहब, मंत्री जी की तरफ से जो स्टेटमैंट आया है, उसको मैंने देखा है। आज शुरू में ही कालिंग एटेंशन की जो स्थिति इस सदन में हुई है, दो मंत्रालय के मंत्री यहां बैठे हुए हैं, फिर भी वे इस सदन को न कोई विश्वास दिला पा रहे हैं और न जवाब दे पा रहे हैं। यह स्थिति ऐसी है जैसे इन्द्र और इन्दिरा जी के बीच में आज इस मुल्क की जनता तबाह हो रही है, उसी तरह दोनों मंत्रालयों के बीच में···

श्री रामप्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। कृपया पृष्ठ 171 देखें—

"ऐसे वक्तव्यों पर उस समय वाद-विवाद नहीं होगा जब···"

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने स्वयं यह निर्णय पढ़ा है।

श्री राम प्यारे पनिका : आखिरकार हमें नियमों का पालन करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं व्यस्था के प्रश्न को स्वीकार करता हूं। श्री जगपाल सिंह कृपया नियमों का पालन करें।

श्री राम प्यारे पनिका : धन्यवाद।

श्री जगपाल सिंह : इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत सरकार को फ्लड्स कंट्रोल करने के लिए क्या अलग से एक महकमा नहीं बनाना चाहिए। यह स्थिति इस सदन में आई है कि न तो इरिगेशन मिनिस्टर जवाब दे पा रहे हैं और न एग्रीकल्चर मिनिस्टर। इसलिए मैं यह मांग करता हूं भारत सरकार से कि यह मामला कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है और हर साल लाखों, करोड़ों लोग इस बाढ़ से तबाह हो जाते हैं, कृषि हमारी तबाह हो जाती है और आप का जो राहत कार्य है, वह प्रदेशों को तब पहुंचता जब लोग तबाह हो जाते हैं और उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता। पूरे साल, सर्दी, गर्मी सरकार चुप बैठी रहती है और फ्लड्स को रोकने का काम न प्रदेश सरकार करती है और न आप की केन्द्रीय सरकार करती है और हमारी पंचवर्षीय योजना बनाने वाले लोग क्या करते हैं? जो पानी हमारे लिए वरदान होना चाहिए था, वह अभिशाप बनकर रह गया है। जिस पानी से हमारी खेती हरी-भरी होनी चाहिए थी, अनाज का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए था, वह अनाज का प्रोडक्शन बाढ़ की वजह से कम हो जाता है और पानी तबाही पैदा कर देता है इस मुल्क के अन्दर। उसी पानी की वजह से आप की खेती उजड़ जाती है और दूसरी तरफ सूखा पड़ जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि इस बाढ़ के मामले पर क्या कोई राष्ट्रीय योजना भारत सरकार के विचाराधीन है, जिसमें भारत सरकार पूर्ण जिम्मेवारी लेकर बाढ़ को रोकने का काम करे और पूरे देश की नदियों और मुहानों से जो पहाड़ से पानी निकर कर आता है, उस पानी को रोकने के लिए कोई योजना आप आपने हाथ में ले लेने के लिए तैयार हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ, तो वही स्थिति होगी जो आज इस सदन में हुई है कि न आप जवाब दे पा रहे हैं और न इर्रीगेशन मिनिस्टर जवाब दे पा रहे हैं। बहरहाल इसके जो कारण हैं, उन के बारे में भारत सरकार को सोचना चाहिए।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि एक योजना डा० दस्तूर की पूरे देश के अखबारों और मैगजीन में आई थी। डा० दस्तूर ने इस बाढ़ पर एक खोज की थी और उन्होंने कहा है कि इस देश के लिए यह पानी सबसे बड़ा अभिशाप है और उस पानी को कैसे कण्ट्रोल किया जाए। जम्मू व कश्मीर और पाकिस्तान के बार्डर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक और उत्तर भारत के हिमालय और शिवालिक श्रेणियों से जितनी नदियां निकलती हैं, उनके पानी को रोकने का जब तक आप कोई काम नहीं करेंगे और उस पानी को इकट्ठा करने का काम जब तक नहीं करेंगे तब तक यह बाढ़ नहीं रुक सकती है। जब तक आप इस तरह की कोई परियोजना नहीं बनाएंगे या डैम नहीं बनाएंगे, तब तक आप बाढ़ को नहीं रोक सकते हैं। राहत कार्य आप चाहे जितने कर लें, उनसे काम चलने वाला नहीं है क्योंकि बाढ़ से जानवर, इन्सान खेती, मैदान और खेत सब तबाह हो जाते हैं। यह सबसे अहम मामला है क्योंकि अगर हम पानी बरसात के दिनों में कंट्रोल कर लेते हैं, तो उस पानी से अनाज का प्रोडक्शन बढ़ सकता है, हमारी बिजली बढ़ सकती है, हमारे इनर्जी प्लान्ट्स को और ज्यादा बिजली मिल सकती है, हमारी इंडस्ट्रीज को बिजली मिल सकती है। यह पानी बरसात के दिनों में बरबाद चला जाता है और बंगाल की खाड़ी में जाकर लोगों को तबाह करता है। लोगों को तबाह करता हुआ यह पानी बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कि इस बरसात के पानी को रोकने के लिए कोई योजना भारत सरकार बना रही है? हिमालय और शिवालिक पहाड़ियों से जो नदियां निकलती हैं उनके मुहानों को बन्द करो और हिमालय के अन्दर आपको इस तरह की जगहें मिलेंगी, जहां पर थोड़ा-थोड़ा पैसा खर्च करके आप बरसात के पानी को रोक कर उस पानी को बंगाल की खाड़ी तक सही ढंग से ले जाने और रोकने का काम कर सकते हैं। आपके पास जो फालतू पानी बरसात का होगा, उस पानी को आप उन प्रदेशों को दे सकते हैं, जिन प्रदेशों में खेती सूख जाती है। बरसात के बाद वह इकट्ठा किया हुआ पानी उन प्रदेशों को दिया जा सकता है। उस पानी से आप बिजली भी पैदा कर सकते हैं और इस तरह से देश का विकास हो सकता है। आप का जो सातवीं पंचवर्षीय योजना का नीति प्रारूप है, उसको हमने देखा है और उसमें कोई योजना इस पानी को रोकने के लिए नहीं है और इसके लिए जो आप पैसा रखने जा रहे हैं, वह बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि आंसू पोंछने का काम आपने किया हो। पानी इस मुल्क की बैक-बोन है, इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है और अगर इस को आप ने बरसात के दिनों में कंट्रोल कर लिया, तो दुनिया के नक्शे पर हमारा मुल्क बहुत ऊपर आ जाएगा और फिर न हम खेती में पिछड़े हुए होंगे और न उद्योग धंधों में पिछड़े रहेंगे।

मैं आंकड़े नहीं दे रहा हूं लेकिन मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और मैं जानता हूं कि अकेले उत्तर प्रदेश में हर साल एक अरब रुपए की सम्पति बरसात से तबाह हो जाती है। इसके लिए मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता लेकिन इन योजनाओं के पीछे जो अमरीकन्स और इम्पीरियलिस्ट पावर्स का दखल है, उसके बारे में कहना चाहता हूं।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : समय का भी ध्यान रखिए। समय भी कोई कीमत रखता है।

श्री जगपाल सिंह : उसकी भी कीमत है लेकिन इससे ज्यादा कीमत मुल्क में क्या और किसी चीज की हो सकती है। जब आपकी, कांग्रेस पार्टी के सदस्य बोल रहे थे, तब आप ने एक बार भी नहीं कहा। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन मामलों पर आपके पास सोचने का समय नहीं है। इन मामलों पर यदि हम अपने कोई विचार या सुझाव हाउस के सामने रखते हैं तो वह आपको समय की बर्बादी दिखाई देता है। बाढ़ के मामले पर सोचने-विचारने का आपके पास समय नहीं है, पानी का उपयोग करने का आपके पास समय नहीं है। इनके महत्व को आप समझते नहीं हैं। आप तो बस इस मुल्क को तबाह करने पर लगे हुए हैं। आप मुल्क को तबाह कर रहे हैं, करिए। आज इसके कारण देश के किसान तबाह हैं, वे लोग तबाह हैं जो रोज-ब-रोज अपने खाने-पीने के लिए कमाई करते हैं। वे अपनी रोजी-रोटी काटकर हर साल अपनी झोंपड़ी खड़ी करते हैं और हर साल बाढ़ में वे बह जाती हैं। वे अपने यहां मिट्टी के बर्तन रखते हैं, वे बाढ़ में बह जाते हैं। ये लोग जानते हैं कि बाढ़ से बर्बादी क्या होती है।

अब मैं दो सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। क्या भारत सरकार बाढ़ नियन्त्रण के लिए कोई अलग से मन्त्रालय बनाने पर विचार कररही है। आज के ध्यानाकर्षण प्रस्तान से जो स्थिति यहां पैदा हुई कि बाढ़ नियन्त्रण के ऊपर प्रश्नों के उत्तर ही ठीक से नहीं आए उससे बाढ़ नियन्त्रण पर अलग से मंत्रालय बनना आवश्यक प्रतीत होता है। वह मंत्रालय बाढ़ नियन्त्रण के काम को देखे। इसे आप प्रदेशों पर न छोड़ें, प्रदेश सरकारें इरीगेशन का काम करें। क्या आप इस मंत्रालय को बनाने पर विचार करेंगे ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि शिवालिक और हिमालय की पहाड़ियों से जो नदियां निकलती हैं क्या आप उनको मुहानों पर रोक कर बंगाल की खाड़ी में जाया जा रहे पानी को रोकने का प्रयास करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, हमने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव 12 बजकर 20 मिनट पर आरम्भ किया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सदस्य अधिक समय ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में सभी दल के नेताओं द्वारा इस पर विचार किया जाता है तथा कुछ निर्णय लिया जाना है। हम पहले ही 1 घंटा और 40 मिनट ले चुके हैं। हम नहीं जानते यह कब समाप्त होगा। अत: अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में सभी दलों के नेताओं को इस पर विचार करना है। अध्यक्षपीठ के नाते मेरा यही सुझाव है। मैं सभी दलों के नेताओं को केवल यह सुझाव दे रहा हूं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : यह सुझाव अगले लोक सभा के लिए है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप पर निर्भर है। कम से कम अगली लोक सभा को निर्णय करने दीजिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मेरे मानीय सहयोगी माननीय सदस्यों को पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इन 30 वर्षों के दौरान, पहली पंचवर्षीय योजना से पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक बाढ़ नियन्त्रण उपायों के लिए केवल 976 करोड़ रुपए आबंटित किए गए जबकि छठी पंचवर्षीय योजना में बाढ़ नियन्त्रण उपायों के लिए 1045 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

बाढ़ नियन्त्रण के लिए कई उपाय किए गए हैं। भारत सरकार ने 1966 में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग नियुक्त किया। उन्होंने एक प्रतिवेदन भी दिया तथा अंर्तमन्त्रालयीय समिति ने उस प्रतिवेदन की जांच की। मंत्रालय द्वारा दिए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त और सुझाव सभी राज्य सरकारों को भेज दिए गए हैं। अब राज्य सरकारें बाढ़ नियन्त्रण के लिए सुझावों को कार्यान्वित करेंगी।

माननीय सदस्य विशेष रूप से पृथक बाढ़ मंत्रालय के सम्बन्ध में जानने के उत्सुक थे। इस समय, इस पर सिंचाई मंत्रालय द्वारा विचार किया जाता है। मैं नहीं समझता कि इस प्रयोजन के लिए पृथक मंत्रालय बनाने की कोई आवश्यकता है क्योंकि सिंचाई मंत्रालय सिंचाई के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण पर भी विचार कर सकता है।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, वह यह नहीं कह सकते कि क्या मंत्रालय की आवश्यकता है या नहीं। मामला प्रधान मंत्री के पास भेजा जाए और वह निर्णय करेंगीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय अपना मत व्यक्त कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने अपना उत्तर भारत सरकार की ओर से दिया है और न कि निजी हैसियत से। अत: मैंने यहां जो कुछ भी कहा वह मेरा मत नहीं है बल्कि यह भारत सरकार का मत है।

श्री जगपाल सिंह : इर्रीगेशन मंत्रालय के बारे में जो प्रश्न किया गया है उसका जवाब देने में आप असमर्थ हैं। लेकिन उनकी तरफ से यह गारंटी ले रहे हैं कि वह मन्त्रालय दोनों का बहुत अच्छी तरह देख रहा है। यह आप कैसे कह सकते हैं?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैंने कहा है कि दोनों काम देखने के लिए मंत्रालय है और आपने जो कालिंग अटेंशन रिलीफ मेजर के लिए दिया है उसका जवाब हम दे रहे हैं। अगर वह फ्लड कंट्रोल के लिए होता तो इर्रीगेशन मिनिस्टर जवाब देते। आपने कालिंग अटेंशन को जिस तरह से फ्रेम किया है, उसमें वे आते ही नहीं हैं। आपके जो सुझाव हैं, उनको नोट किया गया है।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियमों के अन्तर्गत ही अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। अपोजीशन पार्टी की ओर से पाइंट रेज किया गया है। वास्तव में जब फ्लड पर चर्चा हो रही हो तो एग्रीकल्चर और इर्रीगेशन मिनिस्टरों को उपस्थित होना चाहिए।

उनको जवाब भी देना चाहिए। तभी सही जवाब आ सकता है।

मैं यह जानना चाहता हूं कि चेतावनी न देने के कारण बाढ़ का जो प्रकोप बढ़ जाता है, इसके बारे में आप क्या करने जा रहे हैं। राजस्थान में लूनी नदी में बाढ़ आई तो चेतावनी के अभाव में बहुत नुकसान हुआ। बहुत से मवेशी मर गए।

1.57 म० प०

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

बहुत से मवेशी मारे गए। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि आपने चेतावनी देने के बारे में क्या व्यवस्थाएं की हैं। इनसैट वन बी के जरिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं ? आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं जिससे लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकें और इतना नुकसान न हो।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि बताया गया है कि फारेस्ट्री के लिए स्ट्रांग स्टेप्स उठाने जा रहे हैं और 1455 करोड़ रुपया रखा गया है तो इस बारे में अभी तक आपने क्या किया है। जितनी भी बाढ़ है वह हिमालयन और सदर्न हिमालयन एरियाज में जो वनों को नष्ट किया गया है, उसकी वजह से आ रही हैं। इस बारे में आपने फारेस्ट्री के लिए पिछले तीन चार वर्षों में क्या कदम उठाए हैं।

तीसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि बाढ़ की वजह से जब अकाल की स्थिति पैदा होती है तो उस पर जल्दी एक्शन लेने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं। यह आपने व्यवस्था कर दी है एडवांस में मदद देने की, यह अच्छी बात है। लेकिन आपकी जो स्टडी टीम जाती है और वह अपनी रिपोर्ट देती है, उसकी रिपोर्ट पर कार्यवाही करने में दो-तीन महीने लगा दिए जाते हैं। मेरा कहना है कि 15 दिन के अन्दर उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। प्लानिंग डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट की हाई पावर कमेटी को 15 दिन के अंन्दर निर्णय ले लेना चाहिए।

2.00 म० प०

यह कार्य युद्ध स्तर पर करना चाहिए क्योंकि बाढ़ और सूखे का मुकाबला करना है। इन आफिशियल्स को पूरी तरह से समय देकर 15 दिन के अन्दर इसके बारे में निर्णय ले लें और स्वीकृति भेज दें जिससे समय पर रिलिफ पहुंच जाए। मैमोरेन्डम प्रस्तुत होने पर दस दिन के अन्दर स्टडी टीम मौके पर चली जानी चाहिए। स्टडी टीम जिलाधीश महोदय और दूसरे अधिकारियों से तो मिलती हैं लेकिन एम० पीज० और एम०एल०एज० या जो जनता के दूसरे प्रतिनिधि हैं, उनसे नहीं मिलती है। इसलिए, राज्य सरकारों को यह निर्देश दिए जाने चाहिए कि वह एम० पीज और एम०एल०एज को भी मिलेगी और उनसे जानकारी प्राप्त करेगी। अधिकारियों के विचार तो बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक तरीके के होते हैं। वह सही नहीं होते हैं जिसकी वजह से सही मदद नहीं मिल पाती है। फ्लड में मरने पर 1500 रुपए की मदद दी जाती है। उसके नार्म्स को चेंज करने की आवश्यकता है। कम्पलीट मकान नष्ट हो जाता है तो 500 रुपए की मदद मिलती है और पार्शियली नष्ट हो जाए तो 200 रुपए से ज्यादा मदद नहीं मिलती है। ये नार्म्स बीस साल पुराने हैं, इनमें परिवर्तन करना चाहिए। पिछले दस-पन्द्रह सालों में पांच गुनी मंहगाई बढ़ गई है। इसलिए जो मदद दी जाती है, उससे लोगों को संतोष नहीं होता है। वे कहते हैं कि आप क्या मदद दे रहे हैं ? मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिसका मकान नष्ट हो जाए उसके लिए सीमा करीब चार हजार

रुपए तक बढ़ा दी जानी चाहिए और जिसका पार्शियली नष्ट हो उसके लिए पांच सौ रुपए की व्यवस्था करनी चाहिए। रेलवे एक्सीडेंट होता है तो एक लाख रुपए की मदद दी जाती है। मैं चाहता हूं कि इस मामले में दस हजार रुपए की व्यवस्था होनी चाहिए। पशुओं के मरने और नुकसान होने पर बिल्कुल भी मदद नहीं दी जाती जबकि हजारों रुपए के पशु मर जाते हैं। बहुत से लोगों की रोजी तो सिर्फ पशुओं पर ही निर्भर होती है इसलिए इस ओर भी आपको ध्यान देना चाहिए। खेत के बारे में आप एक एकड़ के लिए कहीं पर तीन सौ रुपए और कहीं पर चार सौ रुपए देते हैं। खेत तो इतना बरबाद हो जाता है कि उसको ठीक करने के लिए जो राशि आप देते हैं, अगर दस गुना भी खर्च करें तो भी व्यवस्था ठीक नहीं हो पाती। खेत के लासेज का अगर मालूम कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे इसकी जानकारी प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। किसान को यह महसूस होना चाहिए कि उसकी जमीन का जो कटाव हो गया है, उसकी वास्तव में सही रूप से मदद की जा रही है।

इन शब्दों के साथ, मैंने जो सुझाव आपके सामने रखे हैं, मैं समझता हूं वे आपके मंत्रालय से सीधे सम्बन्धित हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से सम्बद्ध हैं तथा मैंने कोई भी इस प्रकार का सुझाव नहीं दिया है जो इर्रीगेशन या किसी और विभाग से सम्बन्धित हो क्योंकि आप उनका उत्तर देने की स्थिति में नहीं होंगे, मैं इन प्रश्नों के सम्बन्ध में आपसे जानकारी चाहता हूं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सभापति जी, माननीय सदस्य ने बड़े स्पेसिफिक प्रश्न पूछे हैं और मैं भी उनका उत्तर स्पेसिफिक ढंग से देना चाहता हूं। सबसे पहले वार्निंग के बारे में पूछा गया। जितने हमारे यहां इन्टर-स्टेट रिवर्स हैं, जो दो राज्यों में से होकर बहते हैं, उनको वार्निंग का काम गवर्नमेंट आफ इण्डिया करती है। छठी पंच-वर्षीय योजना में इसको मजबूत करने के लिए तथा मौडर्नाइज करने के लिए काफी पैसा दिया गया है और हम उसे कर रहे हैं। जहां तक किसी एक राज्य से होकर बहने वाली नदियों का सम्बन्ध है, वहां स्टेट गवर्नमेंट में खुद एक डिपार्टमेंट होता है जो वार्निंग देने का काम करता है। मैं यहां माननीय सदस्य से सहमत हूं कि वार्निंग देने का कार्य पहले से होना चाहिए ताकि नुकसान से बचा जा सके। इसीलिए गवर्नमेंट आफ इण्डिया ने वार्निंग के नैटवर्क को बढ़ाया है, उसको मौडर्नाइज किया है।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने फारेस्ट के सम्बन्ध में कही, उसके लिए कितनी धनराशि दी गई है। यह कालिंग अटेंशन फ्लड के बारे में था और इसीलिए फारेस्ट के लिए कितनी राशि दी गई उसकी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि फौरैस्टस को बढ़ाने के लिए काफी योजनाएं बनाई गई हैं तथा सोश्यल फौरैस्ट्री के लिए भी काफी धनराशि दी गई है। फौरैस्टस न कहें, इसके लिए फौरैस्टस कन्जर्वेशन एक्ट भी बनाया गया है तथा एक नई फौरैस्ट पौलिसी भी बनाई जा रही है। उसमें इसी मुख्य बात को ध्यान में रखा गया है कि हमारे फौरैस्टस बढ़ें, घटें नहीं।

इसके बाद माननीय सदस्य ने कहा कि जो टीम जाती है, वह वहां के एम० पीज० और एम० एल० एज० से नहीं मिलती है तथा जिला अधिकारियों से मिलकर वापस आ जाती है। लेकिन हम

तो स्टेट गवर्नमेंट को लिख देते हैं और कहते हैं कि उस क्षेत्र के विधान सभा सदस्य तथा संसद सदस्य दोनों को सूचना दे दी जाए। यह बात ठीक है कि मैम्बर आफ पार्लियामेंट के साथ-साथ वहां के असैम्बली मैम्बर को भी इन्फार्मेशन दी जानी चाहिए। लेकिन वह काम स्टेट गवर्नमेंट को करना चाहिए। हम उसको कहते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को वहां के सम्बन्धित विधान सभा सदस्य को सूचित कर देना चाहिए।

यहां एक बात यह कही गई कि दस दिन में टीम भेजी जानी चाहिए और पन्द्रह दिनों में उसका निर्णय करके स्वीकृति दी जानी चाहिए। लेकिन हमारे पास जैसे ही मैमोरैण्डम आता है, उसके बाद जल्दी से जल्दी हम टीम को भेजते हैं और जैसे ही टीम वापस आती है, जल्दी से जल्दी हम मीटिंग बुलाकर पैसा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी जहां दिक्कत होती है, उसके पीछे दो ही कारण होते हैं। जहां तक मार्जिन मनी का प्रश्न है, हर स्टेट के पास मार्जिन मनी होती है। जब टीम वहां जाकर अपनी डैमेज रिपोर्ट सम्बन्धी मैमोरैण्डम हमें भिजवाती है तो टीम के वहां जाने, असैस करने और हमारे पैसा देने के बीच के समय में हर स्टेट मार्जिन मनी का उपयोग कर सकती है, मार्जिन मनी से रिलीफ ले सकती है। जब मार्जिन मनी खत्म हो जाता है तो हम वेज एण्ड मीन्स एडवांस देते हैं। दोनों चीजें देने से मैं समझता हूं स्टेट गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

तीसरी बात कही गई कि हमें नौर्म्स को बदलना चाहिए। खास कर जब किसी इन्सान की डैथ हो जाती है, उसके खेत, पशु आदि को नुकसान हो जाता है तो—गवर्नमेंट आफ इण्डिया की तरफ से कोई कम्पैनसेशन नहीं दिया जाता, हम तो सिर्फ रिलीफ देते हैं और रिलीफ के नार्म्स सातवें वित्त आयोग के द्वारा फिक्स किए गए थे। रिलीफ हम उसके मुताबिक देते हैं। अब आठवें वित्त आयोग की रिपोर्ट आ गई है और वह सरकार देख रही है। तो जो नौर्म्स बनेंगे वह आठवें फाइनेंस कमीशन की सिफारिश के मुताबिक बनेंगे। और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने और दूसरे लोगों ने आठवें वित्त आयोग के सामने ये बातें रखी होंगी। तो उसकी सिफारिशों के मुताबिक नए नौर्म्स बनेंगे और उसके मुताबिक रिलीफ दी जायेगी।

सभा का कार्य

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह सूचित करता हूं कि 5 अगस्त, 1984 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

(1) आज की कार्यसूची से बकाया किसी सरकारी मद पर विचार।

(2) निम्नलिखित अध्यादेशों का निरनुमोदन चाहने वाले संकल्पों पर चर्चा तथा उनका प्रतिस्थापना करने वाले विधेयकों पर विचार तथा पारित करना :—

(क) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 1984

(ख) राष्ट्रीय सुरक्षा (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1984

(ग) आंतकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अध्यादेश, 1984

(3) वित्त आयोग के आठवें प्रतिवेदन और उस पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन पर आगे चर्चा।

(4) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार तथा पारित करना:—

(क) भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक विधेयक, 1984

(ख) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप में भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद विधेयक, 1984

(ग) भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1984

(घ) राज्य सभा द्वारा पारित किए रूप में प्रत्यायोजित विधान उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1984

(ङ) राज्य सभा द्वारा पारित किए गए रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक, 1984

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, बम्बई-भिवंडी दंगों पर चर्चा के बारे में क्या हुआ। इस पर सहमति दी गई थी। वास्तव में, हमें बताया गया था कि इस पर चर्चा मंगलवार को होगी और हमने अपना कार्यक्रम तदनुसार बनाया है।

सभापति महोदय : वह अध्यक्ष महोदय के विचाराधीन है।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : सभापति महोदय, आखिर सरकार को जिम्मेवारी से काम करना चाहिए। क्या मजाक बना रखा है ? जब फैसला हो चुका है कि मंगल को भिवंडी राइट्स पर बहस होगी फिर कागजी गंलती को इनको दुरुस्त करके यहां बताना चाहिए।

सभापति महोदय : इसका निर्णय अध्यक्ष महोदय करेंगे।

(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन : सभापति महोदय, में कार्य मंत्रणा समिति में इस बात पर सहमति दी गई थी कि इस पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की जाएगी। समय तथा तारीख का निर्णय अध्यक्ष महोदय को करना है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : श्री एच० के० एल० भगत द्वारा प्रस्तुत संशोधन स्वीकार कर लिया गया था। प्रस्ताव इस संशोधन के अध्याधीन स्वीकृत हुआ कि प्रतिवेदन के पैरा 3 पर पुन: विचार करने के लिए इसे समिति को वापस भेज दिया जाए।

श्री मनी राम बागड़ी : इसका तरीका ही बिगाड़ रहे हैं। इसको शुद्ध करेंगे कि नहीं ?

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उस दिन मैंने यह प्रश्न उठाया था दोनों अलग-अलग कर दिया जाए। लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि डिस्क्शन को पोस्टपोन कर दिया जाए। इसका मतलव कतई यह नहीं था कि डिस्क्शन को पोस्टपोन कर दिया जाए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : इसकी अलग-अलग व्याख्या हो सकती है। (**व्यवधान**)

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : आप इसकी व्याख्या भिन्न तरीके से कैसे कर सकते हैं ? (**व्यवधान**)

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) :**.....कोई पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है ? पार्लियामेंट को मजाक बना लिया है, यहां कौन जिम्मेदार है ?

श्री जी० एम० बनातवाला : यह कहा गया था कि देश के कुछ भागों में हुए सांप्रदायिक दंगों पर चर्चा की जाएगी। उन्हें बताने दीजिए कि यह चर्चा कब होगी।

श्री मल्लिकार्जुन : सभापति महोदय, सरकार भी भिवंडी तथा अन्य स्थानों पर हुए साम्प्रदायिक दंगों के बारे में चर्चा करने की उतनी ही उत्सुक है जितने कि विपक्षी सदस्य। उसके लिए कार्य मंत्रणा समिति में यह निर्णय किया गया कि इस पर नियम 193 के अधीन चर्चा की जायेगी। लेकिन समय और तारीख का निर्णय अध्यक्ष महोदय को करना है।

श्री मनो राम बागड़ी : जब दिन रख लिया गया था, फैसला हो गया था, लेकिन आप कार्यवाही को नियमानुसार नहीं चला रहे हैं क्योंकि कोई जिम्मेदार आदमी नहीं है।

सभापति महोदय : हमें उन बातों को मिलाना नहीं चाहिए।**

श्री जी० एम० बनातवाला : हम वैसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन सरकार वैसा कर रही है। हैदराबाद में अभी भी सांम्प्रदायिक दंगे हो रहे हैं। जब ऐसी बातें अभी तक हो रही हैं, तो सरकार को इस ज्वलंत मामले पर चर्चा क्यों नहीं करनी चाहिए।

सभापति महोदय : आपको मेरा ध्यान रखना चाहिए और मुझे थोड़ा सहयोग देना चाहिए। अब प्रश्न यह है। आप अपनी व्याख्या कर सकते हैं। मैं उस बारे में नहीं कह रहा हूं। लेकिन अध्यक्षपीठ ने इस मामले पर जो निर्णय लिया है उसका सम्मान किया जना चाहिए और मंत्री महोदय द्वारा उसका स्पष्टीकरण दिया गया है। अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मुद्दे को और मत खींचिए।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री मनी राम बागड़ी : यह सदन है ? लोग समझेंगे कि यह मजाक हो रहा है। इससे तो बनिए कि दुकान ही अच्छी जो वहां कामदे से काम चलता है ।

सभापति महोदय : मैं निर्णय बदलने की स्थिति में नहीं हूं । क्या आप समझते हैं कि मैं तत्काल निर्णय बदल सकता हूं । मैं इतना कर सकता हूं कि मैं इसे नोट कर सकता हूं ।

श्री जी० एम० बनातवाला : कृपया माननीय अध्यक्ष महोदय को कह दीजिए कि हम साँप्रदायिक दंगों पर मंगलवार को चर्चा करना चाहते हैं । हमने सत्र के पहले दिन ही स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और हमें बताया गया था कि चर्चा शीघ्र ही कराई जाएगी (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं पहले लिए का चुके निर्णय को बदलने नहीं जा रहा हूं ।

श्री जी० एम० बनातवाला : लेकिन कृपया उन्हें हमारा यह विचार बता दीजिए कि हम यथाशीघ्र चर्चा करना चाहते हैं ।

सभापति महोदय : मैंने इसे नोट कर लिया है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : कृपया मात्र 'नोट' ही मत कीजिए अपितु अध्यक्ष महोदय को हमारे विचार बता दीजिए ताकि मंगलवार को चर्चा की जा सके जैसा कि निर्णय लिया गया था ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यह हम सब का अनुरोध है । वास्तव में निर्णय यह लिया गया था कि चर्चा मंगलवार को होगी ।

श्री के० एस० नारायण (हैदराबाद) : भिवंडी में हुए दंगों के साथ-साथ हैदराबाद में हुए दंगों पर भी चर्चा होनी चाहिए ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति महोदय, मैं बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी का मेम्बर हूं । मैं उस मीटिंग में मौजूद था । उसमें तय हुआ था कि साम्प्रदायिक दंगों पर मंगलवार को बहस होगी । यह कमेटी का डिसीजन था ।

सभापति महोदय : मैंने पहले भी कह दिया है कि ये फीलिंग्ज स्पीकर साहब के पास पहुंचा दी जाएंगी ।

(**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : सदन कुछ नियमों और आपसी समझ के आधार पर चलता है । इस बारे में स्पष्ट समझौता और निर्णय लिया गया था, बैठक में यह निर्णय लिया गया था और अध्यक्ष ने उस पर सहमति प्रकट की थी । यदि अगले सप्ताह की कार्यसूची में उस विषय पर चर्चा के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है तो यह विश्वास भंग करना है और सभापति के नाते आपको उन्हें निदेश देना चाहिए कि अध्यक्ष महोदय की उपस्थिति में बैठक में लिए गए

निर्णय का वे आदर करें ताकि हम अगले मंगलवार को इस पर चर्चा कर सकें जैसा कि बैठक में निर्णय लिया गया था जिसमें अध्यक्ष महोदय भी उपस्थित थे ।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, आपको याद होगा कि मैंने इस बारे में डिविजन करवाया था । मैंने संशोधन रखा था कि कम्युनल रायट्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज पर डिसकशन्ज पर साथ-साथ न हो, उनको क्लब न किया जाए, बल्कि एक डिसकशन मंगलवार को लिया जाए और दूसरा बाद में लिया जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दोनों डिसकशन्ज में से एक डिसकशन भी न हो । निर्णय इस बात का हो गया था कि कम्युनल रायट्स और शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज पर बहस होगी । आज सुबह स्पीकर साहब ने यही बात कही । अगले मंगलवार को कम्युनल रायट्स पर डिसकशन निश्चित था । अगर वह नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि सरकार इस डिसकशन से भागना चाहती है । इसका कारण यह है कि वह दूसरी राज्य सरकारों को तो डिसमिस कर सकती है, लेकिन महाराष्ट्र की सरकार को नहीं । आप कम्युनल रायट्स पर मंगलवार को डिसकशन करवाएं और शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्ज पर अलग से करवाएं, जो कि तय हो चुका है ।...(**व्यवधान**)

श्री मल्लिकार्जुन : विश्वास भंग नहीं किया गया है । यह सच नहीं है कि सरकार भिवंडी या किसी अन्य स्थान पर हुए सांप्रदायिक दंगों पर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं है । लेकिन हमें कुछ नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करना है । कार्य मंत्रणा समिति की बैठक 31 तारीख को हुई और इसने कुछ सिफारिशें कीं, पैरा 3 समिति को वापस भेज दिया गया था । इसका कारण यह था कि माननीय सदस्य श्री पासवान उस तरीके से चर्चा कराना चाहते थे जैसा कि उन्होंने अभी कहा । तत्पश्चात् संसदीय कार्य मंत्री द्वारा संशोधन प्रस्तुत किया गया कि यह कार्य मंत्रणा समिति को वापस भेजा जाए । हम बिलकुल तैयार हैं, अर्थात् सरकार भिवंडी तथा अन्य स्थानों पर हुए सांप्रदायिक दंगों तथा हरिजनों पर हुए अत्याचारों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार है । इन सब बातों पर चर्चा की जाएगी, केवल समय के प्रश्न पर निर्णय करना होगा । जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि यदि इसका निर्णय हो गया तो हम चर्चा मंगलवार को करेंगे । सरकार को उस पर कोई आपत्ति नहीं है ।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : यही बात पहले बोलनी चाहिए थी ।

श्री राम विलास पासवान : यही बात पहले क्यों नहीं बोले मल्लिकार्जुन जी ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अच्छा हो आप अध्यक्ष महोदय से परामर्श कर लें । पांच मिनट के लिए सदन की बैठक स्थगित कर दें तथा इस बारे में निर्णय कर लें । जब वे पहले से ही तैयार हैं, तो मामला बीच में ही क्यों अटका हुआ है ?

सभापति महोदय : निर्णय करना मेरा काम है । मैं अध्यक्ष महोदय के कमरे में एकदम नहीं घुस जाऊंगा । मैं इसे नहीं मानता हूं । मैं आपकी सलाह नहीं ले रहा हूं ।

श्री रामावतार शास्त्री : यह कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय है।

सभापति महोदय : शास्त्री जी, हो गई बात।

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या हो गया ? जरा समझाइए क्या हो गया ?

सभापति महोदय : बैठक सोमवार को होने जा रही है। यह निर्णय लिया गया है।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : मैं चाहती हूं कि अगले सप्ताह की कार्य सूची में निम्नलिखित मदें जोड़ी जाएं :—

सत्तारूढ़ दल के नेताओं द्वारा दिए गए वक्तव्यों के अनुसार संसद का चालू सत्र चुनाव से पूर्व होने वाला अन्तिम सत्र होने का अनुमान है।

यद्यपि दहेज प्रतिषेध अधिनियम पुरःस्थापित किया जा चुका है, इसे अभी तक पारित नहीं किया गया है। पारिवारिक न्यायालय बनाए बिना तथा विवाह में भेंट किए गए उपहारों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने का प्रावधान बनाए बिना, अधिनियम प्रभावी नहीं होगा।

अतः मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि व्यापक दहेज प्रतिषेध अधिनियम, संशोधन विधेयक जिसमें विवाह का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने तथा पारिवारिक न्यायालय का प्रावधान शामिल है, अगले सप्ताह तक पारित कर दें।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं चाहता हूं कि अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित मामला भी शामिल कर लिया जाय।

सभा को शायद यह बात मालूम होगी कि वर्ष 1956 में रेल भाड़े की दरें बढ़ाकर भारत सरकार ने लोहे और इस्पात की वस्तुओं के लिए मूल्य समान करने की नीति लागू की थी।

इस नीति का कुल मिलाकर परिणाम यह निकला कि पूर्वी क्षेत्र में उद्योगों का स्थानीय लाभ निष्प्रभावी रहा। यह ध्यान देने योग्य बात है कि रुई, तिलहन, नमक और रसायन जैसे अन्य आवश्यक कच्चे माल के सम्बन्ध में पूर्वी क्षेत्र के उद्योगों को कोई महत्त्वपूर्ण लाभ नहीं प्रदान किया गया जिनकी सप्लाई के लिए इस क्षेत्र को दूरवर्ती क्षेत्र पर अत्यधिक निर्भर रहना पड़ता है।

अनेक सरकारी समितियां/ग्रुपों अर्थात् (क) योजना आयोग द्वारा गठित अन्तर्मन्त्रालयीय ग्रुप (1975), (ख) राष्ट्रीय परिवहन नीति के बारे में बी० डी० पाण्डे समिति (1978), (ग) केन्द्रीय वाणिज्य मंत्रालय अध्ययन दल (1979) ने यह सिफारिश की कि सिद्धांत रूप से इस नीति को धीरे-धीरे समाप्त किया जाए।

भूतपूर्व योजना मन्त्री श्री एस० बी० चह्वाण ने अपने 7 जुलाई, 1984 के पत्र में संसद सदस्यों को सूचित किया था कि सरकार ने सीमेंट और इस्पात जैसी वस्तुओं के सम्बन्ध में मौजूदा भाड़े के बराबर करने को धीरे-धीरे समाप्त करने की समिति की सिफारिशों को सिद्धांत रूप से मान लिया है किन्तु दूरवर्ती, अगम्य और निर्जन क्षेत्रों के लिए परिवहन की अर्थिक सहायता दी जाएगी ।

किन्तु सभी को यह सूचित करते हुए मुझे खेद है कि योजना मन्त्री द्वारा सूचित नीति निर्णय को कार्यरूप देने के लिए सरकार ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। इसके विपरीत प्रेस रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि सरकार मौजूदा नीति को चालू रखेगी।

इस मामले के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए सरकार को चाहिए कि उन सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए तत्काल उपयुक्त कदम उठाए और सभा में एक वक्तव्य दे।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : सभापति महोदय, कृपया दिनांक 6-8-84 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के लिए सदन की सरकारी कार्यसूची में निम्नलिखित विषय सम्मिलित किए जाएं :—

1. आकाशवाणी, इलाहाबाद में वहां के अधिकारियों की आपसी कलह तथा आए दिन हो रही चोरियों के कारण घोर अव्यवस्था का वातावतरण व्याप्त है। लगभग दो वर्ष पूर्व "कंसोल टेप रिकार्डरों" में लगी ग्यारह मोटरें चोरी हो गई थीं, जिसकी रिपोर्ट स्थानीय थाने में दर्ज कराई गई थी। यह मोटरें बाहर से आयात की गई थीं। इसी प्रकार गत अर्द्ध कुम्भ मेले के समय क्रय किए गए तमाम सामान गायब हैं। इन तमाम आरोपों की विभागीय जांच भी कराई गई थी। जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है। परन्तु उस पर कार्यवाही नहीं की गई।

अतएव जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। आकाशवाणी, इलाहाबाद को वर्तमान अधिकारियों से मुक्त कराकर वहां स्वस्थ वातावरण स्थापित किया जाए। इन सभी पहलुओं पर सदन में चर्चा हो और सुधार के उपाय निकाले जाएं।

2. भारतीय खाद्य निगम, इलाहाबाद के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हजारों क्विंटल गेहूं वहां के नैनी एवं सूबेदारगंज रेलवे स्टेशनों पर सड़ कर बरबाद हो गया। उक्त स्टेशनों पर हफ्तों खुले में गेहूं पड़ा रहा और वर्षा से भीग कर सड़ता रहा। जहां पर देश खाद्य समस्या का सामना कर रहा है, खाद्य निगम के अधिकारियों की इस प्रकार की लापरवाही अक्षम्य है। यह भी विदित हुआ है कि उक्त स्टेशनों पर वैगनों से गेहूं न उतार सकने के कारण निगम को हजारों रुपए नुकसान देना पड़ा है। इन आरोपों की जांच कराई जाए।

इन समस्त पहलुओं पर विचार होना चाहिए तथा भारतीय खाद्य निगम के अधिकारियों की लापरवाही से हो रहे नुकसान को दूर करने के उपाय निकाले जाने चाहिएं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) : मेरा निवेदन है कि अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित मदें शामिल कर ली जाएं :—

1. बांकुरा और पुरुलिया के सूखा प्रवण जिलों के औद्योगिक विकास के लिए और उपरोक्त पिछड़े जिलों में रोजगार की सम्भावना बढ़ाने के लिए मेजिया से होकर रानीगंज से बांकुरा तक रेलवे लाइन बिछाना।

2. पश्चिम बंगाल को बिजली की अत्यधिक कमी की समस्या पर काबू पाने के लिए बांकुरा जिले के 'लोटावानी गांव' में मेजिया थाना के कोयला-क्षेत्र में तापीय बिजलीघर का निर्माण।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : सभापति महोदय, आने वाले आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में नीचे दिए गए प्रश्नों को जोड़ा जाए तथा चर्चा की जाए :—

(1) देश में शिक्षा के प्रति लोगों में अविश्वास फैलता जा रहा है। क्योंकि न तो बच्चों को दाखला मिलता है, शिक्षा महंगी है और किताबें बाजार में मिलती नहीं हैं। अतः सरकार, बंधा दाखला, महंगी शिक्षा और किताबों को विद्यार्थी खरीद सकें, ऐसी व्यवस्था के लिए चर्चा करवाएं।

(2) भारत में गरीबी रेखा से नीचे के लोग भुखमरी से मरते हैं परन्तु मौत का कारण कागजात में भुखमरी नहीं बल्कि बीमारी होती है। भुखमरी का विश्लेषण सरकार सिर्फ मरणबद्ध को लेती है। कम खाए, बिन खाए और अच्छा भोजन न लेने से जो रोगी बनकर मरता है, वह सब भुखमरी है। इस पर भी चर्चा कराई जाए।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : मेरा अनुरोध है कि अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाय :—

1. खालिस्तान आन्दोलन के समर्थकों, जे० के० एल० एफ० के सदस्यों और कुछ पश्चिमी देशों में अन्य आंतकवादियों और उग्रवादियों की गतिविधियों पर पूर्णकालिक वाद-विवाद किया जाना चाहिए। श्री जगजीत सिंह चौहान द्वारा बी० बी० सी० के माध्यम से दी गई धमकी, पश्चिमी जर्मन सरकार द्वारा तलविंदर सिंह को रिहा किया जाना और साल ही में न्यूयार्क के मदीसन गार्डेन्स में हुआ यथा कथित "सिख सम्मेलन" जैसी घटनाओं के संदर्भ में ऐसा करना आवश्यक हो गया है।

2. परमाणु ऊर्जा की वृद्धि किए जाने के कार्यक्रम के बारे में पाकिस्तान द्वारा दी गई धमकी, जिसके बारे में अमरीका के सीनेटर अलेन क्रांस्टोन ने यह भेद प्रकट किया कि पाकिस्तान परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है, के सम्बन्ध में भी पूरी बहस होनी चाहिए। सीनेटर क्रांस्टोन ने अमरीका की सीनेट को एक व्यापक प्रलेख प्रस्तुत किया है और इस प्रलेख से इस बात का व्यापक प्रमाण मिलता है कि पाकिस्तान चीन की सहायता से तथा हालैण्ड और कुछ अन्य देशों

से अपेक्षित प्रौद्योगिक तथा सामग्री गुप्त रूप से आयात करके परमाणु बम तैयार कर रहा है।

श्री सुधीर गिरि (कन्टई) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अगले सप्ताह की कार्य-सूची में यह शामिल किया जाए :—

1. प्रत्येक आवश्यक उपभोग्ग वस्तु के मूल्य बहुत बढ़ गए हैं जिसके कारण जन-साधारण विशेषकर गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले व्यक्तियों को बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम करने के बारे में दिया गया सरकार का आश्वासन झूठा पड़ गया है। मूल्य वृद्धि की समस्या के बारे में सभा में पूरी बहस करने की आवश्यकता है।

2. समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर गरीब और पिछड़े लोगों पर अत्यचार बढ़ रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि भूमि की समस्या अभी तक नहीं सुलझाई गई है। देश भर में बिना विलम्ब किए पूर्णरूपेण भूमि सुधार किया जाना चाहिए। यदि तत्काल कदम उठाया गया तो भारत की अर्थ-व्यवस्था में आगे चलकर परिवर्तन हो सकता है। इसलिए भूमि सुधार की समस्या, जो समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर किए जाने वाले घृणास्पद अत्याचार का कारण है, के बारे में सभा में विचार-विमर्श किया जाना चाहिए।

श्री अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, अगले सप्ताह की कार्यसूची में सम्मिलित करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री को निम्न सुझाव देने की अनुमति चाहता हूं।

औद्योगिक एवं नगर पालिका एवं नगर निगमों के कचरे के कारण नगरों के निकट से गुजरने वाली नदियां प्रदूषित हो जाती हैं। पर्यावरण की रक्षा के लिए ऐसे कचरे को नदी में डालने से पहले उपचार आवश्यक है। सभी विकास प्राधिकारियों को इसका स्पष्ट निर्देश होना चाहिए तथा नगर पालिकाओं, नगर निगमों एवं औद्योगिक विकास खण्डों को चरणबद्ध रूप से उपचार संयत्र लगाने की अनिर्वायता होनी चाहिए। सभी उद्योगों में एक निश्चित अवधि तक उपचार संयत्र लगाने के लिए नियम का कड़ाई से पालन हो।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : सभापति महोदय, आगामी सप्ताह में निम्न विषयों पर चर्चा होनी चाहिए।

मण्डल आयोग की सिफारिशें सरकार को सन् 1980 के अन्त में लगातार प्राप्त हो चुकी हैं। अनेक बार संसद में तथा देश में यह लगातार मांग की जा रही है कि सिफारिशों को तुरन्त लागू किया जाए। परन्तु सरकार बराबर टाल-मटोल का तरीका अपना रही है सरकार का यह निर्णय कि पिछड़े वर्ग की जातियों की सूची पर जनमत जानने के लिए जनमत संग्रह किया जाएगा, एक आश्चर्य चकित करने वाला निर्णय है। पिछड़े वर्गों की सूची का निर्धारण मण्डल आयोग ने स्वयं किया है और देश के प्रत्येक राज्य में और केन्द्र पर पिछड़े वर्ग की सूची उपलब्ध है। ऐसी दशा में जनमत जानने की बात केवल टाल-मटोल की दिखाई देती है। मण्डल आयोग ने महुआ

(धीवर, मल्लाह केवट, निषाद, बिन्द, कहार, कोली, माझी आदि और बंजारा, गरड़िया आदि और पथेरा कुम्हार आदि जातियों को अति पिछड़ा स्वीकार किया है और सरकार स्वयं इन्हें अति पिछड़ा मानती है। इन जातियों को जनजाति अथवा अनुसूचित जाति के समान सुविधा देने की सिफारिश की गई है। मण्डल आयोग की सिफारिश तुरन्त लागू की जाए।

3. बरेली से आंवला होकर चन्दौसी और अलीगढ़ को जोड़ने वाले रेल आवागमन में जनता की सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा गया है। बरेली-अलीगढ़ के बीच कोई भी एक्सप्रैस मेलगाड़ी नहीं चलती---यात्री गाड़ियां भी विलम्ब से चलती हैं। रेल यात्रियों की समस्या का समाधान करने के लिए यह आवश्यक है कि दिन में और रात में बरेली और अलीगढ़ के मध्य दो एक्सप्रेस मेल गाड़ियां चलाई जाएं और बरेली से आंवला-चन्दौसी और मुरादाबाद होकर प्रातः और शाम एक मेल-ट्रेन चलाई जाए। मेरठ से लखनऊ, जाने वाली नई मेल ट्रेन मुरादाबाद से चन्दौसी आंवला बरेली होकर चलाई जाए।

श्री राम विलास पासवान : **...

सभापति महोदय : केवल अनुमोदित किए गए विषय ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किए जायेंगे। मैं आपका कथन स्वीकार नहीं करता।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : विगत में निर्णय दिया गया है।

सभापति महोदय : व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। आपको यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इसे बाद में लिया जाएगा।

श्री राम विलास पासवान : लेकिन आप बहुत विद्वान हैं...

सभापति महोदय : सामान्य चर्चा में मुझे मत घसीटिए।

श्री राम विलास पासवान : मैं तो यह कह रहा हूं कि मैंने लिखित दिया था, उसको क्यों रिजेक्ट किया गया ?

सभापति महोदय : आपका पहला प्रश्न बिहार में लोक सेवा आयोग में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में है।

श्री राम विलास पासवान : आप केवल एक लाईन पढ़ रहे हैं।

सभापति महोदय : मैं इसे कैसे ले सकता हूं ?

श्री राम विलास पासवान : मेरा दूसरा मुद्दा भी उसमें है। आप केवल इतना ही कहेंगे कि केवल उन्हीं प्रश्नों पर, जो स्वीकार किए जा चुके हैं, अनुमति दी जाएगी।

---

* 'कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यदि यह लोक सेवा आयोग, बिहार है और चूंकि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित है, अतः उसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से भी है ।

सभापति महोदय : इस चर्चा के लिए उस मुद्दे को सम्मिलित नहीं किया गया है ।

श्री राम विलास पासवान : **...

सभापति महोदय : कृपया थोड़ा सहयोग दीजिए ।

श्री राम विलास पासवान : मैं सहयोग कर रहा हूं ।

सभापति महोदय : अतः जो रूप और आकार तैयार किया गया है, वह वहां है । कृपया उसे स्वीकार कीजिए ।

श्री राम विलास पासवान : आप पीठासीन हैं। आप विद्वान् व्यक्ति हैं । मैं आपका निर्णय चाहता हूं ।

सभापति महोदय : निर्णय तो लिया जा चुका है ।

श्री राम विलास पासवान : जी नहीं, कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह सच है कि वह विद्वान हैं ।

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में (श्री माल्लिकार्जुन) : यह राज्य का विषय है, बिहार राज्य के बारे में । उसकी चर्चा नहीं की जा सकती है । वह सभा का समय बर्बाद कर रहे हैं ।

सभापति महोदय : मैंने बड़ी सावधानीपूर्वक आपकी बात सुनी है। मैंने आपका मुद्दा देखा है । कृपया करके मेरी बात सुनिए । जिस पहले विषय का आप उल्लेख कर रहे हैं, उसे स्वीकार नहीं किया गया है । अब अगले मुद्दे पर चर्चा की जाए ।

श्री राम विलास पासवान : किस कारण से इसे स्वीकार नहीं किया गया है ?

सभापति महोदय : मैं आपको कारण कैसे बता सकता हूं ? इसका निर्णय माननीय अध्यक्ष ने किया है । वह निर्णय अध्यक्ष महोदय ने किया है ।

श्री राम विलास पासवान : जब अध्यक्ष महोदय पीठासीन होंगे तब मैं इसे उठाऊंगा ।

सभापति महोदय : जी हां, मुझे यह स्वीकार्य है ।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : आप अपने दल के लोगों से पूछ लें ।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया ।

श्री राम विलास पासवान : आप कार्य मंत्रणा समिति में हैं। आप ही मुझे क्यों नहीं बता सकते हैं।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मैं मद संख्या 10 के अन्तर्गत वाले सप्ताह के लिए निम्नलिखित विषयों पर बहस चाहता हूं—

सातवीं पांच वर्षीय योजना के प्रारूप में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़े वर्गों के सदस्यों को मिल रहे आरक्षण को आर्थिक आधार पर लागू करने का सुझाव दिया गया है। यह न सिर्फ अनुसूचित जाति, जनजाति तथा कमजोर वर्गों के हित के विपरीत है बल्कि संविधान के विरुद्ध है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति देश की कुल आबादी का एक-चौथाई है। लेकिन शिक्षण संस्थाओं तथा सरकारी नौकरियों में उनकी संख्या अभी भी नगण्य है। अभी भी देश में जातिगत आधार पर छूआछूत मौजूद है। उन पर अत्याचार घटने के बजाय बढ़ रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने लोक सभा और विधान सभाओं में आरक्षण के लिए प्रति दस वर्षों के बाद अवधि बढ़ाने के लिए संसद की अनुमति का प्रावधान रखा था लेकिन सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की अवधि की कोई सीमा नहीं रखी थी। संविधान के अनुसार आरक्षण का आधार सामाजिक तथा शैक्षणिक होगा। संविधान ने कहीं भी आर्थिक आधार की बात नहीं कही है।

अतः सरकार का यह सुझाव संविधान विरोधी है। सरकार इसे तत्काल वापस ले और सदन में इस पर चर्चा कराई जाए।

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्यों ने आगामी सप्ताह के दौरान चर्चा हेतु कुछ मामले उठाए हैं। मेरे विचार से ऐसा करना सम्भव नहीं है, क्योंकि नियम 289 के अधीन मैं कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर पहले ही रख चुका हूं और चाहे कोई भी मामला क्यों न हो, कार्य मंत्रणा समिति की अनुमति के बिना उस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। ये बातें कार्य मंत्रणा समिति के समक्ष समिति से सम्बद्ध अपने सदस्यों के माध्यम से रखी जानी चाहिए।

गांधी शान्ति प्रतिष्ठान तथा अन्य संगठनों के संबंध में कुदाल जांच आयोग द्वारा जांच पूरी किए जाने और प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने का समय बढ़ाए जाने के बारे में वक्तव्य

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : सभा द्वारा 28 अगस्त, 1981 को एक संकल्प पास किए जाने के परिणामस्वरूप 17 फरवरी, 1982 को अधिसूचना द्वारा श्री न्यायमूर्ति पी० डी० कुदाल की अध्यक्षता में एक जाँच आयोग बिठाया गया था। 3 मार्च, 1982

को अधिसूचना की प्रतियां सभा-पटल पर रखी गईं थीं। आयोग को अपनी जांच 31 जुलाई, 1982 को या उससे पहले पूरी करके अपना प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करना था।

आयोग के अनुरोध पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के समय दो बार बढ़ाया गया एक बार 31 जुलाई, 1983 तक और उसके बाद 31 जुलाई, 1984 तक। जांच आयोग के अध्यक्ष ने सरकार से अनुरोध किया था कि प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में एक वर्ष और बढ़ा दी जाए। सरकार ने इस प्रतिवेदन पर विचार किया था और गांधी शान्ति प्रतिष्ठान और अन्य संगठनों पर कुदाल जांच आयोग की अवधि को तदनुसार 31 जुलाई, 1985 तक बढ़ाया जा रहा है।

2.48 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैंने नियम 193 के अधीन एक सूचना भेजी थी। मैं इस पर चर्चा करवाना चाहता हूं। मेरा इस बात पर विवाद है कि जो संगठन और व्यक्ति स्व० श्री जयप्रकाश नारायण से सम्बद्ध हैं, सरकार उन्हें कुदाल आयोग के शिकंजे में घसीटने का प्रयास कर रही है। वे दो बार समय बढ़ा चुके हैं और आगे फिर बढ़ाना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय द्वारा दिया गया यह स्वत: वक्तव्य है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने नियम 193 के अधीन नोटिस दिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस पर चर्चा करा रही है। वे स्व० श्री जयप्रकाश नारायण से सम्बद्ध सभी संगठनों को नष्ट करना चाहते हैं। हम यह सहन करने वाले नहीं हैं। वे देश में गांधीवादी दर्शन की भावना को समाप्त कर रहे हैं। हम यह जानना चाहेंगे कि क्या सरकार इस पर चर्चा कराएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में सोमवार को विचार किया जाएगा।

प्रो० मधु दण्डवते : आपका क्या आश्वासन है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विचारार्थ रखा जाएगा। अब विधायी कार्य होगा। श्री हरिनाथ मिश्र।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब पीठ कोई निर्णय देती हैं तो मैं यह नहीं चाहता कि माननीय सदस्य उसको माने ही, परन्तु कम से कम उन्हें उत्तर तो सुनना चाहिए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : हम आपके प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। कृपया हमारी इस भावना को उन तक पहुंचा दें कि कार्य मंत्रणा समिति को इस पर विचार करना चाहिए।

2.50 म०प०

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1982

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : हां तो प्रो० अजित मेहता आप विधेयक को वापस लेने के सम्बन्ध में विरोध प्रकट करना चाहते हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में भू-अर्जन कानून के बारे में पहले भी चर्चा हुई है। मन्त्री महोदय, विधेयक लेकर के सदन में आए तो मैंने यह सोचा था कि जो खामियां हैं और भू-अर्जन से जो घाटा होता है, उसकी क्षति-पूर्ति का प्रावधान किया जाएगा। लेकिन बिल को देखने से मुझे बड़ी निराशा हुई। बिल में प्रावधान है कि नोटिस देने के बाद दो वर्ष के अन्दर ही निपटारा हो जाएगा। लेकिन दो वर्ष भी निपटारा होने में लग सकते हैं। नोटिस आज दिया जाए और जमीन का अधिग्रहण दो वर्ष के बाद हो तो दो वर्ष के बाद की कीमत ही किसान को मिलनी चाहिए।

श्री राम प्यारे पनिका : हम आपकी इस बात का समर्थन करते हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : विधेयक में 1984 के पहले जो नोटिस दिया जा चुका है, उसको भी आप दो साल का समय देने जा रहे हैं। जिनको आज नोटिस दिया जा रहा है, उनको भी दो साल और 1984 से पहले जो नोटिस दिया हुआ है, उनको भी दो साल का समय आप दे रहे हैं? नोटिस देने के बाद जो बाजार भाव होगा, उस पर ही भुगतान होना चाहिए। भूमि अधिग्रहण का नोटिस मिलने के बाद अगर किसान कोर्ट में जाता है और हो सकता है कि उसके पक्ष में फैसला हो जाए, लेकिन बिल में यह प्रावधान है कि कोर्ट में जब तक मामला रहेगा तो उस अवधि का ब्याज उसको नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं, यह किसान के साथ अन्याय है। आप जानते हैं कि दिल्ली में किसी जमाने में जमीन का नोटिस दिया गया था।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मेहता, यह विधेयक वापिस लिया जा रहा है, क्या आप इसको वापिस लेने का विरोध कर रहे हैं?

प्रो० अजित कुमार मेहता : महोदय, इसी विषय पर दूसरे विधेयक का पुरःस्थापन भी हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विधेयक वापिस लिया जा रहा है। मन्त्री महोदय को इसे वापिस लेने दो। फिर हम दूसरा विधेयक पुरःस्थापित करेंगे।

श्री अजित कुमार मेहता : महोदय, ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने विधेयक को वापिस लेने का विरोध करने की सूचना दी है। आपने यह लिखित में दिया है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैंने इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करने की अनुमति मांगी है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने इसकी सूचना दी है? यदि आपने दी है तो अब मत बोलिए। आप अगले विधेयक के पुरःस्थापन के समय बोल सकते हैं।

अब प्रश्न यह है :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक को वापिस लेने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री हरिनाथ मिश्र : मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

2.56 म०प०

भूमि अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1984

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिनाथ मिश्र) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समय यहां जो भूमि अर्जन अधिनियम आया है, वह वास्तव में लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट न होकर किसानों और गरीब लोगों की भूमि हड़पने वाला कानून है और संविधान की स्पिरिट और रूह के खिलाफ है, पब्लिक पौलिसी और पब्लिक इन्टरैस्ट के खिलाफ है तथा न्यायसंगत भी नहीं है। जो गरीबों की

जमीन ली जाती है, उसके लिए अलग से कानून बने हुए हैं, लेकिन उनकी जमीन की मूल कीमत भी नहीं मिल पाती। उनका रोजगार छीन लिया जाता है, उनका धन्धा छीन लिया जाता है, लेकिन इसमें उनको कोई रोजगार देने की गारन्टी नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिन लोगों की जमीन ली जाएं, इसमें उनके लिए रोजगार एक्सचेंज की व्यवस्था होनी चाहिए। एक तरफ किसी भू-स्वामी की यदि जमीन ली जाए तो उसको मुआवजे के साथ-साथ रोजगार भी मिलना चाहिए। मुआवजा भी मौजूदा कीमत पर मिलना चाहिए। इसके साथ ही उसकी फैमिली के फ्यूचर पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका कितना डैमेज हो सकता है, उसका असैसमैंट होकर उचित कम्पैन्सेशन का प्रावधान होना चाहिए। जिस तरह से बाजार में मूल्य निर्धारण होता है, आपस में बैठकर खरीद-फरोख्त के सम्बन्ध में निश्चय किया जाता है, वैसी ही व्यवस्था इसमें होनी चाहिए। अन्यथा जैसा मैंने कहा यह लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट न होकर किसानों की जमीन हड़पने वाला कानून है जो संविधान की स्पिरिट के बिलकुल खिलाफ है।

श्री दिगम्बर सिंह (मथुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि कम से कम चार वर्ष के प्रयत्न के बाद वे यहां लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट में अमैंडमैंट करने वाला विधेयक लेकर आए हैं। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस बिल को पेश करते हुए···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप विधेयक का स्वागत कर रहे हैं तो बोलने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप विरोध कर रहे हैं तो तभी बोल सकते हैं।

श्री दिगम्बर सिंह : लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब इस बिल को पहले पेश किया गया था तो यह विभाग राव वीरेन्द्र सिंह जी के पास था, लेकिन इस बिल को पेश करते ही उनका विभाग उनसे चला गया। इसी तरह आज भी जब माननीय मंत्री जी ने यहां इस बिल को पेश किया है तो आज सुबह के अखबार में ही हमने पढ़ा कि यह डिपार्टमैंट भी इनसे चला गया। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है।

लेकिन मैं माननीय मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि इस बिल में वह बातें हमारे पार्लियामेंट में मैम्बर्स ने दस्तखत करके प्रधानमन्त्री जी से कही थी, इस बिल में वह बात भी नहीं है जो विरोधी दल के नेता चौधरी चरण सिंह जी ने प्रधान मन्त्री जी को लिख करके दी थी, इस बिल में वह बात भी नहीं है जो हमारे स्पीकर साहब ने किसान संघ की मीटिंग में प्रस्ताव पास कराते हुए कही थी, हमारी किसान पार्टी ने जो प्रस्ताव पास किया था, इसमें वह भी नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी प्रधानमन्त्री ने···(**व्यवधान**)

3.00 म०प०

हमारी प्रधानमन्त्री ने 16-2-81 को किसान रैली में जो बात कही थी वह भी इसमें नहीं है। उन्होंने कहा था कि जो जमीन सरकार लेगी उसका तुरन्त मुआवजा दिया जाएगा। इस बारे में नीति में परिवर्तन किया जाएगा। अब किसानों को पूर्ण कीमतों से मुआवजा दिया जाएगा। उनकी जमीन

का अनुपात मुआवजा दिया जाएगा। इस अनुपात में मुआवजे के भुगतान के दिन जमीन का मूल्य होगा। कोई भी संस्था किसानों की जमीन सस्ती कीमत पर खरीदने का लाभ न उठा सकेगी।"

इस बिल में यह है कि लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट की धारा 4 में जो नोटिफिकेशन होता है मुआवजा उस समय का दिया जाएगा। उस समय का नहीं दिया जाएगा जब भूमि पर कब्जा होता है, जो कि बहुत वर्ष पुराने समय का हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : दिगम्बर सिंह जी, आप अगली बार अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

3.01 म०प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

78वां प्रतिवेदन

श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन (करूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 1 अगस्त, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 78वें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 1 अगस्त, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 78वें प्रतिवेदन से सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित संकल्प—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री रामलाल राही द्वारा 27 अप्रैल, 1984 को पेश किए गए निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा करेगी :—

"इस सभा की राय है कि सरकार अपने प्रशासनिक तन्त्र की भारी कमियों के कारण, ग्रामीण क्षेत्रों के योजनाबद्ध विकास के द्वारा कम आय वाले लोगों की दशा को सुधारने में असफल रही है और इसलिए सरकार से सिफारिश करती है कि वह शैक्षिक और नैतिक मूल्यों पर बल देते हुए और प्रशासनिक व्यवस्था को सुधार कर परिणामोन्मुखी

नीतियां अपनाएं, जिससे कि जनसाधारण की उन्नति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों का समेकित विकास सुनिश्चित किया जा सके।"

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : मान्यवर, मेरा रिजोल्यूशन जो है वह 27 अप्रैल को सदन में पेश किया गया था और उसके बाद ही मैं एक शब्द कह पाया था उसके बाद समय समाप्त हो गया था, इसलिए आगे चर्चा नहीं हो पाई थी। मैंने कहा था कि मैं गांव का निवासी रहा हूं। शहरी सीमा में प्रवेश करने के बाद मेरा ग्रामीण जीवन से अभी भी लगाव है और उसकी जो समस्याएं हैं, गांवों के रहने वालों की जो समस्याएं हैं, जिस उपेक्षा और अभाव के जीवन में गांव के लोग रह रहे हैं, कैसे अंधियारे में गांव बस रहे हैं उनसे मैं भली-भाँति परिचित हूं।

और मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा कि लगभग 36 साल देश को आजाद हुए हो गए, 37वां साल चल रहा है और छठी पंचवर्षीय योजना समाप्त होने पर है, सातवीं योजना का भी प्रारूप मोटे तौर पर हम लोगों को दिखा दिया गया है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि गांव के रहने वालों की हालत बावजूद छठी योजना बीत जाने के, बावजूद इसके कि गांव के नाम पर ग्रामवासियों के नाम पर, उनके विकास के नाम पर, गांव के गरीब लोगों के अल्प जोतकार या खेतिहर मजदूर लोगों की प्रगति के नाम पर न मालूम कितना धन खर्च किया गया लेकिन निरन्तर गरीबी, बेरोजगारी, बेकारी और भुखमरी बढ़ती गई है। मैं योजनाओं के कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूंगा, जिनसे आप देखेंगे कि क्या हालत हो रही है ?

मैं सम्बन्धित मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वह इन पर जरा ध्यान दें। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 53 लाख बेरोजगार थे, दूसरी योजना के अन्त में यह संख्या 71 लाख हो गई और तृतीय योजना के अन्त में तो यह बढ़कर दुगुनी संख्या लगभग 126 लाख हो गई।

अब मैं 1980 के बाद के आंकड़े बताता हूं जिनसे पता लगेगा कि बेरोजगारी बढ़ने का क्रम किस प्रकार रहा है। 1980 में 162 लाख बेरोजगार थे, 1981 में 178 लाख हो गए, 1982-83 में 197 लाख 53 हजार हो गए और 1983-84 में 219 लाख के लगभग यह संख्या पहुंच गई है।

यह आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी मिटाने के नाम पर धन तो खर्च किया गया, लेकिन उसका दुरुपयोग हुआ, उसका लाभ गरीब लोगों को नहीं मिला बल्कि बड़े लोगों को मिला है।

मन्त्री महोदय को देखना चाहिए कि गांव की आवश्यकताएं क्या हैं, गांव का रहन-सहन कैसा है। गांव के 37 साल की प्रगति के आंकड़ों के बावजूद जो वहां अभाव की स्थिति है, उसको देखते हुए क्या आपने इस बात का अध्ययन करने का प्रयास किया कि आखिर इतना धन इन योजनाओं में लगाने के बावजूद गांव आज उपेक्षित से क्यों लग रहे हैं, लोगों में निराशा क्यों है, बेरोजगारी क्यों बढ़ी है ? आपको इस दिशा में अध्ययन करना चाहिए था।

मैं ऐसा मानकर चलता हूं कि इस देश के लोगों की मेहनत का पैसा जो सरकार के खजाने में आता है, उसे खर्च करने का हिसाब-किताब, बही-खाता तो सरकार की कुर्सी पर बैठने वालों ने बना दिया, लेकिन उसके परिणाम क्या निकले, इस पर कहीं नजर नहीं डाली गई। मेरा साफ कहना है कि अगर एक बार भी कहीं नजर डाली गई होती तो शायद आज जो आंकड़े मैंने पढ़कर सुनाए हैं, यह आपको सुनने को न मिलते। पहली पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों में बेरोजगारी में बढ़ोत्तरी के बजाय गिरावट आनी चाहिए थी।

आप कह सकते हैं कि देश की जनसंख्या बढ़ती गई है इस कारण बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है। इसी सप्ताह एक प्रश्न के जवाब में, संभवत: योजना मंत्री का जवाब था, वह मेरे पास इस समय है नहीं, मैंने कार्यवाही पढ़ी थी, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या जनसंख्या बढ़ने के कारण बेरोजगारी बढ़ी है तो उन्होंने इससे इन्कार किया और कहा कि ऐसा नहीं है। अब सरकार यह तर्क नहीं दे सकती कि जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ-साथ बेरोजगारी भी बढ़ रही है, क्योंकि कैबिनेट के एक मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में इस बात से इन्कार किया है।

37 सालों की आजादी के दौरान सरकार ने गांवों के लोगों की मूल आवश्यकताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया है। मंत्री महोदय भली-भांति जानते हैं कि गांव और शहर की परिभाषा क्या है। शहर की यह है कि वहां पर 25 प्रतिशत से अधिक लोग खेती पर परिभाषा आश्रित न हों औरगांव की परिभाषा यह है कि वहां पर 75 फीसदी से अधिक केवल खेती पर अपना जीवन-यापन करते हों।

हमारे देश में तो 80 फीसदी लोग कृषि पर जीवन बिता रहे हैं। केवल 20 फीसदी लोग दूसरे रोजगार और धंधों में लगे हैं और उनका शहरी जीवन है। हो सकता है कि हमारे पक्ष और उस में बैठने वाले कुछ ऐसे भी लोग हों, जिनका दोहरा जीवन है : एक शहरी जीवन और दूसरा देहाती जीवन। जब हम लोग शहरी जीवन की चकाचौंध में पड़ जाते हैं, तो हम गांवों के लोगों की अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को भूल जाते हैं, उनके जीवन में सुधार लाने की जरूरत से विमुख हो जाते हैं। हमने यह बात देखी है और इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 37 सालों की आजादी में सरकार का यह फेल्युर रहा है कि गांव उपेक्षित रहे हैं। आज सरकार को उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

यह सही है कि गांवों के विकास के लिए सरकार ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। गांव से लेकर जिले तक एक बड़ी लम्बी प्रशासनिक मशीनरी बनी हुई है। जिला अधिकारी के नीचे तहसील अधिकारी, उसके नीचे विकास-खंड, उसके नीचे पंचायत अफसर और न्याय पंचायत और उसके बाद गाँव सभा। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने जिस गांव सभा को प्राथमिक इकाई बनाया है, क्या उसने यह देखने का प्रयास किया है कि क्या गांव सभा वास्तव में गांव के विकास और उन्नयन और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सक्षम है, क्या सरकार ने उसको पर्याप्त साधन और अधिकार दिए हैं, ताकि वह गांव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके।

मेरा कहना है कि इस सरकार को लोकतंत्र दो ही जगह दिखाई पड़ा : एक तो लोकतंत्र की

सुप्रीम इकाई, यह लोक सभा और प्रदेशों में विधान सभाएं। लोक सभा और विधान सभाएं बनी रहें, लोक सभा और विधान सभा में लोग चुन कर आ जाएं, लोक सभा और विधान के लोगों को सुख-सुविधाएं मिलें, भले ही नीचे की इकाई मजबूत रहे या न रहे, इसी में सरकार को दुनिया का सबसे अच्छा और निखरा हुआ लोकतंत्र दिखाई पड़ता है। मैं लोहियावादी नहीं रहा हूं। मैं सोशलिस्ट में भी नहीं रहा हूं। चाहे सोशलिस्ट पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो या कोई भी नेता हो, अगर उसकी नीति और नीयत सही है तो उसको स्वीकार करना चाहिए।

मुझे तो डा० लोहिया की सब बातों में से, उस सम्मानित व्यक्ति की सब बातों में से एक ही बात पसंद आई। जिसमें उन्होंने चौखंबा राज्य की कल्पना की थी। इस देश में कैसी राज्य व्यवस्था होनी चाहिए। केन्द्र कैसा हो, देश की राजधानी कैसी हो, देश की सर्वोच्च इकाई लोकसभा कैसी हो, विधानसभा कैसी हो, उसके अधिकार क्या हों, इन सबको बताया था। जिला परिषद कैसी हो, उसके क्या अधिकार हों। फिर उससे नीचे उतर कर सबसे प्राथमिक इकाई जिसे गांव सभा कहते हैं, उसे क्या अधिकार हों। इन सबकी व्याख्या उसने की थी। उसने बताया था कि इस तरह की शासन व्यवस्था होनी चाहिए। जब प्राथमिक इकाई मजबूत होगी तभी लोकतंत्र दिखाई पड़ेगा। जब हम उसे साधिकार बनाएंगे तभी गांव के आम आदमी के जीवन को सुधारने में सफल हो सकेंगे।

मैं साफ कहना चाहता हूं कि हमारे देश में सत्ता में बैठने वाले लोगों की नीयत साफ नहीं है। अगर उनकी नीयत साफ नहीं है। होती तो जहां गांव सभा बनाई थी यदि उसको वे साधिकार बनाते। ग्राम प्रधान को, गांव के छोटे कर्मचारी, जिसे कहते हैं लेखपाल, पंचायत सेक्रेटरी, ग्राम सेवक, जिसे कहते हैं बी० एल० डब्ल्यू०, हैल्थ वर्कर, अमीन, कृषि अमीन, पतरौल, उसके बाद पुलिस का सिपाही, दरोगा, ब्लाक के अधिकारी, बी० डी० ओ० और जिले के अधिकारी, इन सबका बस्ता उठाने वाला वह शख्स न रहता।

सम्मानित सेठी जी बैठे हैं। अब दूसरा विभाग इनके सुपुर्द किया गया है। ये अच्छी तरह से जानते हैं कि गांव प्रधान की क्या हैसियत रही है। गांव परिषद के क्या अधिकार हैं। गांव परिषद को आपने मजबूत नहीं किया। गांव कैसे मजबूत होगा। आपने जो योजनाएं बनाई हैं, जिनके नाम पर आप हर महीने इतने कागज खराब करते हैं, उसमें झूठे आंकड़े आप लिखते हैं। ये सरकारी किताबें हैं, कभी-कभी सच भी बतलाती हैं। आमतौर पर हमने देखा है कि झूठे आंकड़े आपकी तरफ से दिए जाते रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि गांव के लोग बहुती दुखी हैं। जहां एक तरफ शहरों में देखते हैं कि रात में भी दिन दिखाई देता है, चमचमाती रोशनी में वहीं गांवों की यह हालत है कि वहां हमें दिन में भी अंधकार दिखाई देता है। इस अंधियारे को अभी हम बदल नहीं पाए हैं। मेरी आपसे अपेक्षा है कि इसमें आप सुधार लाएं। अगर आप चाहते हैं कि शोषण, शोसित और शोषक की परिभाषा में परिवर्तन हो। इसके रास्ते में बदलाव आए तो आपको गांव और शहर के इस फर्क को दूर करने के लिए गांव की तरफ मुड़ना होगा। हमने कई बार अखबारों में प्रादेशिक सरकारों के मुख्यमंत्रियों के भाषणों को पढ़ा है, जिनमें कहा गया है कि हम शहर से गांव की ओर जा रहे हैं। लेकिन पता नहीं वे कहां तक चल पाए हैं।

गांव तक पहुंच पाए या गांव के नजदीक से होकर ही चले गए। गांव के किसी गलियारे में, किसी कच्चे रास्ते पर गए या नहीं। मेरा साफ जानना है कि जिन मुख्यमंत्रियों या जिन केन्द्रीय नेताओं ने कहा है, उन्होंने गलत कहा है। वे लोग नगर से पक्की चलने वाली सड़क तक ही जाते हैं, गांव के किनारे तक जाते हैं, लेकिन गांव के गलियारे तक नहीं गए हैं। अगर गए भी हैं तो उस गांव तक नहीं गए हैं, जिस गांव में वह खुद रहते हैं या गांव तक जाने के लिए उनको पक्की सड़क चाहिए। इसके अलावा जो गांव पहाड़ियों पर बसते हैं, जो देश का पिछड़ा इलाका है, जो देश का पहाड़ी इलाका है देश की नदियों के कच्छारों में बसने वाले लोगों तक उनकी निगाह नहीं गई है। जिन गांवों में 80 फीसदी लोग बेकार हैं, बीमार हैं और बेरोजगार हैं, जिसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, उन तक आपकी नजर नहीं जाती है। जिनके शोषण के लिए चन्द लोग, बड़े भूस्वामी लोग गांव से चले हैं और शहर में जाकर बड़े-बड़े पक्के महल बना लिए हैं। इसके अलावा कोई परिवर्तन अभी तक ग्रामीण जीवन में नहीं आ पाया है। मेरा साफ जानना है कि गांवों में अभी भी 90 फीसदी से अधिक लोग बेबसी का जीवन बिता रहे हैं। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, जो बेरोजगारी के हैं। आपने जो प्रगति की है और प्रगति के आंकड़े जो आपने बताए हैं, उनके सम्बन्ध में मैं आपसे जानना चाहूंगा। यह मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां की 80 फीसदी आबादी गांवों में रहती है। जब तक कृषि और उस पर आधारित कामों के लिए सुधार का दृष्टिकोण सरकार नहीं अपनाती तब तक गांव के लोगों के जीवन में सुधार नहीं आ सकता। गांव के लोग अभाव का जीवन बीताते ही रहेंगे। कृषि का उद्धार तभी होगा, जब खेती की पैदावार बढ़े और खेती की पैदावार तभी बढ़ सकती हैं जब आप रसायनिक खाद दें। रसायनिक खाद से ही पैदावार नहीं बढ़ सकती है, जब तक कि आप खेतों में पानी न दें। आपकी नई-नई किस्में आ रही हैं, चाहे गेहूं की हों, चाहे धान की हों, चाहे दालों की हों, आप तब तक पैदावार को नहीं बढ़ा सकते हैं, जब तक कि आप खेती के लिए पहली प्राथमिकता पानी उचित मात्रा में न दें। आपने 37 सालों में सिंचाई की जो उपलब्धि की है—वह क्या है? उत्तर प्रदेश में अभी तक 44 प्रतिशत में ही सिंचाई के साधन उपलब्ध करा पाये हैं, जिनमें निजी साधन भी शामिल हैं। असम में 17 प्रतिशत, बिहार में 33 प्रतिशत, गुजरात में 19 प्रतिशत, केरल में 12 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 11 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 12 प्रतिशत तथा इसी प्रकार से दूसरे छोटे-छोटे प्रदेशों में कहीं पर 4-5 या 7 प्रतिशत हैं। आप बतलाइये—आप कहते हैं कि कृषि उत्पादन बढ़े तो यह कैसे बढ़ेगा? जब तक कृषि उत्पादन नहीं बढ़ेगा, गांव की खेती में अन्न पैदा नहीं होगा, इतना अन्न पैदा नहीं होगा कि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, तब तक यह देश तरक्की नहीं कर सकता। आप कहते हैं कि अन्न के मामले में हम आत्म-निर्भर हो गये हैं, परन्तु वास्तविक परिस्थिति यह है कि आज भी आप विदेशों से अन्न मंगा रहे हैं।

कल मैंने गन्ने के सम्बन्ध में, उसमें लगने वाले कीड़े के बारे में, नियम 377 के अधीन इस सदन में चर्चा की थी। मैं स्वयं देखकर आया हूं और मुझे डर है कि कहीं ऐसा न हो कि जिस तरह से आप विदेशों से गेहूं मंगा रहे हैं, एक दिन वह आ जावे जब गन्ने का उत्पादन इतना गिर जाएगा कि आपको चीनी निर्यात करने के बजाय आयात करनी पड़ेगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन

करना चाहता हूं— अगर आप चाहते हैं कि गांव सुखी हों, गांव समृद्ध हों तो गांवों में खेती के उत्पादन को प्रथमिकता देनी चाहिये। लेकिन यह कैसे होगा ? सिंचाई के साधन बढ़ाइये, भूमि-सुधार कीजिए। बंजर भूमि को तोड़ा जाना चाहिये। अभी भी बहुत बंजर भूमि हमारे देश में पड़ी हुई है उसको कृषि योग्य बनाइए। हजारों हैक्टेअर ऊसर भूमि हमारे देश में पड़ी हुई है। हरदोई जनपद में हजारों एकड़ भूमि ऊसर पड़ी हुई है। उसके सुधार के लिए कोई प्रयास नहीं हो रहा है। आप हरदोई को छोड़ दीजिए, उन्नाव को ले लीजिए या रायबरेली जिले को लीजिये जहां से हमारी प्रधान मंत्री जी कई बार चुन कर आ चुकी हैं। वहां भी ऊसर जमीन बहुत बड़ी तादाद में है उसको सुधारने के बारे में हम नहीं जानते कि आपके आंकड़े क्या बतलाते हैं। लेकिन मैं तो वह बात कह रहा हूं जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। जितनी ऊसर जमीन आपके देश में है, पिछले 37 सालों में उसका 10% भी ऐसा नहीं बना सके हैं जिसमें अन्न पैदा किया जा सके। वह खेती करने लायक हो सके। खेती करना तो दूर रहा, ऐसा भी नहीं बना पाए हैं कि बजाय खेती के बागवानी ही हो सके। पेड़-पौधे उसमें लगाए जा सकें। इसलिए आज जरूरत है कि ऊसर भूमि को सुधारा जाय।

इस देश में भूमि का कटाव बहुत हो रहा है। इस देश में नदियों की बहुतायत है। हर प्रदेश के हर क्षेत्र में छोटी-बड़ी नदियां हैं। कहीं 6-6 महीने में बारिश होती है, कहीं चार-चार महीने में बारिश होती है, जहां-जहां देश में ऐसे हिस्से हैं जहां बारिश नहीं होती है, जैसे राजस्थान है, उसमें सुनने को मिलता है कि बारिश हो गई और उससे इतने गांव डूब गए। ऐसा क्यों होता है ? अगर देखा जाय तो 6 योजनायें बीत गई लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। इन छः योजनाओं के आंकड़े मेरे पास थे लेकिन अभी वे मुझे मिल नहीं रहे हैं। अगर आप उन आंकड़ों को देखते, तो अपने आप स्पष्ट हो जाता है कि आज तक के परिणाम क्या रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमान राही जी, आपको और कितना अधिक समय चाहिए ? आप आधा घन्टा पहले ही ले चुके हैं।

श्री राम लाल राही : मुझे कम से कम एक घन्टा और दीजिए और साढ़े चार बजे तक मुझे बोलने दीजिए क्योंकि यह मेरा पहला संकल्प है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको 4 बजे सांय तक अपना भाषण समाप्त कर देना चाहिए और यह एक विशेष मामला है क्योंकि आपने बहुत जमकर तैयारी की है।

श्री रामलाल राही : मैं निवेदन कर रहा था कि कृषि का उत्पादन बढ़ाने के उपाय नहीं किए जाते, भूमि-सुधारों के उपाय नहीं किए जाते, कटाव को रोकने के उपाय नहीं किए जाते और जब ऐसी बात है, तो कृषि उत्पान कैसे बढ़ेगा। वह गिरता ही रहेगा।

आज बाढ़ क्यों आ रही है। अभी बाढ़ पर चर्चा हो रही थी। इस सदन में मैं कई बार पहले कह चुका हूं इस बाढ़ के बारे में लेकिन इस सरकार के न तो कान खुले हैं और न इस सरकार के प्रशासन तंत्र के ही कान खुले हैं। दोनों के कान बन्द हैं और आंखें भी बन्द हैं। इस सदन

में बाढ़ को रोकने के लिए और कृषि के क्षेत्र को बचाने के लिए क्या सुझाव दिए जा रहे हैं और बाढ़ें क्यों आ रही हैं और जो कारण बतलाए जा रहे हैं, क्या वे कारण सही हैं। अगर वे सही हैं, तो उन पर अमल होना चाहिए। सरकार इस दिशा में कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आज जितनी बारिश हो रही है, उतनी बारिश छठी पंचवर्षीय योजना में भी हुई और उससे पहले भी हुई। पांचवी पंचवर्षीय योजना में भी उतनी बारिश हुई और उससे पहले भी हुई। आजादी से पहले भी ऐसा ही था बारिश होती थी। लेकिन बाढ़ से इतना नुकनान नहीं होता था। क्या इस बात का अध्ययन करने की कोशिश की गई कि आखिर आज हजारों के हजारों गांव बाढ़ से क्यों बह जाते हैं ? क्या इस बात का अध्ययन किया कि हजारों-लाखों हेक्टर कृषि भूमि जिसमें धान, ज्वार और मक्का की फसलें पक कर खड़ी होती हैं और सितम्बर के महीने में बाढ़ आ जाती है फसलें बहा ले जाते हैं तो गांव का किसान क्यों दाने-दाने को मोहताज हो जाता है ? अगर अध्ययन किया है तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ? नदियों का जमीन का कटाव होते-होते पटाव हो गया है और धरातल ऊंचा हो गया है। इससे पानी का फैलाव बढ़ गया है। जहां नदी में बाढ़ आने पर उसके एक किलोमीटर किनारे के अन्दर बारिश होने पर गांव डूबते थे, वहीं अब पानी के फैलाव अधिक होने से पांच-पांच और दस-दस किलोमीटर नदियों के किनारे के अन्दर आने वाले गांव डूब जाते हैं। उनकी खड़ी की खड़ी फसल नष्ट हो जाती है। अगर, बाढ़ को रोकना है, किसान की मदद करनी है, उनकी फसलों को बचाना है तो आपको छोटी-बड़ी सभी नदियों को गहरा करना पड़ेगा। इस वक्त पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ आई हुई है। लखीमपुर, खीरी, बाराबंकी, बहराइच और आसाम तक अनेकों जिले बहते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सूखे की खबरें आ रही हैं कि अमुक-अमुक क्षेत्रों में सूखा है, पानी नहीं है। जहां तक मुझे जानकारी है, सन् अट्ठारहसौ में कोई सन् था ठीक याद नहीं पड़ता जब से एक आयोग बना था। उस आयोग ने सिफारिश की थी कि इस देश की छोटी-बड़ी नदियों को जोड़ने के काम किए जाने चाहिए। अगर, देश को बाढ़ और सूखे से बचाना है तो आपको इस दिशा में पहले काम करना पड़ेगा। बारिश पड़ने पर जो छोटे-छोटे नाले भर जाते हैं, उन नालों को गहरा करना होगा ताकि उनमें पानी समेटने की क्षमता बढ़े। इससे दोहरे लाभ होंगे। गांव के विकास के लिए आप, मत्स्य पालन और न जाने कितनी बातें किया करते हैं। पहाड़ी क्षेत्र के नीचे मैदानी इलाकों में नदी का फैलाव एक-डेढ़ किलोमीटर तक होता है। लेकिन सितम्बर के बाद आप जाएंगे तो पाखाना के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। कई मील तक आपको जाना पड़ेगा। अगर वहां का किसान चाहे कि उसके खेत को पानी मिल जाए तो नदी के किनारे खेत को भी एक बूंद पानी मुहैया नहीं होता है। अगर, नदी को गहरा करा दें तो सिंचाई और मत्स्य पालन का काम हो सकता है। मत्स्य पालन और दैवी आपदाओं के नाम पर आप करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं। लेकिन यह करोड़ों रुपया आप कितने वर्षों से खर्च कर रहे हैं, अब तक कितना पैसा खर्च कर चुके हैं, आप अनुमान लगाईए कि पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक जितना पैसा इन दैवी आपदाओं और खासकर बाढ़ की रोकथाम पर खर्च किया गया, यदि इसी पैसे को कन्वर्ट करके, यदि यह सरकार वास्तव में लोगों को इस समस्या से छुटकारा दिलाना चाहती, यदि इस सरकार में थोड़ी सी भी सद्बुद्धि होती, इस समस्या के स्थाई निदान पर उसी धन को लगाया जा सकता था और यह समस्या हमेशा-हमेशा के लिए खत्म हो गई होती। फिर आज हम यहां जो बहस कर रहे हैं, उसकी आवश्यकता न पड़ती। फिर हम ये आंकड़े यहां नहीं

देते कि इतनी जमीन वही, इतना पशु धन का नुकसान हुआ, इतनी फसल मारी गई, आदि आदि। मेरी राय है कि आप बाढ़ की रोकथाम का कोई स्थाई उपाय ढूंढ़िए। सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की बात आप छोड़िए। यदि कहीं बाढ़ आ गई तो आपने 100 क्विंटल गेहूं दे दिया, किसी दूसरी जगह बाढ़ आ गई तो मुट्ठी भर चना दे दिया, किसी तीसरी जगह बाढ़ आ गई तो आप पूरियों के पैकेट बांट रहे हैं, कहीं कम्बल बांटे जा रहे हैं, कहीं धोतियां बांटी जा रही हैं। इस बंटवारे के माने क्या हैं ? इस देश के लोगों को आप टुकड़खोर बनाए रखना चाहते हैं, भिखमंगे बनाए रखना चाहते हैं। इस देश में आप ऐसी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं कि इस देश के नागरिक सरकार के सामने हाथ फैलाने वाले बने रहें और सत्ता में बैठे लोग उनके सामने इस तरह से टुकड़े फेंकते रहे तो वे आपकी जय बोलें। आप जय बुलवाने की इस चीप पौपुलरिटी को, सस्ती लोकप्रियता को बदलिए। जब तक सत्ता पक्ष में बैठे लोगों के विचारों में परिवर्तन नहीं आता, मैं साफ कहना चहता हूं कि इस देश के ग्रामीण दुखी जीवन को सुखमय जीवन में नहीं बदला जा सकता। यदि सरकार की नियत है कि हम ग्रासीण दुखी जवीन को सुखमय जीवन में बदल दें तो सबसे पहला काम तो आपको यह करना होगा कि कृषि का विकास किया जाए, भूमि सुधार हो और दूसरे नम्बर पर आपको दैवी आपदाओं को रोकना तथा बाढ़ और सूखे का स्थाई निदान निकालना होगा। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं की जाएगी गांवों में खुशहाली नहीं आ सकती।

आप देखिए, आज गांवों में आपने क्या दे रखा है, शिक्षा कैसी है ? मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने शिक्षा वहां कैसी बना रखी है ? मैं यहां इनकी किताब में से ही कुछ उद्धरण रखना चाहता हूं जो कि सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निकाली गई है और संकलित तथा सम्पादित गवेषणा और सन्दर्भ प्रभाग द्वारा 1983 में की गई है, उसमें दिए गए आंकड़ों के अनुसार इस देश में 1950-51 में दो लाख 31 हजार प्राइमरी स्कूल थे जो कि 1976-77 में बढ़ कर 6 लाख 51 हजार हो गए। इसी तरीके से छात्रों की संख्या पहले दो करोड़ हुआ करती थी, जो अब बढ़ कर 9 करोड़ 97 लाख हो गई है। इन सब आंकड़ों में इन्होंने यह दर्शाने की कोशिश की है कि हमारे यहां प्राइमरी स्कूल काफी संख्या में खुले हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपने नए प्राइमरी स्कूल तो खोले, लेकिन क्या कभी इस बात का भी पता लगाया कि इन प्राइमरी स्कूलों में मास्टर जाता है, क्या उनमें मास्टरों के बैठने के लिए कुर्सी है, क्या स्कूल भवन भी बना है या खाली स्कूल खोल दिए गए हैं, सिर्फ नाम के स्कूल हैं। श्रीमन्, मैं साफ कहना चाहता हूं, यदि आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें. मेरे जनपद सीतापुर में शक्करपुर घिसनी नाम का गांव है, जहां 1947 से भी पहले का स्कूल कायम है, मगर उसकी इमारत आज तक नहीं बनी है। यदि 1947 से पहले बने स्कूल की इमारत आज तक न बनी हो तो 1983-84 में आपने जितने स्कूल बनाए, उनका क्या कहना है। क्या एक भी स्कूल में, 1983-84 में जितने आपने स्कूल गांवों में खोले हैं उनमें एक में भी आप इमारत दे पाए हैं ? मैं नहीं दे पाए हैं। जानता हूं क्योंकि मैं गांवों में घूमता हूं, खेत की मेड़-मेड़ घूमता हूं, मुझे अच्छी तरह से ज्ञान है कि इनके स्कूल तो खुले हैं, पर फर्जी हैं। कहीं इमारत है तो मास्टर नहीं जाता, मास्टर है तो इमारत नहीं है, लड़के हैं तो मास्टर और इमारत दोनों नहीं हैं। गांव के बच्चे जिस बाग में, खलिहान में स्कूल लगता है वहां

पहुंच कर अपने घर लौट आते हैं। और आप बता रहे हैं कि बड़ी तरक्की की है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बरसात के मौसम में किसी गांव में आपने स्कूल खोल दिया और स्कूल की इमारत है तो वहां बरसात में लड़के पढ़ने जा सकते हैं। क्या गर्मी में चैत और वैशाख में जब लू चलती है और स्कूल की इमारत नहीं है मास्टर जा कर पढ़ा सकता है या बच्चे पढ़ने आ सकते हैं? क्या बच्चों को मार डालने के लिए कोई बाप अपने बच्चे को भेजने के लिए तैयार होगा? आपने शिक्षा के नाम पर स्कूल तो कागज पर खोल दिए हैं, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं है। जमीन पर 70 फीसदी स्थानों पर आपकी इमारत अभी इस लायक नहीं है जिसमें सारे बच्चे बैठ सकें। 50 फीसदी स्कूल अधूरे पड़े हैं। हो सकता है 30 फीसदी स्कूल जितने आपने खोले हैं उसमें 30 फीसदी स्कूलों के पास अपनी इमारतें हों। अन्यथा इमारतें नहीं हैं। एक तो यह शिक्षा, दूसरी ओर शहरी चकाचौंध वाली कनवेंट और सेंट्रल स्कूल की पढ़ाई। दूसरी ओर गढ़ैया के स्कूल की पढ़ाई। क्या यह बात साबित नहीं करती है कि इस देश में शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि यहां शोषक और शोषित का रिश्ता मजबूत बना हुआ है?

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : ऐसा नहीं है।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : पढ़ने वाले बच्चे स्कूल की छत गिरने से दब कर मर गए, क्या यह आपको मालूम है? उस पर कोई आपको शर्म है कि नहीं?

श्री राम लाल राही : मैं इन्कार नहीं करता, इन्होंने किया है। लेकिन उसके परिणाम कुछ नहीं निकले। जितना खर्च किया है उसका चौथाई भी अच्छा परिणाम निकलता तो मैं नहीं कहता कि आपको शिक्षा नीति में परिवर्तन करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा कहना है कि जब तक दोहरी नीति शिक्षा की रहेगी, शोषण और शोषित का रिश्ता बना रहेगा, गरीबी और अमीरी की खाई बनी रहेगी आप ऊंच-नीच के भेद को समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि आपको शिक्षा नीति में भी परिवर्तन करना चाहिए। गांव के लोगों के बच्चों को भी उसी प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए जिस तरह दिल्ली में आपके बच्चों को मिलती है। जिस तरह बड़े-बड़े नगरों के रहने वाले बड़े अफसरों के बच्चों को मिलती है, वही शिक्षा गांव के बच्चों को भी मिले।

आप कहते हैं हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। डींग हांकते हैं। हम नहीं कहते कि कभी लोकतंत्र इस बात की इजाजत देता है कि देश के नागरिकों में फर्क डाल कर इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था हो। अगर आपकी नीति में ऐसा है तो वह नीति गलत है। अगर आपकी नीयत में है तो आपकी नीयत की गलती रही है। इस नीयत और नीति को बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलोगे तो इस देश की जनता माफ नहीं करेगी। गांव के विकास और तरक्की का दूसरा मुख्य साधन कृषि पर आधारित पशु-पालन है। मेरी मान्यता है कि अगर आप पहली पंचवर्षीय योजना से ही गांव के इन बेरोजगार, खेतिहर मजदूरों को, जिनको आप खेती नहीं दे सकते, ऐसे रोजगार जो कल-कारखानों के कायम होने से मिलते हैं, नहीं दे सकते थे तो इनको कम-से-कम दो दुधारु पशु, जो 5,7,10 किलो दूध देते हों, ऐसे जानवर तो इनके दरवाजे पर बंधवा सकते थे। मैं मन्त्री महोदय से

जानना चाहता हूं कि गांव के विकास और खेतिहर मजदूरों और बेरोजगारों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए क्या आपने पशु-पालन की दिशा में कोई ठोस कदम उठाये ?

आप जानते हैं कि जो देशी पशु होते हैं वह कैसे होते हैं। कहीं-कहीं 10, 15 गाय हैं लेकिन उन 15 गायों का दूध कुल 5 किलो होता है। क्या इसको बदलकर आपने एक गाय में 15 किलो दूध पैदा करने की स्थिति लाने की कोशिश की ? मेरा साफ कहना है कि आपने गांव के लोगों की जिन्दगी को सुधारने का जो दूसरा हथियार पशु-पालन का था, उसको करने के लिए भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि आपकी 7वीं योजना प्रारम्भ होने को है, छठी योजना खत्म हो रही है, इसमें आपको इस देश के पशुओं की नस्ल सुधारने के काम को प्राथमिकता देनी चाहिए जिससे आधा किलो दूध देने वाले पशुओं का जीवन बदले और उनके स्थान पर 10, 15 किलो दूध देने वाले पशु किसान के दरवाजे पर बंधे। अगर आप यह कर सकेंगे तो जहां ये लोग दूध बेचकर आर्थिक दृष्टि से कुछ पैसा कमा सकेंगे, वहां इनके बच्चे दूध पीकर स्वस्थ्य और सुखी होंगे और आज जो तरह-तरह के रोग होते हैं, उनसे उनको मुक्ति मिलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि गांव कहीं तक उपेक्षित नहीं हैं, आपने गांवों में हस्पताल खोलने की बात कही है कि 5, 7 किलो मीटर के मध्य किसी न किसी पद्धति की औषधि के उपचार की व्यवस्था कर दी है, लेकिन क्या आपने यह पता लगाया कि कितने गांव में आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कायम हैं, उनकी इमारतें बनीं हैं, वहां डाक्टर बैठता है ?

इस देश में कम-से-कम 50 फीसदी ऐसे हस्पताल हैं जिनमें डाक्डर जाते हैं तो दवाएं नहीं हैं, उनके बैठने की जगह नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप अपने संकल्प पर और किसी सदस्य को बोलने नहीं देना चाहते हैं। अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। अन्य सदस्य भी आपके महत्वपूर्ण संकल्प पर बोलना चाहते हैं।

श्री रामलाल राही : मुझे तो बोलने दीजिए। मैंने अभी सुझाव दिए ही नहीं हैं। आज स्थिति यह है कि अगर गांव के किसी व्यक्ति कोई रोग होने के कारण तात्कालिक दवाई की आवश्यकता हो, तो उसे वह नहीं मिल सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए। आखिर में आपको उत्तर देने का भी अवसर मिला है। मैं आपको उत्तर देने के लिए विशेषरूप से एक घन्टे का समय दूंगा। आप अब समाप्त कीजिए। आप पिछले एक घन्टे से बोल रहे हैं। उत्तर देने के लिए भी कुछ रख छोड़िए।

श्री रामलाल राही : मुझे दस मिनट और दे दीजिए।

अस्पतालों में डाक्टर और दवाएं नहीं हैं। सरकार ने अस्पतालों की इमारतें भी नहीं बनवाई हैं। घोषणा की जाती है कि अमुक-अमुक गांव में अमुक-अमुक पद्धति की चिकित्सा की व्यवस्था की गई है। उनमें 50 प्रतिशत ऐसे स्थान हैं, जहां न डाक्टर जाता है और न कोई इमारत है। कहीं-कहीं कंपाउंडर पहुंच जाता है और उसके सहारे वह स्थान जीवित है। यह कहा जा सकता है कि यहां पर कोई अस्पताल खोला गया है, लेकिन वहां पर दवाई नहीं है। मेरा कहना है कि चिकित्सा और दवाओं के मामले में सरकार ने गांवों और शहरों में जो फर्क बना रखा है, उस फर्क को उसे दूर करना होगा। अगर वह उसे दूर नहीं करेगी, तो आवाज आ गई है कि चुनाव होने वाले हैं। जनता की आंखों के सामने सरकार के पिछले 37 सालों के शासन की तस्वीर नाच रही है। उसको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे।

केन्द्रीय सरकार द्वारा संचार-साधनों की जो व्यवस्था की गई है, वह गांवों के लिए कितनी उपयोगी सिद्ध हुई है? सरकार ने पांच और सात किलोमीटर के बीच में सब पोस्ट आफिस खोले हैं, लेकिन उनसे क्या फायदा है? क्या यह सही है कि ये सब पोस्ट आफिस इसलिए खोले जा रहे हैं कि जो लोग सत्तारुढ़ दल में काम करते हैं, उनको एजेन्ट के रूप में नियुक्त किया जाए और उनके लिए माहवार आमदनी की व्यवस्था की जाए? अगर सरकार इनमें से दस सब पोस्ट आफिसिज की जांच करे, तो उसको मालूम होगा कि वह उनपर जितना रुपया खर्च करती है, उतनी चिट्ठियां साल भर में नहीं जाती हैं। तो क्या सरकार इन सब पोस्ट आफिसिज को किसी योजनाबद्ध तरीके से नहीं खोलती है? क्या वह यह विचार नहीं करती कि इनसे कितने फीसदी जनता को लाभ होगा? मेरा कहना है कि सरकार की नीति सही हो सकती है, लेकिन नीयत सही नहीं है।

योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : नीयत भी सही है। क्रियान्वयन में थोड़ी भूल हो सकती है।

श्री रामलाल राही : अगर सरकार गांवों के इन सब पोस्ट आफिसिज में अल्प-बचत की व्यवस्था करा देती, तो जो गरीब खेतिहर मजदूर हफ्ते में दस, पंद्रह, पच्चीस या तीस रुपए कमाता है, वह उसमें से पांच रुपए बचा कर जमा करा देता। इससे जहां अल्प-बचत को बढ़ावा मिलता, वहीं गांव का गरीब खेतिहर मजदूर कोई आवश्यकता पड़ने पर या दैवी विपत्ति में उसी से अपना काम

4.00 म०प०

चला लेता, सरकारी और सहकारी बैंकों और महाजनों का वह ऋणी न होता। दो चार बीघा जमीन जोतने वाले किसान की जमीन नीलाम न होती। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपने जितनी सीलिंग की निकाल कर गांव सभा की जमीन बांटने का ढोंग रचा है, उससे कहीं ज्यादा छोटे किसानों को सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो कर्ज दिया है उससे उन गरीबों की जमीनें नीलाम हुई हैं। उसने उनको ज्यादा भूमिहीन बना दिया है। इससे क्या लाभ हुआ गांव के लोगों का? इसमें आपको सुधार करना चाहिए।

अन्तिम बात कहना चाहता हूं। अगर सरकार चाहती है कि गांव का विकास हो, गांव के

लोगों के जीवन में सुधार हो, तो जहां शैक्षिक नीति में परिवर्तन होना चाहिए, चारित्रिक सुधार होना चाहिए, नीति और रीति समान होनी चाहिए, वहीं प्रशासनिक ढांचे में भी परिवर्तन होना चाहिए। जब तक यह परिवर्तन नहीं होता, तब तक गांवों के विकास की बात सोचनी ही नहीं चाहिए। (व्यवधान) हमारे यहां नगर पंचायत है। उसमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 10 गांव सभाएं हैं। इन नगर पंचायतों में काम करने वाले कर्मचारी हैं – लेखपाल, अमीन, कृषि अमीन, ग्राम सेवक, पंचायत सेक्रेटरी, स्वास्थ्य के दो कर्मचारी, पतरौल, कोआपरेटिव का कर्मचारी, इस तरह से कुल मिलाकर के करीब-करीब 11-12 कर्मचारी गांव सभा में बैठते हैं। इनकी प्रोजीशन आप समझ लें। अगर हैल्थ वर्कर से बी० डी० ओ० आकर पूछता है कि क्या कोई मौतें हो गई हैं, कोई बीमारी है तो वह कहेगा कि आप कौन होते हैं पूछने वाले। डाक्टर पूछे। मान लो डाक्टर पहुंच जाए तो···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राही जी, जब आपने संकल्प प्रस्तुत किया है तो आपको अन्य सदस्यों के विचार भी अवश्य सुनने चाहिए। आपको उत्तर देने का अवसर मिलेगा। आपको उत्तर देने के के लिए एक घन्टा दिया जाएगा। और आप एक घन्टा पहले ही ले चुके हैं। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए। अन्यथा, मैं दूसरे सदस्य को बोलने के लिए बुला लूंगा।

श्री रामलाल राही : मेरा कहना यह है कि गांव का जो प्रशासनतन्त्र है, उसमें केवल दो कर्मचारी काम कर रहे हैं। यदि आप उनको एक ही स्थान पर स्थाई कर दें, चाहे एक ही आदमी लगायें, उसको सारा गाँव सुपुर्द कर दें तो उससे कई लाभ होंगे। जितने गांव के काम हैं, वे कोई टैक्नीकल काम नहीं हैं। उस गांव के कर्मचारी की जिम्मेदारी हो जाएगी कि वह गांव में रुके और उसको गैर हाजिरी करने के अवसर नहीं मिलेंगे। दूसरा गांव के प्रत्येक आदमी से उसका सम्बन्ध स्थापित हो जाएगा। खेत की मेड़-मेड़ से परिचय हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको गांव के प्रशासन को बदलना चाहिए। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के शासन ने जिला प्रशासन सुधार के लिये आयोग बनाया है। मैं कहना चाहता हूं कि आपको इसी तरह से आयोग बनाना चाहिए। अन्य बातें जो मैं कहना चाहता हूं कि वह मैं रिप्लाई के समय कहूंगा। धन्यवाद।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जब यह भाषण सुना तो मुझे पता चला कि भारत में सब कुछ इतना अधिक किया गया है कि सम्भवतः कोई भी इस ओर ध्यान देना पसन्द नहीं करेगा कि इस देश और ग्रामीण भारत के साथ क्या हुआ है। 1980 से अब तक यदि हमारी सरकार और प्रधानमन्त्री ने कोई भी कार्यक्रम गम्भीरता से लिया है और जोर देकर और उच्च प्राथमिकता देकर उसे ईमानदारी से क्रियान्वित करने का प्रयास किया है तो यह 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम है।

यह 20-सूत्री कार्यक्रम है और मुख्य जोर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अथवा गरीबी हटाने के कार्यक्रम पर तथा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की स्थिति सुधारने पर दिया गया है। 1980 से अब तक चलाए गये कार्यक्रमों में से यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले

लोगों की संख्या योजना आयोग और मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार 3060 लाख से 2800 लाख के बीच है। उसके लिए हमारे पास समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अथवा आई०आर०डी०पी० है। छठी योजना के प्रथम चार वर्षों में लगभग 125 लाख लोग गरीबी रेखा से ऊपर लाए गए है जबकि लक्ष्य 150 लाख लोगों का था जो कि अब मार्च, 1985 के अन्त तक प्राप्त हो जाएगा।

इस समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छठी योजना में कुल 3400 करोड़ रुपए निवेश किए गए हैं और 150 लाख परिवारों की सहायता की जानी है। छठी योजना में यह कार्यक्रम निर्धनों में निर्धनतम लोगों के लिए था। प्रत्येक खण्ड में ऐसे 600 परिवारों का पता लगाया जायेगा अथवा उन्हें चुना जाएगा और उन्हें आवश्यक सहायता दी जाएगी ताकि वे गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें और तदनुसार इस अवधि के अन्त तक लगभग 150 लाख व्यक्ति लाभान्वित होंगे। अब सरकार इस कार्यक्रम को और तीव्रता से चलाना चाहती है। सातवीं योजना में प्रधानमन्त्री और हमारी सरकार द्वारा और अधिक साहसिक तथा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम चलाया जाएगा। वे प्रति खण्ड परिव्यय को 35 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपया करना चाहते हैं। इसके बाद लाभार्थियों की संख्या 600 परिवारों से बढ़कर 5000 परिवार हो जाएगी और योजना के अन्त तक 250 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत हमारे द्वारा दी जाने वाली राज-सहायता 25 से 80 प्रतिशत के बीच भिन्न-भिन्न है। यहां तक कि निर्धन हरिजन, पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपेक्षाकृत अधिक राज-सहायता मिलती है। कभी-कभी तो उन्हें 100 प्रतिशत राज-सहायता मिलती है। चूंकि माननीय मंत्री महोदय, श्री सेठी जी यहां उपस्थित हैं, मैं उनका ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन लोगों को दी जा रही राज-सहायता के बारे में हुए अनुभव की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय और योजना आयोग को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा दी जा रही आर्थिक राज-सहायता सम्बन्धित लोगों तक पहुंचे ताकि वे गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। राज-सहायता भ्रष्टाचार का विषय बन गई है। मैं कई गांवों में गया हूं और देख चुका हूं कि इस राज-सहायता का क्या हुआ है ? मुझे आशा है कि दी गई राज-सहायता के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया होगा। कुछ राज्यों में कार्यान्वयन बिल्कुल प्रभावहीन रहा है। गरीबी उन्मूलन सम्बन्धी सभी कार्यक्रम और यहां तक कि वे कार्यक्रम भी जो बैंकों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं, ठीक ढंग से क्रियान्वित नहीं किए जा रहे हैं। खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी और अन्य अधिकारी प्रभावशाली नहीं हैं और यह सिद्ध हो चुका है कि लाभार्थियों को दी जाने वाली आर्थिक-सहायता का 40 प्रतिशत बाबुओं द्वारा हड़प लिया जाता है, मुझे उनके नाम नहीं लेने चाहिए। मैंने समाचार-पत्रों में पढ़ा है कि 40 प्रतिशत आर्थिक-सहायता व्यर्थ जा रही है। केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में मूक है। अतः मुझे दी जा रही राज-सहायता के बारे में एक सुझाव देना है—मैं यह सुझाव श्री सेठी को देने का साहस करता हूं क्योंकि श्री सेठी योजना के प्रभारी मंत्री हैं। यदि हम समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उर्वरकों के लिए दी जाने

वाली राज-सहायता को गिनें तो छठी योजना में यह राशि 4000 करोड़ रुपए की होगी। क्या मैं माननीय मंत्री महोदय को यह सुझाव दे सकता हूं कि इस राज-सहायता की बजाय, जो काला धन पैदा कर रही है और जिसके बल पर कुछ व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार फैला रहे हैं तो निर्धन लोगों को ब्याज-मुक्त ऋण क्यों नहीं मिलना चाहिए ? मैंने कई निर्धन व्यक्तियों से बात की है। वे कहते हैं कि यदि उन्हें वास्तव में ब्याज-मुक्त ऋण मिलता है तो वे इसके लिए भारत सरकार और श्रीमती इंदिरा गांधी के आभारी होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : आप यह कैसे कह सकते हैं कि यह 40 प्रतिशत राशि बाबुओं द्वारा नहीं हड़प ली जाएगी ?

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : मैं आपसे पूर्णतया सहमत हूं। यदि आप ब्याज-मुक्त कर देंगे तो उन्हें कम-से-कम 40 प्रतिशत राशि पर, जो उन्हें मिलती ही नहीं है, ब्याज तो नहीं देना पड़ेगा और किसी हद तक इस प्रकार मूंडना कम हो जाएगा।

मैं यह नोट कर अत्यन्त प्रसन्न हूं कि भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि निर्धन लोगों को सभी लाभ मिलें, अपनी ओर से अत्यधिक प्रयास किए हैं। यदि समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति निवेश को लें तो 1981-82 में यह 1642 रुपए था और 1983-84 में 3154 रुपये था। सातवीं योजना में उन्होंने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। एक बार मैं देश के एक विख्यात अर्थशास्त्री के इस कार्यक्रम और आर्थिक सहायता के बारे में विचार पढ़ रहा था। उन्होंने लिखा है :

> "भारत सरकार के पास ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन लोगों की देखभाल हेतु पर्याप्त धनराशि है और पर्याप्त धनराशि दी भी जा रही है परन्तु आयोजना के इन तमाम वर्षों के दौरान ऐसे शक्तिशाली निहित स्वार्थ वाले व्यक्ति पनप गए हैं जो इन लाभों को निर्धन लोगों तक पहुंचने ही नहीं देते।"

इस प्रकार हमें सातवीं पंचवर्षीय योजना बनाने से पूर्व, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन लाभों को बिचौलिए न हड़प जाएं, इन सभी कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना होगा। उड़ीसा में 26 खण्ड विकास अधिकारी और 26 बैंक अधिकारी निलम्बित किये गए हैं। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि यह कदाचार किस सीमा तक बढ़ गया है। मान लीजिए एक गाय दी जाती है, गाय है ही नहीं। इस प्रकार हमें प्राप्त हुए अनुभव के आधार पर हमें यह देखना होगा कि हमें जिन कठिनाइयों और त्रुटियों का सामना करना पड़ा है, वे सातवीं योजना में दूर हो जाएं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के बारे में, यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है जो हमने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए अपनाया है। परन्तु मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में एक तथ्य लाना चाहता हूं। मैं मूल्यांकन अध्ययन को पढ़ रहा था। 1980-81 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 4360 लाख कार्य दिवस पैदा किए गए। 1981-82 में ये घटकर 3545.20 लाख कार्य दिवस रह गये। 1982-83 में उनमें और कमी आई और ये

घटकर 3500 लाख रह गए। और 1983-84 में ये और घटकर 3000 लाख कार्य दिवस रह गये। अत: मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय उत्तर देते समय हमें बताएंगे कि जहां तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का सम्बन्ध है रोजगार पैदा करने में यह कमी क्यों आई जबकि हम इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे थे। अपने क्षेत्र का दौरा करते समय मैंने देखा कि एक कारण यह भी हो सकता है कि कभी-कभी राज्य सरकारें केन्द्र सरकार से ही सारे लाभ प्राप्त करना चाहती हैं और वे यह दिखाना चाहती हैं कि यह उनका कार्यक्रम है केन्द्र सरकार का नहीं। मेरे विचार में कुछ राज्य सरकारों ने प्रधान मंत्री द्वारा कही गई इस बात को गम्भीरता से लिया है कि केन्द्र सरकार निर्धनों की उन्नति के लिये करोड़ों रुपये दे रही है परन्तु कुछ राज्य सरकारें उसे भिन्न नाम दे रही हैं और कह रही हैं कि यह उनका कार्यक्रम है। मुझे आशा है कि कुछ राज्य सरकारें इस बात पर गर्व कर रही हैं जबकि राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही हैं। इस प्रकार रोजगार के कम अवसर पैदा होने का कारण यह हो सकता है कि कुछ राज्य सरकारों को उतनी ही अनुदान राशि देनी पड़ती है। कभी-कभी केन्द्र सरकार द्वारा जो कुछ भी अनुदान दिया जाता है उसका हिसाब हमारे अधिकारियों द्वारा, जिन्होंने कई तरीके ढूंढ़ लिए हैं, इस प्रकार से रखा जाता है जिससे प्रतीत हो कि राज्य सरकार ने अपना 50 प्रतिशत का बराबर का अंश दिया है और केन्द्र सरकार ने भी 50 प्रतिशत दिया है। खाते इस प्रकार से रखे जाते हैं जिससे ऐसा लगे कि राज्य सरकार ने अपना बराबर का अंश दिया है। अत: हो सकता है कि इस कारण से ग्रामीण रोजगार से अवसर पैदा करने में कमी आ रही हो।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस बारे में कुछ उदाहरण दें।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : मैं मंत्री जी को ये लिखकर भेज दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : बेशक गोपनीय ढंग से।

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : तीसरा महत्वपूर्ण कार्यक्रम, जिसको प्रधान मन्त्री ने घोषणा की है और जिसे सरकार ने आरम्भ किया है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम है। यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और केन्द्रीय सरकार इसके लिये शत प्रतिशत सहायता दे रही है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन को देखने पर मुझे लगता है कि उसमें कई त्रुटियां हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्हें दूर किया जाना चाहिए।

गरीबों को ऊपर उठाने के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्व-नियोजन योजना है। यह योजना बहुत अच्छी चल रही है। मैने अपने क्षेत्र में देखा है कि कैसे लोग इससे लाभ उठा रहे हैं और उन्हें कैसे मदद मिल रही है।

अन्त में, महोदय, यह कहा गया कि जिस गति से विकास हो रहा है, उससे गांवों में अस्थिरता आई है और यदि कार्यक्रमों को पूरी तरह प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया गया तो लोग गांवों से शहरों की ओर भागने लगेंगे। अत: गांवों में गरीबों को ऊपर उठाने के लिए लाखों-करोड़ों रुपये खर्च करते समय हमें यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि वे लोग वहां रहें और अपनी

रोजी कमा सकें। मैंने 1980 से 1984 तक का अनुमान लगा कर देखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों में आने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। आज गांवों में अस्थिरता है और शहरी में भी गड़बड़ी की आशंका है। मैं कल बता रहा था कि पंजाब में जो हो रहा है, उसके पीछे नगरों में व्याप्त निराशा है। पंजाब की घटनाओं के बाद उसका परिणाम हम यह देखते हैं कि वहां युवकों में निराशा फैल गई है। अतः हमें देखना है कि इस शहरी गड़बड़ी हो कैसे दूर किया जाए।

अब मैं एक उदाहरण देता हूं। जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तो श्री सेठी वित्त मंत्री थे। मैं उनका आभारी हूं कि राष्ट्रीयकृत बैंक की पहली शाखा मेरे क्षेत्र के दूरस्थ स्थान दसपल्ला में खोली गई थी जहां हजारों लोग यह जानना चाहते थे कि राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होता है। श्री सेठी जब वहां शाखा का उद्घाटन करने गए तो यह स्थिति थी। आज अर्थशास्त्रियों ने विश्लेषण किया है कि ग्रामीण लोग बैंककारी संस्थानों की अत्यधिक लागत किस प्रकार वहन कर रहे हैं। बैंककारी उद्योगों से किसानों पर 4.5% का अतिरिक्त भार पड़ता है क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंकों के कर्मचारियों को बहुत अधिक वेतन देना पड़ता है। इसी प्रकार यदि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को देखें तो पता चलेगा कि ग्रामीण किसानों को 6.5% अधिक भार उठाना पड़ना है क्योंकि इन उपक्रमों के कर्मचारियों को भी बहुत अधिक वेतन दिए जाते हैं। इन उद्यमों के उत्पादनों की कीमतें बढ़ाए जाने की अनुमति दिए जाने के बावजूद भी इन्हें 2000 करोड़ रुपए की हानि हुई है। यह हानि किसानों को वहन करनी पड़ती है।

चूंकि हम देहाती क्षेत्रों में अधिकाधिक धन लगा रहे हैं, इसलिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जानी चाहिए। क्योंकि यह विवाद देहाती क्षेत्रों में बढ़ता ही जाएगा। इसलिए इन क्षेत्रों में लगाए जाने वाले धन की सुरक्षा का सबसे अच्छा ढंग यही है कि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों और गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों में स्वयंसेवी संस्थाओं को इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शमिल किया जाए। प्रधानमन्त्री ने भी इन्हें शामिल करने का सुझाव दिया है। आशा है भारत सरकार ने इस दिशा में कोई योजना बनाई है।

हम सिंचाई और बिजली के मामलों पर निःसन्देह चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि संकल्प सीमित है। लेकिन जहां तक सिंचाई, ऊर्जा उत्पादन, सड़क निर्माण आदि का सम्बन्ध है, इसमें शक नहीं है कि बहुत प्रगति हुई है। हम यह नहीं कह सकते कि कुछ नहीं हुआ। काफी कुछ हुआ है। जितना हम आगे बढ़ते हैं, उतनी ही इच्छा बढ़ती है कि और भी उपलब्धि हो। हमें इसे पूरा करना होगा। जैसा हमारी प्रधानमन्त्री ने कहा है कि हमने जितने भी कार्यक्रम आरम्भ किए हैं, उनका उद्देश्य भारत की तरक्की और एक नए भारत का निर्माण करना है ताकि एक दशाब्दी में भारत विश्व के राष्ट्रों में अग्रणी स्थान प्राप्त कर सके।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मैं अपने आदरणीय मित्र श्री राही द्वारा पेश किए गए संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं श्री राही का आभारी हूं कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना जरूरी समझा है।

4.29 म०प०

(श्री चिंतामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

संकल्प का सार यह है कि ग्रामीण विकास के प्रशासनिक ढांचे में कुछ परिवर्तन तथा जरूरी सुधार किए जाएं। इस विचार से सहमत होते हुए भी मैं यह कहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों की मूल समस्याओं को समझे बिना, इस समस्या को सुलझाना सम्भव नहीं होगा। यह तथ्य है कि गांवों में असंतोष बढ़ रहा है। इसलिए यदि क्रांतिकारी उपाय नहीं किए जाते हैं तो हरित क्रांति के स्थान पर, जिसका आप बहुत गर्व करते हैं, किसी और ढंग की क्रांति हो जाएगी।

अब आप देहातों का चित्र देखिए। ग्रामीण लोगों में बेरोजगारी अत्यन्त तीव्र गति से बढ़ रही है। मेरे पास आंकड़े हैं जिनसे पता चलता है कि मार्च, 1977 तक जिला स्तर पर—मैं नगरों और बड़े कस्बों की बात नहीं कर रहा हूं—रोजगार कार्यालयों में नाम दर्ज कराने वालों की संख्या 102 लाख थी। अब इन वर्षों में यह बढ़कर 1983 तक 197 लाख हो गई है। आप इस समस्या की देश में व्यापकता का आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं।

महोदय, हमें इस ओर भी ध्यान देना है कि अधिकाधिक संख्या में किसान भूमिहीन हो रहे हैं। मैं आपको आंकड़े देता हूं जिनसे पता चलता है कि ऐसा किस गति से हो रहा है। वर्ष 1951 में कृषक मजदूरों तथा कृषकों में मोटे तौर पर अनुपात 43:57 का था। लेकिन 1971 में यह बढ़कर 46.5 : 53.5 हो गया। मोटे तौर पर 1971 में यह अनुपात लगभग 50 : 50 हो गया है। इसका अर्थ है कि ग्रामीण जनसंख्या में आधे लोग कृषि मजदूर हैं।

अब यदि आप देश में कृषि श्रमिकों के बारे में पूछते हैं तो मैं दो ग्रामीण श्रमिक जांच समितियों द्वारा दिए गए आंकड़े उद्धृत कर सकता हूं। उनका कहना है कि 1964-65 में कृषि मजदूरों की संख्या 311 लाख थी और 1974-75 में बढ़कर 460 लाख हो गई। वर्ष 1983 में यह बढ़कर 500 लाख से अधिक हो चुकी होगी। अतः देश के गांवों में आज लगभग 5 करोड़ कृषि श्रमिक हैं।

एक ओर गरीब तथा सीमान्त किसान भूमिहीन हो रहे हैं, दूसरी ओर बड़े फार्मों की संख्या बढ़ रही है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी कानून बने हुए हैं, हमने भूमि सुधार सम्बन्धी नीतियां तैयार की हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? वर्ष 1961-62 में बड़े फार्मों ने 386 लाख हेक्टेयर भूमि पर कब्जा कर रखा था जो कुल कृषि योग्य भूमि का 28·9 प्रतिशत बैठता है। अब उनकी संख्या बढ़ जाने से 500 लाख हेक्टेयर भूमि पर कब्जा हो गया है अर्थात् 1970-71 तक कुल कृषि योग्य भूमि का 35·8 प्रतिशत भाग उनके पास था। इससे स्पष्ट है कि बड़े फार्मों की संख्या बढ़ी है और कुल भूमि का अधिक भाग भी उनके पास आया है। स्पष्ट है कि भूमि सुधार का उद्देश्य बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ है।

यदि आप इन सुधारों से मिली सफलता को देखना चाहते हैं तो मैं आपका ध्यान भारत

सरकार के कृषि मंत्रालय की ओर दिलाना चाहता हूं जिसमें कहा गया है कि भूमि की अधिकतम सीमा कानूनों के लागू होने पर फालतू भूमि केवल 46 लाख हेक्टेयर रह जाएगी जो कि देश की कुल कृषि योग्य भूमि का केवल 10 प्रतिशत ही होगी ।

इस कमी को अथवा यदि कहें कि नीति की असफलता को स्वीकार करते हुए सातवीं पंच-वर्षीय योजना के नीति पत्र में कहा गया है :

> "यद्यपि भूमि सुधारों के कार्यान्वयन में काफी प्रगति हुई है, फिर भी फालतू भूमि के पुनर्वितरण के सम्बन्ध में अभी बहुत कार्य किया जाना है।"

उपलब्धि अच्छी रही है । आपकी उपलब्धि के अनुसार आप 70 से 90 हजार हेक्टेयर भूमि का विवरण कर चुके हैं । देश भर में आपके अनुमान के अनुसार केवल 46 लाख हेक्टेयर भूमि फालतू रहती है जो कि कुल कृषि योग्य भूमि का 11 प्रतिशत बैठती है लेकिन आपने अपने नीति पत्र में इस कमी को या त्रुटि को नहीं माना है और आपने केवल संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि 7वीं योजना के आगामी 5 वर्षों में 46 लाख हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करने और उसके वितरण के लिए प्रयास किए जाएँगे । इस भूमि का वितरण करने के बाद क्या आप वास्तव में देश से गरीबी दूर कर पाएंगे ? नहीं । इससे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर नहीं होगी क्योंकि उसे दूर करने का सबसे अधिक महत्वपूर्ण रास्ता है भूमि सुधार और आपने भूमि सुधारों के महत्व को नहीं समझा है । भारत में ही नहीं बल्कि सभी विकासशील देशों में इसका कितना महत्व है, इसे आपने नहीं समझा है ।

महोदय, मुझे पता है कि आप इतिहास के जिज्ञासु विद्यार्थी हैं । यहां तक कि सामन्तवादी अर्थशास्त्री भी यह स्वीकार करेगा कि विकासशील देश में लोगों की प्रगति पूर्णतया भूमि सुधारों पर निर्भर है ।

यह केवल भारत का ही प्रश्न नहीं है । यह ऐसा प्रश्न है जो विश्व के सभी विकासशील देशों के लिए समान रूप से वैध है अथवा जो समान रूप से तर्क संगत है । जब तक सरकार अथवा योजना आयोग अथवा सत्तारूढ दल यह नहीं समझ लेता अथवा महसूस नहीं करता कि मूल मुद्दे का महत्व क्या है, तो मुझे डर है कि ग्रामीण गरीबी की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, इसे अस्थाई रूप से भी दूर नहीं किया जा सकता । आप समस्या का अंशमात्र भी समाधान नहीं कर सकते । इसलिए श्री राही के संकल्प का समर्थन करते हुए मैं केवल यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि नीति निर्णयों पर तरह-तरह से इतने भाषण देने की बजाए, सारा ध्यान भूमि सुधार पर केन्द्रित करना चाहिए । गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की यह चाबी है । परन्तु, महोदय, दुर्भाग्यवश, इस पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है । अन्य मुद्दों की जहां तक बात है···

सभापति महोदय : कृपया भाषण समाप्त कीजिए । समय बहुत कम है ।

श्री चित्त बसु : महोदय मैंने आपका भाषण बहुत धैर्य से सुना । मैं आपको उत्तर तब देना चाहता हूं जब आप यहां पर हों । परन्तु अब तो आप पीठासीन हैं ।

सभापति महोदय : परन्तु समय की सीमा केवल 10 मिनट है।

श्री चित्त बसु : कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि आप वहां पर बैठे हैं न कि पीठासीन में।

सभापति महोदय : आप 10 मिनट में मेरी बात का उत्तर दे सकते थे। आप अपना भाषण 10 मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री चित्त बसु : धन्यवाद महोदय। मैं भाषण समाप्त करूंगा। केवल आपका उत्तर देने के बाद मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। आपका उत्तर देने के बाद मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं।

आपने कहा है कि सरकार ने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमके लिए उपाय किए हैं और ये उपाय किए जा रहे हैं। आपने समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, (आई० आर० डी० पी०), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम तथा अन्य कार्यक्रमों का उल्लेख किया है।

एक प्रश्न का उत्तर देते समय सरकार ने भी यह स्वीकार किया है कि ये कार्यक्रम देश के लोगों की संतुष्टि के अनुरूप सफल नहीं हुए हैं। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि उनके लागू करने में समस्याएं हैं। लक्ष्य भी प्राप्त नहीं हुआ है। सभा के लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि इन कार्यक्रमों को कितनी सफलता मिली है, किस हद तक सरकार इस गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को लागू कर सकी है। मैं सुझाव देता हूं कि हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सम्बन्धित, विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन की दिशा में इस कार्यक्रम के प्रभाव अथवा परिणाम का पुनः मूल्यांकन करने के लिए सरकार एक समिति नियुक्त करे।

अन्त में, मैं केवल कारीगरों के बारे में उल्लेख करूंगा। वस्तुतः आपको यह जानकर दुःख होगा कि ग्रामीण कारीगरों की संख्या धीरे-धीरे घट रही है। मेरे पास आंकड़े हैं जो मुझे वर्ष 1955 में किए गए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण से प्राप्त हुए हैं। इन आंकड़ों के अनुसार देश में घरेलू उद्योगों में लगे हुए कारीगरों की संख्या 102 लाख थी। 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार यह संख्या घटकर 63·5 लाख रह गई है। एक ओर तो निर्धन और सीमान्त किसान धीरे-धीरे, और तेजी से देश में कम होते जा रहे हैं। दूसरी ओर ग्रामीण कारीगर भी अपने पेशे से दूर होते जा रहे हैं। अतः आप कैसे आशा कर सकते हैं कि ग्रामीण बेरीजगारी का समाधान हो जाएगा और गांवों में गरीबी की समस्या कम हो जाएगी ? जब तक सरकार सातवीं पंच वर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन को एक कार्यक्रम के रूप में शुरू नहीं करती, तक तक कोई प्रभावकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। भूमि सुधार पर विचार करने के लिए तथा घरेलू उद्योगों को फिर से चालू करने अथवा कायम रखने के लिए एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके और गरीबी को कम किया जा सके।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : अन्य सदस्यों के साथ मैं भी इस संकल्प को प्रस्तुत

करने वाले सदस्य को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इसे बहुत ही उचित समय पर प्रस्तुत किया और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर सभा का ध्यान आकर्षित किया है। महात्मा गांधी जी कहा करते थे कि भारत गांवों में बसता है। वास्तव में, आकलन के, आधार पर, देश के 80 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं। गांवों में यह केवल जनता का ही संकेन्द्रण नहीं है, मुझे लगता है, गांवों में गरीबी का संकेन्द्रण है।

इसमें कोई शक नहीं है कि लगभग पिछले तीस वर्षों में हमने बहुत प्रगति की है। इस आर्थिक कार्यक्रम के लाभ अधिकतर कस्बों तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पहुंचे हैं और ये लाभ उस हद तक ग्रामीण जनता को नहीं मिले हैं।

मेरे माननीय साथी श्री चित्त बसु ने ठीक ही कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, भूमि, विशेष-रूप से कृषि भूमि, ही विकास का आधार है। इसमें कोई शक नहीं कि भूमि सुधार महत्वपूर्ण है परन्तु मैं नहीं समझता कि एक भूमिहीन व्यक्ति को भूमि का मात्र एक टुकड़ा देने से उस व्यक्ति की गरीबी की समस्या अथवा ग्रामीण गरीबी की समस्याओं का समाधान हो जाता है। यदि अधिक नहीं तो उतना ही महत्वपूर्ण यह बात ध्यान देना है कि जिस व्यक्ति को यह भूमि मिलती है, वह उसमें से अपनी जीविका कमा सके और उस पर खेतीबाड़ी करना लाभदायक हो सके। संक्षिप्त रूप से यही बात उन योजनाओं में कही गई है जिन्हें सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आरम्भ किया है। उन्होंने यह बहुत सफलतापूर्वक किया है। अब, यह समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई० आर० डी० पी०) क्या है? इसमें किसानों को, सीमान्त किसानों को, जिनके बारे में श्री चित्त बसु बोल रहे थे, उपकरण प्रदान किए जाते हैं ताकि किसान अपने आपको और अपने परिवार को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा सके।

श्री चित्त बसु कारीगरों के बारे में बोल रहे थे, जिनकी संख्या बढ़ गई हैं। और वे देश के कारीगरों के भविष्य के बारे में बहुत ही भारी आशंकायें व्यक्त कर रहे थे। तब, उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम अर्थात् "ट्राईसेम" का जिसे इस सरकार ने आरम्भ किया है, उल्लेख नहीं किया। मुख्यतः इसका उद्देश्य यह है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कारीगरों के लिए सुविधाएं उपलब्ध की जाती हैं और इसमें शिल्प सम्बन्धी ढांचों में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, अर्ध आधुनिक प्रौद्योगिकी लाकर उन सुविधाओं में सुधार लाया जाता है। अब, इसके आंकड़े क्या हैं? 'ट्राईसेम' योजना के अधीन प्रत्येक वर्ष कम से कम 2 लाख ग्रामीण युवकों को किसी कला अथवा प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। 1979-80 और 1980-81 में 93,018 युवकों को प्रशिक्षित किया गया और इनमें से 9,266 युवकों को अपना रोजगार मिला। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ठोस उपलब्धि है। परन्तु इस उपलब्धि के अलावा इस कार्यक्रम को दी गई दिशा, इस समस्या का संदर्श भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझ से पहले बोलने वाले सदस्य इस बात का उल्लेख कर रहे थे कि आज प्रातः सभा में क्या हुआ जब सरकार ने कहा "ये कार्यक्रम संतोषजनक हैं।". ये इतने संतोषजनक नहीं हैं। कारण क्या हैं? मुझे यह कहना चाहिए कि कारण नम्बर एक तो सभी स्तरों पर प्रेरणा की कमी है। यदि माननीय योजना मंत्री इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह पर्याप्त नहीं है। यदि भारत सरकार और इसके मंत्री कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह

जरूरी है कि निचले राजनीतिक स्तर तथा ऊपर से लेकर नीचे तक प्रशासनिक स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरित किया जाए और उसे इन कार्यक्रमों और गरीबी उन्मूलन के इन उपायों के बारे में समझाया जाए। सुबह हम सभी एक माननीय सदस्य को ग्रामीण क्षेत्रों में बेचारे बैंक प्रबन्धकों पर आरोप लगाते हुए सुन रहे थे। हममें से कुछ ने तो इस हद तक भी कहा कि बैंक प्रबन्धक बेईमानी से काम करते हैं और सही मामलों में भी ऋण नहीं देते हैं। मैंने, अपने चुनाव क्षेत्र, अपने चुनाव क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत का दौरा किया है और इन प्रबन्धकों के बारे में मेरा विचार यह नहीं है कि वे कदाचार करते हैं यदि वे सही व्यक्तियों को ऋण नहीं मंजूर करते हैं। परन्तु यह तो केवल अज्ञानता की बात है। वे विशेषरूप से एक निर्धारित प्रक्रिया के आदी हैं जिसके अनुसार एक विशेष रूप से ऋण प्रदान करना चाहिए और उन व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए जो इसे लौटा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति उनके पास ऋण मांगने आता है तो सबसे पहली बात वे यह देखते हैं कि क्या यह व्यक्ति ऋण लौटा सकता है। यह प्रश्न इतना दुर्भावना का नहीं है अपितु इस कार्यक्रम के उद्देश्य, ध्येय तथा ढांचे के बारे में जानकारी की कमी का है। कई बार तो इन बैंक प्रबन्धकों को यह भी जानकारी नहीं होती कि ब्याज की कौन सी दर लागू होनी है। मैं एक प्रबन्धक के पास जाता हूं वह मुझे बताता है कि इस विशेष ऋण के लिए ब्याज की दर 20 प्रतिशत है। अगले गांव का एक अन्य बैंक प्रबन्धक कहता है कि यह 10 प्रतिशत है। तीसरा व्यक्ति कहता है, नहीं इस पर बी० आई० आर० की दरें लागू होंगी और यह 4 प्रतिशत है। यह सब बातें हैं। अतः प्रश्न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में इन बेचारे बैंक प्रबन्धकों का ही नहीं है। कृपया आप मुझे बताएं कि भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशक इसके प्रति कितने प्रेरित हैं। कृपया उनसे बात कीजिए और हमारे संसद सदस्यों को भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशकों के साथ बात करनी चाहिए। उनको यह देखकर आश्चर्य होगा कि कुछ निदेशकों का इस कार्यक्रम के प्रति बिलकुल झुकाव नहीं है। वे समझते हैं कि इन कार्यक्रमों का केवल राजनीतिक उद्देश्य है।

भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशकों के पास ही क्यों जाएं? हमें योजना आयोग के पास जाना चाहिए जो विभिन्न कार्यक्रम और योजनाएं बनाता है। हमें, योजना आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों से मिलना चाहिए और हमें पता लगाना चाहिए कि वे कितने प्रेरित हैं, उनको इन कार्यक्रमों पर कितना विश्वास और भरोसा है। आपको कुछ ही ऐसे अधिकारी मिलेंगे जिन्हें विश्वास और भरोसा है। आपको ऐसे अधिकारी भी मिलेंगे जिन्हें इन कार्यक्रमों में कोई विश्वास नहीं है, जिन्हें इन कार्यक्रमों पर कोई भरोसा नहीं है। ऐसा, दुर्भावना के कारण नहीं है। ऐसा केवल उनकी अज्ञानता के कारण है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनका प्रशिक्षण एक विशेष विचारधारा में हुआ है। इनका प्रशिक्षण अर्थशास्त्र की एक विशेष विचारधारा में हुआ है। उनका विश्वास है कि अमीर लोग ही परिणाम प्रस्तुत करेंगे। बड़े उद्योग जिन्हें वे मूल उद्योग कहते हैं, वे ही प्रगति दिखा सकते हैं। वे बड़े उद्योग को मूल उद्योग कहते हैं और वही प्रगति दिखा सकते हैं। वे करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। आनुषंगिक उद्योग लग जाएंगे और इसके फलस्वरूप सब अच्छे परिणाम निकलेंगे। अतः यह केवल प्रेरणा का प्रश्न है। यह शिक्षा का प्रश्न है। ऐसी बातों को सभी स्तरों पर सम्पादित करना होगा।

इन कार्यक्रमों में, गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम में, मुख्य व्यक्ति खण्ड विकास अधिकारी है।

किसी का कहना है कि कार्यक्रम वांछनीय लक्ष्य तक सफल नहीं होते जबकि मैं बार-बार दोहराता हूं कि ये बहुत हद तक सफल हुए हैं। परन्तु मैं स्वीकार करता हूं कि ये पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। हमारे कृषि विकास अधिकारी हैं। हमारे श्रम अधिकारी हैं। हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य अधिकारी हैं। ये सभी 20-सूत्री कार्यक्रम से सम्बद्ध हैं। परन्तु मूल व्यक्ति खण्ड विकास अधिकारी ही है। उन्हें इन सभी गति-विधियों, इन सभी कार्यक्रमों का समन्वय करना होता है। खण्ड विकास अधिकारी का कनिष्ट पद होने के कारण—साथ ही उनका वेतनमान अन्य अधिकारियों की तुलना में कम है—उन्हें कोई प्राधिकार, सांविधिक अधिकार नहीं है कि वह अन्य अधिकारियों को निदेश दे और न ही उसका ऐसा नैतिक प्राधिकार है जो एक उच्च पद के अधिकारी का होता है। खण्ड स्तर पर समन्वय की कमी उन कार्यक्रमों की अधिक प्रगति और समन्वय में मुख्य रूप से एक अन्य बाधा है।

बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। मुख्य बात प्रेरणा और शिक्षा का प्रश्न है। पर्याप्त स्टाफ और कर्मचारियों का प्रश्न भी है। ग्राम स्तर पर ग्राम सेवक हैं। मेरे क्षेत्र में हम उन्हें ग्राम सेवक कहते हैं। यह ऐसा व्यक्ति होता है जो ग्रामीण लोगों से मिलेगा, उनके पास जाकर पता लगाता है कि वास्तव में गांव में गरीब लोग कौन हैं ताकि उनकी सहायता की जा सके। ग्राम सेवक तथा पंचायत सचिव ऐसे कर्मचारी हैं जिनके वेतनमान अधिकांश राज्यों में गत 20 वर्षों से स्थिर बने हुए हैं लेकिन ग्राम स्तर और खण्ड स्तर पर किए जा रहे कार्य में पर्याप्त वृद्धि हो रही है। प्रत्येक वर्ष नए कार्यक्रम प्रारम्भ हो रहे हैं। प्रत्येक पांच वर्षों में बहुत से नए कार्यक्रम लाए जाते हैं। लेकिन ग्राम तथा खण्ड स्तर पर कर्मचारियों में वृद्धि नहीं हुई है।

मैं यह कहकर अपना भाषण समाप्त करूंगा कि माननीय सदस्य श्री राम लाल राही द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प में जो मुद्दा उठाया गया है कि शिक्षा महत्वपूर्ण है, इस पर बल दिया जाना चाहिए। हम अभी भी लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति को अपनाए हुए हैं जो केवल बाबूगिरी की ओर ले जाती है जो उपलब्ध नहीं है। शिक्षा जैसा कि महात्मा गांधी चाहते थे, ग्रामीण विकासोत्मुख होनी चाहिए। यह अर्ध-आधुनिक प्रौद्योगिकी की ओर उन्मुख होनी चाहिए। ग्रामीण विकास के लिए किसी अन्य आदान की तुलना में शिक्षा क्रांति कम महत्वपूर्ण नहीं है।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : सभापति जी, मैं राही साहब के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं समझता हूं कि यह भारत की आत्मा का प्रस्ताव है। इससे पहले कि मैं कुछ इस पर कहूं मैं सेठी जी को मुबारकबाद देता हूं कि अच्छा हुआ उन्होंने पिस्तौल को छोड़ कर कुदाल को हाथ में लिया है और गांधी जी का कुछ काम होगा। बहुत अच्छा काम होगा और देश का कल्याण होगा।

सभापति जी, आपने कहा है कि देश की गरीबी मिटी है, सत्य बात है। कुछ लोग तो गरीब से अमीर हुए हैं। मैं अभी अखबार पढ़ रहा था, तो मालूम हुआ कि कांग्रेस के एमपीज ने रोष प्रकट किया है। हाजी मस्तान जैसा व्यक्ति कुली से हाजी मस्तान बन गया। एक स्मगलर हिन्दुस्तान का एक चोटी का पूंजीपति हो गया। जिसको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में गिरफ्तार किया गया था,

बाद में उनको छोड़ दिया गया। उस मीटिंग में एमपीज ने कहा, वहां मिनिस्टर भी थे, कि उनको क्यों छोड़ दिया ? मैं आपकी बात की ताईद करता हूं कि बहुत तरक्की हुई है—एक कुली से करोड़ों का मालिक बन गया। ऐसे बहुत से लोगों ने तरक्की की है और आपने उनको बहुत तरक्की करवाई है। देश से कितनी गरीबी मिटी है कि एक कुली हाजी मस्तान और हाजी मस्तान ही नहीं और भी बहुत से लोग हैं जो करोड़पति और अरबपति बन गए हैं।

सेठी साहब, मेरी दो-चार बातें लिख लो। हिन्दुस्तान में साढ़े चार लाख गांव हैं, 70-72 करोड़ की उनकी आबादी है और 70 करोड़ एकड़ जमीन है। इन साढ़े चार लाख गावों में रहने वाले आदमियों को, नर और नारियों को, पशुओं को बात छोड़ दो, हालांकि अमरीका, रूस और यूरोप में पशुओं को भी उतना गन्दा पानी नहीं मिलता है, जितना हिन्दुस्तान में मिलता है। जो बाबा गांधी की सन्तान हैं, जो सही गांधीवाद के नेता हैं, जो सही गांधी के वारिस हैं—हम और आप तो नकली वारिस हैं—मैं उनको कहना चाहता हूं -- इन साढ़े चार लाख लोगों को पीने का पानी दो। अगर आप ऐसा कर सके तब आपकी इज्जत बढ़ेगी। एशियाड पर 1200 करोड़ रुपया खर्च करने से, यूरोप और अमरीका के बराबर शान बनाने से आपकी इज्जत नहीं बनेगी। वह तो गांधी की आत्मा को ठोकर मारना है, वह गांधी जो लंगोटी पहन कर जार्ज पंजुम से मिलने गया था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं—इन साढ़े चार लाख गांवों को पीने का शुद्ध पानी दो।

यह देश ऐसा है—जिसमें लड़ाई है बुरके की, पर्दे की है। भारत की जवान बहू-बेटियां सड़कों के ऊपर खुले-आम मैदान में पाखाना और जंगल जाती हैं, फराकत के लिए जाती हैं। कोई ऐसा बन्दोबस्त करो, जो आपकी बहन-बेटी इज्जत से, अदब से जरूरियाते-हाजत से फारिग हो सकें।

तीसरी बात -- आपके भारत में कम से कम 15 फीसदी लोग वे हैं जिनके घर नहीं हैं, जमीन नहीं है, झुग्गी नहीं है। जो खाना-बदोश हैं, जंगलों में घूमते हैं, दिल्ली या और जगहों में घूमते हैं। आप उनके बसाने का प्रबन्ध करो ताकि वे आवारा न रहें।

गांवों को आप फायदा नहीं पहुंचा सकते तो उजाड़िए मत। हलाकू और चंगेज ने गांवों पर इतना जबरदस्त हमला नहीं किया था जितना आपने किया है। गांधी जी किसानों के प्रतीक थे, उस गांधी के किसानों पर आपने हमला किया है। दिल्ली के पचास मील तक चारों तरफ किसानों की जमीनें छीनी गई हैं, डाका मारा गया है, चार आने, छः आने गज के हिसाब से उनकी जमीनों को लेकर हजारों रुपए गज तक बेचा गया है। मेरे ख्याल में बड़े से बड़ा डाकू भी इतना जबरदस्त डाका किसानों पर नहीं मार सकता था, जितना आपकी तरफ से मारा गया है। मैं कहना चाहता हूं—अगर गांवों को नहीं बढ़ा सकते हो, तो दिल्ली को मत बढ़ाओ, कलकत्ता को मत बढ़ाओ, गांवों को सहूलियत नहीं दे सकते हो, तो कम से कम उनको उजाड़ो मत। आज कलकत्ता फैल रहा है, दिल्ली फैल रहा है, गांव उजड़ रहे हैं। आप गांवों को बसाने वाले नहीं हैं, उनकी भलाई करने वाले

नहीं हैं, इसमें हम भी गुनहगार हैं क्योंकि यहां बात कुछ कहते हैं लेकिन बसना शहर में ही चाहते हैं, मकान शहर में ही बनाना चाहते हैं।

5.00 म०प०

आने वाला इतिहास माफ नहीं करेगा। यहां पर अंग्रेज आया, बाहर से गौरी और गजनी आए लेकिन उन्होंने भी ऐसा नहीं किया। लाल किले के पास किसानों की जमीन थी और आज दिल्ली के अन्दर फार्म हैं मन्त्रियों के, बिरला के, टाटा के, डालमिया के और मोदी के लेकिन भारत के किसानों के पास जो पहले जमीन थी आज 50 मील के रकबे में एक इन्च भूमि भी उनके पास नहीं है। ऐसी हालत आज यहां पर हो गई है।

पांचवीं बात मैं यह कहना चाहता हूं कि सेठी साहब आप कोई जादूगर तो हैं नहीं जो सब ठीक कर दोगे। या तो आप ट्रेनिंग ले रहे हैं या इस सरकार को ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज कोई महकमा नहीं है, जिसको आपने छोड़ा हो। आपको कभी इस महकमे में भेज दिया और कभी उस महकमे में। जहां गलती देखेंगे, वहां उस महकमे को सुधारने के लिए आपको भेज देंगे। दो महीने के लिए, तीन महीने के लिए भेज देते हैं कि इस महकमे को सुधारो। अब तो चुनाव आ रहे हैं इसलिए जितना आप कर सको, करो। मैं शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। मैं यह नहीं कहता कि आप शिक्षा सबको दो। बहुत बड़े विद्वान हैं और बहुत बड़े वकील हैं और दिल में दर्द भी है। 6,12, 20 बच्चे स्कूल की इमारत के नीचे दब जाएं और मर जाएं, यह कैसी बात है। उन्हीं की रियासत के अंदर ऐसा हुआ है। अगर कोई सभ्य देश होता, सभ्य सरकार होती या सभ्य समाज होता, तो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये जो बच्चे हैं इनके तुम भी वारिश हो और हम भी वारिश हैं। इतने सारे बच्चे दब कर मर जाएं, इससे ज्यादा शर्म की बात किसी सभ्य कौम में नहीं हो सकती, किसी सभ्य समाज में नहीं हो सकती। मैंने 30 स्कूलों के लिए लिख कर दिया हुआ है कि इनकी इमारतें गिरने वाली हैं और वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं। किसी दिन इमारत गिर जाएगी, तो कहेंगे कि इमारत गिर गई और बच्चे मर गए, हम क्या करें।

एक बात और कह कर मैं समाप्त करता हूं। मैं राही जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

योजना और सिंचाई मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : जब वे प्रस्ताव लाए, तब तो आप हंस रहे थे।

श्री मनी राम बागड़ी : मैं तो अब भी हंस रहा हूं, रो नहीं रहा हूं। देखिए आप विद्वान हैं और मैं अनपढ़ हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि राही जी की भाषा का तरीका अपना हो और वे आपकी तरह इसको पेश न कर पाए हों लेकिन उनकी जो भावना है, वह गांबों को बढ़ाने की है।

अब जहां तक आंकड़ों की बात है। सभापति महोदय, आप भी बहुत ज्यादा आंकड़े दे रहे थे। मैं आपको एक बात सुनाना चाहता हूं। एक लाला जी के पांच, छः बच्चे थे और एक दिन वे

नदी पार करने के लिए गए। उनमें जो सबसे छोटा बच्चा था, उसका कद एक फीट थी, दूसरे का कद डेढ़ फीट, तीसरे का दो फीट और चौथे का कद ढाई फीट था और मियां, वीवी 6, 6 फीट के थे। नदी को उनको पार करना था। लाला जी ने हिसाब लगाया कि नदी तीन फीट गहरी है और सबका कद जोड़कर औसत निकाल लिया कि पर-केपीटा कद सवा तीन फीट है और उन्होंने सोचा कि नदी पार कर जाएंगे। सब पानी में से निकले। अब बेचारे बच्चे तो सब डूब गए और वे दोनों निकल आए। तब सेठानी ने कहा कि यह कैसा गलत हिसाब लगाया कि ये सब मर गए। लालाजी ने फिर हिसाब लगाया और कहा कि लेखा-जोखा यों, तो कुनवा डूबा क्यों, यह कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि पर कैपीटा का हिसाब आप बना देते हो लेकिन फिर भी लोग भुखमरी से मर रहे हैं और दरिद्रता में लोग पड़े हुए हैं। पर कैपीटा पैसा आपके स्मगलरों के पास, भ्रष्ट लोगों, रिश्वतखोरों के पास चला जाता है, बेईमान लोगों के पास और बड़ी तन्ख्वाह पाने वालों के पास चला जाता है और गरीब के हिस्से कुछ नहीं आता है। आंकड़ों के हिसाब-किताब में वे सब रुपया खा जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोहिया जी ने कहा था कि हरिजन की चवन्नी की चोरी पकड़ी जाएगी और जो करोड़पति टाटा और बाटा हैं, इसकी अरबों रुपए की चोरी नहीं पकड़ी जाएगी।

अन्त में मैं यही कहना चाहता हूं कि राही जी को अपने प्रस्ताव को पेश करने का तरीका जरा कम ही मालूम होगा क्योंकि हजारों साल से वे एक दुःख अपने कलेजे में लिए बैठे हैं और कमलापति त्रिपाठी होते, तो श्लोक पढ़ कर सुना देते क्योंकि हजारों साल से उन्होंने यह काम किया है। हमें भाषा को नहीं देखना चाहिए बल्कि जो इस प्रस्ताव के पीछे भावना है, उसको देखना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जय बोलनी है, तो गांधी जी की, महात्मा गांधी की जय बोलो और श्रीमती इन्दिरा गांधी की नहीं। महात्मा गांधी के देश के लिए अगर आप कुछ कर सको, तो करो जिससे देश आगे बढ़े और इस देश के गरीब लोगों का कल्याण हो सके और गांवों को उजाड़ो नहीं, उनका विकास करने के लिए और ज्यादा पैसा उन पर खर्च करो। यही बात मैं आपसे कहना चाहता था। पहले तो आपको पंजाब को देखने की तरफ लगा रखा था, अब आपके जिम्मे यह बात आ गई है। आप विद्वान हो। यह तो सरकार की बात है कि हाजी मस्तान छूटेगा, देश यूं ही लूटेगा और गरीब यूं ही फूटेगा।

सभापति महोदय : इस संकल्प के लिए 2 घण्टे का समय निर्धारित किया गया है और अब दो घन्टे हो चुके हैं। क्या मैं मन्त्री महोदय को बुलाऊं ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : जी नहीं, सभी पार्टियों को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : दो घण्टे बहुत कम हैं। समय बढ़ाया जाए।

सभापति महोदय : आप कितना समय और चाहते हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : कम से कम 2 घण्टे।

सभापति महोदय : मैं आशा करता हूं कि सदन इससे सहमत है कि इस संकल्प के लिए 2 घण्टे का समय बढ़ा दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : 2 घण्टे का समय बढ़ा दिया गया। अब श्री राम प्यारे पनिका।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्ट्सगंज) : सभापति महोदय, सम्मानीय राही जी जो प्रस्ताव लाए हैं, उनकी भावनाओं का कद्र करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। जब हमें आजादी हासिल हुई तो देश के सामने कई विकट परिस्थितियां थीं जैसे कि देश को सुरक्षित रखना, देश में एकता रखना और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करना। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थीं। आपको मालूम होगा कि स्व० पण्डित नेहरू जी के नेतृत्व में सारी समस्याओं के निराकरण करने का काम लिया गया था। इस तरह, कई आर्थिक उत्थान के काम किए गए। इसी प्रकार पहली योजना में इण्डस्ट्री पर ज्यादा ध्यान दिया दूसरी में एग्रीकल्चर पर दिया। इस तरह से हर पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य हम अपनी आवश्यकतानुसार बदलते रहे। राही जी ने कहा कि देश ने तरक्की नहीं की है, यह बात सही नहीं है। क्या यह बात सही नहीं है कि 1947 में हमारी औसत आयु 27 वर्ष थी और आज 52 वर्ष है जबकि देश में कई प्रकार की कठिनाइयां आईं। पांच-छह लड़ाइयां हमने लड़ीं। सूखा, बाढ़, ओला और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का हमें सामना करना पड़ा। इसके बावजूद भी उत्तरोत्तर विकास की प्रगति बढ़ती गई।.....(व्यवधान) पासवान जी इस समय हंस रहे हैं। मैं इनसे आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जनता पार्टी ने तो योजना को रोल करके रख दिया था और विकास की गति आगे जाने की बजाय पीछे की ओर चली गई थी। औद्योगिक उत्पादन 1.4 प्रतिशत पीछे चला गया था। इसी प्रकार कृषि और जीवनोपयोगी वस्तुओं पर भी प्रभाव पड़ा था। सन् 80 में इनके आपसी लड़ाई-झगड़ों के कारण जब जनता का ध्यान हट गया तो उसने हमारी नेता श्रीमती गांधी में विश्वास प्रकट किया और हम दोबारा सत्ता में आए। सन् 80 में जो हमें जर्जरित अर्थव्यवस्था मिली थी, उसे ठीक किया और पटरी पर ला दिया। आज हम ऊँचा मस्तक करके कह सकते हैं कि 15 करोड़ टन गल्ले का उत्पादन हुआ। इन लोगों ने जो रोलिंग प्लान रख दिया था, उसे फिर से ठीक किया। इसका सारा श्रेय प्लानिंग कमीशन के लोगों को जाता है। हमारे देश की नेता जी को जाता है, इंदिरा गांधी जी को जाता है कि किस तरह से थोड़े टाइम्स में इन्होंने हमारी योजनाओं को रोल कर दिया था...

सभापति महोदय : पनिका साहब, आपका टाइम सिर्फ 10 मिनट है, इसलिए समाप्त करने की कोशिश कीजिए।

श्री राम प्यारे पनिका : चूंकि ये लोग नकारात्मक बातें करते हैं, इसलिए मैं इनको बताना चाहता हूं। आप भी एग्री करेंगे कि जिस तरह की ये बातें करते हैं, मैं इनको ठीक कर रहा हूं। आखिर मंत्री महोदय भी कितने आदमियों का उत्तर देंगे। इसलिए हमारा भी कर्तव्य हो जाता है...

सभापति महोदय : आप इस तरफ मत देखिए।

श्री राम प्यारे पनिका : मैं आपकी ही तरफ देखकर कहूंगा। हमारे विकास के मार्ग में रोड़ा बनने वाला दूसरा प्रमुख कारण सस्ती लोकप्रियता रही है। मुझे खुशी है कि हमारे लोक सभा सचिवालय ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम पर एक पुस्तिका प्रकाशित की है। मैं इनका बड़ा आभारी हूं। सभापति महोदय जहां हमारे विरोधी दलों की सरकारें हैं, उन राज्य में देखें, जैसे वैस्ट बंगाल है, आँध्र प्रदेश है, त्रिपुरा है, वहां ग्रामीण विकास के बहुत कम लक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मैं यह रिकार्ड की बात कर रहा हूं। हम जानते हैं कि हमारे गांवों में देश की 85 प्रतिशत जनता रहती है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक हम 51 हजार मेगावाट से ज्यादा बिजली प्राप्त करने जा रहे हैं। इसके अलावा हमने जिन गांवों को बिजली दी है, पम्पिग सैटस को एनर्जाइज किया है, इर्रीगेशन फैसिलिटीज को बढ़ाया है, इसके अलावा कई दूसरे कार्यक्रम सबके सामने हैं। यह बात भी सही है कि जितने विकास की हम अपेक्षा रखते थे, हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। उसका कारण यह था कि हमारे देश में कुछ परिस्थितियां ऐसी पैदा हो गई थीं। आप देखिए हमारे देश में पोलिटिकल स्थिति क्या है। विकास कार्यक्रमों के लिए और भी कई चीजों की अपेक्षा होती है, कई बुनियादी चीजों की आवश्यकता होती है। देश के पोलिटिकल ढांचे का भी उस पर प्रभाव पड़ता है। हमारे गांधी जी के देश में आज कितनी पार्टियां हो गई हैं और हर रोज एक नई पार्टी बनती चली जा रही है। हमारे विरोधी दल वालों को भी देखना चाहिए कि इनस्टैबिलिटी का हमारे विकास कार्यों पर कितना गहरा असर पड़ता है।

इतना ही नहीं, हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत छः विभिन्न प्रकार के एरियाज को आइडैन्टिफाइड किया गया था—जैसे हिल एरिया, मरुस्थल एरिया, ट्राइबल एरिया, डाउन प्रोन एरिया आदि आदि। मान्यवर आपका उड़ीसा का एरिया भी उसमें आता है। उसके बाद उनके विकास के लिए कार्यक्रम बनाए गए। छठी पंचवर्षीय योजना के एप्रोच पेपर में उन बातों का जिक्र नहीं है। मैं समझता हूं कि उन इलाकों का विकास राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत जरूरी है ताकि हम रीजनल इम्बैलैंस को दूर कर सकें। इसमें उड़ीसा के कई जिले, उत्तर प्रदेश के कई जिले और स्वयं मेरी कांसटीटूऐंसी मिर्जापुर, मध्य प्रदेश के कई इलाके कवर होते थे। लगभग हर राज्य में काफी बड़ा इलाका आता था जहां लिंक रोड बनाने की आवश्यकता थी, सड़कें बनाने की आवश्यकता थी, स्कूल कालेज खोलने की जरूरत थी। मेरी कांसटीटूऐंसी राबर्टसगंज भी वैसे ही इलाके में आती है।

मान्यवर, यदि आप तो शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स तथा बैकवर्ड लोगों की संख्या देखें तो वह कुल आबादी का 50 प्रतिशत बनती है। मैं आपकी बात भी सुन रहा था कि जितने हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे बीस सूत्री कार्यक्रम, एन० आर० ई० पी०, आई० आर० डी० पी० आदि, उसमें सुधार की तो जरूरत है लेकिन दूसरी यह बात भी महत्वपूर्ण है कि अभी तक हमने कई ऐसी जातियों को मान्यता ही नहीं दी है। जब हमारे मंत्री जी होम मिनिस्टर थे तो इन्होंने कई बार इसी हाउस में कहा था कि जो छूटी हुई जातियां हैं, हम उनको भी शैड्यूल में शामिल करके उनका विकास करेंगे। लेकिन मैं योजना मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि सारे देश के

इन पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए पीछे एक शिवरामन कमेटी बनी थी। उसमें किसी जिले के इंडस्ट्रियल बैकवर्डनैस को आधार न मानकर ब्लाक स्तर को आधार माना गया था। लेकिन मुझे इस बात का दुःख है कि दो साल होने के बावजूद अभी तक उसको मान्यता नहीं दी गई है। हमारे नारायण दत्त तिवारी जी भी कहते थे कि हो जाएगा, उसके बाद चव्हाण साहब भी कहते थे कि हो जाएगा, अब आप आए हैं; मैं आपसे भी कहता हूं कि आप जल्दी-से-जल्दी शिवरामन कमेटी को मान्यता दें ताकि देश में समान रूप से विकास हो सके।

अभी हमारे उस तरफ के कई लोग, जैसे पासवान जी और कुछ दूसरे साथी उछल रहे हैं। लेकिन यह बड़ी गम्भीर बात है। आप सातवीं योजना के ऐप्रोच पेपर के अनुसार शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिए काफी करने जा रहे हैं। लेकिन इस पेपर के 23 पृष्ठ पर जो लिख दिया कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिए जो सोशल बैकवर्डनैस का क्राइटीरिया रहा है उसको चेंज करके आर्थिक करने जा रहे हैं, यह मेरी राय में ठीक नहीं है। आपको अपने उत्तर में स्पष्ट करना चाहिए। आपकी मंशानहीं है यह मैं जानता हूं, लेकिन न जाने कैसे ब्यूरोक्रेटिक सैट अप ने इसको, रख दिया है, जो एक खतरनाक चीज हो सकती है। इसलिए आप माननीय पासवान जी को लोगों को भ्रमित करने मौका न दें। जब संविधान में अनुच्छेद 340, 341, 342 रखे गए बैकवर्ड के लिए ऐजूकेशनली और शोसली क्राइटीरिया की बात है फिर आपने ऐप्रोच पेपर में बैकवर्ड को क्यों निकाल दिया। अनुच्छेद 341 था शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिए। अनटचेबिलिटी उसका आधार हो गया। अभी भी यह व्याप्त है। आज राजनीतिक अनटचेबिलिटी हो गई है। अनुच्छेद 342 में रिमोटनैस आफ दी प्लेस। आपने वहां रिमोट एरियाज को सम्पन्न क्षेत्र के साथ जोड़ दिया? तो चालाकी से ब्यूरोक्रेटिक सैट अप ने 13वां पैरा एप्रोच पेपर में बना दिया। आप स्पष्ट बताएं कि ऐसा क्यों किया गया? और कहें कि हमारी मंशा ऐसी नहीं है ताकि माननीय पासवान को रेडियो, अखबारों और मीटिंगों में यह न कहना पड़े कि यह आधार गलत है। मैं जानता हूं कि हमारी सरकार की कभी यह नीति नहीं रही है। जब आप दूसरी शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट को संशोधित करने जा रहे हैं तो मंत्री जी को सरकार की नीति स्पष्ट करनी चाहिए ताकि पासवान जी को लोगों को भ्रमित करने का मौका न मिले।

इसी तरह से जो सिंचाई सुविधाएं आपने दी, हमने दौरा करके देखा है कि नहरों की सफाई ठीक नहीं है, ट्यूब बैलों को बिजली समय पर नहीं मिलती है, गूलें ठीक नहीं हैं। यह छोटी-छोटी बातें हैं अगर इनको दूर किया जाए तो काफी सुधार हो सकता है। शिक्षा के बारे में माननीय राही और माननीय फैलीरो ने जो कहा ठीक है। अभी हम साउथ कोरिया गए थे वहां हमने देखा कि 10 साल में शिक्षा पर उन्होंने बहुत कुछ किया है। जब तक मैन पावर को आप ठीक नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। कागज पर 27 प्रतिशत ऐजूकेशन कही है, लेकिन असल में 10, 15 प्रतिशत ही है। इसलिए देश में मैन पावर को ट्रेन करके समयानुसार उनको खड़ा करना है। इसके लिए जरूरी नहीं है कि शहरों में ही स्कूल हों। आज जरूरत है कि उनको देहातों में ले जाया जाय। जो भी देहात का लड़का शहर में आता है वह फिर देहात में वापस नहीं जाना चाहता। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी शहरोन्मुखी हो गई है। न डाक्टर, न बी० डी० ओ०, न

इंजीनियर कोई भी देहात में नहीं जाता है। इसके लिए जरूरी है कि प्लानिंग विभाग के कर्मचारियों को और निर्माण कार्य में लगे अधिकारियों को गांवोन्मुखी ट्रेनिंग देनी चाहिए।

मैं अभी अपने क्षेत्र का दौरा कर रहा था, तो मैंने जान-बूझकर ब्लाक मीटिंग में पूछा कि जो अधिकारी 20 सूत्री कार्यक्रम को गिना देगा उसको हम इनाम देंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन सब बातों को सुनकर बी० डी० ओ० सहम गया, वह भी नहीं जानता था। तो जो डेवलपमेंट के काम में लगे हुए अधिकारी हैं उनको हमारी नेता के कार्यक्रम को जानना चाहिए। अगर कोई एम० पी० नहीं जानता है तो उसको एम० पी० होने का अधिकार नहीं है। जो हमारी देश की नेता के 20-सूत्री कार्यक्रम को न जाने उसको प्रतिनिधित्व करने का अधिकार नहीं है। इन चन्द शब्दों के साथ मेरा कहना है कि हमारे देश में बहुत काम हुआ है, और हो सकता है।

मैंने आप से प्रार्थना की थी कि मुझे 5 बजे जाना है, लेकिन चूंकि समय देर से मिला इसलिए मेरा कार्यक्रम नष्ट हो गया और अपनी बात भी खुलकर नहीं कह सका। लेकिन कभी-कभी जब हम रिक्वैस्ट करें तो समय देना चाहिए। सभापति महोदय, मैं बहुत अनुशासित सिपाही हूं। मैंने 5 बरस में पहली बार रिक्वैस्ट किया मुझे 5 बजे जाना है, एप्वाइन्टमैंट है, पहले समय दे दिया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, कह गए थे कि समय दे देना। आपसे भी मैंने रिक्वैस्ट किया था लेकिन आपने दूसरे सदस्य को बुला लिया। अब मैं आपका आदेश मानता हूं और बैठता हूं। धन्यवाद।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, पनिका जी ने एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया और वह है सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो यह प्रारूप जोड़ा गया है अनुसूचित जाति और जनजातियों के रिजर्वेशन को समाप्त करने की दिशा में, जो कि पहला कदम है, मैं उन बातों की तरफ आपका ध्यान नहीं खींचूंगा जो कि यहां हो चुकी हैं।

मैं एक दो बातों की ओर मुख्य रूप से सरकार का ध्यान खींचना चाहूंगा कि सरकार कम-से-कम यह मन तो बना ले कि मुझे कोई एक काम करना है। अभी जो आंकड़े दिए गए हैं और हमारे पास जो आंकड़े हैं, उनसे हमको कहीं नहीं लगता है कि आजादी के 37 साल के बाद हमारा देश या हम या गांव के लोग विकास की प्रगति पर हैं।

गांव में छोटी आवश्यकताएं हैं, हमारे अधिकांश साथी दूसरे मुल्कों में जाते हैं, उनको भी पता है, हमने आज तक संसार में कहीं ऐसा मुल्क नहीं देखा कि वहां आदमी को पीने के लिए अच्छा पानी न मिले। लन्दन में मिलियन टन्स, लाखों टन दूध फेंक दिया जाता है, इसलिए कि दूध का एक्सट्रा उत्पादन वहां होता है। अमेरिका के किसानों को मुआवजा दिया जाता है कि तुम अतिरिक्त गेहूं या चावल पैदा न करो। लेकिन हमारा एक देश ऐसा है, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता है, लेकिन फिर भी इसमें कोई रहना नहीं चाहता है, सब विदेश भागना चाहते हैं।

मैंने एक दिन कहा था कि हिन्दुस्तान में अंग्रेज का राज्य था और आजादी मिली तो एक भी अंग्रेज यहां नहीं रुका, लेकिन अगर कहीं हिन्दुस्तान का राज्य इंग्लैंड में होता तो ऐसी स्थिति

में एक भी हिन्दुस्तानी वहां से उठकर न आता, सब कहते कि घर यहीं बना लेंगे। इसलिए कि हमारे यहां आदमी की न्यूनतम आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हैं।

रोटी, कपड़ा और मकान का हम नारा लगाते हैं लेकिन आज भारत में 5 लाख 76 हजार 916 गांव हैं, आधे गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। 37 साल की आजादी के बाद भी हम पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कर पाए, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है?

जो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के विलेज हैं, वहां पर इंसान उस जगह पानी पीते हैं जहां जानवर पानी पीते हैं। नतीजा यह होता है कि सारे जर्मस् इंसान के भीतर चले जाते हैं और कीड़ा शरीर को फाड़कर निकल जाता है। मंत्री जी के प्रदेश, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ट्राइबल्स में यह होता है।

सरकार ने 20-सूत्री कार्यक्रम का हवाला दिया है। मैं जानता हूं कि इस 20-सूत्री कार्यक्रम को कोई जानता नहीं है। हम भी इसलिए जानते हैं कि इसको पढ़कर सरकार को समझाना होता है। जिस विभाग का यह कार्यक्रम है उस विभाग के मंत्री के अलावा कोई दूसरा मंत्री, एम०पी० या एम० एल० ए० इसको जानता नहीं है, गांव की बात तो दूर रही। इसलिए इस 20-सूत्री और 25-सूत्री को छोड़िए। समय आपके पास नहीं है, यह सही बात है। आपको इस विभाग का भार सौंपा गया है जब कि समय नहीं है, लेकिन आप कम-से-कम एक योजना तो अवश्य बना लें कि हम दो साल में प्रत्येक गांव में शुद्ध पीने के पानी की व्यवस्था कर देंगे। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा एचीवमैंट और कुछ नहीं होगा। इसमें ज्यादा खर्च की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आजादी के 37 साल के बाद भी हमने पीने के पानी की व्यवस्था नहीं की है।

5.25 म०प०

(डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी पीठासीन हुई)

सभापति महोदया, गरीबी की रेखा की कोई पहचान नहीं है। गरीबी का अर्थ क्या है? विदेशों में जिसके पास कार, रेफ्रिजरेटर, कपड़े धोने की मशीन और मकान है, वह भी गरीब माना जाता है। हमारे यहां प्रधान मंत्री से लेकर नीचे तक सब लोग यह बर्गलाने वाली बात कहते हैं कि गरीबी विदेशों में भी है और हिन्दुस्तान में भी है। मैं दो महीने बाहर रह कर आया हूं। हमारे यहां गरीबी का क्या अर्थ है? प्लानिंग कमीशन कहता है कि गरीबी का अर्थ है 75 पैसे प्रति-दिन। हमारे देश में गरीबी की रेखा से नीचे कितने लोग रहते हैं प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक 48 परसेंट।

इस देश में जितने बढ़िया और खूबसूरत फाइव-स्टार होटल हैं, वैसे संसार के किसी भी देश में नहीं होंगे। हिन्दुस्तान में एक तरफ अमीरी का कैलाश है और दूसरी तरफ गरीबी का पाताल है। हिन्दुस्तान एक ऐसा मुल्क है, जिसमें कुछ राज्यों में लोग बाढ़ के कारण मर रहे हैं और कुछ क्षेत्रों में लोग सूखे से मर रहे हैं। हम इन दोनों में लिंक कायम नहीं कर पाए हैं, कोई नैशनल

ग्रिड नही बना पाए हैं। बाढ़ और सूखे से हमारा जितना नुकसान होता है, उसकी आधी रकम से हमारी वह योजना तैयार हो जाती।

मंत्री महोदय अपने जबाव में बताएंगे कि हमारी आवश्यकताएं क्या हैं और हमारे पास साधन कितने हैं। पीने का पानी तो एक न्यूनतम आवश्यकता है। उसको पूरा किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि कहीं न कहीं इच्छा-शक्ति की कमी है, पैसा उसमें बाधक नहीं है।

आजादी के 37 सालों के बाद हमें बंधुआ मजदूर, बांडिड लेबर, के बारे में कानून बनाने पड़ते हैं। संसार भर में स्लेबरी खत्म हो गई है। काले लोगों को गोरे लोगों पर इस लिए गुस्सा है कि उनके द्वारा उन्हें गुलाम बना कर रखा गया था। आज हमें हिन्दुस्तान के गांवों और शहरों में गुलामी का जीता-जागता चित्र देखने को मिलता है। गांव के लड़के या नौजवान को नौकरी नहीं मिलती है, इसलिए उसकी मजबूरी का फायदा उठा कर उसे बंधुआ मजदूर बना कर रखा जाता है। उसने जीवन में कभी सूर्योदय नहीं देखा है। उसका पूरा जीवन एक सूर्यास्त है, उसके जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। यह है हमारे देश का नक्शा !

पूरी दुनिया में जितने पशु हैं, उनमें से आधे पशु हमारे देश में हैं। लेकिन आज तक हम बीमे की व्यवस्था नहीं कर सके हैं। आज ही कृषि मंत्री, राव वीरेन्द्र सिंह, ने कहा कि जिसके पास अच्छी गाय है, वह जा कर बीमा करा ले। यह कोई जवाब है ? अगर सरकार गांवों को ऊपर उठाना चाहती है, तो उसे पशुओं और फसल के बीमे की योजना बनानी पड़ेगी।

बाढ़ और सूखे से प्रति-वर्ष 800 करोड़ रुपए का नुकसान होता है, अर्थात् आजादी के बाद, 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इस रकम से सरकार बड़ी से बड़ी योजना बना सकती थी। योजना मंत्री को सातवीं पंच-वर्षीय योजना में रूरल डेवेलमेंट का लक्ष्य रखना पड़ेगा। मेरा चार्ज है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण यह देश कंगाल हो गया है। मेरे पूछने पर सरकार ने बताया कि गांवों में 70 परसेंट विद्युतीकरण हो गया है।

सभापति महोदय : अब आध घंटे का डिसकशन होगा। माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखेंगे।

आधे घंटे की चर्चा

मूंगफली के उत्पादन में वृद्धि करने के उपाय

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : सभापति महोदया, सौभाग्य से आप सभापति की चेयर पर बैठी हैं। हमारे ही जनपद से आप इस सभा में संसद-सदस्य चुन कर आई हैं। हमारे जनपद की समस्याओं से, वहां के किसानों की समस्याओं से और वहां की पैदावार से आप भली-भांति परिचित हैं। मैंने ग्राउंडनट के बारे में प्रश्न पूछा था। मेरे क्षेत्र में और मेरी जनपद के कई पड़ौसी

जनपदों में मूंगफली की खेती की जाती है। आप जानती हैं कि सीतापुर उत्तर भारत की मूंगफली की प्रमुख मण्डी रही है। इसके अलावा फरूखाबाद साइड में भी कई जिले ऐसे हैं जिनमें मूंगफली अच्छी पैदा होती है। मुझे याद है कि जहां 1972-73 में सीतापुर के बाजार में प्रति दिन 70-80 हजार बोरी मूंगफली आती थी वहीं अब यह घट घर 7-8 हजार बोरी प्रति दिन रह गया है।

मैंने प्रश्न पूछा था—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देश में, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश मूंगफली के उत्पादन में गिरावट आई है। वर्ष 1980 से 1983 तक की अवधि के दौरान वर्षवार और राज्यवार मूंगफली की प्रति हैक्टर पैदावार कितनी थी ? यदि हां तो सरकार ने इसको बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही की। यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

(क) का उत्तर दिया गया है कि देश में मूंगफली के उत्पादन में उन वर्षों में जिनमें मौसम प्रतिकूल था, को छोड़ कर काफी वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कमी होने के कारण हाल ही के वर्षों में उत्पादन में कमी आई है परन्तु 1983-84 में उत्पादकता गत वर्ष से अधिक रही है। अब उसके आंकड़े आपने दिए हैं—

उत्तर प्रदेश में सन् 1981-82 में 261·4 हजार हेक्टर में मूंगफली बोई गई और उत्पादन हुआ 253.8 हजार टन। 1982-83 में 305 हजार हैक्टर में मूंगफली बोई गई और उत्पाद हुआ 187.2 हजार टन। मंत्री जी कह रहे हैं कि उत्पादन बढ़ा है 1983-84 को छोड़ कर। इन आंकड़ों से पता चलता है कि 1982-83 में क्षेत्र बढ़ा है लेकिन उत्पादन कम हुआ है। जब 1982-83 में क्षेत्रफल बढ़ गया तो उत्पादन कैसे कम हो गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस फर्क की जानकारी उन्हें उत्तर प्रदेश से मिली है कि मूंगफली के उत्पादन में 1981-82 के मुकाबले में 1982-83 में गिरावट आई है ? उन्होंने मौसम की खराबी का कारण बताया है। हमारे मूंगफली बोने का समय जुलाई से लिया जाता है और अक्टूबर में वह तैयार हो जाती है। जुलाई से अक्टूबर तक कितनी बारिश हुई, यह मैं जानना चाहता हूं ? यदि बारिश ठीक हुई है, सही हुई है, तो 1981-82 के मुकाबले में 1982-83 में क्षेत्रफल बढ़ने के बाद पैदावार बढ़नी चाहिए थी, लेकिन वह कैसे कम हो गई। इसके लिए कौन कसूरवार है, सरकार कसूरवार है या किसान कसूरवार है या सरकार का प्रशासनतंत्र तो आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है, वह कसूरवार है ? मूंगफली पैदा करने वाले किसान की मुख्य समस्या अच्छी क्वालिटी के बीच की है, जो उसको आप नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो अच्छा बीज न मिलने की वजह से मूंगफली का उत्पादन गिर रहा है और दूसरी ओर उसकी जमीन का परीक्षण आपने नहीं किया है। आखिर मूंगफली का उत्पादन जो 1972-73 में जितना होता था, वह आज अब क्यों कम हो रहा है।

मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। यह बात पिछले 17-18 सितम्बर की है। मेरी सचिव महोदय से मुलाकात हो गई, तो मैंने उनको कहा कि मूंगफली का उत्पादन गिर रहा है, इसको आपको देखना चाहिए। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि 22 एकड़ सिंचित क्षेत्र की

बुआई से मुझे सिर्फ 14 बोरी मूंगफली का उत्पादन प्राप्त हुआ है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से मूंगफली के उत्पादन में गिरावट आई है। मैं मंत्री जी को दावत देता हूं और अधिष्ठाता महोदय आपको भी, आप सीतापुर में उत्तर प्रदेश के उन जिलों में जहां मूंगफली पैदा होती है, वहां का दौरा करें तो आपको पता चलेगा कि मूंगफली के उत्पादन में गिरावट आई है। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उनको आंकड़ों की सूचना गलत दी जा रही है। हम जानते हैं आपका कृषि विभाग आंकड़े कहां से ले रहा है, लेकिन हम आंकड़े मार्केट से लेते हैं। उनको एकत्र करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि मूंगफली के उत्पादन में गिरावट आई है।

कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मण्डी समितियां बनाई गई हैं। मण्डियों में कितना आढ़त हुआ और कृषि विभाग कितना कहता है, यदि आप इसको देखेंगे तो आपको फर्क महसूस होगा और आप हमारी बात सही पायेंगे। मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपको यह फर्क समझ में आ रहा है? यदि आ रहा है, तो आप इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे? मेरा साफ मत है कि मूंगफली तिलहन के उत्पादन में एक बड़ा प्रमुख स्थान रखता है। वनस्पति घी बनाने में भी मूंगफली का तेल इस्तेमाल होता है। यदि मूंगफली का तेल वनस्पति बनाने के बजाय अगर उसको सीधे रिफाइन्ड करके इस्तेमाल किया जाए, तो ज्यादा लाभदायक होगा। लेकिन आपने इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया है कि इसका इस्तेमाल न करो। उसके बाद भी उत्पादन की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया गया। परिणाम यह हुआ कि तेलों के दाम निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं। देश में एक हवा चली थी, मैं उसके ब्यौरे में नहीं जाना चाहता, चरबी-कांड के बारे में, लेकिन उस के बाद थोड़े दिनों तक तो वह हवा रही, इन्सान की मजबूरी पता नहीं क्या-क्या कराले, लोगों का मन बदला था कि हम चरबी मिला घी नहीं लेंगे, हम गाय-मांस नहीं खाते हैं, इसलिए गाय की चरबी मिला हुआ तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन तेलों की बढ़ती हुई कीमतों ने उनको विवश कर दिया कि वे उसको खरीदें। चरबी मिलाने की बात तो सरकार ने खुद कही थी, फलां जैन और फलां वनस्पति उद्योग ने मिलाया था और वह पकड़ा गया। आपके ही पक्ष के लोग इसके बारे में बोले थे। उनकी इस मजबूरी के बावजूद भी लोगों को महंगे दामों पर आज तेल खाना पड़ रहा है। इसलिए अगर मूंगफली का उत्पादन गिरेगा तो तेल के दाम और ज्यादा बढ़ेंगे।

मेरे जिले की हालत तो बहुत बदतर है। मैं कल ही निवेदन कर रहा था—हमारे यहां गन्ने की फसल में एक तरह का कीड़ा लग गया है—जिसका ग्रेब हापर नाम है। यह मूंगफली में भी लगता है, मूंगफली को पत्ती को नष्ट कर देता है। हजारों हैक्टेअर में यह कीड़ा लगा है। कम से कम चालीस किलोमीटर में तो मैं घूम कर आया हूं, खेत के खेत साफ होते चले गए हैं। एक तरफ गन्ने की बरबादी हुई और दूसरी तरफ हजारों हैक्टेयर में जहां धान की फसल होती थी, पानी भर गया है, जमीनें पानी में डूब गई हैं। उसमें, अधिष्ठाता महोदया, आपका क्षेत्र ज्यादा है, मेरा बहुत कम है। मेरे जनपद की तो बड़ी अजीब दुर्दशा है—समझ लीजिए कि वह भुखमरी के कगार पर है!

इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं—क्या आप तेल की कीमतों को बढ़ते देख कुछ

ऐसा प्रयास कर रहे हैं जिस से मूंगफली की क्वालिटी और क्वान्टिटी में सुधार हो ? मैंने एक मांग की थी कि मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए सीतापुर जनपद में एक शोध सेन्टर कायम किया जाय। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरी उस बात को नहीं माना गया। मुझे आप की सरकार की तरफ से उत्तर दे दिया गया है कि कानपुर में शोध सेन्टर है। एरिया सीतापुर है, हरदोई, लखीमपुर और शाहजहांपुर है जहां हजारों क्विंटल मूंगफली पैदा होती है, लेकिन उसका सोध सेन्टर कानपुर में है जहां 20 टन भी पैदा नहीं होती है, ऐसी स्थिति में इस शोध सेन्टर के बनाने का क्या फायदा है ?

अभी रूरल डवलपमेंट पर बहस हो रही थी। मैं पुनः कहना चाहता हूं -- आप गांवों को उपेक्षित रखे हुए हैं जिसकी वजह से कृषि उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर नहीं हो पा रहे हैं। जहां आपको अनाज बाहर से आयात करना पड़ा है, तेल आयात करना पड़ रहा है, गन्ने की जो स्थिति होने वाली है उससे ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में आपको चीनी भी आयात करनी पड़ेगी। यह आयात का काम बन्द हो, इस दिशा में क्या कोई प्रयत्न आप करेंगे ताकि भारत का किसान तेल के उत्पादन में मूंगफली के उत्पादन में दिलचस्पी ले ? उसके उत्पादन में जो गिरावट आई है उसको सुधारने के बारे में क्या आप कोई प्रयास कर रहे हैं ? और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, मैं जानता हूं कि आप गुजरात के हैं और देश में जितनी मूंगफली होती है, सबसे अधिक गुजरात में मूंगफली होती है। गुजरात जो है, वह देश को बहुत हद तक तेल खाने को देता है लेकिन क्या आप चाहते हैं कि तेल के मामले में सारे प्रदेश गुजरात के भिखारी बने रहे। अगर आप उनको भिखारी बनाए रखना चाहते हैं, तो फिर मुझे कुछ नहीं कहना है। अगर आप चाहते हैं कि हर प्रदेश तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो, तो इस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए। मैं आपको सारे देश के बारे में बताना चाहता हूं। सन् 1981-82 में सारे देश में 72 लाख टन मूंगफली हुई और 1982-83 में 56 लाख टन हुई। इसके बाद 1983-84 में ऐसा लगता है कि इसकी पैदावार कम हो जाएगी। यह जो पैदावार है, इस में उत्तर प्रदेश की पैदावार भी जुड़ी है। मैं आपको बताऊं कि कल फारूखाबाद के कुछ लोग मेरे पास आए थे। मैंने उनसे पूछा कि कल हाफ एन० आवर डिस्कशन है और मूंगफली की पैदावार आपके यहां कैसी हुई है। उन्होंने बताया कि हमारे यहां मूंगफली की पैदावार बहुत अच्छी होती थी लेकिन अब बिल्कुल खत्म हो गई है। वे कह रहे थे कि वह अब बिल्कुल पैदा नहीं होती है और इस तरह से वहां के उत्पादन में गिरावट आई है। उन्होंने यह भी बताया था कि फारूखाबाद के पास-पड़ोस के और जिलों में यह होती थी और उसके उत्पादन में गिरावट आई है। उत्तर प्रदेश में अगर मूंगफली के उत्पादन में गिरावट आएगी, तो आप जानते ही हैं कि इस देश की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और वहां की आबादी 10 करोड़ से अधिक हो गई है, 10 करोड़ लोगों के लिए अगर उनके अपने साधन से आप खाद्य तेलों को वहां से उपलब्ध नहीं कराएंगे, तो आप उसको भिखारी रखना चाहते हैं। इसलिए मैं आप से कहना चाहूंगा कि क्या आप इस बात का प्रयास करेंगे कि वहां पर भी मूंगफली का उत्पादन ज्यादा हो। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं कर रही है, तो आपको इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए जिससे तेलों के आयात करने की नौबत न आए। मैं यह जानना चाहता हूं कि तेल की आयात की स्थिति में

सुधार आए और आप आत्मनिर्भर हों, इसके लिए क्या आप समूचे उत्तर प्रदेश में मूंगफली के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कोई सर्वे टीम भेजेंगे ? केन्द्र सरकार वहां पर एक टीम भेजे और वह वहां जा कर रिसर्च करे, महीने, दो महीने रहे और मैं तो कहूंगा कि पूरे सीजन वहां रह कर मिट्टी का परीक्षण करें और जो फसल बोई गई है, उसको देखें कि उत्पादन कैसा हो रहा है ? क्या इस दिशा में आप विचार करने के लिए तैयार हैं । अगर आप ऐसा करेंगे, तो मैं यह मान कर चलता हूं कि इससे केवल सीतापुर की जनता पर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के सब लोगों पर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी ।

एक माननीय सदस्य : गुजरात का किसान बहुत मेहनत करता है ।

श्री राम लाल राही : गुजरात का किसान अगर मेहनत करता है, तो सब जगह का किसान मेहनत करता है और पंजाब का किसान तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है । आप उत्तर प्रदेश गए नहीं हैं । मैं आपके गुजारात घूम आया हूं और मैंने देखा है कि आपके गुजरात में भी मेरे यहां जैसी जमीन है, जैसा मेरा क्षेत्र है, वैसा ही वहां का क्षेत्र है लेकिन मैं एक निवेदन कर दूं कि उत्तर प्रदेश की पापूलेशन को देखते हुए, वहां इतनी बड़ी जनसंख्या है, उसको देखते हुए, वहां पर मूंगफली का उत्पादन बढ़ाना चहिए । अगर उत्तर प्रदेश के लोग मेहनत न करते तो 1972-73 में कैसे 80 हजार बोरी प्रति दिन बाजार में कैसे भेजते । एक खेत को जा कर देखा, तो ऐसा लगता था कि जैसे खेत हरियाली से भरा हो । आज एक महीना हो गया है, पेड़ ज्यों का त्यों है । सिर्फ तीन-तीन, चार-चार पत्तियों का पेड़ दिखाई पड़ता है क्योंकि बोए तब जबकि बीज मूंगफली बने । सरकार इस दिशा में कुछ नहीं कर रही है । क्या आप ऐसी स्थिति पैदा करेंगे कि किसान पुन: मूंगफली बोने की तरफ आकर्षित हो और अगर आकर्षित हो तो आप कौन-कौन से उपाय करेंगे । इसके बारे में ब्यौरे से बताइए ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : सभापति महोदया, माननीय सदस्य ने अपनी आधे घन्टे की चर्चा में मुख्य रूप से तीन मुद्दे उठाए हैं और आधे घन्टे की चर्चा पर वाद-विवाद करते हुए उन्होंने इन तीन मुद्दों को बार-बार दोहराया है । अत: मैं स्वयं को इन मुद्दों तक सीमित रखना चाहूंगा और माननीय सदस्य को विशिष्ट जानकारी दूंगा ताकि उन्हें मालूम हो सके कि वह जो कुछ कहते हैं सच नहीं है और बिल्कुल निराधार है । मैं एक-एक मुद्दे को लूंगा । उन्होंने पूरे भारत, उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से सीतापुर के बारे में कहा है क्योंकि सीतापुर उनका निर्वाचन-क्षेत्र है । माननीय सदस्य ने कहा है कि मूंगफली के उत्पादन वाले क्षेत्र में कमी हुई है । यह सच नहीं है । मेरे पास जो आंकड़े हैं, उनसे पता चलता है कि मूंगफली की खेती वाले क्षेत्र में वृद्धि हुई है । मैं स्वयं को 1980 से 1984 तक के आंकड़ों तक सीमित रखूंगा क्योंकि यह सरकार वर्ष 1981 में सत्ता में आई थी । वर्ष 1980-81 में उत्तर प्रदेश में खेती के अधीन कुल तिलहन क्षेत्र 39.4 लाख हैक्टर था जबकि अखिल भारतीय आंकड़े 176 लाख हैक्टर हैं । उत्तर प्रदेश के मामले में वर्ष 1981-82 में यह बढ़कर 40.6 लाख हैक्टर और 1982-83 में 42.1 लाख हैक्टर था जबकि इन दो वर्षों के लिए अखिल भारतीय आंकड़े क्रमश: 190.5 लाख हैक्टर और 191 लाख हैक्टर हैं । यदि हम केवल मूंगफली की बात करें तो जहां तक उत्तर प्रदेश

का सम्बन्ध है वर्ष 1980-81 में इसकी खेती के अधीन आने वाले क्षेत्र 1.91 लाख हैक्टर या जो वर्ष 1981-82 में बढ़कर 2.61 लाख हैक्टर और वर्ष 1982-83 में 3.05 लाख हैक्टर हो गया। मूंगफली की खेती के अधीन आने वाले क्षेत्र के अखिल भारतीय आंकड़े वर्ष 1980-81 में 68.01 लाख हैक्टर, वर्ष 1981-82 में 72.4 लाख हैक्टर और 1982-83 में 73.5 लाख हैक्टर हैं। वर्ष 1983-84 के लिए आंकड़े 76.2 लाख हैक्टर हैं। अत: देखा जा सकता है कि इस क्षेत्र में वृद्धि हुई है।

अब मैं उत्पादन पक्ष को लेता हूं। उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। वर्ष 1980-81 के लिए तिलहनों के अखिल भारतीय आंकड़े 93.7 लाख टन थे और प्रति हैक्टर उत्पादिकता 5.32 क्विंटल था। वर्ष 1981-82 और वर्ष 1982-83 में तिलहन के उत्पादन के आंकड़े क्रमश: 12.9 लाख टन और 105.5 लाख टन हैं और वर्ष 1983-84 के लिए अन्तिम आंकड़े 126.85 लाख टन हैं। ये सभी अखिल भारतीय आंकड़े हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मेरे विचार से यह कुल तिलहन उत्पादन के आंकड़े हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये कुल तिलहन उत्पादन के आंकड़े हैं। अब जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है, वर्ष 1980-81 में तिलहन का उत्पादन 16.5 लाख टन, वर्ष 1981-82 में 17.1 लाख टन और वर्ष 1982-83 में 16.5 लाख टन था।

1982-83 में उत्पादन में मामूली सी कमी हुई है, क्योंकि उस वर्ष सूखा पड़ा था। जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा, मूंगफली की फसल जुलाई से अगस्त तक होती है। इस तीन सप्ताह की अवधि में, लगातार सूखे की स्थिति रही, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश और अन्य स्थानों पर मूंगफली की फसल को नुकसान पहुंचा। मैंने तिलहनों के बारे में अखिल भारतीय आंकड़े दिए हैं।

अब मैं मूंगफली के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़ों पर आता हूं। उत्तर प्रदेश में मूंगफली के उत्पादन के आंकड़ें इस प्रकार हैं :

1980-81—1.84 लाख टन
1981-82—2.54 ,, ,,
1982-83—1.87 ,, ,,

इसमें कमी सूखे की वजह से आई है। मूंगफली उत्पादन के अखिल भारतीय आंकड़े इस प्रकार हैं :

1980-81—5.01 लाख टन
1981-82—72.2 ,, ,,
1982-83—55.5 ,, ,,
1983-84—72.1 ,, ,,

अगर आप आंकड़ों पर ध्यान दें, तो आप आसानी से समझ पायेंगे कि जहां तक मूंगफली और अन्य तिलहनों का सम्बन्ध है न केवल जिस भूमि पर फसल उगाई गई है, उसमें वृद्धि हुई है बल्कि उत्पादन और उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। इसलिए यह कहना कि क्षेत्र, उत्पादन और उत्पादकता में कमी हुई है। इस बारे में आंकड़ें बिल्कुल स्पष्ट हैं।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : मैंने यही कहा था कि आप कृषि विभाग के आंकड़े दे देंगे, लेकिन मैंने आपको जो कुछ बताया है वह मार्केट को देखकर बताया है। क्योंकि जितना उत्पादन होता है, वह सब मार्केट में ही तो जाता है।

सभापति महोदया : ठीक तो है, ये कृषि विभाग के आंकड़े नहीं पढ़ेंगे तो कहां से पढ़ेंगे।

श्री राम लाल राही : मैं यही तो कह रहा हूं कि यदि आपको इन दोनों आंकड़ों में फर्क लगे तो जिन लोगों ने आपको गलत आंकड़े दिए हैं, आप उनके खिलाफ कर्यवाही करेंगे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : सभापति महोदय, आप मेरी स्थिति समझ सकते हैं। जो सूचना मुझे राज्य सरकारों और मेरे मंत्रालय द्वारा सप्लाई की गई हैं, मुझे उसी के अनुसार चलना होता है। जैसाकि शायद माननीय सदस्य ने किया है, मैं तो बाजार जाकर आंकड़ें इकट्ठे नहीं कर सकता। जो कुछ वह कह रहे हैं, वह निराधार है।

श्री राम लाल राही : क्या आप गलत आंकड़े देने वालों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, क्योंकि आपको गलत आंकड़े दिए गए हैं। इसमें आपको कौन-सी दिक्कत है, कह दीजिए कि नहीं करेंगे या कह दीजिए कि कार्यवाही करेंगे।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह बिल्कुल स्पष्ट है कि इस सभा में कोई भी मंत्री गलत सूचना नहीं दे सकता, क्योंकि यह विशेषाधिकार का हनन हो जाएगा। अगर मैं गलत सूचना दे रहा हूं तो माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि वह मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव रख सकते हैं।

यह प्रश्न पूछा गया है कि देश में तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं। तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस समय कई योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

माननीय सदस्य ने जो प्रश्न 23 जुलाई, 1984 को रखा था, उसके उत्तर में मैंने इन योजनाओं का जिक्र किया है। 1980-81 से गुजरात में 35 करोड़ रु० की विशेष मूंगफली विकास परियोजना शुरू की गई है। इसी प्रकार 1980-81 से अन्य मूंगफली उत्पादक राज्यों में, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, सघन तिलहन विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है। 1984-85 में एक व्यापक राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना शुरू की गई है, जिसके लिए शत-प्रतिशत वित्तीय सहायता भारत सरकार देगी। इस योजना के दो भाग हैं।

6.00 म० प०

श्री राम लाल राही : जो 35 करोड़ खर्च कर रहे हैं, इसमें से उत्तर प्रदेश में कितना आएगा, जरा बता दीजिए ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : सब आयेगा, आप जरा शान्ति रखें। महोदया, इस कार्यक्रम के लिए 1984-85 के लिए 38 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है और भारत सरकार इसमें शत-प्रतिशत सहायता देगी। राज्यों के बजट से कोई राशि आबंटित नहीं की गई है। भारत सरकार ही इसका पूरा व्यय उठाएगी।

तिलहनों की सघन खेती का यह कार्यक्रम चार प्रमुख तिलहनों—मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी और रेपसीड सरसों—के लिए चलाया गया है। जहां तक मूंगफली परियोजना का सम्बन्ध है, इसे गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उड़ीसा में लागू किया गया है। सोयाबीन को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में लागू किया गया है। सूरजमुखी को महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में लागू किया गया है। रेपसीड सरसों का तेल—को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, असम, गुजरात और पश्चिम बंगाल में लागू किया गया है।

इस योजना का दूसरा भाग सघन तिलहन विकास कार्यक्रम है। यह सात तिलहनों के लिए है। मूंगफली के लिए—कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश—जिस प्रदेश से माननीय सदस्य आए हैं—राजस्थान और पंजाब है। रेपसीड तेल के लिए—उड़ीसा, पंजाब, बिहार, जम्मू और काश्मीर और सिक्किम। सोयाबीन—गुजरात, हिमाचल प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र। सूरजमूखी—उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तिल्ली—मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक। कुसुम (सैफ्लॉवर)—महाराष्ट्र कर्नाटक, और आंध्र प्रदेश। तिल तेल—उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। यह परियोजना भारत सरकार के 100 प्रतिशत सहायता से चलाई जा रही है, और इसका उद्देश्य देश में तिलहनों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा देना है। इन योजनाओं के अधीन अखिल भारत और उत्तर प्रदेश के लिए पर्याप्त राशि रखी गई है। उत्तर प्रदेश के लिए इसमें वृद्धि की गई है। माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के लिए कम राशि आबंटित की गई है। यह सही नहीं है।

अब मैं, मूंगफली, रेपसीड, सरसों के तेल के बारे में तिलहन योजनाओं और गहन तिलहन विकास कार्यक्रम में खर्च की राशि के बारे में आंकड़े देना चाहूंगा। मैं केवल उत्तर प्रदेश का हवाला दे रहा हूं, न कि अखिल भारत के बारे में। 1980-81 में यह 74.16 लाख रु० थी। 1981-82 में यह 41.60 लाख रु० थी। 1982-83 में यह 140 लाख रु० थी और 1983-84 में यह 131.43 लाख रुपए की है, आप देख सकते हैं कि 74 लाख रु० से बढ़कर यह 131 लाख रु० हो गई। इसमें वृद्धि हुई है। लेकिन 1984-85 काफी वृद्धि हुई है यह 131.43 लाख रु० से बढ़कर 260.9 लाख रु० हो गई है। आप वैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश को अन्य प्रदेशों से कम राशि आबंटित की गई है ? इसमें दुगने से भी अधिक वृद्धि हुई है—131 से बढ़कर 260 हो गयी है।

सघन तिलहन विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 82.56 लाख रु० रखे गए हैं और रेपसीड, सरसों, सोयाबीन और तिल के लिए 178.33 लाख रु० रखे गए हैं···

श्री राम लाल राही : लेकिन मूंगफली के बारे में बिल्कुल नहीं है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मूंगफली आ गया। आप सुनते नहीं हैं। यह जो दोनों स्कीमें हैं उसमें है। और मूंगफली के बारे में···

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मूंगफली के कुल राष्ट्रीय उत्पादन में उत्तर प्रदेश के उत्पादन का प्रतिशत कितना है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य तिलहनों की फसल के आंकड़ें दे सकता हूं।

रेपसीड तेल जो कि देश के 50 से 60 प्रतिशत तक क्षेत्र में पैदा किया जाता है, उत्तर प्रदेश से आता है। जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है, यह देश के उत्पादन का 40% है।

श्री सत्यसाधन चक्रबर्ती : मूंगफली के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह केवल छितरे क्षेत्रों में ही पैदा की जाती है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या यह 2% से अधिक है ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : प्रतिशत के हिसाब से मेरे पास इस समय आंकड़ें नहीं हैं। लेकिन मेरे पास रेपसीड और सरसों के तेल से सम्बन्धित आंकड़ें हैं और देश में इनके कुल उत्पादन का 40% उत्तर प्रदेश से आता हैं।

माननीय सदस्य ने सीतापुर का जिक्र किया है। मैं इस पर बाद में आऊंगा। लेकिन मैं माननीय सदस्य को सीतापुर के बारे में बताना चाहूंगा। राही जी आप अपने निर्वाचन क्षेत्र सीतापुर के बारे में काफी चिन्तित हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : रामपुर में ही होता है क्या ?

श्री योगेन्द्र मकवाना : होता है।

वास्तव में, हम जिले में नहीं जाते हैं। लेकिन राही जी इस सभा के बहुत महत्वपूर्ण सदस्य हैं।···(**व्यवधान**)···

सीतापुर मंडी में 1981-82 में 95.6 हजार क्विंटल मूंगफली आई। 1982-83 में इसकी आमद 103.7 हजार क्विंटल थी—यह आंकड़ें अक्तूबर से दिसम्बर तक के हैं। 1983-84 के आंकड़ें इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं।

अब मैं आपको सीतापुर जिले में मूंगफली के खेती क्षेत्र, उत्पादन आदि के बारे में बताऊंगा। उन्हें इसकी जानकारी लेनी चाहिए ताकि वह इसे समझ सकें। 1982-83 में वहां मूंगफली की काश्त क्षेत्र, 25,153 हैक्टेयर था और 14,639 टन का उत्पादन हुआ। प्रति हैक्टेयर उत्पादन 582 किलोग्राम था। 1982-83 के 25,153 हैक्टेयर मूंगफली का काश्त क्षेत्र बढ़कर 1983-34 में 28,860 हैक्टेयर हो गया। इसी प्रकार उत्पादन भी 14,639 टन से बढ़कर 19,088 टन हो गया। 1982-83 के प्रति हैक्टेयर 582 किलोग्राम के उत्पादन में वृद्धि होकर 1983-84 में 686 किलोग्राम हो गया। आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें गिरावट आई है? काश्त क्षेत्र में वृद्धि हुई है, सीतापुर में उत्पादन बढ़ा है, उपज में वृद्धि हुई है और आप हमेशा सीतापुर के बारें में शोर मचाते रहते हैं।

श्री राम लाल राही : मैं बिल्कुल कहता हूं कि 100 फीसदी आंकड़े ग़लत हैं। मैं चेलेन्ज करता हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : वह चाहते हैं कि ये सीता की तरह परिपूर्ण हों।

श्री योगेन्द्र मकवाना : प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती उत्तर प्रदेश के मूंगफली के आंकड़े जानना चाहते थे। पूरे देश में मूंगफली का जितना उत्पादन होता है, उसका केवल 2 प्रतिशत ही उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह 2 प्रतिशत से अधिक है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मेरे पास ये आंकड़े उपलब्ध थे। यह कहना गलत है कि इसके काश्त क्षेत्र और उत्पादकता में कमी आई है।

माननी सदस्य का दूसरा मुद्दा योजनाओं और आबंटित राशियों के बारे में है। मैंने कहा है कि कई एक योजनाएं लागू की गई हैं और मैंने सारे देश और उत्तर प्रदेश को इन योजनाओं के अंतर्गत आबंटित राशियों के आंकड़े भी दिए हैं। अब मैं अनुसंधान कार्य के बारे में बताता हूं। माननीय सदस्य ने कहा है कि कोई अनुसंधान कार्य नहीं हो रहा है और किसानों को कम-उपज वाली किस्में बिमारियों और कीड़ों आदि के कारण नुकसान हो रहा है। यह सही नहीं है। मैनपुरी में एक केन्द्र है। यह सीतापुर में नहीं, बल्कि मैनपुरी में है। मैनपुरी केन्द्र केवल मूंगफली अनुसंधान के लिए ही है। इस केन्द्र ने दो उत्तम किस्मों का विकास किया है। एक चन्द्रा और दूसरी···है।

(व्यवधान)

दूसरी जी० 201 है। ये दो ऐसी किस्में हैं जिनकी यदि अच्छी प्रकार से सिंचाई की जाए तो ये प्रति हैक्टेयर लगभग 25 क्विंटल का उत्पादन देती हैं। ये बहुत अधिक उपज देने वाली किस्में हैं।

जहां तक जी० 201 का सम्बन्ध है यह फफूंद (रस्ट) प्रतिरोधक किस्म है। कीट बीमारी

इसको प्रभावित नही करती है। इसने टी० 22 और एम० 37 का स्थान ले लिया है। यह उच्च कोटि प्रतिरोधक किस्म मैनपुरी में विकसित की गई है। अतः यह कहना अनुचित है कि इस क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास नहीं किया जा रहा है।

माननीय सदस्य ने इस सदन में बारबार "सफेद सूंडी" (व्हाइट ग्रब) रोग का जिक्र किया है। भारत सरकार तथा इन राज्य सरकारों के अधिकारियों को सम्मिल्लित करके एक विशेषज्ञ समिति को नियुक्त किया गया था। इस विशेषज्ञ समिति के सदस्यों ने खेतों का दौरा किया और उन्होंने परीक्षण भी किया। उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि इस क्षेत्र में "सूंडी" का रोग नहीं है जैसा कि कहा गया है। प्रथम तो यह वहां पर मौजूद ही नहीं है। यह भविष्य में यह होती भी है तो हमने समेकित "सफेद सूंडी" रोकथाम कार्यक्रम का विकास किया है। अब यह कार्यक्रम इन कीटों को नियन्त्रित करने के लिए है। इसके दो भाग हैं—(1) रासायनिक छिड़काव (2) कीट को पकड़ना तथा इसको मारना। इस अनुसंधान संगठन द्वारा इस कार्यक्रम का भी विकास किया गया है जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् प्रमुख कार्य कर रही है। अतः यह कहना गलत है कि मूंगफली तथा तिलहनों के सम्बन्ध में कोई अनुसंधान कार्य नहीं किया गया है।

अब मैं बीजों की बात पर आता हूं। उन्होंने कहा है कि बीज उपलब्ध नहीं है। यह सही नहीं है। चन्द्रा के 25 क्विंटल प्रजनक बीजों का उत्पादन किया और (जी-20) किस्म का 10 क्विंटल प्रजनक बीजों का उत्पादन किया गया। इसकी प्रमाणित बीजों में वृद्धि की जा सकती है। जहां तक प्रमाणित बीजों के उत्पादन का सम्बन्ध है और मूंगफली के प्रमाणित बीजों के वितरण का सम्बन्ध है यह निम्नलिखित रूप में है :—

वर्ष	स्थान	क्विंटल
1982-83	उत्तर प्रदेश	908
	अखिल भारतीय	2,76,169
1983-84	उत्तर प्रदेश	813
	अखिल भारतीय	5,03,960
1984-85	उत्तर प्रदेश	3000
	अखिल भारतीय	5,14,649

अतः यह 908 क्विंटल से बढ़कर 3,000 क्विंटल हो गया। आप कैसे कह सकते हैं कि प्रमाणित बीज उपलब्ध नहीं हैं ? प्रमाणित बीज उपलब्ध हैं और वे भारी मात्रा में किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

छोटे तथा सीमांत किसानों को तिलहन मिनी किटस् वितरित की गई हैं। उत्तर प्रदेश में 3,11,476 मिनी किट्स का वितरण किया गया।

यह मैं अपने मंत्रालय की जानकारी के आधार पर बता रहा हूं। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि किसी माननीय सदस्य ने यह कहा है कि उत्पादन, उत्पादिकता क्षेत्र, आदि में कमी हुई है, तो वह निराधार है। तेल के उत्पादन में भी कमी हुई है बीच उपलब्ध नहीं हैं, कोई अनुसंधान नहीं किया गया है---यह सब गलत है। ऐसा कहने का कोई आधार नहीं है। यह सच नहीं हैं, क्योंकि इनके आंकड़े मैंने आपको बता दिए हैं। मैंने आपको योजनाओं की संख्या बताई है। मैंने आपको किसानों को दी गई धनराशि के बारे में भी बता दिया है।

अन्त में मैं, माननीय सदस्य को संतुष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने यह मांग की है कि उनके क्षेत्र के में अधिकारियों के एक दल को तैनात किया जाए। हमने ऐसा किया था। कृषि मंत्रालय, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वनस्पति संरक्षण निदेशालय तथा राज्य कृषि विभाग के अधिकारियों सहित एक दल ने सीतापुर में मूंगफली के उत्पादन की समस्या का अध्ययन करने के लिए सीतापुर, उत्तर प्रदेश का 18-9-1983 को दौरा किया था तथा दल द्वारा छह सिफारिशें की गई हैं। सभी सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा कार्यवाही की जा रही है। यदि माननीय सदस्य इसको जानना चाहते हैं, तो वे इसकी जानकारी मुझसे ले सकते हैं क्योंकि यदि की गई सभी सिफारिशों तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को मैं पढ़ूं तो इसमें बहुत अधिक समय लगेगा। मैं यह बता सकता हूं कि अध्ययन दल द्वारा छह सिफारिशें की गई हैं। सरकार ने उनको स्वीकार कर लिया है और कार्यवाही की है। अतः यह सही नहीं है। आधे घंटे की चर्चा में माननीय सदस्य ने जो कुछ भी मुद्दा उठाया है वह बेबुनियाद है तथा उसमें सच्चाई नहीं है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण केवल प्रश्न ही पूछें। चर्चा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : सभापति महोदय, मन्त्री जी ने आंकड़ों के द्वारा उसी तरह से सेटिस्फाइ करने की कोशिश की है जिस तरह से कोई बी काम या एम काम स्काउन्टेन्सी में लाखों का लेन-देन दिखाकर किसी का तो दिवाला निकाल देता है और किसी को करोड़ों रुपए दिला देता है। उसी प्रकार से मन्त्री जी ने भी आंकड़ों का प्रदर्शन किया है और उनके द्वारा संतुष्ट करने की कोशिश की है। मैं तो इससे क्या संतुष्ट होऊंगा जब माननीय राही जी ही संतुष्ट नहीं हुए हैं।

मूंगफली उत्तर प्रदेश में बदायूं, बरेली तथा अन्य जिलों में बालू वाली जमीन पर पैदा होती है जिस जमीन पर और कुछ पैदा नहीं होता। बदायूं, बरेली में जहां बहुत बड़ी मात्रा में मूंगफली पैदा होता थी, जहां पर पिछले तीन चार सालों से खेतों में हल तक नहीं जा सका है, मूंगफली का एक दाना भी नहीं बोया गया है। इसका कारण यह है कि किसान को रिटर्न नहीं मिल रहा है जिससे प्रोत्साहित होकर वह मूंगफली बो सके। बदायूं में हमारे यहां पर हजारों एकड़ जमीन ऐसी पड़ी है जिस पर मूंगफली नहीं, पेठा मजबूरन बोना पड़ा है। पेठे की मिठाई आपने आगरे में खाई होगी। जरा सी मूंगफली के स्थान पर दस किलो का पेठा पैदा कर रहे हैं। और मन्त्री जी

कह रहे हैं कि मूंगफली की पैदावार बढ़ी है। यदि मूंगफली की पैदावार बढ़ी है तो गाजियाबाद में जैन शुद्ध वनस्पति द्वारा क्यों फैक्टरी को बन्द करने की धमकी मजदूरों को दी जा रही है? अभी कल ही हमारे पास मजदूर आए थे। कारण यह है कि वनस्पति बनाने के लिए मूंगफली का तेल उपलब्ध नहीं हो रहा है। मूंगफली से दूध जैसे कुछ आइटम्स भी तैयार किए जाते हैं। मिठाइयों में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। मूंगफली की खली जानवरों को खिलाई जाती है। विस्कुट बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता। लेकिन मूंगफली का उत्पादन कम होने की वजह से इन चीजों के उत्पादन में दिक्कत पैदा हो रही है। क्या मन्त्री जी इस बात की जांच करवायेंगे कि बदायूं, बरेली में मूंगफली क्यों नहीं पैदा हो रही है? मूंगफली की खेती के लिए सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या मूंगफली की फसल को सिंचाई के मामले में वरीयता मिलेगी क्योंकि उसके अभाव में मूंगफली का दाना नहीं बढ़ पाता है? वहां पर सिंचाई में कुछ रियायतें दी जांय और जो बीमारियां फैल रही हैं उनकी जांच करा कर कि वे किन क्षेत्रों में फैल रही हैं और उनको कैसे रोका जा सकता है, इस बारे में शीघ्र कार्यवाही की जाए।

मूंगफली एक ऐसी चीज है जिसको सब खाते हैं, मनुष्य ही नहीं, पशु-पक्षी भी उसको खाते हैं और बरबाद भी करते हैं। इसके भण्डारन की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या इसके भण्डारन की व्यवस्था के लिए सरकार कोई कदम उठाएगी?

इसके जो साइड-उद्योग हैं बल्कि इसके ऊपर आधारित जो मुख्य उद्योग है---वह है वनास्पति तेल। पिछले दिनों जब हम काश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गए थे तो सेना के अधिकारियों ने हमें बतलाया था कि वनस्पति घी का लोगों के हृदय पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो शुद्ध तेल इस्तेमाल करते हैं उनको नुकसान नहीं होता है। इसलिए तेल का उत्पादन बढ़ाने तथा मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से दोनों में सामंजस्य होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि मूंगफली से तेल उत्पादित करने में सरकार किस तरह से सहायता करेगी? क्या इस तरह की कोई सहायता सरकार करने जा रही है? जो कारखाने के मूंगफली के तेल में दूसरे तेल मिला कर तथा उसमें चर्बी मिलाकर वनस्पति घी पैदा करते थे, ऐसे कारखानों को सरकार बन्द न होने दे तथा उनके लिए रा-मैटीरियल उपलब्ध कराए जिससे वहां के श्रमिकों को रोजगार मिलता रहे। क्या सरकार उनको तिलहन और जिन रा-मैटीरियल की जरूरत पड़ती है उपलब्ध कराती रहेगी?

सभापति महोदय : प्रो० अजित कुमार मेहता आप भी ऐसे ही प्रश्न पूछें जैसे कश्यप जी ने पूछे हैं, कोई लैक्चर न दें।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं भाषण नहीं दूंगा, हम लोगों के अंश का भाषण राही जी दे चुके हैं।

सभापति जी, अभी मंत्री जी ने बतलाया है—1981-82 में मूंगफली का उत्पादन 72.33 लाख टन और 1983-84 में 72.16 लाख टन, यदि मैं सही हूं, हुआ है। इस फिगर को देख कर मेरी समझ में नहीं आया कि जैसा आपने दावा किया है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है, वह कैसे

हुई है ? जहां तक मेरी सूचना है—1981-82 में उत्पादकता का सूचक अंक था—136.9 और 1982-83 में यह 106.9 हो गया—तो यह उत्पादन कैसे बढ़ा ?

दूसरी बात—अगर उत्पादन बढ़ता है तो उसका असर बाजार पर भी पड़ता है। यदि मूंगफली का उत्पादन बढ़ा तो मूंगफली के उत्पादन से जो अन्य पदार्थ बनते हैं, जैसे जमाया हुआ तेल—वनस्पति घी—उसकी कीमत कैसे बढ़ गई ? अगर उत्पादन बढ़ा है तो कीमत रीजनेबिल होनी चाहिए, उसमें बढ़ोत्तरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जमाए हुए वनस्पति तेल की कीमत 1 रुपए 40 पैसे प्रति के० जी० बढ़ा, जिसका मतलब है कि बाजार में दो रुपए प्रति के० जी० के हिसाब से बढ़ गया। यह तो सरकारी रेट है, लेकिन इसका असर बाजार पर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं आंकड़ों के जाल में फंसना नहीं चाहता हूं, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि जब उत्पादन में वृद्धि हुई तो उसका असर सामान्य जनता पर क्यों नहीं पड़ता है। इसलिए हमको आंकड़ों पर अधिक विश्वास नहीं हो रहा है। यदि आप इसके बारे में खुलासा करें तो हमारी ज्ञान वृद्धि होगी।

आपने बताया है कि 1981-82 में नौ राज्यों में मूंगफली विकास की परियोजनाएं चलाई गई। मैं पूछना चाहता हूं कि उसका क्या परिणाम निकला ? अन्त में मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने 1984-85 में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना चलाई है, तो इस परियोजना में बिहार के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है ? इसके क्या कोई परिणाम सामने आए हैं कि इससे क्या लाभ होने जा रहा है ?

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि पिछले एक अप्रैल से तिलहन विकास परिषद् और राष्ट्रीय विकास तिलहन परियोजना शुरू की है और उसी दौर में सरकार ने रिकार्ड उत्पादन किया है। मैं मूंगफली के बारे में नहीं कह रहा हूं, तिलहन के बारे में कह रहा हूं। हमने 1200 करोड़ रुपए खर्च करके 14 लाख का आयात किया। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार हमको 40 अरब रुपया खर्च करना पड़ेगा, अगले पांच सालों में तेल के आयात पर। हमने पिछले बीस वर्षों में तिलहन की प्रगति दो प्रतिशत के हिसाब से की है। उत्तर प्रदेश में मूंगफली का उत्पादन प्रति हैक्टेयर 448 किलो है, जबकि विश्व का औसतन 917 है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना फर्क है। भारत में प्रति हैक्टेयर भूमि पर उत्पादन 752 के०जी० है, चीन में 1150 है, नाइजेरिया में 1615 है और अमरीका में 1425 है और 25 लाख टन तेल हम उत्पादन करते हैं। आप यह जानते हैं कि तिलहन के उत्पादन में सबसे बड़ी भूमिका किसान की है। जब वह पैदा करेगा, तब आपके तिलहन का उत्पादन बढ़ेगा। मेरा मुख्य प्रश्न यह है कि क्या सरकार तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई समर्थन मूल्य घोषित करने जा रहे हैं, ऐसी कोई नीति बनाने जा रहे हैं ? जैसे कि आपने गेहूं का समर्थन मूल्य घोषित किया है, तिलहन का भी समर्थन मूल्य घोषित कर दीजिए, जिससे किसान अधिक से अधिक उत्पादन करे। नहीं तो बाजार में क्या होता है कि मूंगफली का तेल 30 रुपए बिकता है और किसान को उसका भी फायदा नहीं होता है। इसलिए आपकी नीति स्पष्ट होनी चाहिए।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह आधे घण्टे की चर्चा केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित थी। चूंकि माननीय सदस्य श्री राम लाल राही सीतापुर का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए मैंने सीतापुर जिले के आंकड़े भी प्राप्त किए हैं···(**व्यवधान**) मैं उत्तर प्रदेश के आंकड़े देने को तैयार हूं। भारत सरकार केवल राज्यों के आंकड़े दे सकती है। यदि आप अपने गांव के बारे में आंकड़े जानना चाहते हैं तो यह मेरे पास उपलब्ध नहीं है। अत: मैं राज्य के आंकड़े दे सकता हूं। चूंकि वह सीतापुर का प्रतिनिधित्व करते हैं इसलिए मैंने सीतापुर के सम्बन्ध में भी आंकड़े मंगाए हैं। जहां तक बदायूं तथा बरेली जिलों का सम्बन्ध है मेरे पास वहां की मूंगफली की जानकारी उपलब्ध नहीं है। आप समझ सकते हैंजहां तक उत्तर प्रदेश खेती, उत्पादन प्रतिएकड़ उपज तथा अन्य बातों में तिलहनों का सम्बन्ध है वहां पर मूंगफली प्रमुख फसल नहीं हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यह देश के पूरे उत्पादन का केवल दो प्रतिशत है। प्रमुख फसल 'रेपसीड मस्टर्ड आयल' है। यह देश के कुल उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत उत्पादन करता है और कृषि क्षेत्र भी सारे देश के क्षेत्र का लगभग 60 प्रतिशत है अत: उत्तर प्रदेश 'रेपसीड मस्टर्ड आयल' तथा अन्य तेलों के उत्पादन में योगदान कर सकता है लेकिन वह अन्य मूंगफली उत्पादक राज्यों के योगदान की भांति मूंगफली के सम्बन्ध में योगदान नहीं कर सकता।

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि जब उत्पादन में वृद्धि हुई है तो मूल्य में वृद्धि क्यों हुई है। मूल्य के सम्बन्ध में केवल उत्पादन का ही महत्व नहीं होता है। मूल्य बहुत से कारणों पर निर्भर करता है। मांग और सप्लाई भी एक ऐसा ही कारण है। यदि सप्लाई कम है तथा मांग अधिक है तो तब मूल्य में वृद्धि होगी और अर्थशास्त्र का सामान्य सिद्धान्त लागू होगा। इसके अतिरिक्त मुद्रा प्रसार भी है। यदि आप वर्ष 1970-71 का मूल्य सूचकांक देखें तो आपको पता चलेगा कि आज मूल्य सूचकांक, यदि मैं गलत नहीं हूं, 328 प्रतिशत तक पहुंच गया है—सभी वस्तुओं को एक साथ मिलाकर·····

प्रो० अजित कुमार मेहता : आपने कहा है कि उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्ष 1981-82 में यह 72.33 लाख टन था और वर्ष 1983-84 में यह 72.16 लाख टन था। जबकि उत्पादन बराबर हुआ है तथा प्रति एकड़ पैदावार में वृद्धि हुई है तो इसका यह तात्पर्य है कि उत्पादिकता में गिरावट आई है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : 55.5 लाख टन से वर्ष 1982-83 में उत्पादन बढ़कर 72.1 लाख टन हो गया है। यह अखिल भारतीय आंकड़े हैं···

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैंने 1981-82 के बारे में कहा। 1981-82 में यह 72.33 लाख मीट्रिक टन था और 1983-84 में यह 72.16 लाख टन था···

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह लगभग बराबर है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : लेकिन एकड़ क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह 74.29 लाख हैक्टेयर था जो बढ़कर 76.2 लाख हैक्टेयर हो गया था।

प्रो० अजित कुमार मेहता : एकड़ क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। लेकिन उत्पादन उतना ही है। इसका तात्पर्य यह है कि उत्पादिकता में गिरावट आई है।

श्री योगेन्द्र मकवाना : बहुत मामूली गिरावट हुई है। उत्पादन 72.3 लाख टन था और यह घटकर 72.1 लाख टन हो गया। एकड़ क्षेत्रफल 74.29 लाख हैक्टेयर से बढ़कर 72.2 लाख हैक्टेयर हो गया है। अतः इसमें मामूली कमी आई है। लेकिन कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें उत्पादन को बराबर नहीं रखा जा सकता। यदि आप समग्र रूप से तिलहन के उत्पादन को लेते हैं तो आप देखेंगे कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्ष 1981-82 यह 122.9 लाख टन था और यह बढ़कर 126.85 लाख टन हो गया है। एकड़ क्षेत्रफल में मामूली वृद्धि हुई है। लेकिन समग्र रूप से तिलहन उत्पादन में वृद्धि हुई है। मूंगफली के सम्बन्ध में मामूली कमी हुई है। लेकिन सभी तिलहनों को देखते हुए इसमें वृद्धि हुई है। अतः यह कहना गलत है कि इसमें गिरावट आई है.....

प्रो० अजित कुमार मेहता : फिर उत्पादिकता के सूचकांक संख्या में गिरावट क्यों हुई है?

श्री योगेन्द्र मकवाना : यह प्रति हैक्टेयर 640 से 661 तक हो गया है। इसमें वृद्धि हुई है। केवल मूंगफली के मामले में मामूली गिरावट हुई है। अतः इस प्रकार कहना उचित नहीं है। बहुत-सी योजनाएं मौजूद हैं जिसको मैंने अभी बताया है। मैं उनको बार-बार दोहराना नहीं चाहता हूं।

इसके अलावा माननीय सदस्य समर्थन मूल्य के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं। सरकार ने तिलहनों का समर्थन मूल्य घोषित कर दिया है। वर्ष 1980-81 में यह प्रति क्विंटल 206 रु० था। वर्ष 1981-82 में यह 270 रु० था। वर्ष 1982-83 में यह 295 रुपए था तथा वर्ष 1983-84 के लिए समर्थन मूल्य 315 रुपए था। अतः यह प्रति क्विंटल 206 रुपए से बढ़कर 315 रुपए हो गया है। जहां तक योजनाओं का सम्बन्ध है एक और योजना है जिसे तिलहनों की उत्पादिकता तथा उत्पादन में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय तिलहन विकास बोर्ड द्वारा चलाया जाता है।

श्री राम लाल राही : मैं सिर्फ एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। हमने जो सवाल उठाए थे, उनके बारे में माननीय मंत्री जी ने कह दिया कि वे निराधार हैं, तथ्यों से परे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि जिन लोगों ने आपको गलत इंफर्मेशन दी है, क्या आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे? अन्यथा मैं तो यही कहूंगा कि माननीय मंत्री जी जब भाषण देते हैं तो सुनते भी हैं और देखते भी हैं लेकिन जब वे जवाब देते हैं तो न सुनते हैं और न देखते हैं, केवल कागज ही देखते हैं।

6.38 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा, सोमवार, 6 अगस्त, 1984/15 श्रावण 1906 (शक), के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

दि इण्डियन प्रेस दिल्ली

P.L.S. 48/49/10/84 (N)
210

© 1984 प्रतिलिप्याधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और
प्रबन्धक इण्डियन प्रैस, दिल्ली द्वारा मुद्रित